एकादश माला, खंड 10, अंक 20

बुधवार, 19 मार्च, 1997

28 फाल्गुन, 1918 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र (भाग–एक)

(ग्यारहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 10 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

बुधवार, 19 मार्च, 1997/ 28 फाल्गुन, 1918 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

....

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
विषय-सूची	(i)	"राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक" के पश्चात - "सभा पटल पर रखे गए" पढ़िए ।	
23	नीचे से 13	भेंद	भेंट
21	नीचे से 14	डा॰नामदेव दिवाये	डा॰ नामदेव दिवाथे
23	नीचे से 5	निदेश	विदेश
25	10	केरल उपान्तिम	केवल उपान्तिम
26	7	आंवरण	अंतरण
314	नीचे से 11	पून्नानी	पोन्नानी
360	12	मेक्सिको	मेक्सिको
360	26	देवेंपू	देवेन्द्र
361	17	कत्युक्त	करमुक्त
361	नीचे से 7	दूविड़ पुनित्र	द्रविड़ मुनित्र
384	नीचे से 2	श्री एस॰के॰प्रेमचन्द्रन	श्री एन॰के॰प्रेमचन्द्रन
403	नीचे से 5	मात्रभूमि	मातृभूमि
436	17	तिरूमेनगोडे	तिरूमेंगोडे
504	नीचे से 8	स्थापित	सभापति

सम्पादक मण्डल

श्री एस० गोपालन
महासचिव
लोक सभा

श्री सुरेन्द्र मिश्र
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्रीमती बन्दना त्रिवेदी
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

श्रीमती अरुणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रमाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय-सूची

[एकादश माला, खंड 10, चौथा सत्र (भाग-एक), 1997/1918 (शक)]

अंक 20, बुधवार, 19 मार्च, 1997/28 फाल्गुन, 1918 (शक)

विषय		कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	341 से 344	1-30
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	345 से 360	31-63
अतारांकित प्रश्न संख्या	3778 से 4007	63-292
सभा पटल पर रखे गए पत्र		293-297
राज्य सभा से सन्देश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक		297
सदस्य को दोषसिद्ध ठहराया जाना और जेल में रखा जाना		298
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्पों संबंधी समिति		
सातवां प्रतिवेदन – *प्रस्तुत*		298
प्राक्कलन समिति		
तीसरा प्रतिवेदन – *प्रस्तुत*		298
लोक लेखा समिति		
चौथा और सातवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश – *प्रस्तुत*		298-299
पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति		
छठा, सातवां और आठवां प्रतिवेदन – *प्रस्तुत*		299
रेल संबंधी स्थायी समिति		
पांचवा प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश – *प्रस्तुत*		299
नियम 377 के अधीन मामले		
(एक) राजस्थान में भीलवाड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरभाष सुविधाएं शीघ्र उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता		
प्रो० सुभाष चन्द्र		325-326

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय — कालम

(दो) मध्य प्रदेश के सूखा प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए राज्य सरकार को धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री पवन दीवान. 326

(तीन) यमुना कार्य योजना का कार्य आरम्भ किए जाने की आवश्यकता

श्री जय प्रकाश अग्रवाल 326

(चार) आन्ध्र प्रदेश के काकीनाडा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में "वाटर शेड स्कीम" के अन्तर्गत शेष राशि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री टी० गोपाल कृष्ण 326-327

(पांच) विकास परियोजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण संबंधी कानूनों में उपयुक्त संशोधन किए जाने की आवश्यकता

श्री ललित उंराव. 327

(छः) उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले में मरेला अकबरपुर में कताई मिल को पुनः चालू किए जाने की आवश्यकता

श्री घनश्याम चन्द्र खरवार. 327-328

सामान्य बजट — 1997-98 — सामान्य चर्चा

लेखानुदानों की मांगें (सामान्य) — 1997-98

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1996-97

और

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1994-95

श्री एल० बालारमन 328-333

श्री जार्ज फर्नान्डीज 333-345

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय. 345-350

श्री पी०आर० दासमुंशी. 350-361

श्री पी० पणमुंगम 361-364

श्री जय प्रकाश 364-366

श्री काशी राम राणा 366-370

श्रीमती मीरा कुमार 370-376

श्री रमेन्द्र कुमार 376-380

श्री नील ऐलोसियस ओब्रीन 380-384

श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन 384-388

श्री बृज भूषण तिवारी 388-392

विषय	कालम
श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता	393-396
श्री इलियास आजमी	396-399
श्री के०डी० सुल्तानपुरी	399-402
श्री एल० रमना	403-406
श्री सुलतान सलाउद्दीन ओवेसी	406-417
श्री सी० नारायण स्वामी	417-421
श्री देवेन्द्र बहादुर राय	421-426
डा० देवी प्रसाद पाल	426-430
श्री अमर राय प्रधान	430-434
श्री आर०एल०पी० वर्मा	434-436
डा० के०पी० रामालिंगम	436-439
श्री विजय हाण्डिक	439-442
लेफ्टीनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी	442-444
श्री वी० प्रदीप देव	444-445
श्री पी० तीर्थरामन	446-450
श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका	450-454
श्री सामी वी० अलागिरी	454-457
श्री सत्यपाल जैन	458-461
श्री ए०सी० जोस	461-464
श्री पी० कोदंड रमैया	464-467
श्री ए० सम्पत	467-470
श्री वी० गणेशन	470-473
श्री एस०पी० जायसवाल	473-475
श्री शरत पटनायक	476-478
श्री अनंत गंगाराम गीते	478-479
श्री एम० सेल्वारासु	479-482
डा० अरूण कुमार शर्मा	482-485
श्री ए०जी०एस० राम बाबू	485-487
श्री राम बहादुर सिंह	487-490
श्री वी०पी० षणमुंगा सुन्दरम	490-493
श्री आर० ज्ञानगुरूस्वामी	493-496
श्री ए० राजा	496-499
श्री संतोष कुमार गंगवार	499-504

लोक सभा

बुधवार, 19 मार्च, 1997/28 फाल्गुन, 1918 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे समवेत हुई

[श्री पी०एम० सईद *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

जस्टिस गुमान मल लोढा (पाली) : सभापति महोदय, कल की कार्य सूची में *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब यह प्रश्न काल है। प्रश्न सं० 341, श्री टी० गोपाल कृष्ण

[हिन्दी]

जस्टिस गुमान मल लोढा : सभापति जी, कल की लिस्ट में आइटम नम्बर 14 पर यह लिखा हुआ था कि संविधान (बयासीवां संशोधन) विधेयक लिया जाएगा लेकिन वह आज की लिस्ट से गायब हो गया है।

[अनुवाद]

मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या आज इसे सूची में शामिल किया जायेगा। यह कल की कार्य सूची में शामिल था, परन्तु आज इसे सूची में शामिल नहीं किया गया *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री लोढा, अब यह प्रश्न काल है। इस मुद्दे पर बाद में चर्चा की जा सकती है।

(व्यवधान)

जस्टिस गुमान मल लोढा : महोदय, कल माननीय गृह मंत्री ने *(व्यवधान)* महोदय, इसमें विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है। आप इस सभा के संरक्षक हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि इसे सूची में शामिल किया जाएगा अथवा नहीं।

सभापति महोदय : प्रश्न काल समाप्त होने दीजिये। तदोपरान्त आप इस मामले को उठा सकते हैं।

जस्टिस गुमान मल लोढा : ठीक है महोदय धन्यवाद।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

परती भूमि का विकास

***341. श्री टी० गोपाल कृष्ण** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितनी परती भूमि कृषि के अन्तर्गत लाई गई है;

(ख) परती भूमि के विकास हेतु सरकार के समक्ष कितने प्रस्ताव लंबित है तथा गत दो वर्षों के दौरान स्वीकृत की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत दो वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडु) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) बंजरभूमि विकास विभाग को भूमि, जिसकी स्थिति प्राकृतिक आपदाओं के कारण बिगड़ती जा रही है, के निम्नीकरण को रोकने तथा बायोमास, विशेषकर जलाऊ लकड़ी और चारे की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए बनेतर क्षेत्रों में ऐसी बंजरभूमि को सतत उपयोग में लाने के उद्देश्य से बनेतर बंजरभूमि के विकास का कार्य सौपा गया है।

ऐसी भूमियों को विकसित करने के उपरांत भी इसकी अपर्याप्त उर्वराशक्ति तथा प्रतिकूल प्राकृतिक बातों के कारण विकसित बंजरभूमि पर कृषि कार्यों के बजाय चारा, ईंधन और फलदार वृक्ष लगाना उचित है। इस तरह से बंजरभूमि विकास विभाग के कार्यक्रमों के अंतर्गत भूमि के और अधिक निम्नीकरण को रोकने तथा बंजरभूमि को फसल योग्य भूमि बनाने के बजाये बंजरभूमि को इस ढंग से विकसित किया जाता है कि इससे उपयुक्त मात्रा में बायोमास का उत्पादन हो सके। तथापि, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग की ऊसर भूमि सुधार योजना के अंतर्गत पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान राज्यों में 4,31,580 हैक्टेयर भूमि को फसल उगाने योग्य बनाया गया है।

(ख) विगत दो वर्षों के दौरान विभाग द्वारा समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम के अंतर्गत 51 परियोजनायें मंजूर की गई हैं। मंजूर की गई परियोजनाओं का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है। इस समय 49 प्रस्ताव, जो कार्रवाही की विभिन्न अवस्थाओं में हैं, सरकार के विचाराधीन लंम्बित पड़े हैं।

(ग) व (घ) जी, हां। पिछले दो वर्षों के दौरान, आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त परियोजनाओं में से (1) रंगा रेड्डी (2) करीम नगर (3) प्रकाशम (4) चित्तूर तथा (5) कुर्नूल जिलों के लिए बंजरभूमि विकास परिजयोजनायें मंजूर की गई हैं।

मेडक, नेल्लोर तथा करीमनगर जिलों से प्राप्त अन्य परियोजनाओं पर विभाग में कार्यवाही की जा रही है।

अनुबंध

पिछले दो वर्षों अर्थात् 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम के अंतर्गत मंजूर की गई परियोजनाओं का ब्यौरो

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	परियोजना अवधि	कुल परियोजना लागत (लाख रुपये में)	वास्तविक लक्ष्य (हैक्टेयर में)
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश				
1.	नेल्लोर-2	94-95 से 97-98	416.59	9230
2.	प्रकासम-2	94-95 से 98-99	395.51	4200
3.	करीम नगर	94-95 से 98-99	418.00	4870
4.	चित्तूर-1	95-96 से 98-99	20.00	500
5.	कुर्नूल	95-96 से 98-99	332.00	8300
6.	रंगा रेड्डी	94-95 से 98-99	485.64	4574
बिहार				
1.	वैशाली	95-96 से 98-99	40.00	1000
2.	देवघर	94-95 से 97-98	331.60	4400
गुजरात				
1.	डांग-1	94-95 से 98-99	345.67	4095
2.	अमरेली	94-95 से 98-99	359.45	5500
3.	जामनगर	94-95 से 98-99	245.89	2480
4.	मेहसाणा	94-95 से 98-99	466.69	7000
5.	राजकोट	94-95 से 98-99	352.84	4900
6.	गांधी नगर	94-95 से 98-99	144.43	1500
हिमाचल प्रदेश				
1.	कांगड़ा	94-95 से 98-99	349.50	4330
2.	सोलन	94-95 से 98-99	352.64	4236
3.	चंबा	94-95 से 98-99	281.82	3713
हरियाणा				
1.	महेन्द्रगढ़-2	94-95 से 96-97	20.50	190
2.	गुड़गांव	95-96 से 98-99	218.92	5473

1	2	3	4	5
केरल				
1.	बायनाड	94-95 से 97-98	315.47	4500
2.	मल्लापुरम	94-95 से 99-2000	87.50	2000
3.	इददुकी	95-96 से 98-99	403.20	10080
महाराष्ट्र				
1.	अहमदनगर	94-95 से 96-97	42.03	531
मेघालय				
1.	पश्चिम खासी	94-95 से 97-98	117.39	1800
मध्य प्रदेश				
1.	दुर्ग	94-95 से 97-98	215.94	3680
2.	रायगढ़	94-95 से 97-98	390.55	5700
3.	रायपुर	94-95 से 97-98	252.68	3860
4.	राजनदगांव	95-96 से 98-99	444.00	11100
नागालैंड				
1.	जुनाबुटो	95-96 से 98-99	100.00	2500
उड़ीसा				
1.	धैनकनाल-1	94-95 से 98-99	45.97	691
2.	नवरंगपुर	94-95 से 98-99	284.28	3539
3.	मलकानगिरी-2	94-95 से 97-98	157.78	2186
पंजाब				
1.	भटिंडा	94-95 से 97-98	409.13	5570
2.	संगरूर	94-95 से 97-98	287.78	3493
राजस्थान				
1.	उदयपुर	94-95 से 97-98	252.41	4600
2.	पाली	94-95 से 98-99	320.85	5049
3.	अजमेर-2	95-96 से 98-99	26.00	650
सिक्किम				
1.	द० सिक्किम-3	94-95 से 97-98	89.62	1770
2.	द० सिक्किम-4	94-95 से 97-98	93.09	1862
3.	उ० सिक्किम	94-95 से 98-99	155.55	3513
4.	पू० सिक्किम-2	94-95 से 98-99	333.66	7425

1	2	3	4	5
तमिलनाडु				
1.	पेरियार	94-95 से 97-98	343.93	4000
2.	पसुमपोन	94-95 से 98-99	284.73	3073
3.	उ० आरकोट	94-95 से 96-97	296.04	5000
4.	द० आरकोट	94-95 से 98-99	249.80	3010
5.	टी०एस०आर०	94-95 से 98-99	255.94	3900
त्रिपुरा				
1.	द० त्रिपुरा	94-95 से 96-97	145.44	1792
उत्तर प्रदेश				
1.	रायबरेली	94-95 से 97-98	172.01	1800
2.	मैनपुरी	94-95 से 97-98	358.30	4400
3.	फरूखाबाद	94-95 से 97-98	147.00	1500
4.	लखनऊ	94-95 से 98-99	991.19	4000

श्री टी० गोपाल कृष्ण : महोदय, बंजरभूमि विकास विभाग विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गैर-वन वाली बंजरभूमि के उचित उपयोग हेतु विभिन्न कार्यक्रमों को लागू कर रहा है। मैं गत दो वर्षों के दौरान ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों और सामाजिक संगठनों को आबंटित की जाने वाली आंध्र प्रदेश में सरकारी बंजरभूमि का अलग-अलग विस्तृत ब्यौरा जानना चाहता हूं।

श्री किंजारप्पू येरननायडू : सभापति महोदय, बंजरभूमि विभाग का कार्य विशेषकर बायोमास, विशेषकर इंधन लकड़ी और चारा की उपलब्धता बढ़ाने हेतु गैर वन क्षेत्रों में बायोमास की उपलब्धता बढ़ानी है। माननीय सदस्य ने अपने जिले अर्थात् पूर्वी गोदावरी जिले के लिये जो बताया है, बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई स्वीकृत परियोजना नहीं है। परन्तु रोजगार आश्वासन योजना के अंतर्गत अलग से कार्यरत परियोजनाएं नहीं हैं। जारी की जाने वाली धनराराशि के सम्बन्ध में जो भी लम्बित मसला है, हम उस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री टी० गोपाल कृष्ण : महोदय, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या मेरे काकीनाड़ा चुनाव क्षेत्र में स्थित बंजर पहाड़ियों का उपयोग प्रौद्योगिकी विकास योजना अथवा विस्तार और प्रशिक्षण योजना अथवा निवेश में वृद्धि योजना आदि के लिये किया जा सकता था। इस समय ये अप्रयुक्त हैं संयोगवश, सरकार ने इन पहाड़ियों के विकास हेतु 36 लाख रुपये की धनराशि मंजूर की थी और वास्तव में छह लाख रुपये की धनराशि ही जारी की गयी। क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार इन पहाड़ियो के विकास हेतु बकाया धनराशि जारी करेगी?

श्री किंजारप्पू येरननाय : महोदय, यह कार्यक्रम बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल नहीं है। परन्तु केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा आरम्भ किये गये उन कार्यक्रमों के सम्बन्ध में यदि धनराशि जारी की जाने का कोई मामला लम्बित है, तो हम और धनराशि जारी करने हेतु राज्य सरकार को निर्देश देंगे।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी ने सूची में बताया है कि मध्य प्रदेश के चार जिले शामिल किए गए हैं और वे चार जिले ऐसे हैं जहां वेस्टलैंड का इतना ज्यादा एरिया नहीं है। जो ज्यादा एरिया वाले जिले हैं जैसे झाबुआ और राजगढ़, वे ट्राईबल एरिया के जिले हैं और वहां सबसे ज्यादा वेस्टलैंड है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वहां के राज्य शासन ने राजगढ़ और झाबुआ को वेस्टलैंड डैवलपमैंट में शामिल करने के लिए जो प्रस्ताव भेजा है, उसे आप कब तक करेंगे क्योंकि वहां पर स्थिति बन जाती है कि यदि बरसात में देर हो जाए तो चारे की समस्या हो जाती है जिससे उन जिलों से लाखों लोग पलायन करके बाहर काम के लिए चले जाते हैं ? वहां पड़त भूमि बहुत पड़ी हुई है इसलिऐ मैं जानना चाहूंगा कि जो प्रोजैक्ट राज्य शासन ने आपके पास भेजा है, उसे आप कब तक स्वीकृत करने वाले हैं ?

[अनुवाद]

श्री किंजारप्पू येरननायडू : अध्यक्ष महोदय, इस बंजरभूमि विकास योजना को आरम्भ करने के बाद से देशभर में 159 परियोजनाएं स्वीकृत की गयी हैं। इन 159 परियोजनाओं में से 4 मध्य प्रदेश की हैं जिनमें

से दुर्ग, रायगढ़, रायपुर और राजनन्दगांव की एक-एक परियोजना है। राज्य सरकार द्वारा सिफारिश की गयी शेष परियोजनाओं के सम्बन्ध में कार्य किया जा रहा है।

समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं की मंजूरी के सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि पैसे की कोई समस्या नहीं है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा सिफारिश की गयी सभी परियोजनाओं पर विभिन्न चरणों में कार्य हो रहा है। हम मंजूरी हेतु इनकी जांच करेंगे।

श्री सुधीर गिरि : महोदय, भूमि का काफी बड़ा क्षेत्र बंजर पड़ा हुआ है। यदि भूमि के इस क्षेत्र को कृषि के लिये गरीबों को दिया जाय, तो वे उस भूमि का समुचित उपयोग कर सकते हैं। परन्तु चूंकि वे गरीब हैं, कुछ वित्तीय सहायता प्रदान कर उनकी मदद की जानी चाहिये। क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या सरकार उन गरीब लोगों को ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये तैयार है ताकि उन्हें खेती करने के लिये बंजर भूमि प्राप्त करने की अनुमति दी जा सके।

श्री किंजारप्पू येरननायडू : महोदय, यह शत प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना है। हम राज्यों को पूरी धनरराशि डी०आर०डी०ए० और पनधारा समितियों के माध्यम से दे रहे हैं। ये परियोजना के क्षेत्रों की पहचान करते हैं। उसके बाद राज्य सरकारें केन्द्र सरकार के पास सिफारिश कर भेजती है। तब हम पूरी राशि मंजूर करते हैं। ऋण स्वीकृत करने की यह शर्त यहां नहीं है।

[अनुवाद]

श्री सुरेश प्रभु : महोदय, मंत्री महोदय के लिखित उत्तर के अनुसार महाराष्ट्र में कुल 531 हेक्टेयर बंजर भूमि के विकास का लक्ष्य है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या केंद्र सरकार के अनुसार यह एकमात्र क्षेत्र है जिसे बंजर भूमि से कृषि योग्य भूमि में बदला जायेगा। यह मेरा पहला प्रश्न है।

सभापति महोदय : आपको सिर्फ एक प्रश्न पूछना है।

श्री सुरेश प्रभु : यह प्रश्न मेरे पूर्व प्रश्न का हिस्सा हैं उन्होंने यह भी कहा है कि सामान्यतया भूमि की किस्म तथा प्रतिकूल प्राकृतिक कारणों के कारण ऐसी भूमि को इसमें सुधार लाए जाने के पश्चात कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या देश अथवा विदेशों में कोई ऐसी प्रोद्योगिकी है जिससे कुछ समय पश्चात ही बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदला जा सके।

श्री किंजारप्पू येरननायडू : 1995 की गणना के अनुसार भारत में वन तथा गैर वन क्षेत्रों में 75.5 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि है। अतः हमने इस विभाग तथा योजना को वर्ष 1992-93 में आरंभ किया तथा यह शत-प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है। हमने अब तक 276 करोड़ रुपए का व्यय किया है तथा 2,46,000 हेक्टेयर बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदला है। यह उपलब्ध भूमि का मात्र 3 प्रतिशत है। इसी लिए हमने महाराष्ट्र सरकार द्वारा अनुशंसित कुछ परियोजनाओं की मंजूरी प्रदान की। वर्ष 1997-98 के लिए हमने परियोजनाओं की मंजूरी के लिए अत्यधिक धन-निर्धारित किया है। धन की कोई समस्या नहीं है। आप सिर्फ कुछ परियोजनाओं की पहचान करके इसे राज्य सरकारों के माध्यम से अनुशंसित कराएं, उन्हें मंजूरी देने हेतु हम उन पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री पी०एस० गढ़वी : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि आई०डब्लू०डी०पी० के अन्दर 51 प्रोजैक्ट्स इन्होंने क्लियर किये हैं, उनमें से गुजरात के अन्दर छह डिस्ट्रिक्ट बताये गये हैं। मेरा यह एक सवाल है कि गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में, जहां वेस्टलैंड कम है और कच्छ डिस्ट्रिक्ट में जहां ज्यादा वेस्टलैंड है तो आप क्या कच्छ के अन्दर, गुजरात सरकार ने नहीं भेजा, फिर भी आप यहां वेस्टलैंड डवलमेंट करना चाहते हैं कि नहीं ?

[अनुवाद]

श्री किंजारप्पू येरननायडू : राज्य सरकारो द्वारा अनुशंसित सभी परियोजनाओं को निश्चित रूप से मंजूरी दी जाती है। कुछ परियोजनाओं पर विचार भी किया जा रहा है। रोजगार आश्वासन योजना के अंतर्गत जो भी धनराशि इस शीर्ष में निर्धारित है उसके 50 प्रतिशत धनराशि को बंजर भूमि विकास पर खर्च किया जा रहा हैं। अतः परियोजनाओं को मंजूर किए जाने में धन की समस्या नहीं है। आप बंजर क्षेत्रों की पहचान करके इन्हें राज्य सरकार के माध्यम से अनुशंसित करा सकते हैं। हम उस पर विचार करेंगे और फिर उसे मंजूरी दी जाएगी। गुजरात की छह परियोजनाओं क्षेत्र-I अमरेली, जामनगर, मेहसाणा, राजकोट तथा गांधीनगर को मंजूरी प्रदान की गई है।

[हिन्दी]

श्री पी०एस० गढ़वी : गांधीनगर में जरूरी है, लेकिन कच्छ में ज्यादा जरूरी है, वहां करेंगे क्या ?

[अनुवाद]

श्री किंजारप्पू येरननायडू : यह राज्य सरकार की सिफारिश पर किया जाता है। उन परियोजनाओं की सिफारिश राज्य सरकार करती है। इसीलिए हम उन्हें मंजूर करते हैं।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : वेस्ट लैंड के बारे में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र में जो झुड़पी जंगल है, वह वास्तव में जंगल नहीं है। पश्चिमी महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में उसे नियमित कर दिया गया है, लेकिन वहां जो चार-पांच जंगल हैं, जिनको झुड़पी जंगल कहा जाता है, वह वास्तव में जंगल नहीं है। इसी कारण यहां इरीगेशन प्रोजेक्ट, रोड के विकास के काम बंद हैं। महाराष्ट्र सरकार ने इस सम्बन्ध में भारत सरकार को प्रस्ताव भी भेजा है कि सिर्फ झुड़पी जंगल के कारण वहां ये काम नहीं हो रहे हैं। वह वेस्ट लैंड है, लेकिन रिकार्ड में झुड़पी जंगल आ गया। इसलिए जो महाराष्ट्र सरकार का प्रप्रोजल आपके

पास आया है, उसपर आपने क्या विचार किया है ?

श्री बनवारी लाल पुरोहित : इनका बंगला भी झुड़पी जंगल में है और नागपुर हाई कोर्ट भी वहीं है।

[अनुवाद]

श्री किंजारप्पू येरननायडू : महोदय, हमारे मंत्रालय में कुछ प्रस्ताव लम्बित हैं, मैं उनपर विचार करूंगा। माननीय सदस्य अपने संसदीय क्षेत्र में मंजूर की गई परियोजनाओं के बारे में पूछ रहे हैं। कौन-कौन सी परियोजनाएं मंजूर की जाने वाली है ?

[हिन्दी]

श्री भेरवलाल मीणा : राजस्थान में खासकर मेरे क्षेत्र में आदिवासियों ने वन भूमि पर कम से कम 25-30 साल से कब्जा कर रखा है। पहले की सरकार ने निर्देश दिया था कि 1980 से पहले वाले कब्जों को नियमित करके उनको उनमें अलाट कर दिया जाएगा और उन्हें मालिकाना हक दिए जाएंगे। लेकिन अभी तक वह नहीं हो पाया है और लोगों को पैनल्टी लगाकर सताया जा रहा है। क्या केन्द्र सरकार पहले की सरकार द्वारा दिए निर्देश के आधार पर उनको अलाटमेंट करने की मंशा रखती है ?

[अनुवाद]

श्री किंजारप्पू येरननायडू : महोदय, यह प्रश्न बंजर भूमि विकास कार्यक्रम से संबंधित नहीं है। यह *आदिवासियों* से संबंधित है। कल्याण मंत्रालय द्वारा आदिवासियों के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं। यदि उन्हें आदिवासियों से संबंधित कोई प्रश्न पूछना है तो वे इस संबंध में कल्याण मंत्रालय से अलग प्रश्न पूछ सकते हैं।

[हिन्दी]

विद्युत नीति

\+

*342 **श्री सत्यदेव सिंह** :
श्री सनत मेहता :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत पारेषण के क्षेत्र में गैर-सरकारी कम्पनियों के कार्य करने हेतु मानदंड तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके गठन का स्वरूप क्या है;

(ग) क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में समिति द्वारा सुझायी गयी शर्तें और दिशा-निर्देश क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो समिति द्वारा रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दी जाएगी ?

[अनुवाद]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस० वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। 17 फरवरी, 1997 को एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया ताकि अन्य बातों के साथ-साथ लाइन उपलब्धता और वित्तीय मानकों जैसे प्रचालनात्मक मानदंडों से संबंधित टैरिफ के निर्धारण के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत सुझाए जा सकें। समिति की संरचना इस प्रकार से है :–

1. श्री डी० शंकरागुरुस्वामी, पूर्व अध्यक्ष, विद्युत वित्त निगम – अध्यक्ष
2. श्री जी०एस० राजमणि, सदस्य (ई०एंड०सी०), के०वि०प्रा०– सदस्य
3. श्री के० रामानाथन, सेवानिवृत्त सदस्य (पी०एस०), के०वि०प्रा०– सदस्य
4. श्री एम०वी० ढेकने, पूर्व सदस्य, एम०एस०ई०बी० – सदस्य
5. श्री अशोक हारणे, इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लि० (आई०एल०एफ०एस०), बम्बई – सदस्य
6. श्री भानु भूषण, कार्यपालक निदेशक (इंजीनियरी), पावरग्रिड, सदस्य – सचिव

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) समिति द्वारा अप्रैल, 1997 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

श्री सत्यदेव सिंह : माननीय सभापति जी, कल से और आज भी सदन के समक्ष इलेक्ट्रिसिटी लॉ अमेंडमेंट बिल 1997 *[अनुवाद]* भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 और विद्युत (पूर्ति) अधिनियम, 1948 और संशोधन करना विचाराधीन है। मेरा प्रश्न भी उसीसे सम्बन्धित है। विद्युत के उत्पादन, उसके पारेषण और उसके वितरण में काफी नुकसान देश में हो रहा है। सरकार स्वयं स्वीकार करती है कि सामान्य रूप से टोटल ट्रांसमीशन लासेज और लाइंस लासेज 10 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकारी आंकड़ों के हिसाब से यह लगभग 22 प्रतिशत है। पिछली सरकार की तरह से वर्तमान सरकार भी उसी नीतियों पर चल रही है। लेकिन अपनी अक्षमता और अकार्यकुशलता को लगातार निजीकरण के सहारे दूर करना चाहती है। विद्युत उत्पादन, विद्युत वितरण

निजी क्षेत्र में जा रहा हैं अब पारेषण का बिल यहां लाए हैं। निजी क्षेत्र का अनुभव पिछली सरकार को पिछले पांच वर्ष अच्छा नहीं रहा। तत्कालीन वित्त मंत्री ने स्वीकार किया था कि निजीकरण के बारे में जो हमारी अपेक्षाएं थी, वे पूरी नहीं हुई। अब यह नई सरकार नई अपेक्षाओं के साथ ट्रांसमीशन सेक्टर में आ रही है। मुझे पूरी शंका है कि आखिर सरकार ट्रांसमीशन सेक्टर को अकेले देना केवल धन जुटाने के लिए है। ट्रांसमीशन लाइनों के लिए जो डी० शंकरागुरूस्वामी की अध्यक्षता में समिति बनाई है, उसको दिशा निर्देश दिया है कि अन्य बातों के साथ-साथ लाइन उपलब्धता और वित्तीय मानकों जैसे प्रचालनात्मक मानदंडों से संबंधित टैरिफ के निर्धारण के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत सुझाव सुझाए।

सभापति महोदय : सवाल करें।

श्री सत्यदेव सिंह : मैं प्रश्न पर आ रहा हूं। क्या आपने इस बात पर विचार किया है कि यह समिति जो अप्रेल के अंत में रिपोर्टर देने जा रही है, उसमें इन ट्रांसमीशन लाइनों का विस्तार जो आगे समय में होने जा रहा है, उसमें पिछड़े क्षेत्रों की प्रगति का विचार भी एक विन्दु होगा या नहीं ? मेरे प्रश्न के भाग (ख) में, मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार की काउंटर गारंटी के बाद इस एक बहुत प्रोफिटेबल ट्रासंमीशन सैक्टर में स्वाभाविक रूप से सरकार मल्टीनेशनल कम्पनीज लाएगी। क्या इस वात को सरकार सुनिश्चित करेगी कि यह ट्रांसमीशन लाइनें जो मल्टी-नेशनल कम्पनीज लाएंगी या उसमें भागीदारी करेंगी या अन्य कॉरपोरेशंस आएंगी, क्या वे पिछड़े और दूर-दराज के इलाकों में भी ट्रांसमीशन लाइनें ले जाएंगी ? इस बात की काउंटर गारंटी देने से पहले सरकार क्या यह सुनिश्चित करेगी कि वे केवल प्रॉफिटेबल सैक्टर में ही न जाएं बल्कि उन सैक्टर्स में भी जाएं जहां गरीबी है, जो दूर दराज के इलाके हैं तथा जो विकास के मामले में पिछड़े हुए हैं। ये मेरे दो प्रश्न है।

[अनुवाद]

डा० एस० वेणुगोपालाचारी : महोदय, माननीय सदस्य द्वारा पांच प्रश्न पूछे गए हैं। माननीय सदस्य ने उक्त अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता को सही परिप्रेक्ष्य में देखा हैं विद्युत पूर्ति अधिनियम 1910 और 1948 में ट्रांसमीशन को एक पृथक कार्य कलाप के रूप में नहीं माना जाता है। अब हम इस अधिनियम में संशोधन करना चाहते हैं और ट्रासंमीशन को एक पृथक कार्यकलाप बनाना चाहते हैं। सभी मुख्य मंत्रियों ने इस पर विचार किया है और उनकी सिफारिशों के आधार पर हमने एक संयुक्त कार्य योजना तैयार की है। हम उक्त अधिनियम में एक परन्तुक जोड़कर यह सुविधा प्रदान कर रहे हैं लेकिन राज्य सरकारों को इस बात के बाध्य नहीं कर रहे हैं कि वे इसे गैर-सरकारी क्षेत्र में भी लागू करें।

मेरा दूसरा मुद्दा पिछड़े क्षेत्रों पर जोर देने के बारे में है। विद्युत ग्रिड ने आठवीं पंचवर्षीय योजना और नौवी पंचवर्षीय योजना में कुछेक क्षेत्रों का पता लगाया है। अतः हम पिछड़े क्षेत्रों पर भी जोर दे रहे हैं।

दूसरे सभी पहलुओं में, हम न केवल पिछड़े क्षेत्रों अपितु समस्त क्षेत्रीय विकास पर जो दे रहे हैं।

जहां तक काउंटर गारंटी का सम्बन्ध है, काउंटर गारंटी देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। किसी भी बहुराष्ट्रीय कम्पनी अथवा विद्युत ग्रिड कम्पनी को काउंटर गारंटी देने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

[हिन्दी]

श्री सत्यदेव सिंह : सभापति जी, काउंटर गारंटी आप नहीं देंगे, यह बात तो आप कह रहे हैं। लेकिन उत्पादन की जो परियोजनाएं आ रही हैं चाहे एनरॉन की क्यों न है, क्या सरकार ने काउंटर गारंटी नहीं दी है ? यह बात समझ में नहीं आई है। आप कह रहे हैं कि हम काउंटर गारंटी नहीं देंगे। अगर आप काउंटर गारंटी नहीं देंगे तो आपकी ट्रांसमीशन लाइनों में कौन आएगा ? आज आप नहीं देने की बात कह रहे हैं, कल आप देने वाले हैं। मेरा दूसरा प्रश्न है, पहला तो मैं निवेदन करूंगा कि आप माननीय मंत्री जी को निर्देशित करें कि अगर आपको हमारे अधिकारों की रक्षा करनी है *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नहीं, आप सवाल पूछिए। *(व्यवधान)*

श्री सत्यदेव सिंह : आपको हमारे अधिकारों की रक्षा करनी है। लेकिन जिस ढंग से माननीय मंत्री ने जवाब दिया है, उसमें हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : काउंटर गारंटी के बारे में उन्होंने कहा है।

(व्यवधान)

श्री सत्यदेव सिंह : काउंटर गारंटी के बारे में आश्वासन दे रहे हैं कि हम काउंटर गारंटी नहीं देने जा रहे हैं।

सभापति महोदय : नहीं, नहीं, आप कह रहे हैं कि यह देंगे। लेकिन वह सवाल अभी तो नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सत्यदेव सिंह : यह सवाल आगे आने वाला है और आने से पहले *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आगे की बात आगे सोचेंगे। आप दूसरा प्रश्न पूछिए।

श्री सत्यदेव सिंह : दूसरा प्रश्न पूछने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है यदि बिजली का उत्पादन कम है तो देश की प्रगति रूकती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, आपने कहा है कि एक्ट का अमेंडमेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी तक ट्रासंमीशन सैपरेट विषय नहीं था। जब आप इस बात को मान रहे हैं कि पूरे विद्युत सैक्टर में जनरेशन, ट्रासंमीशन और डिस्ट्रीब्यूशन तीन सैक्टर हैं। देश भर में आपके जितने भी बिजली बोर्ड हैं, उनमें से अधिकांश घाटे में हैं। उन घाटों का कारण कई बार डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रासंमीशन और जनरेशन है। ट्रांसमीशन में लाइन लॉस

सबसे ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि धीरे-धीरे आप पूरे विद्युत सैक्टर को प्राइवेटाइजेशन में दे रहे हैं। इस बिल को लाकर सरकार ने जो अभी स्वीकार किया है कि ट्रांसमीशन एक सैपरेट विषय है, क्या आप यह राय देंगे कि अब कोई केन्द्रीय कानून बनेगा जिसके माध्यम से बिजली बोर्ड में ट्रांसमीशन, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ये तीन अलग-अलग डिस्टिक्ट सैक्टर बना दिए जाएं ताकि विद्युत उत्पादन, डिस्ट्रीब्यूशन तथा ट्रांसमीशन ठीक हो सकें। क्या आप इसको करेंगे ?

दूसरा प्रश्न थोड़ा सा भिन्न है, लेकिन महत्वपूर्ण है।

सभापति महोदय : आप सवाल पूछिए।

श्री सत्यदेव सिंह : प्रश्न का 'ख' भाग पूछ रहा हूं। इस देश के अन्दर 400 से ज्यादा चीनी मिले हैं और उनमें विद्युत उत्पादन की क्षमता है तथा उन के प्रस्ताव भी आए हैं। मंत्री जी के संज्ञान में होगा, विद्युत उतपादन क्षमता को बढ़ाने के लिए जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उनमें चीनी मिलों के द्वारा लगभग दस मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता हर चीनी मिल में है, बिना किसी खर्च के। मैं सरकार से जानना चाहता हूं, क्या सरकार इस पर विचार करेंगी और इस पारेषण को भी इसमें जोड़ेगी ?

[अनुवाद]

डा० एस० वेणुगोपालाचारी : जैसाकि माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है, वर्तमान में न तो गैर-सरकारी क्षेत्र अथवा न ही संयुक्त क्षेत्र में ट्रांसमीशन परियोजनाओं के लिए कोई काउंटर गारंटी दी जाएगी। टैरिफ समिति द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों अथवा अनुदेशों के आधार पर ट्रांसमीशन सेवा प्रभार नियत किया जाएगा। समिति के सभापित के सुझावों के आधार पर, टैरिफ नियत किया जाएगा। काउंटर गारंटी केवल परियोजनाओं के लिए निवेश करते समय अथवा विद्युत क्षेत्र का निजीकरण करते समय दी जाती है। उस समय, तत्कालीन सरकार में कुछेक परियोजनाओं का पता लगाया था। कुछेक परियोजनाओं का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। उन्हें फास्ट ट्रेक परियोजनाओं के रूप में जाना जाता है। गैर-सरकारी व्यक्तियों को इस ओर आकर्षित करने, बीमा प्रदान करने की दृष्टि से, यह कार्य किया जाता है। बिजली बोर्डों की खस्ता हालत होने की बजह से कोई गैर-सरकारी पार्टियां इस क्षेत्र में रूचि नहीं ले रही थी। अतः उस समय, प्राइवेट कम्पनियों को आश्वस्त करने, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को आश्वस्त करने के वास्ते, उन्होंने कुछेक परियोजनाओं का पता लगाया था। उन्हें फास्ट ट्रेक परियोजनाओं के रूप में जाना जाता है। केवल आठ फास्ट ट्रेक परियोजनाओं को ही काउंटर गारंटी दी जाती है। इसके अलावा, हमने अन्य परियोजनाओं को और कोई काउंटर गारंटी न देने का भी निर्णय किया है।

राज्य बिजली बोर्डों में सुधार लाने और उन्हें पुनःगठित करने के बारे में, यह कार्य विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भी किया जाता है। इस सरकार ने राज्य बिजली बोर्डों में सुधार लाने के लिए कोई विशेष सूत्र निर्धारित नहीं किया है।

चीनी कारखानों द्वारा विद्युत के कैप्टिल सह-उत्पादन के बारे में, हमने पहले ही राज्यों को शक्तियां प्रत्यायोजित कर दी हैं। ये राज्य जितनी मेगावाट बिजली उत्पादित करना चाहते हैं, चाहे वह चीनी उद्योग हो अथवा अन्य कोई उद्योग, हम उसकी अनुमति दे रहे हैं। हम और अधिक कैप्टिल उत्पादन और सह-उत्पादन कार्यकलापों को बढ़ावा दे रहे हैं। हमने सभी राज्यों को शक्तियां प्रदान की हैं। उन्हें इसके लिए केन्द्र सरकार से अनुमति मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

श्री सत्यदेव सिंह : महोदय, दस हजार करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसमीशन लाइनें लगने वाली हैं। उन नए प्रोजैक्ट को काउंटर गारंटी नहीं देगी, तो कौन ला कर रुपया देगा और कौन ट्रांसमीशन लाइन में रुपया लगाएगा।

[अनुवाद]

डा० एस० वेणुगोपालाचारी : इस कारणवश हम 1910 का अधिनियम और 1948 का अधिनियम संशोधित कर रहे हैं। हम इन अधिनियमों को इसलिये संशोधित कर रहे हैं जिससे हम प्राइवेट ट्रांसमीशन को शुरू कर सकें हैं।

श्री सनत मेहता : महोदय, मेरे प्रश्न बहुत भिन्न हैं। सर्वप्रथम मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या प्राइवेट पार्टियों ने ट्रांसमीशन लाइनों को अपने हाथ में लेने के संबंध में कोई ऐसे प्रस्ताव सरकार के पास भेजे हैं अथवा नहीं। यदि हां, तो कुल कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और वे क्या हैं ? दूसरे मैं यह जानना चाहूंगा कि इस समिति द्वारा किस प्रकार के मानदण्ड निर्धारित किए जाएंगे; उनमें से कितने मौजूदा कम्पनियों पर लागू होंगे। उदाहरण के तौर पर गुजरात में, सूरत बिजली कम्पनी गुजरात बिजली बोर्ड से विद्युत प्राप्त कर रही है। और शहर में केवल वितरण कार्य कर रही है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या ये मानदण्ड उन मौजूदा ट्रांसमीशन कम्पनियों पर भी लागू होंगे। तीसरा, मान लो कि विभिन्न औद्योगिक समूह हैं, ये समूह वर्तमान में विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों से विद्युत की खरीद कर रहे हैं। यदि ये ट्रांसमीशन और संवितरण संबंधी कार्यकलापों को अपने हाल में लेना चाहें तो क्या ये मानदण्ड उन पर भी लागू होंगे अथवा नहीं। यदि सभी प्रश्नों का उत्तर 'हाँ' में हो तो मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इस समिति द्वारा संबंधित पार्टियों पर विश्वास किया गया है अथवा नहीं।

डा० एस० वेणुगोपालाचारी : प्राइवेट क्षेत्र के संबंध में, वर्तमान में वे केवल केन्द्रीय क्षेत्र का ही पता लगाते हैं। संसद में अधिनियम पारित होने के बाद, हम अगली कार्रवाई करेंगें। न तो केन्द्रीय क्षेत्र में और न ही राज्य क्षेत्र में मौजूदा ट्रांसमीशन लाइनों का निजीकरण करने का कोई प्रस्ताव है। अधिनियम में तो हम केवल एक क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में बल्क विद्युत ले जाने का प्रावधान कर रहे हैं ... *(व्यवधान)*

श्री सनत मेहता : ये सभी पार्टियां बल्क विद्युत प्राप्त कर रही हैं। माननीय मंत्री मेरे प्रश्न को समझ नहीं पाये हैं। सूरत विद्युत कम्पनी गुजरात विद्युत बोर्ड से बल्क विद्युत खरीद रही है। ये सभी बल्क विद्युत के मामले हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि ये मानदंड इनके लिए लागू किए जाएंगे अथवा नहीं। मैं यह जानना चाहता था कि सरकार के

समक्ष कोई प्रस्ताव हैं अथवा नहीं और ऐसे प्रस्ताव प्राप्त करने से पहले वे इनके मानदंडों पर निर्णय कर रहे है अथवा नहीं। कृपया इसका उत्तर दें।

डा० एस० वेणुगोपालाचारी : हम विद्यमान क्षेत्र में पारेषण सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। माननीय सदस्य ने सूरत के बारे में पूछा है। हम इन परियोजनाओं के बारे में विद्युत बोर्ड अथवा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ संयुक्त उद्यम को बढ़ावा देने का निर्णय करने का विकल्प राज्यों पर छोड़ रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री सनत मेहता : प्रश्न यह नहीं है। बल्कि मैं तो यह जानना चाहता हूं कि क्या ये मानदंड विद्यमान क्षेत्र में लागू होंगे। मैं यह नहीं पूछ रहा हूं कि क्या कोई इसका अधिग्रहण करेगा।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य यह पूछ रहे हैं कि क्या इस पर आपके मानदंड लागू होंगे।

श्री सनत मेहता : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या अप्रैल में प्रस्तुत की जाने वाली समिति की रिपोर्ट में निर्धारित मानदंड पारेषण कार्य में लगी विद्यमान कम्पनियों पर भी लागू की जायेगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप प्रस्ताव बिना प्राप्त किए ही मानदंड विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं।

डा० एस० वेणुगोपालाचारी : यदि कंपनियां अलग से पारेषण लाइन की मांग कर रही है तो उनके लिए यही मानदंड अपनाए जायेंगे *(व्यवधान)*

श्री सनत मेहता : मैं विद्यमान कम्पनियों के बारे में पूछ रहा हूं।

डा० एस० वेणुगोपालाचारी : उनके लिए भी यही मानदंड लागू किये जाएंगे।

दूसरी बात यह है कि निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के संबंध में मंगलौर-बंगलौर सेक्शन में कुछेक परियोजनाओं की पहचान की गई है।

सभापति महोदय : मंत्री जी, यदि आपके पास कोई विवरण हैं तो आप माननीय सदस्य को इससे अवगत कराइए।

डा० एस० वेणुगोपालाचारी : परियोजना की पहचान हो जाने के बाद मैं माननीय सदस्य को इसका ब्यौरा प्रस्तुत करूंगा।

श्री सनत मेहता : मैं यही जानना चाहता था। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब ये यह कह रहे हैं कि ब्यौरा आप तक पहुंचा दिया जायेगा। परन्तु, मुझे तो कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। विगत में माननीय वित्त मंत्री ने निगमित क्षेत्र के आयकर आवेदन पत्रों के बारे में ब्यौरा सात दिन के भीतर उपलब्ध कराने का मुझे वचन दिया था। अब सात दिन बीत चुके हैं परन्तु मुझे उनसे कोई उत्तर नहीं मिला है *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : केवल इसी प्रश्न के संबंध में बात करिये।

डा० एस० वेणुगोपालाचारी : इस संबंध में निजी क्षेत्र की अच्छी प्रतिक्रिया रही है। कई कम्पनियों ने कार्यवाही आरम्भ की है।

सभापति महोदय : आप उस ब्यौरा को माननीय सदस्य तक पहुंचा दें।

श्री बसुदेव आचार्य : यह आश्चर्यजनक है कि विशेषज्ञ समिति ने मंत्री तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। सरकार पारेषण के हिस्से को निजी क्षेत्र को सौंपने के लिए एक विधेयक ला रही है। हमने पारेषण को निजी क्षेत्र को सौंपे जाने का विरोध किया है क्योंकि इसकी कार्यप्रणाली को अब तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। अतएव हम यह चाहते थे कि इस विधेयक की कार्यप्रणाली और अन्य सभी बातों पर विस्तृत चर्चा के लिए इसे स्थायी समिति को सौंप दिया जाए। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि प्रशुल्क की स्थिति लाइन की उपलब्धता और वित्तीय मानदंड जैसे संचालनगत मानदंडों पर निर्भर करेगी। उपभोक्ताओं को निजी क्षेत्र को और अधिक भुगतान करना पड़ेगा क्योंकि निजी क्षेत्र कम लाभ वाले क्षेत्र में नहीं आएगा। जब नए ताप विद्युत केन्द्र में विद्युत का उत्पादन आरम्भ हो जायेगा तो वहां से विद्युत हटाने की समस्या उत्पन्न होगी। इसलिए ताप विद्युत केन्द्र से वितरण केन्द्र तक विद्युत पारेषण किए जाने की आवयकता है।

मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने विशेष रूप से पारेषण के संबंध में, वितरण के संबंध में नहीं, क्योंकि निजी क्षेत्र में पारेषण की अनुमति नहीं है। निजी क्षेत्र में पारेषण की अनुमति देने की जांच की है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या उपभोक्ताओं द्वारा दिये जाने वाले शुल्क पर कोई नियंत्रण होगा।

डा० एस० वेणुगोपालाचारी : यह सच है कि समिति इससे संबंधित रिपोर्ट 11 अप्रैल को सौंप देगी। इस सम्मानित सदन द्वारा एक बार विधेयक पास हो जाने पर हम एक साथ कार्य आरंभ करेंगे क्योंकि लाइन, ढांचे का पता लगाने, व्यवहार्यता संबंधी रिपोर्ट तैयार करने, वित्तीय पहलुओं तथा इसी तरह की अन्य बातों पर बहुत अधिक समय लगता है। इन सब कार्यों पर कुछ समय तो लगता है। इसीलिए हमने इस विधेयक का प्रस्ताव किया है।

उपभोक्ताओं के लिए शुल्क निर्धारित करने की वर्तमान व्यवस्था उन्हीं स्थानो पर है जहां पारेषण और वितरण साथ-साथ होता है। इस अधिनियम में अलग से एक ही प्रावधान किया गया है। वर्तमान में इसे उत्पादन और विवरण के साथ जोड़ दिया गया है। पारेषण के लिए शुल्क निर्धारण हेतु अलग से कोई प्रणाली नहीं है। यह राज्यों का दायित्व है कि वे इन सब को एक साथ जोड़कर उपभोक्ताओं से शुल्क वसुल करें।

इसामें में कोई एक घटक नहीं, वरन् सभी घटक शामिल हैं, एक बार निजी भागीदारी आरंभ हो जाती है तो फिर पावर ग्रिड का इस पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा, यह सिर्फ हमारी आशंका मात्र है। और यह सच नहीं है। इस समय, रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर इसकी निगरानी करता है। राष्ट्रीय स्तर पर हम इसकी निगरानी सी०ई०ए० के माध्यम से करते हैं। इस पर केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा राज्य सरकार

की सहमति से नियंत्रण किया जायेगा। हम इस अधिनियम में अब संशोधन कर रहे हैं।

श्री वी० धनन्जय कुमार : हम सभी इस बात पर सहमत हैं कि पूरे देश में बिजली का संकट है। इस बारे में दो राय नहीं हो सकती। बिजली का अधिक से अधिक उत्पादन करना होगा। बिजली का पारेषण भी ग्रिड तक करना होगा तब इसे वितरित किया जायेगा। मंत्री महोदय इस समय नीति संबंधी बात कर रहे हैं। अपने उत्तर में उन्होंने कर्नाटक राज्य से सम्बंधित पारेषण की एक ऐसी ही परियोजना का उल्लेख किया है। उन्होंने मेरे संसदीय क्षेत्र मंगलौर का भी जिक्र किया है।

सभापति महोदय : कृपया आप अपना प्रश्न पूछें।

श्री वी० धनन्जय कुमार : मैं प्रश्न पर भी आ रहा हूं। जहां तक मैं समझता हूं मंत्री महोदय उस विद्युत सयंत्र का उल्लेख कर रहे हैं जिसे मंगलौर पावर कंपनी अर्थात कोजेंन्ट्रिक्स कंपनी द्वारा स्थापित किया जा रहा है। जो बिजली मंगलौर में उत्पादित होगी उसे बंगलौर पारेषित किया जायेगा। मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार ऐसी परियोजना को जिसे कर्नाटक सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया है, एक माडल परियोजना के रूप में लेती है। यदि हां, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उस परियोजना में उल्लिखित ब्यौरों को अन्य परियोजनाओं में भी अपनायेगी।

मेरे प्रश्न का भाग (ख) इस प्रकार है कि मंगलौर पावर कंपनी के मामले में परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

मेरा अंतिम प्रश्न जो मेरी चिंता का विषय भी है, वह यह है कि मंगलौर में विद्युत का उत्पादन उत्पादित होगा और फिर उसका पारेषण बंगलौर किया जायेगा *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप प्रश्न की सीमा से बाहर जा रहे हैं। मंत्री महोदय को इन प्रश्नों का उत्तर देने दीजिये। आपने कई प्रश्न किए हैं ?

श्री वी० धनन्जय कुमार : राज्य सभा में उठाये गये एक ऐसे ही प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने इसका उल्लेख किया था। मैं जानना चाहूंगा कि यह एक माडल इकाई बनेगी या नहीं और जहां विद्युत उत्पादन हो रहा है क्या वहां विद्युत का पर्याप्त वितरण होगा। मैं जानना चाहूंगा कि क्या आप ने इस परियोजना में इस बात का ध्यान रखा है।

डा० एस० वेणुगोपालाचारी : माननीय सदस्य ने मॉडल परियोजना के बारे में पूछा हैं। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक परियोजना मॉडल परियोजना बने। मैं चाहता हूं सभी परियोजना दुरूस्त हो। कर्नाटक सरकार ने इस परियोजना को निजी विद्युत संवहन के लिए तैयार किया है क्योंकि प्राप्त हो रही इसकी 2500 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता है और बंगलौर तक विद्युत संवहन की कोई व्यवस्था नहीं है। इस अनुपात को देखते हुए कर्नाटक सराकर ने एक संयुक्त उद्यम बनाने का निर्णय किया है। जिसमें कर्नाटक सरकार की भी कुछ हिस्सेदारी है। विधेयक के पारित होने के पश्चात विस्तृत ब्यौरे को अंतिम रूप दे दिया जायेगा।

श्री वी० धनन्जय कुमार : मैं जानना चाहूंगा कि क्या दक्षिण कनारा जिले को विद्युत की आपूर्ति की जायेगी या नहीं ?

डा० एस० वेणुगोपालाचारी : इन संवहन लाइनों के आधार पर विद्युत की आपूर्ति की जायेगी।

श्री रमेश चेन्नितला : सरकार विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में निजी कम्पनियों की अनुमति प्रदान कर रही है। राज्य सरकारों द्वारा और क्रय संबंधी तथा अन्य समझौतों पर हत्साक्षर किया जा रहा है। हमारे राज्य केरल में केन्द्र द्वारा नापथा तथा अन्य वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में राज्य सरकार द्वारा विद्युत क्रय संबंधी समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये थे। नापथा तथा अन्य ईंधन के आवंटन में अत्यधिक भेद-भाव बरता गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या विद्युत क्रय समझौता, जिस पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं, के संबंध में दिए गए वचन को पूरा किये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकारों को नापथा तथा अन्य ईंधन सामग्रियों के आवंटन हेतु उन्होंने कुछ सिद्धान्त बनाये हैं। इस संबंध में हमारे राज्य के साथ भेद-भाव क्यों बरता गया है ?

सभापति महोदय : यह एक आम प्रश्न है। यह मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है। माननीय मंत्री जी, यदि आपको इस बात की जानकारी है तो आप जवाब दे सकते हैं।

डा० एस० वेणुगोपालाचारी : नापथा उन ईंधनों में से एक है जिसके द्वारा केरल को 660 मे०वा० विद्युत प्राप्त हुआ है। हमने तटीय क्षेत्रों में उन परियोजनाओं के संबंध में, अधिक बोली लगाए जाने तथा रक्षित उत्पादन एवं सह-उत्पादन के अन्तर्गत उन परियोजनाओं के संबंध में कुछ दिशा निदेश जारी किए हैं। हमने कुछ दिशा निदेश जारी किया है। तद्नुसर ही यह प्रस्ताव केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया होगा।

श्री एन०एस०वी० चित्तयन : यह एक चौकाने वाली तथा क्षुब्ध करने वाली बात है कि भारत में पारेषण क्षति अत्यधिक है। युद्ध स्तर पर कुछ किया जाना चाहिए। मुझे खुशी है कि सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति गठित की है।

सभापति महोदय : कृपया प्रश्न पूछिए।

श्री एन०एस०वी० चित्तयन : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं अपनी बात बहुत ही सरल, संक्षिप्त और सुस्पष्ट रूप से कहूंगा। क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछ सकता हूं कि विद्युत पारेषण के संबंध में निजी क्षेत्र की क्या प्रतिक्रिया है, विशेषज्ञ समिति के निदेश पद क्या है तथा कोडंगालम में परमाणु विद्युत संयंत्र की वर्तमान स्थिति क्या है।

डा० एस० वेणुगोपालाचारी : कोडंगालम में परमाणु विद्युत संयंत्र के संबंध में माननीय सदस्य को डा० अलग से एक पृथक प्रश्न करना होगा।

निजी क्षेत्र के संबंध में किए गए प्रश्न के उत्तर में मैंने अभी

मंगलौर से बंगलोर तक विद्युत पारेषण लाइन का उल्लेख किया। हमने कतिपय बोलियों का चयन किया है।

समिति के निदेशपद इस प्रकार हैं : पारेषण शुल्क का निर्धारण जिसमें संचलनात्मक मानदंड संबंधी सुझाय शामिल हैं, बोली संबंधी अनुरोध तथा उनकी समीक्षा किए जाने के संबंध में बनाए गए सिद्धान्त सहित पारेषण के क्षेत्र में निजी कम्पनियों का चयन, पारेषण परियोजना संबंधी लाइसेंसों का नियमन तथा क्षेत्रीय ग्रिड संचालन का समन्वय, राज्य में तथा अन्य राज्यों में पारेषण हेतु पारेषण लाइसेंस जारी किए जाने संबंधी कार्य प्रणाली।

श्री जगमोहन : मैं एक सरल प्रश्न पूछना चाहता हूं। जब कोई निजी कम्पनी पारेषण लाइन बिछाती है तो क्या राज्य सरकार उन्हें जमीन का अधिग्रहण करने में सहायता करेगी अथवा उन्हें स्वयं ही जमीन का अधिग्रहण करना होगा ? यदि निजी कम्पनियों को शांतिपूर्वक कार्य करने तथा जमीन का अधिग्रहण करने हेतु यह सहायता उपलब्ध करायी जाती है तो वे इन सेवाओं के लिए राज्य सरकार को इसकी कीमत अदा करेंगे अथवा नहीं ? यदि शुल्क के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो क्या इन विवादों को बाद में निपटाने हेतु कोई तन्त्र होगा ?

डा० एस० वेणुगोपालाचारी : हमने पावर ग्रिड के लिए नए जमीन का चयन किया है। यह केवल बड़ी परियोजनाओं के लिए हेतु किसी राज्य विशेष से होकर लाइन बिछाने के लिए अनिवार्य रूप से राज्य सरकार की सहमति आवश्यक है और उन्हें बिल प्रभार का भुगतान करना होगा।

इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का प्रवेश

+

*343 **श्री नीतीश भारद्वाज :**
डॉ० नामदेव दिवाये :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 14,500 करोड़ रु० की भारी आवश्यकता को पूरा करने हेतु महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रवेश की अनुमति प्रदान करने की चर्चा की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अध्ययन दल द्वारा की गई टिप्पणियों/सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गयी है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ): (क) से (घ) एक विवरण लोक सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए सामरिक इलेक्ट्रॉनिकी पर गठित अध्ययन दल की रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया है कि महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों का हस्तान्तरण करने के लिए सहमत होने पर सामरिक इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रवेश पर कोई रूकावट नहीं होनी चाहिए।

सामरिक इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र में विदेशी पूंजीनिवेश को समय-समय पर यथा संशोधित विद्यमान औद्योगिक नीति, 1991 में निर्धारित प्रत्यक्ष विदेशी पूंजीनिवेश की सामान्य नीतियों द्वारा नियमित किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने उक्त नीति में किसी संशोधन का सुझाव नहीं दिया है।

[अनुवाद]

श्री नीतीश भारद्वाज : माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि अध्ययन दल की रिपोर्ट में कहा गया है कि सामरिक महत्व के इलेक्ट्रानिक क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को शामिल किए जाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए बशर्ते कि वे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी का अन्तरण करने के लिए सहमत हों। सर्वप्रथम मैं यह जानना चाहूंगा कि आपने महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी शीर्षक के अन्तर्गत किन विभिन्न क्षेत्रों का चयन किया है। उन शीर्षकों के अन्तर्गत उन क्षेत्रों में क्या आपको किसी बहुराष्ट्रीय कम्पनी अथवा किसी अन्य स्त्रोत से कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ?

श्री योगेन्द्र के० अलघ : जहां तक सामरिक महत्व के क्षेत्रों, केवल गैर रक्षा उपयोग के लिए ही नहीं, का संबंध है, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि हमने सभी संयंत्रों के लिए एक लाइसेंसिंग नीति तैयार की है। जहां तक रक्षा संबंधी क्षेत्रों का सम्बन्ध है, वे सार्वजनिक क्षेत्र तक ही सीमित हैं। अतः सरकार की नीति के अन्तर्गत इस समय रक्षा संबंधी सामरिक महत्व के क्षेत्र में बाहरी एजेंसियों द्वारा उत्पादन किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता हैं जहां तक स्वयं क्षेत्रों का संबंध है, यदि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि सामरिक महत्व के क्षेत्र कौन-कौन से हैं तो मैं उन्हें इसकी सूची दे सकता हूं। इस समय रक्षा से संबंधित सामारिक महत्व के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा उत्पादन किए जाने संबंधी प्रस्ताव का प्रश्न ही नहीं उठ सकता है।

श्री नीतीश भारद्वाज : महोदय, यह मेरा दूसरा पूरक प्रश्न नहीं है। मेरा प्रश्न रक्षा से संबंधित नहीं था। मेरा प्रश्न बहुत ही साधारण था। 'महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी' शीर्षक के अन्तर्गत आपने किन क्षेत्रों की पहचान की हैं आपने इस अभिव्यक्ति का प्रयोग किया है। मैंने यह नहीं पूछा था। मैं आपके द्वारा दिए गए उत्तर से ही यह पूछ रहा हूं। मैं यह जानना चाहता हूं क्योंकि आप "महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के अंतरण" की बात कर रहे हैं। अतः मैं यह मानता हूं अथवा इसका अनुमान करता हूं कि निश्चित रूप से रक्षा संबंधी क्षेत्रों का 'अंतरण' नहीं किया जाएगा। अतः ये क्षेत्र कौन-कौन से हैं ? यह मेरा पहला प्रश्न था।

श्री योगेन्द्र के० अलघ : सामरिक महत्व के क्षेत्रों में हमारे यहां सामरिक महत्व के साफ्टवेयर, उच्च अनसुंधान की दिशा में *धनराशि प्रदान करने की व्यवस्था*, नौवहन प्रणाली तथा कम्प्यूटर चालित छः डिग्री वाली महासागरीय प्लेटफार्म, 'हाई रिसर्च डिस्प्ले सिस्टम', 'डाटा फ्यूजन', 'एमरजिंग रडार' आदि हैं।

श्री नीतीश भारद्वाज : धन्यवाद।

अब मेरा दूसरा प्रश्न यह है। इन क्षेत्रों में जिसका माननीय मंत्री जी ने उल्लेख किया है, हम सभी जानते हैं कि अमरीका जैसे देशों में हमारे अनेक प्रतिभावान युवक जा रहे हैं और वहां इलेक्ट्रानिक, हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर उद्योगों में विशेषकर 'नासा' जैसी संस्थान में जहां ये सब नौवहन प्रौद्योगिकियां तथा रडार प्रणाली तैयार किए जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। भारत से निरन्तर प्रतिभा पलायन हो रहा है। क्या सरकार किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है अथवा क्या और प्रतिभा पलायन रोकने के लिए सरकार के पास भविष्य में कोई योजना है ? नौवी पंचवर्षीय योजना में निश्चित रूप से 14.5 हजार करोड़ रुपए का घाटा है जिसकी पूर्ति हमे इस क्षेत्र में करनी है। यह कार्य करने के लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियां ही एकमात्र स्त्रोत नहीं है। क्या सरकार के पास विशेष इलेक्ट्रानिक निर्यात संयर्धन जोन की स्थापना करने अथवा भारतीय युवाओं को कुछ सुविधायें अथवा राजसहायता प्रदान करने की कोई विशिष्ट योजना है ताकि वे इन क्षेत्रों में भारत में अपनी कम्पनियां स्थापित कर सकें और अमरीका जैसे देशों में न जाए तथा हमारे यहां की प्रतिभा का अन्यत्र उपयोग न हो ?

श्री योगेन्द्र के० अलघ : आमतौर पर सरकार की नीति बहुत ही अच्छी है। इस प्रकार क्षेत्रों में जिसका सुझाव माननीय सदस्य ने दिया है, हम 51 प्रतिशत निवेश की अनुमति देते हैं और आयात-निर्यात नीति के अध्यधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशेषकर अनियासी भारतीय तथा निगमित निकायों के लिए स्वतः ही 100 प्रतिशत निवेश की अनुमति है। परन्तु विशिष्ट क्षेत्रों तथा रक्षा संबंधी क्षेत्रों के इन सभी प्रस्तावों की जांच प्रत्येक मामले के आधार पर करनी होगी।

सामान्यतया विज्ञान सचिव जब कभी विदेश जाते हैं तो मंत्रालय द्वारा उन्हें अनुदेश दिये जाते हैं कि वे उन युवा भारतीयों से भेंद करने का प्रयास करें जो विश्वविद्यालयों अथवा उच्च तकनीकी क्षेत्रों में कार्यरत हैं। हम अवश्य ही प्रत्येक वैज्ञानिक के मामले में यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि यदि युवा भारतीय देश को लौटना चाहते हैं तो हम उन्हें वे सभी सुविधाएं दी जाएं जिनकी उन्हें आवश्यकता है।

श्री नीतीश भारद्वाज : लौटना तो एक अलग प्रश्न है लेकिन, क्या आगे प्रतिभा-पलायन को रोकने के लिए कुछ किया जा रहा है। विज्ञान सचिवों का निदेश जाना और उनसे बातचीत करना इसका एक ही पहलू है। लेकिन लोगों को आगे विदेश जाने से रोकने के लिए क्या सरकार की तरफ से कोई विशेष प्रयास किया गया है ?

श्री योमेन्द्र कुमार अलघ : यह अति कठिन समस्या है। जो हम करने का प्रयास कर रहे हैं वह उस दृष्टिकोण का अनुसरण है जहां उदाहरणार्थ, हम इस सरकारी क्षेत्र के भीतर प्रोत्साहन देने का प्रयास करते हैं जो अंतरिक्ष अथवा प्रौद्योगिकी अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स के कतिपय क्षेत्रों में अहम् भूमिका निभाते हैं। प्रतिभावान लोगों को पदोन्नति देने के अतिरिक्त आवास, उन्नत प्रशिक्षण जैसी अन्य सुविधाओं के अवसरों के अलावा मैं विज्ञान सचिवों को यह भी सुझाव देता रहा हूं कि हमें ज्यादा से ज्यादा निवेश करना चाहिये ताकि यदि कोई युवा आई०एस० आर०ओ० में भर्ती होता है तो कुछेक वर्षों के पश्चात् हम उसे अग्रगण्य समूहों के सहयोग से विश्व में सर्वोत्तम विश्वविद्यालयों में भेज सकें। जब कभी हमारे वैज्ञानिकों न कोई उपलब्धि हासिल की है तो माननीय प्रधानमंत्री ने उन्हें एक व्यक्तिगत पत्र लिखकर बड़ी कृपा की है। हम इसे बिलकुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि युवा वैज्ञानिकों के प्रयासों की हम बड़ी कद्र करते हैं।

जैसाकि आप जानते हैं कि धन सम्बंधी पहलू के अलावा वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी विद् इन बातों से भी प्रोत्साहित होते हैं। तो हर किसी को यही प्रयास करना चाहिये। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री जी, आपने पहले ही उत्तर दे दिया है।

श्री ए०सी० जोस : सुविख्यात अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, आई०एस० आर०ओ० केरल के तिरूअनन्तपुरम् में हैं। यह अभी विकसित हुआ है। इसे पण्डित जी के समय में शुरू किया गया था तथा अब इसका स्वरूप उभर कर प्रस्तुत हुआ है। हमें उस संस्थान पर गर्व है। केरल के उस संस्थान के साथ-साथ हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक पार्क भी हैं।

मेरा प्रश्न है : क्या सरकार तथा माननीय मंत्री द्वारा तिरूअनन्त पुरम स्थित आई०एस०आर०ओ० और इलैक्ट्रॉनिक पार्कों के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जे, तथा इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी का निर्यात करने के लिए विशेष रूप से एक निर्यात प्रसंस्करण जोन स्थापित करने के बारे में विचार किया जाएगा ? विचार-विमर्श करने में रूढ़ प्रक्रिया से हट कर और सकारात्मक उपाय करने हैं।

श्री योगेन्द्र के० अलघ : यह बात सीधे तौर पर प्रश्न से सम्बंधित नहीं है। केरल सरकार ने तिरूअनन्तपुरम में सोफ्टवेयर पार्क से सम्बंधित कतिपय विशेष प्रस्ताव रखे हैं। मैं माननीय महोदय को बताना चाहूंगा कि तिरूअनन्तपुरम में स्थित आई०एस०आर०ओ० तथा केन्द्रीय सरकार के अन्य अभिकरण अपनी आवश्यकताएं बताने तथा स्थानीय उद्योगों के साथ एँक दो मामले जो मुझे केरल सरकार से प्राप्त हुये हैं उनकी जांच की जा रही है। और मेरा विश्वास है कि इलेक्ट्रानिक्स विभाग से विचार-विमर्श करने में भी वे यही रवैया अपनाएंगे।

श्री ए०सी० जोस : मेरा प्रश्न है : क्या तिरूअनन्तपुरम से सोफ्टवेयर निर्यात को प्रोत्साहित करने के बारे में विचार विमर्श किया जा सकता है ?

श्री योगेन्द्र के० अलघ : इलेक्ट्रॉनिक निर्यात के मामले में सरकारी नीति अत्यंत उत्साहवर्द्धक रही है।

सभापति महोदय : श्री जोज, माननीय मंत्री ने पहले ही कहा है कि उन्हें केरल सरकार से विभिन्न प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं और वे विचाराधीन है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : महोदय, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्तमान और भविष्य का विज्ञान है। इलेक्ट्रॉनिक्स को अनुसंधान तथा विकास से बल मिलता है। हम जानना चाहेंगे कि सरकार की वर्तमान नीति क्या है जो वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान को विकसित करने में मदद कर सकती है। यदि हम प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स विज्ञान को विकसित नहीं करेंगे तो अपने देश में इलेक्ट्रॉनिक्स को विकसित नहीं कर पायेंगे। विदेश से प्रौद्योगिकी का आयात करते रहने से अपने देश में इलेक्ट्रॉनिक्स को विकसित करना संभव नहीं है। हम उसी प्रौद्योगिकी का आयात कर रहे हैं तो आसानी से उपलब्ध है। लेकिन अति विकसित अद्यतन प्रौद्योगिकी इस प्रकार उपलब्ध नहीं होने पाएगी। केरल उपात्तिम प्रौद्योगिकी ही वह प्रौद्योगिकी है जो उपलब्ध होगी न कि अति विकसित प्रौद्योगिकी। इस संबंध में सरकार की वर्तमान नीति को जानकर हमें अत्यंत प्रसन्नता होगी।

श्री योगेन्द्र के० अलघन : इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में माननीय सदस्य की गहरी दिलचस्पी के बारे में सभी जानते हैं और वे इस क्षेत्र के समर्थक रहे हैं। माननीय सदस्य को इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग से सम्बंधित नौंवी पंच वर्षीय योजना के प्रस्ताव भेजने में मुझे अति हर्ष होगा। ये प्रस्ताव हार्ड डिस्कों में भी उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के सी-डॉट तथा सोफ्टवेयर कम्प्यूटिंग संस्थान जैसे कतिपय उन्नत संस्थानों को अधुनातन अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में समेकित करने के लिए प्रस्ताव अपनी सुविधाओं के अलावा आधुनिक ने टवर्किंग प्रणाली तथा वास्तविक प्रशिक्षण अवधारणाओं के साथ भी कार्य करेंगे। वस्तुतः, श्री विल गेट्स ने कतिपय प्रस्ताव रखें हैं। जहां तक हमारे देश का सवाल है ये प्रस्ताव प्रौद्योगिकी के अति महत्वपूर्ण पहलू होंगे। इलेक्ट्रोनिक्स विभाग ने इस समस्या को पहले ही सुलझा लिया था और इसीलिए उनके द्वारा इस संबंध में कुछ प्रस्ताव रखे गये हैं।

श्री पी०आर० दासमुंशी : महोदय, माननीय मंत्री ने अभी-अभी कहा है। कि सरकार की नीति के अनुसार बहुराष्ट्रों को युद्ध सम्बंधी इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में शरीक नहीं होने दिया जायेगा।

सरकार की यह भी नीति है कि जहां तक विदेशी निवेश का सवाल है, पहले प्रौद्योगिकी अंतरण मामलों तथा अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्राथमिक दी जायेगी। क्या मैं माननीय मंत्री जी सह यह जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि अमरीकी निवेश ग्रुप तथा कनाडा के निवेश ग्रुप ने भारतीय विदेशी निवेश बोर्ड को अपने निवेश प्रस्ताव रखते हुए इसे बिलकुल स्पष्ट किया था कि युद्ध सम्बंधी इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के सम्बंधी प्रौद्योगिकी का अंतरण केवल तभी संभव हो सकता है जब उन्हें इसमें शरीक होने की अनुमति दी जायेगी इस स्थिति में यदि आपकी नीति सख्ती से 'नहीं' कहने की हैं तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं। सरकार की यही नीति उचित है। क्या सरकार निकट भविष्य में अपनी नीति को समझौता परक बनाने जा रही है ? क्या आप सदा के लिए स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं अथवा यह कहते हैं कि विचार किया जा रहा है ?

मैं यह पाता हूं कि इस सरकार की उद्योग मंत्री, प्रधान मंत्री का कार्यालय तथा विदेशी निवेश बोर्ड, विदेशी निवेश नीति के मामले में अपना जो दृष्टिकोण बताते हैं, विभागीय नीति के मामले में उससे बिल्कुल भिन्न दृष्टिकोण बताते हैं।

इसलिए मैं इस सभा में आश्वासन चाहता हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में और सभी निवेश प्रयोजनों के लिए भी रक्षा संबंधी इलेक्ट्रोनिक्स के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कॅपनियों की भागीदारी के बिना ही प्रौद्योगिकी आंवरण किया जाए। यह सरकार की बिल्कुल उचित नीति है जिसे उन अन्य समझौतों के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए जो अब उदारीकरण की नीति के नाम पर किये जा रहे हैं।

श्री योगेन्द्र के० अलघ : सरकार युद्ध संबंधी इलेक्ट्रॉनिक्स से वाकिफ है। जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा है अथवा जो प्रश्न किया है उसका यही उत्तर है कि प्रौद्योगिकियां अत्यंत गोपनीय रखी गयी हैं और उन तक पहुंचना एक समस्या है।

अब जरा मैं स्पष्ट कर दूं। वर्तमान नीति के अंतर्गत हम अपने सरकारी क्षेत्र में प्रौद्योगिकी अंतरण का स्वागत करते हैं। इसलिए, उस पर कोई निषेध है। हकीकत में, मैं समझता हूं कि अध्ययन दल जो कह रहा है वह यह है कि आपको विश्वस्तर पर बड़े जोर-शोर से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों का पता लगाना चाहियें। यही उचित दृष्टिकोण है।

अब हम विदेशी कम्पनियों के निवेश की बात कर रहे है। इलेक्ट्रोनिक्स के कतिपय क्षेत्रों में ही ऐसे निवेश के लिए अनुमति दी गई है। तथापि, जहां तक रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स का सवाल है, यह सरकारी क्षेत्र में है। सरकार की नीति इसमें परिवर्तन करने की नहीं है। यह बात मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह सकता हूं। जहां तक अन्य सामारिक उपस्कर निर्माण क्षेत्रों का संबंध है, यदि उन्हें लाइसेंस दिया जाना है तथा यदि इस सम्बंध में विशेष प्रस्ताव किये गये हैं क्योंकि सामाजिक क्षेत्र का आशय तूफान आदि की चेतावनी के लिए राडार जैसी चीजों से भी हो सकता हैं, तो तत्संबंधी प्रत्येक मामले पर अलग-अलग विचार किया जाएगा।

प्रो० ओम पाल सिंह "निडर" : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बहुत सरल सवाल मंत्री महोदय से पूछ रहा हूं कि यह जो आधुनिक तकनीक के बारे में बात चल रही है तो क्या यह तकनीक हम उधार ही लेते रहेंगे या यहां भी शोध का प्रबंध करेंगे। अभी जो अद्यतन तकनीकी की बात चल रही है उसमें अप-टू-डेट टैक्नोलोजी क्या हम विदेशों से ही उधार लेते रहेंगे या अपने यहां भी शोध के लिए कोई बढ़ावा देंगे ?

श्री योगेन्द्र कुमार अलघ : मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि जो तकनीक भारत के विकास और भारत की स्ट्रैटीजिक-ऑब्जेक्टिव्स के लिए जरूरी है, उसके लिए प्रावधान किया जाता है और अगर आप 9वीं पंचयर्षीय योजना के अप्रोच पेपर को देखें तो उसमे भी मिशन ओरिएंटिड टैक्नोलोजी रिसर्च पर प्रायोरिटी दी गयी है।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

*344. **श्रीमती लक्ष्मी पनबाका :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्याप्त धनराशि के आवंटन के अभाव में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ध्यान 21 फरवरी, 1997 के "दि हिन्दू" में "पॉवर्टी एलोविएशनः कन्टीन्यूटी ए कैजुअल्टी" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ग) क्या सरकार देश में गरीबी दूर करने के लिए पर्याप्त धनराशि देने पर सहमत हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो अब तक इस निमित कुल कितनी राशि आबंटित की गई है तथा क्या जवाहर रोजगार योजना की सभी योजनाएं देश में निर्धन व्यक्तियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए पूरी तरह लागू की जाएगी ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी, नहीं। ग्रामीण गरीबों की समस्या को स्वतंत्रता के बाद से सरकार की विकास संबंधी कार्यसूची में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती रही है। गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय आबंटन में सातवीं योजना से आठवीं योजना में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है।

गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के लिए निधियों के अलावा 1996-97 से सरकार न्यूनतम बुनियादी सेवाओं के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करा रही है।

(ख) जी, हां। सरकार का ध्यान "पॉवर्टी एलीविएशन : कन्टीन्यूटी ए कैजुअल्टी" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है।

(ग) और (घ) पर्याप्त उत्पादक स्वरूप के रोजगार का सृजन करने और गरीबी का उन्मूलन करने के लिए कृषि और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देना योजना के दृष्टिकोण पत्र के अनुसार नौंवी योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। इसलिए सरकार का गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के लिए नौंवी योजना में पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

निम्नलिखित के लिए आठवीं योजना परिव्यय और जारी/जारी की जाने वाली निधियां अनुबंध में दी गई हैं :

(I) मजदूरी रोजगार और संबद्ध कार्यक्रम

(II) स्वरोजगार और संबद्ध कार्यक्रम

(III) क्षेत्र विकास कार्यक्रम और

(IV) सामाजिक सहायता कार्यक्रम

देश में गरीबों की स्थिति में सुधार लाने हेतु इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा सभी आवश्यक उपाय किए जाते हैं।

अनुबंध

आठवीं योजना (1992-93 से 1996-97) के दौरान केन्द्रीय परिव्यय और जारी/जारी की जाने वाली निधियां दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपये में)

	कार्यक्रम	आठवीं योजना (परिव्यय)	जारी/जारी की जाने वली निधियां (1992-97)
1.	मजदूरी रोजगार और संबद्ध कार्यक्रम	18,750	21569
2.	स्वरोजगार और संबद्ध कार्यक्रम	3,800	3223
3.	क्षेत्र विकास कार्यक्रम	1,000	820
4.	नई योजनाएं x	334	—
5.	सामाजिक सहायता कार्यक्रम	—	932
	कुल	23,884	26,544

x आठवीं योजना में शुरू की गई नई योजनाओं में सुनिश्चित रोजगार योजना और गहन जवाहर रोजगार योजना, औजार किटों की आपूर्ति और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम शामिल है, जिनको क्रमशः मद संख्या 1, 2 और 5 में शामिल किया गया है।

श्रीमती लक्ष्मी पनवाका : महोदय, देश में जहां समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इंदिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना, रोजगार आश्वासन योजना, त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम तथा अन्य के अंतर्गत गरीबी उन्मूलन योजनाएं दशकों से चल रही हैं, यह महज विडम्बना ही है कि राज्य सरकारें सामाजिक क्षेत्र में गरीब लाभार्थियों का पता नहीं लगा पाई हैं।

प्रेस रिपोर्टों के अनुसार, केन्द्र सरकार सहायता उपलब्ध कराती है और प्रत्येक राज्य को इन निधियों के उपयोग को अभिप्रमाणित करना होता है। 10 फरवरी, 1997 तक जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत 1,790 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया था लेकिन 1,342 करोड़ रुपये का ही उपयोग किया गया और इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 1,140 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया था और 806 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 549 करोड़ रुपए के आबंटन के मुकाबले उपयोग 344 करोड़ रुपए

किया गया। इसी तरह रोजगार आवास योजना के अंतर्गत 1970 करोड़ रुपए के आबंटन के मुकाबले 1320 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया।

अतः इन आकड़ों से यह देखा जा सकता है कि राज्य सरकारें आबंटन का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर सकीं।

इसके परिणाम स्वरूप, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन गम्भीरता पूर्वक नहीं किया गया। इसको ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री से जानना चाहती हूं कि राज्यों में इन योजनाओं को प्रभावी तरीके से कार्यन्वित करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है।

श्री किंजारप्पू येरननायडू : अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण निर्धनता की समस्या संयुक्त मोर्चा सरकार की कार्यसूची के सबसे ऊपर रही है। इसलिए, वर्ष 1996-97 से, ग्रामीण विकास के लिए धन आबंटन के अलावा, हम न्यूनतम मूल सेवाओं के लिए भी धन उपलब्ध करा रहे हैं। माननीय सदस्य ने किसके बारे में कहा, मैं यह कहना चाहता हूं कि गत वर्ष के अवशेषों के कारण राज्य सरकारों द्वारा निधियों का शत् प्रतिशत उपयोग नहीं किया गया है। राज्य सरकारें समय से उचित उपयोग प्रमाणपत्र और लेखा परीक्षा रिपोर्टें नहीं भेज रही हैं और इस प्रकार, हम भी राज्य सरकारों को धन जारी नहीं कर पाए है। सामान्यतः अधिकांश निर्माण कार्य दिसम्बर से जून की अवधि के दौरान सौंपे जाते हैं। यही वह अवधि है जब इन शीर्षों के अंतर्गत अधिकांश आबंटित धन खर्च किया जाता है। इसलिए, राज्यों द्वारा अब तक 70% निधियों का उपयोग किया गया है। शेष्ा निधियां 31 मार्च तक खर्च की जाएंगी। राज्य उपयोग प्रमाणपत्र और लेखापरीक्षा रिपोर्टें भेज रहे हैं और हम उनकी जांच करेंगे और राज्य सरकारों को शेष धनराशि जारी करेंगे।

श्रीमती लक्ष्मी पनबाका : महोदय, नौंवी योजना दृष्टिकोण पत्र दस्तावेज में यह दर्शाती है कि कुल जनसंख्या का 70% गरीबी रेखा से नीचे है। इससे पता चलता है कि हमारी स्वतंत्रता के 50 वर्षों के बाद भी एक चौथाई से अधिक भारत की जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे है।

महोदय सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नए कार्यक्रम में यह प्रस्तावित है कि प्रतिमाह परिवार के 4 सदस्यों को 20 कि०ग्रा० मात्रा में से केवल 10 कि०ग्रा० खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जाएगी और शेष 10 कि०ग्रा० निर्धन व्यक्ति को दुगुनी कीमत पर खरीदना पड़ेगा। यह योजना गरीबों को किस तरह लाभ देने जा रही है ? प्रधानमंत्री आश्वासन दे रहे हैं कि अधिक से अधिक धनराशि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आबंटित की जाएगी जिससे गरीबों को लाभ मिलेगा। लेकिन वर्तमान बजट में आबंटनों से पता चलता है कि निधियां बड़े उद्योगों और व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए उपलब्ध कराई गई हैं। प्रत्येक स्थान पर निधियां गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए निर्धारित की गई हैं।

महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि इस देश में गरीबी कम करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ? इन योजनाओं की नियमित रूप से समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति क्यों न गाठित कर दी जाए ?

श्री किन्जारप्पू येरननायडू : महोदय, मैंने पहले ही यह बता दिया है कि गरीबी का यह पहलू दृष्टिकोण पत्र के अनुसार कार्यसूची के शीर्ष पर है इसलिए, 90,000 करोड़ रुपए जो आठवीं योजना में आबंटित किए गए थे, के मुकाबले नौंवी योजना में 60,000 करोड़ रुपए आबंटित करने का निर्णय लिया गया है। यहां अनेक मूल्यांकन रिपोर्टें थी। जहां कही कोई कमियां रह जाती हैं, वहां हम उनके संशोधन के लिए राज्य सरकारों को समय से अनुदेश देते हैं। यह सरकार गांवों में ग्रामीण गरीबी के उन्मूलन के लिए वचनबद्ध है। इसी कारण से हमने इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं। इस वर्ष के बजट में मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए भी 8,300 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं।

महोदय, खाद्यान्नों के बारे में, मैं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय द्वारा समन्वय का यह विषय रखना चाहता हूं कि गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे ग्रामीण निर्धनों के लाभ के लिए, सरकार द्वारा 8,000 करोड़ रुपए की राजसहायता राशि निर्धारित की गई है। यह सरकार गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे ग्रामीण निर्धनों को लाभ पहुंचाने के लिए वचनबद्ध है।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : महोदय, प्रधानमंत्री रोजगार योजना गरीबी उनमूलन कार्यक्रमों के अंतर्गत एक प्रशंसनीय योजना है। बैंक, इस योजना के कार्यान्वयन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश भ्रष्ट आचरण जो बैंकों में अपनाया जा रहा है और ऋण वितरण में ग्रामीण युवाओं के प्रति बैंक कर्मचारियों के कठोर और उदासीन व्यवहार के बारे में हमे ग्रामीण युवाओं से अनेक शिकायतें मिल रही है। क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या ऐसी शिकायतों को सरकार के ध्यान में लाया गया है। यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का है ?

श्री तिरूची शिवा : महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण है *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : प्रश्न काल समाप्त होने जा रहा है मंत्री महोदय को इसका उत्तर देने दें।

श्री किन्जारप्पू येरननायडू : माननीय सदस्य ने जो कहा है वह सच है, यही कारण है कि मैंने ग्रामीण युवाओं के लिए सम्पूर्ण आई०आर० डी०पी० कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए 31 दिसम्बर को बैंकर्स के साथ कांफ्रेंस क्यों की।

मध्याह्न 12.00 बजे

बैंकर्स की तरफ से कुछ कमिया हैं। हमने आई०आर०डी०पी० के अंतर्गत सभी ग्रामीण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को दृष्टि से सहयोग करने के लिए सख्त निदेश दिए हैं। हमने सभी योजनाओं के लिए पहले ही निदेश दे दिए हैं *(व्यवधान)*। उस बैठक में हमने बिना रूके अपने कार्यक्रमों के शत् प्रतिशत कार्यान्वयन के लिए सभी क्षेत्र-स्तरीय शाखाओं को सूचित करने का निर्णय लिया था।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

फास्ट ब्रीडर रियक्टर

*345. श्री अय्यन्ना पटरूघु :
डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलपाक्कम स्थित परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने सन् 2007 में चालू किए जाने के लिए एक फास्ट ब्रीडर रियक्टर तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो विद्युत उत्पादन के लिए संयंत्र को चालू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक संयंत्र के निर्माण हेतु धन राशि स्वीकृत करने के लिए योजना आयोग से सम्पर्क किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ): (क) इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र (आई०जी०सी०ए०आर०), कलपाक्कम में एक 500 मेगावाट (मेगावाट वैद्युत) के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पी०एफ०बी०आर०) का विस्तृत डिजायन पूरा होने की प्रगत अवस्था में है और प्रौद्योगिकी के विकास में भी प्रगति हो रही है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, हां। एक 500 मेगावाट वैद्युत के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पी०एफ०बी०आर०) को 11वीं योजना में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। वर्ष 1999-2000 में 82 करोड़ रुपए के प्रावधान से शुरू करते हुए 11वीं योजना में 721 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रस्तावित है। इस परियोजना, जिस पर 2960 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है, में निर्माण शुरू होने की तारीख से नौ (9) वर्ष लगने की आशा है।

[हिन्दी]

दि०वि०प्रा० के फ्लैटों का आवंटन न किया जाना

*346. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बुनियादी सुविधाओं के अभाव में आवंटित न किए गए दि० वि०प्रा० के फ्लैटों की संख्या क्या है;

(ख) इन फ्लैटों की श्रेणी क्या है और ये कहां-कहां स्थित हैं तथा ये फ्लैट कब से खाली पड़े हुए हैं;

(ग) सरकार का इनमें कब तक बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने का विचार है;

(घ) इन फ्लैटों में बुनियादी सुविधाएं न देने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या इस संबंध में किसी अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया गया है और यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) से (ग) डी०डी०ए० ने बताया है कि बिजली न मिलने के कारण 6209 फ्लैटों का आवंटन नहीं हुआ है। इनके अलावा 9835 फ्लैट ऐसे हैं जो आवंटित तो है, लेकिन उनका कब्जा नहीं लिया गया है सभी अनावंटित व आवंटित फ्लैटों, उनके स्थान खाली पड़े होने की तारीख तथा उनमें बिजली लगाये जाने की संभावित तारीख के श्रेणीवार ब्यौरे क्रमशः विवरण एक और दो में हैं।

(घ) और (ङ) बाह्य बिजली सेवा लाइन दिल्ली विद्युत बोर्ड द्वारा लगायी जानी है, जो एक सतत प्रक्रिया है। तथापि, दिल्ली विद्युत बोर्ड ने बताया है कि कभी-कभी लाईन रूट की मंजूरी न मिलने, ठेकागत कठिनाई तथा सामान की अस्थाई कमी आदि के कारण विद्युतीकरण के कार्य पर असर पड़ता है। इन फ्लैटों में बुनियादी सुविधाएं दिये जाने के प्रसंग में डी०डी०ए० द्वारा सम्बन्धित एजेन्सियों के साथ विभिन्न स्तरों पर नियमित समन्वय बैठकें की जाती हैं।

विवरण-I

क्र० सं०	स्कीम का नाम	एस०एफ० एस०	एम०आई० जी०	एल०आई० जी०	जनता	फ्लैटों की कुल संख्या	कब से खाली पड़े हैं	दिल्ली विद्युत बोर्ड द्वारा बिजली देने के लिए दी गई निर्धारित तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	216 एल०आई०जी०/576 जनता रिहायशी मकान कोंडली घरौली	—	—	8	—	8	3/94	4/97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	एम०आई०जी०, कोंडली घरौली	–	120	–	–	120	8/96	8/97
3.	189 एस०एफ०एस०, गाजीपुर	101	–	–	–	101	6/96	8/97
		88	–	–	–	88	12/96	8/97
4.	एम०आई०जी०/एल०आई०जी०, आवास मयूर विहार पाकेट-IV, फेज-I	–	124	124	–	248	3/96	6/97
5.	ईस्ट ऑफ लोनी रोड (I)	–	136	–	–	136	12/96	3/97
	(II)	–	–	256	–	256	12/96	6/97
6.	मोतिया खान	42	–	–	–	42	12/96	3/97
7.	201 एम०आई०जी० सेक्टर-डी पाकेट, 7 व 8 बसंत कुंज	–	201	–	–	201	3/95	इन फ्लैटों को बिजली देने हेतु डेसू द्वारा कोई लक्ष्य नहीं दिया गया है।
8.	पीरा गढ़ी के पास	–	148	–	–	148	12/96	-वही-
9.	रोहिणी सेक्टर-23, पाकेट-6	288	–	–	–	288	12/96	-वही-
10.	रोहिणी सेक्टर-23, पाकेट-7	128	–	–	–	128	12/96	-वही-
11	द्वारका फेज-I नसीरपुर पाकेट-9	–	–	68	174	242	3/95	-वही-
12.	द्वारका फेज-I सेक्टर-I, पाकेट-3	–	14	42	–	56	3/96	-वही-
13.	द्वारका नसीरपुर पाकेट-6	–	246	82	–	328	3/96	-वही-
14.	सेक्टर-11 पाकेट-2, द्वारका	–	198	–	–	198	12/96	-वही-
15.	सेक्टर-11 पाकेट-3, द्वारका	–	198	–	–	198	12/96	-वही-
16.	सेक्टर-6 पाकेट-1, द्वारका	212	–	–	–	212	12/96	-वही-
17.	सेक्टर-1 पाकेट-1, द्वारका	136	–	–	–	136	12/96	-वही-
18.	सेक्टर-4 पाकेट, एम०एल०यू०	228	–	–	–	228	12/96	-वही-
19.	सेक्टर-5 पाकेट, एम०एल०यू०	167	–	–	–	167	12/96	-वही-
20.	सेक्टर-5, पाकेट, एम०एल०यू	197	–	–	–	197	12/96	-वही-
21.	पाकेट-6, नसीरपुर, द्वारका	–	184	–	–	184	12/96	-वही-
22.	सेक्टर-13, द्वारका	–	628	–	–	628	12/96	-वही-
23.	सेक्टर-14, द्वारका	–	360	–	–	360	12/96	-वही-
24.	सेक्टर-17, द्वारका	–	292	–	–	292	12/96	-वही-
25.	सेक्टर-ए -9/ए-10 नरेला	–	–	4	–	4	3/95	3/97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.	सेक्टर-4, नरेला	—	112	112	—	224	3/93	3/97
27.	रोहिणी फेज-III सेक्टर-21, पाकेट-4	—	—	104	—	104	6/95	3/97
28.	रोहिणी फेज-III सेक्टर-22, पाकेट, 12 16, 16ए और 17	—	—	59	—	59	3/95	4/97
29.	रोहिणी फेज-III, सेक्टर-22, पाकेट-15	—	—	176	—	176	6/95	4/97
30.	रोहिणी फेज-III, सेक्टर-24, पाकेट-1	—	—	176	—	176	6/95	4/97
31.	रोहिणी फेज-III, सेक्टर-24, पाकेट-10, 13, 25 और 26	—	—	175	—	175	3/95	4/97
32.	रोहिणी फेज-III, सेक्टर-25, पाकेट-1 8 और 9	—	—	56	—	56	3/95	4/97
33.	रोहिणी फेज-III, सेक्टर-24, पाकेट-5	—	45	—	—	45	4/96	4/97
	योग	1587	3006	1442	174	6209		

विवरण-II

बिना बिजली के आवंटित आवास

क्र० सं०	स्कीम का नाम	एस०एफ० एस०	एम०आई० जी०	एल०आई० जी०	जनता	फ्लैटों की कुल संख्या	कब से खाली पड़े हैं	दिल्ली विद्युत बोर्ड द्वारा दी गई लक्ष्य तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	976 एस०एफ०एस०, कोंडली घरौली	784	—	—	—	784	3/95	3/97
2.	216 एल०आई०जी०/576 जनता रिहायशी मकान, कोंडली घरौली	—	—	208	576	784	3/94	4/97
3.	एम०आई०जी० कोंडसी घरौली	—	176	—	—	176	6/95	7/97
		—	192	—	—	192	3/95	7/97
		—	128	—	—	128	3/95	7/97
		—	180	—	—	180	8/96	7/97
		—	152	—	—	152	8/96	7/97
		—	176	—	—	176	8/96	7/97
4.	सेक्टर-ए-9, नरेला	—	248	368	—	616	3/95	4/97
5.	सेक्टर-ए-10, नरेला ग्रेड-II	—	256	416	—	672	3/95	3/97
6.	सेक्टर-ए-10, नरेला	—	356	620	—	976	3/95	3/97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	सेक्टर-बी-4, नरेला	—	560	548	—	1108	3/93 व 3/92	3/97
8.	रोहिणी फेज-III सेक्टर-20 से 22	—	—	192	—	192	3/95	6/97
9.	रोहिणी फेज-III, सेक्टर-21, पाकेट-4	—	—	136	—	136	6/95	6/97
10.	रोहिणी फेज-III, सेक्टर-22, पाकेट-12 16 16ए और 17	—	—	525	—	525	6/95 व 3/95	4/97
11.	रोहिणी फेज-III, सेक्टर-23, पाकेट-1	—	288	—	—	288	3/95	4/97
12.	रोहिणी फेज-III, सेक्टर-23, पाकेट-2	—	288	—	—	288	3/95	4/97
	रोहिणी फेज-III, सेक्टर-24, पाकेट-4	—	225	—	—	225	3/95	4/97
13.	रोहिणी फेज-III, सेक्टर-24, पाकेट-24	—	288	—	—	288	3/95	4/97
14.	रोहिणी फेज-III, सेक्टर-24, पाकेट-23	—	270	—	—	270	3/95	4/97
15.	रोहिणी फेज-III, सेक्टर-24, पाकेट-10, 13, 25 और 26	—	—	645	—	645	6/95 व 3/95	4/97
16.	रोहिणी फेज-III, सेक्टर-25, पाकेट-8, 9 पाकेट-1,	—	—	476	—	476	3/95	4/97
17.	रोहिणी फेज-III, सेक्टर-23, पाकेट-3	—	288	—	—	288	3/95	4/97
18.	रोहिणी फेज-III, सेक्टर-23, पाकेट-7	—	270	—	—	270	4/96	4/97
	योग :	784	4341	4134	576	9835		

[अनुवाद]

विद्युत क्षेत्र में संयुक्त उद्यम

*347. **श्री के०वी० कोंडय्या :**
श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत पारेषण के क्षेत्र में राज्य बिजली बोर्डों और निजी उद्यमियों के बीच संयुक्त उद्यम लगाना संभव बनाने हेतु नए मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और विद्युत ग्रिड निगम की सहायता से विद्युत पारेषण में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर ली गई है; और

(ग) यदि हां, तो इनकी घोषणा कब तक कर दिए जाने की संभावना है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस० वेंचुगोपालाचारी) : (क) से (ग) विद्युत कानून (संशोधन) अध्यादेश, 1997 को दिनांक 24.1.1997 को संचारण को एक स्वतंत्र क्रिया-कलाप के रूप में अभिज्ञात करने के लिए प्रवर्तित किया गया था। अब इससे संचारण लाईसेंस जारी करके राज्य विद्युत बोर्डों तथा निजी कम्पनियों के बीच संयुक्त उपक्रमों समेत सरकारी, निजी तथा संयुक्त उपक्रमों में संचारण परियोजनाओं को बढ़ावा देना संभव होगा। संचारण सेवा समझौतों मोल-भाव के लिए दिशा-निर्देश सुझाने, संचारण अनुज्ञप्तिधारकों के चयन के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति सुझाने तथा टैरिफ के निर्धारण हेतु सिद्धान्तों के सुझाव हेतु 17.2.1997 को एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। इस समिति को अपनी रिपोर्ट अप्रैल, 1997 में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

विद्युत उत्पादन

*348. **श्री माधवराव सिंधिया :**
श्री सुरेन्द्र यादव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु पर्याप्त धन आवंटित किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने इस संबंध में विदेशी सहायता मांगी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विदेश एजेंसियों से बातचीत शुरू की गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार का औद्योगिक क्षेत्र की बेहतरी के लिए देश में स्थित विद्युत संयंत्रों को बढ़ावा देने का विचार है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस० वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख) 9वीं योजना के लिए विद्युत उत्पादन के लक्ष्यों को अभी अन्तिम रूप नहीं किया गया है।

(ग) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोध को ध्यान में रखकर समय-समय पर द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय अभिकरणों से विद्युत परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता मांगी जाती है।

(घ) से (च) मोल-तोल एक गतिशील प्रक्रिया है। वर्तमान में विश्व बैंक एशियाई विकास बैंक तथा ओवरसीज इकोनोमिक कोओपरेशन फण्ड जैसे बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय अभिकरणों के साथ विचार-विमर्श चल रहा है।

(छ) और (ज) उद्योगों द्वारा स्वयं केप्टिव विद्युत संयंत्रों की स्थापना सहज बनाने के लिए सरकार ने नीति दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस तरह के संयंत्रों को पारस्परिक सम्मत शर्तों पर ग्रिड को अधिशेष विद्युत विक्रय की भी अनुज्ञा है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में एक वृहत विद्युत परियोजना की स्थापना

*349. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण :**
प्रो० ओमपाल सिंह "निडर" :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में 9800 करोड़ रुपये की लागत से एक वृहत विद्युत परियोजना स्थापित करने हेतु कनाडा की एक कम्पनी पेसीफिक इलैक्ट्रीकल इन्टरनेशनल कारपोरेशन के साथ हाल ही में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो यह किन-किन स्थान पर स्थापित किया जाएगा तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना के कब तक चालू हो जाने की संभावना है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस० वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख) 3,800 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर उत्तर प्रदेश में एटा जिले में निजी क्षेत्र में ज्वालापुर ताप विद्युत परियोजना (2x400 मेगावाट) की स्थापना के लिए 17 नवम्बर, 1995 को उत्तर प्रदेश सरकार तथा कनाडा की पेसिफिक इलेक्ट्रिक पावर डेवलेपमेन्ट कारपोरेशन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं।

(ग) परियोजना प्रवर्तकों ने सूचित किया है कि अगर नवम्बर, 1997 तक वे वित्तीय संवृत्ति प्राप्त कर लेते हैं तो इस परियोजना को वर्ष 2001 तक प्रचालित किया जाएगा।

[अनुवाद]

पश्चिमी पावर ग्रिड

*350. **श्री एन०जे० राठवा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पश्चिमी पावर ग्रिड से पश्चिमी राज्यों में विद्युत के बंटवारे हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समय गुजरात को पश्चिमी ग्रिड के कितने मेगावाट विद्युत उपलब्ध करायी जा रही है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस० वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख) प्रत्येक घटक को समान महत्व देते हुए केन्द्रीय योजना सहायता तथा गत पांच वर्षों के दौरान ऊर्जा के आधार पर पश्चिमी क्षेत्र में केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों की प्रतिष्ठापित क्षमता की पिचहत्तर प्रतिशत क्षमता संघटक राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को आवंटित की जाती है। इसके अलावा प्रतिष्ठापित क्षमता की दस प्रतिशत क्षमता "गृह राज्य", जिसमें केन्द्रीय उत्पादन केन्द्र स्थित है, को आवंटित की जाती है। प्रतिष्ठापित क्षमता की शेष पंद्रह प्रतिशत क्षमता को केन्द्रीय सरकार द्वारा सर्वाजनिक क्षेत्र इकाइयों, विद्युत गहन इकाइयों के साथ-साथ चल रही विद्युत आपूर्ति स्थिति को ध्यान में रखकर राज्यों को आवंटित किया जाता है।

(ग) पश्चिम क्षेत्र में केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों से गुजरात को आवंटित विद्युत की मात्रा निम्नवत् है :–

केन्द्र का नाम	क्षेयर (मेगावाट)
1	2
कोरबा (2100 मेगावाट)	357
विन्ध्याचल (1260 मेगावाट)	230
कवास (645 मेगावाट)	184

1	2
ककरापारा (440 मेगावाट)	125
गंधार (648 मेगावाट)	234
उप-जोड़	1150
2. अनावंटित कोटे से शेयर :	171
3. तारापुर परमाणु विद्युत केन्द्र से शेयर	160
जोड़ :	1461

राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र

*351. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की संख्या कितनी है जो बंद कर दिये गये हैं;

(ख) क्या कोटा स्थित राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र (आर०ए० पी०पी०) एकक एक तथा दो को बंद कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या राजस्थान को विद्युत की सप्लाई करने हेतु इन एककों को पुनः चालू किये जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) आर०ए०पी०पी० एकों की क्षमता में कितनी कमी की गई है;

(च) क्या सरकार का विचार आर०ए०पी०पी० एककों की क्षमता में कमी करने के बदले इन्हें अतिरिक्त विद्युत देने का है;

(छ) कोटा स्थित आर०ए०पी०पी० एकक तीन और एकक चार को चालू करने की क्या समय तालिका निर्धारित की गई है;

(ज) क्या सरकार आर०ए०पी०पी० के एकक एक तथा एकक दो की क्षमता में कमी तथा विद्युत की भारी कमी को ध्यान में रखते हुए आर०ए०पी०पी० के एकक तीन तथा एकक चार से उत्पन्न समग्र विद्युत राजस्थान को आवंटित करने पर विचार कर रही है; और

(झ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ): (क) इस समय भारत में दस परमाणु विद्युत संयंत्र हैं। किसी भी यूनिट को अंतिम रूप से बंद नहीं किया जा रहा है।

(ख) जी, नहीं। कोटा के निकट राजस्थान परमाणु बिजलीघर (आर०ए०पी०एस०) के यूनिट-1 को उसके अगभ्य क्षेत्र में स्थित अति दाब मोचन युक्ति (ओ०पी०आर०डी०) से भारी पानी का रिसाव होने के कारण फरवरी 1994 से बंद किया हुआ है। यूनिट-2 को सेवाकालीन निरीक्षण और शीतलक चैनलों को एक साथ बदलने तथा प्रणालियों को अपग्रेड करने के लिए पहली अगस्त, 1994 से बंद किया हुआ है।

(ग) और (घ) अति दाब मोचन युक्ति (ओ०पी०आर०डी०) में से होने वाले रिसाव को सफलतापूर्वक बंद कर दिया गया है और आशा है कि राजस्थान परमाणु बिजलीघर-1 को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड से अपेक्षित अनुमति मिल जाने के बाद जल्द ही फिर से चालू कर दिया जाएगा। राजस्थान परमाणु बिजलीघर-2 को शीतलक चैनल बदलने और प्रणालियों को अपग्रेड करने का कार्य पूरा हो जाने के बाद 1998 के दौरान फिर से चालू कर दिए जाने का प्रस्ताव है।

(ङ) राजस्थान परमाणु बिजलीघर के यूनिट-1 और 2 की 220 मेगावाट वाली मूल स्थापित क्षमता को घटा कर क्रमशः 100 मेगावाट और 200 मेगावाट कर दिया गया है।

(च) राजस्थान परमाणु बिजलीघर यूनिटों की क्षमता घटा दिए जाने के बदले में अतिरिक्त विद्युत आवंटन हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है।

(छ) राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना के यूनिट-3 और 4 को 1998-99 के दौरान चालू कर दिए जाने की आशा है।

(ज) और (झ) भारत सरकार ने राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना-3 और 4 से विद्युत का आवंटन करने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। इसका निर्णय इन यूनिटों को चालू किए जाने की पूर्व संध्या को लिया जाएगा।

नकली रसोई गैस सिलेंडर

*352. श्री मोहन रावले : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महानगरों में नकली गैस सिलेंडरों एवं रेग्युलेटरों की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये नकली सिलेंडर तथा रेग्युलेटर अत्यधिक जोखिमपूर्ण हैं और इनमें किसी भी वक्त भयंकर दुर्घटलना हो सकती है और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) ऐसी किसी मामले की रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर लागू नहीं होता।

(ग) जी, हां। यदि ऐसे उपस्करों को इस्तेमाल में लाया जाए तो वे खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं।

(घ) जैसा कि उपर्युक्त (क) में कहा गया है हाल में महानगरों

में नकली सिलेंडर/रेगुलेटर के परिचालन के किसी मामले की रिपोर्ट नहीं मिली है। तथापि, ऐसे सिलेण्डरों का सामान्यतः भरण संयंत्रों में पता चलता है यहां इन्हें तोड़ फोड़ कर कुचल दिया जाता है ताकि वे दोबारा परिचालन में न आ सकें। ऐसे गैर-प्रामाणिक सिलेंडरों और रेगुलेटरों का भरण संयंत्रों में पता चलने पर और इसके स्रोत के रूप में डिस्ट्रीब्यूटर, परिवहनकर्ता की पहचान होने पर, संबंधित डिस्ट्रीब्यूटरों, परिवहनकर्ता से दाण्डिक दरों पर कटौती की जाती है, जो निवारक का काम करती है।

[हिन्दी]

रसोई गैस का वितरण

*353. **श्री बची सिंह रावत "बचदा"** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुमाऊं मंडल में रसोई गैस वितरण एजेंसी कुमाऊं मंडल विकास निगम के पास है;

(ख) अन्य किन-किन संस्थाओं के पास गैस वितरण एजेंसियां हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार कुमाऊं मंडल में रसोई गैस का वितरण किन्हीं गैर-सरकारी संस्थाओं को सौंपने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालु) : (क) जी, हां।

(ख) तेल विपणन कम्पनियों ने कुमायूं पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत एल०पी०जी० के विपणन के लिए अभी तक किसी अन्य संस्था को नियुक्त नहीं किया है।

(ग) से (घ) कुमायूं क्षेत्र के अंतर्गत एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आवंटन की विद्यमान नीति को परिवर्तित करने के लिए अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है। तेल उद्योग के व्यवहार्यता मानकों को पूरा करने वाले स्थानों को एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें सामान्य चयन प्रक्रिया के माध्यम से आवंटित की जाती हैं जिसमें तद्विषयक विज्ञापन का जारी किया जाना तथा सक्षम चयन प्राधिकरण द्वारा उम्मीदवारों के चयन शामिल हैं। पिछली नीति के अनुसार, उत्पाद उपलब्धता की शर्त पर अन्य स्थान कुमायूं मंडल विकास निगम को आवंटित किए जाते हैं।

एन०बी०सी०सी० द्वारा किए गए निर्माण कार्य

*354. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा अनेक भवनों, सड़कों तथा पुलों का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान इन सभी परियोजनाओं पर वर्षवार आज तक कितनी राशि खर्च की गई;

(घ) इस समय पूर्ण हो चुकी तथा अपूर्ण पड़ी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) परियोजनाओं को पूरा करने में हो रहे विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० यू० वेंकटेश्वरलु) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड (एन०बी०सी०सी०) ने 1993 से उत्तर प्रदेश में 27 परियोजनाएं शुरू की हैं। इन परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(ग) इन परियोजनाओं पर गत तीन वर्षों के खर्च का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(घ) और (ङ) निगम ने 1993 से उत्तर प्रदेश में 27 परियोजनाओं में से 9 परियोजनाएं पूरी कर दी हैं। सभी 27 परियोजनाओं के ब्यौरे और विलम्ब के कारणों का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

विवरण

(ख) उत्तर प्रदेश में निगम द्वारा बनाये जा रहे भवनों, सड़कों, पुलों आदि के नाम	(ग) 1993-96 के दौरान वर्षवार तथा अब तक हुआ व्यय (किए गए कार्य की कीमत) (रु० लाखों में)					(घ) पूर्ण हुई तथा अधूरी परियोजनाओं के ब्यौरे	(ङ) परियोजना को पूर्ण करने में विलम्ब के कारण
	1993	1994	1995	1996	1997 (2/97 तक)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. कानपुर में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के लिए आंतरिक सुविधाओं सहित बहु-मंजिलें कार्यालय/भवन का निर्माण	65.27	22.00	2.00	—	—	निर्माण पूर्ण	

1	2	3	4	5	6	7	8
2. सूरजपुर साइट सी (जिला गाजियाबाद के औद्योगिक क्षेत्र में राज्य औद्योगिक विकास निगम के लिए उद्योग आवास योजना का विकास	2.00	54.93	15.15	—	—	निर्माण पूर्ण	
3. नोयडा (उ०प्र०) के राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम हेतु विद्युत प्रबंध संस्थान भवन-II का निर्माण	62.00	51.89	14.33	—	—	निर्माण पूर्ण	
4. पाता इटावा (उ०प्र०) में गैस अथारिटी के लिए 100मी० ऊंची आर०सीससी० चिमनी का निर्माण	—	—	80.56	104.14	5.00	निर्माण पूर्ण	
5. नोएडा (उ०प्र०) में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के लिए गार्ड रूप, चारदीवारी का निर्माण और स्थल विकास	4.50	8.00	—	—	—	निर्माण पूर्ण	
6. नोएडा (उ०प्र०) में भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड, मानव संसाधन विकास केन्द्र की आन्तरिक साज साज्जा	—	—	157.49	29.00	—	निर्माण पूर्ण	
7. बैदपुरा जिला गाजियाबाद (उ०प्र०) में अस्पताल का निर्माण	—	30.16	21.47	7.38	0.50	निर्माण पूर्ण	
8. चमोली (उ०प्र०) में जवाहर नवोदय विद्यालय का निर्माण	2.75	35.76	6.24	—	—	निर्माण पूर्ण	
9. रूद्रपुर, नैनीताल (उ०प्र०) में जवाहर नवोदय विद्यालय का निर्माण	—	20.50	7.97	—	—	निर्माण पूर्ण	
10. नोएडा (उ०प्र०) में ओरियंटल बैंक आफ कोमर्स के लिए स्टाफ ट्रेनिंग कालेज का निर्माण	4.00	133.73	214.44	159.52	21.00	करीब 99% कार्य पूर्ण	कोई विलम्ब नहीं है। निर्माण कार्यबल ठेके के अनुसार निश्चित समय पर पूरा हो गया है तथापि समय-समय पर सौंपा गया अतिरिक्त निर्माण का कार्य चल रहा है।
11. झांसी (उ०प्र०) में भेल टाउन शिप नगर में टाइप-III, IV व V क्वार्टरों का निर्माण	—	—	17.00	100.00	8.00	करीब 99% कार्य पूर्ण	विलम्ब का कारण ग्राहक द्वारा नक्शे और धनराशि देरी से जारी करना है।

1	2	3	4	5	6	7	8
12. बघरा, मुजफ्फरनगर (उ०प्र०) में जवाहर नवोदय विद्यालय का निर्माण	50.50	58.60	101.93	26.50	2.20	करीब 99% कार्य पूर्ण	परियोजना के फेज-I का कार्य लगभग एक वर्ष तक रुका रहा क्योंकि मूल उप ठेकेदार ने इस काम को बीच में छोड़ दिया 1.82 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कार्य किये जाने की वजह से परियोजना के पूरा होने में विलम्ब हुआ।
13. सरधना, मेरठ (उ०प्र०) में जवाहर नवोदय विद्यालय का निर्माण	22.19	24.67	50.13	35.80	2.75	करीब 96% कार्य पूर्ण	स्कूल परिसर और मल शोधन संयंत्र की बाहरी सीवर योजना के संशोधित डिजाइन के अनुमोदन में विलम्ब, जो परियोजना स्थल पर अति ऊंचाई के जल स्तर के कारण हुआ।
14. धूम मानिकपुर जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में जवाहर नवोदय विद्यालय का निर्माण	28.70	42.60	101.45	49.75	6.50	करीब 93% कार्य पूर्ण	1. ग्राहक द्वारा कार्य स्थल तक पहुंच मार्ग सुलभ न कराना। पहुंच मार्ग बनाने की अनुमति फरवरी, 1995 में मिली। 2. स्कूल परिसर निचले क्षेत्र में होने से 1995 के मानसूनी बाढ़ में डूब गया। 3. स्कूल परिसर मल शोधन संयंत्र की बाह्य सीवर स्कीम के संशोधित डिजाइन के अनुमोदन में विलम्ब जो परियोजना स्थल पर अति ऊंचाई वाले जलस्तर के कारण हुआ।
15. पाता इटावा (उ०प्र०) में गैस आथोरिटी संयंत्र के लिए सड़क नालों और पुलियों का निर्माण	—	5.00	147.29	118.91	4.00	करीब 93% कार्य पूर्ण	डामर आधारित सड़क हेतु ग्राहक द्वारा धन देने और दरें तय करने में विलम्ब के कारण
16. कोलारा कल्ला आगरा में जवाहर नवोदय विद्यालय का निर्माण	51.00	48.15	42.49	16.00	3.00	करीब 92% कार्य पूर्ण	1. ग्रामीणों के साथ भूमि विवाद और स्कूल की चारदिवारी के सीमांकन में विलम्ब 2. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इलाके में भट्टे बंद होने से ईंटें न मिलना।
17. नौएडा उत्तर प्रदेश में नेशनल फर्टीलाइजर लि० के कार्यालय भवन का निर्माण	–	108.00	317.00	488.70	20.00	करीब 92% कार्य पूर्ण	कोई विलम्ब नहीं परियोजना की प्रबन्ध व्यवस्था ग्राहक से धन नियतन और समय-समय पर प्राथमिकताओं के निर्धारण के अनुसार चल रही है।

1	2	3	4	5	6	7	8
18. झूसी इलाहाबाद (उ०प्र०) गोविन्द बल्लभ पन्त समाज विज्ञान संस्थान का निर्माण	67.00	62.50	48.47	99.50	6.50	करीब 84% कार्य पूर्ण	1. ग्राहक द्वारा राशि जारी न करना। 2. सभागार भवन में रोशनदानों, रोलिंग सैटर रंग रोगन विद्युत जुड़नार/उपकरण लगाने के प्रसंग में पसमर्शदाता/ग्राहक द्वारा विलम्ब से निर्णय
19. आगरा (उ०प्र०) में भारतीय स्टेट बैंक के आंचलिक कार्यालय भवन का नींवकार्य	–	–	–	23.25	4.25	करीब 44% कार्य पूर्ण	1. यह मैसर्स कीरतचन्द जैन, फैमली ट्रस्ट लखनऊ का अधूरा छोड़ा कार्य है इस मामले पर सुलह की बात चल रही है न्यायायिक आदेश/मध्यस्थ कार्यवाही के कारण कार्य रूका हुआ है। 2. मैसर्स कीरत चन्द्र जैन द्वारा किए गए कार्य की संयुक्त पैमाइश की रिकार्डिंग में विलम्ब 3. जनवरी, 96 को भारी वर्षा से निर्माण स्थल पर पानी का भराव 4. ग्राहक द्वारा अदायगी में विलम्ब
20. इन्दिरापुरम गजियाबाद उत्तर प्रदेश में जी०डी०ए० के एम० आई०जी०/मिनी एम०आई०जी० फ्लैटों का जीर्णाद्धार पुर्ननिर्माण	–	21.65	20.00	128.94	6.23	करीब 33% कार्य पूर्ण	कोई विलम्ब नहीं परियोजना गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से धन मिलने के साथ-साथ काम चल रहा है।
21. नौएडा एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन (उ०प्र०) में मानक डिजाइन फैक्ट्री ब्लाक की 32 यूनिटों का निर्माण	–	–	–	238.00	82.00	करीब 29% कार्य पूर्ण	कोई विलम्ब नहीं परियोजना निर्धारित समय के अनुसार चल रही है।
22. ऊंचाहार (उ०प्र० में एन० टी०पी०सी० के लिए फिरोज-गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट चरण-II में सिविल तथा स्टील ढांचा कार्य-सी० डब्ल्यू सिस्टम पैकेज	–	–	–	58.39	62.16	करीब 26% कार्य पूर्ण	कोई विलम्ब नहीं परियोजना समय के अनुसार चल रही है।
23. सिडबी लखनऊ (उ०प्र०) प्रधान कार्यालय भवन का निर्माण	–	–	12.00	87.00	8.00	करीब 25% कार्य पूर्ण	1. नक्शे तैयार करने में विलम्ब 2. कार्य नक्शे जारी करने में विलम्ब

1	2	3	4	5	6	7	8
							3. सौंघ भवन ब्लाक-बी के लिए भूखण्ड कार्य शुरू होने से करीब 7 महीने बाद ग्रानी अप्रैल 96 में उपलब्ध कराया गया।
24. इटावा (उ०प्र०) में जवाहर नवोदय विद्यालय का निर्माण	—	—	—	12.25	4.00	करीब 6% कार्य पूर्ण	1. निर्माण स्थल तक करीब 6 कि० मी० लम्बा पहुंच मार्ग नहीं है इसलिए परियोजना का कार्य धीमा है। 2. ऊपरी विकास कार्य की अभी तकनीकी मंजूरी मिलनी शेष है।
25. फिरोजाबाद (उ०प्र०) में जवाहर नवोदय विद्यालय का निर्माण	—	—	—	—	5.00	कार्य फरवरी, 97 में शुरू हुआ	कोई विलम्ब नहीं।
26. इलाहाबाद (उ०प्र०) में कमला नेहरू मैमोरियल अस्पताल परिसर में इन्दिरा गांधी भवन का निर्माण	9.00	17.50	—	—	—	ग्राहक के पास धन के अभाव में परियोजना अक्तूबर, 1994 में छोड़ दी गई।	
27. कौशाम्बी गाजियाबाद (उ०प्र०) में वाणिज्य परिसर का निर्माण	30.36	5.55	—	—	—	एन०बी०सी०सी० स्थावर सम्पदा परियोजना। जी० डी०ए० द्वारा बिजली पेयजल, सीवर, पहुच मार्गों जैसी अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध न कराये जाने से परि-योजना कुछ समय से स्थगित है।	

[अनुवाद]

रोजगार आश्वासन योजना

*355. **श्री एन० रामकृष्ण रेड्डी :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्लाकों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान कितने ब्लाकों को रोजगार आश्वासन योजना के अंतर्गत लाया गया है;

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान रोजगार आश्वासन योजना के अंतर्गत राज्यवार कितने ब्लाकों को स्वीकृति प्रदान की गयी है;

(घ) क्या सरकार देश के सभी ब्लाकों को इस योजना के अंतर्गत लाने का विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हों, तो कब तक ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) कुछ खण्डों की संख्या और सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत शामिल खंडों की राज्यवार सूची विवरण एक में देखी जाये।

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत शामिल खण्डों की संख्या 768 है।

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत

स्वीकृत खण्डों की संख्या की राज्यवार सूची विवरण-दो में देखी जाये।

(घ) और (ङ) जी हां। देश के शेष ग्रामीण खण्डों को वर्ष 1997-98 के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना में शामिल कर लिया जाएगा।

विवरण-I

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	खण्डों की कुल संख्या	सुनश्चित रोजगार योजना में शामिल खण्डों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	330	280
2.	अरुणाचल प्रदेश	56	56
3.	असम	218	218
4.	बिहार	727	579
5.	गोवा	11	5
6.	गुजरात	218	181
7.	हरियाणा	110	77
8.	हिमाचल प्रदेश	69	44
9.	जम्मू व कश्मीर	119	119
10.	कर्नाटक	175	162
11.	केरल	152	81
12.	मध्य प्रदेश	459	394
13.	महाराष्ट्र	299	247
14.	मणिपुर	31	31
15.	मेघालय	32	32
16.	मिजोरम	20	20
17.	नागालैंड	52	52
18.	उड़ीसा	314	290
19.	पंजाब	136	49
20.	राजस्थान	237	204
21.	सिक्किम	4	4
22.	तमिलनाडु	385	282
23.	त्रिपुरा	27	27
24.	उत्तर प्रदेश	902	610
25.	पश्चिम बंगाल	340	270
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	5	3
27.	चंडीगढ़	1	0
28.	दादरा व नगर हवेली	1	1
29.	दमन व दीव	2	1
30.	दिल्ली	5	0
31.	लक्षद्वीप	9	7
32.	पांडिचेरी	6	3
	कुल	5452	4329

विवरण-II

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत अतिरिक्त खण्डों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	95
2.	असम	76
3.	बिहार	132
4.	गोवा	4
5.	गुजरात	31
6.	हरियाणा	32
7.	हिमाचल प्रदेश	25
8.	जम्मू व कश्मीर	30
9.	कर्नाटक	29
10.	केरल	60
11.	मध्य प्रदेश	54
12.	महाराष्ट्र	29
13.	मणिपुर	9
14.	उड़ीसा	40

1	2	3
15.	पंजाब	49
16.	राजस्थान	90
17.	तमिलनाडु	84
18.	उत्तर प्रदेश	250
19.	पश्चिम बंगाल	57
20.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1
21.	दमन व दीव	1
22.	लक्षद्वीप	2
23.	पांडिचेरी	3
	कुल	1123

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को राजसहायता

*956. **डा० ए०के० पटेल** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को दी गई सहायता तथा राजसहायता का वार्षिक ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन इकाइयों को राजसहायता देने सहित धनराशि आवंटित करने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) और (ख) सरकार ने देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें अन्यों के साथ-साथ अधिकांश खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को उच्च प्राथमिकता वाला घोषित करना, अल्कोहल पेयों के किण्वन और आसवन तथा लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों को छोड़कर अन्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को लाइसेंसमुक्त करना, घरेलू/विदेशी/ अनिवासी भारतीय पूंजी निवेश को बढ़ावा देना, तथा वित्तीय राहतें उपलब्ध कराना आदि शामिल हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी योजना स्कीमों के तहत राज्य सरकार के संगठनों, संस्थानों, सहकारिताओं, संयुक्त क्षेत्र/सहायता प्राप्त क्षेत्र की परियोजनाओं, स्वयंसेवी एजेंसियों आदि को (1) खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना/विस्तार/ आधुनिकीकरण के लिए, (2) फसलोत्तर बुनियादी सुविधाओं, कोल्डचेन आदि को बढ़ावा देने के लिए, (3) किसानों और प्रसंस्करणकर्ताओं के बीच बैकवर्ड लिंकेज की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए, (4) ग्रामीण इलाकों में उद्यमशीलता के विकास के लिए टैक्नॉलाजी के प्रसार हेतु, (5) अनुसंधान और विकास से संबंधित कार्यों के लिए, (6) राज्य सरकारों के साथ परस्पर संपर्क बनाने के लिए वित्तीय सहायता देता है तथा राज्य सरकारों द्वारा पता लगाई गई नोडल एजेंसियों को सहायता देता है।

2. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही योजना स्कीमें परियोजना विशेष होती हैं न कि राज्य अथवा क्षेत्र विशेष। प्रस्तावों की तकनीकी व्यवहार्यता और आर्थिक व्यवहार्यता, संसाधनों की उपलब्धता आदि जैसे अनेक कारणों के आधार पर निम्नलिखित अनुसार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है :–

(क) संयुक्त क्षेत्र/सहायता प्राप्त क्षेत्र की परियोजनाओं में इक्विटी सहभागिता के लिए राज्य सरकार के संगठनों को ब्याजमुक्त ऋण।

(ख) पिछले पैरा 1 में उल्लिखित कार्यों के लिए राज्य सरकार के संगठनों, संस्थानों, सहकारिताओं/स्वयंसेवी एजेंसियों/निजी उद्यमियों आदि को भिन्न मात्रा में सहायता अनुदान।

(ग) मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रमों मार्डर्न फूड इंडस्ट्रीज (इं०) लि० और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि० को इक्विटी/ऋण सहायता।

3. पिछले 3 सालों के दौरान योजना निधि का परिव्यय और व्यय निम्नलिखित है :

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	परिव्यय	व्यय
1993-94	47.00	38.52
1994-95	45.00	29.74
1995-96	45.00	40.87

[हिन्दी]

परमाणु बिजली घरों द्वारा विद्युत उत्पादन

*957. **श्री ब्रजमोहन राम** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन-किन स्थानों पर परमाणु विद्युत संयंत्रों में विद्युत उत्पादन होता है। और इनमें से प्रत्येक द्वारा पृथक-पृथक कितना विद्युत उत्पादन किया जाता है; और

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किन-किन स्थानों पर परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है और इन संयंत्रों द्वारा कितनी मात्रा में विद्युत उत्पादन किये जाने की संभावना है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ): (क) देश के परमाणु विद्युत संयंत्रों, उनकी अवस्थिति और प्रत्येक द्वारा उत्पादित की जाने वाली बिजली की मात्रा का विवरण नीचे दिया गया है :

क्र० सं०	परमाणु बिजली-घर और उनकी अवस्थिति	यूनिट संख्या	वर्तमान क्षमता (मिलियन यूनिट)	फरवरी 97 तक संचयी विद्युत उत्पादन (मिलियन यूनिट)
1.	तारापुर परमाणु बिजलीघर, महाराष्ट्र में तारापुर में अवस्थित।	टीएपीएस-1	160	24180
		टीएपीएस-2	160	24473
2.	राजस्थान परमाणु बिजलीघर, राजस्थन में रावतभाटा में अवस्थित।	आरएपीएस-1	100	8289
		आरएपीएस-2	200	15000
3.	मद्रास परमाणु बिजलीघर, तमिलनाडु में कलपाक्कम में अवस्थित।	एमएपीएस-1	170	12654
		एमएपीएस-2	170	10322
4.	नरोरा परमाणु बिजलीघर, उत्तर प्रदेश में नरोरा में अवस्थित।	एनएपीएस-1	220	4539
		एनएपीएस-2	220	4504
5.	ककरापार परमाणु बिजलीघर, गुजरात में ककरापार में अवस्थित।	केएपीएस-1	220	3615
		केएपीएस-2	220	2258

(ख) कर्नाटक में कैगा परमाणु विद्युत परियोजना युनिट-1 और 2 तथा राजस्थान में राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना यूनिट-3 और 4 जो इस समय निर्माणाधीन हैं, की कुल क्षमता 880 मेगावाट विद्युत है। इनके 1998 में चालू हो जाने की आशा है और 11वीं योजना के दौरान इनमें में प्रत्येक लगभग 5000 मिलियन यूनिट पैदा करेगा।

[अनुवाद]

तेल की खोज

*358. **श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन :**
श्री रमेश चेन्निथला :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वह महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन-कौन से है जहां इस समय तेल की खोज की जा रही है;

(ख) क्या संपूर्ण पेट्रोलियम क्षेत्र को पुनर्गठित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रत्येक महत्वपूर्ण क्षेत्र में प्रति वर्ष कितनी मात्रा में तेल का उत्पादन होता है;

(ङ) क्या सरकार का महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तेल की खोज संबंधी प्रयास गहने करने का विचार है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) वे नए क्षेत्र कौन-कौन से हैं जहां तेल की खोज का कार्य शुरू किये जाने की संभावना है; और

(ज) ऐसे तेल क्षेत्रों में प्रति वर्ष कितनी मात्रा में तेल का उत्पादन होने का अनुमान है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) वर्तमान अन्वेषण कार्यनीति के अंतर्गत कैम्बे, ऊपरी असम, बंबई अपतट, कृष्णा-गोदावारी तथा कावेरी बेसिनों जैसे वर्तमान में उत्पादनरत बेसिनों में जटिल ट्रेप्स से संबंधित कठिनाइयों को सुलझाने के लिए त्रिआयामी सर्वेक्षण समेत, जो कि इन बेसिनों के अंतर्गत मुख्य अन्वेषण लक्ष्यों में से एक होगा, भूकम्पीय आंकड़ा अर्जन की गुणवत्ता पर जोर देकर अप्राप्त लक्ष्यों की पहचान करके तथा नए लक्ष्यों का पता लगाकर कम जोखिम वाले हाइड्रोकार्बनों का पता लगाने के लिए अन्वेषण प्रयास जारी रखना शामिल है।

अन्वेषण के संबंध में जोर दिए जाने वाले अन्य क्षेत्र :

- गोंडवाना तथा विंध्या स्थित बेसिन
- उत्तर-पूर्व क्षेत्र की सुप्त बेल्ट।
- पूर्व एवं पश्चिम तट अपतट दोनों में 200 मीटर आइसोबाथ से परे गहन जल अन्वेषण।
- मध्यजीवी संभावनाओं के लिए कच्छ अपतट।
- पश्चिमी तथा उत्तर-पूर्वी जमीनी बेसिनों अर्थात् कैम्बे का मध्यजीवी भाग, कच्छ, सौराष्ट्र एवं राजस्थान तथा ऊपरी असम के पुरानूतन-आदिनूतन क्षेत्र के अधिक गहरे उद्दिष्ट लक्ष्य।
- दक्षिण पठार, नागालैण्ड तथा मणिपुर की थ्रस्ट परतों के तले जैसे अनिश्चित संभाव्यता वाले क्षेत्र।
- टाइट गैस सेन्ड्स, साबित बेसिनों पर गहन बेसिन, गैस, गोंडवाना तथा पश्चिम बंगाल बेसिनों जैसे नए लक्ष्य।

(ख) और (ग) अन्य बातों के साथ-साथ नीतिगत सिफारिशों को तैयार करने तथा वित्तीय रूप से मजबूत एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रति-स्पर्धी एक हाइड्रोकार्बन क्षेत्र विकसित करने के आधारभूत कार्यनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तेल उद्योग की पुनरसंरचना हेतु अपेक्षित प्रयासों को सुझाने के लिए जनवरी, 1995 में तेल उद्योग की पुनरसंरचना के लिए एक कार्यनीतिक योजना दल (आर ग्रुप) स्थापित किया गया था। "आर" ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। तथापि, इसकी सिफारिशों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) भाग (क) में दिए गए उत्तर में यथा उल्लिखित पहचाने नए बेसिनों/क्षेत्रों में से तेल का उत्पादन केवल श्रेणी-I के बेसिनों से ही

हो रहा है। वर्ष 1995-96 के दौरान इन बेसिनों में से प्रत्येक बेसिन से तेल उत्पादन निम्नलिखित था :–

बेसिन	तेल उत्पादन (मि०मी०टन)
कैम्बे	6.386
ऊपरी असम तथा असम–अराकान फोल्ड बेल्ट	5.074
कृष्णा-गोदावारी तथा कावेरी	0.575
बम्बई अपतट	23.127
	35.162

(ङ) जी, हां।

(च) और (छ) ब्यौरे ऊपर भाग (क) के उत्तर में दिए गए हैं।

(ज) नए अन्वेषण प्रयास क्षेत्रों से प्रत्याशित तेल की मात्रा के संबंध में अनुमान केवल अन्वेषण परिणामों तथा भण्डार प्रमाणन के पश्चात ही लगाया जा सकता है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय पावर ग्रिड

*359. डा० महादीपक सिंह शाक्य :
श्री नवल किशोर राय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सभी पावर ग्रिडों को आपस में जोड़ने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उस पर अनुमानतः कितनी राशि व्यय होने की संभावना है;

(घ) इसके लिए धन किन स्रोतों से जुटाये जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) इन योजनाओं को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

(विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस० वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने देश की विभिन्न क्षेत्रीय विद्युत ग्रिडों के अन्तःसंयोजन की योजनाएं तैयार की हैं। इन संयोजनों में से कुछ पहले प्रचालित है, अन्य निर्माणाधीन तथा विचाराधीन हैं। केन्द्र के स्वामित्व के अन्तर्क्षेत्रीय संयोजनों की सूची नीचे दी गई है :–

(क) विद्यमान (प्रचालनाधीन)

(I) पश्चिमी तथा उत्तरी क्षेत्र के बीच – 500 मे०वा० विंध्याचल उ०वो०दि०धा० बैक-टू-बैक

(II) उत्तर-पूर्वी तथा पूर्वी क्षेत्र के बीच – 220 कि०वो० बीरपाड़ा – बोंगईगांव।

(III) दक्षिणी क्षेत्र तथा पश्चिमी क्षेत्र के बीच रामागुण्डम-चन्द्रपुर 400 कि०वी० लाईन।

(ख) निर्माणाधीन

(I) पश्चिमी तथा दक्षिण क्षेत्र के बीच – 100 मे०वा० चन्द्रपुर में उ०वो०दि०धा० बैक-टू-बैक

(II) पूर्वी तथा दक्षिण क्षेत्रों के बीच – 500 मे०वा० गाजुवाका में उ०वो०दि०धा० बैक-टू-बैक

(III) उत्तर-पूर्वी तथा पूर्वी क्षेत्र के बीच – 400 कि०वो० बोंगईगांव तथा मालदा के बीच

(ग) विचाराधीन

(I) पूर्वी तथा उत्तरी क्षेत्र के बीच – 500 मे०वा० ससराम में बिहारशरीफ रे रिहन्द के बीच

(घ) पावरग्रिड द्वारा किए गए अध्ययनों में निम्न-लिखित अतिरिक्त वृहद संचारण लिंकों की आवश्यकता का सुझाव है :–

(I) 400 कि०वो० प्र०धा० रायपुर (पश्चिमी क्षेत्र) से राउरकेल (पूर्वी क्षेत्र)

(II) तलचेर-II संचारण प्रणाली के एक अंग के रूप में पूर्वी क्षेत्र में तलचेर से दक्षिणी क्षेत्र में बैंगलौर तक के बीच 3000 मे०वा० उ०वो० दि०धा० द्वि-स्तम्भ संयोजन।

(III) पूर्वी क्षेत्र में इब घाटी तथा उत्तरी क्षेत्र में जयपुर के बीच 3000 मे०वा० उ०वो० दि०धा० द्वि-स्तम्भ संयोजन तथा इब घाटी (पू०क्षे०) से रायपुर (प०क्षे०) तक 400 कि० वो०प्र० धा० प्रणाली। ये संचारण लिंक सी०ई०पी०ए० से सम्बद्ध संचारण प्रणाली का अंग हैं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त परियोजनाओं की अनुमानित तथा अन्य ब्यौरे सलंग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) उल्लिखित परियोजनाओं की प्रत्याशित प्रचालन तारीखें निम्नवत हैं :–

	प्रचालन की तारीख
(I) चन्द्रपुर बी/बी उ०वो०दि०धा०	11/97
(II) गजुवाका बी/बी उ०वो०दि०धा०	2/99
(III) ससराम बी/बी उ०वो०दि०धा०	3/2000
(Iv) 400 कि०वो० बोंगईगांव-मालदा	3/98
(v) तलचेर-बेंगलूर उ०वो०दि०धा०	2001-02
(vi) (क) इब घाटी-जयपुर उ०वो०दि०धा०	2001-02
(ख) इब घाटी-रायपुर प्र०धा० प्रणाली	2000-01
(vii) 400 कि०वो० रायपुर-राउरकेला	2001

विवरण

	परियोजनाएं	अनुमोदित/अनुमानित लागत (रुपयों में)	वित्त-पोषण अभिकरण
(I)	चन्द्रपुर वी/बी एचवीडीसी	1046 करोड़	वेस्ट मर्चेन्ट बैंक बैंक इंडोस्यूज क्रेडिट नेशनल ओवरसीज डेवलपमेन्ट एजेन्सी (सुनिश्चित)
(II)	गांजुवाका बी/बी एचवीडीसी	574 करोड़	एशियन डेवलपमैंट बैंक/वेस्ट मर्चेंट बैंक (सुनिश्चित)
(III)	ससराम-बिहारशरीफ एचवीडीसी	567 करोड़	ओडीए (ओवरसीज डेवलपमेंट एजेंसी)/वर्ल्ड बैंक (प्रक्रियाधीन)
(Iv)	400 के०वी० बोंगईगांव-मालदा	212 करोड़	ओईसीएफ (ओवरसीज इकोनॉमिक को-ऑपरेशन फण्ड) (सुनिश्चित)
(v)	तलचेर-बेंगलूर एचवीडीसी	2500 करोड़	डब्ल्यू०बी० (वर्ल्ड बैंक) (विचाराधीन)
(vI)	इब वैली, जयपुर एचवीडीसी इब वैली, रायपुर एचवीडीसी	6140 करोड़	अंतिम रूप नहीं दिया गया
(vII)	400 के०वी० ए०सी० रायपुर-राउरकेला	336 करोड़	वर्ल्ड बैंक (प्रक्रियाधीन)

नोट : विदेशी वित्त-पोषण परियोजनाओं की लागत के 55% से 60% तक है। 20% वित्त-पोषण पावरग्रिड के आन्तरिक संसाधनों से है तथा शेष वित्त-पोषण बांड/घरेलू वाणिज्यिक उधार से है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय बायोगैस परियोजना

*960. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव :**
श्री रविन्द्र कुमार पांडेय :

क्या अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य राष्ट्रीय बायोगैस परियोजन के अन्तर्गत कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित वार्षिक लक्ष्य का 50% भी प्राप्त नहीं कर सके हैं;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से राज्य वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके हैं;

(ग) क्या सरकार ने उन लोगों के लिए, जो बायोगैस संयंत्र और उन्नत चूल्हे लगाना चाहते हैं, उनके लिए बायोगैस संयंत्र लगाने और उन्नत चूल्हे उपलब्ध कराने की कोई व्यवस्था की है;

(घ) क्या सरकार ने इन राज्यों की सहायतार्थ कोई सकारात्मक प्रयास किए हैं ताकि वे राष्ट्रीय बायोगैस परियोजना का लक्ष्य पूरा कर सकें; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख) जी नहीं। अप्रैल 1996 से जनवरी, 1997 की अवधि के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़ और पांडिचेरी को छोड़कर, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने केन्द्रीय क्षेत्र की योजना-राष्ट्रीय बायोगैस-विकास परियोजना (एन०पी०बी०डी०) के अंतर्गत रखे गए अपने संबंधित वार्षिक लक्ष्यों का 52 से 164 प्रतिशत तक उपलब्धि प्राप्त की राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना के अंतर्गत वर्ष 1996-97 के लिए रखे गए 1.65 लाख पारिवारिक आकार के संयंत्रों की स्थापना के समग्र वार्षिक लक्ष्य को वर्ष 1997 के मार्च अंत तक प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है।

(ग) जी हां। राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना के अलावा, कुशल और धुएं रहित चूल्हें के विभिन्न उन्नत डिजाइनों के संवर्द्धन के लिए एक पृथक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना-राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम (एन०पी०आई०सी०) का सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा उपयोगकर्त्ताओं के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों; गैर-सरकारी संगठनों और प्रशिक्षित उद्यमियों को केन्द्रीय वित्तीय राज सहायता, टर्न की कार्य शुल्क, शौचालयों से जुड़े बायोगैस संयंत्रों आदि के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय वित्तीय राज सहायता; और सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना के कार्यान्वयन के लिए प्रचार एवं जनजागरूकता हेतु सहायता सहित तकनीकी और प्रशिक्षण सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की गति में तेजी लाने के लिए कार्य-योजनाएं तैयार करने हेतु अगस्त, 1996 से फरवरी, 1997 के दौरान क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय

समीक्षा, विशेषकर लक्ष्यों की प्राप्ति में पीछे रहने वाले राज्यों के लिए, आयोजित की गई।

कम्प्यूटरों की आपूर्ति

3778. श्री राम सागर : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 फरवरी, 1997 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" में पी०सी०एल० फेसेज फ्लैट फ्रॉम कस्टमर्स" शीर्षक समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) सरकारी विभागों ने कितने पी०सी०एल० खरीदे हैं और उनमें से कितने घटिया किस्म के पाए गए और उक्त पी०सी०एल० कहां से खरीदे गए थे;

(घ) पी०सी०एल० के खराब सेट को बदलने या विक्रेता से धन वापसी के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) केन्द्रीय भण्डार ने इनमें से कितने पी०सी०एल० सरकारी विभागों को बेचे हैं ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ): (क) से (ङ) जी, हां। यह समाचार मुख्यतः एक निजी फर्म की शिकायत से संबंधित है, जो पी०सी०एल० कम्प्यूटरों की खरीद से उत्पन्न हुई है। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग सरकारी मंत्रालयों/विभागों अथवा अन्य किसी अभिकरण के लिए कम्प्यूटरों की खरीद नहीं करता है।

केन्द्रीय भण्डार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार चालू वर्ष के दौरान उन्होंने विभिन्न सरकारी विभागों को 14 वैयक्तिक कम्प्यूटर (पीसी) बेचे हैं, जिनमें से घटिया क्वालिटी अथवा दोषपूर्ण मशीन से संबंधित कोई शिकायत उन्हें नहीं प्राप्त हुई है।

हज गृहो का निर्माण

3779. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार का लखनऊ में हज गृह का निर्माण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके निर्माण पर व्यय की जाने वाली राशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य राज्यों में ऐसे गृह पहले से ही मौजूद है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का सभी राज्य सरकारों को प्रत्येक राज्य के राजधानी में हज यात्रियों की सुविधा हेतु हज गृहों का निर्माण कराने के निर्देश देने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में कितनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के लखनऊ में हज आवास बनाने संबंधी किसी प्रस्ताव से अवगत नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पश्चिम बंगाल राज्य हज समिति द्वारा हाल ही में पश्चिम बंगाल में हज आवास बनाया गया गुजरात और जम्मू व कश्मीर हज समितियों ने भी क्रमशः अपने राज्यों में हज-आवास निर्माण के लिए प्रस्ताव किया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

खाली पड़ी संपत्तियां

3780. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित कितनी दुकानें/कार्यालय परिसर/रेस्तरां इत्यादि खाली पड़े हैं और इनमें से दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पीतमपुरा क्षेत्र में निर्मित विशाखा एनक्लेव और मौर्य एनक्लेव में कितनी दुकानें हैं;

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इन दुकानों/परिसरों/रेस्तराओं इत्यादि का निर्माण कब किया गया था और इन परिसंपत्तियों के खाली पड़े रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन परिसंपत्तियों के समुचित उपयोग के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि उनके द्वारा निर्मित और खाली/अनबंटित दुकानों/कार्यालय परिसरों/रेस्टोरेंट आदि की संख्या 28/2/97 को 3389 थी। इनमें से 185 दुकानें/कार्यालय परिसर/रेस्टोरेंट विशाखा एन्कलेव, मौर्य एन्कलेव और पीतमपुरा में है।

(ख) ये परिसर वर्ष 1985 से दिसंबर 1996 के दौरान बने थें इन संपदाओं के खाली/बिना बिके रहने के निम्नलिखित कारण हैं:—

(I) धन बाजार में मंदी;

(II) कुछ बाजारों में दिल्ली विद्युत प्रदाय प्रतिष्ठान द्वारा बिजली कनेक्शन नहीं दिया जाना; और

(III) विपणन परिसरों के आसपास आबाद रिहायशी परिसरों का व्यावसायिक कार्यों हेतु दुरुपयोग।

(ग) (I) सरकारी विभागों/उपक्रमों यथा-बैंकों, डाकघरों, महानगर टेलीफोन निगम आदि से अनुरोध मिलते ही उन पर विचार किया जाता है।

(II) खाली/अनावंटित परिसंपत्तियों की समय-समय पर नीलामी कका आयोजन किया जाता है।

[हिन्दी]

रोजगार गारंटी योजना

3781. डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के किन-किन जिलों में रोजगार गारंटी योजना चल रही है;

(ख) वर्ष 1997-98 के दौरान योजना में कितने जिलों को सम्मिलित किए जाने की संभावना है; और

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितना अनुदान उपलब्ध कराया गया है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में सुनिश्चित रोजगार योजना चलाई जा रही है :–

कालाघाट, बस्तर (जगदलपुर), बेतुल, भिण्ड, बिलासपुर, छत्तरपुर, छिंदवाड़ा, दमोड, देवास, धार, दुर्ग, गुना, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, झबुआ, खण्डवा, खरगांव, मंडला, मंदसौर, नरसिंपुर, पन्ना, राजगढ़, रायपुर, रायसेन, राजगढ़, राजनंदगांव, रतलाम, रीवा, सागर, सरगुजा, सतना, सिहोर, सिओनी, शहडोल, शाजापुर, शिवपुरी, टिकमगढ़, उज्जैन और विदिशा, सीधी।

(ख) मध्य प्रदेश के शेष सभी ब्लाकों एवं जिलों को वर्ष 1997-98 के दौरान इस योजना में शामिल किया जाएगा।

(ग) इस कार्य के लिए वर्ष 1996-97 के दौरान 18804.90 लाख रुपए की राशि रिलीज की गई है।

[अनुवाद]

ग्रामीण रोजगार निधि की लेखा परीक्षा

3782. श्री जयन्त भट्टाचार्य : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंचायत समितियों और जिला परिषदों में ग्रामीण विकास निधि की लेखा-परीक्षा के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों को भेजे गये निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने गत 19 वर्षों से राज्य में विभिन्न जिला परिषदों और पंचायत समितियों में खातों की लेखा-परीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दिसम्बर, 1996 तक कितनी पंचायत समितियों और जिला परिषदों ने लेखा-परीक्षा पूरी की है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पेट्रोल का दुरूपयोग

3783. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी मात्रा में माहे (पांडिचेरी राज्य) को भेजे जाने वाले पेट्रोलियम उत्पाद को केरल के कालीकट तथा कन्नौर जिले के कुछ पेट्रोल/डीजल बैंकों में ले जाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या गत में अधिकारियों द्वारा किन्हीं दोषी व्यक्तियों को पकड़ा गया है; और

(घ) यदि हां, तो इन दोषियों को कानून के अंतर्गत क्या सजा दी गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी नहीं। माहे की ओर भेजे जा रहे पेट्रोलियम उत्पादों को केरल की तरफ ले जाए जाने के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

पेयजल और सफाई के लिए डच सहायता प्राप्त योजनाएं

3784. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में पेयजल और सफाई के लिए डच सहायता प्राप्त विचाराधीन योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन योजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दिए जाने की संभावना है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) वाराणसी, रायबरेली और इलाहाबाद जिलों के समस्याग्रस्त गांवों में पेयजल आपूर्ति के लिए 2192 लाख रुपये की लागत वाली डच सरकार की एक परियोजना विचाराधीन है।

(ख) योजनाओं के अनुमोदन के लिए डच सरकार द्वारा कोई समयावधि नहीं दर्शायी गई है।

तेल शोधक कारखाने

3785. श्री आर० साम्बासिवा राव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या (इनकॉन) भारती ऊर्जा निगम लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश में शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी तेल शोधन परियोजना स्थापित करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका इस परियोजना के एक भाग के रूप में 65 मेगावाट का एक विद्युत संयंत्र लगाने की भी योजना है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी कच्चे तेल शोधन की स्थापित क्षमता कितनी होगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (घ) आंध्र प्रदेश में 100% निर्यातमूलक इकाई योजना के अंतर्गत तेल रिफाइनरी स्थापित करने के लिए मैसर्स इंडियन एनर्जी कारपोरेशन लिमिटेड की ओर से कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन

3786. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) विभिन्न पावर ग्रिडों को उपग्रह से जोड़ने के लिए तकनीकी विवरण तैयार कर रहा है ताकि जिन स्थानों पर खराबी हो, उनके बारे में जानकारी शीघ्र प्राप्त हो जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का ब्यौरा क्या है और विद्युत पारेषण, गुणवत्ता और ग्रिड की स्थिति की निगरानी करने के लिए पावर ग्रिड कारपोरेशन लिमिटेड उपग्रह प्रौद्योगिकी का कब से उपयोग करेगा?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

निजी निवेश

3787. श्री चिन्तामन वानगा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेट्रोलियम उद्योग में निजी निवेश की निगरानी हेतु स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार को अनेक सिफारिशें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

काउन्टर मेग्नेट सिटी

3788. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंतर्गत आज तक प्रस्तावित काउन्टर मेग्नेट सिटी के विकास के लिए क्या सुविधाएं प्रदान की गई है;

(ख) किस प्रकार इसे लागू करने का विचार है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस कार्य पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) और (ख) समाकर्षण शहर (काउण्टर मैगनेट शहर) पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में चुने गये हैं। प्रारम्भ में निवेश हेतु पांच शहर नामतः हिसार, पटियाला, ग्वालियर, कोटा और बरेली चुने गये। सम्बन्धित राज्य सरकारें और इनकी कार्यान्वयन एजेंसियां समेकित योजना तैयार करती हैं जिनके तहत विस्तृत परियोजनाएं बनायी व कार्यान्वित की जाती हैं। इनमें से कुछ परियोजनाओं की संयुक्त रूप में एन०सी०आर० योजना बोर्ड और राज्य सरकारों द्वारा निधिकृत विकास कोष के माध्यम से वित्त व्यवस्था की जाती है जबकि अन्य परियोजनाओं की समग्र रूप से राज्य सरकारों द्वारा वित्त व्यवस्था की जाती है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान समाकर्षण शहरों (काउण्टर मैग्नेट नगरों) के लिए एन०सी०आर० योजना बोर्ड द्वारा 6 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की जा चुकी है।

[अनुवाद]

नेहरू रोजगार योजना

3789. श्री राम नाईक : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान नेहरू रोजगार योजना के अंतर्गत राज्यवार रोजगार के कितने अवसर सृजित किए गए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान नेहरू रोजगार योजना के अंतर्गत

राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए; और

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत शिक्षित रोजगार युवकों द्वारा किन-किन मुख्य योजनाओं का लाभ उठाया गया ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलु) : (क) और (ख) नेहरू रोजगार योजना के तहत वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान निर्धारित लक्ष्यों तथा लघु उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता प्रदत्त लाभार्थियों की संख्या और सृजित श्रम दिवसों की संख्या संबंधी राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण I, II और III में दिए गए हैं।

(ग) नेहरू रोजगार योजना की किसी भी स्कीम में लाभार्थियों के लिए किसी शैक्षिक योग्यता का उल्लेख नहीं है सभी स्कीमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले शहरी गरीबों के लिए खुली हैं।

विवरण-I

नेहरू रोजगार योजना (1994-95)

क्र० सं०	राज्य/संघ प्रदेश का नाम	शहरी लघु उद्यम योजना सहायता प्रदत्त लाभार्थियों की संख्या		शहरी मजदूरी रोजगार योजना उत्पन्न श्रम दिवसों की सं० (लाख रु० में)	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	10050	15510	2.11	1.61
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	40	0.23	0.20
3.	असम	1320	13572	1.46	1.37
4.	बिहार	4450	—	2.74	—
5.	गोवा	75	—	0.08	—
6.	गुजरात	2450	1663	0.88	0.45
7.	हरियाणा	1610	2060	0.62	3.49
8.	हिमाचल प्रदेश	345	—	0.35	—
9.	जम्मू व कश्मीर	400	—	0.40	—
10.	कर्नाटक	4285	14048	2.70	—
11.	केरल	4120	3279	1.20	1.09
12.	मध्य प्रदेश	10770	—	3.05	—
13.	महाराष्ट्र	5360	7435	3.55	1.07
14.	मणिपुर	545	1651	0.42	0.41
15.	मेघालय	—	—	0.08	—
16.	मिजोरम	205	700	0.16	9.67
17.	नागालैंड	—	—	—	—
18.	उड़ीसा	2570	—	1.05	—
19.	पंजाब	3120	2670	1.30	0.91

1	2	3	4	5	6
20.	राजस्थान	5291	9621	2.48	3.04
21.	सिक्किम	27	—	0.10	—
22.	तमिलनाडु	12169	12665	8.30	4.93
23.	त्रिपुरा	265	33	0.16	0.26
24.	उत्तर प्रदेश	26440	35852	9.73	9.71
25.	पश्चिम बंगाल	4814	9042	2.55	12.41
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	251	1	0.05	—
27.	चंडीगढ़	145	21	0.09	0.16
28.	दादरा व नगर हवेली	50	14	0.03	0.01
29.	दमन व दीव	—	—	0.05	—
30.	दिल्ली	830	79	N.A.	—
31.	पांडिचेरी	115	705	0.20	0.06
	योग :	102190	124595	41.12	50.85

विवरण-II

नेहरू रोजगार योजना (1995-96)

क्र० सं०	राज्य/संघ प्रदेश का नाम	शहरी लघु उद्यम योजना सहायता प्रदत्त लाभार्थियों की संख्या		शहरी मजदूरी रोजगार योजना उत्पन्न श्रम दिवसों की सं० (लाख रु० में)	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	10958	5701	2.18	1.95
2.	अरुणाचल प्रदेश	611	—	0.26	1.53
3.	असम	1278	—	1.13	1.36
4.	बिहार	9283	14026	2.80	—
5.	गोवा	111	10	0.09	0.73
6.	गुजरात	4397	1777	1.22	0.78
7.	हरियाणा	1453	1725	0.69	0.02
8.	हिमाचल प्रदेश	667	1334	0.36	0.53
9.	जम्मू व कश्मीर	778	1479	0.45	1.01
10.	कर्नाटक	4332	—	1.38	—

1	2	3	4	5	6
11.	केरल	2981	1282	0.94	0.49
12.	मध्य प्रदेश	9529	16019	3.42	—
13.	महाराष्ट्र	13736	10641	1.81	20.02
14.	मणिपुर	532	—	0.47	—
15.	मेघालय	278	146	0.16	—
16.	मिजोरम	200	40	0.17	—
17.	नागालैंड	—	—	—	—
18.	उड़ीसा	2800	6225	1.08	3.91
19.	पंजाब	1106	2133	1.01	3.08
20.	राजस्थान	4889	9415	2.76	1.93
21.	सिक्किम	260	310	0.13	—
22.	तमिलनाडु	11497	9857	3.72	2.19
23.	त्रिपुरा	167	22	0.17	0.12
24.	उत्तर प्रदेश	22830	24893	7.53	9.69
25.	पश्चिम बंगाल	10938	17567	2.00	5.95
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	112	102	0.03	—
27.	चंडीगढ़	—	135	0.06	0.10
28.	दादरा व नगर हवेली	55	57	0.01	—
29.	दमन व दीव	112	213	0.09	0.25
30.	दिल्ली	800	—	—	—
31.	पांडिचेरी	111	211	0.10	—
	योग :	116807	125308	36.22	54.64

विवरण-III

नेहरू रोजगार योजना (1996-97) दिसंबर 28.2.97 तक)

क्र० सं०	राज्य/संघ प्रदेश का नाम	शहरी लघु उद्यम योजना सहायता प्रदत्त लाभार्थियों की संख्या		शहरी मजदूरी रोजगार योजना उत्पन्न श्रम दिवसों की सं० (लाख रु० में)	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	10958	18315	2.18	1.59
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	813	0.18	1.47

1	2	3	4	5	6
3.	असम	1278	–	1.13	0.80
4.	बिहार	9283	428	2.80	–
5.	गोवा	–	–	0.05	–
6.	गुजरात	–	1292	0.65	0.95
7.	हरियाणा	1211	1609	0.48	–
8.	हिमाचल प्रदेश	667	108	0.36	–
9.	जम्मु व कश्मीर	778	2386	0.31	1.80
10.	कर्नाटक	–	4358	1.48	0.70
11.	केरल	2981	–	0.94	–
12.	मध्य प्रदेश	7944	16581	2.38	0.30
13.	महाराष्ट्र	13736	13441	3.62	–
14.	मणिपुर	444	–	0.33	–
15.	मेघालय	278	1415	0.16	0.11
16.	मिजोरम	167	–	0.12	–
17.	नागालैंड	–	–	–	–
18.	उड़ीसा	–	3408	1.08	1.50
19.	पंजाब	1106	3931	1.01	–
20.	राजस्थान	4889	12140	1.92	1.15
21.	सिक्किम	222	–	0.09	–
22.	तमिलनाडु	11497	26618	2.59	2.52
23.	त्रिपुरा	167	119	0.12	–
24.	उत्तर प्रदेश	19328	15840	7.53	5.12
25.	पश्चिम बंगाल	–	–	2.00	1.99
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	186	328	0.04	0.02
27.	चंडीगढ़	–	64	0.07	–
28.	दादरा व नगर हवेली	–	32	0.02	0.01
29.	दमन व दीव	–	163	0.10	–
30.	दिल्ली	–	518	उ०न०	–
31.	पांडिचेरी	–	616	–	–
	योग :	87120	124521	33.14	19.43

नियम बनाना

3790. श्री गिरिधर गमांग : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य तथा केन्द्रीय सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों में प्रोन्नति के संबंध में नियम और अनुदेश बनाने में विलंब के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार विलम्ब दूर करने का है; और

(ग) केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों को प्रोन्नति में आरक्षण देने के संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देश का क्या ब्यौरा है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रह्मण्यन): (क) और (ख) राज्यों में क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाली सेवाओं में पदोन्नतियों के मामले में, सम्बन्धित राज्य सरकारों के आदेश लागू होते हैं। केन्द्रीय सेवाओं के मामले में, इनमें पदोन्नति के सम्बन्ध में नियमों और अनुदेशों का निर्माण सम्बन्धित संवर्ग प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है। इस सम्बन्ध में सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है।

(ग) राज्यों की सेवाओं में आरक्षण के सम्बन्ध में संबंधित राज्य सेवाओं के आदेश लागू होते हैं। सभी केन्द्रीय मंत्रालय/विभागों को जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों का ब्यौरा निम्न अनुसार है :–

(i) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों को पदोन्नतियों में आरक्षण दिया जाता है।

(ii) जहां वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नति दी जाती है वहां सभी वर्गों में आरक्षण दिया जाता है।

(iii) समूह "क" के सबसे निचले स्तर जहां पदोन्नति, चयन पद्धति द्वारा की जाती है, आरक्षण दिया जाता है।

(iv) समूह 'क" के भीतर, जहां पदोन्नति चयन की पद्धति से की जाती है, किसी तरह का आरक्षण नहीं दिया जाता है, तथापि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार जो इतने वरिष्ट हैं कि ऐसी रिक्तियों की संख्या जिसके लिये चयन पैनल बनाया गया है, के भीतर आते हैं, को अंततः 5700/-रुपये तक के वेतन के पद पर पदोन्नत कर दिया जाता है, बशर्ते कि वे पदोन्नति के लिए अनु-पयुक्त न पाये गये हों।

नौ परमाणु रिएक्टर

3791. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण की निगरानी रिपोर्ट के अनुसार भारत के नौ परमाणु रिएक्टरों पर निर्भर नहीं किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 1998 से परमाणु ऊर्जा के बजट में 708 लाख रुपये की कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या परमाणु ऊर्जा के बजट आवंटन में गिरावट आने के बावजूद इन रिएक्टरों की विश्वसनीयता की जांच की जाती है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ): (क) और (ख) जी, नहीं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण न्यूक्लियर विद्युत रिएक्टरों के प्रचालन को मानीटर नहीं करता है और उनका दर्जा सुरक्षा तथा विश्वसनीयता के आधार पर निर्धारित करता है। देश के न्यूक्लियर विद्युत रिएक्टरों ने वर्ष 1995-96 के दौरान कुल मिलाकर 60% वार्षिक क्षमता गुणक हासिल करते हुए 7982 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया है। वर्ष 1996-97 में फरवरी, 97 के अंत तक बिजली का उत्पादन 66% के क्षमता गुणक के साथ 8166 मिलियन यूनिट था। पूरे वर्ष के लिए इसके 66% वार्षिक क्षमता गुणक के साथ 9000 मिलियन यूनिट से अधिक हो जाने की आशा है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। परमाणु ऊर्जा विभाग का बजट 1997-88 में 1110.09 करोड़ रुपए था। यह बढ़कर 1996-97 में 2098.68 करोड़ रुपए हो गया है।

(ङ) बजटीय आवंटन कुल आवश्यकताओं और सरकार के पास संसाधनों की उपलब्धता के समानुरूप किया जाता है और इसने न्यूक्लियर विद्युत संयंत्रों की विश्वसनीयता पर किसी भी तरह प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला है।

रोजगार गारण्टी योजना के लिए उड़ीसा को धनराशि

3792. श्री के०पी० सिंह देव : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित "रोजगार गारण्टी योजना" के अंतर्गत अब तक कितने जिले शामिल किए गए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान रोजगार गारण्टी योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य को कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) रोजगार गारण्टी योजना के अंतर्गत पूरे राज्य को कब तक शामिल कर लिया जाएगा ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडु) : (क) सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत उड़ीसा के सभी 30 जिलों को शामिल किया गया है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य को सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत जारी की गई केन्द्रीय निधियां निम्नानुसार हैं :

1994-95	7884.00 लाख रु०
1995-96	11460.00 लाख रु०
1996-97	14215.50 लाख रु० (आज की तारीख तक)

(ग) राज्य के शेष सभी ग्रामीण विकास खंडों को 1997-98 के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।

नेटवर्क कम्प्यूटर

3793. श्री सुशील चन्द्र : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के कम्प्यूटर बाजार में नेटवर्क कम्प्यूटर (एनसी) अथवा 'ओरेकल' ने प्रवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो पर्सनल कम्प्यूटर्स, विन्डोज, माइक्रो सॉफ्ट इत्यादि की तुलना में इस प्रौद्योगिकी के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इन दोनों प्रणालियों के संबंध में कोई तुलनात्मक अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) क्या विश्व के कुल सॉफ्टवेयर बाजार में भारत का अंश केवल 0.4 प्रतिशत है; और

(च) यदि हां, तो इस दिशा में विश्व स्तरीय कुशलता का विकास करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

योजना एंव कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) नेटवर्क कम्प्यूटरों की प्रौद्योगिकी तथा इनके विभिन्न अनुप्रयोगों पर इसके प्रभाव अभी भी सामने आ रहे हैं। इन विकास कार्यों की भारत में सावधानीपूर्वक निगरानी की जा रही है। भारत में नेटवर्क कम्प्यूटरों की तुलना में वैयक्तिक कम्प्यूटरों का प्रयोग निकट भविष्य में ऐसी प्रौद्योगिकी तथा अनुप्रयोग विकास एवं मूलसंरचनात्मक सुविधाओं की गति पर निर्भर करेगा तथा बाजार की शक्तियां भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

(ङ) विश्व के समग्र सॉफ्टवेयर बाजार में भारत की भागीदारी का निर्देशात्मक आंकड़ा 0.4 प्रतिशत है। किन्तु, विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर सेवा बाजार में भारत की भागीदारी 11.9 प्रतिशत है।

(च) भारतीय सॉफ्टवेयर के निर्यात में वृद्धि करने के लिए कुशलता के विकास के अनेक उपाय/पहल किए गए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :–

(i) सॉफ्टवेयर व्यवसायविदों की गुणवत्ता एवं मात्रा दोनों में सुधार करने पर जोर देते हुए सरकारी एवं निजी दोनों ही संस्थानों द्वारा सॉफ्टवेयर निपुणता के विकास के लिए विशिष्ट जन शक्ति कार्यक्रम।

(ii) कम्प्यूटर तथा सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में जनशक्ति को प्रशिक्षण देने के लिए निजी क्षेत्र के उद्यमों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त कम्प्यूटर पाठ्यक्रम (डी०आई०- ए०सी०सी०) कार्यक्रम।

(iii) उच्च क्वालिटी सॉफ्टवेयर तथा मानव संसाधन के विकास के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरी तथा प्रणाली इंजीनियरी प्रौद्योगिकियों का संवर्धन।

(iv) सूचना का आदान-प्रदान करने तथा पूरे विश्व में हो रहे प्रौद्योगिकी विकास कार्यों की अद्यतन जानकारी रखने के लिए शिक्षण एवं अनुसंधान नेटवर्क (अर्नेट) के जरिए शैक्षिक तथा अनुसंधान एवं विकास संस्थानों तक पहुंच उपलब्ध कराना।

(v) सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एस०टी०पी०) योजना के जरिए सॉफ्टवेयर निर्यात करने वाले उद्योगों को उच्चगति डेटा संचार सुविधा तथा कुशल सेवाएं उपलब्ध कराना।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन

3794. श्री पवन दीवान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश राज्य में कुल कितने विद्युत केन्द्र/उपकेन्द्र हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और विद्युत केन्द्रवार विद्युत उत्पादन क्षमता में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन विद्युत केन्द्रों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस० वेणुगोपालाचारी) : (क) मध्य प्रदेश में 5 ताप विद्युत केन्द्र तथा 5 जल विद्युत केन्द्र अवस्थित हैं। इनके अतिरिक्त, महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित एक जल विद्युत केन्द्र (पेंच) का भी मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड (एम०पी०ई०बी०) द्वारा प्रचालन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 1470 उच्च दाबीय उप-केन्द्र तथा 1,60,356 वितरण ट्रांसफार्मर उप-केन्द्र हैं।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान एम०पी०इ०बी० के विद्युत केन्द्रों की विद्युत उत्पादन क्षमता में लक्षित वृद्धि की सीमा ब्यौरा निम्नवत है:–

वर्ष	31 मार्च की स्थितिनुसार अधिष्ठापित क्षमता (मे०वा० में)		वर्ष के दौरान क्षमता में वृद्धि
	ताप (म०प्र० का हिस्सा)	जल	
1	2	3	4
1993-94	2967.6	765	(क) 27.3.94 को एस०जी०टी०पी०एस० में 1x210 मे०वा० यूनिट चालू किए जाने के कारण 210 मे०वा० की वृद्धि (ख) 21 मार्च, 1994 को हसदेव बांगों में 1X40 मे०वा० जल विद्युत यूनिट चालू किए जाने के कारण 40 मे०वा० की वृद्धि
1994-95	2967.5	845	21.11.94 और 11.1.95 को हसदेव बांगों में 2X40 मे०वा० जल विद्युत यूनिटों को चालू किए जाने के कारण 80 मे०वा० की वृद्धि।
1995-96	2967.5	845	—

(ग) और (घ) एम०पी०ई०बी० के विद्युत केन्द्रों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के विद्युत केन्द्रों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम

1. **ताप विद्युत केन्द्र :**

एम०पी०एस०ई०बी० द्वारा संजय गांधी ताप विद्युत केन्द्र में 210 मे०वा० प्रत्येक की यूनिट 3 और 4 का निर्माण कार्य किया जा रहा है। यूनिट-3 और 4 को चालू किए जाने का निर्धारित कार्यक्रम क्रमशः जून, 99 और दिसम्बर, 99 है।

इस समय कोरबा पूर्व टी०पी०एस० का चरण-2 (4X40 मे०वा०) 4X40 मे०वा० को ह्रासित क्षमता पर चल रहा है तथा अमरकंटक टी०पी०एस० पर चरण-1 की 30 मे०वा० की ए यूनिट 20 मे०वा० की ह्रासित क्षमता पर चल रही है। यूनिटों की मूल क्षमता को पुनः प्राप्त करने के लिए इन ताप विद्युत केन्द्रों पर क्षतिपूर्ति कार्य किया जा रहा है। उपरोक्त के अलावा, सारनी, कोरबा पश्चिम, कोरबा पूर्व तथा अमरकंटक टी०पी०एस० में इन यूनिटों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य भी किया जा रहा है।

2. **जल विद्युत केन्द्र :**

बाणसागर जल विद्युत परियोजना 2X15 मे०वा०, चरण-2, 3X20 मे०वा०, चरण-3 2X10 मे०वा०, चरण-4 तथा राजघाट जल विद्युत परियोजना 3X15 मे०वा० का निर्माण कार्य एम०पी०एस०ई०बी० द्वारा किया जा रहा है। इन यूनिटों का चालू किए जाने की निर्धारित तिथियां निम्नवत है :—

1. **बाणसागर एच०ई०पी० चरण-2 (2X15 मे०वा०) :**
   1. जुलाई, 2000
   2. अक्तूबर, 2000
2. **बाणसागर एच०ई०पी० चरण-3 (3X20 मे०वा०) :**
   1. यूनिट-1 जुलाई, 99
   2. यूनिट-2 अक्तूबर, 99
   3. यूनिट-3 फरवरी, 2000
3. **बाणसागर एच०ई०पी० चरण-4 (2X10 मे०वा०) :**
   1. जुलाई, 2001
   2. अक्तूबर, 2001
4. **राजघाट एच०ई०पी० (3X15 मे०वा०) :**
   1. यूनिट-1 जुलाई, 98 (अनंतिम)
   2. यूनिट-2 सितंबर, 98
   3. यूनिट-3 नवंबर, 98

इन विद्युत केन्द्रों को चालू किए जाने का कार्यक्रम अनंतिम है तथा बांध के ऊपरी स्तर तक निर्माण किए जाने एवं निधियों की उपलब्धता पर आधारित है।

[अनुवाद]

सरकारी आवास

3795. श्री एन०एन० कृष्णादास : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिंटो रोड़, नई दिल्ली में भारत सरकार मुद्रणालय के कर्मचारियों हेतु विभिन्न श्रेणियों में श्रेणीवार कुल कितने सरकारी आवास हैं;

(ख) क्या भारत सरकार मुद्रणालय, मिंटो रोड़, नई दिल्ली में प्रेस पूल के अंतर्गत टाइप-III के आवासों की भारी कमी है;

(ग) यदि हां, तो क्या संपदा निदेशालय के अंतर्गत सामान्य पूल के टाइप-III आवासों की कमी के कारण दिल्ली में कुछ वर्ष पूर्व बड़ी संख्या में टाइप II का दर्जा बढ़ाकर टाइप III कर दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो क्या टाइप-III के आवासों की कमी को देखते हुए भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड़ के आवासों को भी दर्जा इसी प्रकार बढ़ाया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं तो, इसके कारण हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलु) : श्रेणीवार क्वार्टरों की संख्या :

टाइप-I	–	346
टाइप-II	–	671
टाइप-III	–	124
टाइप-IV	–	52
टाइप-V	–	5
बंगले	–	1
	योग :	1199

(ख) टाइप III के मकानों की कमी है।

(ग) वास के विभिन्न टाइपों के संबंध में कुर्सी क्षेत्र के मापक्रम में संशोधन के परिणामस्वरूप सरोजिनी नगर के टाइप-II रिहायशी वास को पुनः वर्गीकृत किया गया था और उसे बढ़ाकर 1975 में टाइप-III के रूप में कर दिया गया था।

(घ) मिन्टो रोड़ मुद्रणालय के किसी भी इलाके में कोई टाइप-II क्वार्टर बढ़ाकर टाइप-III के रूप में नहीं किया गया।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

उन्नत प्रौद्योगिकी हेतु केन्द्र

3796. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा विभाग के उन्नत प्रौद्योगिकी केन्द्र ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को लेसर्स (लाइट एम्प्लीकेशन बाई स्टिमुलेटिड एमिशन आफ रेडिएशन) चिकित्सीय उपयोग के मूल्याकंन हेतु केन्द्र के रूप में मान्यता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में अन्य आयुर्विज्ञान संस्थानों को ऐसी मान्यता दी है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ): (क) से (ग) परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र ने लेसरों के चिकित्सीय अनुप्रयोग का मूल्यांकन करने के लिए किसी भी संस्थान को मान्यता प्रदान नहीं की है। किन्तु प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र ने लेसरों के चिकित्सीय अनुप्रयोगों में अनुसंधान करने के लिए निम्नलिखित पांच आयुर्विज्ञान संस्थानों को निधि उपलब्ध कराई है :–

1. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली।
2. श्री चित्रा थिरूनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरूवंनथापुरम।
3. सेठ जी०एस० मेडिकल कालेज और के०ई०एम० अस्पताल, मुंबई।
4. चोईथराम अस्पताल और अनुसंधान केन्द्र, इंदौर।
5. विवेकानंद आयुर्विज्ञान संस्थान, कलकत्ता।

इनसे मिले फीड बैंक ने प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र को लेसरों का डिजाइन बेहतर बनाने में मदद की है।

रेवन्यू टावर का निर्माण

3797. श्री ए०सी० जोस : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड ने केरल में थोडूपूझा में रेवन्यू टॉवर के निर्माण का कार्य शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार द्वारा एकतरफा रूप से इस ठेके को निरस्त कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या एन०बी०सी०सी० द्वारा केरल सरकार से क्षतिपूर्ति का दावा करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) रेवन्यू टावर निर्माण का 3.2 करोड़ रुपये की लागत का ठेका एन०बी०सी०सी० को केरल राज्य आवास बोर्ड से नवंबर, 1995 में मिला था, इसमें नींव मण्डल (पाइल फाउंडेशन व आर०सी०सी० ढांचों सहित तहखाना/तलघर युक्त छह मंजिला भवन बनाया जाना है।

(ग) से (ङ) केरल राज्य हाउसिंग बोर्ड के परियोजना प्रबंधक ने एन०बी०सी०सी० से कहा है कि बोर्ड ने एक निर्णय के अनुसार एन०बी०सी०सी० द्वारा अब तक पूरे किए गए निर्माण कार्यों के लिए बिल की अदायगी करके ठेका समाप्त कर दिया जाएगा। एन०बी०सी०सी० ने वर्तमान लेखा बिल के भुगतान के अलावा बरमों आदि पाइ सामग्री (रिंगो) को लगाने व उखाड़ने तथा स्टाफ, कामगरों, मशीनरी आदि के लिए अकार्य अवधि के खर्च की प्रतिपूर्ति का भी दावा किया है।

[हिन्दी]

भूमिहीन कृषकों के लिए भूमि तथा आवास

5798. डा० राम विलास वेदान्ती : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के भूमिहीन कृषकों के लिए भूमि तथा आवास की व्यवस्था करने हेतु निधियों के आवंटन संबंधी राज्य सरकार से प्राप्त कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों के लम्बित होने के क्या कारण हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) से (ग) राज्यों के भूमिहीन किसानों के लिए भूमि एवं आवास की व्यवस्था करने हेतु निधियां आवंटित करने के संबंध में कोई भी प्रस्ताव राज्य सरकारों की तरफ से ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है। अतः विस्तृत ब्यौरे और विलम्ब के कारणों का प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

तेल शोधक कारखाना

5799. डा० प्रवीन चन्द्र शर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि गुवाहाटी के नूरमती तेल शोधक कारखाने से विभिन्न चरणों पर तेल की चोरी होती है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप अब तक कितनी हानि हुई है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस चोरी को रोकने हेतु तुरन्त कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) गुवाहाटी रिफाइनरी के संबंध में तेल चोरी की घटना की रिपोर्ट नहीं की गई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

ग्रामीण भूमि पर अतिक्रमण

5800. श्री मंगल राम प्रेमी : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 मार्च, 1997 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "लॉ एन्फोरसटर्स टर्न आफेंडर्स" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले पर क्या कार्यवाही की गयी है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) से (ग) जी, हां। दिनांक 2.3.97 को हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित संबंधित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है। चूंकि संबंधित गांव में चकबन्दी अधिकारी का आदेश अब दिल्ली के वित्त आयुक्त के पास लम्बित है और उन्होंने आदेश पर रोक लगा दी है और इस संबंध में संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जाना अभी बाकी है। अतः यह मंत्रालय इस विषय पर कोई टिप्पणी करना या निर्णय लेना नहीं चाहता है।

उरि विद्युत परियोजना

5801. श्री अनंत गुढ़े : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 फरवरी, 1997 के "द हिन्दुस्तान टाईम्स" में 2000 करोड़ स्कैंडल इन "उरि पावर प्रोजेक्ट" शीर्ष के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस० वेणुगोपालाचारी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) यह आरोप कि जम्मू व कश्मीर में उड़ी जल विद्युत परियोजना (480 मे०वा०) की लागत में अपयोजन तथा छलयोजना के तथ्यों पर आधारित नहीं है। इस परियोजना को स्वीडन तथा यूनाइटिड किंगडम से द्विपक्षीय वित्तीय सहायता के साथ टर्न-की निष्पादन पर 1632.62 करोड़ रुपये (मार्च, 1989 का मूल्य स्तर) की अनुमानित लागत पर जून, 1989 में स्वीकृत किया गया था। इस परियोजना की पूर्णता अवधि निर्माण कार्य शुरू होने की तारीख से छः वर्ष थी तथा इस

परियोजना को नवम्बर, 1995 तक पूरा किया जाना था लेकिन परियोजना स्थल पर अशान्त स्थितियों के कारण इस परियोजना की पूर्णता में विलम्ब हुआ जिसे अब मई, 1997 में पूरा किए जाने का कार्यक्रम है। अब इस परियोजना की नवीनतम पूर्णता लागत लगभग 3300 करोड़ रुपये है। इस परियोजना की लागत में 1667 करोड़ रुपये की वृद्धि मुख्यतः विनिमय दर परिवर्तन के कारण तथा इस परियोजना की पूर्णता में हुए विलम्ब के कारण अतिरिक्त ब्याज देयता के कारण हुई है। इन दोनों कारणों से लगभग लागत में 80 प्रतिशत वृद्धि हुई है और शेष वृद्धि मूल्य वृद्धि तथा केरों एवं सीमा शुल्क आदि में वृद्धि के कारण हुई है।

केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं हेतु धन

3802. श्री आर०बी० राई : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दार्जिलिंग हिल्स तथा सिलिगुड़ी कारपोरेशन की नगरपालिकाओं हेतु सरकार द्वारा स्वीकृति की गयी केन्द्रीय सहायता वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसमें योजना-वार कितना धन आवंटित किया गया है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) और (ख) ब्यौरे इस प्रकार हैं :–

1. छोटे तथा मझौले कस्बों के समेकित विकास स्कीम (आई०डी०एस० एम०टी०)

आई०डी०एस० एम०टी० स्कीम के तहत छठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी कस्बों को पूरा किया गया था। अनुमोदित परियोजना लागत 113.37 लाख तथा 107.26 लाख रुपये थी, और मुहैया करायी गयी केन्द्र सहायता राशि क्रमशः 47.19 लाख और 52.15 लाख रुपये थी।

2. गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सेवा स्कीम (यू०बी०एस०पी०)

सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल में 28 कस्बों में से एक है जिसका चयन यू०बी०एस०पी० के लिए किया गया। स्कीम के तहत कस्बों की परियोजना को धन-राशि देने के लिए राज्य सरकारों को बड़ा नियतन मुहैया कराया गया। वर्ष 1996-97 के दौरान भारत सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार के लिए 136.45 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई।

3. प्रधान मंत्री का समेकित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (पी०एम०आई० यू०पी०इ०पी०)

प्रधान मंत्री का समेकित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (पी०एम०आई० यू०पी०इ०पी०) नवंबर, 1995 से प्रारंभ किया गया जो दार्जिलिंग कस्बे में लागू है। स्कीम के तहत कस्बों की परियोजना को धन-राशि देने के लिए राज्य सरकारों को बड़ा नियतन मुहैया कराया गया। भारत सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार के लिए वर्ष 1995-96 के दौरान 679.43 लाख रुपये की राशि और वर्ष 1996-97 के दौरान 300.06 लाख रुपये स्वीकृत किये गये।

4. त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए०यू०डब्ल्यू०एस०पी०)

दार्जिलिंग अथवा सिलीगुड़ी के लिए लागू नहीं।

[हिन्दी]

पेट्रोल पम्प

3803. श्रीमती केतकी देवी सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पेट्रोल पम्पों और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिप के आवंटन में महिलाओं को आरक्षण दिए जाने से संबंधित किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ग) सरकार ने, सभी श्रेणियों के अंतर्गत, पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का 30 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया है जो वर्ष 1996-98 की विपणन योजनाओं से प्रभावी होगा।

टिहरी बांध से विस्थापित हुए व्यक्ति

3804. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टिहरी बांध से विस्थापित देहरादून तथा हरिद्वार जिलों में बसने वाले लोगों की स्थिति मूलभूत सुविधाओं, जैसे पेयजल, सिंचाई, स्कूल, जंगली जानवरों से फसलों की रक्षा इत्यादि के अभाव में अत्यंत दयनीय है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस० वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ग) टिहरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए देहरादून और हरिद्वार जिलों में स्थापित पुनर्वास कॉलोनियों में सभी आवश्यक आधारभूत सुविधाएं जैसे पीने और सिंचाई के लिए पानी, बिजली, सड़के एवं नालियां, पंचायत घर तथा समुदाय केन्द्र, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र इत्यादि प्रदान की गई है। पुनः स्थापित जनता के कल्याण के लिए इस तरह की सुविधाओं में संवर्धन करने हेतु समय-समय पर परियोजना प्राधिकारियों द्वारा अतिरिक्त उपाय भी किए जाते हैं। जिसे करते वक्त उनकी व्यवहार्यता, विद्यमान समस्त परिस्थितियां तथा प्रत्येक कॉलोनी की आवश्यकता का ध्यान रखा जाता है जब तक कि इन सुविधाओं का नियंत्रण संबंधित स्थानीय राज्य

सरकार की एजेंसियों द्वारा नहीं ले लिया जाता।

[अनुवाद]

विश्व बैंक की सहायता

3805. श्री गोरधन भाई जावीया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने जलापूर्ति तथा सफाई परियोजनाओं के लिए कोई सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर इसके अंतर्गत कार्य शुरू किया गया है; और

(घ) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) तक एक विवरण संलग्न है।

विवरण

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त जल आपूर्ति और सफाई परियोजना की सूची

क्र० सं०	परियोजना का नाम	सहायता राशि यू०एस०एस०एम०	हस्ताक्षरण की तारीख	समाप्ति तारीख	31.1.97 तक उपयोगता यू०एस०एस०एम०	1.2.97 तक अंत: शेष यू०एस०एस०एम०
1	2	3	4	5	6	7
	आंध्र प्रदेश					
1.	हैदराबाद डब्ल्यू०एस० और एस०पी०	95.29	23.5.90	31.3.98	55.79	39.50
	कर्नाटक					
2.	कर्नाटक आर०डब्ल्यू०एस० और एस०पी०	103.79	4.6.93	31.12.99	17.55	86.24
	उत्तर प्रदेश					
3.	यू०पी० ग्रामीण डब्ल्यू०एस० और एस०पी०	59.60	22.7.96	31.05.02	2.18	57.42
	तमिलनाडु					
4.	द्वितीय मद्रास डब्ल्यू०एस०पी०	275.80	20.11.95	30.06.02	5.99	269.81
	महाराष्ट्र					
5.	महाराष्ट्र आर०डब्ल्यू०एस०पी०	117.28	5.06.91	31.12.97	50.66	66.62
6.	बंबई मल-जल व्ययन परियोजना	192.00	28.12.95	31.12.02	18.40	173.60

ग्रामीण विकास योजना

3806. श्री जयसिंह चौहान : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों ने ग्रामीण विकास संबंधी कई योजनाएं स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार के पास भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इनमें से कितनी परियोजनाओं को मंजूरी मिली है;

(ग) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान ग्रामीण विकास के लिए कोई कार्य योजना तैयार की गई है अथवा किए जाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में जवाहर रोजगार योजना और त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत और केन्द्र द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या विवरण-एक और दो में दी गई है।

(ग) से (ङ) इन परियोजनाओं के लिए कोई कार्य योजना बनाई नहीं जाती है। लेकिन कार्य के पूरा होने की अनुसूची तैयार की जाती है।

विवरण-I

जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान प्राप्त अभिनव परियोजनाओं के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

राज्य	के दौरान प्राप्त परियोजनाओं की संख्या			के दौरान अनुमोदित परि०सं०		
	1993-94	1994-95	1995-96	1993-94	1994-95	1995-96
आन्ध्र प्रदेश	8	4	5	2	1	4
बिहार	4	12	12	2	4	3
गुजरात	—	3	4	—	—	1
हरियाणा	—	3	1	—	—	—
हिमाचल प्रदेश	1	5	—	1	1	—
जम्मू व कश्मीर	2	2	—		1	—
कर्नाटक	15	7	5	4	2	2
केरल	1	6	—	—	—	—
मध्य प्रदेश	4	12	18	3	1	2
महाराष्ट्र	—	5	1	—	2	1
मणिपुर	1	1	—	1	—	—
उड़ीसा	1	3	8	1	—	4
राजस्थान	—	1	—	—	1	—
सिक्किम	1	—	—	1	—	—
तमिलनाडु	8	6	6	2	—	1
त्रिपुरा	—	3	1	—	1	—
उत्तर प्रदेश	6	9	5	3	3	—
प० बंगाल	1	3	—	1	—	—
जोड़	53	85	66	23	17	18

विवरण-II

1994, 1995 और 1996 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के संबंध में प्राप्त और स्वीकृत परियोजनाओं के ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण

राज्य	1994		1995		1996	
	प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	13	13	6	5	5	2
अरुणाचल प्रदेश	4	4	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7
असम	3	3	2	1	1	—
गुजरात	4	4	6	2	—	—
हरियाणा	1	1	2	1	1	—
हिमाचल प्रदेश	—	—	2	2	—	—
जम्मू व कश्मीर	—	—	3	1	—	—
कर्नाटक	1	1	2	2	—	—
केरल	—	—	1	—	2	—
मध्य प्रदेश	6	5	2	1	—	—
मणिपुर	1	1	—	—	—	—
मेघालय	2	2	1	1	1	1
मिजोरम	—	—	—	—	2	1
नागालैंड	—	—	—	—	1	—
उड़ीसा	3	2	7	1	—	—
पंजाब	4	2	5	3	—	—
राजस्थान	4	3	3	3	2	2
सिक्किम	1	1	—	—	—	—
तमिलनाडु	4	4	3	3	—	—
त्रिपुरा	2	2	—	—	—	—
उत्तर प्रदेश	2	2	3	1	—	—
पश्चिम बंगाल	4	2	1	1	—	—
दादरा व नगर हवेली	—	—	—	—	1	1
कुल	59	52	51	28	15	7

[अनुवाद]

सीवर लाइन बिछाने संबंधी कार्य

3807. श्री प्रदीप भट्टाचार्य : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1985 में फ्लैटों के आवंटन से पहले दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मयूर विहार, फेज-II दिल्ली में कुछ सीवर लाइन बिछाने संबंधी कार्य नहीं किया था;

(ख) क्या लोक सभा की याचिका संबंधी समिति के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम के परिक्षीय सीवर-लाइन के शेष कार्य को पूरा करने के लिए मार्च 1995 में एक समझौता किया था;

(ग) यदि हां, तो क्या इस मिति ने दसवीं लोक सभी की 26वीं रिपोर्ट में संबंधित विभाग को परिधीय सीवर-लाइन के लगभग 520 मीटर सीवर-लाइन को अविलंब प्राथमिकता आधार का पूरा करने के भी निर्देश दिए थे;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(ङ) इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) डी०डी०ए० ने बताया है कि झुग्गी झोपड़ी वासियों द्वारा अतिक्रमण के कारण परिधीय सीवर लाइन में केवल एक मुहाना गायब था। तथापि, निवासियों की मुसीबतें दूर करने के लिए अंतर्ग्रस्त प्रबंध किए गए थे।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) दिल्ली जलापूर्ति और मल-जल व्ययन संस्थान ने बताया है कि कार्य के निष्पादन हेतु टेन्डर कार्रवाई पूरी कर ली गयी है और कार्य आवंटित कर दिया गया है। इसके प्रारंभ होने की तारीख से 12 माह के भीतर पूरा हो जाने की उम्मीद है।

सरकारी क्षेत्र की तेल कम्पनियां

3808. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :
श्री विजय कुमार खंडेलवाल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कम्पनियों के विशेषज्ञता प्राप्त कर्मचारी बड़ी संख्या में गैर-सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों में जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र की तेल कम्पनियों के त्याग पत्र दे चुके ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ग) इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) इस स्थिति का सामना करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियमम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

असुरक्षित भवन

3809. श्री तारीक अनवर : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कई भवन असुरक्षित घोषित कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) संबंधित एजेंसियों द्वारा निम्नलिखित 20 भवनों को असुरक्षित घोषित किया गया है :-

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	–	14
नई दिल्ली नगर पालिका	–	4
दिल्ली नगर निगम	–	2

(ग) दिल्ली नगर निगम के बताया है कि भवनों के मालिकों को दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की संगत धारा के तहत नोटिस जारी कर दिए गए हैं। दोनों भवनों के असुरक्षित हिस्से गिरा दिए गए हैं।

नई दिल्ली नगर पालिका ने भी सभी चारों इमारतों के मालिकों की एन०डी०एम०सी० एक्ट 1994 के तहत नोटिस जारी कर दिए हैं। तीन (3) परिसंपत्तियों को पूरी तरह से गिरा दिया गया है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने बताया है कि असुरक्षित घोषित 14 भवनों में से एक भवन को गिरा दिया गया है। शेष भवनों को भी गिराने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गयी है।

उड़ीसा के "ग्रिडको" तथा "एपसेब" के बीच विवाद

3810. श्री बासुदेव आचार्य :
श्री अनिल बसु :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के "ग्रिडको" तथा "एपसेब" के बीच विद्युत आपूर्ति के तौर-तरीकों के बारे में कोई विवाद है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस विवाद को समाप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस० वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ग) पूर्वी क्षेत्र से आन्ध्र प्रदेश को विद्युत अन्तरण 20 फरवरी, 1997 से ग्रिडकों की बालीमेला तथा अपर सिलेस 220 कि०वा० एस/सी के माध्यम से हो रहा है। उड़ीसा तथा आन्ध्र प्रदेश के बीच हुए एक पारस्परिक समझौते के आधार पर 17.5 पैसे प्रति यूनिट का व्हीलिंग प्रभार निर्धारित किया गया है। नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन०टी० पी०सी०) ने भी आन्ध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के साथ पूर्वी क्षेत्र में स्थित इसमें फरक्का, तलचेर तथा कहलगांव केन्द्रों से विद्युत (150 मे०वा०) के अन्तरण के लिए एक समझौता किया है।

[हिन्दी]

कच्ची सड़कों को पक्की सड़कों में बदलना

3811. श्री छत्रपाल सिंह : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश के जिलों में कच्ची सड़कों को पक्की सड़कों में बदलने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो जिले-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश सहित राज्य सरकारों से बारहमासी सड़कों (पक्की सड़कों) से गांव के जुड़े होने, न जोड़े गए गांवों को जोड़ने के लिए वास्तविक और वित्तीय अपेक्षाओं की वर्तमान स्थिति से संबंधित ब्यौरे देने का अनुरोध किया गया है। इस सूचना के मिलते ही इस मामले पर विचार किया जा सकता है।

[अनुवाद]

अलकोहलयुक्त पेय

3812. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी कम्पनियां शीरा रहित अल्कोहलयुक्त पेयों का उत्पादन कर रही हैं और ऐसी प्रत्येक कम्पनी की स्थापित क्षमता कितनी है; और

(ख) उनके अल्कोहलयुक्त उत्पादों का, यदि हां, तो ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) और (ख) देश में सिर्फ गैर शीरा आधारित कच्चे माल से अल्कोहलयुक्त पेयों/प्रारम्भिक अल्कोहल का उत्पादन करने वाली भारत सरकार से लाइसेंस प्राप्त कंपनियां का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

स्पष्ट किया जाता है कि शीरा आधारित अल्कोहल का इस्तेमाल करने वाली कुछ अन्य कंपनियां भी अपने कुछ उत्पाद तैयार करने हेतु गैर शीरायुक्त अल्कोहल का इस्तेमाल करती हैं।

विवरण

क्र०सं०	नाम	लाइसेंसशुदा क्षमता		अनुमोदित कार्य
1.	यूनाइटेड डिस्टिलरस इं० लि०	330	कि०ली०	आई०एम०एफ०एल०/स्थानीय रूप से बोतलबंद स्कॉच
2.	सीग्राम मैन्यूफैक्चरिंग प्रा० लि०	5000	"	गैर शीरा आधारित स्प्रिट
3.	हीरम वाकर इंडिया लिमिटेड	500	"	स्कॉच विसकी/आई०एम०एफ०एल०
4.	वाइट एंड मैके इंडिया (प्रा०) लि०	460	"	स्कॉच विसकी/आई०एम०एफ०एल०
5.	ग्लूवर वाइनयार्ड (प्रा०) लि०	750	"	वाइन/ब्राण्डी
6.	शैम्पेन इंडिया लिमिटेड	562.25	"	स्पार्कलिंग वाइन
7.	साउथ सीज़ डिस्टिलरीज़ एंड ब्रेवरीज प्रा० लि०	10000	"	कंट्री लिक्र/आई०एम०एफ०एल० बनाने के लिए स्प्रिट
8.	सुपरस्टार डिस्टिलरीज़ एंड फूड्स लि०	7500	"	पेय अल्कोहल
9.	अमर अल्कोहली लि०	5000	"	पेय अल्कोहल
10.	ओसेएनिक डिस्टिलरीज़ प्रा० लि०	5000	"	माल्ट स्प्रिट

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

3813. लेफ्टीनेंट जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हाल ही में उत्तर प्रदेश में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के बीच हुए मतदान में भ्रष्ट पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बाला सुब्रह्मण्यन): (क) से (ग) उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने दिनांक 7 मार्च, 1997 के पत्र द्वारा सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश भारतीय प्रशासनिक सेवा एसोसिएशन के अवैतनिक सचिव ने मुख्य सचिव को अर्द्ध शासकीय पत्र भेजा है जिसमें सूचित किया है कि चूंकि किसी भी अधिकारी ने गुप्त मतदान में मतों की विशिष्ट संख्या से अधिक मतदान नहीं किया, अतः 4 अगस्त, 1996 को एसोसिएशन की विशेष बैठक में लिए गए निर्णय की शर्तों के अनुसार किसी के नाम का खुलासा नहीं किया गया।

आगे, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह सूचित किया गया कि एसोसिएशन ने संकल्प किया है कि गुप्त मतदान में उत्तर प्रदेश के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अत्यधिक भ्रष्ट और अवांछनीय अधिकारियों की पहचान के परिणाम मुख्य सचिव को इस अनुरोध के साथ भेजे जाएं कि भारतीय प्रशासनिक

सेवा के उन तीन अधिकारियों, जिन्हें सबसे अधिक मत मिले, के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। एसोसिएशन के उक्त संकल्प पर, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा कानूनी सलाह ली जा रही है। राज्य सरकार द्वारा यह सूचित किया गया है। कि कानूनी सलाह प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा नियमों के अनुसार समुचित कार्रवाई की जाएगी।

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियमावली, 1969 के नियम 7 के अनुसार राज्य सरकार, राज्य से संबंधित कार्य करते समय भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा किए गए किसी भी कदाचार के लिए उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी है। इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार सक्षम प्राधिकारी है।

भूमि से बेदखल लोगों को मुआवजा

3814. **श्री मंगत राम शर्मा :**
श्री गुलाम मोहम्मद मीर मगानी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू-कश्मीर के निवासियों की भूमि के कुछ भू-भाग पर जम्मू-कश्मीर में तैनात सेना और अन्य सैनिक बलों ने कब्जा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन सुरक्षा एजेंसियों द्वारा भूस्वामियों के उनकी जमीन के लिए किराया/मुआवजा नियमित रूप से दिया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) कया भूस्वामियों को दिया जा रहा किराया/मुआवजा मौजूदा बाजार दर से कम है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस किराये/मुआवजे की राशि बढ़ाने के लिए और भूस्वामियों को नियमित रूप से किराये का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बाला सुब्रहमण्यन): (क) से (ङ) राज्य सरकार सेना तथा अर्द्धसैनिक बलों, जो आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी के लिए तैनात किए जाते हैं, को जमीन की व्यवस्था करती है। इसके अलावा, सीमा सुरक्षा संबंधी अपनी संक्रियात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए सेना ने राज्य सरकार से परामर्श करके जमीन पर कब्जा किया है।

इस प्रयोजनार्थ जमीन अर्जित की जाती है/किराये पर ली जाती है/अधिग्रहीत की जाती है जिसके लिए राज्य में मौजूद कानूनी प्रावधनों के अनुसार मुआवजा/किराया अदा किया जाता है।

कश्मीर जेहाद फंड

3815. **श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड़ :**
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 दिसम्बर, 1996, "द ट्रिब्यून" में "फ्राड इन काश्मीर जेहाद फंड" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बाला सुब्रहमण्यन): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) जैसा कि प्रैस रिपोर्ट में उल्लेख है, यूनाईटिड किंगडम में धन एकत्र करने वाले विभिन्न ग्रुपों की गतिविधियों के बारे में समय-समय पर रिपोर्टें मिलती रही हैं, यह धन, जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवादी एवं विध्वंसक क्रियाकलापों के वित्तपोषण हेतु पाकिस्तान तथा पाक अधिकृत कश्मीर से होकर भेजा जाता है। तथापि, इस संबंध में ब्यौरे देना अथवा धन की मात्रा बताना संभव नहीं है। सरकार राजनयिक स्तर पर ऐसी रिपोर्टों और अपनी चिंताओं का अदान-प्रदान नियमित रूप से करती रही है। देश में ऐसे धन के प्रवाह को रोकने और नियंत्रित करने के लिए समस्त सुरक्षा एजेंसियों द्वारा देश के अंदर कड़ी नजर रखी जाती है।

चंडीगढ़ में बिजली कनैक्शन

3816. **श्री सत्य पाल जैन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में और इसके आसपास की विभिन्न श्रमिक कालोनियों में अब तक बिजली कनैक्शन नहीं दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कालोनियों की संख्या कितनी है और इनके नाम क्या हैं;

(ग) क्या विभिन्न न्यायालयों द्वारा इस संबंध में प्राधिकरण को निर्देश दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) ऐसी सभी कालोनियों को कब तक बिजली कनैक्शन प्रदान कर दिए जायेंगे ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस० वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ङ) संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) चंडीगढ़ से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के विभिन्न भागों में 14 श्रमिक बस्तियां स्थित हैं। इन बस्तियों के नाम नीचे दिए गए हैं :—

1. कुम्हार कालोनी
2. जनता कालोनी
3. कालोनी नम्बर-5

4. पलसोरा कलोनी

5. बापूधाम कलोनी, सेक्टर-20

6. लेबर कलोनी, सेक्टर-26

7. लेबर कलोनी, सेक्टर 31

8. ग्वाला कलोनी, नजदीक रेलवे क्रासिंग

9. शहीद भगतसिंह कलोनी, गांव करसन

10. रन्धावा क्लोनी, मनीमाझरा

11. नेहरू कलोनी, कझेरी

12. कुल्दीप कलोनी, सेक्टर-60

13. आदर्श कलोनी, बढेरी

14. पण्डित कलोनी

निम्नलिखित चार बस्तियों के लिए विद्युतीकरण कार्य शुरू कर दिया गया:—

1. कुम्हार कलोनी

2. जनता कलोनी

3. कलोनी नम्बर-5

4. पलसोरा कलोनी

पंजाब एवं हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय ने 30 जून, 1998 तक शेष 10 बस्तियों में बिजली के कनेक्शन मुहैया कराने के लिए दिनांक 22.11.96 को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894

3817. **श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र का भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1984 में संशोधित अधिनियम) कर्नाटक में कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त केन्द्रीय अधिनियम के लागू होने की तारीख से लेकर अभी तक कर्नाटक में इस केन्द्रीय अधिनियम के अंतर्गत जिला-वार कितनी निजी भूमि का अधिग्रहण किया गया है;

(ग) अधिग्रहण की कार्यवाहियां वापस लिए जाने के कारण अभी तक कितनी एकड़ निजी भूमि पार्टियों को वापस की गई है; और

(घ) इन अधिग्रहण कार्यवारियों को वापस लेने के क्या कारण हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरनायडू) : (क) जी हां। भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 को जब अधिनियमित किया गया तो यह समग्र अविभाजित भारत पर लागू था और इसे कर्नाटक सरकार द्वारा पुनः अपनाया गया जब उक्त राज्य का स्वतंत्रता के बाद गठन किया गया।

(ख) से (घ) चूंकि यह अधिनियम 102 वर्षों से कार्यान्वित किया जा रहा है और "क-वर्ग" के रूप में वर्गीकृत कागजातों और दस्तावेजों को भी 30 वर्ष के बाद नष्ट कर दिया जाता है इसलिए इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से लेकर अभी तक कर्नाटक में इस केन्द्रीय अधिनियम के अंतर्गत अधिगृहीत निजी भूमि का जिलावार ब्यौरा देना संभव नहीं है यही बात अधिग्रहण की कार्यवाहियां वापस लेकर अभी तक पार्टियों को वापस की गई निजी भूमि और मामले की संख्या और संबंधित अधिग्रहण कार्यवाहियां वापस लिए जाने के कारणों पर लागू होती है।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

3818. **श्रीमती कृष्णा बोस** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार संसद सदस्य "विद्यालय प्राधिकरण" अथवा न्यास की भूमि पर बने विद्यालय भवनों की मरम्मत, नवीकरण और निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दे सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संसदी सदस्य गैर/सरकारी संगठनों की भूमि पर निर्मित वृद्धि आश्रयस्थल अथवा अनाथालय के निर्माण हेतु गैर-सरकारी संगठनों को सहायता दे सकते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के अलघ): (क) और (ख) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत मरम्मतों तथा नवीकरण संबंधी कार्यों की अनुमति नहीं है; बशर्ते कि वह कार्य किसी स्थायी परिसंपत्ति के अनुरक्षण करने/उसे उन्नत बनाने से संबंधित विशिष्ट प्रकृति का न हो। किसी न्यास और निजी संस्थाओं की भूमि पर विद्यालय भवनों का निर्माण तभी करवाया जा सकता है जब ये संस्थाएं संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों के पैरा 2.6 के अनुसार अपनी उपर्युक्त भूमि सरकार को अभ्यर्पित कर देंगी।

(ग) और (घ) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योज की निधियों में से गैर-सरकारी संगठनों को अपनी भूमि पर वृद्धाश्रमों अथवा अनाथालयों के लिए भवन निर्माण हेतु वित्तीय सहायता दी जाने की अनुमति नहीं है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम तथा राजस्थान के बीच विवाद

3819. **श्री परसराम मेघवाल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान राज्य सरकार तथा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के बीच गैस आधारित विद्युत स्टेशनों के लिए विद्युत शुल्क में कोई विवाद है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस० वेणुगोपालाचारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों को सरकारी आवास

3820. श्री आर०एल०पी० वर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार अति महत्पूर्ण व्यक्तियों/महत्वपूर्ण व्यक्तियों के इलाकों में आवश्यक सेवाओं के अनुरक्षण में रात-दिन कार्यरत केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों से सरकारी आवास खाली कराये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार और अधिक इंजीनियरों को शिफ्ट ड्यूटी में काम करने के लिए भेजने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सी०पी० डब्ल्यू०डी० के इंजीनियरों के लिए पृथक पूल बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा०यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) उच्चतम न्यायालय के दिनांक 23.12.96 के फैसले के अनुसार टाइप-III तथा उससे ऊंची श्रेणी के कुछ आवंटियों को मकान खाली करना होगा जिसमें चौबीसों घंटे वी०वी०आई०पी०/वी०आई०पी० क्षेत्रों में अत्यावश्यक सेवाओं के रख-रखाव से जुड़े केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग इंजीनियर भी शामिल हैं।

(ख) और (ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) और (ङ) इस बारे में आज तक कोई विशेष प्रस्ताव सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

रसोई गैस कनेक्शन

3021. श्री विनय कटियार :
श्री धीरेन्द्र अग्रवाल :
श्री पी०सी० थामस :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत छह माह के दौरान प्रत्येक माह मंत्रालय द्वारा कितने व्यक्तियों को बिना बारी के रसोई गैस कनेक्शन दिए गए ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : गत छः माह (अगस्त, 1996 से जनवरी, 1997 तक) के दौरान जारी किए गए एल०पी०जी० कनेक्शनों की संख्या निम्नवत् है :–

माह	एल०पी०जी० कनेक्शनों की संख्या
अगस्त, 1996	833
सितम्बर, 1996	151
अक्तूबर, 1996	134
नवम्बर, 1996	78
दिसम्बर, 1996	111
जनवरी, 1997	281
	1588

विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति

3822. श्री विजय कुमार खंडेलवाल :
श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :
प्रो० ओमपाल सिंह "निडर" :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :
श्री काशीराम राणा :
श्री बी०एल० शंकर :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय गैर-सरकारी और गैस आधारित परियोजनाओं सहित कितनी विद्युत परियोजनाएं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से स्वीकृति मिलने की प्रतीक्षा कर रही हैं और इनका अलग-अलग राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत और क्षमता क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से संबंधित राज्यों में विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने संबंधी कई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इनमें से किसी परियोजना में किसी अन्य देश की इक्विटी भागीदारी है, और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस० वेणुगोपालाचारी) : (क) से (घ) 31.1.1997 की स्थिति के अनुसार विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

के लिए प्राप्त 13 प्रस्ताव (कुल 632.8 मे०वा० के 5 प्रस्ताव राज्य तथा केन्द्रीय क्षेत्र में तथा कुल 3486 मे०वा० के 8 प्रस्ताव निजी क्षेत्र में) तकनीकी-आर्थिक अनुमोदन देने हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के० वि०प्रा०) में वर्तमान जांच के विभिन्न चरणों में है। इन परियोजनाओं के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इन स्कीमों को के०वि०प्रा० द्वारा तकनीकी आर्थिक अनुमोदन आवश्यक निदेशों/लिंकेज सुनिश्चित करने पर तथा के०वि०प्रा० द्वारा मांगे गए अनिवार्य आंकड़ों/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने पर जिनमें सांविधिक तथा राज्य और केन्द्रीय अधिकरणों, ईंधन तथा अन्य लिंकेज, पर्यावरण संबंधी स्वीकृति सम्मिलित है, प्रस्तुत करने पर प्रदान किया जाएगा।

(ङ) और (च) क्रम सं० 9, 11 व 13 पर प्रस्तावित परियोजनाएं तथा निर्दिष्ट संयुक्त उपक्रम के रूप में स्थापित की जाएंगी।

विवरण

तकनीकी आर्थिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जांचाधीन विद्युत परियोजनाओं की सूची

क्र०सं०	परियोजना का नाम	क्षमता (मे०वा०)	अनुमानित लागत (करोड़ रु० में)
1	2	3	4
	राज्य/केन्द्रीय क्षेत्र योजनाएं (31.1.1997 के अनुसार)		
	जल विद्युत		
	जम्मू और कश्मीर		
1.	उड़ी एच०ई०पी० चरण-2 (फैज-I) (पी०डी०सी०, जम्मू और कश्मीर सरकार) (बारामुला)	4X70 = 280	2234.66
	उत्तर प्रदेश		
2.	धौलीगंगा एच०ई०पी० (इंटरमिडियट) एन०एच०पी०सी०	3X70 = 210	716.60
	मिजोरम		
3.	तुईरियाल एच०ई०पी० (नीपको)	2X30 = 60	335.31
		जोड़ 550	
	ताप विद्युत		
	कर्नाटक		
4.	येलाहंका डी०जी०पी०पी० विस्तार (के०ई०बी०)	2X23.4 = 46.8	149.00
	मणिपुर		
5.	मणिपुर भारी ईंधन तेल टी०पी०एस० (मणिपुर राज्य बिजली विभाग)	6X6 = 36.0	103.66
		जोड़ 82.8	
		कुल जोड़ 632.8	
	जल विद्युत		
	हिमाचल प्रदेश		
6.	मलाना एच०ई०पी० (मै० राजस्थान स्पीनिंग और वीविंग मिल) (कुल्लु)	2X43 = 86	281.89
	उत्तर प्रदेश		
7.	विष्णुप्रयाग एच०ई०पी० (मै०जे०आई०एल०) (चमोली)	4X100 = 400	1683.00
8.	श्रीनगर एच०ई०पी० (मै०डंकन्स इंडस्ट्रिज लि०)	5X66 = 330	1510.05
		जोड़ 816	

1	2	3	4
	ताप विद्युत		
	उत्तर प्रदेश		
9.	रोजा टी०पी०पी० (चरण-1) (मै० इण्डो-गल्फ फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स कार्पो० लि०) (शाहजहांपुर) (मै० पावरजेन पी०एल०सी०)	2X283.5 = 567	2453.27
	गुजरात		
10.	जामनगर टी०पी०पी० (फेज-1) (मै० रिलायंस पावर लि०)	2X250 = 500	2075.29
	मध्य प्रदेश		
11.	बीना टीपीएस (मै० बीना पावर सप्लाई कं० लि०) (मै० ग्रासिम इं०लि०, यू०के०)	2X289 = 578	2406.97
	तमिलनाडु		
12.	तूतीकोरिन टी०पी०पी०-4 (मै० स्पिक इलेक्ट्रिक पावर कापो० लि०)	1X525 = 525	2479.10
	उड़ीसा		
13.	इबुरी टी०पी०पी० (मै० कलिंग पावर कार्पोरेशन) (एन०ई० पावर, यू०एस०ए०)	2X250 = 500	2063.90
		जोड़ 2670	
		कुल जोड़ 3486	

[अनुवाद]

जन्मभूमि कार्यक्रम

3823. डा० एम० जगन्नाथ : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हाल में आंध्र प्रदेश में शुरू किए गए कार्यक्रम की तरह पंचायती राज अधिनियम में जन्मभूमि कार्यक्रम शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जन्मभूमि कार्यक्रम को लागू करने हेतु गांवों को क्या प्रोत्साहन दिए जाने का विचार है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडु) : (क) पंचायती राज संबंधी संविधान (73 वां संशोधन) अधिनियम, 1992 में "जन्मभूमि कार्यक्रम" को शामिल करने का सरकार का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

रसोई गैस की खपत

3824. श्री अमर पाल सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में रसोई गैस की खपत कितनी है;

(ख) इस समय देश में कितनी रसोई गैस एजेंसियां हैं;

(ग) वर्ष 1995 और 1996 के दौरान रसोई गैस की खपत और उत्पादन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) खपत और उत्पादन के बीच अंतर को पाटने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० आर० बालु) : (क) वर्ष 1995-96 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की तेल कंपनियों के उपभोक्ताओं द्वारा देश में एल०पी०जी० की खपत लगभग 3849 टी०एम०टी० थी। तेल अर्थतंत्र बजट के संशोधित अनुमानों के अनुसार 1996-97 के दौरान देश में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की तेल कंपनियों के उपभोक्तओं की एल०पी०जी० मांग लगभग 4290 टी०एम०टी० होने का अनुमान है।

(ख) 1.1.1997 की स्थिति के अनुसार देश में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की तेल कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटरों की कुल संख्या 5355 थी।

(ग) 1994-95 और 1995-96 के दौरान एल०पी०जी० की खपत और उत्पादन को नीचे दर्शाया गया है :–

वर्ष	उत्पादन टी०एम०टी०	खपत टी०एम०टी०
1994-95	2858	3434
1995-96 (अनंतिम)	3253	3849

(घ) ऐसा अनुमान है कि रिफाइनरियों और गैस प्रभाजनों से एल० पी०जी० की उपलब्धता, जो 1995-96 में 3.253 एम०एम०टी० है, वर्ष 2001-02 तक बढ़कर 6.873 एम०एम०टी० हो जाएगी। स्वदेशी स्रोतों से उपर्युक्त उपलब्धता, नए स्रोत के आरम्भ होने और कुछ विद्यमान स्रोतों के विस्तार से प्राप्त होने का अनुमान है। देश में एल०पी०जी० के आयात में वृद्धि करने के लिए मंगलौर और कांडला में 600-600 टी०एम०टी०ए० की क्षमता वाली नई एल०पी०जी० आयात सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। देश में एल०पी०जी० की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए 1993 से एल०पी०जी० के समानांतर विपणन की अनुमति दे दी गई है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और निजी पक्षकार दोनों ही एल०पी०जी० के आयात के लिए नए एल०पी०जी० टर्मिनलों की स्थापना कर रहे हैं।

महाराष्ट्र में कस्बों का विकास

3825. श्री अन्नासाहिब एम०के० पाटिल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में समेकित विकास हेतु अनुमोदन के लिए कोई परियोजनाएं प्रस्तुत की हैं;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृत की गई, कार्यान्वित की जा रही ऐसी परियोजना का ब्यौरा क्या है तथा उनके लंबित पड़े रहने के कारण क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत परियोजना-वार उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता और दर्शायी गई उपलब्धियों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) महाराष्ट्र को चालू वर्ष के दौरान स्वीकृत की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है और अब तक कितनी धनराशि दी गई है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा०यू० वेंकटेश्वरलु) : (क) छोटे और मझौले कस्बों के एकीकृत विकास (आई०डी०एस०एम०टी०) की संशोधित केन्द्र प्रवर्तित स्कीम के तहत जो विभिन्न शर्त्तों सहित महाराष्ट्र में भी प्रचालन में है, परियोजनाएं, राज्य स्तरीय अनुमोदन समितियों द्वारा स्वीकृत की जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान नीचे दिये गये ब्यौरों के अनुसार आई०डी०एस०एम०टी० के तहत महाराष्ट्र सरकार को 1148.50 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई :

(I)	1995-96 के दौरान आई०डी०एस०एम०टी० के तहत शामिल किए जाने वाले अतिरिक्त 33 कस्बों को जारी की गई धनराशि	843.50
(II)	पूर्ववर्ती वर्षों में आई०डी०एस०एम०टी० के तहत शामिल किए जाने वाले 19 कस्बों में चालू परियोजनाओं हेतु जारी धनराशि	305.00
	योग :	1148.50

उपर्युक्त (I) और (II) के संबंध में राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जारी केन्द्रीय सहायता और व्यय के राज्यवार ब्यौरे क्रमशः विवरण-I और II में हैं।

(घ) 1996-97 के दौरान (17.3.97 तक) आई०डी०एस०एम०टी० स्कीम के तहत महाराष्ट्र सरकार के लिए कोई केन्द्रीय सहायता स्वीकृत नहीं की गयी।

विवरण-I

नई परियोजनाओं के लिए गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र सरकार को आई०डी०एस०एम०टी० स्कीम के तहत जारी केन्द्रीय सहायता

1995-94 (लाख रुपये में)

क्र० सं०	कस्बे का नाम	स्वीकृति परियोजना लागत	जारी केन्द्रीय सहायता	सूचित व्यय (सितंबर, 1996 तक
1	2	3	4	5
1.	संगमानेर	175.640	22.00	25.040
2.	सांगली	826.410	40.00	27.060
3.	धूले	892.000	40.00	उ०न०
4.	मुखेड	105.510	12.00	6.349
5.	पचौरा	258.400	24.00	उ०न०
6.	वरोरा	200.00	24.00	52.106
7.	भुसावल	901.420	53.00	106.110
8.	देगलूर	200.000	24.00	32.864
9.	गांधीगसज	195.650	23.00	11.722
10.	परधूर	200.00	24.00	37.961
	उप योग	3955.030	286.00	292.212

1	2	3	4	5
1994-95				
1.	बसमतनगर	116.220	21.00	5.397
2.	वीटा	100.580	18.00	10.232
3.	मानवत	83.960	15.00	26.020
4.	महद	120.360	18.00	20.478
5.	कागल	87.660	16.00	0.879
6.	औसा	129.790	23.00	17.916
7.	धोधीचा-वारवेड	193.000	35.00	7.852
8.	जियोराय	200.000	36.00	25.925
9.	सामतवाड़ी	120.00	21.50	21.070
10.	मुर्तिजापुर	192.150	31.50	5.226
11.	शेगांव	149.870	27.00	11.443
12.	परोला	260.430	36.00	10.134
13.	तुमसर	142.670	14.00	3.444
14.	अलीबाग	102.720	8.00	2.490
15.	पुलगांव	244.820	14.00	2.246
16.	डमरेड	202.820	14.00	14.314
17.	बैजापुरा	200.000	14.00	0.194
	उप योग	2646.95	362.50	182.255
1995-96				
1.	इचलकारंजी	500.00	70.00	4.698
2.	वै	204.120	30.00	उ०न०
3.	अंजनगांव सुरजी	212.020	30.00	2.193
4.	मेहकार	204.900	30.00	21.620
5.	कलम्ब	102.110	16.00	उ०न०
6.	दरयापुर	128.810	19.00	उ०न०
	उप योग	1441.96	195.00	28.506

विवरण-II

पूर्ववर्ती वर्षों में स्वीकृत कस्बों में चालू परियोजनाओं के लिए गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र सरकार को आई०डी०एस०एम०टी० के तहत जारी केन्द्रीय सहायता

(लाख रुपये में)

क्र० सं०	कस्बे का नाम	स्वीकृति परि-योजना लागत	जारी केन्द्रीय सहायता	(सूचित व्यय) सितंबर, 95 तक
1993-94				
1.	मल्कापुर	99.00	15.00	56.98
2.	नन्दूरवार	110.62	15.00	73.28
	उप योग	209.62	30.00	130.24
1994-95				
1.	बीड़	165.47	6.00	109.30
2.	चन्द्रपुर	96.49	10.25	67.57
3.	पैथन	121.14	20.00	30.49
4.	कोपरगांव	128.83	35.00	89.11
	उप योग	511.93	71.25	296.47
1995-96				
1.	चिपलुन	79.49	8.75	57.20
2.	अचलपुर	92.87	20.00	50.87
3.	जलगांव	861.68	40.00	140.89
4.	श्रीरामपुर	363.69	50.00	50.78
5.	श्रीपुर (वारवेडा)	141.50	20.00	42.48
6.	लातूर	660.38	40.00	43.63
7.	फलटन	133.13	25.00	27.07
	उप योग	2332.74	203.75	412.92

पेट्रोल पम्प

3826. श्री महेन्द्र सिंह भाटी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में तेल कम्पनियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कितने पेट्रोल पम्प चलाए जा रहे हैं;

(ख) 1995 और 1996 के दौरान इन कम्पनियों को हुए लाभ और हानि के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए इन कम्पनियों द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) राजस्थान में किसी तेल कंपनी द्वारा सीधे चलाया जाने वाला कोई खुदरा बिक्री केन्द्र नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) खुदरा बिक्री केन्द्रों के डीलरों को पेय जल, मुफ्त, हवा, प्रसाधन सुविधा जैसी बुनियादी मूलभूत सुविधाएं ग्राहकों को उपलब्ध कराने के अनुदेश दिए गए हैं। संतोषजनक सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए और कमियों के मामले में उपचारात्मक कार्रवाई के लिए तेल कम्पनियों के अधिकारियों द्वारा आवधिक निरीक्षण किए जाते हैं।

कच्चे तेल का उत्पादन

3827. श्री के०एस० रायुडू : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के कृष्णा बेसिन में रव्वा अपतटीय क्षेत्र में कच्चे तेल, का उत्पादन फरवरी, 1997 में ठप्प हो गया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्थानीय ग्रामीणों की मांगों को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाने हेतु क्या कार्रवाई की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी, हां। उत्पादन 7.2.1997 और 10.2.1997 के बीच निलंबित रहा।

(ख) चूंकि स्थानीय जनता द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन के कारण राव्वा टर्मिनल तक निर्बाध रूप से नहीं पहुंचा जा सका इसलिए उत्पादन निलंबित कर दिया गया था।

(ग) स्थानीय समुदाय के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए संयुक्त उद्यम ठेकेदार निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है:–

(1) पीने के पानी की टोंटी

(2) स्थानीय स्कूल के लिए अध्यापक

(3) चिकित्सा सुविधा और आपातकालीन सहायता।

इसके अतिरिक्त ठेकेदार कंपनियों ने कतिपय अल्पावधिक योजनाएं भी तैयार की जिनमें उक्त क्षेत्र में कुछेक सड़कों की मरम्मत और उनको उन्नत बनाया, "समर रिजर्वायर" पूरा करना, स्थानीय लोगों को आवश्यकता आधारित रोजगार अवसर उपलब्ध कराना आदि शामिल है।

कायमकुलम विद्युत परियोजना

3828. श्री टी० गोविन्दन :
प्रो० पी०जे० कुरियन :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कयामकुलम विद्युत परियोजना इस समय किस चरण में है;

(ख) क्या इस परियोजना के विद्युत खरीद के संबंध में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम तथा केरल सरकार ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस परियोजना के लिए विश्व बैंक से कितने ऋण की मांग की गई है और कब तक कितना ऋण प्राप्त हुआ है; और

(ङ) इस संबंध में विश्व बैंक की शर्तें क्या हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस० वेणुगोपालाचारी) : (क) केरल में कायमकुलम संयुक्त साईकिल विद्युत परियोजना (400 मेगावाट) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन०टी०पी०सी०) द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। परियोजना के लिए प्रमुख संयंत्र टर्न-की संविदा सितम्बर, 1996 में मैसर्स भार हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड (भेल) को प्रदान की गई जिन्होंने भूमि तैयार करने का कार्य आरंभ कर दिया है।

(ख) और (ग) एन०टी०पी०सी० और केरल राज्य बिजली बोर्ड (के०एस०ई०बी०) ने कायमकुलम् संयुक्त साईकिल विद्युत परियोजना से केरल को विद्युत की आपूर्ति करने के लिए जनवरी, 1995 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं :

1. समस्त विद्युत की केरल को आपूर्ति करने की परिकल्पना की गई है।

2. इस विद्युत केन्द्र से आपूर्ति की जाने वाली विद्युत हेतु टैरिफ का निर्धारण भारत सरकार द्वारा विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 की धारा 43 क के अंतर्गत किया जाएगा।

3. विद्युत क्रय करार कुछ सुरक्षा-उपाय प्रदान करता है जैसे के०एस०ई०बी० द्वारा भुगतान में चूक किए जाने के मामले में परियोजना से विद्युत की आपूर्ति का पुनः आवंटन बंद करना/कमी करना सहित एक समर्पित राज्य सरकार गारंटी समेत साख-पत्र खोलना।

4. यह पी०पी०ए० विद्युत केन्द्र की अंतिम यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से पांच वर्ष पूरे होने तक प्रचालनात्मक रहेगा जिसमें पारस्परिक विस्तार, नवीकरण अथवा प्रतिस्थापन का भी प्रावधान होगा।

(घ) और (ङ) यह परियोजना विश्व बैंक से 400 मिलियन अमरीकी डालर के प्रथम किस्त के सुलभ ऋण के अंतर्गत वित्तपोषित की जाएगी। अनुमानतः सांविधिक ऋण की प्रथम किस्त तथा उसके पश्चात की किस्तों

में से इस परियोजना हेतु 250 मिलियन अमरीकी डालर (778 करोड़ रुपयों के बराबर) की राशि का समुपयोजन होने की संभावना है। इस परियोजना के लिए विश्व बैंक से फरवरी, 1997 के अंत तक 18.67 मिलियन अमरीकी डालर लिए गए हैं। यह एन०टी०पी०सी० को प्रत्यक्ष ऋण है। मूल राशि 20 वर्ष की अवधि में वापिस कर दी जाएगी जिसमें बैंक की मानकीय परिवर्तनशील ब्याज दर पर 5 वर्ष की छूट शामिल है।

[हिन्दी]

आदर्श गांव

3829. **श्री दिनेश चन्द्र यादव :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में आदर्श गांवों के लिए चुने गए गांवों की जिलावार संख्या क्या है;

(ख) आदर्श गांव योजना के अंतर्गत गांवों का पता लगाने के लिए क्या मानदंड और प्राथामिकताएं निर्धारित की गई हैं;

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे और इस संबंध में अभी तक की उपलब्धि क्या रही; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा अलग-अलग कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू वेरन्नायडु) : (क) से (घ) भाग (क) से (घ) के संबंध में बिहार सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

विद्युत शुल्क/राज्य विद्युत बोर्ड

3830. **श्री प्रमोद महाजन :**
श्री तारीक अनवर :
श्री सनत कुमार मंडल :
श्री ए०सी० जोस :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए मूल रूप से न्यूनतम शुल्क लगाने हेतु, राजय सरकार को मार्गनिदेश जारी किए हैं और अन्य क्षेत्रों के लिए शुल्क में संशोधन किया है ताकि राज्य विद्युत बोर्ड व्यावसायिक तौर पर कार्य कर सके और राज सहायता समाप्त कर दी जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) राज्य बिजली बोर्डों में प्लांट लोड फैक्टर में सुधार लाने, विद्युत बोर्डों की पुनः संरचना और पुनर्गठन करने तथा विद्युत क्षेत्र में निजी भागीदारी से बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस० वेणुगोपालाचारी) : (क) जी, हां।

(ख) 16 अक्तूबर, 1996 तथा 9 दिसम्बर, 1996 को हुए मुख्य-मंत्रियों के सम्मेलन में निर्णीत विद्युत हेतु न्यूनतम सांझा राष्ट्रीय कार्य योजना में अन्य बातों के साथ-साथ ये सिफारिशें भी की गई हैं :–

टैरिफ निर्धारण के लिए प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र में राज्य विद्युत नियामक आयोग की स्थापना, कोई भी क्षेत्र आपूर्ति की लागत से 50% तक कम अदा नहीं करेगा, कृषि टैरिफ 50 पैसे प्रति कि०वा० घं० से कम न हो तथा टैरिफ को अधिक से अधिक 3 वर्षों में औरत लागत के 50% तक लाया जाए, राज्य विद्युत नियामक आयोग की सिफारिशें सत्ता सम्पन्न होने के कारण तथा इसके द्वारा संस्तुत टैरिफ से विचलन पर राज्य सरकार/संघ-शासित सरकार को राज्य/संघ-शासित क्षेत्र के बजट से इस प्रकार के विचलन के लिए होने वाली वित्तीय हानि की प्रतिपूर्ति करनी होगी तथा राज्यों द्वारा टैरिफ संगतीकरण के क्रियान्वयन को बढ़ावा देने तथा सुलभ करने के लिए प्रोत्साहन तथा दण्ड संबंधी एक पैकेज।

(ग) विद्युत क्षेत्र न्यूनतम साझा राष्ट्रीय कार्य योजना को अन्तिम रूप राज्यों के मुख्य-मंत्रियों के साथ हुई बैठक में आम-सहमति के परिणामस्वरूप दिया गया है।

(घ) कार्य योजना ने राज्य विद्युत बोर्डों को स्वायत्तताप्रदान करने, वाणिज्यिक आधार कार्यकरण हेतु राज्य विद्युत बोर्डों की पुर्नसंरचना तथा निगमन, राज्य विद्युत बोर्डों की प्रबंधन कार्य-प्रणाली में सुधार, ताप विद्युत केन्द्रों के संयंत्रभार गुणांक में सुधार समेत विभिन्न भौतिक प्राचलों में सुधार तथा उत्पादन, संचारण एवं वितरण में निजी क्षेत्र भागीदारी को बढ़ावा देने की भी सिफारिशें की गई हैं।

वायु प्रदूषण

3831. **श्री वी० प्रदीप देव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में तेल उद्योग की मौजूदा प्रसंस्करण इकाइयों/नई परियोजनाओं में पर्यावरण के दृष्टिकोण से किए गए सुरक्षापायों पर सरकार को कितनी अतिरिक्त धनराशि खर्च करनी पड़ी;

(ख) ताजमहल को मथुरा तेल शोधक कारखाने के प्रदूषण से बचाने के लिए आगरा के निवासियों की सुविधाएं प्रदान करने सहित वायु प्रदूषण कम करने संबंधी विभिन्न योजनाओं पर ही गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि खर्च की है;

(घ) सरकार का मथुरा तेलशोधक कारखाने से सल्फ्यूरियस उत्सर्जन के विपरीत प्रभावों को कम करने हेतु हाइड्रोक्लोकर सुविधा प्रदान करने

पर कितनी धनराशि व्यय करने का विचार है; और

(घ) इस प्रक्रिया के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

रोजगार

3832. श्री राधा मोहन सिंह :
डा० रमेश चन्द्र तोमर :
छी देवी बक्स सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1997-98 के दौरान रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलु) : (क) से (ग) देश में दो केन्द्र प्रवर्तित शहरी रोजगार योजनाएं नामतः नेहरू रोजगार योजना और प्रधान मंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाई जा रही हैं।

नेहरू रोजगार योजना : अनुमानित आबंटन के आधार पर शहरी लघु उद्यम स्कीम के तहत 1.52 लाख लाभार्थियों को सहायता दिए जाने की संभावना है। 1996-97 के दौरान 28.2.97 तक शहरी लघु उद्यम योजना के तहत 1.19 लाख लाभार्थियों को सहायता दी गयी है।

प्रधानमंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम : नवंबर 1995 में शुरू किया गया। इस कार्यक्रम में 50,000 से 1,00,000 के बीच की आबादी वाले छोटे शहरी समूहों में शहरी गरीबी की समस्याओं को हल करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक स्थिति के प्रति बहुआयामी, पूरे शहर और एकीकृत अवधारण का प्रावधान है। लघु उद्यम लगातार शहर के बेरोजगार और अर्धरोजगार-शुदा गरीब व्यक्तियों के लिए स्वरोजगार का प्रावधान कार्यक्रम के कई घटकों में से एक हैं।

अधिकतर राज्य घर-घर सर्वे, स्थानिक मानचित्रण, आवश्यकता मूल्यांकन, परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, सामुदायिक ढांचों का निर्माण जैसे कार्यान्वयन कार्यक्रम प्रारंभिक स्तरों में है।

राज्य सरकारों द्वारा दी गयी सूचनाओं के अनुसार स्वरोजगार के तहत करीब 20775 आवेदन बैंकों को भेजे गए हैं जिनमें से 9080 मामले मंजूर किए जा चुके हैं।

महाराष्ट्र में विद्युत परियोजनाएं

3833. श्री दत्ता मेघे :
श्री कचरू भाऊ राउत :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय महाराष्ट्र में कार्यरत विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इनमें परियोजनावार कितना विद्युत उत्पादन किया गया;

(ख) "सेंट्रल पावर ग्रिड" और अन्य परियोजनाओं द्वारा राज्य को विद्युत की कितनी मात्रा में आपूर्ति की जा रही है;

(ग) कितनी परियोजनाएं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के विचाराधीन हैं;

(घ) इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद विद्युत का अनुमानतः कितनी मात्रा में उत्पादन होने की संभावना है; और

(ङ) राज्य को विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस० वेणुगोपालाचारी) : (क) वर्तमान में महाराष्ट्र में चल रही विद्युत परियोजनाओं और वर्ष 1993-94 से 1995-96 के दौरान प्रत्येक परियोजना द्वारा उत्पादित विद्युत की मात्रा का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षेत्र के केन्द्रों से महाराष्ट्र द्वारा की गई निकासी तथा उसकी हकदारी नीचे दी गई है :—

	हकदारी (मि०यू०)	वास्तविक निकासी (मि०यू०)
1993-94	7925.1	6668.1
1994-95	8184.9	6524.6
1995-96	10197.6	8996.6

महाराष्ट्र ने वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान उत्तरी क्षेत्र से क्रमशः 96 मि०यू० और 52.0 मि०यू० की सहायता प्राप्त की है।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र में स्वीकृत/निर्माणाधीन 9 जल विद्युत और ताप विद्युत परियोजनाओं की कुल क्षमता 9075 मे०वा० है।

(ङ) महाराष्ट्र में विद्युत की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए किए जा रहे उपायों में नई विद्युत उत्पादन क्षमता को चालू करने में तीव्रता लाना, विद्यमान क्षमता से उत्पादन अधिकतम करना, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करना, प्रभावी भार प्रबंधन एवं ऊर्जा संरक्षण उपाय करना, पड़ोसी राज्य प्रणाली से विद्युत की व्यवस्था करना, और विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागेदारी को प्रोत्साहन प्रदान करना आदि शामिल है।

विवरण

महाराष्ट्र में केन्द्र वार विद्युत उत्पादन

(मि०यू० में)

केन्द्र का नाम	1993-94	1994-95	1995-96
ताप विद्युत			
नासिक	5051	5157	5045
कोराडी	6260	5679	6277
परोन	278	198	202
भुसावल	2538	2883	2599
परली	3184	3501	3287
चन्द्रपुर	7816	8865	11270
खापरखेड़ा-2	2849	3087	2549
उरान जी०टी०	1727	3665	4872
जल विद्युत			
कोयना	3413	3951	2757
कोयना बांध	185	185	69
वेतराना	120	269	113
पैथॉन	33	40	13
तिल्लारी	146	157	81
भीरा टेल	109	83	72
बंडारधर	28	2	0
भटसू	53	40	33
लघु जल विद्युत	209	226	98
ट्राम्बे	5691	6340	7353
ट्राम्बे जी०टी०	184	677	1466
ट्राम्बे (एच)	1430	1334	1191
तारापुर ए०पी०एस०	1821	1517	1552
धानू (बी०एस०ई०एस०)	0	15	1222

बाढ़ प्रभावित जनजातीय लोग

3834. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार के जनजातीय लोगों के कर्ज में दबे होने और बाढ़ से प्रभावित होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा उन्हें गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी धनराशि प्रदान की गई है और किन एजेंसियों ने यह धनराशि प्रदान की है; और

(घ) सहायता राशि प्रदान करने की प्रक्रिया में बिचौलिया प्रणाली को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

नगरपालिकाओं की स्थापना

3835. श्री एस०पी० जायसवाल :

श्री सोहन वीर सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कार्यरत महानगर पालिकाओं तथा नगर पालिकाओं का जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ और नई नगर पालिकाओं के गठन करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) नई नगरपालिकाऐं कब तक गठित कर किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलु) : (क) उत्तर प्रदेश की महानगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं के जिला-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(ख) और (ग) दो नगर पंचायतों अर्थात लोग (जिला-गाजियाबाद) तथा सिसवा बाजार (जिला-गोरखपुर) को नगर परिषद बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(घ) लोनी नगर पंचायत को नगर परिषद में बदलने के प्रस्ताव पर माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश (स्टे आर्डर) जारी कर दिया हैं अतः स्थान आदेश खारिज होने बाद ही उसे नगर परिषद में बदला जा सकेगा। सिसवा बाजार नगर पंचायत को नगर परिषद में बदलने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

I. महानगर पालिकायें (कुल 11)

क्रम सं०	महानगर पालिका (नगर निगम) का नाम
1.	आगरा
2.	अलीगढ़
3.	इलाहाबाद
4.	कानपुर
5.	गाजियाबाद
6.	गोरखपुर
7.	कानपुर
8.	लखनऊ
9.	मेरठ
10.	मुरादाबाद
11.	वाराणसी

II. नगर पालिका परिषद (कुल) 226

जिले का नाम	क्रम सं०	नगर पालिका (नगर परिषद) का नाम
1	2	3
आगरा	1.	अछनेरा
	2.	बाह
	3.	एतमादपुर
	4.	फतेहपुर सीकरी
अलीगढ़	5.	शाहाबाद
	6.	अतरौली
	7.	हाथरस
	8.	खैर
	9.	सिकन्दरा राऊ
अल्मोड़ा	10.	अलमोड़ा
	11.	बागेश्वर
आजमगढ़	12.	आजमगढ़
	13.	मुबारकपुर
बाराबंकी	14.	बाराबंकी
	15.	रूदौली
बस्ती	16.	बस्ती
	17.	खलीलाबाद
बलिया	18.	बलिया
	19.	रसरा
भदोही	20.	भदोही
	21.	गोपीगंज
बिजनौर	22.	अफजलगढ़
	23.	बिजनौर
	24.	चांदपुर
	25.	धामपुर
	26.	हलदौर
	27.	कीरतपुर
	28.	नजीबाबाद
	29.	नगीना
	30.	नेहतार
	31.	नरपुर
	32.	शेरकोट
	33.	सिवहारा
बुलंदशहर	34.	अनुपशहर
	35.	बुलंदशहर
	36.	डिबाई
	37.	गुलावठी
	38.	जहांगीराबाद
	39.	खुर्जा
	40.	सियाना
	41.	शिकारपुर
	42.	सिकन्दराबाद
बदायूँ	43.	बिसौली
	44.	बिलसी
	45.	बदायूं
	46.	ककरौला
	47.	सहसवान
	48.	उझयानी

1	2	3
बरेली	49.	आवंला
	50.	बहेड़ी
	51.	फरीदपुर
	52.	नबाबगंज
बांदा	53.	अटरा
	54.	बांदा
	55.	चित्रकूटधाम
बहराइच	56.	बहराइच
	57.	नानवाड़ा
चमोली	58.	गोपेश्वर
देहरादून	59.	जोशीमठ
	60.	देहरादून
	61.	मसूरी
	62.	ऋषिकेश
	63.	विकासनगर
देवरिया	64.	देवरिया
	65.	गौरा बेराज
	66.	अलीगंज
	67.	एटा
	68.	गंज डुंडवारा
	69.	जलेसर
	70.	कासगंज
	71.	सोरों
	72.	मारहरा
इटावा	73.	औरिया
	74.	भर्थना
	75.	इटावा
	76.	जसवंतनगर
फैजाबाद	77.	अकबरपुर
	78.	अयोध्या
	79.	फैजाबाद
	80.	जलालपुर
	81.	टांडा

1	2	3
फीरोजाबाद	82.	फीरोजाबाद
	83.	शिकोहाबाद
	84.	सिरसागंज
	85.	टूंडला
फरूखाबाद	86.	छिबरामऊ
	87.	फरूखाबाद
	88.	गुरूसहायगंज
	89.	कन्नौज
	90.	कायम गंज
फतेहपुर	91.	बिदकी
	92.	फतेहपुर
गाजियाबाद	93.	दादरी
	94.	गढ़मुक्तेश्वर
	95.	हापुड़
	96.	मुरादनगर
	97.	मोदीनगर
	98.	पिलखवा
गाजीपुर	99.	गाजीपुर
	100.	जामनियां
	101.	मोहम्मदाबाद
गोंडा	102.	बलरामपुर
	103.	कर्नलगंज
	104.	गोंडा
	105.	नबावगंज
	106.	अतरालुआ
हरिद्वार	107.	हरिद्वार
	108.	मगलौर
	109.	रूड़की
हरदोई	110.	बिलगराम
	111.	हरदोई
	112.	मालवान
	113.	पिहानी
	114.	साहबाद
	115.	सन्दिला
	116.	सान्दी

1	2	3
हमीरपुर व महोबा	117.	चरखारी
	118.	हमीरपुर
	119.	महोबा
	120.	मोदाहा
	121.	राठ
जालौन	122.	जालौन
	123.	कौंच
	124.	काल्पी
झांसी	125.	उरई
	126.	बारोसागर
	127.	चिरगांव
	128.	गुरसराय
	129.	झांसी
	130.	मऊरानीपुर
	131.	सामठार
जौनपुर	132.	जौनपुर
	133.	मांगरा बादशाहपुर
	134.	शाहगंज
कानपुर देहात	135.	बिल्हौर
	136.	घाटमपुर
	137.	पुखरायन
खेरी	138.	गोलागोकरान नाथ
	139.	लखीमपुर
	140.	मोहम्मदी
	141.	पालिया कलां
ललितपुर	142.	ललितपुर
मथुरा	143.	कोसी कला
	144.	मथुरा
	145.	वृंदावन
मऊ	146.	मीनाठ भंजन
महाराजगंज	147.	नौतानवा
	148.	महाराजगंज
मिर्जापुर	149.	अहरौरा
	150.	चुनार
	151.	मिर्जापुर विंध्याचल
मुरादाबाद	152.	अमरोहा
	153.	बहराऊ
	154.	यारजोई
	155.	बिलाड़ी
	156.	चंदोसी
	157.	धनौरा
	158.	हसनपुर
	159.	संभल
	160.	ठाकुराद्वारा
मुजफ्फरनगर	161.	कैराना
	162.	खटौली
	163.	बांधला
	164.	मुजफ्फरनगर
	165.	शामली
मेरठ	166.	बड़ौत
	167.	धाथमत
	168.	मवाना
	169.	सरधना
मैनपुरी	170.	मैनपुरी
नैनीताल	171.	बाजपुर
	172.	धुंवाली
	173.	गदरपुर
	174.	हल्द्वानी
	175.	जसपुर
	176.	काशीपुर
	177.	किच्छा
	178.	खटीमा
	179.	नैनीताल
	180.	रुद्रपुर
	181.	रामनगर
	182.	सितारगंज
	183.	टनकपुर

1	2	3
पौड़ी	184.	डोगड्डा
	185.	कोटद्वार
	186.	पौड़ी
	187.	श्रीनगर
पिथौरागढ़	188.	पिथौरागढ़
पीलीभीत	189.	विसालपुर
	190.	पीलीभीत
	191.	पूरनपुर
प्रतापगढ़	192.	बेला प्रतापगढ़
पड़रौना	193.	पड़रौना
रामपुर	194.	बिलासपुर
	195.	मिलाक
	196.	रामपुर
	197.	सौर
	198.	टॉडा
रायबरेली	199.	जायस
	200.	रायबरेली
सहारनपुर	201.	देवबन्द
	202.	गगोह
	203.	नाकूर
	204.	सहारनपुर
	205.	सरसावण
शाहजहांपुर	206.	जलालाबाद
	207.	शाहजहापुर
	208.	तिलहार
सीतापुर	209.	बिसवान
	210.	खैराबाद
	211.	लाहरपुर
	212.	महमोदाबाद
	213.	मिसरिख नीमसर
	214.	सीतापुर
सिद्धार्थनगर	215.	बंसी
	216.	तेनरी बाजार
सोनभद्र	217.	रावर्टसगंज
सुल्तानपुर	218.	सुल्तानपुर
टेहरी	219.	नरेन्द्र नगर
	220.	टिहरी
उन्नाव	221.	बांगरमऊ
	222.	गंगा घाट
	223.	उन्नाव
उत्तरकाशी	224.	उत्तरकाशी
वाराणसी	225.	मुगलसराय
	226.	रामनगर

सम्पर्क मार्ग

3836. **श्री रामशकल :**
श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव :

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश के सभी गांवों को विशेष रूप से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या वनों में स्थित गांवों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने में वन विभाग द्वारा बाधाएं पैदा की जा रही हैं;

(ग) वनों में स्थित गांवों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने के लिए सरकार की क्या नीति है; और

(घ) इस संबंध में अब तक प्राप्त की गई उपलब्धि क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) से (घ) सम्पर्क सड़कों के जरिए सभी श्रेणियों के गांवों को जोड़ना राज्य का विषय है। इस उद्देश्य के लिए निधियां राज्य सरकारों द्वारा उनकी वार्षिक योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान की जाती है। ऐसा अनुमान है कि 31 मार्च, 1996 तक 1000 या इससे अधिक जनसंख्या वाले 85.7 प्रतिशत गांवों को ग्रामीण सम्पर्क सड़कों से जोड़ दिया गया है। गांवों को सम्पर्क सड़कों से जोड़ने के लिए वर्तमान में कोई केन्द्रीय योजना नहीं है।

विकास परियोजनाओं का क्रियान्वयन

3837. **डा० बलिराम :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक उत्तर प्रदेश के विभिन्न कस्बों और नगरों में कार्यान्वित विभिन्न विकास परियोजनाओं के नाम तथा उनके लिए खर्च की गई धनराशि का स्थानवार अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन परियोजनाओं के निर्धारित अवधि में पूरा हो जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलु) : (क) लघु तथा मझोले नगरों के एकीकृत विकास की स्कीम के अधीन राज्यों में शहरी विकास परियोजनाएं आरंभ की जाती हैं। लघु तथा मझोले नगरों के एकीकृत विकास की स्कीम के अधीन विभिन्न शहरों तथा कस्बों में कार्यान्वित की जा रही परियोजना में शामिल हैं :– स्थल विकास तथा सेवाएं, सड़कें, नालियां, बाजार तथा शापिंग कम्पलेक्स, बस अड्डे सड़क प्रकाश आदि। गत तीन वर्षों के दौरान लघु तथा मझोले नगरों के एकीकृत विकास की स्कीम के अधीन आरंभ की गई परियोजनाओं पर किए गए खर्च का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। तथापि, जैसा उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया है, इस स्कीम के आरंभ होने से दिसम्बर, 1996 तक कुल खर्च लगभग 28 करोड़ रु० हुआ है। जिन नगरों में लघु तथा मझोले नगरों की एकीकृत विकास की स्कीमें आरंभ की गई हैं तथा 1995-96 के अवधि के दौरान वर्षवार जारी की गई केन्द्रीय सहायता को ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) गत तीन वर्षों अर्थात् 1993-96 (आठवीं योजना) के दौरान लघु तथा मझोले नगरों के एकीकृत विकास की स्कीम के अधीन आरंभ की गई परियोजनाएं की आठवीं योजना के समाप्त होने से पहले पूर्ण होने की संभावना नहीं है। इसका कारण परियोजनाओं के निष्पादन में विलम्ब तथा संस्थागत धन प्राप्त न होना है, जो कि लघु तथा मझोले नगरों के एकीकृत विकास की स्कीम के विद्यमान दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजना लागत का 20% से 40% है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान लघु तथा मझोले नगरों के एकीकृत विकास की स्कीम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में शामिल नगरों के लिए अनुमोदित परियोजना लागत तथा जारी की गई केंद्रीय सहायता का ब्यौरा

(रु० लाख में)

क्र० सं०	नगर का नाम तथा वर्ष	अनुमोदित परियोजना लागत	जारी केन्द्रीय सहायता
1	2	3	4
1993-94			
1.	पिलखुआ	500.00	40.00
2.	थाना भवन	136.87	16.00
3.	कोटद्वार	118.87	14.00
4.	मंढाला	100.67	12.00
5.	सिरसागंज	119.65	15.00
1994-95			
6.	बस्ती	498.20	40.00
7.	फिरोजाबाद	366.13	33.00
8.	बड़ौत	300.00	36.00
9.	रामपुर	392.20	35.00
10.	बुधना	192.20	15.00
1995-96			
11.	अकबरपुर	204.10	22.50
12.	फर्रुखाबाद-फतेहगढ़	283.27	21.00
13.	तन्दा	179.19	21.00
14.	गोला गोकरनाथ	334.14	22.50
15.	खलीलाबाद	166.46	18.00
16.	उरौला	186.29	21.00
17.	हरिद्वार	670.44	53.00
18.	मुरादनगर	218.88	22.50
19.	दादरी	172.75	20.00
20.	लोनी	198.30	22.50
21.	मुरादाबाद	766.27	66.00
		योग :	566.00

[अनुवाद]

आवास के लिए परियोजनाएं

3858. श्री पी०सी० थामस : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामीण निर्धनों के लिए आवास हेतु शुरू की गई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का क्रियान्वयन योजनानुसार नहीं हो रहा है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं।

(ख) उपयोग की गई/व्ययगत धनराशि तथा योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्वैच्छिक एजेंसियों के जरिए इन योजनाओं का कार्यकरण निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप सफल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) इंदिरा आवास योजना ग्रामीण गरीबों के लिए एक आवास योजना है, जिसे मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) गत वित्तीय वर्ष अर्थात् 1995-96 के दौरान कुल निधि (केन्द्र + राज्य अंश) का आबंटन 1368.34 करोड़ रुपए था जिसके मुकाबले 1166.36 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया था। इस अवधि के दौरान निर्मित आवासों की कुल संख्या 863889 थी। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

1995-96

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आंवटित निधियां	उपयोग की गई धनराशि		निर्मित आवास (लाख रुपये में)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	10955.26	6317.95	87642	69086
2.	अरुणाचल प्रदेश	99.64	56.00	797	420
3.	असम	3194.94	3381.70	25560	24871
4.	बिहार	21349.01	19168.71	217292	114506
5.	गोआ	107.65	31.51	861	967
6.	गुजरात	4312.61	3669.26	34501	31770
7.	हरियाणा	1355.79	1233.81	10846	9024
8.	हिमाचल प्रदेश	342.06	244.55	2736	1727
9.	जम्मू कश्मीर	1320.09	543.04	10561	3554
10.	कर्नाटक	6516.66	5812.80	52133	37460
11.	केरल	2370.85	4864.14	24624	29368
12.	मध्य प्रदेश	14172.99	11807.75	113384	125757
13.	महाराष्ट्र	11330.08	10606.35	89776	66668
14.	मणिपुर	127.70	141.18	1022	784
15.	मेघालय	149.43	30.01	1195	207
16.	मिजोरम	62.95	87.68	504	569
17.	नागालैंड	160.16	74.26	1281	470
18.	उड़ीसा	7873.25	7494.88	62986	51033
19.	पंजाब	608.36	96.50	7047	1121

1	2	3	4	5	6
20.	राजस्थान	6359.36	4701.44	50875	41756
21.	सिक्किम	208.31	163.76	1491	1065
22.	तमिलनाडु	9335.31	14998.41	74205	56885
23.	त्रिपुरा	165.86	144.77	1527	1348
24.	उत्तर प्रदेश	25500.18	17039.77	204003	159073
25.	पश्चिम बंगाल	8697.34	4468.87	69579	34278
26.	अण्डमान और निकोबार	47.17	15.98	377	21
27.	दा०न० हवेली	25.61	1.19	205	13
28.	दमण व द्वीव	15.08	9.25	121	62
29.	लक्षद्वीव	23.65	5.18	189	10
30.	पांडिचेरी	46.18	25.74	369	36
	कुल :	136834.33	116636.44	1147489	863889

सेंट्रल हीटिंग सिस्टम

3839. **श्री पी० नामग्याल** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसे नये आविष्कार के बारे में जानकारी है जिससे विद्युत संवाहक कंक्रीट मिश्रण के द्वारा इस प्रकार के भवनों का निर्माण संभव है जिनका उपयोग खुफिया गतिविधियों को निष्फल करने तथा "सेंट्रल हीटिंग सिस्टम" उपलब्ध कराने में दिया जा सकता है;

(ख) क्या इस नयी तकनीक के आविष्कार से भवनों मे कम खर्चीले "सेंट्रल हीटिंग सिस्टम" उपलब्ध कराने के आलावा जम्मू-कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश जैसे बर्फीले स्थानों में हवाई पट्टियों तथा पुलों से वर्फ हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त प्रौद्योगिकी को खरीदने अथवा इसके आविष्कारक नामतः ब्रिटेन के रोनाल्ड बैनेट के सहयोग से जम्मू-कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश की जलवायु में आगे शोध और परीक्षण करने का है ताकि अस्पतालों, कार्यालयों आवासीय भवनों तथा विमान पत्तनों आदि को सर्दियों के मौसम के दौरान गरम रखने के संबंध में स्थाई समाधान खोजा जा सके; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ): (क) जी, हां।

(ख) ऐसा दावा किया गया है कि नये आविष्कार में ठंडी जलवायु वाली जगहों पर भवनों के केन्द्रीय तापन-प्रणाली में अनुप्रयोग तथा हवाईपट्टियों, पुलों इत्यादि पर जमी बर्फ को पिघलाने की क्षमता विद्यमान है।

(ग) और (घ) इस प्रौद्योगिकी के बारे में जो मौजूदा ब्यौरे उपलब्ध हैं वे इतने पर्याप्त नहीं हैं कि सरकार प्रौद्योगिकी को खरीदने अथवा उसमें सहयोगात्मक अनुसंधान शुरू करने के बारे में विचार कर सके।

फार्म हाऊस

3840. **श्री आई०डी० स्वामी** : क्या प्रधान मंत्री "दिल्ली में फार्म हाऊस" के बारे में 4 दिसम्बर, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1790 और 1822 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मांगी गई सूचना एकत्र की ली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) लोक सभा को भेजा गया ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

11वीं लोक सभा का तृतीय सत्र, 1996 शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय

पूर्ति की तारीख 3.3.97

संख्या व तारीख तथा संदस्य का नाम	विषय	दिया गया आश्वासन	कब और कैसे पूरा किया गया	देरी के कारण
सर्व/श्री आई०डी० स्वामी का दिनांक 4.12.96 का अतारांकित प्रश्न संख्या 1822	दिल्ली में फार्म हाऊस पूछा गया कि :— (क) क्या दिल्ली नगर निगम द्वारा दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 343 और 344 के अंतर्गत दिल्ली में फार्म हाऊस के निर्माण के लिए निर्धारित मानदंडों के उलंघन के बाकी 184 मामलों में कोई कार्रवाई की गयी हैं और (ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ?	(क) व (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है एवं सभा पटल पर रख दी जायेगी।	(क) व (ख : जी, हां। एक मामले में नजफगढ़ जोन में फार्म हाऊस को गिरा दिया गया है। बाकि 183 मामलों में दिल्ली नगर निगम अधिनियम, की धारा 343 और 344 तथा निर्माण उप नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। इन ढांचों को नियमानुसार गिराया जायेगा।	आश्वासन को निर्धारित अवधि में पूरा नहीं किया जा सका क्योंकि सूचना दिल्ली नगर निगम से प्रतिक्षित थी।
श्री संदीपाल घोरात का दिनांक 4.12.96 का अतारांकित प्रश्न संख्या 1790	**फर्म्स हाउस** पूछा गया कि (क) बाहरी दिल्ली में फार्म हाऊसों के निर्माण के संबंध में क्या नीति है और अभी तक कितने फार्म हाऊसों का निर्माण किया गया है; (ख) क्या फार्म हाऊसों में और इनके बाहर निर्माण कार्य को अप्राधिकृत घोषित कर दिया गया है और इन्हें गिरा दिया है; और (ग) यदि हां, तो बाहरी दिल्ली में कुल कितने अप्राधिकृत निर्माण किए गए हैं और वास्तव में कुल कितने अवैध निर्माणों को गिराया गया है ?	(क), (ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।	(क) बाहरी दिल्ली में फार्म हाऊसों के निर्माण के बाबत नीति संलग्न है। बाहरी दिल्ली में 579 फार्म हाउस आबाद हैं। (ख) जी, हां। कुछ मामलों में अक्षम्य उल्लंघन देखे गए हैं तथा इनके विरुद्ध दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 343 तथा 344 के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। (ग) नजफगढ़ तथा नरेला क्षेत्र में 10 अनधिकृत निर्मित फार्म हाऊस देखे गए जिनमें से नजफगढ़ जोन का एक फार्म तोड़ दिया गया है तथा शेष मामलों में दिल्ली नगर निगम अधिनियम और भवन-निर्माण उप-नियमों के अनुसार कार्रवाई आरंभ की गई है।	पूर्ति की तारीख14.3.97 आश्वासन निर्धारित अवधि के दौरान पूरा नहीं किया जा सका क्योंकि सूचना दिल्ली नगर निगम से अपेक्षित थी।

फार्म हाऊसों बाबत नीति

फार्म हाऊस ग्रामीण इलाके में बनाने की अनुमति है, जहां भूमि का उपयोग मास्टर प्लाइन-2001 के अनुसार हरी-भरी खेती के लिए होता है। फार्म हाऊसों में रिहाइश निर्माण के लिए निम्नलिखित मानक रखे गए हैं :–

1. फार्म बिल्डिंग का आकार, विस्तार व ऊंचाई इस प्रकार होगी :–

क्र०सं०	फार्म आकार	रिहाइश हेतु अधिकतम फर्शी क्षेत्र	रिहाइशी मकानों की अधिकतम ऊंचाई
क.	1 हैक्टर या अधिक किन्तु 2 हैक्टर से कम	100 वर्ग मीटर	एक मंजिला, अधिकतम ऊंचाई 6 मी०
ख.	2 हैक्टर व अधिक	150 वर्ग मीटर	एक मंजिला, अधिकतम ऊंचाई 6 मी०

2. रिहायशी वास फार्म हाउस की चारदीवारी से 15 मीटर अंदर होना चाहिए।

3. जहां संपत्ति शहरी सड़क से सटी हुई हो, वहां रिहायशी भवन उस सड़क की मध्य रेखा से 60 मीटर दूर हो तथा जहां संपत्ति ग्रामीण सड़क से सटी हो वहां भवन उस सड़क की मध्य रेखा से 30 मीटर दूर हो।

4. पहुंच-मार्ग सराय-आम होना चाहिए, जिसकी कम से कम 12 फुट चौड़ाई पक्की डागर की हो।

5. जहां पहुंच मार्ग एक से अधिक फार्म हाउस के काम आता हो, वहां न्यूनतम मार्गाधिकार 18.2 मीटर (60 फुट) होगा।

6. विभाग की नीति के अनुसार, ग्रामीण सड़क से भिन्न सड़कों, का मार्गाधिकार 60 फुट ग्रामीण सड़क का मार्गाधिकार 100 फुट रखा गया है, जिसमें सड़क के दोनों ओर बराबर की चौड़ाई रखी गयी है। जहां सड़क का मार्गाधिकार स्पष्ट दर्शाया गया हो, वहां उसको नहीं बनाये रखना सुनिश्चित होना चाहिए।

7 किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग के मार्गाधिकार से 400 मीटर के दायरे में कोई रिहायशी मकान नहीं होनी चाहिए।

8. भूमिगत तल (बेसमेंट) की अनुमति अधिक से अधिक भूतल क्षेत्रफल तक होगी।

9. फार्म बिल्डिंग के विभिन्न घटकों के लिए वही निर्माण कोटियां अपनायी जायेंगी, जिनका रिहायशी भवनों के उप-नियमों (बिल्डिंग बाडलॉज) में उल्लेख है।

कैसे आवेदन करें :

फार्म हाउस बनाने के लिए आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए :–

1. भूस्वामित्व के सबूत के रूप में तेल डीह, आकाश सजरा, जमाबन्दी, खसरा, गिरदावरी आदि।

2. अगर अनुरोध मोजूदा भवन के विस्तार या बदलाव के लिए है, तो विद्यमान ढांचों बाबत सबूत और उनकी पूर्णता की तारीख का सबूत।

3. भवन सामग्री का सार्वजनिक भूमि/राड़क पर चट्टा न लगाने के बारे में शपथ-पत्र को परिशिष्ट-एफ में विहत प्रोफार्मा में हो।

4. विहित प्रपत्र में आवेदन।

5. पर्यवेक्षी एजेंसियों से लिया गया प्रमाण-पत्र।

6. सड़क/सड़कों के मार्गाधिकार के अन्दर आने वाली जमीन को सौंपने के बारे में 2/-रुपये के नॉन-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर, परिशिष्ट-एच के अनुसार, शपथ-पत्र।

7. यदि मार्गाधिकार के अन्दर आने वाली जमीन को निकाल देने के बाद, शेष क्षेत्रफल न्यूनतम अपेक्षा से कम रह जाता है, तो सड़के के मार्गाधिकार में प्रभावित क्षेत्र, मंजूरी जारी होने से पूर्व, दिल्ली नगर निगम को मुफ्त सौंपना अपेक्षित होगा।

8. यदि संबंधित गांव में चकबन्दी हो रही है, तो इमारती नक्शों की मंजूरी के लिए चकबन्दी अधिकारी से लिए गया अनापत्ति प्रामण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

9. दिल्ली प्रशासन से इस आशय का प्रमाण-पत्र भी लेकर प्रस्तुत करना होगा कि संदर्भगत भूमि अधिग्रहण में नहीं है।

क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला का आधुनिकीकण

3841. श्री उद्धव बर्मन : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आर०आर०एल० (क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला) जोरहाट के आधुनिकीकरण की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राजय मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ): (क) से (ग) जी हां। सी०एस०आई०आर० ने अपनी प्रयोगशालाओं को आधुनिक बनाने की योजना बनाई है जिसमें जोरहाट स्थित क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (आर०आर०एल०) भी शामिल है। सरकार ने इन प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण के लिए वर्ष 1997-98 हेतु सी०एस० आई०आर० को 50 करोड़ रुपए आबंटित किए हैं।

गैस की खोज

3842. डा० रामकृष्ण कुसमरिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1997-98 के दौरान राजस्थान में गैस की खोज हेतु नए क्षेत्रों में शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) वर्ष 1997-98 के दौरान राजस्थान में किए जा रहे भूकंपीय सर्वेक्षण ओ०एन०जी०सी० द्वारा जारी रखे जाने हैं ? अन्वेषणात्मक स्थान सादेवाला और उत्तरी बांकिया/जैसे क्षेत्रों में उपलब्ध हैं, जहां ओ०एन०जी०सी० द्वारा गैस की खोज की गई है। ओ०आई०एल० ने भी अपने विद्यमान क्षेत्रों में 5000 मीटर अन्वेषणात्मक वेधन करने की योजना बनाई है।

इसके अतिरिक्त राजस्थान में तेल और गैस के अन्वेषण के लिए निजी/बहुराष्ट्रीय कंपनियों को निम्नलिखित ब्लाक भी प्रदान कर दिए गए हैं: –

ब्लाक	परिसंघों का नाम
आर०जे०-ओ०एन०-90/1	शैल इंटरनेशनल प्रोडक्शन डेवलपमेंट बी०व० नीदरलैंड्स
आर०जे०-ओ०एन०-90/4	एस्सार आयल लिमिटेड, भारत
आर०जे०-ओ०एन०-90/5	एस्सार आयल लिमिटेड, भारत
आर०जे०-ओ०एन०-/6	फीनिक्स ओवरसीज लिमिटेड, भारत
आर०जे०-ओ०एन०जे०-90/1	रिलायंस इंडस्ट्रीज लि०, भारत
जे०एम०-ओ०एन०जे०-1	यूरोपियन साफ्टवेयर एलाएंस लिमिटेड, भारत और ओकलैंड इंटरनेशनल, एल०डी०सी०, यू०एस०ए०।

[हिन्दी]

पन विद्युत उत्पादन

3843. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चिखलिया :
श्रीमती शीला गौतम :
श्री नारायण अठावले :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय पन विद्युत निगम में अपनी प्राधिकृत पूंजी को 1000 करोड़ रुपये तक बढ़ाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इससे राष्ट्रीय पन विद्युत निगम को नई परियोजनाएं शुरू करने में किस हद तक सहायता मिलेगी।

(ग) राष्ट्रीय पन विद्युत निगम द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की जाने वाली परियोजनाओं का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान पन विद्युत क्षेत्र में कितने मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादन का अनुमान है; और

(ङ) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें 1995-96 और 1996-97 के दौरान तकनीकी और आर्थिक मंजूरी मिल गई हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस० वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ग) जी, हां। नेशनल हाइड्रो-इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एन०एच० पी०सी०) की प्राधिकृत पूंजी में 2500 करोड़ से 3500 करोड़ रुपये की वृद्धि से इसे अपनी निर्माणाधीन परियोजनाओं अर्थात् उड़ी (480 मे०वा०), दुलहस्ती (390 मे०वा०), रंगित (60 मे०वा०) तथा धोलीगंगा (280 मे०वा०) के वित्त पोषण में सामर्थ्यता मिलेगी। नई परियोजनाओं को हाथ में लेने के लिए एन०एच०पी०सी० को अपनी प्राधिकृत शेयर पूंजी को और बढ़ाना होगा जबकि नौवीं योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। एन०एच०पी०सी० की निम्नलिखित स्वीकृत/निर्माणाधीन परियोजनाएं नौवीं योजना में प्रचालन के लिए कार्यक्रमित हैं :–

क्रम सं०	परियोजना	स्थल	क्षमता	प्रचालन के लिए अनुसूचित तारीख
1.	उड़ी	जम्मू एवं	4X120 = 480 मे०वा०	3 यूनिटें 1996-97 में प्रचालित की जानी है तथा 120 की एक यूनिट 1997-98 में।
2.	दुलहस्ती	जम्मू एवं कश्मीर	3X130 = 390 मे०वा०	2001
3.	रंगित	सिक्किम	3X20 = 60 मे०वा०	1998-99

इसके अलावा उत्तर प्रदेश में धोलीगंगा परियोजना (280 मे०वा०) 10वीं० योजना में प्रचालन के लिए अनुसूचित है। एन०एच०पी०सी० के साथ निधियों की कमी के कारण बिहार में कोयला-कारो परियोजना (710 मे०वा०) के कार्य अभी शुरू नहीं किए जा सके हैं।

(घ) नौवीं योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि, नौवीं योजना के दौरान जल-विद्युत क्षेत्र में अतिरिक्त क्षमता परियोजना की तैयारी, वित्तीय संसाधन उपलभ्यता आदि जैसे विभिन्न घटकों पर आश्रित है।

(ङ) जल विद्युत परियोजनाएं जिन्हें 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान तकनीकी-आर्थिक अनुमोदन प्राप्त हो गया है के ब्यौरे निम्नवत हैं :–

1995-96 — शून्य

1996-97:

क्र०सं०	परियोजना	राज्य	क्षमता (मे०वा०)	निष्पादन अभिकरण	अनुमानित लागत
1.	अदिरापल्ली	केरल	2X80 = 160	कर्नाटक राज्य विद्युत बोर्ड	150.16 करोड़ रुपये
2.	महेश्वर (निजी)	मध्य प्रदेश	10X40 = 400	श्री महेश्वर पावर कारपोरेशन लि०	213.29 मिलियन अमरीकी डालर+612.09 करोड़ रुपये

सूरत लिग्नाइट ताप विद्युत परियोजना

3844. श्री काशीराम राणा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूरत लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र के अध्ययन के लिए समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस० वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कारपोरेशन लिमि० द्वारा सूरत लिग्नाइट ताप विद्युत परियोजना (2x125) की स्थापना किए जाने हेतु 26.8.1996 को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी है।

[अनुवाद]

ऊर्जा बचाने वाले पम्पसेट

3845. श्री संदीपान थोरात : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा बचाने वाले सिंचाई पम्पसेटों में सुधार हेतु कोई त्वरित कार्यक्रम" तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय देश में राज्यवार ऐसे कुल कितने पम्पसेट लगाए गए हैं और कितने कार्यरत है;

(घ) चालू वित्तीय वप के दौरान राज्यवार उन पम्पसेटों का ब्यौरा क्या है जिन्हें इस योजना के अंतर्गत लगाये जाने की आवश्यकता है और इस पर कितनी धनराशि खर्च होगी; और

(ङ) इस कार्यक्रम को शुरू करने से ऊर्जा की कितनी मात्रा में बचत होने की संभावना है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस० वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख) देश में अधिक कार्यक्षम कृषीय पम्पसैटों के उपयोग के माध्यम से ऊर्जा बचत शक्यता के दोहन की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार कृषीय पम्पसैटों के आशोधन के कार्यक्रम में राज्यों को सहयोग दे रही है। इस कार्यक्रम में राज्यों को सहयोग दे रही है। इस कार्यक्रम के तहत, कृषीय पम्पसैटों के आशोधन हेतु प्रदर्श परियोजनाओं के हाथ में लेने के लिए परियोजना लागत के 50% तक वित्तीय सहायता के अलावा, किसानों तथा प्रवर्तक अभिकरणों के बीच ऊर्जा कार्यक्षम पम्पन प्रणाली प्रतिष्ठापित करने के बारे में जागरूकता अभियान को भी चलाया जा रहा है।

(ग) तथा (घ) ऊर्जित विद्युत सिंचाई पम्पसैटों के राज्यवार ब्यौरे, जिनमें से अधिकांश को इस स्कीम के तहत लिया जा सकता है, संलग्न विवरण में दिए गए हैं। देश में लगभग 1.4 लाख पम्पसैटों के आशोधन पर अभी तक लगभग 16.2 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। चालू वर्ष के दौरान आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा तथा गुजरात में 26,800 पम्पसेटों के आशोधन हेतु स्कीमें क्रियान्वयनाधीन हैं जिनके लिए सरकार द्वारा 149 लाख रुपये के कुल योगदान की संस्वीकृति दी गई है।

(ङ) कुछ राज्यों/क्षेत्रों में किए गए मूल्यांकनों के अध्ययनों से पता चलता है कि पंपसेटों के आशोधन के माध्यम से ऊर्जा की बचत लगभग 20% से 30% तक होगी।

विवरण

31.1.97 तक अर्जित विद्युत कृषि पम्प सेटों के राज्यवार ब्यौरे

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1/97 के अंत तक कुल उपलब्धियां
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1737046 (ख)
2.	अरुणाचल प्रदेश	
3.	असम	3675
4.	बिहार	268342 (क)
5.	गोवा	5972
6.	गुजरात	586384
7.	हरियाणा	408196

1	2	3
8.	हिमाचल प्रदेश	4699
9.	जम्मू और कश्मीर	5088 (ग)
10.	कर्नाटक	1037998
11.	केरल	311659
12.	मध्य प्रदेश	1158754
13.	महाराष्ट्र	2074617
14.	मणिपुर	45
15.	मेघालय	65
16.	मिजोरम	—
17.	नागलैंड	176
18.	उड़ीसा	69649
19.	पंजाब	722708
20.	राजस्थान	538459
21.	सिक्किम	—
22.	तमिलनाडु	1556666
23.	त्रिपुरा	1764
24.	उत्तर प्रदेश	772191
25.	पश्चिम बंगाल	102307
	जोड़ (राज्य)	11366460
	जोड़ (संघ शासित क्षेत्र)	36094
	जोड़ (अखिल भारत)	11402554

(क) 31.12.96 की स्थितिनुसार

(ख) 30.11.96 की स्थितिनुसार

(ग) 30.09.96 की स्थितिनुसार

[हिन्दी]

लम्बित योजनायें

3846. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास बीस हजार से अधिक आबादी वाले नगरों की योजनायें स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा०यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) जी, हां।

राज्य सरकार द्वारा 20,000 से अधिक आबादी वाले कस्बों तथा नगरों के तकनीकी अनुमोदन के लिए कुछ जल आपूर्ति तथा सफाई स्कीम भेजी गई हैं।

(ख) तकनीकी अनुमोदन प्राप्त करने बाबत कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती, चूंकि प्रत्येक स्कीम के तकनीकी और वित्तीय व्यवहार्यता:, ब्यौरेवार आकलन के पश्चात ही संभव है और यह आकलन राज्य सरकार और उनकी एजेंसियों के साथ तीव्र जारी आंतरिक प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

आनुवंशिकी अतिक्रमण

3847. श्री संतोष मोहन देव : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके विभाग ने भारत के विविध जनसंख्या समूहों के आनुवंशिकी अतिक्रमण (जेनेटिक वायालेशन्स) के संबंध में अध्ययन करने हेतु योजना आयोग को और धनराशि का आबंटन करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या योजना आयोग इस परियोजना के लिए धनराशि प्रदान करने पर सहमत हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो परियोजना को कब से आरम्भ किए जाने की संभावना है ?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ): (क) जी हां।

(ख) कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य हैं : क) देश के विभिन्न जनसंख्या समूहों में आनुवंशिक विविधता को समझना, ख) आनुवंशिक महामारी सम्बन्धी नए विज्ञान का विकास करना, और ग) जीनोमिक विविधता तथा विभिन्न रोगों और विकारों के प्रति जनसंख्या की सुग्राहिता/प्रतिरोध का मूल्यांकन करना।

(ग) और (घ) जी हां। योजना आयोग ने वार्षिक योजना 1997-98 के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान की है। यह कार्यक्रम मानव आनुवंशिकी के अन्तर्गत चल रही गतिविधियों के एक भाग के रूप में पहले ही शुरू हो चुका है।

[हिन्दी]

रोजगार आश्वासन योजना, इंदिरा आवास योजना– 1996-97 के लिए आबंटन

3848. श्री इलियास आजमी : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान क्रमशः रोजगार आश्वासन योजना तथा इंदिरा आवास योजना के लिए उत्तर प्रदेश को कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या यह सुनिश्चित करने हेतु कि राज्य सरकारें योजना परिव्यय के आबंटन के पश्चात संबंधित जिलों में धनराशि के आवंटन में भेदभाव न बरतें, केन्द्र सरकार के पास कोई निगरानी तंत्र है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के अति पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु तथा इन क्षेत्रों के विकास के लिए सीधे ही धनराशि का आवंटन करने हेतु कोई योजना तैयार करने का है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ग्रामीण विकास योजना हेतु निर्धारित धनराशि को अधिक से अधिक अति पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर खर्च करने संबंधी योजना तैयार करने पर विचार कर रही है ताकि इन क्षेत्रों को विकसित क्षेत्रों के समकक्ष लाया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरनायडू) : (क) वर्ष 1996-97 के दौरान इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को आबंटित राशि 216.16 करोड़ रुपए है। सुनिश्चित रोजगार योजना के लिए कोई आवंटन निर्धारित नहीं किया जाता है क्योंकि यह मांग आधारित योजना है। तथापि, 1996-97 के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत निधियों, की कुल उपलब्धता 251.57 करोड़ रुपए है।

(ख) निगरानी तंत्र में अन्य बातों के साथ-साथ आवधिक प्रगति रिपोर्ट/ विवरणी, वित्तीय विवरणी/लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त करना, समिति द्वारा राज्य सचिवों, आयुक्तों आदि के साथ गहन क्षेत्र निरीक्षण, समीक्षा और निगरानी करना शामिल है। सरकार केन्द्र स्तरीय समन्वय समिति, राज्य स्तरीय समन्वय समिति और जिला स्तर पर जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के शासी निकाय के जरिए विभिन्न राज्यों में कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की नियमित रूप से निगरानी और, समीक्षा करती है।

(ग) सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश क 100 अत्यधिक पिछड़े जिलों की पहचान करने के लिए समिति गठित की है।

(घ) और (ङ) यह ऊपर (ग) में उल्लिखित समिति की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

परमाणु ऊर्जा उत्पादन

3849. श्रीमती शारदा टाडीपारथी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आन्ध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा उत्पादन का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना की वर्तमान स्थिति क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

कैगा विद्युत संयंत्र

3850. श्री के०एच० मुनियप्पा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कैगा विद्युत संयंत्र को कब तक चालू कर दिया जाएगा; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ): (क) और (ख) कैगा परमाणु विद्युत परियोजना में दो यूनिट हैं, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 220 मेगावाट है। आज की स्थिति अनुसार गुम्बद के निर्माण को छोड़कर सभी गतिविधियां लगभग 82% की कुल भौतिक प्रगति के साथ पूरा होने की अवस्था में हैं। कैगा यूनिट-2 के अंदरूनी संरोधक गुम्बद के संबंध में डिजाइन पर आधारित रिपोर्ट को नियामक प्राधिकारियों ने मंजूर कर दिया है। अंदरूनी संरोधक गुम्बद के निर्माण हेतु स्टील की आधार संरचना खड़ी कर दी गई है। काष्ठ ढांचा स्थापित करने का कार्य मार्च, 1997के अंत तक पूरा हो जाने की आशा है। वाष्प-जनित्र के द्वारों के निकट गुम्बद के हिस्से का मॉकअप मार्च, 1997 के अंत तक पूरा हो जाने की आशा हैं अंदरूनी संरोधक गुम्बद में कंक्रीट डालने का कार्य जून, 1997 तक पूरा किया जाना निर्धारित है।

कैगा यूनिट-1 के संबंध में अंदरूनी संरोधक गुम्बद के पूर्व-अभियांत्रिकी कार्य के लिए डिजाइन आधारित रिपोर्ट को अनुमोदन हेतु नियामक प्राधिकारियों को मार्च, 1997 के अंत तक प्रस्तुत कर दिए जाने की आशा है। डिजाइन आधारित रिपोर्ट के लिए नियामक प्राधिकारियों का अनुमोदन प्राप्त हो जाने के बाद डिजाइन रिपोर्ट अप्रैल, 1997 के अंत तक नियामक प्राधिकारियों को प्रस्तुत की जाएगी। आशा है कि डिजाइन रिपोर्ट के संबंध में अनुमति सितम्बर, 1997 में मिल जाएगी और अंदरूनी संरोधक गुम्बद का निर्माण कार्य अक्तूबर, 1997 में शुरू किया जाना निर्धारित है। अधिकांश मुख्य उपस्कर स्थापित कर दिए गए हैं और कुछ प्रणालियों का परीक्षण तथा उन्हें चालू करने संबंधी कार्य शुरू कर दिया गया है। अंदरूनी संरोधक गुम्बद के निर्माण के क्षेत्र में, न्यूक्लियर पाइपिंग और निर्माण के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में चौबीसों घंटे कार्य किया

जाएगा। सघन प्रयासों के साथ कैगा यूनिट-2 और 1 द्वारा क्रमशः मई, 1998 और नवम्बर, 1998 में क्रान्तिकता हासिल कर लेने की आशा है।

अनुसंधान और विकास उपकर

3851. श्री भक्त चरण दास :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अनुसंधान और विकास उपकर निधि में कुल संचित राशि कितनी है;

(ख) क्या स्वदेशी प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के लिए इस निधि से कोई ऋण दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस तरह कितनी राशि वितरित की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार अनुसंधान और विकास उपकर बोर्ड को और स्वायत्तता देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बोर्ड को और स्वायत्तता देने से क्या लाभ होने की संभावना है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ): (क) अनुसंधान तथा विकास उपकर एक्ट, 1986 (यथा संशोधित 1995) के तहत विगत तीन वर्षों में संग्रहीत राशि इस प्रकार रही :

	रु० (करोड़ में)
1993-94	60.73
1994-95	71.42
1995-96	81.41

(ख) तथा (ग) उपकर से व्युत्पन्न राशि को पहले भारत की संचित निधि में जमा किया जाता है। केन्द्रीय सरकार संसद द्वारा विनियोजित प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, जो प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड एक्ट, 1995 के तहत सितम्बर, 1996 में गठित हुआ था, को कोष उपलब्ध कराती है। बोर्ड में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, व्यय, औद्योगिकी विकास, ग्रामीण विकास विभागों तथा प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुप्रयोग, बैंकिंग तथा वित्त, उद्योग, कृषि एवं ग्रामीण विकास में अनुभव रखने वाले लोग प्रतिनिधि के तौर पर शामिल रहते हैं। बोर्ड स्वेदशी प्रौद्योगिकी के विकास एवं उनके वाणिज्यिक अनुप्रयोग अथवा एक्ट के प्रावधानों के तहत आयातित प्रौद्योगिकी को वृहत्तर घरेलू अनुप्रयोगों के लिए अंतरिम का प्रयास करने वाले औद्योगिक समुत्थानों तथा अन्य एजेंसियों को इक्विटी पूंजी तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। बोर्ड द्वारा कोई संवितरण नहीं किया गया है जबकि 62 प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन हुआ है। अनुप्रयोग में जो क्षेत्र आते है वे हैं : कृषि, मेडिकल, इलेक्ट्रिकल तथा इलैक्ट्रानिकी, ग्रामीण विकास, जैव उर्वरक तथा जैव कीटनाशक, रसायन, सिविल तथा मैकानिकल इंजीनियरिंग, यातायात तथा ऊर्जा।

(घ) और (ङ) : बोर्ड के क्रियाकलाप प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड एक्ट, 1995 के प्रावधानों के तहत शासित होते हैं। सरकार बोर्ड में गैर सरकारी सदस्यों की भागीदारी को महत्व देती है।

[हिन्दी]

शहरी विकास

3852. श्री डी०पी० यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने वर्ष 1996-97 के दौरान शहरी विकास के लिए आवंटित राशि में से कितनी धनराशि व्यय की है;

(ख) इसमें से कितनी राशि मलिन बस्तियों में सफाई कार्यों पर खर्च की गई; और

(ग) नौंवी पंचवर्षीय योजना के दौरान शहरी विकास के लिए कितनी राशि उपलब्ध कराई जा रही है;

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) 1996-97 के दौरान (आज तक) केन्द्र सरकार द्वारा नियतित धन में से शहरी विकास परियोजनाओं के लिए जारी धन के ब्यौरे अनुलग्नक में दिए गये हैं। इस वर्ष जारी धन हेतु उपयोगिता प्रमाणपत्र अगले वर्ष में ही देय होगा।

(ख) शहरी विकास राज्य का विषय है और स्वच्छता के लिए धन की व्यवस्था संबंधित राज्य सरकारों और नगपालिकाओं द्वारा की जाती है। भारत सरकार द्वारा समर्थित कार्यक्रमों में से कम लागत स्वच्छता (एल०सी०एस०) स्कीम का उद्देश्य स्वच्छता स्तर में विशेष रूप से स्लमों का सुधार करना है। 1996-97 के दौरान एल०सी०एस० के तहत जारी धनराशि को संलग्न विवरण में दर्शाया गया हैं स्लमों में स्वच्छता पर एल०सी०एस० के तहत खर्च की गयी धनराशि के आंकड़े भारत सरकार के द्वारा नहीं रखे जाते और उपलब्ध नहीं है।

(ग) शहरी क्षेत्र के लिए नौंवीं योजना के निश्चित न होने के अभाव में इस परिस्थिति में नौंवी योजना के दौरान शहरी विकास हेतु मुहैया की जाने वाली धनराशि का उल्लेख करना सम्भव नहीं है।

विवरण

शहरी विकास परियोजनाओं के लिए (1996-97) मुहैया किया और जारी किया गया नियतन

स्कीम का नाम	नियतन (1996-97)	अब तक जारी
1. छोटे और मझोले कस्बों का एकीकृत विकास	28.26 करोड़ रुपये	15.76 करोड़ रुपये
2. त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम	20.00 करोड़ रुपये	20.00 करोड़ रुपये
3. कम लागत स्वच्छता	13.80 करोड़ रु०	13.80 करोड़ रु०

[अनुवाद]

पेट्रोल की आपूर्ति

3853. श्री बी०एल० शंकर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में पेट्रोल और डीजल की मांग और पूर्ति का ब्यौरा क्या है और इनके स्वदेशी उत्पादों के नाम क्या हैं;

(ख) वर्ष 1996-97 के दौरान इनके आयात पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) उपभोक्ताओं के लिए कितनी राजसहायता दी जाती है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) वर्ष 1996-97 के दौरान देश में पेट्रोल और डीजल की अनुमानित मांग क्रमशः 5.18 एम०एम०टी० और 35.55 एम०एम०टी० है। वर्ष 1996-97 के लिए पेट्रोल और डीजल का घरेलू उत्पादन क्रमशः 4.52 एम०एम०टी० और 22.07 एम०एम०टी० है।

(ख) 1996-97 (अप्रैल से दिसम्बर, 1996) के दौरान पेट्रोल और डीजल के आयात पर क्रमशः 152 करोड़ रुपये और 7179 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है।

(ग) पेट्रोलियम उत्पादों पर राजसहायता उन उत्पादों के क्रास सब्सिडाइजेशन द्वारा तेल पूल खाता प्रक्रम के माध्यम से पूरी की जाती है जिनके मूल्य उनकी उत्पादन लागत से अधिक निर्धारित किए जाते हैं। 1996-97 के दौरान डीजल पर राजसहायता 8340 करोड़ रुपये तक होने का अनुमान है। पेट्रोल पर कोई राजसहायता नहीं है।

कर का लगाया जाना

3854. श्री के० परसुरामन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भवन निर्माताओं तथा प्रापर्टी/स्टेट डीलरों द्वारा भवनों तथा फ्लैटों की बिक्री पर कर लगाने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलु) : (क) और (ख) इस समय सरकार के पास इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

गांवों का विकास

3855. श्री येल्लैय्या नंदी : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने आन्ध्र प्रदेश के गांवों के विकास के लिए नवीन प्रारूप तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1 जनवरी, 1997 से एक सप्ताह के इस कार्यक्रम के लिए छः लाख छात्रों को राज्य के गांवों में भेजा गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्र सरकार ने धनराशि उपलब्ध कराने पर अपनी सहमति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस प्रकार की योजनाएं चीन, मलेशिया, और इंडोनेशिया जैसे देशों में भी चलाई जा रही हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार ने किस सीमा तक सहायता उपलब्ध कराई है और गांवों के विकास में उक्त योजनाएं किस हद तक सहायता सिद्ध हुई हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अम्बेडकर आवास योजना

3856. श्री शिबु सोरेन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अम्बेडकर आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 1989 के दौरान कितने व्यक्तियों को आवास का आवंटन किया गया है;

(ख) सभी पंजीकृत व्यक्तियों को कब तक आवास आवंटित कर दिये जाने की संभावना है;

(ग) एम०आई०जी०, एल०आई०जी० तथा जनता फ्लैटों के लिए क्या दरें निर्धारित की गई हैं;

(घ) क्या फ्लैटों के मूल्य निर्धारण में पंजीकृत व्यक्तियों की कुल आय का ध्यान रखा गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राजय मंत्री तथा ससंदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा०यू० वेंकटेश्वरलु) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचना दी है कि अम्बेडकर आवास योजना के तहत 28.2.97 तक 7499 पंजीकृत लोगों को फ्लैट आवंटित कर दिये गये हैं।

(ख) अन्य एजेंसियों द्वारा मुहैया कराई जाने वाली भूमि तथा अवस्थापना सेवाओं की उपलब्धता दबावों के कारण सही समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

(ग) विभिन्न श्रेणियों के फ्लैटों की विद्यमान कीमतें इस प्रकार हैं:—

जनता	—	1.50 लाख रुपये से 1.75 लाख रुपये
एल०आई०जी०	—	3.50 लाख रुपये से 4.00 लाख रुपये
एम०आई०जी०	—	5.50 लाख रुपये से 6.50 लाख रुपये

(घ) और (ङ) डी०डी०ए० फ्लैटों की कीमतों का निर्धारण लाभ रहित आधार पर किया जाता है और मूल्य निर्धारित करते समय पंजीकृत व्यक्तियों की आय पर विचार नहीं किया जाता। तथापि, जनता और एल०आई०जी० फ्लैटों की कीमतें निर्धारित करते समय निम्नलिखित पद्धति से सब्सिडी मुहैया करायी जाती है :–

(I) जनता और कम आय ग्रुप के फ्लैटों के भूमि घटक बाबत देयता समान रियायत के माध्यम से कम किया जाता है।

(II) जनता फ्लैटों के लिए उपरि प्रभार (ऊपरी खर्च) को छोटी दरों पर लगाया जाता है।

रोजगार

3857. श्री सोहनवीर सिंह : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान "नई आर्थिक नीति" के अन्तर्गत रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ): (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान नई आर्थिक नीति के अंतर्गत रोजगार के अवसर सृजित होने के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। वर्ष 1993-94 के दौरान एन०एस०एस०ओ० द्वारा कराये गए रोजगार और बेरोजगारी के नवीनतम व्यापक सर्वेक्षण के अनुसार सामान्य प्रधान स्तर के अनुरूप देश में बेरोजगार लोगों की अनुमानित संख्या 9 मिलियन थी।

आवास संबंधी आवश्यकता का आकलन

3858. श्री के० प्रधानी : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में ग्रामीण लोगों को आवास संबंधी आवश्यकता के बारे में कोई ताजा आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो देश के प्रत्येक नागरिक को आवास प्रदान करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) अनूसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के अन्य पिछड़े वर्गों के निर्धन परिवारों को आवास प्रदान करने के लिए कौन सी योजनाएं बनाई गई हैं;

(घ) इस संबंध में नौवीं योजना में क्या प्रावधान किया गया है; और

(ङ) आठवीं योजना में इस संबंध में क्या उपलब्धियां हुई हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) 1991 की जनगणना के अनुसार, देश में 13.72 मिलियन ग्रामीण आवासों की कमी का अनुमान था।

(ख) और (ग) इंदिरा आवास योजना, जो केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है, के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अनु जातियों/अनूसूचित जनजातियों के लोगों, मुक्त बंधुवा मजदूरों तथा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे अन्य लोगों को मुफ्त आवास दिए जाते हैं।

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(ङ) उपलब्ध अंतिम जानकारी के अनुसार आठवीं योजना अवधि के दौरान अभी तक लगभग 22.6 लाख आवासों का निर्माण किया गया है।

कश्मीर को स्वायत्तता

3859. श्री पी०आर० दासमुंशी :
श्रीमती कृष्णा बोस :
श्री सत्यजीतसिंह दलीपसिंह गायकवाड़ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर को अधिक आधिकारिक स्वायत्तता प्रदान किए जाने संबंधी वास्तविक अवधारणा क्या है;

(ख) डा० कर्ण सिंह की अध्यक्षता में गठित कश्मीर संबंधी समिति के निर्देश पद क्या हैं;

(ग) उक्त समिति की अब तक कितनी बैठकें हुई हैं तथा कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान किए जाने की दिशा में क्या प्रगति हुई है; और

(घ) उक्त समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रह्मण्यन): (क) सरकार, भारतीय संविधान के दायरे के भीतर जम्मू और कश्मीर राज्य को अधिकतम स्वायत्तता प्रदान करने के प्रति वचनबद्ध है। इस अवस्था में इस संबंध में ब्यौरे बताना संभव/व्यवहारिक नहीं है।

(ख) स्वायत्तता के मामले की जांच करने के लिए डॉ० कर्ण सिंह की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के विचारणीय विषय निम्न प्रकार है :–

(I) विलय पत्र, संविधान उपयोजन आदेश, 1950 और दिल्ली समझौता, 1952 के अनुरूप, जम्मू और कश्मीर राज्य को स्वायत्तता बहाल करने के मामले की जांच करना और इसके लिए उपायों की सिफारिश करना;

(II) यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस समिति की सिफारिशों के अनुसरण में अन्ततः तैयार संवैधानिक व्यवस्था अनुलघनीय रहे संघीय/राज्य संविधान में शामिल किए जाने हेतु आवश्यक

समझे जाने वाले सुरक्षोपायों की जांच करना और इनकी सिफारिश करना,

(iii) राज्य और केन्द्र के बीच भविष्य में सौहार्दपूर्ण संबंधों को सुनिश्चित करने के लिए उपाय सुझाना और उनकी जांच करना।

(ग) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार, इस समिति ने अभी तक 4 बैठकें आयोजित की हैं और व्यक्तियों और सार्वजनिक संगठनों के मतों/सुझावों सहित विषय से संबंधित विस्तृत सामग्री एकत्रित की हैं।

(घ) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी है।

गुजरात को ईंधन का आवंटन

3860. श्री विजय पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने अपनी विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के लिए तरल ईंधन के आवंटन हेतु केन्द्र सरकार को अपनी सिफारिशें भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं के नाम और संख्या तथा उनकी मांगे क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार राज्य की तरल ईंधन की मांगों को पूरा करने में असमर्थ है; ओर

(घ) यदि नहीं, तो उनकी मांग कब तक पूरी किए जाने की संभावना है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस० वेणुगोपालाचारी) : (क) से (घ) गुजरात सराकर ने विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के लिए द्रव ईंधन लिकेंज हेतु समय-समय पर सिफारिश प्रदान की है। राज्य सरकार को आवंटित क्षमता के भीतर द्रव ईंधन लिकेंज हेतु परियोजना के संबंध में सिफारिशे गुजरात सरकार से प्रतीक्षित है।

[हिन्दी]

ग्रामीण स्वच्छता संबंधी कार्यक्रम हेतु केन्द्रीय सहायता

3861. श्री विश्वेश्वर भगत : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 1996-97 में ग्रामीण स्वच्छता संबंधी कार्यक्रम हेतु केन्द्रीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्य को कितनी धनराशि उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करने हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियां जारी करने के लिए अनुरोध किया था। केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार को वर्ष 1996-97 के लिए 357.00 लाख रुपए की धनराशि जारी की गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रोजगार गारंटी योजना

3862. श्री थावर चन्द गहलोत : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रोजगार गारंटी योजना के लिए वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान निर्धारित किए गए आर्थिक और वास्तविक लक्ष्य क्या हैं;

(ख) उपर्युक्त लक्ष्य की तुलना में जनवरी, 1997 तक की आर्थिक और वास्तविक उपलब्धि क्या है; और

(ग) इस योजना को देश के किन-किन जिलों और खंडों में कार्यान्वित किया जा रहा है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पु येरननायडू) : (क) सुनिश्चित रोजगार योजना एक मांग आधारित योजना है। इसलिए राज्य/विकास खण्ड के लिए सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत निर्धारित आवंटन नहीं है और लक्ष्य भी निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

(ख) जनवरी, 1997 तक की वित्तीय और वास्तविक उपलब्धियां संलग्न विवरण में देखी जा सकती है।

(ग) योजना देश के 461 जिलों के 4329 विकास खण्डों में कार्यान्वित की जा रही है।

विवरण

वर्ष	उपलब्ध कुल निधियां (रुपये करोड़ में)	उपयोग की गई निधियां	प्रतिशत उपयोग	सृजित श्रमदिन (लाख श्रमदिन)	पूरे किए गए कार्यों की संख्या
1994-95	1775.26	1235.45	69.59	2739.56	114199
1995-96	2671.45	1720.61	64.41	3465.27	128420
1996-97	2779.06*	1116.51**	40.18**	2085.35**	121439**

टिप्पणी — * 4.3.97 तक

** दिसंबर, 1996 तक

[अनुवाद]

उड़ीसा में विद्युत की मांग और आपूर्ति

3863. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उड़ीसा में विद्युत की कुल मांग और आपूर्ति कितनी- कितनी है;

(ख) क्या अपेक्षित मांग की पूर्ति स्थानीय विद्युत संयंत्रों द्वारा की जाती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) मौजूदा विद्युत संयंत्रों की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस० वेणुगोपालाचारी) : (क) फरवरी, 1997 के दौरान उड़ीसा में विद्युत आपूर्ति की स्थिति निम्नवत थी :

फरवरी – 1997

	ऊर्जा (मि०यू०)		व्यस्ततमकालीन पूर्ति (मे०वा०)
आवश्यकता	9650	व्यस्ततमकालीन मांग	1950
उपलब्धता	9342 *	व्यस्ततमकालीन पूर्ति	1614 *
कमी	308	कमी	336
%	3.2	%	17.2

(*फरवरी, 97 के दौरान विद्युत उत्पादन की उपलब्धता पर आधारित)

(ख) और (ग) उड़ीसा में विद्युत की वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति उसके अपने विद्युत उत्पादन पूर्वी क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत उत्पादन स्टेशनों में उसकी हिस्सेदारी तथा पड़ोसी राज्य/प्रणाली से सहायता आदि के माध्यम से किया जाता है।

(घ) केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशनों में उड़ीसा की हिस्सेदारी समेत उड़ीसा में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 2325 मे०वा० है।

अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजा

3864. श्री भगवान शंकर रावत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि अर्जन (संशोधन अधिनियम, 1984) के अंतर्गत किए गए संशोधन उत्तर प्रदेश आवास एवम् विकास परिषद द्वारा अधिग्रहित भूमि पर भी लागू है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वर्ष 1987 में सचिव, आवास एवं नगर विकास, उत्तर प्रदेश सरकार को 1986 के निर्णय का पालन करने के लिए कहा गया था;

(ङ) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 1995 के दौरान उपरोक्त निर्णय को दोहराया था;

(च) यदि हां, तो वर्ष 1986, 1987 और 1995 के निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(छ) क्या उत्तर प्रदेश सरकार का विचार आवास एवं विकास परिषद और अन्य निकायों द्वारा अधिग्रहीत भूमि के लिए दिए जाने वाले मुआवजे के मानदंडों में विद्यमान असमानताओं को दूर करने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलु) : (क) से (ज) उत्तर प्रदेश सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है।

फ्लैटों का आवंटन

3865. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी०डी०ए० के स्ववित्त पोषण योजना और ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के अंतर्गत द्वारिका में बड़ी संख्या में बनाए गए फ्लैट आवंटन हेतु तैयार हैं; और

(ख) यदि हां, तो वहां कब तक सड़क, बिजली, पानी, जल-मल निकासी संबंधी व्यवस्था कर दिये जाने की संभावना है ताकि लोग वहां जाकर रहने लगें ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलु) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचना दी है कि द्वारका में आवंटन हेतु 3580 एस०एफ०एस० फ्लैट तैयार हैं। तथापि, किसी भी सहकारी समिति ने, जिसे भूमि आवंटित की गयी है, फ्लैट पूरे हो जाने की सूचना अब तक नहीं दी है।

(ख) सम्बन्धित स्थानीय निकायों द्वारा सेवाओं के प्रावधान न किए जाने की स्थिति में नलकूपों द्वारा जल आपूर्ति और आक्सीकरण कुओं के माध्यम से मल-जल निकासी की अन्तरिम व्यवस्था कर दी गयी है और सड़कों का निर्माण कर दिया गया है; 3580 फ्लैटों में से 2640 फ्लैटों में बिजली उपलब्ध है। शेष 940 फ्लैटों में बिजली की व्यवस्था हेतु दिल्ली बोर्ड (पूर्व का डेसू) 9 से 12 महीनों का समय लेगा।

द्वारका क्षेत्र में समूह आवास समितियों के चारों ओर परिधीय बिजली सेवाएं पहले ही उपलब्ध हैं सम्बन्धित समितियों द्वारा अनुरोध करने तथा अपेक्षित औपचारिकताओं के पूरा करने पर दिल्ली विद्युत बोर्ड द्वारा समूह आवास समितियों को बिजली के कनेक्सन जारी कर दिये जायेंगे।

प्रारम्भिक परीक्षाओं में आरक्षण

3866. श्री एम० सैल्वारासु :
श्री सामी वी० अलागिरी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा सहित अखिल भारतीय सेवाओं की प्रारम्भिक परीक्षाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कोई आरक्षण है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी समुदाय-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रह्मण्यन): (क) जी, नहीं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों सहित सभी पात्र उम्मीदवार सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा में बैठने के हकदार हैं।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

कच्चा तेल

3867. श्री सामी वी० अलागिरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयातित कच्चे तेल की प्रति बैरल लागत कितनी है;

(ख) विभिन्न तेल शोधनशालाओं में इस कच्चे तेल को शोधित करने की लागत कितनी है; और

(ग) इन तेल शोधन-शालाओं में प्रति बैरल लाभ के प्रतिशत सहित आयातित कच्चे तेल से निकले पेट्रोलियम उत्पादों का अंतिम बिक्री मूल्य कितना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) अप्रैल, 1996 से जनवरी, 1997 तक की अवधि के लिए आयातित कच्चे तेल की औसत लागत 20.75 डालर/बैरल आंकी गयी है।

(ख) और (ग) कच्चे तैल के शोधन की लागत संसाधित क्रूड के प्रकार, क्रूड थ्रूपुट के स्तर, उत्पादन के प्रतिमान, मूलभूत सुविधाओं, प्रौद्योगिकियों और सहायक संसाधन सुविधाओं आदि के आधार पर प्रत्येक रिफाइनरी के लिए अलग-अलग होगी। पेट्रोलियम उत्पादों के भण्डारण स्थल पर प्रशासित मूल्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

5/7 जुलाई, 1996 से पेट्रोलियम उत्पादों का भण्डारण स्थल पर प्रशासित मूल्य

उत्पादन का नाम	विक्रय इकाई	उत्पाद शुल्क आदि के बिना भण्डारण स्थल पर संशोधित आधारभूत उच्चतम विक्रय मूल्य (रुपए/विक्रय इकाई)
एम०एस०-87	कि०ली०	16055.43
एम०एस०-93	कि०ली०	19180.43
एम०एस०-80	कि०ली०	16091.86
एच०एस०डी० 3.7.96 से	कि०ली०	7432.46
7.7.96 से	कि०ली०	6574.87
एल०एस०एच०एफ०	कि०ली०	7432.46
एच०एस०डी० बंकरिंग	कि०ली०	
अन्य	कि०ली०	11059.31
एल०पी०जी० पैक्ड (घरेलू)	मि०ट०	6901.95
ए०टी०एफ० अंतरराष्ट्रीय एयर-लाइनों के अलावा	कि०ली०	10837.56
एविएशन गैसौलीन	कि०ली०	12584.77
एस०के०ओ०-घरेलू	कि०ली०	2001.40
एस०के०ओ०-औद्योगिक उपयोग	कि०ली०	6518.63
एल०डी०ओ०	कि०ली०	7263.82
एम०एल०ओ०	कि०ली०	7296.32
नैफ्था – उर्वरक	मि०ट०	4839.61
अन्य	मि०ट०	6683.26
एफ०ओ० – उर्वरक	कि०ली०	3656.16
अन्य	कि०ली०	5895.86
एल०एस०एच०एस० – उर्वरक	मि०ट०	3707.04
अन्य	मि०ट०	6245.29
बिटुमेन – थोक	मि०ट०	5362.53
पैक्ड	मि०ट०	6215.76
मैच वैक्स	मि०ट०	15804.74
पैराफीन मोम (प्रथम गुणवत्ता)	मि०ट०	20030.41

अमरीकी राजदूत की टिप्पणी

3868. श्री चमन लाल गुप्ता :
श्री तारीक अनवर :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी राजदूत जो हाल ही में जम्मू और कश्मीर के दौरे पर आए थे ने अपने दौरे के दौरान संगठप/व्यक्ति विशेष से मुलाकात करने के साथ-साथ कश्मीर समस्या पर भी टिप्पणी की थी :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बाला सुब्रहमण्यन): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। भारत में अमरीका के राजदूत ने 18-20 फरवरी, 1997 को जम्मू व कश्मीर राज्य का दौरा किया था। अपने दौरे के दौरान उन्होंने जम्मू विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक समारोह में भाग लिया और जनसमूह को संबोधित किया था। बताया जाता है कि उन्होंने मुख्यमंत्री और उनके कुछ सहयोगी मंत्रियों, राज्य सरकार और सुरक्षा बल के वरिष्ठ अधिकारियों, तथा विभिन्न अन्य राजनैतिक, सामाजिक और व्यापारी ग्रुपों के साथ मुलाकात की थी। जम्मू विश्वविद्यालय में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने जम्मू व कश्मीर की स्थिति से संबंधित अनेक मुद्दों का उल्लेख किया।

(ग) अवैध रूप से पाक अधिकृत क्षेत्र सहित संपूर्ण जम्मू और कश्मीर राज्य, भारत का एक अभिन्न अंग है। अमरीकी सरकार इस स्थिति से भली-भांति अवगत है।

[हिन्दी]

बंगलों का सौंपा जाना

3869. श्री बुद्धसेन पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनपथ स्थित बंगला संख्या 13, 15, 17, 19 और 21 को डा० अम्बेडकर पब्लिक ग्रंथालय की स्थापना के लिए कल्याण मंत्रालय को आवंटित किया है;

(ख) यदि हां, तो कया इस उद्देश्य हेतु ये बंगले कल्याण मंत्रालय को सौंप दिए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस बंगलों को कल्याण मंत्रालय को सौंपे जाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वू० वेंकटेश्वरलू) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह मंत्रालय 13, 15, 17, 19 और 21 जनपथ के बंगलों के नीचे की भूमि को डा० अम्बेडकर राष्ट्रीय पब्लिक ग्रंथागार के निर्माण हेतु कल्याण मंत्रालय को आवंटित करने के लिए सिद्धान्तः सहमत हो गया है। चूंकि कथित बंगले लोक सभा संसद सदस्यों के पूल के हैं, उनसे उस भूमि का कब्जा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को आगे की कार्रवाई के लिए सौंपने का अनुरोध किया गया था। चूंकि लोक सभा सचिवालय द्वारा इन बंगलों का कब्जा अभी केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को सौंपा जाना है अतः कल्याण मंत्रालय को भूमि का औपचारिक रूप से आवंटन नहीं किया जा सकां मामले पर लोक सभा सचिवालय से बातचीत जारी है।

[अनुवाद]

ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की समीक्षा

3870. डा० कृपासिन्धु भोई : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्राममीण स्वच्छता कार्यक्रम के क्रियान्वयन की कोई समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य कितने प्रतिशत ग्रामीण आबादी ने सातवी तथा आठवीं योजना के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना से लाभ उठाया;

(ग) इस योजना को बुनियादी न्यूनतम कार्यक्रम में शामिल नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु तथा ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के आवागमन को सुगम बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पु येरननायडू) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) 4-5 जुलाई, 1996 को आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलम में सिफारिश की गई कि पेयजल स्रोतों और सुविधाओं के साथ स्वच्छता, स्वास्थ्य और जन स्वास्थ्य का प्रभावी समन्वय होना चाहिए।

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम और राज्य क्षेत्र न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। स्वच्छता की आवश्यकता के बारे में सूचना, शिक्षा और संचार के माध्यम से जागरूकता सृजन करना ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का अभिन्न अंग रहा है।

विवरण

वर्ष 1994-95 तक ग्रामीण स्वच्छता के अन्तर्गत लाभान्वित ग्रामीण आबादी

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1991 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या (लाख में)	जनसंख्या कवरेज 1.4.90 तक		31.1.97 तक	
		पी०ओ०पी०	%	पी०ओ०पी०	%
1	2	3	4	5	6
आंध प्रदेश	486.209	46.873	9.64	73.531	15.12
अरुणाचल प्रदेश	7.599	5.710	75.74	5.955	78.99
असम	199.265	111.752	56.08	114.372	57.40
बिहार	750.215	45.020	6.00	62.525	8.33
गोआ	6.900	2.378	34.46	3.018	43.74
गुजरात	270.635	45.728	16.90	56.159	20.75
हरियाणा	124.089	4.929	3.97	18.956	15.28
हिमाचल प्रदेश	47.217	2.763	5.85	18.330	38.82
जम्मू कश्मीर	58.790	9.850	16.75	12.385	21.07
कर्नाटक	310.694	21.353	6.87	48.042	15.46
केरल	214.182	105.444	49.23	113.769	53.12
मध्य प्रदेश	508.423	16.605	3.27	38.833	7.64
महाराष्ट्र	483.956	34.118	7.05	45.189	9.34
मणिपुर	13.315	12.288	92.29	12.913	96.98
मेघालय	14.447	3.092	21.40	3.615	25.02
मिजोरम	3.718	3.410	91.72	3.625	97.51
नागालैंड	10.013	0.184	1.84	0.741	7.40
उड़ीसा	274.248	12.325	4.49	20.472	7.46
पंजाब	142.887	13.968	9.78	16.640	11.65
राजस्थान	399.389	39.490	9.87	48.066	14.16
सिक्किम	3.695	1.889	51.12	2.260	61.15
तमिलनाडु	367.814	25.639	6.97	42.322	11.51
त्रिपुरा	23.355	18.785	80.43	19.426	83.18
उत्तर प्रदेश	1115.064	83.925	7.53	136.819	12.27
पश्चिम बंगाल	493.704	54.634	11.07	68.735	13.92

1	2	3	4	5	6
अंडमान निकोबार	2.057	0.483	23.48	0.905	43.98
चण्डीगढ़	0.662	0.049	7.40	0.050	7.50
दादर व नगर हवेली	1.268	0.224	17.67	0.247	19.51
दमन व द्वीव	0.540	0.063	11.67	0.078	14.52
दिल्ली	9.490	0.543	5.72	0.564	5.94
लक्ष्य द्वीव	0.226	0.188	83.19	0.213	94.46
पांडिचेरी	2.908	0.319	10.97	0.426	14.65
कपार्ट		2.847		9.538	
अखिल भारत	6286.914	720.868	11.47	998.719	15.89

विद्युत क्षेत्र के लिए कार्यदल

3871. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए विद्युत क्षेत्र हेतु एक कार्यदल का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यदल ने विभिन्न राज्यों के लिए जो नई योजनाएं तैयार की हैं उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्यदल ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत उत्पादन का कितना अनुमान लगाया है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस० वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना का प्रतिपादन करने के लिए योजना आयोग द्वारा विद्युत संबंधी एक कार्यदल का गठन किया गया था। कार्यदल द्वारा किए गए प्रक्षेपणों के अनुसार विभिन्न राज्यों में विभिन्न स्कीमों से नौवीं योजना के दौरान कुल क्षमता अभिवृद्धि संबंधी आवश्यकता 57734.7 मे०वा० आंकी गई है राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) 57734.7 मे०वा० की कुल क्षमता अभिवृद्धि के साथ यह आंकलन किया गया है कि देश के लिए कुल मिलाकर नौवीं योजना के दौरान सीमांत शीर्ष अधिशेष 0.2% और ऊर्जा अधिशेष 6.7% होगा।

विवरण

क्र० सं०	राज्य	आंकी गई क्षमता आवश्यकता (मे०वा० में)
1	2	3
1.	हरियाणा	2507.0
2.	हिमाचल प्रदेश	1626.0
3.	पंजाब	3326.0
4.	उत्तर प्रदेश	5775.5
5.	राजस्थान	3873.0
6.	जम्मू और कश्मीर	157.5
7.	गुजरात	3486.7
8.	मध्य प्रदेश	5614.0
9.	महाराष्ट्र	5929.5
10.	आंध्र प्रदेश	3745.0
11.	कर्नाटक	2058.7
12.	केरल	1636,0
13.	तमिलनाडु	2147.5
14.	पाण्डिचेरी	22.5
15.	बिहार	1162.0
16.	उड़ीसा	1664.0
17.	सिक्किम	19.0
18.	पश्चिम बंगाल	1745.0
19.	असम	287.5
20.	अरुणाचल प्रदेश	6.0
21.	मेघालय	18.0
22.	नागालैंड	24.0

1	2	3
23.	मिजोरम	9.0
24.	अंडमान और निकोबार द्वीप	25.2
25.	केन्द्रीय क्षेत्र योजनाएं	11870.0

[हिन्दी]

तेल चयन बोर्ड

3872. डा० अरविन्द शर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 फरवरी, 1997 के "नवभारत टाइम्स" में "आयल सलेक्शन बोर्डस का पुनर्गठन शीघ्र" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का तेल चयन बोर्ड में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और सामान्य श्रेणी के एक-एक सदस्यों को प्रतिनिधित्व देने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी, हां।

(ख) चयन प्रक्रियाओं को पुनः चालू करने के लिए डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के लिए संशोधित नीति दिशानिर्देशों का निर्णय शीघ्र लिया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पेय जल आपूर्ति

3873. श्री गोपाल टंडेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात सरकार और दमन प्रशासन द्वारा दमन में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी कार्य रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलु) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, दमन और आस-पास के गावों के लिए जल आपूर्ति संवर्धन योजना फेज-I और फेज-II क्रमशः 528.22 लाख रुपये और 96.55 लाख रुपये की अनुमान्ति लागत पर निष्पादन हेतु गुजरात जल आपूर्ति तथा मलजल व्ययन बोर्ड सौंपे गए थे। फेज-I भाग-I का कार्य शुरू होकर अप्रैल, 1994 में पूरा हो गया है। फेज-I भाग-II और फेज-II का निर्माण कार्य चल रहा है जिसके जून, 1997 तक पूरा होने की उम्मीद है। योजना के शुरू होने के बाद मोती दमन क्षेत्र सहित सभी 29 बस्तियां पूरी तरह लाभान्वित होंगी।

ग्रामीण विकास परियोजनाएं

3874. डा० असीम बाला : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित ग्रामीण विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित किए जाने में विलम्ब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो वर्ष 1996 में स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या क्या है और इस पर कितनी धनराशि खर्च हुई है और राज्य वार कितनी परियोजनाएं मंत्रालय के पास लम्बित हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जवाहर रोजगार योजना के तृतीय चरण के अंतर्गत विशेष अभिनव परियोजनाओं के अंतर्गत वर्ष 1996-97 के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं और रिलीज की गई राशियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए जाते हैं।

ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं से संबंधित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

क्र०सं०	परियोजना का नाम	वर्ष 1996-97 के दौरान अनुमोदित परियोजना	
		परियोजना की कुल लागत	1996-97 के दौरान रिलीज की गई राशि x
1	2	3	4
बिहार			
1.	बी०आई०एस०ओ०एल०ए०एफ० द्वारा रांची जिले में लाख उत्पादन 3000 परिवारों का सामाजिक-आर्थिक उत्थान	259.94	79.98

1	2	3	4
	उत्तर प्रदेश		
1.	ललित पुर जिले में शहरिया के लिए सामुदायिक विकास परियोजना	100.00	40.00
2.	सहारनपुर जिले के धरारिया के लिए समन्वित वाटरशेड विकास	209.81	70.26
	हिमाचल प्रदेश		
1.	मन्डी जिला में ग्रीन गोल्ड ट्रैक	100.26	58.56
	मणिपुर		
1.	जिले में सिट्रोनेलिया घास की खेती और डिस्टिलेशन के जरिए तामेंगलरेंग जिले की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार	25.00	15.00
	कर्नाटक		
1.	हसन जिले के मलनन्द अंचल का स्थायी विकास	20.00	16.00

x 17.3.97 की स्थिति के अनुसार

[हिन्दी]

उच्च स्तरीय समिति

3875. श्री लक्ष्मण सिंह : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड के अन्तर्गत एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के कौन-कौन से सदस्य हैं;

(ग) इस समिति के द्वारा गत पांच वर्षों के दौरान किन-किन राज्यों की परती भूमि के विकास हेतु सिफारिश की गई तथा इसमें शामिल किए जाने वाले जिलों के क्या नाम हैं; और

(घ) गत पांच वर्षों के दौरान देश में परती भूमि विकास पर राज्यवार कितनी धनराशि खर्च की गई ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) और (ख) जी, हां। बंजरभूमि विकास विभाग द्वारा श्री मोहन धारिया की अध्यक्षता में बंजरभूमि के बारे में नवंबर, 1994 में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। इस उच्च स्तरीय समिति का गठन विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) समिति की सिफारिशों सहित रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है। समिति की सिफारिशों में समस्त देश में बंजरभूमि का विकास करना शामिल है। केन्द्रीय बंजरभूमि विकास क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत पिछले 5 वर्षों के दौरान जारी की गई निधियों के राज्यवार ब्यौरे विवरण-II में दिए जाते हैं।

विवरण-I

संख्या 6-17/94-टी०ई०
4 नवंबर, 1994.

आदेश

विषय : बनेतर बंजरभूमि के विकास हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन।

देश में लगभग 95 मिलियन हैक्टेयर बनेतर बंजरभूमि का विकास कार्य शुरू करने हेतु जुलाई, 1992 में बंजरभूमि विकास विभाग बनाया गया था। अस्तित्व में आने के पहले दो वर्षों में विभाग ने इसे आवंटित योजना निधियों के उपयोग में काफी अधिक प्रतिशत हासिल किया है। तथापि, वह महसूस किया गया है कि बंजरभूमि की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए और इस समस्या से निपटने के लिये वित्तीय संसाधनों के मद्देनजर विशाल बनेतर बंजरभूमि के विकास हेतु कार्यनीति और कार्ययोजना तैयार करने की आवश्यकता है।

2. देश में बंजरभूमि विकास हेतु व्यापक योजना बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित गठन और विचारणीय मुद्दों के साथ "बंजरभूमि विकास संबंधी उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है।

I. **गठन :**

1. श्री मोहन धारिया, "बानाराई" 2064, विजयनगर पुणे - 411030 (महाराष्ट्र) — अध्यक्ष
2. श्री वी०वी० वोहरा डी-7-7, बंसत बिहार, नई दिल्ली-110057. — उपाध्यक्ष

3. श्री अन्ना सहिब हजारे — सदस्य
संत यादव बाबा शिक्षण,
प्रसारक मंडल
रालेगांव : शीदी, तालुक : परनेर
जिला : अहमद नगर
(महाराष्ट्र)

4. श्री अनिल सी० शाह — सदस्य
प्रधान सलाहकार
आगा खान ग्रामीण सहायता कार्यक्रम
8, जुपीटर अपाटमंट
सरदार पटेल नगर,
अहमदाबाद-380006 (गुजरात)

5. डा० डी०आर० भुंवला — सदस्य
समीप केन्द्रीय भू-क्षारीय अनुसंधान संस्थान,
करनाल (हरियाणा)

6. श्री के०एल० चुघ — सदस्य
अध्यक्ष
आई०टी०सी० भ्रदाचलम पेपरबोर्डस लिमिटेड,
बर्जीनिया हाऊस, 37, चौरंगी लेन,
कलकत्ता - 700071

7. डा० पी० कोट्टया — सदस्य
अध्यक्ष,
नाबार्ड,
स्टर्लिंग सैंटर
डा० अन्नी बसन्त मार्ग,
बर्ली, बंबई-400010

8. डा० आर०के० पचौरी, — सदस्य
निदेशक,
टाटा इनेर्जी रिसर्च इंस्टिट्यूट
दरबारी सेठ ब्लाक
इंडिया हेबिटेट सैंटर, लोधी रोड़,
नई दिल्ली-110033.

9. श्री सुबोध भार्गव — सदस्य
अध्यक्ष,
भारतीय उद्योग परिसंघ
23-26, संस्थागत क्षेत्र, लोधी रोड़
नई दिल्ली-110003.

10. श्री मती बिजी श्रीनिवासन — सदस्य
प्रबंध निदेशक, ए०डी०आई०टी०आई०
2-30, स्टेट बैंक कालोनी-II
बेली रोड़ पटना-800014 (बिहार)

11. श्री रंजीत ईस्सर, — सदस्य-सचिव
संयुक्त सचिव,
बंजरभूमि विकास विभाग
ग्रामीण विकास मंत्रालय,
नई दिल्ली-110011.

II. विचारार्थ विषय :

1. 10-15 वर्ष की समय सीमा के संदर्भ में बनेतर बंजरभूमि के विकास हेतु एक व्यापक नीति और कार्ययोजना तैयार करना;

2. अपेक्षित वित्तीय संसाधनों के स्तर का मूल्यांकन करना तथा संसाधन जुटाने के तरीकों और साधनों तथा स्रोतों का सुझाव देना;

3. बनेतर बंजरभूमि के विकास में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों और उनके विभागों, पंचायती राज्य संस्थानों, स्वैच्छिक एजेंसियों, निगमित क्षेत्र तथा वित्तीय संस्थाओं/बैंकों की भागदारी इंगित करना;

4. बंजरभूमि विकास विभाग को सौपे गये दायित्व के अनुसरण में विभाग द्वारा तैयार की जाने वाली नीति संबंधी पहलों के बारे में सुझाव देना;

5. मोटेतौर पर उन कार्य प्रणालियों की रूपरेखा का सुझाव देना जिसकी मार्फत राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास हेतु प्रस्तावित नीति और कार्य योजना को राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड कार्यान्वित करना चाहें।

यह समिति अपनी रिपोर्ट 6 महीने में पेश करेगी।

हस्ताक्षरित
(रंजीत ईस्सर)
संयुक्त सचिव भारत सरकार

विवरण-II

विगत पांच वर्षों (1992-93 से 1996-97) के दौरान देश में बंजरभूमि के विकास पर किये गये निवेश को दर्शाने वाला विवरण – राज्यवार

क्र०सं०	राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र	कुल (रुपये लाख में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2426.91
2.	अरुणाचल प्रदेश	–
3.	असम	2.61
4.	बिहार	1414.39
5.	गुजरात	2190.05
6.	गोवा	–
7.	हरियाणा	1203.21

1	2	3
8.	हिमाचल प्रदेश	652.53
9.	जम्मू और कश्मीर	219.37
10.	कर्नाटक	763.91
11.	केरल	962.14
12.	मध्यप्रदेश	1449.94
13.	महाराष्ट्र	514.61
14.	मिजोरम	354.65
15.	मणिपुर	213.54
16.	मेघालय	59.57
17.	नागालैंड	747.17
18.	उड़ीसा	1256.37
19.	पंजाब	776.56
20.	राजस्थान	2203.70
21.	सिक्किम	774.81
22.	तमिलनाडु	733.08
23.	त्रिपुरा	123.13
24.	उत्तर प्रदेश	2133.59
25.	पश्चिम बंगाल	2054.26
26.	दिल्ली	26.95
	कुल	25257.05

[अनुवाद]

शंकर समिति

3876. श्री सुरेश कलमाडी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत क्षेत्र के पुनर्गठन के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा गठित शंकर समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस० वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख) एडमिनिस्ट्रेटिव स्टॉफ कालेज ऑफ इंडिया (ए०एस०सी०आई०) हैदराबाद को नियामक प्रणाली की पुनर्संरचना करने संबंधी मुद्दे का अध्ययन कार्य सौंपा गया है। ए०एस०सी०आई० टीम का नेतृत्व श्री टी०एल०शंकर, प्रधानाचार्य, ए०एस०सी०आई० द्वारा किया जा रहा है। ए०एस०सी०आई० को अभी अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

(ग) ए०एस०सी०आई० की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद ही सरकार इस पर अंतिम रूप से विचार कर सकती है।

पैदल पथों का अतिक्रमण

3877. श्री रामसागर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में आवासीय कालोनियों के पैदल पथों सहित सड़क की पटरियों पर अतिक्रमण कर लिया गया है जिसके कारण पैदल यात्रियों का इन पथों पर चलना असंभव हो गया है : और क्या इस बारे में समय-समय पर समाचार पत्रों में खबरें प्रकाशित होती रहती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रकार के अतिक्रमणों के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है/इसके क्या निष्कर्ष हैं; और

(घ) आवासीय कालोनियों के पैदल पथों तथा बरामदों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलु) : (क) से (घ) दिल्ली में सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण एक सतत समस्या है और इनको हटाना भी जारी रहने वाली प्रक्रिया है। जब कभी भी ऐसे अतिक्रमणों का पता चलता है/नोटिस में आते हैं तो दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर परिषद और दिल्ली छावनी बोर्ड द्वारा अपने-अपने क्षेत्राधिकारों में उनको हटाने की कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त, उपराज्यपाल दिल्ली द्वारा सार्वजनिक भूमि पर अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों की जांच हेतु दिल्ली के प्रत्येक नौ जिलों में विशेष कार्य दलों का गठन किया गया है।

रसोई गैस कनेक्शन

3878. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों को रसोई गैस कनेक्शन देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल में बड़ी संख्या में स्वतंत्रता सेनानियों को प्राथमिकता के आधार पर रसोई गैस कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो स्वतंत्रता सेनानियों को रसोई गैस कनेक्शन

आवंटित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) जी, हां। स्वतंत्रता सेनानियों की मांग पर बिना पारी के एल०पी०जी० कनेक्शन उन सामान्य जमाओं के भुगतान पर जारी किए जाते हैं जो आम घरेलू उपभोक्ताओं के लिए लागू होते हैं।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की तेल कंपनियों को केरल राज्य में स्वतंत्रता सेनानी श्रेणी को एल०पी०जी० कनेक्शन जारी न किए जाने से संबंधित कोई प्रमाणित शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जवाहर रोजगार योजना

3879. श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फातमी :
श्री विश्वेश्वर भगत :

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्याकंन संगठन ने देश में जवाहर रोजगार योजना का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्षों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अध्ययन से यह पता चला है कि राज्यों की कुछ ग्राम पंचायतों ने जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत आवंटित निधियों का उपयोग नहीं किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) और (ख) जी हां,। अप्रैल 1989 से सितम्बर 1991 की अवधि को शामिल करते हुए कार्यक्रम मूल्याकंन संगठन, योजना आयोग द्वारा 1992 के दौरान जवाहर रोजगार योजना की तीव्र अध्ययन किया गया था। कार्यक्रम मूल्याकंन संगठन ने इस उद्देश्य हेतु 10 राज्यों, 20 जिलों और 40 ग्राम पंचायतों का चयन किया है। जवाहर रोजगार योजना मूल्यांकन अध्ययन में राज्यवार निष्कर्ष नहीं दिए गए थे।

(ग) और (घ) अध्ययन से पता चला कि 40 चयनित पंचायतों में से 2 ने 1989-90 में और 6 ने 1990-91 में निधियों का बिलकुल उपयोग नहीं किया। 1991-92 के प्रथमार्द्ध में 19 ग्राम पंचायतों ने निधियों के उपयोग की कोई सूचना नहीं दी।

भारत सरकार ने जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन में सुधार लाने हेतु कोई कदम उठाये हैं। इस कार्यक्रम को 1993-94 के दौरान और फिर जनवरी, 1996 में पुनर्गठित किया गया था। निधियों के उचित उपयोग और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य, जिला, खण्ड स्तर पर सतर्कता और निगरानी समितियां गठित करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

मत्स्यन/शीत भंडारण के लिए सहायता

3880. श्री एन०जे० राठवा : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में और विशेषकर गुजरात में समुद्र तटों पर मछलियों के संरक्षण और प्रसंस्करण के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या निजी उद्यमियों और अन्य एजेन्सियों को शीत भंडारों के निर्माण और मछली प्रसंस्करण मशीनों की खरीद के लिए सहायता अनुदान उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना चलाई जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत की गई सहायता अनुदान की वर्ष-वार राशि क्या है;

(ङ) विशेषकर गुजरात की कौन-कौन सी कंपनियों/निजी उद्यमियों और एजेन्सियों को मछली प्रसंस्करण मशीनों की खरीद के लिए सहायता अनुदान स्वीकृत किए गए; और

(च) इस संबंध में अन्य राज्यों का (राज्य-वार) ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) से (ग) मंत्रालय के पास मछली के परिरक्षण और प्रसंस्करण के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु एक स्कीम है। इस स्कीम के तहत विभिन्न संगठनों और निजी उद्यमियों को बर्फ संयंत्रों, प्रशीतल भंडारों, प्रशीतित वाहनों, प्रसंस्करण मशीनरी आदि की पूंजी लागत के एक भाग के रूप में सहायता अनुदान दिया जाता है।

(घ) से (च) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के तहत प्रदान की गई सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 1993-94

क्र० सं०	राज्य	संगठन का नाम	मंजूर की गई राशि (लाख रु० में)
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर	69.75

1	2	3	4
2.	उड़ीसा	उड़ीसा तटवर्ती और चिल्का क्षेत्र विकास निगम लिमिटेड, भुवनेश्वर।	31.00
3.	मिजोरम	मिजोरम सरकार।	23.00
4.	दिल्ली	दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड	11.88
5.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल राज्य मछुआरा सहकारिता संघ लिमिटेड कलकत्ता।	42.00
6.	महाराष्ट्र	सुदेश सी फूडस लिमिटेड, मुम्बई (x)	67.50
वर्ष	*1994-95*		
1.	उड़ीसा	उड़ीसा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, भुवेनश्वर।	50.00
2.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल राज्य मछुआरा सहकारिता संघ लिमिटेड, कलकत्ता।	11.00
वर्ष	*1995-96*		
1.	केरल	ओसेएनिक फिशरी लिमिटेड, कोल्लम (x)	25.00
		यूनिरॉयल मैरिन एक्सपोर्ट लिमिटेड, कोज़ीकोड़ (x)	24.28
		नोवेटिव मैरीन फूड्स लिमिटेड, कोचीन (x)	25.00
		इंटरनेशनल क्रिएटिव फूड्स लिमिटेड, अरूर (x)	25.00
		कोल्लूथारा एक्सपोर्ट लिमिटेड, अरूर (x)	12.70
		एक्सिलिरेटिड फ्रिज़ ड्राइंग कम्पनी लिमिटेड, एजुपुन्ना (x)	25.00
		पड़िनजारथलाक्कल (प्रा०) लि०, कोचीन (x)	2.28
		लानसी फूड्स (प्रा०) लि०, कोचीन (x)	25.00
2.	आंध्र प्रदेश	कोस्टल ट्रालर लि०, विशाखापत्तनम (x)	13.81
		सुर्वना एक्वा फार्म एंड एक्सपोर्ट लि०, हैदराबाद	25.00
		शरत सी फूड्स लिमिटेड, हैदराबाद (x)	25.00
		सूर्यचक्र सी० फूड्स लि०, काकीनाडा (x)	20.52
		डी०सी०एल० मैरीटेक लि०, हैदराबाद (x)	25.00
		पेन्नर एक्वा एक्सपोर्ट लि०, सिकन्द्राबाद (x)	25.00
		कल्याण सी० फूड्स लि०, काकीनाडा (x)	25.00
		एल्सा मैरीन एंड हार्वेस्ट लिमिटेड (x)	5.00
3.	गुजरात	वीरावल मैरनी एंड कैमिकल्स लि०, वीरावल (x)	25.00
		हीरावती एक्सपोर्ट (प्रा०) लि०, पोरबन्दर (x)	25.00
		चाम फूड्स लिमिटेड, पोरबन्दर (x)	25.00
4.	महाराष्ट्र	वाडगाय फूड्स लिमिटेड, मुम्बई (x)	15.47
5.	पश्चिम बंगाल	एल्सा मैरीन एंड हार्वेस्ट लिमिटेड (x)	20.00

(x) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोचीन के मार्फत।

[अनुवाद]

उड़ीसा को केन्द्रीय सहायता

3881. श्री के०पी० सिंह देव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने धोकमाल तथा अनुगुल के वर्तमान ग्रिड में विद्युत आपूर्ति में सुधार लाने हेतु केन्द्र से वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस० वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ग) विद्युत वित्त निगम (पी०एफ०सी०) ने प्रणाली सुधार के लिए कैपेसिटर बैंक की अधिष्ठापना हेतु दो ऋणों की स्वीकृति प्रदान की है।

(I) 250 एम०वी०ए०आर० केपेसिटर बैंक की अधिष्ठापना हेतु 7.60 करोड़ रुपये का ऋण धेनकनाल टाउन में 10 एम०वी०ए०आर०।

(II) 52.5 एम०वी०ए०आर० केपेसिटर बैंक की अधिष्ठापना हेतु 1.04 करोड़ रुपये का ऋण। इसमें धेनकनाल टाउन में 1x600+7x300 एम०वी०ए०आर० तथा अन्नुगल में 3x300+5x300 एम०वी०ए०आर० की कैपेरिटर अधिष्ठापना शामिल है।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर०ई०सी०) के लिए भी धेनकनाल जिले में 13 प्रणाली सुधार स्कीमे 568.616 लाख रुपये की लागत पर स्वीकृति की गई है।

कर्मचारी चयन आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय

3882. श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केरल में कर्मचारी चयन आयोग का एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक खोले जाने की संभावना है;

(ग) क्या केरल के आवेदकों से एकत्र किया गया आवेदन शुल्क इस कार्यालय को चलाने हेतु पर्याप्त होगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार के पास अन्य संसाधन क्या हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रहमण्यन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए धनराशि

3883. डॉ० प्रवीन चन्द्र शर्मा : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असम को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत पूरी धनराशि स्वीकृति कर दी है;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत असम को कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और शेष कितनी धनराशि स्वीकृत की जानी है; और

(ग) स्वीकृत राशि को अभी तक जारी नहीं करने के क्या कारण हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) जी, नहीं।

(ख) असम के संबंध में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की तीनों योजनाओं के लिए आबंटित 1594.84 लाख रुपये में से वर्ष 1996-97 में अब तक 588.99 लाख रुपये रिलीज कर दिए गए हैं। पात्र जिलों को निधियां उपयोगिता रिपोर्ट के प्राप्त होते ही जारी कर दी जाएगी।

(ग) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियों का जारी किया जाना पूर्व में जारी निधियों के 50 प्रतिशत या उससे अधिक के उपयोग कर लिए जाने पर निर्भर है। चूंकि जिलों द्वारा पूर्व में जारी निधियों के बड़े भाग का उपयोग नहीं किया गया, इसलिए और अधिक निधियों का जारी किया जाना संभव नहीं हुआ।

गांवों से शहरों की ओर पलायन

3884. श्री सुशील चन्द्र : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षित ग्रामीण युवकों में कितने लोग बेरोजगार हैं, औपचारिक शिक्षा के अलग-अलग चरणों में शिक्षार्थियों की अलग-अलग संख्या क्या है;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ रही है जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण युवकों का शहरों की ओर पलायन हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे पलायन करने वालों की वार्षिक औसत संख्या क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) श्रम मंत्रालय के अनुसार, बेरोजगार ग्रामीण शिक्षित युवाओं के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में, पुरूष एवं महिला दोनों की बेरोजगारी की दर (श्रम शक्ति में प्रति 1000 व्यक्तियों में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या) में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (1987-88) के 43 वें दौर की तुलना में राष्ट्रीय प्रतिदार्श सर्वेक्षण (1993-94) के 50 वें दौर में गिरावट आई है। वर्तमान साप्ताहिक स्थिति के अनुसार पुरूष हेतु बेरोजगारी की

दर 43 वें दौर के 42 की तुलना में 50 वें दौर में 31 है। इसी तरह से, महिलाओं की बेरोजगारी दर 43 वें दौर के 44 की तुलना में 50 वें दौर में 29 है।

जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले गांव के गरीबों को स्वरोजगार के साथ-साथ मजदूरी रोजगार प्रदान करने के लिए लक्षित हैं और इनसे ग्रामीण शहरी पलायन को रोकने में भी मदद मिल रही है।

लघु पन बिजली परियोजना

3885. श्री आर०वी० राई : क्या अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 वर्ष से अधिक समय पहले दार्जिलिंग में रूंगमूक चाय बागान में चालू की जाने वाली लघु पन बिजली परियोजना अभी तक चालू नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस असाधारण/अप्राकृतिक विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (ग) दार्जिलिंग में रूंगमूक चाय बागान में रूंगमूक और सेडार्स (4x125 किवा) लघु पन बिजली परियोजना की स्थापना पश्चिम बंगाल रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (डब्ल्यू०वी०आर०ई० डी०ए०) द्वारा की जा रही है। इसे 32 माह, अर्थात् जनवरी, 1997 की पूर्णता अवधि के साथ मंत्रालय द्वारा पूंजीगत आर्थिक राज सहायता योजना के अंतर्गत मई, 1994 में सहायता दी गई। परीक्षण चालन पहले ही पूरे कर लिए गए हैं और अप्रैल, 1997 के लिए वाणिज्यिक उत्पादन की योजना है। अतः इस परियोजना के कार्यान्वयन में कोई अनावश्यक विलंब नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

टिहरी बांध

3886. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिमाचल क्षेत्र में बांध जलाशय और जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण से प्रभावित स्थानीय लोगों को इनका लाभ देने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या टिहरी बांध के जल ग्रहण क्षेत्र में पेय जल और सिंचाई हेतु जल की भारी कमी है और वहां के लोग वर्षों से नदियों का जल उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या बांध से क्रमशः 300 और 350 किलोमीटर दूर मेरठ और दिल्ली में बिजली और जल की आपूर्ति करने तथा अलीगढ़ में सिंचाई जल की आपूर्ति करने हेतु योजना का प्रावधान है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस क्षेत्र के लोगों की जल संबंधी समस्या को दूर करने हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० वेणुगोपालाचारी) : (क) से (छ) हिमालय क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को लाभ देने के लिए कोई सामान्य योजना नही बनाई गई है। परियोजना प्राधिकारियों ने संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा, रोजगार, व्यवसायिक प्रशिक्षण आदि जैसे पुनर्वास लाभ दिए जाते हैं।

टिहरी जल विद्युत परियोजना चरण-I के पूरा होने में परिकल्पित मुख्य लाभों में अन्य बातों के साथ-साथ ये लाभ सम्मिलित हैं :-

दिल्ली को प्रतिदिन 162 मिलियन गैलन (300 क्यूसैक्स) पीने को पानी की आपूर्ति और उत्तर प्रदेश के शहरों तथा गांवों को प्रतिदिन 108 मिलियन गैलन (200 क्यूसेक्स) पीने के पानी की आपूर्ति भी शामिल है। नदियों से जल उत्थापन तथा टिहरी बांध क्षेत्र के आवाह क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जल समस्याओं को दूर करने की जिम्मेवारी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की है।

[अनुवाद]

अंतर-कार्मिक संप्रेषण कौशल

3887. श्री गोरधन भाई जावीया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता और अन्य व्यक्तियों के साथ पारस्परिक संपर्क हेतु सरकारी कर्मचारियों के लिए अंतर कार्मिक कौशल से संबंधित कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रहमण्यन): (क) और (ख) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग विविध विषयों में बहुत से प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रायोजित करता रहा है। इनमें से संप्रेषण कौशल

भी ऐसा विषय है जिस पर प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रायोजित किए जाते हैं। उदाहरणार्थ, वर्ष 1996-97 के दौरान संप्रेषण कौशल से संबंधित निम्नलिखित कार्यक्रम प्रायोजित किए गए :–

1. प्रशासन संस्थान, हैदराबाद में 04 से 06 जून, 1996 तक अंतर-कार्मिक संबंधों के लिए प्रभावी संप्रेषण कार्यक्रम।

2. अन्ना प्रबन्ध संस्थान, चेन्नई में 12 से 14 जून, 1996 तक संप्रेषण कौशल और प्रबंधकीय प्रभावोत्पादकता कार्यक्रम।

3. सहकारी प्रबंध संस्थान, गुवाहाटी में 17 से 21 जून, 1996 तक प्रभावी प्रबंधकीय निर्णयों के लिए संप्रेषण कौशल कार्यक्रम।

4. प्रशासन संस्थान, हैदराबाद में 13 से 17 मई, 1996 तक जन-संचार तथा लोक-सम्पर्क कार्यक्रम।

5. यशवंत राव चव्हाण विकास प्रशासन संस्थान, पुणे में 20 से 24 मई, 1996 तक विकास के लिए संचार तथा कौशल कार्यक्रम।

(ग) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

डी०डी०ए० आवास

3888. श्री मंगल राम प्रेमी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 मार्च, 1997 के "दि टाइम्स आफ इंडिया" में "रिजेक्टेड डी०डी०ए० हाऊसेज आन आफर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) सरकारी उपक्रमों द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से दिए गए फ्लैटों को अस्वीकार कर दिए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) वर्ष 1996 में शुरू की गई "विस्तारणीय आवास योजना" के अन्तर्गत इन आवासों को आम जनता को उपलब्ध करा कर उनसे पैसा ऐंठने के क्या कारण हैं; और

(ङ) "न्यू पैटर्न स्कीम" 1979 के अन्तर्गत पंजीकृत लोगों को मनमाने ढंग से किसी भी क्षेत्र में उन्हें आवास आवंटित करने के बजाए उनके पंसद के किसी क्षेत्र में आवास आवंटित कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) जी, हां

(ख) और (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचना दी है कि निजी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कोई मकान अस्वीकार नहीं किये गये हैं। तथापि, इनमें से कुछ उपक्रम मकान को अपनी अपेक्षाओं के अनुकूल चाहते हैं।

(घ) विस्तारणीय आवास सामान्य जनता को भी दिये गये, जिन्होंने डी०डी०ए० से पहले पंजीकृत नहीं किया था, ये मकान उनको ही आवंटित किये जायेंगे जिन्होंने इन मकानों के लिए आवेदन दिया है।

(ङ) न्यू पैटर्न रजिस्ट्रेशन स्कीम, 1979 के पंजीकृत लोगों का आवंटन ड्रॉ द्वारा किया जाता है तथा उसमें क्षेत्र के संबंधित कोई वरीयता नहीं दी जाती।

परमाणु ऊर्जा का उपयोग

3889. श्री नीतीश भारद्वाज : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक परमाणु रिएक्टरों पर कितनी धनराशि खर्च की गयी है;

(ख) परमाणु ऊर्जा के विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग का ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे कितनी वित्तीय लाभ हुआ है; और

(घ) भविष्य में परमाणु ऊर्जा का किन-किन विभिन्न उद्देश्यों हेतु उपयोग किया जायेगा ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ): (क) से (घ) सूचना समेकित की जा रही है और एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

परती भूमि विकास कार्यक्रम

3890. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार परती भूमि विकास कार्यक्रम को निगमित क्षेत्र द्वारा शुरू किए जाने हेतु इन्हें कतिपय प्रोत्साहन देने तथा इस कार्यक्रम के अंतर्गत कर में छूट प्रदान करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो इसें कब तक किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजस्थान का 12 परती भूमि परियोजनायें केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार इन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या केन्द्र सरकार राज्य की भौगोलिक स्थिति तथा प्रतिकूल मौसम की स्थिति के मद्देनजर परती भूमि विकास कार्यक्रम की प्रति हैक्टर लागत में वृद्धि करने पर विचार कर रही है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) और (ख) जी, हां। वनेतर बंजरभूमि के विकास हेतु चालू केन्द्रीय क्षेत्र की निवेश संवर्धन योजना में बंजरभूमि के विकास में निगमित क्षेत्र को शामिल करने की परिकल्पना की गई है। योजना का उद्देश्य केन्द्र/राज्य सरकारों, पंचायत, ग्राम समुदाय, निजी किसानों आदि की बनेतर बंजरभूमि के विकास के लिए उपभोक्ता उद्योगों तथा अन्य उद्यमियों सहित वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, निगमित निकायों से संसाधनों को जुटाना/आकृष्ट करना/सरणीवद्ध बनाना/सुविधाजनक बनाना है।

योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय संवर्धन सबसिडी/अनुदान वित्तीय संस्थाओं/बैंकों द्वारा यथा-अनुमोदित और निश्चित अधिकतम 25 लाख रुपये अथवा परियोजना लागत के 25% जो भी कम हो, के आधार पर दी जाती हैं इसके अलावा बैंक योग्य/व्यवहार्य परियोजनाओं को तैयार करने के लिए परियोजना लागत की 1% राशि परियोजना निर्माण सहायता के रूप में स्वीकार्य है, तथापि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के लोगों द्वारा संवर्धित परियोजनाओं के मामले में परियोजना निर्माण सहायता के रूप में परियोजना लागत की 1% सहायता के अलावा ये लोग प्रति परियोजना अधिकतम 50,000 रुपये तक की सीमा के आधार पर 50% संवर्धन अनुदान/सवसिडी के लिए पात्र हैं।

निवेश संवर्धन योजना में करों में राहत के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

(ग) से (च) वर्तमान में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम के अंतर्गत राजस्थान के सीकर (दो परियोजना प्रस्ताव) और धौलपुर जिलों के तीन प्रस्ताव विभाग में विचारार्थ लंवित पड़े हैं।

अन्य 10 प्रस्तावों को वाटरशेड विकास हेतु मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार पुनः तैयार करने के लिए राज्य सरकार को लौटा दिया गया है। अपेक्षित सूचना प्राप्त होने के उपरांत इन प्रस्तावों पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा। इन परियोजनाओं को स्वीकृति करने की कोई समय सीमा नहीं बताई जा सकती है।

(छ) फिलहाल समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम के अंतर्गत वाटरशेड विकास हेतु प्रति हैक्टेयर लागत मानदंडों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ज) प्रश्न ही नहीं उठता।

(झ) अब तक कोई विशिष्ठ अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

अपट्रान इंडिया लिमिटेड

3891. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम का एक एकक अपट्रान इंडिया लिमिटेड वर्ष 1994 से रुग्ण है और बी०आई० एफ०आर० के विचाराधीन है और प्रधान मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि अपट्रान इंडिया लिमिटेड को बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(ख) यदि हां, तो अपट्रान इंडिया लिमिटेड में आज की तिथि के अनुसार कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार के विचाराधीन ऐसे कर्मचारियों को "गोल्डन हैंडशेक' देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त के संवंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ): (क) अपट्रॉन इंडिया लिमिटेड नामक उत्तर प्रदेश सरकार को एक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई को बी०आई०एफ०आर० द्वारा दिनांक 19.8.94 को रूग्ण औद्योगिक कम्पनी घोषित किया गया है।

प्रधान मंत्री जी ने दिनांक 28.8.96 को इलाहाबाद में यह बताया था कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के अपट्रॉन को वेचा नहीं जाएगा और नई चुनी हुई सरकार इस वारे में अंतिम निर्णय लेगी।

(ख) 31.1.97 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की संख्या नीचे दिए अनुसार है :–

श्रेणी-I	145
श्रेणी-II	244
श्रेणी-III	1584
श्रेणी-IV	365
	2338

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग

3892. डॉ० टी० सुब्बारामी रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इजरायल के राष्ट्रपति तथा उनके प्रतिनिधिमंडल का दौरा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए वरदान साबित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इजरायल के सॉफ्टवेयर उद्योग के प्रतिनिध तथा एम०एल०एल० एण्ड सर्विसेज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के अनुसार सिस्टम्स सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में भारत के पिछड़ेपन के कारण परियोजना में इसकी वर्तमान क्षमता के अतिरिक्त, पैकेजिस के विकास के लिए भारत की कुशलताओ पर बल देने की आवश्यकता है;

(ग) क्या इस संबंध में इजरायली सरकार के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ): (क) दोनों पक्षों ने सूचना प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग करने की सम्भावनाओं का पता लगाने में गहरी दिलचस्पी दिखायी है।

(ख) इस प्रकार की कोई बातचीत नहीं हुई।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

दूषित जल

3895. श्री जगत वीर सिंह "द्रोण" : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कानपुर (उ०प्र०) के जल की पूर्ति विभाग द्वारा लोगों को दूषित जल पूर्ति की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये जिम्मेदार पाये गये व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही नहीं किये जाने के क्या कारण है; और

(ग) सुरक्षित पेयजल प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलु) : (क) कानपुर जल संस्थान ने सूचित किया है कि कानपुर शहर के लोगों को प्रदूषित जल की आपूर्ति नहीं की जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गंगा नदी और निचली गंगा नहर के कच्चे पानी की परम्परागत पद्धतियों अर्थात् स्कंदन, निस्पन्दन, निसंक्रमण द्वारा शोधन किया जाता है। गहरे नलकूपों से निकलने वाला भूमिगत जल निसंक्रमण के बाद सप्लाई किया जाता है। विश्व बैंक परियोजना के तहत सैटलिंग टैंक नं० 2 का माडल दोबादा बनाया गया है। पानी की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए 200 मिलियन लीटर प्रतिदिन की क्षमता का एक नया निष्पादन संयंत्र तथा पूर्व तथा अनुवर्ती क्लोरिकरण संयंत्र शुरू किया गया है। पानी की गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जा रही है।

[अनुवाद]

निजी क्षेत्र की पारेषण परियोजनाएं

3894. श्री राम नाईक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निजी क्षेत्र की अनेक पारेषण परियोजनाएं विद्युत अधिनियम का उल्लंघन कर रही हैं और वे अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित राशि से अधिक लाभ अर्जित कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन निजी परियोजनाओं द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत कितना है; और

(ग) ऐसी परियोजनाओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस० वेणुगोपालाचारी) : (क) आज की तिथि अनुसार विशेषतः विद्युत पारेषण के क्षेत्र में कोई भी निजी क्षेत्र की पारेषण कम्पनियां कार्य नहीं कर रही हैं।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मारे गए छापे

3895. लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उत्तर प्रदेश सरकार के सात अधिकारियों के मकानों पर छापे मारे और उनकी आय से अधिक भारी मात्रा में धनराशि और सम्पत्ति प्राप्त की;

(ख) क्या उपर्युक्त छापों के बावजूद ये अधिकारी अपने-अपने पदों पर अभी भी आसीन हैं और अभी तक उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू नहीं की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रह्मण्यन): (क) जी, नहीं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उत्तर प्रदेश सरकार के सात अधिकारियों के मकानों पर छापे नहीं मारे हैं।

(ख) और (ग) जब कोई अन्वेषण एजेन्सी राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी द्वारा उसकी आय के ज्ञात-स्रोतों से अधिक सम्पत्ति अपने पास रखने से हुए अपराध को राज्य सरकार के ध्यान में लाती है; तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के तहत ऐसे मामलों में राज्य सरकार कार्रवाई करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है।

चण्डीगढ़ की धनाबंटन

3896. श्री सत्यपाल जैन : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र, चण्डीगढ़, के विभिन्न गांवों के विकास के लिए वर्ष 1996-97 के दौरान धनराशि आवंटित की गई थी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) 31 दिसम्बर, 1996 तक कितनी धनराशि का उपयोग किया गया और पूरे किये गये अथवा शुरू किये गये विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में मार्च, 1997 तक कार्यान्वित की जाने वाली भावी योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) से (ग) जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण युवा स्वरोजगार, प्रशिक्षण, इंदिरा आवास योजना चण्ड़ीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र में कार्यान्वित नहीं किये जा रहे है और इसी लिए निधियां आंवटित नहीं की जाती है। ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत संघ राज्य क्षेत्र चण्ड़ीगढ़ को सभी बसावटों को पेयजल सुविधाएं प्राप्त है। 1996-97 के दौरान जलापूर्ति के लिए कोई निधि आवंटित नहीं की गई है। परन्तु केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत 5.0 लाख रुपये आंवटित किये गये है।

अत्याधुनिक हथियारों की उपलब्धता

3897. श्री मंगत राम शर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान की सीमा के समीप तैनात सुरक्षा एजेंसियों को अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध नहीं कराने के कारण आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें अत्याधुनिक हथियार तथा बेहतर संचार/परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बाला सुब्रह्मण्यन): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) सीमा/नियंत्रण रेखा पर तथा भीतरी प्रदेश दोनों में ही आतंकवादी गतिविधियों से निपटने में सुरक्षा बलों के सामने आने वाली चुनौतियों के संदर्भ में हथियारों एवं उपकरणों की जरूरतों का पता लगाने के लिए कार्रवाई लगातार चलती रहती है। हथियारों एवं उपकरणों आदि का उन्नयन भी एक सतत प्रक्रिया है और सुरक्षा बलों के प्रमुखों तथा केन्द्र सरकार के बीच इस बारे में नियमित रूप से बातचीत होती रहती है।

[हिन्दी]

कृषि विपणन प्रणाली संबंधी नीति

3898. डा० ए०के० पटेल : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि विपणन प्रणाली के अन्तर्गत उत्पादकों, व्यापारियों तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हेतु सरकार द्वारा क्या नीतियां तैयार की गई है;

(ख) क्या सरकार ने इस योजना का लाभ उपयुक्त व्यक्तियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) कृषि विपणन का मामला राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकार-क्षेत्र में आता है। केन्द्र सरकार की भूमिका उत्पादों, व्यापारियों तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने हेतु कृषि विपणन संबंधी उपयुक्त नीतियां एवं कार्यक्रम बनाने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी सलाह एवं निर्देशन देने तक ही समिति है। इस समय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कृषि विपणन के क्षेत्र में कोई भी केन्द्रीय क्षेत्र की योजना क्रियान्वित नहीं की जा रही है।

(ख) कोई भी सर्वेक्षण नहीं करवाया गया है।

(ग) लागू नहीं होता।

पेयजल सुविधा

3899. श्री राम टहल चौधरी :
श्री पवन दीवान :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985, 1990 तथा 1997 के दौरान कितने प्रतिशत शहरी आबादी को पेयजल उपलब्ध कराया गया है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, पेयजल मुहैया करायी गयी शहरी आबादी का प्रतिशत इस प्रकार है :–

दिनांक	प्रतिशत
31.3.85	72.9
31.12.90	84.15
31.3.97	85.00 प्रत्याशित

तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम के तेल कुएं में आग

3900. श्री सत्यदेव सिंह :
श्रीमती लक्ष्मी पनवाका :
श्री मोहन रावले :
श्री अन्नासाहिब एम०के० पाटिल :
श्री महेन्द्र सिंह भाटी :
श्री नामदेव दिवाये :
श्री पंकज चौधरी :
श्री सनत कुमार मंडल :
श्री भक्त चरण दास

श्री तारीक अनवर :
श्री भगवान शंकर रावत :
श्री आर०एल०पी० वर्मा :
श्री सुल्तान सलाहुद्दीन ओवेसी :
डा० एम०पी० जायसवाल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के मंडापेटा में कृष्णा-गोदावरी बेसिन में भूमि पर तेल और प्राकृतिक गैस निगम के अनुसंधान संबंधी कुएं में भयंकर विस्फोट के कारण 19 फरवरी, 1997 को आग लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तत्संबंधी कारण क्या है और इस आग से अनुमानतः कितनी हानि हुई;

(घ) क्या कुंए में लगी आग पर नियंत्रण पाने के लिए संयुक्त राज्य अमरीका से विशेषज्ञ बुलाए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इन अमरीकी विशेषज्ञों को प्रतिदिन कितनी धनराशि का भुगतान किया जा रहा है;

(छ) क्या कुएं में लगी आग पर नियंत्रण पा लिया गया है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं के मामले में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी, हां।

(ख) पूर्वी गोदावरी जिले में ओ०एन०जी०सी० की कृष्णा गोदावरी परियोजना के मांडापेट (वैस्ट)-I में 19.2.97 के 1900 बजे एक गैस विस्फोट हुआ।

(ग) मंडापेटा वैस्ट वेधन स्थल पर 2754.5 मीटर की गहराई पर वेधन के समय कूप क्रियाशील हो गया और अचानक सैलर पिट से तेल और गैस तीव्र गति से निकलने शुरू हो गए तथा आग लग गई। मैसर्स हाईटेक ड्रिलिंग कंपनी की रिग और उसके उपस्करों को नुकसान पहुंचा हैं आग लगने की इस दुर्घटना के कारण ओ०एन०जी० को लगभग 7.02 करोड़ रुपये की क्षति होने का अनुमान है।

(घ) जी, हां।

(ङ) कूप पर नियंत्रण पाने के क्रियाकलापों के कार्यान्वयन की योजना में सलाह और सहायता देने हेतु ओ०एन०जी०सी० द्वारा मैसर्स वाइल्ड वैल कन्ट्रोल इंक०, टेक्सास से 3 विशेषज्ञों को लाया गया।

(च) ओ०एन०जी०सी० द्वारा प्रति विशेषज्ञ 3500 अमेरिकी डालर प्रतिदिन का भुगतान किया गया है।

(छ) और (ज) आग 24.2.1997 को बुझ गई।

(झ) ओ०एन०जी०सी० द्वारा सभी क्षेत्रों में अपनी उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं और जन शक्ति से "संकट प्रबन्धन दल" का गठन करने के प्रयास किए गए हैं। तथापि, ओ०एन०जी०सी० ने अन्य बातों के साथ-साथ भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए अपेक्षित उपायों का सुझाव देने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच आरंभ की है।

[अनुवाद]

पेयजल योजना हेतु धन

3901. श्रीमती लक्ष्मी पनवाका : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विशाखापत्तनम में रामगुंडम, राजमुन्द्री नगरपालिकाओं आदि को पेयजल प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय संरक्षण योजना (गोदावरी) के अंतर्गत सभी तक 94.90 करोड़ रुपये खर्च किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हुडको भी आंध्र प्रदेश में पेयजल प्रदान करने हेतु 438 करोड़ रुपये मंजूर करने पर सहमत हो गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या राज्य में नगरपालिका के अन्य शहरों को भी ऋण सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो राज्य में पेयजल प्रदान करने हेतु हुडकों द्वारा कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलु) : (क) और (ख) जी, नहीं, यद्यपि पर्यावरण तथा वन मंत्रालय (राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय) ने बताया है कि 53.7872 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत पर केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अधीन आन्ध्र प्रदेश के चार नगरों अर्थात मनचारियल, भद्राचलम, राजमुन्द्री तथा रामगुंडम में गोदावरी नदी के प्रदूषण को रोकने का काम आरंभ किया गया हैं इसकी लागत का वहन केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा समान अनुपात में किया जाएगा। इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए अब तक केन्द्र के हिस्से के रूप में 3.813 करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकार को जारी की जा चुकी है। इसमें विशाखापत्तनम में रामगुंडम, राजमुन्द्री, नगरपालिकाओं को पेयजल मुहैया कराने के लिए कोई राशि शामिल नहीं है।

(ग) 465.64 करोड़ रुपये की पूरी परियोजना लागत के लिए हडको ने आन्ध्र प्रदेश में 40 जलपूर्ति स्कीमों के लिए 293.14 करोड़ रुपये की ऋण सहायता स्वीकृत की है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) हडको ने राज्य में पेयजल की स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को 7.12 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।

जलापूर्ति के लिए निधि का उपयोग

3902. **श्री सनत मेहता :**
श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया :

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बड़ौदा जिले के विभिन्न स्थानों में 265 गांवों को निर्बाध जलापूर्ति उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वैकल्पिक सिंचाई और पेय जलापूर्ति फिर से चालू करने हेतु 40 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत और जारी की गइ राशि का राज्य सरकार ने पूर्ण उपयोग कर लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने इस प्रयोजन हेतु निधि के उपयोग के लिए क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) संघ सरकार ने वड़ोदा जिले की ऐसी बस्तियों सहित शामिल न की गई और आंशिक रूप से शामिल की गई बस्तियों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति करने के लिए वर्ष 1996-97 के दौरान गुजरात की राज्य सरकार को 40.395 करोड़ रुपए जारी किए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पेट्रोलियम संरक्षण

3903. **श्री माधव राव सिंधिया :**
कुमारी उमा भारती :
श्री पंकज चौधरी :
डा० रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संगठन को 84 करोड़ रुपये देने का वायदा किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस धन का उपयोग कैसे किया जाएगा;

(ग) पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संगठन ने कौन-कौन सी योजनाएं/कार्यक्रम तैयार किए हैं; और

(घ) इस समय/या आयातित तेल पर कितने प्रतिशत निर्भरता है और इस संरक्षण कार्यक्रम के पश्चात निर्भरता कितने प्रतिशत रह जायेगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालु) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, पूरे देश में फैली लगभग 2000 इस्पात पुनरबेलनी मिलों द्वारा की जाने वाली 20 से 30 प्रतिशत ऊर्जा खपत की बचत करने से संबंधित परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए विश्व पर्यावरण सुविधा (जी०ई०एफ०) के साथ संवाद जारी है।

(घ) वर्ष 1996-97 के संशोधित अनुमानों के अनुसार आयातित क्रूड पर निर्भरता कुल क्रूड संसाधन की 53.1 प्रतिशत है। इस परियोजना के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष 0.5 लाख टन तेल तथा 0.8 लाख टन कोयले की बचत होने का अनुमान हैं संरक्षण कार्यक्रम क्रियान्वयन से कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता के विषय में कुछ पता लगाने की संभावना नहीं है क्योंकि कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता, शोधन क्षमता तथा स्वदेशी क्रूड उत्पादन पर निर्भर करती है।

नीलम तेल क्षेत्र

3904. **श्री मोहन रावले :**
श्री प्रमोद महाजन :
श्री संतोष मोहन देव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओ०एन०जी०सी० द्वारा नीलम तेल क्षेत्र अपतटीय परियोजना में कितनी राशि खर्च की गई है;

(ख) क्या नीलम तेल क्षेत्र से प्रत्येक वर्ष 6 मिलियन टन कच्चे तेल का उतपादन करने की योजना थी;

(ग) क्या उक्त तेल क्षेत्र में एक वर्ष में कच्चे तेल का उत्पादन कभी भी 3 मिलियन टन नहीं हो पाया;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) क्या नीलम तेल क्षेत्र में परामर्श हेतु कंपनियों को आमंत्रित किए जाने का प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या नीलम तेल क्षेत्र का कार्य संयुक्त उद्यम में दिए जाने पर विचार है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालु) : (क) ओ०एन०जी०सी० ने 31.3.1996 तक नीलम तेल क्षेत्र के विकास के संबंध में कुल 2755.39 करोड़ रुपए का निवेश कर दिया है।

(ख) जून, 1993 में परिकल्पित, नीलम क्षेत्र से अधिकतम तेल उत्पादन वर्ष 1995-96 के बाद से पांच वर्षों के लिए 4.5 एम०एम० टी०पी०ए० था।

(ग) और (घ) जी, नहीं। 1994-95 और 1995-96 के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन क्रमश 3.808 एम०एम०टी० और 3.528 एम० एम०टी० था।

(ङ) और (ज) वर्तमान समय में ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

रिहायशी इकाइयां

3905. श्री अन्नासाहिब एम०के० पाटिल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दस वर्षों के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अन्तर्गत शहरी निर्धनों के लिए कितने मकानों का निर्माण किया गया और निर्धनों को आवंटित किए गए तथा उन पर राज्यवार और जिलेवार कितना व्यय किया गया;

(ख) चालू वर्ष के दौरान राज्यवार लक्ष्य सहित शहरी निर्धनों हेतु आवास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अन्तर्गत कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है;

(ग) क्या इन योजनाओं की उचित पुनर्रचना करने के लिए हाल ही में शहरी निर्धनों हेतु आवास योजना के कार्यान्वयन की समालोचनात्मक समीक्षा की गयी थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलु) : (क) और (ख) शहरी निर्धनों के लिए नये रिहायशी मकान बनाने की कोई केन्द्रीय स्कीम नहीं है। परन्तु, नेहरू रोजगार योजनाएं तथा प्रधानमंत्री के एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत मकान तथा आश्रय सुधार के मार्फत रोजगार की स्कीम के अधीन शहरी गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को मकानों के नवीकरण/मरम्मत के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध है।

हालांकि नेहरू रोजगार योजना के अधीन आश्रय सुधार के लिए चालू वर्ष में कोई प्रावधान नहीं है, फिर भी प्रधान मंत्री के एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए 70.60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिसकी एक मद आश्रय सुधार करना है।

(ग) और (घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए शहरी हाउसिंग के कार्यदल ने शहरी आवास की आवश्यकताओं की समीक्षा की है और अनुमान लगाया है कि 1997-98 से 2001-2002 की पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान ई०डब्ल्यू०एस० तथा निम्न आय वर्ग की मकानों की आवश्यकता 15.02 मिलियन होगी।

शहरी हाउसिंग स्कीम की पुनर्रचना/पुनर्विन्यास किया जाना नौवी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिए जाने पर निर्भर करेगी।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण

3906. डॉ० राम विलास वेदान्ती :
श्री रामशकल :
श्री सोहनवीर सिंह :
डा० अमृत लाल भारती :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के उत्तर प्रदेश के उन गांवों का पता लगाने के लिए कोई कार्यक्रम बनाया है जिनका अब तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संख्या तथा ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन गांवों के विद्युतीकरण के लिए कोई समयबद्ध योजना प्रस्तावित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इन गांवों का विद्युतीकरण कब तक कर दिए जाने की संभावना है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस० वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, जनवरी, 1997 तक उत्तर प्रदेश में 25250 गांवों को विद्युतीकृत किया जाना शेष है।

(ग) से (च) ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम एक सतत प्रक्रिया है। इस कार्यक्रम के लिए निधियों का आवंटन योजना आयोग द्वारा राज्य सरकारों/राज्य विद्युत बोर्डों के साथ विचार-विमर्श करके समग्र रूप में राज्य के लिए होता है।

इस राज्य के शेष अविद्युतीकृत गांवों को 9वीं योजना तथा अनुवर्ती योजना अवधियों के दौरान साधनों तथा अन्य निदेशों की उपलब्धता पर निर्भर रहते हुए विद्युतीकृत किया जाएगा।

[अनुवाद]

गहरे समुद्र में मत्स्यन

3907. श्री प्रमोद महाजन :
श्री गोपाल टंडेल :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 में आज तक गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए कितने विदेशी पोतों को लाइसेंस प्रदान किए गए हैं; और

(ख) भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ई०ई०जेड०) में इस समय मछली पकड़ रहे पोतों का ब्यौरा क्या है और उनके परमिटों की मियाद कब समाप्त होने की संभावना है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) विदेशी मत्स्यन जलयानों की लीजिंग और चार्टरिंग हेतु भारतीय कंपनियों को परमिट दिए गए थे। इन विदेशी मत्स्यन जलयानों को दिए गए परमिटों की वर्षवार संख्या निम्नलिखित हैं :–

वर्ष	चार्टर	लीज़
1994-95	34	20
1995-96	9	25
1996-97	शून्य	शून्य

(ख) इस समय चार्टर के तहत दो विदेशी मस्त्यन जलयान तथा लीजिंग के तहत ऐसे 10 जलयान चल रहे हैं। चार्टर के तहत जलयानों के परमिट की अवधि 9.4.97 को खत्म होगीं लीजिंग के तहत दिए गए अंतिम परमिट की अवधि वर्ष 2000 में खत्म होगी।

राज्यों द्वारा संसाधन जुटाना

3908. प्रो० ओम पाल सिंह "निडर" : क्या योजना और कार्यन्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश राज्य सरकारें आठवीं योजना के दौरान अपेक्षित मात्रा में संसाधन जुटान में विफल रही है जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न विकास कार्य बन्द हो गए हैं और केन्द्र सरकार पर वित्तीय भार बढ़ गया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा उन राज्यों के विरुद्ध क्या कार्रवाही किए जाने का प्रस्ताव है जो संसाधन नहीं जुटा पाए हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ) : (क) राज्यों के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के परिव्यय का निर्धारण वर्ष 1991-92 की कीमतों पर 175,285 करोड़ रु० किया गया था जिसके लिए 95,954 करोड़ रुपये की निधियां राज्यों के स्वयं के संसाधनों द्वारा तथा 79,531 करोड़ रु० की निधियां केन्द्रीय सहायता के द्वारा उपलबध कराई जानी थी। इसकी तुलना में वर्ष 1991-92 की कीमतों पर जुटाये गए प्रत्याशित संसाधन कुल 138.658 करोड़ रुपये हैं जिसमें 69,679 करोड़ रु० का राज्यों के स्वयं के संसाधन तथा 68,979 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता शामिल है। इस प्रकार राज्यों से आशा की जाती है कि ये अनुमोदित 8वीं योजना की लगभग 79 प्रतिशत राशि प्राप्त करें। कई राज्य वचनबद्ध संसाधनों को प्राप्त नहीं कर सके और इसका कारण मुख्य रूप से चालू राजस्व से बकाया मे कमी तथा राज्य लोक उद्यमों के निवल अंशदान में कमी रही है। केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत विदेशी सहायता के उपयोग में मुख्य रूप से कमी हुई। फिर भी, संसाधनों के जुटानें में कमी से केन्द्रीय सरकार के वित्तीय भार में वृद्धि नहीं होती है।

(ख) वार्षिक योजना विचार विमर्श के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्यों के संसाधनों/योजना व्यय की विभिन्न स्तरों पर (उपाध्यक्ष तथा मुख्यमंत्रियों/राज्यपालों के स्तर पर भी (समीक्षा की जाती है। की गई वचनबद्धता की तुलना में संसाधन जुटाने में कमी आने की स्थिति में, राज्यों को समय-समय पर सलाह दी गई है कि वे संसाधन जुटाने के लिए कारगर कदम उठाएं, राज्य स्तरीय लोक उद्यमों के काम काज में सुधार लाएं तथा योजना व्यय में कमियों को दूर करने के लिए गैर योजना राजस्व व्यय में मितव्ययता बरते, छोटी बचतों के संचयन में सुधार करें आदि।

वे एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट

3909. श्री वी० प्रदीप देव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयल इंडिया उड़ीसा स्थित वे एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट (बी०ई०पी०) को बंद करने की योजना बना रही है; यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ख) इस परियोजना में आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा कितनी धनराशि का निवेश किया गया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार रक्षा अधिकारियों द्वारा इस क्षेत्र में तेल के लिए ड्रिलिंग हेतु अल्पकालीन अनुमति को ध्यान में रखते हुए इस पर पुनर्विचार करने का है ?

पट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी हां। ओ०आई०एल० को 1978, 1981 और 1983 में क्रमशः महानदी अपतट, उड़ीसा (महानदी) तटीय और उत्तर पूर्वी तटीय अपतट क्षेत्र के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस दिया गया था।

कुल 15 अन्वेषण कूपों का वेधन, अर्थात 4 महानदी तट में, 7 महानदी अपतट में और 4 उत्तर-पूर्वी तटीय अपतट में, बिना किसी सफलता के किया गया हैं महानदी अपतट और महानदी तट के क्षेत्र ओ०आई० एल० द्वारा क्रमशः 1986 और 1988 में त्याग दिए गए थे। तथापि उत्तर-पूर्वी तटीय अपतट में 6100 वर्ग कि०मी० का क्षेत्र रख लिया गया था और 1996 के दौरान ओ०आई०एल० ने इस क्षेत्र में 5000 मीटर गहरे एक अन्वेषण कूप का वेधन करने की योजना बनाई। ओ०आई० एल० के अनुसार इस कूप का वेधन निम्नलिखित कारणों से नहीं किया जा सका।

(i) इस पेजीदा कूप के वेधन प्रचालन चलाने में वेधनकर्ता ठेकेदार की ओर से स्पष्टतः दिखाई गई अकुशलता। इसके अतिरिक्त ठेके में किए गए इकरार के अनुसार वेधनपोत की लामबंदी में भी विलंब हुआ।

(ii) उक्त क्षेत्र रक्षा मंत्रालय के प्रतिबंधित क्षेत्र में पड़ता था और वेधन प्रचालन के लिए अनुमोदन केवल 31.12.1996 तक के लिए ही उपलब्ध था।

(iii) उत्तर पूर्वी तटीय अपतट क्षेत्र में कोई अन्य वेधन स्थल उपलब्ध नहीं था।

(ख) आयत इंडिया लि० खाड़ी अन्वेषण परियोजना में अपने अन्वेषण क्रियाकलापों में अब तक लगभग 260 करोड़ रुपये का व्यय कर चुकी है।

(ग) उल्लिखित समयसीमा उक्त कूप का वेधन कार्य पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम

3910. श्री जयन्त भट्टाचार्य : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार विभिन्न जिलों और खण्डों में न्यूनतम साझा कार्यक्रम के क्रियान्वयन के मूल्यांकन हेतु विभिन्न राज्यों में दल भेजने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो न्यूनतम साझा कार्यक्रम के क्रियान्वयन की राज्यवार वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान इस प्रयोजनार्थ प्रयुक्त धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) से (ग) न्यूनतम साझा कार्यक्रम को लागू कर दिया गया है और इसके विभिन्न मुद्दों के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ मिलकर की जाने वाली कार्रवाई का निर्धारिण कर लिया गया है। कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग को न्यूनतम साझा कार्यक्रम की निगरानी के लिए नोडल विभाग बनाया गया है। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय विशिष्ट मदों पर उनके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई से संबंधित क्रियान्वयन रिपोर्ट कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग को भेजता है।

इस कार्य के लिए निधियों का कोई पृथक प्रावधान नहीं है। फिर भी, संबंधित मंत्रालय अपने कार्यक्रमों के लिए उपयुक्त प्रावधान करते हैं।

[हिन्दी]

धनराशि का उपयोग

3911. श्री दत्ता मेघे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न शहरी रोजगार योजनाओं के लिए प्रदान की गई सम्पूर्ण राशि का उपयोग कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई और उसमें से कितनी राशि का उपयोग किया गया है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) से (ग) देश में दो केन्द्र प्रवर्तित शहरी रोजगार योजनाएं नामतः नेहरू रोजगार योजना और प्रधान मंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाई जा रही हैं।

नेहरू रोजगार योजना :

जहां तक नेहरू रोजगार योजना का संबंध है धनराशि का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया है।

मुख्य कारण यह है कि बैंक शहरी लघु उद्यम स्कीम में शामिल परियोजना के लिए कम धन देते हैं। दूसरा, आवास तथा आश्रय सुधार योजना एक आय-सृजक योजना न होने के नाते शहरी गरीबों में लोक प्रिय नहीं हो पायी है। 1989 में योजना के शुरू होने से लेकर 1996-97 तक राज्यों/संघ प्रदेशों को कुल 924.06 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध है। जिसमें से 605.12 करोड़ रुपये का व्यय बताया गया है।

प्रधान मंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

नवम्बर, 1995 में शुरू किया गया प्रधान मंत्री के एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में छोटे शहरों में शहरी गरीबों की समस्याओं को हल करने के लिए शहरी गरीबी के आर्थिक, भौतिक और सामाजिक आयामों के प्रति एक बहु आयामी पूरे शहर और एकीकृत अवधारणा का प्रावधान ही अधिकतर राज्य घर-घर सर्वे, स्थानिक मानचित्रण, आवश्यकता मूल्यांकन, परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, सामुदायिक ढ़ांचों का निर्माण जैसे कार्यान्वयन कार्यक्रम प्रारम्भिक स्तरों में हैं।

कार्यक्रम के तहत वर्ष 1995-96 के लिए राज्यों/संघ प्रदेशों को 105.80 करोड़ रुपये की राशि जारी की गयी थी। राज्य सरकारों द्वारा दी गयी सूचनाओं के अनुसार अब तक 26.227057 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया जा चुका है चालू वित्त वर्ष में अब तक 32.1434 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

[अनुवाद]

प्रशासन में पारदर्शिता

3912. श्री सुरेश कलमाडी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "खुले और पारदर्शी प्रशासन" के लिए उपाय सुझाने के लिए सरकार द्वारा गठित की गई समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रह्मण्यन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड

3913. डॉ० बलिराम : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (यू०पी०एस०ई०बी०) को बिजली की आपूर्ति करने वाले स्रोतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन स्रोतों में से किसी स्रोत के विद्युत उत्पादन में कमी या वृद्धि हुई है;

(ग) विद्युत उत्पादन में यदि कोई कमी हुई है तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) वर्तमान में राज्य में विद्युत केन्द्रों/उपकेन्द्रों की संख्या कितनी है; और

(ङ) राज्य में विद्युत उत्पादन को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस० वेणुगोपालाचारी) : (क) से (घ) उन संसाधनों का ब्यौरा जिनमें यू०पी०एस०ई०बी० को विद्युत की आपूर्ति की जा रही है तथा 1993-94 से प्रत्येक केन्द्र द्वारा उत्पादित विद्युत का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया हैं ओबरा, पनकी, हरदुआगंज तथा पारीचा में पिछले वर्ष को तुलना में कम उत्पादन हुआ जिसके कारण निम्नवत् हैं;

ओबरा : वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान क्रमशः 36.37 प्रतिशत तथा 46.0 प्रतिशत की उच्च जबरनबंदी दर होने के कारण उत्पादन कम रहा।

पकनी : वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान क्रमशः 18.06 प्रतिशत तथा 27.1 प्रतिशत की उच्च जबरनबंदी दर के कारण उत्पादन कम रहा। यह यूनिटें काफी पुरानी थीं।

हरदुआगंज "ख" : वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान क्रमशः 32.48 प्रतिशत और 39.40 प्रतिशत की उच्च जबरनबंदी दर के कारण उत्पादन कम रहा। यह यूनिटें काफी पुरानी हैं।

पारीचा : वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान क्रमशः 17.01 प्रतिशत तथा 63.3 प्रतिशत की उच्च जबरनबंदी कर के कारण उत्पादन कम रहा।

(ङ) उत्तर प्रदेश में उत्पादन को बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे विभिन्न कदमों में विद्यमान क्षमता से उत्पादन अधिकतम करना, नई उत्पादन क्षमता का शीघ्र स्थिरीकरण करना, आर०एंड०एम० कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करना, प्रभावी भार प्रबंधन एवं ऊर्जा संवर्द्धन उपाय तथा पड़ौसी राज्यों/प्रणालियों से सहायता प्राप्त करना शामिल है।

विवरण

उ०प्र०रा०वि०बो० को विद्युत आपूर्ति के स्रोत

विद्युत उत्पादन (मि०यू०)

राज्य/प्रणाली	स्टेशन	श्रेणी	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5	6
उत्तर प्रदेश	ओबरा 1-13	थर्मल	6,475	4,288	4,677
यू०पी०एस०ई०बी०	पनकी	थर्मल	774	701	564
	हरदुआगंज- ए	थर्मल	0	0	0
	हरदुआगंज बी एंड सी	थर्मल	1,011	751	604
	पारीचा	थर्मल	746	321	492
	अनपारा	थर्मल	4,745	8,777	10,450
	टांडा	थर्मल	817	774	1,016
	अन्य	थर्मल	0	0	0
	जोड़	थर्मल	14,568	15,612	17,803
	रिहंद	हाइड्रो	726	1,428	758
	ओबरा एचवाई	हाइड्रो	271	484	283
	माताटीला	हाइड्रो	130	134	107
	गंगा नहर	हाइड्रो	150	150	146
	खातिमा	हाइड्रो	216	201	210
	राम गंगा	हाइड्रो	383	371	326
	यमुना 1 एंड 4	हाइड्रो	583	522	543
	यमुना 2	हाइड्रो	838	877	952
	चिला	हाइड्रो	724	688	661
	खोदारी	हाइड्रो	388	409	443

1	2	3	4	5	6
	मनेरीभाली	हाइड्रो	478	416	197
	खारा	हाइड्रो	399	378	373
	जोड़	हाइड्रो	5,286	6,058	4,999
एन०टी०पी०सी०	सिंगरौली	थर्मल	14,643	14,291	14,985
	रिहंद	थर्मल	6,868	6,476	7,622
	एन०सी०आर० दादरी	थर्मल	1,545	2,568	4,439
	एन०टी०पी०सी० ऊंचा	थर्मल	2,523	1,924	3,108
	औरैया जी०टी०	थर्मल	3,438	3,577	3,510
	दादरी जी०टी०	थर्मल	1,352	2,292	3,795
	जोड़	थर्मल	30,369	31,128	37,459
एन०पी०सी०	नरोरा ए०पी०एस०	न्यूक्लीय	334	950	2,751
एन०एच०पी०सी०	टनकपुर	हाइड्रो	401	466	445
	जोड़ (तक)	थर्मल	44,937	46,740	55,262
		न्यूक्लीय	334	950	2,751
		हाइड्रो	5,687	6,524	5,444
		जोड़	50,958	54,214	63,457

पर्यावरण में सुधार

3914. श्री आई०डी० स्वामी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पर्यावरण को सुधारने तथा वायु प्रदूषण को रोकने और दिल्ली के नागरिकों को विस्तृत खुले हरित क्षेत्र उपलब्ध कराने की अत्यधिक आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् दिल्ली विकास प्राधिकरण और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग दिल्ली पर्यावरण की स्थिति सुधारने में बुरी तरह से असफल रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली की मास्टर प्लान 2001 में मनोरंजनात्मक भू-उपयोग के तहत पार्कों, खुले स्थलों आदि के लिए रखी भूमि सहित 8722 हैक्टेयर क्षेत्र को हरित क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। इसके अलावा दिल्ली के पर्यावरण में सुधार करने के लिए मास्टर प्लान में निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(I) रिज का सावधानी पूर्वक संरक्षण किया जाए और उसे और घना बनाया जाये।

(II) यमुना नदी को साफ रखने के लिए जल प्रदूषण रोधी उपायों का सख्ती से पालन किया जाए।

(III) मनोरंजनात्मक क्षेत्रों, खुले हरित क्षेत्रों जैसे क्षेत्रीय पार्क जिला पार्क, परिवेश पार्क, खेल क्षेत्रों, खेल केन्द्रों, बड़े बच्चों के पार्क, कालोनी/ आवास स्कीम, नन्हे मुन्ने बच्चों के क्रीड़ा स्थल/पार्क आदि का विकास।

(Iv) उन पेड़ों के स्थान पर नए पेड़े लगाना जिनका जीवनकाल पूरा हो गया हो।

(v) शहरी विरासत का संरक्षण।

(Iv) जल वायु तथा ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए विशेष सिफारिसें।

वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण और नगर पर्यावरण में सुधार के लिए जन-द्रुतगामी परिवहन प्रणाली मंजूर की गयी है। निकटवर्ती क्षेत्रों में पर्यावरणीय परिस्थितियों में सुधार करने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों/बस्तियों में प्रतिवर्ष पेड़ और झाड़िया भी लगाई जाती हैं सरकारी कालोनियों में स्थित पार्कों और लान का रख-रखाव केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में शहरी विकास के लिए योजनाएं

3915. श्री एन०एन० कृष्णादास : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में चल रही शहरी विकास की योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में राज्य को चालू वित्त वर्ष के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) भारत सरकार की सहायता से केरल में शहरी विकास के लिए शुरू की गयी स्कीमों में छोटे तथा मझोले शहरों की एकीकृत विकास की योजना (आई० डी०एस०एम०टी०) और त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम शामिल हैं। आई०डी०एस०एम०टी० योजना का उद्देश्य आर्थिक विकास और रोजगार अवसरों का सृजन करने में सक्षम चुनिन्दा पादेशिक केन्द्रों में एकीकृत अवस्थापना का विकास करना ही आई०डी०एस०एम०टी० के तहत अनुमोदित परियोजनाओं में मास्टर प्लान सड़कों को पक्का बनाना/सुधारना, स्थल तथा सेवाएं, विपणन परिसर, बस टर्मिनल, मास्ट प्लान पथ प्रकाश व्यवस्था, कूड़ा कचरा निपटान आदि शामिल हैं यह स्कीम 5 लाख तक की आबादी वाले शहरों पर लागू है त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम का उद्देश्य 20 लाख से कम आबादी वाले शहरों से जल आपूर्ति सुविधाओं का सृजन करना हैं 8वीं योजना के दौरान आई०डी०एस०एम०टी० और त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम में शामिल शहरों के ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(ख) आई०डी०एस०एम०टी० के तहत केरल को चालू वित्तीय वर्ष के लिए किया गया आवंटन/अनुदान 25 लाख रुपये हैं। त्वरित शहरी जल आपूर्ति के तहत कोई विशेष आवंटन नहीं किया गया है क्योंकि धनराशि को जारी करना परियोजना रिपोर्टें प्राप्त होने पर निर्भर करेगा।

विवरण

8वीं योजना के दौरान आई०डी०एस०एम०टी० स्कीम और त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत लाभान्वित केरल के शहर, अनुमानित परियोजना लागत तथा जारी केन्द्रीय सहायता

(क) आई०डी०एस०एम०टी० स्कीम रु० लाखें में

क्र० सं०	शहर का नाम	मंजूरी का वर्ष	स्वीकृत परि-योजना लागत	जारी केन्द्रीय सहायता
1	2	3	4	5
1.	अलप्पुझा	1992.93	890.60	25.00
2.	कोल्लम	1993.94	880.60	40.00
3.	चेरथला	1994-95	166.00	13.00
4.	अलुवा	-वही-	170.60	30.50
5.	तिरूअल्ला	-वही-	500.00	60.00
6.	चलाकुड़ी	-वही-	216.00	15.00
7.	कोजीकोड़	1995-96	947.00	62.00
8.	चेगनूर	-वही-	185.00	18.00
9.	वर्कला	-वही-	194.50	15.59
			योग :	279.09

(ख) त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम

1. पनियानूर	1993-94	233.72	124.85*
2. पुड़काड	1996-97	137.10	

* यह इन दोनों शहरों में अनुमोदित स्कीमें कार्यन्वित करने के लिए राज्य सरकार को जारी किया गया संगठित धन है।

तालिबान से उत्पन्न खतरा

3916. श्री सनत कुमार मंडल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 फरवरी, 1997 के इण्डियन एक्सप्रैस नई दिल्ली संस्करण में "तालिबान हैज इट्स आइज ऑन कश्मीर नाऊ फियर एनालिस्ट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रह्मण्यन): (क) से (ग) जी हां, श्रीमान्। सरकार, अफगानिस्तान में होने वाली घटनाओं पर लगातार नजर रखे हुए हैं और उनका हम पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन करती है। सतत निगरानी रखी जा रही है और देश की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे है।

जनजातीय क्षेत्रों में भूमि संबंधी कानून

3917. श्री आर० साम्बासिवा राव : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से जनजातीय भूमि का हस्तांतरण

रोकने के लिए कानून बनाने के लिए कहा है;

(ख) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से जनजातीय भूमि का हस्तांतरण रोकने तथा वापस लौटाने की अद्यतन स्थिति बताने का आग्रह किया है ताकि सरकार इनकी निगरानी राष्ट्रीय स्तर पर कर सकें;

(ग) यदि हां, तो क्या सभी राज्य सरकारों ने अपने जानकारी केन्द्र सरकार को दे दी हैं; और

(घ) राज्य कब तक जनजातीय भूमि अधिनियम के अंतर्गत भूमि के हस्तांतरण के बारे में जानकारी देंगे ?

ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। राज्य सरकारों को अभी हाल में अनुरोध नवम्बर, 1996 में भेजा गया था और राष्ट्रीय स्तर पर इस मंत्रालय द्वारा इसकी निगरानी के लिए निर्धारित प्रपत्र में केवल 11 राज्यों ने जनजातीय भूमि के हस्तांतरण और वापस लौटने की अद्यतन स्थिति बताई थी।

(ग) और (घ) सभी राज्यों ने इस विषय पर अपनी जानकारी कभी भी नहीं दी है और कुछ राज्य ऐसी जानकारी तैयार नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास जनजातीय भूमि के हस्तांतरण को रोकने और वापस लौटने के लिए कोई अलग से अधिनियम अथवा विद्यमान भूमि सुधार अधिनियम का कोई प्रावधान नहीं है।

किराया शुल्क

9918. श्री संदीपान थोरात : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी आवास की भिन्न-भिन्न श्रेणियों के लिए किराया शुल्क में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) और (ख) सरकारी आवास की विभिन्न श्रेणियों के किराया शुल्क में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है। नियम के प्रावधानों के तहत गत 1.7.96 को ऐसा संशोधन किया गया था।

[हिन्दी]

रसोई गैस कनेक्शन

9919. श्री छत्रपाल सिंह :
श्री हरपाल सिंह साथी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1996 के दौरान देश में रसोई गैस के कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची में आवेदकों को राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रसोई गैस कनेक्शनों के आवंटन के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त अवधि के दौरान इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया था और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) देश में एल०पी०जी० कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एल०पी०जी० कनेक्शनों के आवंटन के लिए समग्र रूप से कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। घरेलू रसोई गैस के रूप में एल०पी०जी० की बढ़ती हुई लोकप्रियता और रियायती मूल्य के कारण एल०पी०जी० की मांग, स्वदेशी उत्पादन और संभावित आयात से एल०पी०जी० की उपलब्धता से अधिक होती है और इसलिए नई नामांकन योजनाएं एल०पी०जी० की उपलब्धता के आधार पर वर्ष दर वर्ष तैयार की जाती हैं। आठवीं योजना के दौरान नामांकन निम्नानुसार रहा है :

वर्ष	नई एल०पी०जी० कनेक्शन (लाख में)	
	लक्ष्य	वास्तविक
1992-93	7.5	8.7
1993-94	12.0	13.6
1994-95	20.0	22.9
1995-96	15.0	20.5
1996-97 अप्रैल-दिसम्बर/96	20.0	12.6

विवरण

1.1.97 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची

राज्य	(आंकड़े लाख में)
आन्ध्र प्रदेश	10.74
अरुणाचल प्रदेश	0.19
असम	1.93
बिहार	4.18
गोवा	0.89
गुजरात	8.43

राज्य	(आंकड़े लाख में)
हरियाणा	5.14
हिमाचल प्रदेश	1.08
जम्मू और कश्मीर	1.63
कर्नाटक	7.19
केरल	6.79
मध्य प्रदेश	7.17
महाराष्ट्र	19.05
मणिपुर	0.07
मेघालय	0.08
मिजोरम	0.08
नागालैंड	0.07
उड़ीसा	2.15
पंजाब	7.56
राजस्थान	7.62
सिक्किम	0.03
तमिलनाडु	14.73
त्रिपुरा	0.36
उत्तर प्रदेश	15.19
पश्चिम बंगाल	10.25
संघ राज्य क्षेत्र	
अंडमान और नीकोबार	0.11
चंडीगढ़	0.88
दादर और नगर हवेली	0.02
दिल्ली	7.91
दमन और द्वीव	0.04
लक्षद्वीप	0.00
पांडिचेरी	0.47

पेयजल की कमी

3920. श्री डी०पी० यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के संभल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की कमी का सामना किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार ग्रीष्म ऋतु के आगमन को ध्यान में रखते हुए कोई योजना तैयार करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ वर्ष 1997-98 के लिए कितनी धनराशि आवंटित किए जाने का विचार है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) इस संबंध में उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) से (घ) उपयुक्त पेयजल आपूर्ति योजना तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को शक्तियां सौंपी गई हैं। 1996-97 के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 122.78 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है और राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 128.00 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। राज्य सरकारों द्वारा जिलावार/योजनावार आवंटन कर दिया गया है।

[अनुवाद]

रसोई गैस सिलेंडरों की आपूर्ति

3921. श्री भक्तचरण दास : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम की योजना दिल्ली में पेजर की सहायता से प्राप्त रसोई गैस डिलीवरी प्रणाली शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों में विशेष रूप से आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में ऐसी प्रणाली शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) इंडियन आयल कारपोरेशन ने एल०पी०जी० सिलिन्डरों की आपूर्ति के लिए पेजन की सहायता से सुपुर्दगी प्रणाली को नई दिल्ली में एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास परीक्षण आधार पर आरम्भ किया है।

(ग) और (घ) अन्य स्थानों के संबंध में भी इस प्रणाली की शुरूआत नई दिल्ली में किए जा रहे परीक्षणों की सफलता तथा अपेक्षाकृत व्यापक अनुप्रयोग के लिए इसकी संभाव्यता एवं आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर करेगी।

विद्युत क्षेत्र में जापान का सहयोग

3922. श्री रमेश चेन्नितला : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु जापान सरकार से वित्तीय सहायता/ऋण की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में जापान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इन परियोजनाओं को राज्यवार कहां-कहां स्थापित किए जाने की संभावना है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस० वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ग) निम्नलिखित विद्युत परियोजनाएं ओवरसीज इकनोमिक को-ओपरेशन फंड (ओ०ई०सी०एफ०) 1997-98 ऋण-पैकेज के अंतर्गत जापान सरकार के समक्ष वित्तीय सहायता के लिए उनके द्वारा विचार किए जाने हेतु प्रस्तुत की गई है :—

1. विशाखापट्टनम और सिम्हाद्री ताप विद्युत केन्द्रों (आंध्र प्रदेश) से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण स्कीम (400 के०वी०)
2. तुईवई जल विद्युत परियोजना (5X70 मे०वा०), मिजोरम
3. बंदेल ताप विद्युत केन्द्र (4X82.5 मे०वा० (प० बंगाल) का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण
4. पश्चिमी यमुना कैनाल जल विद्युत परियोजना चरण-2 (16 मे०वा०), हरियाणा।
5. बकरेश्वर ताप विद्युत परियोजना (ऋण की द्वितीय किस्त) (2X210 मे०वा०) प० बंगाल
6. धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना (द्वितीय किस्त) (4X70 मे०वा०) (उत्तर प्रदेश)
7. सिम्हाद्री ताप विद्युत परियोजना (द्वितीय किस्त (2X500 मे०वा०) (आंध्र प्रदेश)
8. वारही जल विद्युत परियोजना चरण-2 (2X115 मे०वा०) (कर्नाटक)
9. सिरीसेलम दायां तट विद्युत केन्द्र परियोजना (6X150 मे०वा०) (तीसरा ऋण) (आंध्र प्रदेश)
10. विद्युत वित्त निगम के लिए उधार-नीति।

ओ०ई०सी०एफ०/जापान सरकार ने वित्त पोषण के संबंध में निर्णय लेने के लिए इन स्कीमों का मूल्याकंन करना आरम्भ कर दिया है।

फास्ट ब्रीडर रिएक्टर

3923. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत वर्ष विश्व के कामिनी प्रथम "थोरियम प्रोसेसिंग एक्सपेरिमेंटल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को आरम्भ किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्ष 1997-2002 के दौरान नए और इस समय चालू परमाणु विद्युत परियोजनाओं द्वारा कुल मिलाकर कम से कम 9000 मे०वा० कुल क्षमता सृजित करने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार परमाणु विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को शामिल किये जाने संबंधी प्रस्तावों की भी जांच कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो ये संयंत्र कहां-कहां स्थापित किय जाएंगे; और

(च) इन संयंत्रों पर कुल कितनी लागत आने की संभावना है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ): (क) और (ख) कामिनी, 30 किलोवाट के यूरेनियम-233 ईंधन से चलने वाले अनुसंधान थर्मल रिएक्टर ने इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कलपाक्कम में 29 अक्तूबर, 1996 को क्रांतिकता हासिल कर ली हैं इस समय विश्व में यह अकेला रिएक्टर हैं जो ईंधन के रूप में यूरेनियम-233 का उपयोग कर रहा है।

(ग) नौवीं योजनावधि के दौरान कर्नाटक में कैगा परमाणु विद्युत परियोजना यूनिट-1 और 2 तथा राजस्थान में राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना यूनिट-3 और 4 से युक्त 880 मेगावाट की कुल क्षमता वाली परमाणु विद्युत परियोजनाएं जो इस समय निर्माणाधीन हैं और कुल विद्युत क्षमता को 2720 मेगावाट तक ले जाएगी, के चालू हो जाने की आशा है। इनके अलावा तारापुर में 2X500 मेगावाट की क्षमता (यूनिट-3 और 4), कैगा में 2X220 मेगावाट की क्षमता (यूनिट-3 और 4), रूसी परिसंघ के सहकार से तमिलनाडु में 2X1000 मेगावाट कुडानकुलम परमाणु विद्युत परियोजना का और 500 मेगावाट के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पी०एफ०बी०आर०) की एक यूनिट का भी निर्माण-कार्य इस योजना के अंत तक शुरू करने का प्रस्ताव है।

(घ) और (ङ) सरकार अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखने का विचार रखती है और निजी सहभागिता के कुछ विशिष्ट प्रस्तावों के लिए तैयार है। ऐसे प्रस्तावों के प्राप्त होने पर उन पर तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त होने, आर्थिक दृष्टि से आकर्षक होने और उससे जुड़ी शर्तों के आधार पर विचार किया जाएगा।

(च) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

अवैध निर्माण

3924. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 दिसंबर, 1996 के "दैनिक जागरण" में "सरकारी कालोनियों में किराये का जुगाड़" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को सरकारी कालोनियों में अवैध निर्माण कार्य की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है/किए जाने का विचार है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा सरकारी कालोनियों में कितने अतिक्रमण हटाए गए तथा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाही की गई है/किए जाने का विचार है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलु) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) अनधिकृत निर्माण की रिपोर्ट मिलने पर संबंधित आवंटिती को उक्त अनधिकृत निर्माण निर्धारित समय सीमा के भीतर हटाने के लिए कारण बताओं नोटिस जारी किया जाता है और यदि आवंटी निर्धारित समय के भीतर इसे नहीं हटा पाए तो लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत आवंटन नियमों के प्रावधान और बेदखली प्रक्रिया के अनुसार आवास के आवंटन को रद्द करने की कार्रवाई शुरू की जाती है। अनधिकृत निर्माण को हटाने का दायित्व व्यक्तिगत आवंटियों पर होता है। यदि एक महीने की निर्धारित नोटिस अवधि में अनधिकृत निर्माण को नहीं हटाया जाता है; तो दोषी आवंटियों के विरुद्ध लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

उड़ीसा को विश्व बैंक ऋण

3925. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में विद्युत क्षेत्र में सुधार तथा विकास हेतु विश्व बैंक से कुल कितना ऋण प्राप्त किया गया है;

(ख) क्या इन ऋणों का पूरी तरह उपयोग कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस० वेणुगोपालाचारी) : (क) से (घ) उड़ीसा राज्य द्वारा विद्युत क्षेत्र के विकास और सुधार के लिए किए गए विश्व बैंक ऋण समुपयोजन की स्थिति निम्नवत है :–

क्रं० सं०	परियोजना का नाम	स्वीकृत ऋण की धनराशि	समुपयोजन की स्थिति और कमी के कारण
1.	ऊपरी इन्द्रावती जल विद्युत परियोजना (4X150 मे०वा)	क) 156.4 मिलियन अमरीकी डॉलर	ऋण का समुपयोजन नहीं किया जा सका क्योंकि निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति के कारण 5.12.91 से ऋण स्थगित कर दिया गया था।
		ख) 156 मिलियन एस०डी०आर० (170 मिलियन यू०एस० डॉलर)	पूर्ण समुपयोजित कर लिया गया है।
2.	उड़ीसा विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना	350 मिलियन यू०एस० अमरीकी डॉलर	इसे हाल ही में जुलाई, 1996 में स्वीकृत किया गया है जिसे दिसंबर, 2002 तक समुपयोजित किया जाना है। अभी तक 31.29 करोड़ रुपये का संवितरण दावा प्रस्तुत किया गया है।

ताप विद्युत परियोजनाएं

3926. श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला मंत्रालय ने विद्युत मंत्रालय को नए ताप विद्युत संयंत्रों को "गर्त मुख" से दूर स्थापित करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर विद्युत मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस० वेणुगोपालाचारी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप प्रदान नहीं किया गया है।

भूमि का आवंटन

3927. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :
श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड़ :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी जिन्होंने द्वारका फेज-I में भूमि के आवंटन हेतु आवेदन किया था, को भूमि आवंटित कर दी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सभी सोसाइटियों को वहां भूमि का आवंटन कब तक कर दिया जाएगा;

(घ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का विचार निकट भविष्य में कुछ और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों से नए आवेदन आमंत्रित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो उन ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों की पंजीकरण संख्या क्या है जिन्हें द्वारका फेज-I में शामिल किए जाने की सम्भावना है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेकटेंश्वरलू) : (क) से (ग) डी०डी०ए० ने बताया है कि दिल्ली सरकार के सहकारी समिति रजिस्ट्रार से प्राप्त वरिष्ठता सूची के आधार पर ही प्राधिकरण पात्र सहकारी आवास समितियों को भूमि आवंटन की पेशकश करता है जो उनसे भूमि मूल्य की 35% राशि भूमि आवंटन आवेदन पत्र साथ ही लेकर की जाती है। मांगी गयी राशि और आवेदन पत्र निर्धारित समय के भीतर प्राप्त होने पर संबंधित समिति को ड्रा के जरिये विशेष प्लाट आवंटित किया जाता है। अब तक द्वारका फेस-I में 232 ऐसी समितियों को नियत प्लाट आवंटित किए जा चुके हैं।

(घ) और (ङ) अब तक 1400 तक पंजीकरण संख्या वाले पात्र सहकारी समितियों को भूमि दी जा चुकी है। सहकारी समितियों के रजिस्टर से 1590 तक पंजीकरण संख्या वाली पात्र समितियों की एक और सूची मिली है और इनमें से कुछ समितियों को द्वारका में उपलब्ध होने पर ही भूमि दी जाएगी।

तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम के ठेके

3928. श्री अनंत गुढ़े : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 फरवरी, 1997 के "दि पायोनियर" में "ट्रांसचार्ट ब्लेम्स ओ०एन०सी० फॉर रॉंग अवार्ड ऑफ कन्ट्रैक्ट" शीर्षक के प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इसमें कौन-कौन सी टिप्पणियां की गई है तथा मामले के तथ्य क्या है;

(ग) ट्रांसचार्ट द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों की टिप्पणियों के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का विचार है; और

(घ) उक्त प्रस्ताव वर्तमान स्थिति क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) मैसर्स डालमाइन को ठेका न दिए जाने के लिए ओ०एन०जी०सी० पर आरोप लगाने वाला कोई पत्र ट्रांसचार्ट से ओ०एन० जी०सी० को प्राप्त नहीं हुआ है। बोली मूल्यांकन, प्रचलित आदेशों के अनुसार बोली मूल्यांकन मानदंडों और बोलियां खोले जाने से पहले ट्रांसचार्ट से प्राप्त भाड़ा दरों के आधार पर किया गया है। तथापि, एल-I मूल्यांकित प्रस्ताव के संबंध में आदेश देते समय ओ०एन०जी०सी० ने सी०एण्ड०एफ० आधार पर सुपुर्दगी की शर्तों को परिवर्तित करने और मैसर्स मारूबेनी को निम्नतम एफ०ओ०बी० मूल्य का प्रस्ताव करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखा है।

(घ) ओ०एन०जी०सी० द्वारा उक्त ठेका 27.1.97 को निम्नतम मूल्यांकित बोलीदाता मारूबेनी कार्पोरेशन, जापान को दिया गया है।

कच्चे तेल का उत्पादन

3929. डा० कृपासिंधु भोई :
श्री बी०एल० शंकर :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (ओ०एन०जी०सी०) ने कच्चे तेल के उत्पादन हेतु एक दीर्घावधि योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस दीर्घावधि योजना की अवधि कितनी है;

(ग) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने इस दीर्घावधि योजना में कच्चे तेल के उत्पादन हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस दीर्घावधि योजना के दौरान किए जाने वाले निवेश सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन ने कच्चे तेल के उत्पादन के संबंध में 9वीं पंचवर्षीय योजना से मेलखाती एक पंचवर्षीय योजना (1997-2002) तैयार की थी।

(ग) और (घ) 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन का कुल कच्चा तेल उत्पादन लक्ष्य 144.894 मिलियन मीट्रिक टन है तथा 9वीं योजना के दौरान कुल योजनागत परिव्यय 24099 करोड़ रुपए तक होगा।

सुरक्षा बलों की वापसी

3930. श्री चमन लाल गुप्त : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब चुनावों को ध्यान में रखते हुए जम्मू और कश्मीर के आतंकवाद से प्रभावित डोडा जिले और अन्य भागों से सुरक्षा बलों को वापस बुला लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य के प्राधिकारी उनकी वापसी के लिए दबाव डाल रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रहमण्यन): (क) से (घ) केन्द्रीय बलों की समग्र उपलब्धता और समय-समय पर प्रत्येक राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय बल उपलब्ध किए जाते हैं। जहां तक जम्मू और कश्मीर का संबंध है, राज्य सरकार को काफी संख्या में केन्द्रीय बल उपलब्ध कराये गए हैं और स्थिति का जायजा लेने और संबंधित आवश्यकताओं के बारे में राज्य सरकार के साथ सतत आधार पर गहन बातचीत की जाती है। राज्य के भीतर डोडा सहत विभिन्न क्षेत्रों में तैनाती के ब्यौरे देना राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में है।

तेल की खोज

3931. श्री के० प्रधानी :
डा० कृपासिन्धु भोई :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल की खोज और उत्पादन में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कितनी घरेलू तेल कंपनियां लगी हुई है;

(ख) क्या इन तेल कंपनियों में से कुछ रुग्ण हो चुकी है;

(ग) यदि हां, तो इनकी रुग्णता के क्या कारण है; और

(घ) इन कंपनियों को वित्तीय संकट से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) तेल के अन्वेषण और उत्पादन का कार्य करने वाली ओ० एन०जी०सी० और ओ०आई०एल० नामक सार्वजनिक क्षेत्र की दो कंपनियों के अलावा भारत सरकार ने देश में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए 18 निजी क्षेत्र की स्वदेशी कंपनियों को स्वयं के बलबूते पर अथवा परिसंघ भागीदारों के रूप में, ठेके प्रदान किए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

सौ दिन के लिए रोजगार

3932. श्री लक्ष्मण सिंह : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अंतर्गत बेरोजगार व्यक्तियों को एक वर्ष में सौ दिन रोजगार देने का वादा किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक रोजगार दिए गए बेरोजगार व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) जी हां। सुनिश्चित रोजगार योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि मौसम के दौरान ऐसे व्यक्तियों को 100 दिन का मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है जिन्होंने अपना नाम रोजगार मांगने के लिए पंजीकृत कराया है।

(ख) रोजगार दिए गए बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या की निगरानी नहीं की जाती। तथापि, राज्यवार पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या और सृजित श्रमदिनों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या और सृजित श्रमदिन

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शुरू से लेकर अब तक पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या	सृजित श्रमदिन (लाख श्रमदिन)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	672000	164.08
2.	अरुणाचल प्रदेश	127047	16.17
3.	असम	295862	48.18
4.	बिहार	3996956	211.84
5.	गोआ	उ०न०	उ०न०
6.	गुजरात	584000	98.74
7.	हरियाणा	268505	17.17
8.	हिमाचल प्रदेश	33992	6.35
9.	जम्मू व कश्मीर	919800	49.57
10.	कर्नाटक	2257900	173.83
11.	केरल	224000	16.60
12.	मध्य प्रदेश	2285959	189.57
13.	महाराष्ट्र	550329	168.51
14.	मणिपुर	100650	9.96

1	2	3	4
15.	मेघालय	42285	2.63
16.	मिजोरमम	106573	17.18
17.	नागालैंड	417168	0.11
18.	उड़ीसा	2724000	276.15
19.	पंजाब	उ०न०	उ०न०
20.	राजस्थान	1063675	144.47
21.	सिक्किम	43300	2.43
22.	तमिलनाडु	556600	119.72
23.	त्रिपुरा	334700	41.31
24.	उत्तर प्रदेश	1232000	192.80
25.	पश्चिम बंगाल	4841000	116.06
26.	अंडमान निकोबार	888	0.24
27.	दादर व नगर हवेली	1679	0.38
28.	दमन व द्वीव	181	0.00
29.	लक्षद्वीव	2971	1.30
30.	पांडिचेरी	उ०न०	उ०न०
	अखिल भारत	23684020	2085.35

उ०न० = असूचित

[अनुवाद]

इन्दिरा आवास योजना

3933. श्री येल्लेया नंदी : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इन्दिरा आवास योजनाओं को स्वीकृति देने हेतु क्या प्रक्रिया और मार्गनिदेश अपनाए जाते हैं तथा ऐसी प्रत्येक योजना के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई;

(ख) इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत अधिकतम कितने मकानों के निर्माण हेतु स्वीकृत दी गई है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और राज्य-वार इन्दिरा आवास योजना के लिए स्वीकृत धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार ऐसी प्रत्येक योजना के लिए राज्य-वार स्वीकृत की गई धनराशि में कोई वृद्धि की गई है; और

(ङ) जिलास्तर पर इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत मकानों के निर्माण हेतु स्वीकृति देने वाले सक्षम प्राधिकारी का ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या मार्गनिदेश बनाए गए हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 1140.00 करोड़ रुपए आवंटन किए गए हैं इन्दिरा आवास योजना में अपनाए जाने वाले मार्गदर्शी सिद्धांतों और प्रक्रिया का संक्षिप्त सार संलग्न विवरण-I में है।

(ख) से (घ) इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान लक्षित मकानों की संख्या और आवंटित राशि (केन्द्रीय + राज्य अंश) को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में है।

(ङ) पात्र व्यक्तियों में से लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा द्वारा पंचायत समिति के अनुमोदन से किया जाता है।

विवरण-I

इन्दिरा आवास योजना

भारत सरकार वर्ष 1985-86 से इन्दिरा आवस योजना का कार्यान्वयन कर रहा है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों और मुक्त बंधुआ मजदूरों को मुफ्त आवास उपलब्ध करवाना हैं वर्ष 1993-94 से इस योजना के कार्य क्षेत्र को गैर-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के ग्रामीण गरीबों को कवर करने के लिए बढ़ा दिया गया है बशर्ते कि गैर-अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को मिलने वाले लाभ कुल आवंटन के 40% से अधिक नहीं हो। वर्ष 1995-96 से इस योजना के लाभों को कार्य के दौरान मारे गए सशस्त्र एवं अर्द्ध सैनिक बलों के सैनिकों के परिवारों तक बढ़ा दिया गया है।

इस योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित निधियों को जिले में रहने वाली अनूसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में वितरित किया जाता हैं इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत गैर-अनुसूचित जाति/जनजाति के गरीबों को मिलने वाले लाभों की सीमा कुल आवंटन के 40% से अधिक नहीं होनी चाहिए। जिला स्तर पर इन्दिरा आवास निधियों का संचालन जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों द्वारा किया जाता हैं इस योजना के अंतर्गत मकान का आवंटम लाभार्थी परिवार की महिला सदस्य के नाम पर होता है। दूसरी ओर यह पति और पत्नी दोनों के संयुक्त नाम पर आवंटन किया जा सकता हैं निर्माण कार्य में लाभार्थियों को शुरू से ही शामिल होना है और उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल प्रबंध उन्हें स्वयं करने हैं। जहां तक सम्भव हो, मकानों को समूहों में बनाया जाता है ताकि सामान्य सुविधाओं की व्यवस्था की जा सके। मैदानी क्षेत्रों में प्रति मकान खर्च की स्वीकार्य सीमा 20,000 रुपए और पहाड़ी या दुर्गम क्षेत्रों में 22,000 रुपए है।

इन्दिरा आवास योजना एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसका वित्त पोषण 80 : 20 लागत अंश के आधार पर केन्द्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है।

विवरण-II

(रु० लाख में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1993-94		1994-95		1995-96	
		लक्ष्य	आबंटन (केन्द्र + राज्य)	लक्ष्य	आबंटन (केन्द्र + राज्य)	लक्ष्य	आबंटन (केन्द्र + राज्य)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	49034	2462.01	23817	3334.38	87642	10955.26
2.	अरुणाचल प्रदेश	222	32.25	204	32.25	797	99.64
3.	असम	6209	810.49	5987	892.12	25560	3194.94
4.	बिहार	37996	4829.14	85249	7038.69	217292	21349.01
5.	गोवा	276	34.85	249	34.85	861	107.65
6.	गुजरात	6598	903.75	9574	1383.54	34501	4312.61
7.	हरियाणा	1848	217.09	1707	238.96	10846	1355.79
8.	हिमाचल प्रदेश	809	110.73	701	110.73	2736	342.06
9.	जम्मू य कश्मीर	1084	157.17	1964	310.38	10561	1320.09
10.	कर्नाटक	14197	1653.13	16365	2291.14	52133	6516.66
11.	केरल	13245	623.83	12570	662.31	24624	2370.85
12.	मध्य प्रदेश	28399	3119.72	35416	4958.34	113384	14172.99
13.	महाराष्ट्र	6974	2683.93	26684	3976.02	89776	11330.08
14.	मणीपुर	290	41.34	268	41.34	1022	127.70
15.	मेघालय	353	48.36	306	48.37	1195	149.43
16.	मिजोरम	185	20.38	129	20.38	504	62.95
17.	नागालैंड	438	51.85	328	51.85	1281	160.16
18.	उड़ीसा	11649	1997.26	20158	2912.82	62986	7873.25
19.	पंजाब	5963	163.43	4855	169.93	7047	608.56
20.	राजस्थान	11388	1296.13	13035	1883.57	50875	6359.36
21.	सिक्किम	142	18.88	119	18.88	1491	208.31
22.	तमिलनाडु	18930	2225.62	19824	2775.29	74205	9335.91
23.	त्रिपुरा	431	53.69	340	53.69	1327	165.86
24.	उत्तर प्रदेश	44135	5999.84	51472	7457.68	204003	25500.18

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	पश्चिम बंगाल	19860	2206.32	21722	3041.05	69579	8697.34
26.	अ०नि०द्वीप समूह	120	15.27	109	15.27	377	47.17
27.	दादर नगर हवेली	71	8.29	59	8.29	205	25.61
28.	दमन व द्वीव	38	4.88	35	4.88	121	15.08
29.	लक्षद्वाप	0	7.66	0	7.66	189	23.65
30.	पांडिचेरी	79	14.95	107	14.95	369	46.18
	कुल :	280363	31812.24	353353	43769.31	1147489	136894.33

अवर श्रेणी लिपिकों का वेतनमान

3934. श्री के०एच० मुनियप्पा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माध्यस्थम बोर्ड ने 14 जून, 1995 के पश्चात् से अवर श्रेणी लिपिकों के वेतनमान की समीक्षा किए जाने संबंधी मामलों की सुनवायी नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या कर्मचारियों द्वारा किसी विशेष वेतनमान की मांग की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रहमण्यन): (क) से (घ) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के उच्च श्रेणी लिपिकों के वेतनमान को 1200-2040/-रुपये से बढ़ाकर 1400-2600/-रुपये करने से संबंधित कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग की विभागीय परिषद में कर्मचारी पक्ष द्वारा उठायी गई मांग को इस मामले में असहमति रिकार्ड करने के बाद मई, 1992 में माध्यस्थम बोर्ड में भेजा गया था, बोर्ड, विभिन्न तारीखों को मामले की सुनवाई कर चुका है। इस मामले की 24.7.1996 को सुनवाई होनी थीं तथापि कर्मचारी पक्ष के एक सदस्य के कहने पर सुनवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सुनवाई की अगली तारीख अभी नियत की जानी है तथा इसे बोर्ड द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। इस मामले में बोर्ड के अधिनिर्णय प्राप्त होने के बाद ही सरकार द्वारा आगे की कार्रवाई की जा सकती है।

'कापार्ट' के अंतर्गत लंबित आवेदन

3935. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कापार्ट के अंतर्गत अनुदान/वित्तीय सहायता के लिए केरल से अनेक आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु सरकार के पास लम्बित है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन आवेदन पत्रों की स्वीकृति में विलम्ब के क्या कारण है ?

ग्रामीण क्षेत्र एंव रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) जी, नहीं। कापार्ट सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कापार्ट की योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता संबंधी आवेदनों का सरकारी स्तर पर अनुमोदन नहीं होता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

असम में कमजोर वर्गों के लिए कार्यक्रम

3936. डा० प्रवीन चंद्र शर्मा : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में विशेषकर असम में कमजोर वर्गों के लिए लागू किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान असम में इन योजनाओं के अन्तर्गत कितनी राशि खर्च की गई;

(ग) क्या यह राशि पर्याप्त थी; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रयोजनार्थ अधिक धनराशि आवंटित करने का है ?

ग्रामीमण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) और (ख) असम सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों और गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के लाभ के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र द्वारा कार्यान्वित विभिन्न कार्यक्रम ये हैं : समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ट्राइसेम, उन्नत औजार किटों की आपूर्ति, जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, दस लाख कुंओं की योजना और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम/आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत असम में खर्च की गई राशि के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

असम

(लाख रुपए में)

क्र० सं०	योजना	खर्च की राशि				
		1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996.97 (जन० 97 तक)
1	2	3	4	5	6	7
1.	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1584.46	2532.34	3105.55	3519.89	1078.06
2.	ट्राइसेम	123.76	143.22	214.05	237.83	80.64
3.	औजार किट	75.00	81.98	19.32	78.11	55.08
4.	जवाहर रोजगार योजना	4034.49	7911.51	10386.94	9583.33	2694.37
5.	सुनिश्चित रोजगार योजना	शुरू नहीं किया गया	963.09	4115.31 (अक्तू० 93 में शूरू की गई)	9822.98	2780.34
6.	इंदिरा आवास योजना	172.24	130.76	573.08	934.47	567.75
7.	दस लाख कुंओं की योजना	370.29	1898.75	1426.60	666.70	221.77 (दिस० 96 तक)
8.	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	शुरू नहीं किया गया			201.10 (अनंतिम)	189.64

विभिन्न राज्यों को निधियों का आबंटन इस उद्देश्य के लिए जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार किया जाता हैं नौवीं पंचवर्षीय योजना का आकार अभी निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, 1997-98 के लिए कुल परिव्यय चालू वित्तीय वर्ष के सदृश आंकड़ों से अधिक करने का प्रस्ताव है।

आई०आर०डी०पी० के अन्तर्गत बैंक ऋण

3937. श्री सुशील चन्द्र : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई०आर०डी०पी० के अन्तर्गत बैंक ऋण दिए जाने संबंधी प्रस्तावों पर अभी भी प्रखंड विकास अधिकारियों द्वारा ही विचार किया जा रहा है तथा इन्हें विचार एवं स्वीकृति हेतु प्रखड स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा रहा हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई निर्देश जारी किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्रों और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) से (ग) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की सूची को खण्ड और बैंक अधिकारियों की उपस्थिति में आम बैठक में ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तब सूची को पंचायत समिति खण्ड और जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के पास भेजा जाता हैं जहां तक समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बैंक ऋणों के प्रस्ताव का सवाल है, वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसर, ऋणों के लिए लाभार्थियों के आवेदन पत्र राजस्व विभाग और बैंकरों सहित लाभार्थियों खण्ड कार्यकर्त्ताओं और अन्य संबंधित विभागों के कैम्प में तैयार किए जाते है। तत्पश्चात् उपयुक्त परियोजना प्रस्तावों के साथ इन्हें खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को भेजा जाता है जो इन्हें बैंकों के पास भेजती हैं। ऐसे सभी मामलों का एक रजिस्टर खण्ड कार्यालय/ जिला ग्रामीण विकास एजेंसी में रखा जाता है।

केन्द्रीय भण्डार के चुनाव

3938. श्री रामसागर :
श्री जय प्रकाश (हरदोई) :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेहकारी समिति पंजीयक, दिल्ली ने केन्द्रीय भण्डार को अपने निदेशक मंडल और प्रतिनिधियों के चुनाव न कराने का परामर्श दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निदेशक मंडल में पांच सेवानिवृत्त निदेशक हैं;

(घ) यदि हां, तो सेवा-निवृत्त निदेशकों की भागीदारी के क्या कारण है;

(ङ) क्या सरकार का निदेशक मंडल द्वारा लिए गए उन सभी निर्णयों की पुनरीक्षा करने का विचार है जिनमें सेवानिवृत्त निदेशकों ने भाग लिया था; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रहमण्यन): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय भंडार के प्रतिनिधियों के पिछले चुनाव अगस्त/सितम्बर, 1985 में तथा निदेशक मंडल के चुनाव दिसम्बर, 1985 में कराए गए थे। केन्द्रीय भंडार की संशोधित उपविधियां जो 10.4.87 से लागू की गई थी. को 1987 में कुछ निर्वाचित निदेशकों/प्रतिनिधियों द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। रिट याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अभी अंतिम निर्णय लिया जाना है। निदेशकों/प्रतिनिधियों के चुनाव, सहकारी समिति पंजीयक के पर्यवेक्षण में किए जाने हैं, जिसने यथापूर्व-स्थिति बनाए रखने और उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के बाद ही चुनाव कराए जाने की सलाह दी है। मामले की शीघ्र सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन-पत्र दायर किए गए हैं।

(ग) और (घ) निदेशक-मंडल में अध्यक्ष, सरकार द्वारा नामित आठ निदेशक तथा आठ निर्वाचित निदेशक होते हैं। छः निर्वाचित निदेशकों के सेवा से सेवानिवृत्त होने तथा समिति के कार्य में उनके स्वार्थ के आधार पर एक अन्य निर्वाचित निदेशक के अयोग्य होने के कारण निदेशक मंडल में निर्वाचित निदेशक की संख्या आठ से घटकर एक रह गई है। बोर्ड में, इस समय अध्यक्ष, सरकार द्वारा नामित आठ निदेशक तथा एक निर्वाचित निदेशक हैं। बोर्ड के लोकतांत्रिक स्वरूप को मजबूत बनाने के लिए, छः भूतपूर्व निदेशकों और एक प्रतिनिधि जो प्रतिनिधि मंच का अध्यक्ष है, को आमंत्रित करके निदेशक मंडल में विचार-विमर्श के लिए शामिल किया जा रहा है तथा इन्हें न तो निदेशक का स्तर मिलेगा और न ही मत देने का अधिकार होगा।

(ङ) और (च) उपर्युक्त (ग) तथा (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जी०पी०सी०एल० को स्वीकृति

9939. श्री एन०जे० राठवा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक गुजरात सरकार के विद्युत और पैट्रोरसायन विभाग द्वारा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जी०पी०सी०एल० को सिद्धांत रूप में स्वीकृति दिए जाने के संबंध में केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और अद्यतन स्थिति क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक जी०पी०सी०एल० को दिए जाने की स्वीकृति दिए जाने की संभावना है

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस० वेणुगोपालाचारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) गुजरात पावर कारपोरेशन लि० (जी०पी०सी०एल०) से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में सैद्धांतिक/तकनीकी-आर्थिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए पांच परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इन परियोजनाओं के ब्यौरे तथा इनकी अद्यतन स्थिति निम्नवत् है :–

क्र० सं०	परियोजना का नाम	क्षमता (मे०वा०)	के०वि०प्रा० में प्राप्ति की तिथि	आई०पी०सी० जारी करने की तिथि	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	अकरीमोता लिग्नाइट टी०पी०एस०	240	12/93	22.7.94	चूंकि जी०पी०सी०एल ने इस परियोजना को मै० जी०एम०डी०सी० को अंतरित कर दिया है इस लिए परियोजना 7/95 को लौटा दी गई। तत्पश्चात् जी०एम०डी०सी० को 19.2.97 को सूचित किया गया कि चूंकि यह परियोजना राज्य सार्वजनिक उपक्रम द्वारा निष्पादित की जा रही है, अतः आई०पी०सी० प्राप्त करना अपेक्षित नहीं है।
2.	गोधा लिग्नाइट आधारित विद्युत संयंत्र	240	8/93	21.7.94	चूंकि इस परियोजना के लिए निष्पादन अभिकरण को जी०पी०सी०एल द्वारा अभिज्ञात किया जाना है, अतः 12.7.96 को परियोजना लौटा दी गई।

1	2	3	4	5	6
3.	पिपावव द्वि-ईंधन आधारित विद्युत केन्द्र	615	12/93	–	चूंकि जी०पी०सी०एल द्वारा इस परियोजना के निष्पादन के अभिकरण को अभी ज्ञात किया जाना है, अतः परियोजना 14.10.96 को लौटा दी गई।
4.	खड़सालिया लिग्नाइट आधारित विद्युत संयंत्र	120	10/95		20.2.96 को परियोजना लौटा दी गई क्योंकि जी०पी०सी०एल ने अभी निष्पादन अभिकरण को अभिज्ञात करना है तथा इस परियोजना के लिए निवेश/मंजूरी सुनिश्चित करनी है।
5.	कोयला आधारित तटीय ताप विद्युत केन्द्र (पिपावव के निकट)	1000	1/96		17.9.96 को परियोजना लौटा दी गई क्योंकि जी०पी०सी०एल को अभी निष्पादन अभिकरण ज्ञात करना है तथा इस परियोजना के लिए निवेश मंजूरी सुनिश्चित करनी है।

[अनुवाद]

पेयजल परियोजनाएं

3940. श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के पास लंबित विभिन्न पेयजल परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं का सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है;

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या इन परियोजनाओं को अब तक वित्तीय सहायता दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) से (च) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। ये परियोजनाएं पृथक परियोजनाएं हैं। चूंकि समस्त गुणता प्रभावित समस्या वाली बस्तियों को इस तरह की पृथक परियोजनाओं से नहीं निपटाया जा सकता है, इसलिए राज्य सरकारों को कहा गया है कि समस्त गुणता प्रभावित बस्तियों में स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने हेतु व्यापक कार्य-योजना तैयार करें। इस तरह का कोई भी व्यापक परियोजना प्रस्ताव राज्य सरकारों की तरफ से प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

लम्बित परियोजनाओं की सूची

राज्य का नाम	लम्बित परियोजनाओं की संख्या
आंध्र प्रदेश	36
गुजरात	6
कर्नाटक	1
मध्य प्रदेश	2
महाराष्ट्र	3
राजस्थान	2
उत्तर प्रदेश	2
पश्चिम बंगाल	1
अखिल भारत	53

संघ राज्य क्षेत्र/राज्य संवर्ग के अधिकारी

3941. श्री नीतीश भारद्वाज : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र/राज्य स्वर्ग के अधिकारियों की उपेक्षा की जाती है और उनके स्थान पर आई०ए०एस० अधिकारियों को तैनात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सवंर्ग अधिकारियों की तैनाती से संबंधित अधिकारों का इस प्रकार हनन तत्काल समाप्त किया जाये ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रह्मण्यन): (क) भारतीय प्रशासनिक सेवा के वे अधिकारी को राज्य सरकार के कार्यों के सिलसिले में वहां सेवारत हैं, उनकी तैनाती पूर्णतया उन राज्यों

की अधिकारिता में है और ऐसे निर्णय प्रशासनिक अपेक्षाओं पर आधारित होते हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

तेल शोधन शालाएं

3942. श्री के०पी० सिंह देव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी तेल शोधन शालाओं को स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) किन-किन राज्यों में इन शोधन शालाओं को स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या नौवीं योजना के दौरान उड़ीसा में ऐसी कोई शोधन शाला स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इनका स्थान-वार ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालु) : (क) से (घ) 9वीं योजना के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उनकी संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा स्थापित किए जाने/आरंभ किए जाने के लिए प्रस्तावित नई ग्रासरूट रिफाइनरियां निम्नवत् हैं :–

क्र०सं०	रिफाइनरी का नाम	राज्य
1.	पानीपत रिफाइनरी	हरियाणा
2.	नुमालीगढ़ रिफाइनरी	असम
3.	सेन्ट्रल इंडिया रिफाइनरी	मध्य प्रदेश
4.	पश्चिम तट रिफाइनरी	महाराष्ट्र
5.	पूर्वी तट रिफाइनरी	उड़ीसा

[हिन्दी]

परतीभूमि विकास कार्य में निवेश

3943. श्री राम टहल चौधरी :
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान परतीभूमि विकास कार्य में बहुत बड़ी धनराशि का दुरुपयोग किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परती भूमि विकास कार्य में निवेश की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस निवेश के क्या परिणाम रहे?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) और (ख) जी नहीं। पिछले तीन वर्षों के दौरान बंजरभूमि विकास कार्य में काफी बड़ी धनराशि का दुरुपयोग विभाग की जानकारी में नहीं आया है।

परियोजना के मूल्यांकन के समय कुछ मामलों में कुछ परियोजनाओं, जिन्हें निधियां पहले ही जारी की जा चुकी हैं; का कार्य निष्पादन कुछ कारणों से संतोषजनक नहीं पाया गया है अथवा इन परियोजनाओं में प्रगति निर्धारित समय के अनुसार नहीं हुई अतः ऐसी परियोजनाओं के प्राधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय करें।

(ग) और (घ) विगत तीन वर्षों (1993-94 से 1995-96) के दौरान 1,90,571 हैक्टेयर बंजरभूमि को विकसित करने के लिए बंजरभूमि विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कुल 164.19 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

क्र० सं०	योजना का नाम	पिछले तीन वर्षों (1993-94 से 1995-96) के दौरान जारी की गई निधियां (करोड़ रुपये में)	पिछले तीन वर्षों के दौरान (93-94 से 95-96) विकसित देश (क्षेत्र हैक्टेयर में)
1.	समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम	148.53	1,73,000
2.	गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता	9.40	13,100
3.	प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार एवं प्रशिक्षण योजना	5.29	4,000
4.	निवेश संवर्धन योजना	0.21	91
5.	बंजरभूमि विकास कार्यबल	0.76	380
	कुल	164.19	1,90,571

[अनुवाद]

रामगुण्डम स्थित विद्युत परियोजना

3944. श्रीमती लक्ष्मी पनबाका : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामगुण्डम में स्थापित की जा रही 520 मेगावाट की बी०पी०एल० विद्युत परियोजना केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को भेजी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस० वेणुगोपालाचारी) : (क) जी, हां।

(ख) परियोजना ने दिनांक 6.2.96 को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के०वि०प्रा०) की सिद्धांत रूप में स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। मैसर्स बी०पी०एल० पावर प्रोजेक्ट्स (ए०पी०) लि० ने के०वि०प्रा० को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) फरवरी, 1997 में प्रस्तुत कर दी है जिसमें 2369.76 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत (1 अमरीकी डालर = 35.50 रुपए) पर रामागुण्डम में 2X260 (520 मेगावाट) की परियोजना स्थापित किए जाने की परिकल्पना की गई है। के०वि०प्रा० द्वारा डी०पी०आर० पर विचार किया गया था लेकिन तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु इसके सम्बन्ध में सिफारिशें प्रदान नहीं की जा सकीं।

[हिन्दी]

लखनऊ शहर में बढ़ती गंदगी

3945. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च न्यायालय लखनऊ शहर में बढ़ती गंदगी के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण और नगर निगम के उच्च अधिकारियों से नाखुश है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार इस स्थिति में सुधार लाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

शहरी कार्य ओर रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) से (ङ) लखनऊ विकास प्राधिकरण का जहां तक संबंध है, उत्तर प्रदेश प्रशासन ने इस कथन से इंकार किया है कि उच्च न्यायालय, प्राधिकरण के उच्च अधिकारियों से नाराज हैं। लखनऊ नगर निगम के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रखदी जाएगी।

[अनुवाद]

लघु आई०टी०आई० प्रशिक्षण केन्द्र

3946. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वरोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य से बी०पी० एल० परिवार के युवकों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु लघु आई०टी०आई० (कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण केन्द्र) की स्थापना के लिये समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम सम्बन्धी उच्चाधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें स्वीकार की है और इसके लिए पत्र द्वारा राज्य सरकारों को निर्देश जारी किये है;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों ने यह जानकारी दी है कि लघु आई०टी०आई० जो स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण प्रदान करता है, की स्थापना वी०पी०एल० युवकों को बेहतर प्रशिक्षण प्रदान करने में अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हुई है तथा कुछ राज्य सरकारों ने तो सकारात्मक परिणाम नहीं मिलने के कारण लघु आई०टी०आई० को पहले ही बन्द कर दिया है;

(ग) क्या राजस्थान सरकार ने प्रखण्ड स्तर पर पूर्णकालिक आई० टी०आई० की स्थापना का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसमें ट्राइसेम योजना के अंतर्गत केन्द्र का 25% अंशदान रहेगा तथा शेष धनराशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार प्रखण्ड स्तर पर आई०टी०आई० हेतु ट्राइसेम योजना के अंतर्गत केन्द्र के हिस्से की धनराशि को मंजूर करने पर विचार करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडु) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) चूंकि लघु-औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने की योजना पिछले वर्ष ही शुरू हुई थी, इसलिए ट्राइसेम के इन अलग प्रशिक्षण संस्थानों की उपयोगिता/प्रभावोत्पादकता पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। सिवाय राजस्थान के किसी भी राज्य ने अब तक इन संस्थाओं की अनुपयोगिता के बारे में भारत सरकार को कोई सूचना नहीं दी, जिसने लघु-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की बजाय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने हेतु सहायता की मांग की थी। इसपर मंत्रालय में विचार किया गया था और चूंकि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को स्थापित करना इस मंत्रालय के सीमाक्षेत्र में नहीं आता है, इसलिए राज्य सरकार की इस मांग को पूरा नहीं किया जा सकता है।

(घ) और (ङ) ऊपर वर्णित स्थिति के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रश्न ही नहीं उठता है।

जवाहर रोजगार योजना में अनियमितताएं

3947. श्री मोहन रावले : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ राज्यों में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत धनराशि के वितरण में हुई अनियमितताओं की किसी घटना के बारे में पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नियत धनराशि के वितरण में हुई कथित अनियमितताओं के बारे में किसी अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया गया है और

(घ) यदि हां, तो उक्त अनियमितताओं के लिए दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने की सिफारिश की गई है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) जी, नहीं। तथापि, जब कभी कोई शिकायत मिलती है, उसे संबंधित राज्य सरकार के पास आवश्यक उपचारी कार्रवाई के लिए भेजा जाता है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

आवासीय इकाइयां

3948. श्री अन्नासाहिब एम०के० पाटिल : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत निर्मित तथा गांवों के गरीब लोगों को दी गई आवासीय इकाइयों की संख्या क्या है और इनके निर्माण पर राज्य वार तथा वर्ष-वार कितना व्यय किया गया;

(ख) चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण लोगों के आवास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार लक्ष्यों तथा कुल आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में ग्रामीणों के लिये आवास योजनाओं के उचित पुनर्गठन हेतु उनके कार्यान्वयन की उच्च स्तर पर आलोचनात्मक समीक्षा की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान निर्मित आवासों की संख्या और किए गए खर्च के राज्यवार/वर्षवार ब्यौरे संलग्न विवरण एक में दिया गया है।

(ख) इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष के दौरान केन्द्रीय अंश के रूप में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 1140.00 करोड़ रु० की राशि आवंटित की गई है। राज्यवार केन्द्रीय आवंटन के आंकड़े संलग्न विवरण-दो में हैं।

(ग) और (घ) कार्यक्रम का मूल्यांकन योजना आयोग के योजना मूल्यांकन संगठन में किया जाता है जिसमें 1992-93 में इन्दिरा आवास योजना का तेज अध्ययन किया था।

इसके अलावा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से मिली मासिक रिपोर्टों के आधार पर कार्यक्रम की समीक्षा की जा रही है। मंत्रालय में उप-सचिव या इससे ऊपर के स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों को विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के क्षेत्र अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ये वरिष्ठ अधिकारी समय-समय पर आवंटित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा करते हैं और क्षेत्र में कार्यक्रम के वास्तविक कार्यान्वयन का निरीक्षण करते हैं। कार्यक्रम की प्रति वर्ष जून/जुलाई में आयोजित कार्यशाला में ग्रामीण विकास के राज्य सचिवों के साथ और जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के परियोजना निदेशकों के साथ बैठकों में भी समीक्षा की जाती है।

विवरण-एक

निर्मित मकान : संख्या
खर्च : लाख रुपए में

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1993-94		1994-95		1995-96	
		निर्मित मकान	खर्च	निर्मित मकान	खर्च	निर्मित मकान	खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	44897	5956.77	57483	6610.08	69086	6317.95
2.	अरुणाचल प्रदेश	120	26.88	219	26.16	420	56.00
3.	असम	4304	573.08	6862	934.47	24871	3381.70
4.	बिहार	88960	13664.86	59216	7121.09	114506	19168.71
5.	गोवा	358	32.22	329	30.07	967	31.51
6.	गुजरात	7117	937.63	7895	1137.37	31770	3669.26
7.	हरियाणा	1552	217.55	3536	507.68	9024	1233.81
8.	हिमाचल प्रदेश	629	84.37	853	126.24	1727	244.55
9.	जम्मू व कश्मीर	390	45.02	1697	245.74	3554	543.04

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	कर्नाटक	8820	1221.87	13831	2060.40	37460	5812.80
11.	केरल	16999	2349.73	18549	2687.74	29368	4864.14
12.	मध्य प्रदेश	48108	2931.17	48967	3246.09	125757	11807.75
13.	महाराष्ट्र	18870	3189.84	22812	3219.14	66648	10606.35
14.	मणिपुर	208	24.15	197	32.13	784	141.18
15.	मेघालय	353	44.20	283	39.59	207	30.01
16.	मिजोरम	240	33.21	368	48.01	569	87.68
17.	नागालैंड	1536	222.72	895	141.41	470	74.26
18.	उड़ीसा	10588	1434.83	13297	1942.02	51033	7494.88
19.	पंजाब	2739	704.33	3849	527.34	1121	96.50
20.	राजस्थान	19958	2287.96	28934	2989.27	41756	4701.44
21.	सिक्किम	142	20.57	108	19.81	1065	163.76
22.	तमिलनाडु	33758	4526.95	33176	7619.52	56885	14998.41
23.	त्रिपुरा	636	108.42	567	95.65	1348	144.77
24.	उत्तर प्रदेश	47722	5585.68	50908	6412.97	159073	17039.77
25.	पश्चिम बंगाल	13389	1843.68	15526	2170.54	34278	4468.87
26.	अंड० व नि० द्वीप समूह	21	15.57	21	15.98	21	15.98
27.	दादरा व नगर हवेली	60	8.60	59	8.64	13	1.19
28.	दमन व दीव	13	1.64	45	5.06	62	9.25
29.	लक्षद्वीप	0	0.00	0	0.00	10	5.18
30.	पांडिचेरी	48	6.65	0	18.17	36	25.74
	कुल	372535	48099.95	390482	50038.38	863889	116636.44

0 – शून्य/असूचित

विवरण-दो

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय आबंटन (लाख रुपए)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	8870.30
2.	अरुणाचल प्रदेश	79.71
3.	असम	2919.68
4.	बिहार	17398.92
5.	गोवा	86.12
6.	गुजरात	3255.70
7.	हरियाणा	782.14
8.	हिमाचल प्रदेश	273.65
9.	जम्मू व कश्मीर	556.07

1	2	3
10.	कर्नाटक	5956.29
11.	केरल	2167.06
12.	मध्य प्रदेश	11240.56
13.	महाराष्ट्र	9669.47
14.	मणिपुर	102.16
15.	मेघालय	119.54
16.	मिजोरम	50.36
17.	नागालैंड	128.13
18.	उड़ीसा	7195.91
19.	पंजाब	556.24
20.	राजस्थान	4670.13
21.	सिक्किम	46.65
22.	तमिलनाडु	8018.92
23.	त्रिपुरा	152.82
24.	उत्तर प्रदेश	21616.11
25.	पश्चिम बंगाल	949.67
26.	अं० व नि० द्वीप समूह	47.17
27.	दादरा व नगर हवेली	25.61
28.	दमन व दीव	15.08
29.	लक्षद्वीप	23.65
30.	पांडिचेरी	46.18
	कुल	114000.00

पंजीकृत सहकारी आवास समितियां

3949. श्री मंगत राम शर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत सहकारी आवास समितियों की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) इनमें से कितनी समितियों को भूमि आवंटित की जा चुकी है और बाकी समितियों को कब तक भूमि आवंटित कर दी जाएगी?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा०यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सहकारी समिति पंजीकार ने सूचित किया है कि दिल्ली में 2097 पंजीकृत सहकारी हाऊसिंग सोसाइटियां हैं इनमें से 154 हाउस बिल्डिंग सोसाइटियां हैं और बाकी 1943 ग्रुप हाऊसिंग सोसाइटियां हैं।

(ख) डी०डी०ए० (दिल्ली विकास प्राधिकरण) ने बताया है कि जहां तक सहकारी हाऊस बिल्डिंग सोसाइटियों का संबंध है, पूर्व दिल्ली प्रशासन के भूमि तथा भवन विभाग द्वारा सभी पात्र सोसाइटियों को भूमि आवंटित की जा चुकी है। 1983 से पहले पंजीकृत 518 सहकारी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को डी०डी०ए० द्वारा भूमि आवंटित की गई है। अन्य 232 सोसाइटियां जिनकी पंजीकरण संख्या 1400 तक है, उन्हें द्वारका फेज-I में भूमि आवंटित की गई है और उन्होंने इसे स्वीकार भी कर लिया है। 1590 तक पंजीकरण संख्या वाली पात्र सोसाइटियों की एक और सूची सहकारी समितियों के पंजीवार से प्राप्त हुई हैं। भूमि की उपलब्धता का आकलन करने के बाद उन्हें यदि आवंटित करने की पेशकश की जाएगी। परन्तु, इस बारे में कोई समय अवधि बताना संभव नहीं है क्योंकि चूकि आवंटन में कई मुद्दे शामिल हैं जैसे भूमि की उपलब्धता, भूमि का विकास तथा संबद्ध सोसाइटियों द्वारा प्रस्तावित भूमि स्वीकार करना।

बिना बारी के आवंटन

3950. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल :
श्री प्रमोद महाजन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिना बारी के मकान के आवंटियों से संबंधित विभिन्न मामलों पर उच्चतम न्यायालय के दिनांक 23 दिसम्बर, 1996 के फैसले पर सरकार द्वारा अभी तक क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय के दिनांक 23.12.96 के निर्णय में उल्लिखित बिना-बारी के आवंटन से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर सरकार द्वारा की गयी कार्रवाई के ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं :–

विवरण

उच्चतम न्यायलय द्वारा रिट याचिका (सिविल) सं० 585/94 में दिनांक 23.12.96 को दिये गये अधिनिर्णय से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के ब्यौरे इस प्रकार हैं :–

(i) बिनाबारी प्राप्त उन आवंटियों की एक नई सूची तैयार की गई है को, जो बेदखल किये जायेगें तथा उन्हें, लाइसेंस शुल्क का बढ़े हुए दर पर भुगतान करना होगा या उन्हें वैकल्पिक वास मुहैया कराया जायेगा, की तदनुसार इन आवंटियों को नोटिस जारी किये जा रहे हैं।

(ii) बिनाबारी आवंटनों के उन मामलों पर विचार करने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त चिकित्सा बोर्ड का गठन किया गया था। जिन्हें चिकित्सा आधार पर आवंटन किये गये थे और जो विद्यमान नीति निर्देशों के तहत नहीं आते। बोर्ड ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं और उन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

(iii) उन सरकारी कर्मचारियों, जो बारी के आधार पर पात्र होने के बावजूद आवंटनों से वंचित रखे गये थे, की क्षतिपूर्ति हेतु स्कीम बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट को शीघ्र ही अन्तिम रूप दे देने की संभावना है।

(iv) दिल्ली में साधारण पूल रिहायशी वास के स्वविवेकाधीन आवंटनों के लिए दिशा-निर्देश तैयार किये गये हैं और उनको विधिवत अधिसूचित करने से पहले सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लिया जा रहा है।

(v) राजनैतिक पार्टियों को सरकारी वास के आवंटन हेतु दिशा-निर्देश तैयार किये जा रहे हैं।

(vi) न्यायालय ने 127 मामलों, जिनमें मंत्रीमंडलीय आवास समिति द्वारा किराया माफी के आदेश दिये गये थे, के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही शुरू करने/तेज करने के आदेश दिये हैं। न्यायालय के कथित निर्देशों के विरुद्ध एक पुनरीक्षा याचिका दायर करने का निर्णय लिया गया है। तथापि, इसी बीच न्यायालय के निर्देशानुसार संबंधित आवंटियों को व्यक्तिगत आवंटियों को व्यक्तिगत नोटिस भेजे जा रहे हैं।

(vii) न्यायालय ने पाया कि सरकारी वास उप-किरायेदारी पर देना आवंटियों का एक गंभीर दुराचरण है और अनुशासनात्मक प्राधिकारी के लिए यह अनिवार्य है कि वह सी०सी०एस० (सी०सी०ए०), नियमावली, 1965 के नियम-14 के तहत, उसके विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही शुरू करें। मामला आवश्यक कार्रवाई हेतु कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग को भेजा गया है।

(viii) विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों के लिए बंगलों को निर्दिष्ट करने का प्रश्न विचाराधीन है।

(ix) दिल्ली में और अधिक रिहायशी वास के निर्माण की अनिवार्यता की जांच करने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है। न्यायालय द्वारा यथा निर्देशित समिति में कर्मचारियों के दो प्रतिनिधि संबद्ध हैं।

[हिन्दी]

गैस का प्रावधान

3951. प्रो० ओम पाल सिंह "निडर" : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश में "ताज ट्रैपेजियम" के अंतर्गत चल रहे सभी उद्योगों को गैस सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने उद्यमियों ने गैस सुविधा के लिए आवेदन किया है;

(ग) उक्त क्षेत्र के एककों को गैस की आपूर्ति के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) क्या इससे लघु एककों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) आगरा और फिरोजाबाद स्थित उद्योगों को 0.6 एम०एम०एस० सी०एम०डी० और मथुरा रिफाइनरी को 1.4 एम०एम०एस०सी०एम०डी० प्राकृतिक गैस का आवंटन किया गया है।

(ख) गेल को गैस के लिए 1258 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

(ग) गैस की आपूर्ति, पाइपलाइन बिछाने की तकनीकी व्यवहार्यता और गेल के साथ गैस आपूर्ति संविदा के अध्यधीन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जाएगी।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उत्तरी ग्रिड में खराबी

3952. श्री वी० प्रदीप देव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी ग्रिड में बार-बार खराबी आने के कारणों का विश्लेषण करने के लिए सरकार द्वारा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड और प्रचालन) के सदस्य की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में समिति द्वारा कौन-कौन से उपचारात्मक उपाय सुझाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं तो समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस० वेणुगोपालाचारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) समिति द्वारा सुझाए गए उपचारात्मक उपाय निम्नवत हैं :–

(i) भार प्रबंधन द्वारा वोल्टता परिदृश्य का सुधार करना, विशेषतः दादरी/पानीपात/मुरादनगर उप-केन्द्रों में, प्राथमिकता आधार पर उत्तरी क्षेत्र में अतिरिक्त शंट कैपेसिटरों की स्थापना करना

तथा शंट केपिसिटर्स हिस्सों की निम्न वाल्टता रिले सेटिंग में कमी करना।

(ii) एन०टी०पी०सी० के 400/220 के०वी० स्विचयार्डों में निवारक अनुरक्षण जिसमें इन स्विचयार्डों में इन्सुलेटर डिस्क की नियमित हॉटलाईन धुलाई भी शामिल है।

(iii) उपस्कर की खराबी की घटनाओं को कम करने के लिए सभी उपस्करों का समय बद्ध तथा उचित प्रकार से निर्धारित अनुरक्षण।

(iv) विभिन्न क्षेत्रों में किसी बाहरी ऐजेंसी, जैसे कि कें०वि०प्रा० द्वारा अनुरक्षण गतिविधियों की मानाटरिंग की व्यवस्था करना।

(v) अनुषांगिक विद्युत आपूर्ति व्यवस्थाओं को संशोधित करके रिहन्द-दादरी एच०वी०डी०सी० प्रणाली की विश्वसनीयता में संवर्धन करने के लिए उपाय सुझाए गए है।

(vi) दादरी एन०सी०टी०पी०एस० में दो 220 कें०वी० बसों तथा गैस- टरबाईन केन्द्रों को अंतः संयोजित करके दादरी में संपूर्ण रूपांतरण क्षमता का समुपयोजन करना।

(vii) पानीपत में 400 के०वी० दादरी-पानीपत लाईन में प्रदान की गई बचाव स्कीम का संशोधन एवं उन्नयन करना।

(viii) 400 के०वी० दादरी-पानीपत लाईन में विशेष रूप से आधिक्य प्रदान करने तथा अनपारा/ओबरा/सिंगरौली/रिहन्द काम्पलेक्स से ग्रिड के पश्चिमी हिस्सों तक पारेषण माध्यम प्रदान करने के लिए, त्वरित प्रचालन हेतु कुछ 400 और 220 के०वी० की पारेषण लाईनें अभिज्ञात की गई है।

(ix) कानपुर में एस०वी०सी० केन्द्र की संपूर्ण क्षमता को पुनः चालू करना।

(x) 200 मे०वा० तथा उससे अधिक की ताप विद्युत यूनिटों तथा 100 मे०वा० और उससे अधिक की जल विद्युत यूनिटों का नियंत्रण मुक्त प्रचालन।

(xi) डेसू प्रणाली की आइलैंडिंग स्कीम में संशोधन करना।

(xii) विन्ध्याचल एच०वी०डी०सी० बैक-टू-बैक केन्द्र में 400 के०वी० उत्तरी और पश्चिमी बसों के मध्य ए०सी० बॉय-पास उपलब्ध करवा के सिंगरौली/रिहन्द एस०टी०पी०पी०एस० के लिए विश्वसनीय ब्लैक-स्टार्ट सुविधाएं।

(xiii) एन०टी०पी०सी० के गैस-केन्द्रों, दादरी, बी०टी०पी०एस०, और डेसू के गैस केन्द्रों के लिए उत्तरी ग्रिड हेतु स्टार्ट आम प्रक्रिया तथा एन० आर०एल०डी०सी० की डॉटा टेलिमीटरी प्रणाली के संवर्द्धन के द्वारा तीव्रता से पुनः चालू करना।

(xiv) आकस्मिकताओं के मूल्यांकनों सहित प्रणाली की तीव्रता से स्थिर करने के लिए एन०आर०एल०डी०सी० आवधिक प्रचालनात्मक प्रणाली अध्ययन किए जायेंगे।

[हिन्दी]

पक्की सड़कें

3953. डा० बलिराम : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर आजमगढ़ के लालगंज निर्वाचन क्षेत्र में पक्की सड़कों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) लोक निर्माण विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत के लिए प्रदान की गई कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का निरीक्षण

3954. श्री राम नाईक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा फरवरी, 1997 में "टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च" का दौरा किया गया था और उसके कार्यकरण की जांच की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो निरीक्षण की अनुमति देने के क्या कारण हैं;

(ग) उक्त समिति की सिफारिशों और सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ): (क) और (ख) टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान (टी०आई०एफ०आर०) जो कि भौतिकी, गणित विज्ञान और सहायक विज्ञानों के क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाला मुख्य संस्थान है, परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा सहायता प्राप्त एक स्वायत्त संस्थान है। टाटा मूलभूत अनुसंधान केन्द्र ने अनुसंधान गतिविधियों में पचास वर्ष 1995-96 में पूरे कर लिए हैं। टाटा मूलभूत अनुसंधान केन्द्र की स्वर्ण जंयती के अनुक्रम में इसके प्रबन्धन परिषद ने टाटा मूलभूत अनुसंधान केन्द्र की उपलब्धियों की पुनरीक्षा करने और साथ ही साथ अन्य संस्थानों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहकार करने, चुनिंदा क्षेत्रों में उद्योगों के साथ विचारों के अधिक अर्थपूर्ण अदान-प्रदान की गुंजाइश और अनुसंधान में बढ़ती हुई विशेषज्ञता को देखते हुए सृजनात्मक

प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए संस्थान को सक्षम बनाने हेतु उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों के बारे में सिफारिशें देने के लिए सुविख्यात वैज्ञानिकों के एक दल को आमंत्रित करने का निर्णय लिया है।

निम्नलिखित विशेषज्ञों से युक्त समिति ने 13 से 18 जनवरी, 1997 के दौरान टाटा मूलभूत अनुसंधान केन्द्र का दौरा किया और उनके कार्यकरण की पुनरीक्षा की :

(I) प्रौ० लार्ड पोर्टर, ओ०एम०, एफ०आर०एस० नोबल पुरस्कार से अलंकृत, अध्यक्ष सेंटर फार पैट्रोमालिक्यूलर साइंसेज, रसायन और जैव-रसायन विभाग, इंपीरियल कालेज, लंदन, यूनाइटेड किंगडम।

(II) प्रौ० डी० मम्फोर्ड, गणित विज्ञान विभाग, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमरीका।

(III) प्रौ० सर आरनोल्ड वॉलफैन्डेल, एफ०आर०एस०, भौतिकी विभाग, यूनिवर्सिटी ऑफ डुरहम साइंस लैबोरेट्रीज, यूनाइटेड किंगडम।

(Iv) प्रौ० वी०वी० श्रीकांतन, राष्ट्रीय उच्च स्तरीय अध्ययन संस्थान, भारतीय विज्ञान कैम्पस संस्थान, बंगलौर और भूतपूर्व निदेशक, टाटा मूलभूत अनुसंधान केन्द्र।

(v) प्रौ० एस० ब्रेनर, एफ०आर०एस०, बीमारी के कारण इस समिति के सदस्य के रूप में भाग लेने से रह गए, किन्तु उन्होंने लिखित रूप में साक्ष्य दे दिया है।

(ग) और (घ) ऊपर उल्लिखित समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट टाटा मूलभूत अनुसंधान केन्द्र की प्रवन्धन परिषद के अध्यक्ष को प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट पर टाटा मूलभूत अनुसंधान केन्द्र की प्रबन्धन परिषद द्वारा अप्रैल 1997 में होने वाली अपनी अगली बैठक में विचार किया जाएगा। समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा निर्णय तभी लेना संभव होगा जव टाटा मूलभूत अनुसंधान केन्द्र की प्रबन्धन परिषद इस रिपोर्ट पर, और उसे संदर्भित विषयों पर विचार कर लेगी।

तेल की खोज

3955. श्री गोरधन भाई जाविया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में तेल और प्राकृतिक गैस के संसाधनों की अनुमानित मात्रा कितनी है;

(ख) यह संसाधन राज्य में किन क्षेत्रों में है; और

(ग) अव तक खोज कार्य में क्या प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) गुजरात राज्य में कैंबे, कच्छ और सौराष्ट्र नामक तीन तलछटीय वेसिनों का जमीनी भाग सम्मिलित है। इन बेसिनों के जमीनी भाग के अनुमानित संसाधन जमीन पर 2260 एम०एम०टी० तेल+गैस के समकक्ष तेल (ओ+ओ०ई०जी०) हैं।

(ख) कैंबे बेसिन में संसाधन साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाणा, अहमदाबाद, गांधीनगर, खेड़ा, वडोदरा, भड़ूच और सूरत जिलों में स्थित हैं।

सौराष्ट्र में संसाधन जामनगर, जूनागढ़, और भावनगर जिलों में तटीय क्षेत्रों के निकट और कच्छ जिले में कच्छ बेसिन में स्थित हैं।

(ग) 1.1.97 की स्थिति के अनुसार 225 संरचनाओं (कैंबे में 219 कच्छ में 5 और सौराष्ट्र में 1) की वेधन द्वारा जांच की गई है; जिनमें से 83 हाइड्रोकार्बनयुक्त हैं और कैंबे बेसिन में पड़ते हैं।

सेवा प्रमुख न्यायालयों के प्रति उत्तरदायी

3956. श्री आर० साम्बासिवा राव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने की गयी कार्यवाही अथवा लिये गये निर्णय के परिणाम हेतु "न्यायिक समीक्षा" में सक्षम न्यायालय के प्रति नौकरशाही की जिम्मेदारी से संबधित एक मामले को निपटाते हुए 13 फरवरी, 1997 को यह निर्णय दिया कि उस कार्यवाही के लिए अंततोगत्वा "विभागाध्यक्ष/पद नामित आधिकारी न्यायालय के प्रति जिम्मेदारी और जवाबदेह है";

(ख) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के फैसले पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई निदेश जारी किया गया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रहमण्यन): (क) से (ग) उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 13 फरवरी, 1997 के आदेश द्वारा, बिहार राज्य की उस विशेष अनुमति याचिका को खारिज़ कर दिया था जो कि पटना उच्च न्यायालय के उस आदेश के विरुद्ध थी जिसके तहत उच्च न्यायालय ने, उसके द्वारा निर्दिष्ट दो माह की अवधि के भीतर प्रतिवादी द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन न किये जाने के कारण व्यक्तिगत रूप से प्रतिवादी को लागत वहन करने का आदेश दिया था। उपर्युक्त मामले को निपटाते हुये उच्चतम न्यायालय ने, अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिमत भी व्यक्त किया था कि "जब न्यायालयों द्वारा न्यायिक समीक्षा की जानी होती है तो नौकरशाही भी नियमों के अनुसार की गई कार्रवाई के लिये जवाबदेह होती है। निर्णय लिये जाने के संबंध में पदानुक्रम जिम्मेदारी में उनका स्व-अनुशासन निहित है। परन्तु, विभागाध्यक्ष/नामित अधिकारी ही अन्ततः की गई कार्रवाई अथवा लिये गए निर्णय के नतीजे के लिये न्यायालय के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेह होता है"। सरकार ने उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय पर विचार किया है। इस संबंध में कोई भी निदेश जारी करने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई है।

फल आधारित उद्योग

3957. श्री बनवारी लाल पुरोहित :
श्री लक्ष्मण सिंह :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कितने फल आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है;

(ख) केंद्र सरकार द्वारा भविष्य में फल प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्या योजना तैयार की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए निर्धारित मानक क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) एक जनवरी, 1997 की स्थिति के अनुसार फल उत्पाद आदेश के तहत लाइसेंसशुदा फल तथा सब्जी आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या 4674 थी। राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते क्योंकि एक डाक पते के तहत निर्माता के पास विभिन्न राज्यों में रिलेबलिंग सुविधाएं हो सकती हैं।

(ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने फल तथा सब्जी प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए आठवीं योजना के दौरान लागू करने के वास्ते अनेक योजना स्कीमें बनाई हैं जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इन स्कीमों को नौवीं पंचवर्षीय योजना में भी जारी रखने का प्रस्ताव है।

(ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वयं किसी राज्य में किसी खाद्य प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना नहीं करता।

विवरण

आठवीं योजना अवधि के दौरान लागू करने के लिए तैयार की गई योजनास्कीमों का ब्यौरा

क्र०सं०	योजना स्कीमों का नाम
1.	ग्रामीण इलाकों में खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केंद्रों संबंधी स्कीम।
2.	फल तथा सब्जी प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना अथवा उन्हें बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार के उपक्रमों और सहकारिताओं को सहायता देने संबंधी स्कीम।
3.	फल तथा सब्जी प्रसंस्करण उद्योग हेतु बैकवर्ड लिंकेज को मजबूत करने संबंधी स्कीम।
4.	खुम्बी की खेती और प्रसंस्करण की बुनियादी सुविधाओं के विकास संबंधी स्कीम।
5.	हॉप्स के विकास और प्रसंस्करण संबंधी स्कीम।
6.	प्रसंस्कृत खाद्यों के व्यापक विज्ञापन तथा विपणन सहायता उपलब्ध कराने संबंधी स्कीम।
7.	खाद्य तथा सब्जी प्रसंस्करण में अनुसंधान और विकास संबंधी स्कीम।
8.	फल तथा सब्जी उत्पादों की बुनियादी सुविधा के लिए सहायता (1993-94 से)।

[हिन्दी]

प्रखंडों का शामिल किया जाना

3958. श्री डी०पी० यादव : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार की रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कुछ और प्रखंडों को शामिल करने के संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इन प्रखंडों की संख्या कितनी है; और

(ग) सम्भल संसदीय क्षेत्र के कितने प्रखंड इस योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने का विचार है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश सरकार ने सम्भल संसदीय क्षेत्र के सभी ब्लाकों सहित राज्य के शेष सभी 291 ब्लाकों को सुनिश्चित रोजगार योजना में शामिल करने का अनुरोध किया है। देश भर के बचे हुए सभी ब्लाकों को वर्ष 1997-98 के दौरान शामिल किए जाने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

अपशिष्ट पदार्थों का प्रसंस्करण

3959. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में अपशिष्ट पदार्थों के संग्रहण तथा प्रसंस्करण हेतु कोई एकक स्थापित किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलु) : (क) उड़ीसा में इस मंत्रालय और गैर-पारंम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा अपशिष्ट पदार्थों के संग्रहण तथा प्रसंस्करण के लिए कोई एकक स्थापित नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सुनिश्चित जलापूर्ति योजना

3960. श्री एस०डी०एन०आर० बाडियार : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित "सुनिश्चित जलापूर्ति योजना" कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) क्या कर्नाटक में उपरोक्त योजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो "सुनिश्चित जलापूर्ति योजना" के अधीन अब तक कुल कितनी हेक्टेयर भूमि को लाया गया है; और

(घ) इस योजना को कार्यान्वित किए जाने वाले अन्य राज्यों की स्थिति क्या है;

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) इस तरह की कोई योजना नहीं चलाई जा रही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पेप्सी बाटलिंग संबंधी प्रक्रम से जुड़े कर्मचारियों के स्वास्थ्य को खतरा

9961. डा० कृपासिन्धु भोई : क्या खाद्य प्रसंस्करण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका से पेप्सी की प्लास्टिक बोतलों का भारत में ढेर लगाया जा रहा है जहां इन बोतलों को प्रोसेस करने संबंधी प्रक्रिया एकदम असुरक्षित है;

(ख) क्या देश में ऐसी बोतलों का अम्बार लग गया है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी बोतलों का उपयोग रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए है जिनसे ठंडे पेयों के बाटलिंग और परिवहन में लगे कमकारों के स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) से (ग) वर्तमान आयात-निर्यात नीति के तहत स्क्रैप के रूप में "पेट" बोतल वेस्ट के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। खाद्य वस्तुओं की पैकेजिंग के लिए "पेट" बोतलों का इस्तेमाल खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में दिए मानकों के अनुरूप होना चाहिए। कोई भी निर्माता फल उत्पाद आदेश 1955 के तहत लाइसेंस प्राप्त किए बिना तथा उसमें दी स्वास्थ्यकर परिस्थितियों का पालन किए बिना साफ्ट ड्रिंक्स को बोतलबंद करने का काम नहीं कर सकता।

उर्वरक संयंत्रों को गैस की आपूर्ति

9962. श्री अनंत गुढे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच०पी०जे० पाइपलाइन से जुड़े कई "उर्वरक संयंत्रों को गैस की कम आपूर्ति किए जाने के कारण आधुनिकीकरण के कार्य में बाधा उत्पन्न हुई है जिसके फलस्वरूप प्रतिदिन 1.5 मिलियन डालर के उत्पादन की क्षति हो रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रभावित हुए संयंत्रों का ब्यौरा क्या है तथा इससे कितनी क्षति हुई है और यह समस्या कितनी गंभीर है;

(ग) समस्या से निपटने तथा गैस की सामान्य आपूर्ति बहाल करने हेतु की गई कार्यवाही/की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है तथा उर्वरक संयंत्रों की एच०बी०जे० पाइप लाइन से गैस की समुचित तथा नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु क्या स्थाई कदम उठाए जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) ओ०एन०जी०सी० द्वारा जनवरी, 1997 में 23 दिनों के लिए कार्य बंद कर दिए जाने के कारण उर्वरक संयंत्र और एच०बी०जे० पाइपलाइन के आसपास के अन्य उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई। हजीरा तक कुल आपूर्ति लगभग 25 एम०एम०एस० सी०एम०डी० की सामान्य आपूर्ति की तुलना में 14-15 एम०एम०एस० सी०एम०डी० तक कम कर दी गई। यह अनुमान लगाया गया है कि 2.02 लाख टन उत्पादन की हानि हुई है।

(ग) और (घ) कार्य बंद कर दिए जाने से पहले का आपूर्ति स्तर फिर से बहाल कर लिया गया है। बसीन में अतिरिक्त विकास और ताप्ती क्षेत्रों के आरंभ हो जाने से आपूर्ति में और अधिक वृद्धि होगी।

विधान सभा में सरकारी संकल्प

9963. श्री चमन लाल गुप्त : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू-कश्मीर के पर्यटन मंत्री ने चंडीगढ़ में संवाददाता सम्मेलन के दौरान यह बात कही है कि राज्य सरकार का आगामी विधान सभा सत्र के दौरान कश्मीर के पाक अधिकृत क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपे जाने संबंधी सरकारी संकल्प लाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हे ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रहमण्यन) : (क) से (ग) सरकार को इस संबंध में रिपोर्टों की जानकारी है। सरकार का कहना यह है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्र तथा पाकिस्तान द्वारा अवैध ढ़ंग से हथियाए गए राज्य के हिस्सों सहित संपूर्ण जम्मू और कश्मीर राज्य भारत का एक अभिन्न अंग है।

तेल की खोज

9964. श्री के० प्रधानी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना में तेल की खोज के लिए विभिन्न तलछटों के आधार पर क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है;

(ख) क्या वर्ष 1996-97 के दौरान विभिन्न तलछटों के आधार पर नए क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान अन्वेषण के संबंध में लिए गए/

योजनाबद्ध किए गए क्षेत्र कैम्बे, कावेरी, कृष्णा-गोदावरी, ऊपरी असम तथा असम अराकान फोल्डवेल्ट, राजस्थान, विन्ध्य तथा सतपुड़ा, गंगा घाटी तथा हिमालय की तराई स्थित जमीनी बेसिनों एवं पूर्वी तथा पश्चिमी अपतटीय क्षेत्रों में पड़ते हैं।

विद्युत नीति

3965. श्री सनत कुमार मंडल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 फरवरी, 1997 के "द फाइनेंशियल एक्सप्रेस" में "पावर कं० डिमांड पोलिसी टू टेप इंडीजीनस सोरसेज़" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस० वेणुगोपालाचारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विद्युत उत्पादन और वितरण में क्षमता अभिवृद्धि के लिए राज्य/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में संसाधनों की कमी को देखते हुए विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र निवेश को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक नीति अक्टूबर, 1991 में आरंभ की गई थी, जिसका वर्तमान में कार्यान्वयन हो रहा है नीति के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र में स्वदेशी तथा विदेशी प्रवर्तकों की भागेदारी को प्रोत्साहन प्रदान किया गया है।

पेय जल के लिए धनराशि

3966. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली को पेयजल की आपूर्ति हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ख) अब तक का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) और (ख) दिल्ली जल-आपूर्ति तथा मल-जल व्ययन उपक्रम ने सूचना दी है कि गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में पेयजल आपूर्ति के लिए निम्नलिखित धन-राशि का नियतन किया गया।

वर्ष	रु० (लाखों में)
1994-95	10,265
1995-96	8,869
1996-97	12,407

बोरिंग कुएं

3967. श्री भक्त चरण दास : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सूखा प्रवण क्षेत्र में किसानों के लिये गहरे बोरिंग वाले कुओं हेतु धन प्रदान करने का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना में अभी तक राज्य वार कौन-कौन से जिले शामिल किये गये हैं; और

(ग) उड़ीसा, विशेषकर कालाहांडी जिले के लिए संबंधित कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) जी नहीं। देश के सूखा बहुल क्षेत्रों में किसानों के लिए गहरे बोरवैलों का वित्त-पोषण करने संबंधी कोई विशिष्ट योजना नहीं है। तथापि, इस मंत्रालय ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत "गंगा कल्याण योजना" नामक केन्द्र द्वारा प्रायोजित उप-योजना, जिसे हाल में 1.2.1997 से देश के सभी जिलों में शुरू किया गया है, के जरिए बोरवैलों और ट्यूबवैलों के वित्त-पोषण की व्यवस्था की है। तथापि, राज्यों को इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए भूजल संभाव्यता के आधार पर क्षेत्रों जिलों का चयन करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यह योजना 1.4.1997 से एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्वतंत्र योजना बन जाएगी।

(ख) वर्ष 1996-97 के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल जिलों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए है।

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान उड़ीसा राज्य ककों 554.00 लाख रुपए जारी किए गए हैं। कलाहांडी जिले का अंश 27.71 लाख रुपए है।

विवरण

गंगा कल्याण योजना के अंतर्गत शामिल अनेक जिलों का राज्यवार विवरण

क्र०सं०	जिला	शामिल जिले
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद को छोड़कर 23 जिलों में से 22 जिले
2.	अरुणाचल प्रदेश	सभी 13 जिले
3.	असम	सभी 23 जिले
4.	बिहार	सभी 55 जिले
5.	गोवा	सभी 2 जिले
6.	गुजरात	गांधीनगर और मेहसाना को छोड़कर 19 जिलों में से 17 जिले
7.	हरियाणा	अंबाला, पानीपत, पंचकुला, कुरुक्षेत्र और करनाल को छोड़कर 17 जिलों में से 12 जिले
8.	हिमाचल प्रदेश	किन्नौर को छोड़कर 12 जिलों में से 11 जिले

1	2	3
9.	जम्मू व कश्मीर	कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।
10.	कर्नाटक	सभी 20 जिले
11.	केरल	सभी 14 जिले
12.	मध्य प्रदेश	सभी 45 जिले
13.	महाराष्ट्र	कुल 29 जिलों में से अकोला, अमरावती, बलढाना, धुले, जलगांव, नागपुर, यवतमाल और चन्द्रपुर को शामिल कर लिया गया है।
14.	मणिपुर	सभी 8 जिले
15.	मेघालय	सभी 7 जिले
16.	मिजोरम	कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।
17.	नागालैंड	सभी 7 जिले
18.	उड़ीसा	सभी 30 जिले
19.	पंजाब	मोगा, फतेहगढ़ साहिब, संगरूर, जलंधर और कपूरथला को छोड़कर 17 जिलों में से 12 जिले
20.	राजस्थान	सभी 13 जिले
21.	सिक्किम	एक जिले को शामिल किया गया है।
22.	तमिलनाडु	कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।
23.	त्रिपुरा	सभी 4 जिले
24.	उत्तर प्रदेश	बांदा, हमीरपुर, जालौन, सोनभद्र झांसी, ललितपुर महोबा, बदायु, अलीगढ़, फीरोजाबाद, आगरा, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उत्तर काशी, चमोली, टिहरी गढ़वाल, और पौड़ी गढ़वाल को छोड़कर 68 जिलों में से 51 जिले।
25.	पश्चिम बंगाल	दार्जलिंग और 24 दक्षिण परगना को छोड़कर 18 जिलों में से 16 जिले।

* अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, दादरा व नगर हवेली, दमन व द्वीव, लक्षद्वीप और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों ने प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए है।

घोटाले

3968. डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 दिसम्बर, 1996 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित "स्कैम्प एक्सपोन्ड राट इन मिनिस्ट्री", के अंतर्गत छपे समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या भविष्य में घोटालो की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु मंत्रालय द्वारा इसके कार्याकरण को पुनर्व्यवस्थित करने हेतु निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलु) : (क) जी, हां।

(ख) समाचार पत्र में उल्लिखित मुद्दे के बारे में तथ्य और उन पर की गयी कार्रवाई संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ग) और (घ) जहां तक भविष्य में घोटालों से बचने के लिए साधारण पूल के रिहायशी वास के आवंटन की पद्धति को सरल बनाने का सवाल है, मंत्रालय ने ऐसे आवंटन पूरी तरह नियमानुसार करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। प्रागम्भिक परिवर्तन आवंटनों की प्रतीक्षा सूची का ईमानदारी से पालन किया जा रहा है। बिना बारी/विवेकाधीन आवंटनों के बारे में सरकार ने विस्तृत नीतिगत दिशानिर्देश जारी किए है। जिन्हें मंत्रीमण्डल आवास समिति का अनुमोदन लेकर अधिसूचित किया जायेगा ताकि इन मामलों में पूरी पारदर्शित बनायी रखी जा सके। अनधिकृत दखल के मामलें को संगत नियमों के अनुसार समय पर आवंटन रद्द करकें बेदखली कार्रवाई शुरू करके यथा सम्भव कम करने का प्रयास किया जा सके।

विवरण

समाचार पत्र में उल्लिखित तथ्य और सरकार द्वारा उन पर की गई कार्रवाई के ब्यौरे

(I) वर्ष 1995-96 के दौरान भारत के उच्चतम न्यायालय ने श्री शिवसागर तिवारी द्वारा दायर जनहित याचिका में सुनवाई की। सरकारी मकानों के बिना-बारी आवंटन, मुकानों की उपकिरायेदारी, अनधिकृत दखल और दुकानों का आवंटन जनहित याचिका के मुख्य विषय हैं तत्कालीन शहरी विकास मंत्री श्रीमती शैला कौल पर निवारक क्षतिपूर्ति के रूप में 60 लाख रु० का जुर्माना लगाया गया है।

(II) न्यायालय ने अपने दिनांक 23.12.96 के फैसले में निर्देश दिया कि उन व्यक्तियों को छोड़कर जिनके नाम गलती से शामिल किए गए थे तथा जिन्हें उसी टाईप में आवास परिवर्तन की अनुमति दी गयी थी तथा जिन्हें मौजूदा नीति के तहत चिकित्सा आधार पर मकान दिए गए थे, टाईप-III और उच्च श्रेणी आवास के सभी बिनावारी आवंटियों को मकान खाली करने होगे बशर्ते कि उनकी प्राथमिकता तारीख बारी के आवंटन हेतु कवर नहीं

होती हो। ऐसे आवंटियों को बिना बारी आधार पर आवास में अपने रहने की अवधि के लिए बढ़ी हुई लायसेंस फीस पर 2/3 गुना लाइसेंस फीस का भुगतान करने का आदेश दिया और उन्हें अपने पहले कब्जे वाले मकान अथवा बारी आने पर उनकी पात्रता वाले मकान से नीची श्रेणी का वैकल्पिक वास दिया जायेगा। न्यायालय के आदेश के अनुसार 2 महीने के भीतर एक नई सूची बनाई जायेगी और जिन आवंटियों को बेदखल किया जाना है उन्हें 30 दिन के भीतर व्यक्तिगत नोटिस दिए जायेंगे जिसके उपरान्त उन्हें नोटिस के 90 दिन के भीतर परिसर खाली करने होंगे। यह सूची तैयार कर ली गयी है तथा न्यायालय के आदेशानुसार नोटिस जारी किए जा रहे हैं।

(iii) जिन चिकित्सा मामलों में मौजूदा नीति से बाहर बिना बारी की आवंटन किए गए थे सरकार उनकी 2 माह के भीतर एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा जांच करवाएगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि बिना बारी के आवंटन न्यायोचित चिकित्सा आधार पर किए गए थे अथवा नहीं। इस प्रयोजनार्थ गठित चिकित्सा बोर्ड ने अब अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी है और उन्हें स्वीकार कर कार्यान्वित कर दिया गया है।

(iv) सरकार बिना बारी आवंटिनों के संबंध में उपयुक्त नियम बनाएगी और उन्हें 3 महीने के भीतर अधिसूचित करेगी। बिना बारी के आवंटन करते समय खुलासा आदेश जारी किए जायेंगे जिनमें इसके कारणों का उल्लेख होगा और उनमे से आवंटनों की सूची अधिसूचित करके सभी सरकारी विभागों को परिचालित की जाएगी। एक वर्ष में खाली होने वाले प्रत्येक श्रेणी के मकानों में बिना बारी आवंटन 5 प्रतिशत होगा। 5 प्रतिशत कोटे में से विवेकाधीन आवंटनों हेतु स्वतंत्रता सेनानियों, कलाकारों सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्वैच्छिक संगठनों/संस्थाओं पर विचार किया जा सकता हैं बशर्ते कि इनके लिए बनाए गए दिशा-निर्देशो में ऐसा प्रावधान हो/यह दिशा-निदेश तैयार कर लिये गये है और उन्हें अधिसूचित करने से पहले सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लिया जा रहा है।

(v) उच्चतम न्यायालय ने माना है कि सरकारी आवास को उप किरायेदारी पर देना सरकारी कर्मचारियों के लिए एक गम्भीर दुराचार है, अतः अनुशासनात्मक प्राधिकारी के लिए ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 (असाधारण शास्ति) के नियम 14 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करना आवश्यक होगा। केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली 1964 के प्रावधानों में संशोधन करके सरकारी आवास को उप किरायेदारी पर देने को दुराचार बनाया गया हैं कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग से अनुरोध किया गया है कि सरकारी वास के उप किरायेदारी के सिद्ध होने के मामले में केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1965 के नियम 14 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के बारे में आवश्यक निर्देश जारी करें।

2. केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने दिल्ली एम०आर०टी०एस० परियोजना के लिए निवेश करने हेतु सितम्बर, 1996 में अनुमोदन दे दिया है। इस परियोजना के लिए ओई०सी०एफ०, जापान 478.78 करोड़ रु० की ऋण सहायता मुहैया कराने की जनवरी, 1997 में सहमत हो गया है कार्यान्वयन एजेंसी को पूरी तरह कार्यात्मक बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। दिल्ली मैट्रो रेल निगम ने परियोजना के लिए जनरल कन्सलटेंट की नियुक्ति वावत अर्न्तराष्ट्रीय विज्ञापन देने शुरू कर दिए हैं।

3. नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 में संशोधन इस समय सरकार के विचाराधीन है। राज्य सरकारों/संघ प्रदेशों को अधिनियम में संशोधन करने के बारे में अपने सुझाव देने का अनुरोध किया गया है। और इस प्रयोजनार्थ सचिव (शहरी विकास) की अध्यक्षता में एक अन्तर सरकारी समिति गठित की गयी है। समिति की सिफारिशों के आलोक में संशोधन को अन्तिम रूप दिए जाने के प्रस्ताव है।

4. बजट प्रावधानों में वृद्धि करने के लिए संसाधन जुटाने हेतु फालतु सरकारी भूमि के उपयोग संबंधी एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

सरकारी फ्लैटों की स्थिति

3969. श्री के०एच० मुनियप्पा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीनिवासपुरी और ईस्ट किदवई नगर में विशेषकर टाइप-एक और टाइप-दो के सरकारी मकान जीर्ण-शीर्ष स्थिति में हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन मकानों के आवंटियों ने इस संबंध में शिकायतें की है;

(ग) यदि हां, तो क्या मकानों की मरम्मत हेतु केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है;

(घ) यदि हां। तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलु) : (क) जी नहीं, तथापि, श्रीनिवास पुरी में टाइप-I और टाईप-II के कुछ एक क्वार्टरों में बिजली की वायरिंग खस्ता हालत में है।

(ख) जी हां।

(ग) से (ङ) सिविल कार्य तथा मरम्मत से संबंधित सभी के शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की गई। बिजली के मामले में श्रीनिवासपुरी ने टाइप-I और II के कुछेक मकानों में खामीपूर्ण वायरिंग को हाल ही में बदला गया है। श्रीनिवासपुरी के शेष क्वार्टरों में जहां इसे बहुत अत्यावश्यक समझा गया है, धन की उपलब्धता के आधार पर वायरिंग बदलने का कार्य शुरू किया जायेगा।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा निर्यात

3970. श्री नीतीश भारद्वाज : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घरेलू खाद्य प्रसंस्करण उद्योग द्वारा प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं अथवा पेय पदार्थों का निर्यात किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो निर्यात की मात्रा क्या है तथा यह निर्यात किन-किन देशों को किया जा रहा है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार रॉय) : (क) जी हां।

(ख) मात्रा तथा जिन देशों को निर्यात किया गया, उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात मात्रा मी०टन में, मूल्य लाख रु० में

उत्पाद	1993-94		1994-95		1995-96		प्रमुख बाजार
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	
प्रसंस्कृत फल तथा सब्जियां (आम का गूदा, आचार और चटनी आदि)	120521.950	26850.26	144322.036	34821.67	193509.560	49159.21	सं० अरब अमीरात, श्रीलंका, सिंगापुर, यू०एस०ए०, जर्मनी, सऊदी अरब, कुवैत, यू०के०, नीदरलैंड, रशिया
पशु उत्पादन (मांस, पाल्ट्री तथा डेयरी उत्पादन)	118285.595	37401.48	164107.100	44838.42	183897.979	68258.23	मलेशिया, सं० अरब अमीरात, फिलीपींस, ओमान, जौडान, सऊदी अरब, यू०एस०ए०, दक्षिण अफ्रीका, बंगला देश, जर्मनी, रशिया, पुर्तगाल, नीदरलैंड, स्पेन, फ्रांस, जैरे, सेशल्स
अन्य प्रसंस्कृत खाद्य (गुआर गर्म, अनाज से तैयार वस्तुएं, अल्कोंहल पेय आदि)	375671.430	45968.86	176886.925	41548.57	1007330.047	117197.31	इंडोनेशिया, ब्रिटेन, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपीन्स, यू०एस०ए०, जर्मनी, जापान, नीदरलैंड, बेल्जियम, श्रीलंका, फ्रांस, बंगला देश, नेपाल, इटली, सं० अरब अमीरात, भूटान, रशिया यमन

[हिन्दी]

कार्यों की समीक्षा

9971. श्री एन०जे० राठवा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुडको ने विभिन्न राज्यों में विशेषकर जनजातीय/ग्रामीण क्षेत्रों में इसके द्वारा दिये गये ऋण की सहायता से आरम्भ कियें गये कार्यों की समीक्षा की है अथवा करने पर विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य ओर रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलु) : (क) और (ख) हुडको अपने द्वारा स्वीकृत विभिन्न आवास और शहरी अवस्थापना परियोजनाओं की प्रगति की नियमित मॉनीटरिंग, अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से तिमाही प्रगति रिपोर्टों और मौका मुआयनों द्वारा करता है। ऐसे मॉनिटरिंग में ग्रामीण क्षेत्रों में हडको द्वारा की गयी वित्त व्यवस्था की मॉनीटरिंग भी शामिल है। तथापि, इसके द्वारा जनजातीय/ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीकृत स्कीमों का विशेष रूप से कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है।

नापथा को खुला सामान्य लाइसेंस में शामिल करना

9972. डॉ० टी० सुब्बारामी रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बिजली परियोजनाओं हेतु नापथा को खुले सामान्य लाइसेंस में शामिल करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे बिजली परियोजनाओं के लिए हाल ही में राज्य-वार तरल ईंधन आवंटित करने संबंधी नियमों का उल्लंघन होता है;

(ग) क्या बिजली परियोजनाओं के लिए आवंटन हेतु तरल ईंधन की कुल आवश्यकता के संबंध में कोई आंकलन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विद्युत मंत्रालय ने प्रस्तावित तरल ईंधन बिजली परियोजनाओं के लिए दोहरी नीति का विकल्प चुना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस० वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) से (च) विद्युत मंत्रालय ने संबंधित राज्यों को उनके क्षमता आवंटन (मे०वा० में) के भीतर नाफ्था/द्रव ईंधन लिंकेज हेतु परियोजनाओं को संस्तुति प्रदान करने के लिए दिनांक 23.12.1996 को विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं। राज्यों को आवंटित की गई कुल क्षमता 12000 मे०वा० है। राज्य अनंतिम लिंकेज हेतु परियोजनावार सिफारिशें प्रदान कर रहे हैं।

अंटा गैस आधारित विद्युत परियोजना

9973. श्री गिरधारी लाल भार्गव :
श्री परसराम मेघवाल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने पहले अंटा पर 413 मेगावाट क्षमता के दूसरे गैस विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना बनायी थी और इसमें कोई प्रगति नहीं हुई थी क्योंकि केन्द्र सरकार ने गैस ताप विद्युत परियोजना चरण-दो के लिए गैस लिंक प्रदान नहीं किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या अंटा चरण-दो की संकल्पना के बाद सरकार ने दिल्ली और गुजरात में विद्युत संयंत्रों को गैस आवंटित की थी यदि हां, तो उसके क्या कारण है;

(ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के अंटा चरण-दो गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्र को कब तक गैस आवंटित की जाएगी और केन्द्र सरकार की मंजूरी प्राप्त होगी;

(घ) क्या अंटा गैस ताप विद्युत संयंत्र को वर्तमान गैस आवंटन इसके बेस लोड स्टेशन के रूप में कार्य करने के लिए पर्याप्त है; और

(ङ) यदि नहीं, तो चरण-एक और चरण-दो के लिए भी अतिरिक्त गैस आवंटन अब किया जायेगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन (एन०टी०पी०सी०) ने सितम्बर, 1988 में राजस्थान में अंता में 413 मेगावाट की दूसरी गैस आधारित विद्युत परियोजना की योजना बनाई थी जिसके लिए केवल 0.25 एम०सी० एम०डी० गैस आवंटित की गई थी।

(ख) जी नहीं।

(ग) एन०टी०पी०सी० अब नौवीं योजना में गैस उपलब्ध कराए जाने तक नाफ्था अथवा एल०एन०जी० दोनों में से किसी भी एक का उपयोग करके 650 मेगावाट क्षमता के दोनों प्रकार के ईंधन से तापित एक संयुक्त साइकल गैस स्टेशन की स्थापना करने की योजना बना रही है।

(घ) और (ङ) लगभग 62% पी०एल०एफ० पर प्रचालन करने के लिए, विद्यमान अंता गैस आधारित विद्युत केन्द्र हेतु वर्तमान में गैस आवंटन पर्याप्त है।

गहरे अपतटीय समुद्र से तेल का उत्पादन

9974. श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गहरे अपतटीय समुद्र से प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में तेल का उत्पादन किया जाता है;

(ख) क्या सरकार का विचार गहरे अपतटीय समुद्र में तेल की खोज संबंधी कार्य में तेजी लाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) वर्तमान समय में गहरे अपतट से कच्चे तेल का उत्पादन नहीं किया जा रहा है।

(ख) और (ग) पूर्वी और पश्चिमी अपतट में द्विआयामी और त्रिआयामी भूकंपीय आंकड़ों के माध्यम से अन्वेषण क्रियाकलाप में तेजी लाने की योजना है। पहले से ही प्राप्त किए गए भूकंपीय आंकड़ों के मूल्यांकन के आधार पर वेधन के लिए पूर्व और पश्चिम गहरे अपतट में 2-2 स्थानों को प्राथमिकता दी गई है।

इसके अतिरिक्त, नौवीं योजना के दौरान ओ०एन०जी०सी० ने पश्चिमी अपतट में 179000 एल० के एम० द्विआयामी व त्रिआयामी भूकंपीय आंकड़ों और के०जी० अपतट में 9800 एल० के त्रिआयामी व 1405 एल० के द्विआयामी और कावेरी अपतट में 680 एल० के द्विआयामी भूकंपीय आंकड़े प्राप्त करने की योजना बनाई है। ओ०आई०एल० की नौवीं योजना में सौराष्ट्र अपतट में 9000 एम० अन्वेषणात्मक वेधन करने की योजना है।

उपर्युक्त के अलावा सरकार ने 1991 से विभिन्न अन्वेषण बोली दौरों के अंतर्गत कई कंपनियों को 12 अपतटीय ब्लाकों में तेल के अन्वेषण के लिए ठेके प्रदान किए हैं।

अवैध कब्जा

9975. श्री रामसागर : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15.2.1997 के "दि पायोनियर" में यूनियन ब्लेम्स गवर्नमेंट लैंड माफिया: फ्राड आन लैंडलेस रूरल वर्कर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) जी, हां। 15.2.97 के "पायोनियर" में प्रकाशित समाचार की ओर इस

मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि चकबंदी अधिकारी के आदेश से दुखी व्यक्तियों ने वरिष्ठ प्राधिकारी से क्षतिपूर्ति चाही है और यह मामला अब दिल्ली के वित्त आयुक्त के समक्ष निर्णय के लिए लम्बित है, जिन्होंने उच्चतम अपील प्राधिकारी के अन्तिम निर्णय/आदेश तक के लिए चकबंदी आयुक्त के आदेशों को रोक लिया है। अतः यह मंत्रालय इस विषय पर कोई भी टिप्पणी करना अथवा निर्णय देना नहीं चाहती है।

रसोई गैस एजेंसी

3976. श्री अन्नासाहिब एम०के० पाटिल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में उन स्थानों के नाम क्या है जिनके लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान रसोई गैस/मिट्टी का तेल/पेट्रोल की एजेंसियों के आवंटन हेतु विज्ञापन प्रकाशित किए गए थे;

(ख) उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां एजेंसियों/डीलरशिप के लिए साक्षात्कार हो गए हैं और कंपनीवार कौन-कौन सी एजेंसियां वास्तव में कार्यरत/संचालनरत हैं;

(ग) उन एजेंटों/डीलरों का ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध गलत तरीके से चयन किए जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इस पर क्या कार्यवाही की गई है तथा उन एजेंसियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें स्थगित किया गया है;

(घ) कंपनीवार और स्थानवार उन एजेंसियों, डीलरशीप के नाम क्या है जो अनियमितताओं में लिप्त होने के कारण निलंबित किए गए हैं और ये बिना नियमित चयन के अस्थायी रूप से कार्यरत हैं; और

(ङ) कंपनीवार चालू वर्ष के लिए पेट्रोलियम उत्पादों हेतु बनाई गई विपणन योजना का ब्यौरा क्या है और ये उत्पादन किन-किन स्थानों पर बेचे जाएंगे ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात 1994-95, 1995-96 और 1996-97 (जनवरी, 1997 तक) के दौरान उन खुदरा बिक्री केन्द्रों, एल०पी०जी० और एस०के०ओ०/एल०डी०ओ० डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का कंपनी-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है; जिनके संबंध में विज्ञापन जारी किया गया, साक्षात्कार लिया गया और जिन्हें आरंभ किया गया :

खुदरा बिक्री केन्द्र

	विज्ञापित	साक्षात्कार लिया गया	आरंभ किया गया
आई०ओ०सी०	61	18	10
एच०पी०सी०	21	04	02
बी०पी०सी०	16	10	02
आई०बी०पी०	07	02	00
योग	105	34	14

	विज्ञापित	साक्षात्कार लिया गया	आरंभ किया गया
एल०पी०जी०			
आई०ओ०सी०	54	00	00
एच०पी०सी०	32	11	03
बी०पी०सी०	20	09	05
योग	106	20	08
एस०के०ओ०/एल०डी०ओ०			
आई०ओ०सी०	15	07	01
एच०पी०सी०	03	03	00
बी०पी०सी०	03	02	02
आई०बी०पी०	03	00	00
योग	24	12	03

(ग) आबंटन में अनियमितता बरतने के संबंध में आरोप लगाते हुए समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती रहती है। सरकार ने तेल चयन बोर्डों द्वारा डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के उचित और निष्पक्ष चयन के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। सरकार ने 22 अक्तूबर, 1996 को अनुदेश जारी किए थे और इनके तहत तेल कंपनियों को साक्षात्कार के समाप्त होने के एक सप्ताह के भीतर तेल चयन बोर्डों द्वारा सुझाई गई योग्यता नामिकाओं को स्वीकार करने और इन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। ऐसे स्थानों के संबंध में नए चयन करने पड़ते हैं, जहां योग्यता नामिकाएं एक सप्ताह के बाद सुझाई जाती हैं।

(घ) विपणन अनुज्ञासन दिशानिर्देशों के उल्लंघन के कारण नियमित डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप की समाप्ति/निलंबन की वजह से महाराष्ट्र में तदर्थ आधार पर कार्यरत डीलरशिपों/डिस्ट्रब्यूटरशिपों का कंपनी-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

	खुदरा बिक्री केन्द्र	एल०पी०जी०
आई०बी०पी०	01	00
बी०पी०सी०	03	00
एच०पी०सी	02	08
योग	06	08

(ङ) महाराष्ट्र के लिए 1993-96 की खुदरा बिक्री केन्द्र, 1994-96 की एल०पी०जी० और 1993-96 की एस०के०ओ०/एल०डी०ओ० अनुमोदित विपणन योजनाओं में 106 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों, 133 एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपों और 8 एस०के०ओ०/एल०डी०ओ० डीलरशिपों को सम्मिलित कर लिया गया है।

पीने की पानी की कमी

3977. श्री जंगबहादुर सिंह पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद में पीने के पानी की अत्यधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इलाहाबाद में एक नए जल शोधन संयंत्र पर आरम्भ कार्य को अब बंद कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस निर्माण संबंधी कार्य को रोक दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इलाहाबाद में पीने के पानी की समस्या दूर करने के लिए नए जल शोधन संयंत्र पर कार्य कब से शुरू हो जाने की संभावना है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलु) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश जल निगम ने सूचना दी है कि इलाहाबाद में पेयजल की अत्यधिक कमी नहीं है। तथापि वहां पर शहर के कुछ पॉकिटों में बिजली चली जाने के कारण 200 मि०ली०दै० की कुल जल की आवश्यकता की तुलना में 170 से 175 मि०ली०दै० तक जल आपूर्ति हो पाती है।

(ग) इलाहाबाद में नये जल शोधन संयंत्र का जो कार्य आरम्भ हुआ था उसे रोका नहीं गया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजातियों के बकाया रिक्त पद

3978. श्री वी० प्रदीप देव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1997 की स्थिति के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय तेल निगम, ओ०एन०जी०सी०, भारतीय गैस प्राधिकरण लि० की सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया रिक्त पद कितने है;

(ख) इन बकाया रिक्त पदों को भरने के लिए उपरोक्त वर्षों के दौरान क्या विशेष प्रयास किये गए हैं और इन बकाया रिक्त पदों को भरने के लिए कितने बार विज्ञापन दिए गए और क्या नियमों के अंतर्गत अनुज्ञेय मानक में छूट को भी इन विज्ञापनों में शामिल किया गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और आरक्षित बकाया पदों को भरने के लिए इन संगठनों का क्या विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालु) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान इंडियन आयल कार्पोरेशन लि०, आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन, गैस अथारिटी आफ इंडिया लि० तथा आयल इंडिया लि० की सेवाओं में अ०जा० तथा अ०ज०जा० के लिए रिक्तियों का बैकलाग नीचे दिया गया है :–

सार्व० क्षेत्र उपक्रम का नाम	1.1.1995		1.1.1996		1.1.1997	
	अ०जा०	अ०ज०जा०	अ०जा०	अ०ज०जा०	अ०जा०	अ०ज०जा०
आई०ओ०सी०एल०	9	25	—	—	17	27
ओ०एन०जी०सी०	73	83	170	183	146	140
गेल	23	36	31	46	44	47
ओ०आई०एल०	87	44	82	21	91	29

(ख) उपर्युक्त रिक्तियों के बैकलाग को पूरा करने के लिए इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान किए गए विशिष्ट प्रयासों का उल्लेख नीचे किया गया है।

(I) अ०जा० तथा अ०ज०जा० के लिए आरक्षित रिक्तियों के बैकलाग को पूरा करने के लिए वर्ष 1995 एवं 1996 में प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा एक विशेष भर्ती अभियान चलाया गया था।

(II) अ०जा०/अ०ज०जा० उम्मीदवारों को भर्ती करने के लिए कैम्प भर्तियां की गई थीं।

(III) वर्ग "क" से संबंधित सभी रिक्तियां अग्रणी राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापित करवाई गई थी तथा वर्ग "ग" और "घ" से संबंधित सभी रिक्तियों को स्थानीय रोजगार दफ्तरों को अधिसूचित किया गया था। नियमों के तहत अनुज्ञेय सभी छूटें विज्ञापनों/अधिसूचनाओं के अन्तर्गत सम्मिलित की गई थीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रोजगार योजनाएं

3979. श्री कचरू भाऊ राउत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहरी क्षेत्रों में प्रचालनाधीन विभिन्न रोजगार योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्यवार कितने श्रम दिवस सृजित किए गए; और

(ग) राज्य सरकारों को पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्यवार तथा वर्षवार कुल कितनी धनराशि प्रदान की गई ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) देश में केन्द्र प्रवर्तित शहरी रोजगार दो कार्यक्रम नामतः नेहरू रोजगार योजना (एन०आर०वाई०) और प्रधान मंत्री का स्वीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (पी०एम०आई०यू०पी०ई०पी०) चलाये जा रहे हैं।

एन०आर०वाई० : नेहरू रोजगार योजना, गरीबी रेखा से नीचे रह रहे शहरी बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले गरीबों के लिए रोजगार के अवसर जुटाने के उद्देश्य से अक्टूबर, 1989 से चलाई जा रही है। दो प्रकार के रोजगार पर विचार किया गया है यथा लघु उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्व-रोजगार और कम आय पड़ौस समूहों में उपयोगी सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के सृजन तथा आवास और आश्रय उन्नयन के माध्यम से भी मजदूरी रोजगार।

पी०एम०आई०यू०पी०ई०पी० : प्रधान मंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (पी०एम०आई०यू०पी०ई०पी०) नवम्बर, 1995 में आरम्भ हुआ, जिसमें शहरी गरीबों खास कर 50,000 व 1,00,000 की आबादी वाले छोटे शहरों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में महत्वपूर्ण सुधार लाने के लिये आर्थिक सामाजिक तथा भौतिक दशाओं के प्रति समग्र कस्बायी, बहुआयामी एवं समेकित दृष्टिकोण के जरिये अनुकूल वातावरण का सृजन किया जाना है। स्व-रोजगार उद्यमों की स्थापना के माध्यम से बेरोजगारों और अल्परोजगार शहरी गरीबों के लिए रोजगार मुहैया भी इस कार्यक्रम का एक घटक है।

(ख) और (ग) *नेहरू रोजगार योजना* : गत तीन वर्षों में सृजित श्रम दिवसों की संख्या और राज्य सरकारों को दी गयी राशि को राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

प्रधान मंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम : इसमें मजदूरी रोजगार का घटक नहीं है अतः इस कार्यक्रम के तहत श्रम दिवसों का सृजन नहीं होता।

इस कार्यक्रम के तहत राज्यों/संघ राज्यों को 1995-96 के लिए 105.80 करोड़ रुपये दिये गये।

विवरण

नेहरू रोजगार योजना

(आकड़े लाख रु० में
(रु० लाखों में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	28.2.97 तक सृजित श्रम दिवसों की संख्या	गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को मुहैया करायी गयी धनराशि		
			1993.94	1994.95	1995.96
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	20.44	679.53	508.90	463.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.20	19.75	45.09	57.20
3.	असम	7.48	89.49	184.72	147.20
4.	बिहार	41.16	359.30	429.95	471.45
5.	गोवा	1.19	17.85	18.25	18.30
6.	गुजरात	12.93	212.52	194.45	215.90
7.	हरियाणा	6.96	123.29	122.72	111.99
8.	हिमाचल प्रदेश	3.01	56.19	64.75	66.15
9.	जम्मू और कश्मीर	4.89	87.48	73.61	77.88
10.	कर्नाटक	35.76	440.17	398.25	252.06
11.	केरल	10.07	234.82	241.58	154.60

1	2	3	4	5	6
12.	मध्य प्रदेश	32.64	684.48	595.03	508.25
13.	महाराष्ट्र	50.20	669.50	494.85	521.33
14.	मणीपुर	2.31	43.33	66.42	62.91
15.	मेघालय	0.77	24.10	22.27	31.80
16.	मिजोरम	1.00	21.74	29.06	27.58
17.	नागालैण्ड	—	15.70	21.95	5.50
18.	उड़ीसा	14.98	219.80	168.50	156.60
19.	पंजाब	6.57	216.47	196.12	105.60
20.	राजस्थान	20.12	379.50	361.55	330.57
21.	सिक्किम	0.73	29.68	29.15	28.46
22.	तमिलनाडु	40.34	765.58	631.76	563.49
23.	त्रिपुरा	1.77	25.50	28.81	26.411
24.	उत्तर प्रदेश	109.73	1711.54	1549.54	1138.89
25.	पश्चिम बंगाल	26.61	259.00	392.18	441.00
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.20	13.53	21.21	16.70
27.	चण्डीगढ़	0.46	13.86	15.79	12.05
28.	दादरा व नगर हवेली	0.41	11.05	10.35	9.65
29.	दमन और द्विव	0.13	18.25	13.82	22.60
30.	दिल्ली	उ०न०	22.00	22.60	22.00
31.	पांडिचेरी	0.42	11.70	27.30	18.60
	योग	455.28	7477.00	6980.00	6084.00

[अनुवाद]

गैस की खोज

3980. श्री गोरधन भाई झावीया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कच्छ के रेगिस्तान में गैस की खोज के कार्य को रोक दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार का विचार खोज कार्य को शीघ्र ही पुनः शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता। तथापि, अन्वेषण में तीव्रता लाने और घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार कच्छ क्षेत्र में अन्वेषण रकबों का प्रस्ताव करती रही है। चौथे और सातवें चक्र के अंतर्गत प्रस्तावित कच्छ में भूस्थित क्रमशः ब्लाक जी०के०-ओ०एन०-90/2 और जी०के०-ओ०एन०/4 ठेका निबंधनों और शर्तों को अंतिम रूप दिए जाने के अध्यधीन अवार्ड के लिए अनुमोदित कर दिए गए हैं।

पेयजल योजनाओं के लिए सहायता

3981. श्री के०पी० सिंह देव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शहरी क्षेत्रों में पेय-जलापूर्ति के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उड़ीसा सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में प्रस्तुत की गई किसी योजना के लिए विदेशी कोष स्वीकृत किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ढेंकनाल, अनुगुल और भुवन के शहरी संगुटीकरण में पेयजलापूर्ति से संबंधित योजना उनमें से एक है; और

(च) यदि हां, तो इस शहरी जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु कितनी राशि प्राप्त किए जाने की सम्भावना है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलु) : (क) राज्य सरकारों से समय-समय पर प्रस्तुत विशेष शहरी जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों यथा विश्व बैंक, ओवरसीज एकनोमिक कोआपरेशन फण्ड (ओई०सी०एफ०) जापान आदि से सहायता प्राप्त करने का प्रयास करता है।

(ख) से (च) केन्द्र सरकार ने 139.31 करोड़ रु० की अनुमानित लागत वाली उड़ीसा सरकार द्वारा प्रस्तुत तलचेर, मेरामोंडली, अनुगुल, धेनकनाल और भूवन शहरी समूहों के लिए क्षेत्रीय जल-आपूर्ति स्कीम को 1996-97 और 1997-98 के ऋण पैकेजों के तहत ओ०ई०सी०एफ० की सहायता प्राप्त करने हेतु अनुसंशित किया है। तथापि, जापान सरकार ने वित्त व्यवस्था हेतु प्रस्ताव पर अन्तिम रूप से मंजूरी नहीं दी है।

हुडको द्वारा धन जुटाया जाना

9982. श्री आर० साम्बासिवा राव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की मूलभूत ढांचा संबंधी परियोजनाओं के वित्त पोषण संबंधी अपने कार्यक्रम हेतु हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कार्पोरेशन वर्ष 1997-98 के दौरान विभिन्न विदेशी स्रोत्रों से 3,000 करोड़ रुपए जुटाएगा; और

(ख) यदि हां, यह धनराशि किन-किन स्रोत्रों से जुटाई जाएगी?

शहरी कार्य और रोजागार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलु) : (क) और (ख) हडको ने विभिन्न शहरों में शहरी जल आपूर्ति और सफाई सुधार कार्यक्रमों के लिए अपने संसाधनों में वृद्धि हेतु जापान के विदेश व्यापार निगम निधि (ओई०सी०एफ०) से 8670 मिलियन येन (चालू विनिमय दर पर लगभग 300 करोड़ रुपये) की ऋण श्रृंखला की सुविधा प्राप्त करने के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किये हैं। इस ऋण श्रृंखला की सुविधा 2002 से पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी। तथापि, इस ऋण श्रृंखला के तहत वास्तविक संवितरण प्रस्तावित परियोजना के कार्यान्वयन से जुड़ा रहेगा। उपर्युक्त ऋण श्रृंखला के तहत 1997-98 के दौरान 50 करोड़ रुपये के ऋण की सुविधा प्राप्त करना प्रस्तावित है।

गन्दी बस्तियां का विकास

9983. श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौंवी पंचवर्षीय योजना में गन्दी बस्तियों के विकास के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) वर्ष 1997-98 के लिए इस कार्य के लिए, आवंटन का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों ने गन्दी बस्तियों के विकास हेतु आवंटन बढ़ाने के लिए कहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या-क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलु) : (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्लमों के विकास के लिए धन-राशि पर अब तक विचार किया जाना है तथापि, वर्ष 1997-98 के दौरान योजना आयोग स्लमों के विकास के लिए 330 करोड़ रुपये की राशि का नियतन किया है।

(ग) और (घ) वर्ष 1996-97 के दौरान योजना अयोग द्वारा 250 करोड़ रु० की राशि दी गई थी।

पेट्रोलियम उत्पादों की पूर्ति

9984. श्री के० प्रधानी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विभिन्न नगरों में पेट्रोल और डीजल की पूर्ति के लिए पाइप लाइन बिछाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेट्रोल और डीजल की पूर्ति के लिए किन-किन नगरों को पाइप लाइन से जोड़ने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्तावों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही शहरों के ब्यौरे का पता चल सकेगा।

[हिन्दी]

पुरानी दिल्ली का विकास

9985. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के "पुरानी दिल्ली" क्षेत्र के अनुरक्षण हेतु "शाहजाहांनाबाद योजना" तैयार की गयी थीं;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना कब बनायी गयी थी;

(ग) क्या सरकार ने इसके लिये किसी बोर्ड का गठन किया है अथवा क्या पुरानी दिल्ली की सघन जनसंख्या वाली गलियों में आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कोई धन राशि आबंटित की गयी थी;

(घ) यदि हां, तो आत तक तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान पुरानी दिल्ली के "कटरों" के अनुरक्षण हेतु और वहां आवश्यक मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने हेतु पृथक वित्तीय सहायता/अनुदान का प्रावधान किया है अथवा करने का विचार है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) पुरानी दिल्ली के कटरों में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कारगर उपाय किये जा रहे है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलु) : (क) जी हां।

(ख) 1985-96

(ग) और (घ) सरकार द्वारा अभी तक कोई बोर्ड गठित नहीं किया किया गया है। पुरानी दिल्ली शहर क्षेत्र में रख-रखाव कार्य के लिए वर्ष-वार खर्च इस प्रकार है :–

1994-95	253.62 लाख रु०
1995-96	358.66 लाख रु०
1996-97	187.85 लाख रु०

(ङ) से (ज) पुरानी दिल्ली के स्लम कटरों में अनुरक्षण तथा मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्यक्षेत्र में आती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने बताया है कि दिल्ली नगर निगम का स्लम तथा झोपड़ पट्टी विभाग, जिसका गठन स्लम तथा झोपड़ी-पट्टी विभाग के प्रबंधन तथा नियंत्रण के अधीन खतरनाक संपत्तियों को मरम्मत करने के लिए किया गया है, कटरों के आधारभूत सुधार तथा पुनर्वास की अनुमोदित स्कीम को कार्यान्वित कर रहा है। गत तीन वर्षों के लिए वित्तीय सहायता/अनुदान का ब्यौरा इस प्रकार है :–

वर्ष	वित्तीय सहायता/अनुदान
1994-95	100 लाख रु०
1995-96	199.68 लाख रु०
1996-97	200 लाख रु०

जहां तक पुरानी दिल्ली में मूल नागरिक सुविधाएं मुहैया कराये जाने की बात है, दिल्ली नगर निगम इस क्षेत्र में इस प्रकार की मूल सुविधाएं प्रदान कर रहा है। इसके अलावा, दिल्ली नगर निगम का स्लम तथा झोपड़-पट्टी विभाग भी शहरी स्लम बस्तियों में पर्यावरण सुधार की अनुमोदित प्लान स्कीम के अधीन पुरानी दिल्ली में अधिसूचित स्लम क्षेत्रों में ऐसी मूल-भूत सुविधाएं प्रदान कर रहा हैं।

[अनुवाद]

पंचायतीराज संस्थाओं को कर लगाने का अधिकार

3986. श्री भक्त चरण दास : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पंचायतीराज संस्थाओं को उनके संसाधनों में वृद्धि करने के लिए कर लगाने का अधिकार प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्थानीय निकायों को संसाधन जुटाने के अधिकार दिये जाने से उनकी भूमिका बढ़ जाएगी जिससे उनका महत्व भी बढ़ जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) से (घ) जी, नहीं। तथापि, संविधान के अनुच्छेद 243 एच में यह व्यवस्था है कि राज्य का विधान मंडल कानून द्वारा पंचायतों को उस कार्य-विधि के अनुरूप और उस सीमा तक ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीस लगाने, वसूलने और विनियोजित करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है, जैसा कि कानून में विनिर्दिष्ट हो।

विद्युत क्षेत्र में संयुक्त उद्यम

3987. डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत मंत्रालय ने केन्द्रीय और राज्य सरकार की विद्युत कम्पनियों को बहु राष्ट्रीय कम्पनियों के साथ संयुक्त उद्यम लगाने हेतु बढ़ावा देने का निर्णय लिया है;

(ख) 1995 के दौरान कुल कितनी विद्युत परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए गए और इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने के पश्चात कुल कितनी विद्युत का उत्पादन होगा;

(ग) किन-किन देशों के साथ मिलकर इन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना की जा रही है; और

(घ) क्या सभी विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है और इन्होंने अपना कार्य शुरू कर दिया है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० वेणुगोपालाचारी) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

भूस्थैतिक उपग्रह

3988. श्री नीतीश भारद्वाज : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तरिक्ष में अपना भूस्थैतिक उपग्रह स्थापित किया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भूस्थैतिक उपग्रह के अन्तरिक्ष में स्थापित होने से हमारे उद्योगों को अत्यधिक बढ़ावा मिलने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक प्रयास न किए जाने के क्या कारण हैं ?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ): (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) और (घ) इन्सैट उपग्रहों ने दूरसंचार, दूरदर्शन, रेडियो संचारजाल, सूचना प्रौद्योगिकी और उपग्रह मौसम विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय उद्योग को अत्यधिक बढ़ावा दिया है।

[हिन्दी]

प्रति व्यक्ति आवंटन

3989. श्री एन०जे० राठवा : क्या योजना और कार्यक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विशेषकर जनजातीय, पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किए गए प्रति व्यक्ति आवंटन का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान राज्य सरकारों द्वारा कितनी धनराशि की मांग की गई तथा इस प्रयोजनार्थ योजना आयोग ने कितनी धनराशि स्वीकृत की; और

(ग) गुजरात सहित राज्यों को कम आवंटन किए जाने के क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगिन्द्र के० अलघ): (क) से (ग) सामान्य केन्द्रीय सहायता को ब्लॉक ऋणों और ब्लॉक अनुदानों के रूप में राज्यों को मुहैया कराई जाती है; और संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए राज्यों को संपूर्ण योजना परिव्यय का निर्धारण उपाध्यक्ष योजना आयोग और संबंधित राज्य के मुख्य मंत्री/राज्यपाल के बीच आपसी विचार-विमर्श के माध्यम से किया जाता है। सम्पूर्ण परिव्यय के अन्तर्गत क्षेत्रक-वार आवंटनों का प्रस्ताव भी राज्यों द्वारा किया जाता है और उनकी प्राथमिकताओं और पंचवर्षीय योजना के समग्र उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग के परामर्श से इन्हें अन्तिम रूप दिया जाता है और प्रति-व्यक्ति आधार पर इनका निर्धारण नहीं किया जाता। राज्य के भीतर विभिन्न क्षेत्रों हेतु परिव्यय का आवंटन योजना आयोग को भेजे बिना राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। पिछले 3 वर्षों के दौरान कृषि और ग्रामीण विकास हेतु अनुमोदित परिव्यय के राज्य-वार ब्यौरों का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(करोड़ रु०)

क्र०सं०	राज्य	मूल रूप से अनुमोदित परिव्यय					
		कृषि और संबद्ध कार्य कलाप			ग्रामीण विकास		
		1994-95	1995-96	1996-97	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	64.70	72.00	64.48	153.36	143.00	241.95
2.	अरुणाचल प्रदेश	42.93	49.70	52.14	12.25	19.58	20.18
3.	असम	139.33	166.00	159.53	59.65	96.00	132.41
4.	बिहार	158.02	155.43	80.58	230.13	385.56	726.68
5.	गोवा	11.94	11.19	11.91	2.88	3.15	3.06
6.	गुजरात	133.31	189.48	255.72	81.95	167.17	182.55
7.	हरियाणा	75.14	89.64	108.80	27.46	34.27	34.22

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	हिमाचल प्रदेश	100.11	107.69	121.85	21.09	25.32	99.19
9.	जम्मू और कश्मीर	94.46	110.11	117.65 *	24.24	32.44	44.69 *
10.	कर्नाटक	227.58	257.35	254.46	178.81	190.55	276.41
11.	केरल	192.25	207.25	243.20	73.10	76.00	191.19
12.	मध्य प्रदेश	185.05	213.83	319.95	199.20	314.04	317.68
13.	महाराष्ट्र	372.87	435.72	535.57	379.59	488.57	1002.95
14.	मणिपुर	24.51	26.63	24.85	4.55	12.97	11.17
15.	मेघालय	41.99	38.12	40.37	10.95	18.30	21.25
16.	मिजोरम	24.02	21.90	24.98	35.81	37.35	39.15
17.	नागालैण्ड	21.10	21.10	21.10	25.99	34.14	39.45
18.	उड़ीसा	150.12	170.83	135.06	134.64	185.28	220.02
19.	पंजाब	89.55	107.89	104.79	53.78	46.48	100.72
20.	राजस्थान	245.55	317.40	314.58	147.50	196.74	276.36
21.	सिक्किम	12.92	19.42	21.80	2.36	9.76	10.22
22.	तमिलनाडु	243.60	265.63	344.27	122.52	145.10	302.33
23.	त्रिपुरा	32.26	47.58	36.50	16.08	35.55	32.72
24.	उत्तर प्रदेश	367.68	396.07	504.10 *	450.84	459.93	1047.33 *
25.	पश्चिम बंगाल	96.00	102.78	119.58	130.95	154.93	254.60

* : प्रस्तावित गुणवत्ता

[अनुवाद]

भारत-फ्रांस सहयोग

3990. श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में फ्रांस के साथ सहयोग स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के मध्य चल रहे सहयोग के अंतर्गत क्या विशेष कार्य किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का भारत-फ्रांस सहयोग में विस्तार करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो भारत और फ्रांस के बीच वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत तथा कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ): (क) जी, हां।

(ख) भारत-फ्रांस सहयोग करार के अंतर्गत दोनों देशों के वैज्ञानिकों के लिए आदान-प्रदान कार्यक्रम है। सन् 1987 में नई दिल्ली में उन्नत अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक भारत-फ्रांस केन्द्र कार्यरत है तथा उसका निधियन दोनों देशों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। केंद्र सहयोगात्मक अनुसंधान कार्यक्रमो, सम्बद्ध कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों आदि को सहायता देता है।

(ग) और (घ) सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को महत्व देती है। दोनों पक्षों के उद्योगों की भागदारी सहित सहयोग की गुंजाइशों की पुनरीक्षा की जाती है। इन पुनरीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों को संयुक्त रूप से अनुमोदित किया जाता है।

राजस्थान की जलापूर्ति और मल-व्ययन परियोजनाएं

3991. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु भेजी गई राजस्थान के पांच बड़े शहरों के लिए तैयार की गई जलापूर्ति और मल-व्ययन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसी परियोजनाओं को नौवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किए जाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) ऐसी परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दिए जाने की सम्भावना हैं;

(च) क्या सरकार का इन परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलु) : (क) राजस्थान के 5 बड़े शहरों अर्थात कोटा, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर और जोधपुर की 2022.17 करोड़ रु० की अनुमानित लागत की जल आपूर्ति तथा मल व्ययन की राजस्थान सरकार से प्राप्त परियोजनाएं इस मंत्रालय द्वारा तकनीकी दृष्टि से सिद्धान्त रूप में स्वीकृत की गई हैं और उन्हें विदेशी सहायता हेतु अनुशंसित किया गया है। तथापि, किसी भी विदेशी धन दाता एजेंसी अर्थात विश्व बैंक, ओ०ई०सी०एफ० आदि ने इन परियोजनाओं के लिए वित्त देने में तत्परता नहीं दिखाई है।

(ख) और (ग) इन परियोजनाओं को राज्य सरकार द्वारा नौवीं योजना में राज्य सैक्टर में शामिल करना होगा। क्योंकि इन परियोजनाओं के लिये, छोटे अर्थात 20,000 से कम आबादी वाले (1991 की जनगणना के अनुसार) कस्बों हेतु त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अलावा, केन्द्रीय क्षेत्र में कोई प्रावधान नहीं है।

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का उल्लेख उपर्युक्त भाग-क के उत्तर में है।

(ङ) इस समय कोई निश्चित समय सीमा नहीं बताई जा सकती।

(च) और (छ) ये परियोजनाएं नौवीं योजना के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय धनदाता एजेंन्सियों को पुनः प्रस्तुत की जायेंगी।

अवैध निर्माण

3992. श्रीमती जयवंती नवीन चन्द्र मेहता : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उस अवैध निर्माण गिराऊ दस्ते के कार्यों की जानकारी है जिसने ग्रेटर कैलाश से लगे जमरूदपुर में अवैध निर्माण को आंशिक रूप से गिरा दिया था;

(ख) यदि हां, तो हाल ही में कितने अवैध निर्माण को रुक किया गया और गिराया गया;

(ग) क्या गिराए गए निर्माणों के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष है;

(ङ) क्या इस क्षेत्र में पुनः और अधिक अवैध निर्माण हो रहे हैं जो पिछले दो दशको से लंबित नन्दी विधि सड़क को चौड़ा के कार्य को प्रभावित कर रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलु) : (क) दिल्ली नगर निगम (एम०सी०डी०) ने सूचना दी है कि उन्होंने जमरूदपुर गांव में जारी अनधिकृत निर्माण गिरा दिया है।

(ख) एम०सी०डी० द्वारा अनधिकृत निर्माण के तीन मामलों का पता लग गया है तथा इन्हें कार्रवाई के लिए दर्ज किया गया है।

(ग) एम०सी०डी० ने सूचना दी है कि उनके द्वारा ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया।

(घ) उपरोक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

"ट्राइसेम" योजना के अंतर्गत प्राप्त की गयी उपलब्धियां

3993. श्री पवन दीवान : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश में ट्राइसेम योजना के अंतर्गत प्राप्त की गयी उपलब्धियों का जिलेवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस कार्यक्रम की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस कार्यक्रम से छत्तीसगढ़ क्षेत्र में वांछित सफलता प्राप्त नहीं हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है तथा इस कार्यक्रम को

सुदृढ़ बनाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) केन्द्रीय स्तर पर ट्राइसेम कार्यक्रम की निगरानी राज्यवार की जाती है न कि जिलावार। तथापि, मध्य प्रदेश के संबंध में आठवीं योजना के दौरान वर्षवार निष्पादन दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) इस मंत्रालय के अनुरोध पर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और इससे संबद्ध कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हैं ऐसे जिलों/खण्डों, जहां कोई सुव्यवस्थित प्रशिक्षण सुविधाएं विद्यमान नहीं हैं, में प्रशिक्षण ढांचे को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से समिति ने चुने हुए 34 टेडों के लिए लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान लगाने की सिफारिश की थी। समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है।

(घ) व (ङ) चूंकि कार्यक्रम की केन्द्रीय स्तर पर जिलावार निगरानी नहीं की जाती अतः छत्तीसगढ़ के लिए अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, अनुबंध में दिए गए विवरण से पता चलता है कि मध्य प्रदेश में ट्राइसेम का निष्पादन संतोषजनक है। विशेष समिति की सिफारिशों और मंत्रालय के निजी अनुभवों के आधार पर हाल में ट्राइसेम कार्यक्रम की प्रभावोत्पादक में सुधार लाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। कुछ प्रमुख उपाय हैं – लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के नाम से लोकप्रिय विशिष्ट ट्राइसेम प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की कमियों में सुधार लाने के लिए प्रशिक्षण अवधि के दौरान ही ऋणों की मंजूरी संबंधी औपचारिकताओं को जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों और प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा पूरा करने के लिए अनिवार्य बनाना, ऐसे निगमित और सेग क्षेत्र, जिनके पास स्वरोजगार/मजदूरी रोजगार के क्षेत्र में प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराने और प्रशिक्षण संस्थानों में अंतरिक निगरानी तंत्र का विकास करने की व्यापक क्षमता है, की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का पुनर्गठन करना आदि।

विवरण

मध्य प्रदेश में ट्राइसेम

(रुपए लाख में)

वर्ष	प्रशिक्षत किए जाने वाले युवा (संख्या)	प्रशिक्षित युवा (संख्या)	रोजगार प्राप्त प्रशिक्षित युवा (संख्या)	केन्द्रीय आंवटन	केन्द्रीय रिलीज
1992-93	22950	22156	17489	152.22	152.22
1993-94	44096	54111	32442	701.79	701.79
1994-95	30998	30415	15343	433.98	274.83
1995-96	निर्धारित नहीं	60107	35733	433.98	505.57
1996-97 जनवरी 97 तक	निर्धारित नहीं	27105	13071	433.98	296.90

[अनुवाद]

मूलभूत सुविधाएं

3994. श्री के०एस० रायुडु : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसके कार्यान्वयन हेतु कितनी धनराशि को आंवटित की गई है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) और (ख) जुलाई, 96 में आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में पता लगाए अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना में 7 न्यूनतम बुनियादी सेवाएं शामिल की गई हैं। ये इस प्रकार हैं :

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं की 100 प्रतिशत कवरेज

(2) सबके लिए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था

(3) सबके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा

(4) आवासहीनों के लिए सार्वजनिक आवास सहायता।

(5) शिशुओं के लिए पोषाहार सहायता।

(6) सड़कों से न जुड़े सभी गांवों/बसावटों को सड़कों से जोड़ना।

(7) गरीब लोगों को ध्यान में रखकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कारगर बनाना।

1996-97 हेतु न्यूनतम बुनियादी सेवाओं तथा झुग्गी झोपड़ी विकास

योजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का आवंटन क्रमशः 2244.48 करोड़ रुपए तथा 250.01 करोड़ रुपए है।

तेल टर्मिनल

3995. श्री के०पी० सिंह देव :
श्रीमती वसुंधरा राजे :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तेल टर्मिनलों की स्थापना के लिये स्थानों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना अवधि में उड़ीसा में तेल टर्मिनल की स्थापना हेतु स्थान का चयन कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालु) : (क) से (घ) नौवीं योजना में अंतिम रूप से शामिल किए जाने वाले प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है और इन्हें अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

पेयजल

3996. श्री माणिक राव होडल्या गावीत : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान पेयजल के अभाव का सामना करने वाले राज्यों को केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए वित्तीय आवंटन का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या महाराष्ट्रीय सरकार द्वारा सूखे को ध्यान में रखते हुए पेयजल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए राज्य की सहायता के लिए कोई मांग की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडु) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 1996-97 के दौरान राज्यों को दी गई धनराशि दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपए में)

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी धनराशि
1.	आन्ध्र प्रदेश	6572.18
2.	अरुणाचल प्रदेश	1200.00
3.	असम	2353.57
4.	बिहार	5113.00
5.	गोआ	550.35
6.	गुजरात	4099.50
7.	हरियाणा	2550.00
8.	हिमाचल प्रदेश	1823.13
9.	जम्मू व कश्मीर	3705.00
10.	कर्नाटक	6470.74
11.	केरल	3263.70
12.	मध्य प्रदेश	7313.61
13.	महाराष्ट्र	8810.00
14.	मणिपुर	478.56
15.	मेघालय	572.00
16.	मिजोरम	428.91
17.	नागालैंड	211.00
18.	उड़ीसा	3993.83
19.	पंजाब	1289.00
20.	राजस्थान	11587.00
21.	सिक्किम	472.00
22.	तमिलनाडु	5333.00
23.	त्रिपुरा	850.00
24.	उत्तर प्रदेश	11728.19
25.	पश्चिम बंगाल	3781.25
	जोड़	92489.52

[हिन्दी]

जवाहर रोजगार योजना

3997. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की गत दो वर्षों के दौरान प्रति

वर्ष जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत क्रमशः विभिन्न योजनाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) सरकार द्वारा चालू वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं के लिए कितनी-कितनी धनराशि दी गई;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उक्त धनराशि का पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत प्रत्येक विगत दो वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश को केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित की गई राशि निम्नानुसार है :–

वर्ष	आवंटित राशि
1994-95	99667x
1995-96	96131x

x इंदिरा आवास योजना, दस लाख कुंओं की योजना तथा गहन जवाहर रोजगार योजना सहित।

(ख) से (ङ) 1.1.1996 से जवाहर रोजगार योजना को पुर्नगठित और कारगर किया गया था। जवाहर रोजगार योजना की उप-योजनाओं अर्थात इंदिरा आवास योजना और दस लाख कुंओं की योजना को अलग कर स्वतंत्र योजनाएं बना दिया गया ? गहन ,जवाहर रोजगार योजना को सुनिश्चित रोजगार योजना में मिला दिया गया। अब जवाहर रोजागर बोजना को अलग से कार्यान्वित किया जा रहा है। अब योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश को 1996-97 के दौरान केन्द्रीय अंश के रूप में 15052.58 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि दिसंबर, 1996 तक 111961.01 लाख रुपए की राशि का उपयोग किया गया है।

[अनुवाद]

"ट्राइसेम"

9998. श्री सुशील चन्द्र : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत कितने ग्रामीण युवाओं को शामिल किया गया है तथा कितने युवकों को अपने प्रशिक्षण के अनुरूप व्यापार शुरू करने के लिए बैंक से ऋण प्राप्त हुआ;

(ख) क्या ट्राइसेम योजना का किसी स्वतंत्र गैर-सरकारी एजेंसी द्वारा मूल्यांकन कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इन एजेंसियों का ब्यौरा तथा इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) ट्राइसेम के अंतर्गत, तकनीकी/व्यावसायिक कौशल को उन्नत बनाने के लिए गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे मजदूरी/स्वरोजगार उद्यम शुरू कर सके। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में कुल प्रशिक्षित युवाओं और मजदूरी रोजगार/स्वरोजगार में लगे प्रशिक्षित युवाओं की संख्या को दर्शाने वाले ब्यौरा विवरण-एक में है।

(ख) और (ग) ट्राइसेम कार्यक्रम की प्रभावोत्पादकता का आंकलन करने के लिए इस मंत्रालय में 16 प्रतिष्ठित स्वतंत्र अनुसंधान संस्थानों/संगठनों को शामिल करके एक शीघ्र मूल्यांकन करवाया था। इस शीघ्र मूल्यांकन की मुख्य उपलब्धियां विवरण-दो में दी गई है।

विवरण-I

मध्य प्रदेश में ट्राइसेम

वर्ष	कुल प्रशिक्षित युवा	मजूदरी रोजगार में लगे कुल युवा	स्व-रोजगार में लगे युवा
1993.94	54111	10290	22212
1994.95	30415	6976	8363
1995.96	60107	14713	21020
1996.97 (जनवरी 97 तक)	27105	5240	7631

विवरण-II

ट्राइसेम (जून-अगस्त, 1993) के शीघ्र मूल्यांकन के लिए मुख्य अंश।

लक्ष्य समूहों पर ट्राइसेम की प्रभावात्पादकता और प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए, मंत्रालय ने 16 प्रतिष्ठित स्वतंत्र अनुसंधान संस्थाओं के जरिए जून-अगस्त 1993 के बीच 10 मुख्य राज्यों के 61 जिलों में कार्यक्रम का शीघ्र मूल्यांकन किया हैं इस शीघ्र मूल्यांकन के महत्वपूर्ण निष्कर्षों में से कुछ निम्नलिखित हैं :–

सकारात्मक बिन्दु :

1. लगभग 89% लाभार्थी सक्षम मास्टर शिल्पी (प्रशिक्षक) पाये गए।
2. अधिकांश लाभार्थियों (57%) को मार्गदर्शी सिद्धांतों में निर्धारित 12-26 सप्ताहों का प्रशिक्षण दिया गया था।
3. ट्राइसेम प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप 92% लाभार्थियों ने व्यवसायिक तकनीकी ज्ञान प्राप्त किया।

4. प्रशिक्षण के बाद 58% लाभार्थियों ने स्वरोजागर चलाने में विश्वास व्यक्त किया।

5. स्व-रोजगार गतिविधियों के परिणामस्वरूप लगभग 91% लाभार्थियों के पास औसत निवल आय 500 रुपए प्रतिमाह, 80% की आय 500 - 1000 रुपए के बीच, और 1% ने 1000-2000 रुपए और इससे अधिक आय अर्जित की।

विचारणीय क्षेत्र

1. लगभग 47% ट्राइसेम लाभार्थी बेरोजगार थे।

2. लगभग 63% लाभार्थियों ने मासिक वृत्तिका को अपर्याप्त बताया।

3. लगभग 68% लाभार्थियों ने महसूस किया कि प्रशिक्षण की अवधि अपर्याप्त थी।

4. लगभग 47% लाभार्थियों ने निधियों की कमी को स्वरोजगार शुरू करने में मुख्य बाधा महसूस किया।

5. 47% लाभार्थियों ने प्रायोगिक प्रशिक्षण को अपर्याप्त पाया।

6. लगभग 63% ने महसूस किया कि ट्राइसेम के अंतर्गत प्रशिक्षण लेने के बाद भी उनकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ।

7. लगभग 54% ट्राइसेम प्रशिक्षणार्थियों ने ऋण के लिए आवेदन नहीं किया। बाकी लाभार्थियों में से केवल 50% को ही समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता दी गई।

[हिन्दी]

जवाहर रोजगार योजना के लिए धनराशि

9999. डा० बलिराम : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश को जवाहर रोजगार योजना और रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कितनी राशि दी गई है और अभी कितनी राशि दी जानी है; और

(ख) प्रत्येक कार्यक्रम के लिए शेष राशि कब तक दिए जाने की संभावना है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडु) : (क) और (ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय सहायता अंश के रूप में 32348.02 लाख रुपए जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में रोजगार समिति योजना नाम से कोई केन्द्रीय योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है।

[अनुवाद]

राजनैतिक दलों को सरकारी आवास

4000. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राजनीतिक दलों को सरकारी आवास आवंटित करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रकार के आवंटन के मानदण्ड क्या हैं;

(घ) इस प्रकार का आवंटन कितने राजनीतिक दलों को किया गया है;

(ङ) कितने राजनीतिक दलों को इस प्रकार के आवंटन से इन्कार किया गया है;

(च) क्या कुछ राजनीतिक दलों के अध्यक्ष द्वारा सरकार आवास आवंटित करने के संबंध में अनुरोध किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो इन्हें अब तक सरकारी आवास आवंटित नहीं किए जाने के क्या कारण है तथा इन्हें कब तक सरकारी आवास आवंटित कर दिया जायेगा ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलु) : (क) जी, हां।

(ख) और (घ) जुलाई, 1996 तक की सूचना संलग्न विवरण में है।

(ग) राजनैतिक पार्टियों को, जो लोक सभा अध्यक्ष द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, रिहायशी भवन का कार्यालय प्रयोग हेतु आवंटन, उपलब्धता की शर्त पर अपेक्षित स्थान की जांच पड़ताल के पश्चात बाजार दर के लाइसेंस शुल्क पर किया जाता है।

(ङ) से (छ) उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 23.12.96 के निर्णय में निर्देश दिया है कि उन्ही राजनैतिक पार्टियों, को, जो राष्ट्रीय पार्टियों के रूप में चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त हों, सरकारी वास मुहैया कराया जाय। राजनैतिक पार्टियों के अनुरोध पर कार्यालय वास के आवंटन हेतु कार्रवाई, निर्धारित किए जाने वाले संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार की जायेगी।

विवरण

क्र०सं०	राजनैतिक पार्टियों के नाम	वास सं०	आवंटन की तिथि
1	2	3	4
1.	ए०आई०सी०सी० (I)	24, अकबर रोड़	7.8.92 (18.8.90 से नियमित)

1	2	3	4
2.	ए०आई०सी०सी० (I)	26, अकबर रोड़	8.3.94
3.	समाजवादी पार्टी	18, कापरनिकस लेन	3.5.94
4.	समाजवादी जनता पार्टी	16, आर०पी० रोड़	20.11.90
5.	कांग्रेस (आई)	5, राइसिना रोड़	5.1.76
6.	डी०पी०सी०सी० (आई)	2, तालकटोरा रोड़	24.3.84
7.	बी०जे०पी०	11, अशोका रोड़	21.3.85
8.	लोक दल (क)	15, विन्डसरे प्लेस	29.11.79
9.	लोक दल (ख)	3, पं० पन्त मार्ग	1.5.88
10.	जनता पार्टी	5, पं० पन्त मार्ग	1.7.88
11.	बहुजन समाज पार्टी	12, जी०आर०जी० रोड़	5.3.91
12.	सी०पी०आई० (एम)	8, वी०पी० हाउस	25.10.83
13.	सी०पी०आई० (एम)	14, वी०पी० हाउस	23.7.71
14.	बी०जे०पी०	24, वी०पी० हाउस	14.6.82
15.	बी०जे०पी०	523, वी०पी० हाउस	26.9.83
16.	सी०पी०आई०	119, वी०पी० हाउस	30.10.70
17.	सी०पी०आई०	201-ए, वी०पी० हाउस	19.11.70
18.	सी०पी०आई०	309, वी०पी० हाउस	6.5.70
19.	जनता दल	17, वी०पी० हाउस	15.6.90
20.	जनता पार्टी	418, वी०पी० हाउस	17.4.78
21.	जनता पार्टी	115, वी०पी० हाउस	30.1.87
22.	जनता पार्टी	416, वी०पी० हाउस	31.1.87
23.	ए०आई०ए०डी०एम०के०	16, वी०पी० हाउस	26.6.92
24.	ए०आई०ए०डी०एम०के०	310, वी०पी० हाउस	26.6.92
25.	समाजवादी जनता पार्टी	13, विन्डसर प्लेस	16.4.91
26.	संसद में कांग्रेस आई जनरल सेक्रेट्री	सी० 401, सी० 402, एलवर्ट स्केवर	11.7.79
27.	-वही-	781, एल०बी० नगर	8.9.88
28.	कांग्रेस (आई)	एस4/181, आर०के० पुरम्	17.10.67
29.	कांग्रेस (आई)	एस4/209, आर०के० पुरम्	30.12.77
30.	कांग्रेस (आई)	एस4/892, आर०के० पुरम्	7.9.67

1	2	3	4
31.	कांग्रेस (आई)	896, बी०के०एस० मार्ग	17.7.80
32.	कांग्रेस (आई)	80 एच०एस०4/डी०आई०जेड०	21.9.82
33.	कांग्रेस (आई)	87, टी०एस०4/डी०आई०जेड०	20.12.91
34.	कांग्रेस (आई)	जे-556, मन्दिर मार्ग	17.7.80
35.	ए०आई०सी०सी० (आई)	डी 1/109, चाणक्यपुरी	7.8.91
36.	समता पार्टी	220, वी०पी० हाउस	15.2.95
37.	कांग्रेस (आई)	45 ए/एस 4/डी०आई०जेड०	26.10.93

[हिन्दी]

भाखड़ा बांध से विस्थापित हुए व्यक्ति

4001. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिलासपुर के आस-पास के गांव के व्यक्ति जो भाखड़ा बांध के निर्माण के कारण विस्थापित हो गए हैं; पेय जल, सिंचाई सुविधाओं, सड़कों और पुलों की सुविधाओं के लिए आन्दोलन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भाखड़ा बांध के चारों ओर स्थित गांवों के व्यक्ति उससे पम्प जल प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं और झील के किनारे पर स्थित नांगल गांव में अभी तक बिजली नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उन्हें कब तक बुनियादी सुविधाएं प्रदान किए जाने की संभावना है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस० वेणगोपालाचारी) : (क) से (घ) भाखड़ा-ब्यास प्रबंध बोर्ड (बी०बी०एम०बी०) ने पेयजल की आपूर्ति, सड़कों और पुलों से संबंधित हिमाचल सरकार को की गई सभी वचनबद्धताओं को पूरा किया है। बी०बी०एम०बी० हिमाचल प्रदेश में गोविन्द सागर के आसपास की भूमि को सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए गोविन्द सागर से प्रति दिन 98.8 क्यूसेक जल तथा नांगल बांध जलाशय से हिमाचल प्रदेश में सिंचाई स्कीम के चरण-1 और चरण-2 के लिए 19.64 क्यूसेक (औसतन) जल की निःशुल्क आपूर्ति कर रहा है। इसके अलावा, भाखड़ा जलाशय/नांगल जलाशय से जल ले जाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने जब भी प्रस्ताव किया है, बी०बी०एम०बी० उन पर अनुकूल दृष्टि से विचार करती रही है। तथापि, किसी को भी इन बहती हुई नदियों से जल ले जाने की, विशेष अनुमति के बिना, आज्ञा नहीं है।

गोविन्द सागर के तट पर अवस्थित गांवों को बिजली प्रदान करने की जिम्मेदारी हिमाचल प्रदेश सरकार की है।

भूमि सुधार योजना

4002. डा० बलिराम : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में भूमि सुधार योजना के अन्तर्गत कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए है; और

(ख) वर्ष 1997-98 के दौरान इस योजना के कितने व्यक्तियों के लाभान्वित होने की संभावना है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) से (ख) भूमि सुधार के लिए कोई भी केन्द्रीय क्षेत्र की अथवा केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना नहीं है। भूमि सुधार की अवधारणा में अनेक गतिविधियां शामिल हैं, जो भूमि परिसम्पत्तियों के वितरण, विभिन्न श्रेणियों के धारकों के साथ-साथ पट्टेधारियों एवं बटाइदारों आदि के भूमि अधिकारों के संरक्षण से संबंधित हैं, जिन्हें सम्बद्ध राज्य अधिनियम के अंतर्गत और सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में शामिल राज्य सूची की मद सं० 18 एवं 45 के अनुसार, उपरोक्त विषयों से संबंधित सभी संवैधानिक एवं प्रशासनिक अधिकार मात्र राज्य सरकारों को ही प्राप्त हैं। भूमि सुधार उपायों में शामिल विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्धियों के जिला स्तरीय आंकड़े केन्द्र सरकार द्वारा न तो एकत्र किए जाते हैं और न ही मानीटर किए जाते हैं। अतः भूमि सुधार कार्यक्रमों की विभिन्न गतिविधियों के अंतर्गत हासिल उपलब्धियों के संबंध में कोई वक्तव्य देना संभव नहीं है और न ही उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में इससे प्राप्त लाभों को बता पाना संभव है। यह इंगित करना भी संभव नहीं है कि वर्ष 1997-98 के दौरान इस जिले में भूमि सुधार कार्यक्रमों से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संभावित संख्या कितनी होगी।

पोंग बांध के कारण विस्थापित परिवार

4003. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि पोंग बांध के आसपास

के क्षेत्रों के विस्थापित परिवार जिन्हें बीस वर्ष पहले राजस्थान में बसाया गया था वे अब हिमाचल प्रदेश लौट गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उन परिवारों का पुनर्वास कराए जाने की कोई योजना है; जो हिमाचल प्रदेश लौटे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस० वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ग) पोंग बांध के निर्माण से विस्थापित लगभग 30,000 परिवारों में से 16,100 परिवारों को राजस्थान में भूमि आवंटित करने के पात्र माना गया था। इनमें से, प्रारंभ में 9195 को राजस्थान में भूमि आवंटित की गई तथा इनमें से भी 4329 भू-विस्थापितों का पुनर्वास किया जा चुका है। तथा भूमि उनके स्वामित्व में है। समादेश याचिका (सिविल) संख्या 439/92 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों की अनुपालना में, राजस्थान सरकार ने भू-विस्थापितों के उन मामलों की समीक्षा करने के लिए, जिनके भूमि आवंटन को 1.1.92 के पश्चात् रद्द कर दिया गया था, राजस्थान में एक जिला-न्यायाधीश की नियुक्ति की है। केन्द्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेशों के अनुसार सचिव जल, संसाधन मंत्रालय की अध्यक्षता में तथा हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की राज्य सरकारों से प्रत्येक से एक प्रतिनिधि सहित एक समिति का भी गठन किया है ताकि अन्य बातों के साथ-साथ जिला न्यायाधीश की सिफारिशों को लागू किया जा सके तथा भू-विस्थापित ग्राहियों को सभी आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए जर्मनी के साथ समझौता

4004. श्री आर० साम्बासिवा राव : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1997 के दौरान जर्मनी का व्यापार प्रतिनिधि मंडल भारत के दौरे पर आया था और उसने भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में निवेश करने का प्रस्ताव किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों देशों के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) जी हां, फरवरी 1997 के दौरान जर्मनी का एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल भारत के दौरे पर आया था। परन्तु चर्चा के दौरान भारत में खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं में निवेश हेतु उनके द्वारा कोई प्रस्ताव विशेष नहीं रखा गया।

(ख) इस संबंध में दोनों के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ट्राइसेम

4005. श्री रामसागर : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ट्राइसेम योजना के अंतर्गत ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में कितने युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए है;

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत कितने युवा अपना स्वयं का कारोबार स्थापित करने में सफल रहे थे; और

(ङ) आठवीं योजना के दौरान ट्राइसेम के अंतर्गत प्रशिक्षित ऐसे कितने हैं जिन्हें अभी भी मजदूरी करने या अपना कारोबार करने का अवसर नहीं मिल पाया ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडु) : (क) और (ख) जी हां। ट्राइसेम 1980-81 में शुरू किया गया एक चालू कार्यक्रम है। जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण युवाओं को कौशल/व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है ताकि वे मजदूरी रोजगार/स्वरोजगार के उद्यम लगाने में समर्थ बन सकें। वर्ष 1994-95 से 1996-97 में जनवरी 1997 तक, उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों में प्रशिक्षित युवाओं की संख्या को दर्शाने वाले ब्यौरे संलग्न विवरण में देखे जाएं। दिल्ली में ट्राइसेम का कार्यान्वयन नहीं किया जाता है।

(ग) ट्राइसेम के अन्तर्गत, वास्तविक लक्ष्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किए जाते हैं। यह बात, राज्यों पर छोड़ दी गई है कि वे अपने लक्ष्यों को अपनी आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करें।

(घ) और (ङ) यह मंत्रालय केवल स्वरोजगार या मजदूरी रोजगार उपक्रमों में लगे और प्रशिक्षित युवाओं की कुल संख्या से संबंधित सूचना की निगरानी करता है। प्रशिक्षित, मजदूरी रोजगार/स्वरोजगार में लगे युवाओं की कुल संख्या को दर्शाने वाले ब्यौरे अनुबंध 2 में देखे जा सकते हैं।

विवरण

भाग-1

उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 'ट्राइसेम'

राज्य	1994-95	1995-96	1996-97 (जन० 97 तक)
उत्तर प्रदेश	62394	63721	38629
हरियाणा	3733	3582	2449

भाग-2

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ट्राइसेम (अखिल भारत) के अन्तर्गत निष्पादन

	कुल प्रशिक्षित युवा	मजदूरी रोजगार में लगे प्रशिक्षित युवा	स्व रोजगार में लगे प्रशिक्षित युवा	कुल
1992-93	275993	42058	99334	141392
1993-94	303821	43004	107919	150923
1994-95	281874	44965	86466	131431
1995-96	301651	48450	97757	146207
1996-97 (जन० 97 तक	205474	28577	56261	84838

अनंतराम डेरी कालोनी

4006. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 दिसम्बर, 1996 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "रिग्यूलराइजिंग अनंतराम डेरी कालोनी दवे किक्स अप अनादर कंट्रोवर्सी" के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) जुलाई, 1994 में अनन्तराम डेरी गांव सुधार सभा से एक अभ्यावेदन मिला था जिसमें उनकी कालोनी को नियमित करने और उसमें पानी तथा बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान करने का अनुरोध किया गया था। हां तक दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने का सवाल है, यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में सिविल रिट याचिका न० 4771/93 के आलोक में न्यायाधीन है।

जहां तक बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान का सवाल है चूंकि यह मामला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में आता है इसलिए सिविल रिट याचिका न० 4771 तथा सी०एम० 7829/93 और सी०एम० 4889/94 में उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार उक्त पत्र की एक प्रतिलिपि समुचित कार्रवाई हेतु दिल्ली सरकार को भेजी गयी थी।

हाइड्रोकार्बन के भंडार

4007. श्री के०पी० सिंह देव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानदी गोदावरी बेसिन में तेल और हाइड्रोकार्बन के भंडारों का पता लगाने के लिए किए गए सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विगत में कृष्णा और गोदावरी बेसिन में भी खोज कार्य किया गया था;

(ग) यदि हां, तो अब तक कितने तेल और हाइड्रोकार्बन अथवा प्राकृतिक गैस के भंडारों का पता लगाया गया है; और

(घ) इन नदी बेसिनों में तेल, गैस और हाइड्रोकार्बन का दोहन करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) महानदी बेसिन में ओ०एन०जी०सी० ने लगभग 8642 स्टेशन्स गुरूत्वाकर्षण चुम्बकीय सर्वेक्षण ओर 1644 एल० के भूकंपीय सर्वेक्षण किए हैं। ओ०आई०एल० ने 3814 एस०एल०के०एम० और 13943 एल० के०एम० भूकंपीय सर्वेक्षण भी किए हैं जिनमें महानदी तट और महानदी और उत्तर पूर्वी तटीय अपतट क्षेत्रों में क्रमशः संसाधन और निर्वचन भी शामिल हैं तथा उपर्युक्त भूकंपीय आंकड़ों के आधार पर इन क्षेत्रों में 15 कूपों का असफल वेधन किया गया है।

जहां तक कृष्णा गोदावरी बेसिन का संबंध है, वहां ओ०एन०जी० सी० कार्यरत है तथा निम्नलिखित सर्वेक्षण किए गए हैं :–

भूस्थित

भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण	: 53.427 वर्ग कि०मी०
गुरूत्वाकर्षण चुम्बकीय सर्वेक्षण	: 7330 स्टेशन्स
भूकम्पीय सर्वेक्षण	: 2डी के 33609 जी०एल०के० 3डी के 1016 एस०एस०के०

अपतट :

गुरूत्वाकर्षण चुम्बकीय	: 17820 एल०के०
भूकम्पीय सर्वेक्षण	: 2डी के 45555 एल०के० 3डी के 8181 एल०के०

(ख) और (ग) जी हां। 1.4.96 की स्थिति के अनुसार के०जी० बेसिन में ओ०एन०जी०सी० के अन्वेषण और विकास क्रियाकलापों के परिणामस्वरूप भूस्थित क्षेत्र में 73.97 एम०एम०टी० (ओ+ओ०ई०जी०) और के०जी० बेसिन के अपतट क्षेत्रों में 81.12 एम०एम०टी० (ओ+ओ० ई०जी०) के आरंभिक स्थानिक हाइड्रोकार्बन भण्डारों का होना साबित हुआ है।

(घ) ओ०एन०जी०सी० और ओ०आई०एल० के उपर्युक्त अन्वेषण/विकास क्रियाकलापों के अतिरिक्त भारत सरकार विभिन्न बोली चक्रों के अंतर्गत निजी/बहुराष्ट्रीय कंपनियों/उनके परिसंघों द्वारा अन्वेषण के लिए इन नदी बेसिनों में ब्लाकों का प्रस्ताव करती रही है। ब्लाक सं० के० जी०-ओ०एस०-90/1, के०जी०-ओ०एस०/6 और के०जी०-ओ०एन०/1 को ठेके के अवार्ड के लिए अनुमोदित कर दिया गया है।

अपराह्न 12.0½ बजे

सभापटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय की वर्ष 1997-98 की विस्तृत अनुदानों की मांगें

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी०एम० इब्राहीम) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :–

(1) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के वर्ष 1997-98 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 1698/97]

(2) नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय की वर्ष 1997-98 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 1699/97]

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन और वित्त मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगें

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार) : मैं श्री पी० चिदम्बरम जी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत 31 मार्च, 1996 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन–संघ सरकार–(1997 का संख्यांक 12)– (राजस्व प्राप्तियां–प्रत्यक्ष कर) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 1700/97]

(2) वित्त मंत्रालय के वर्ष 1997-98 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 1701/97]

पत्तन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1997 के माध्यम से कानून बनाए जाने संबंधी विवरण

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटस्वरलू) : मैं भी टी०जी० वेंकटरामन की ओर से पत्तन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1997 के माध्यम से तत्काल कानून बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 1702/97]

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगें

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : मैं ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय की वर्ष 1997-98 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 1703/97]

पर्यावरण और वन मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगें

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज) : मैं पर्यावरण और वन मंत्रालय की वर्ष 1997-98 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 1704/97]

नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओसियन टेक्नॉलाजी, मद्रास का वार्षिक प्रतिवेदन तथा सरकार द्वारा उसके कार्यकरण की समीक्षा और महासागर विकास विभाग की विस्तृत अनुदानों की मांगें

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ): मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :–

(1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओसियन टेक्नोलॉजी, मद्रास के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओसियन टेक्नोलॉजी, मद्रास के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 1705/97]

(3) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वर्ष 1997-98 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 1706/97]

(4) महासागर विकास विभाग के वर्ष 1997-98 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 1707/97]

(5) इलैक्ट्रोनिकी विभाग के वर्ष 1997-98 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 1708/97]

[श्री योगेन्द्र के० अलघ]

(6) योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की वर्ष 1997-98 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 1709/97]

(7) परमाणु ऊर्जा विभाग के वर्ष 1997-98 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 1710/97]

(8) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादुगुडा के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादुगुडा के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक – महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 1711/97]

कोको पाउडर ग्रेडिंग व मार्किंग नियम, 1996 की एक प्रति

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा) : सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कृषि उपज (क्षेत्रीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कोको पाउडर श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1996 जो 14 दिसंबर 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 561 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 1712/97]

[अनुवाद]

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगें

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रह्मण्यम): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय तथा संघ लोक सेवा आयोग के वर्ष 1997-98 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 1713/97]

(2) संसदीय कार्य मंत्रालय के वर्ष 1997-98 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 1714/97]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगें और भारत सरकार और ऑयल इंडिया लिमिटेड तथा एस्सार ऑयल इंडिया लिमिटेड के बीच उत्पादन हिस्सेदारी संविदा की एक प्रति

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के वर्ष 1997-98 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 1715/97]

(2) ब्लाक आरजे-ओ०एन०-90/5 के रूप में पहचान किए गए संविदा क्षेत्र के संबंध में भारत सरकार और ऑयल इंडिया लिमिटेड तथा एस्सार ऑयल लिमिटेड के बीच उत्पादन-हिस्सेदारी संविदा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 1716/97]

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण संगठन आदि का वार्षिक प्रतिवेदन तथा सरकार द्वारा इनके कार्यकरण की समीक्षा

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटस्वरलू) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) (एक) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 1717/97]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथ उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 1718/97]

(5) शहरी कार्य रोजगार मंत्रालय की वर्ष 1997-98 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 1719/97]

अपराह्न 12.01 बजे

राज्य सभा से संदेश
और
राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मैं राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देता हूं :

(I) मुझे, राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के प्रावधानों के अनुसरण में, राज्य सभा द्वारा 18 मार्च 1997 को हुई अपनी बैठक में पारित पत्तन विधि (संशोधन) विधेयक, 1997 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।

(II) मुझे, राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के प्रावधानों के अनुसरण में, राज्य सभा द्वारा 18 मार्च 1997 को हुई अपनी बैठक में पारित राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी (संशोधन) विधेयक 1997 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।

महोदय, मैं 18 मार्च 1997 को राज्य सभा द्वारा यथा पारित पत्तन विधि (संशोधन) विधेयक, 1997 और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (संशोधन) विधेयक, 1997 को सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.02 बजे

सदस्य को दोषसिद्ध ठहराया जाना और जेल में रखा जाना

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं सदन को सूचित करता हूं कि अधीक्षक, जेल संख्या 5, तिहाड़, नई दिल्ली का 17 मार्च, 1997 का निम्नलिखित बेतार संदेश 18 मार्च 1997 को प्राप्त हुआ :

"श्री कल्पनाथ राय, लोक सभा सदस्य को आतंकवादी और विध्वंशकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अंतर्गत प्रीत विहार पुलिस स्टेशन में दर्ज मामला संख्या 140 से 144/93 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शाहदरा के न्यायालय द्वारा आज दोषसिद्ध ठहराया गया है। उन्हें जेल संख्या 5, तिहाड़, नई दिल्ली में रखा गया है।"

अपराह्न 12.02¼ बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्पों संबंधी समिति

सातवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री सुधीर गिरि (कन्टाई) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक और संकल्पों संबंधी समिति का सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02½ बजे

प्राक्कलन समिति

तीसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : मैं शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) – दिल्ली विकास प्राधिकरण के बारे में प्राक्कलन समिति का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02¾ बजे

लोक लेखा समिति

चौथा और सातवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

[हिन्दी]

डा० मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : महोदय, मैं लोक लेखा

[डा० मुरली मनोहर जोशी]

समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :–

(1) संघ सरकार विनियोग लेखे (1994-95)–दूर संचार सेवाओं के बारे में चौथा प्रतिवेदन और समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश।

(2) जनता कपड़ा योजना के बारे में लोक लेखा समिति (दसवीं लोक सभा) के 72 वें प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही संबंधी सातवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03 बजे

पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति

छठा, सातवां और आठवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री अब्दुल रहमान अन्तुले (कुलाबा) : मैं पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :–

(1) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1996-97) के बारे में तीसरे प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी छठा प्रतिवेदन।

(2) रसायन और पेट्रो रसायन विभाग की अनुदानों की मांगों (1996-97) के बारे में पहले प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाही संबंधी सातवां प्रतिवदेन।

(3) उर्वरक विभाग की अनुदानों की मांगों (1996-97) के बारे में दूसरे प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी आठवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.3½ बजे

रेल संबंधी स्थायी समिति

पांचवा प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं "भारतीय रेल जोनल कार्यालयों का पुनर्गठन" के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (1997-98) का पांचवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यदि आप शोर न करें और शांतिपूर्वक बैठेगें तो आपको बोलने का मौका दिया जाएगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया शून्य काल में व्यवस्था बनाए रखें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपको बोलने का मौका मिलेगा।

(व्यवधान)

जस्टिस गुमान मल लोढा (पाली) : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज की कार्यसूची जो परिचालित की गई है, में से मद संख्या 14, संविधान (बयासीवां संशोधन) विधेयक हटा दिया गया है केवल सदन की सहमति से ही किसी मद को कार्यसूची से हटाया जा सकता है।

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री गंगाचरण राजपूत (हमीरपुर) (उ०प्र०) : सभापति महोदय, मेरा विशेषाधिकार का मामला है *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठ जाइये।

[अनुवाद]

कृपया बैठ जाइये। कृपया अपनी बात क्रम से कहिए।

श्री राजीव प्रताप रूड़ी (छपरा) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : जब मैं बोल रहा हूं तो आप व्यवस्था का प्रश्न कैसे उठा सकते हैं ?

जस्टिस गुमान मल लोढा : मैं अपनी आपत्ति के समर्थन में कॉल और शकधर द्वारा लिखित पुस्तक संसदीय प्रक्रिया और कार्य संचालन के पृष्ठ संख्या 382 का उल्लेख कर रहा हूं। उसमें लिखा है कि यदि कोई मद एक बार कार्यसूची में शामिल हो जाए तो उसे सदन की अनुमति के बिना सूची से नहीं हटाया जा सकता। न्यायपालिका से सम्बन्धित संविधान (बयासीवां संशोधन) विधेयक विधि मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए कहा गया था और उसे मद संख्या 14 पर रखा गया था। मद संख्या 14 संविधान (बयासीवां) संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए भी परन्तु उसे आज की कार्य सूची में. शामिल नहीं किया गया है। कॉल और शकधर ने कहा है, मैं उसका केवल संगत भाग पढ़ रहा हूं *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : लोढा जी, क्या आप एक मिनट के लिए मेरी

बात सुनेंगे ? उक्त मद को माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देश पर हटाया गया था और अब वह माननीय अध्यक्ष महोदय के विचाराधीन है।

जस्टिस गुमान मल लोढा : वह कार्यसूची में मद संख्या 14 पर था।

सभापति महोदय : माननीय अध्यक्ष महोदय को इस मुद्दे पर विचार करने दीजिए और वापस सदन में आने दीजिए। आप ऐसा मामला उठा रहे हैं जो माननीय अध्यक्ष महोदय के विचाराधीन है।

जस्टिस गुमान मल लोढा : वह उनके विचाराधीन नहीं है। वह कार्यसूची में मद संख्या 14 पर था। प्रस्तुक में कहा गया है :–

"अध्यक्ष ने व्यवस्था दी है कि एक विशेष दिन के लिए कार्य की किसी मद को सामान्यतः स्थगित नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, अनुरोध पर

मैं कॉल और शकधर की प्रस्तुक के पृष्ठ 382 का उल्लेख कर रहा हूं।

"तथापि, मंत्री द्वारा अनुरोध किए जाने और सदन की सहमति से कार्यसूची में निर्धारित किसी कार्य की मद के क्रम में परिवर्तन किया जा सकता है अथवा मद पर कार्यवाही नहीं की जा सकती है।"

तत्पश्चात् दो वाक्यों के बाद उसमें लिखा है, माननीय सभापति उसे पढ़ सकते हैं।

"अध्यक्ष ने यह व्यवस्था दी है कि अग्रिम कार्यसूची में शामिल कार्य की किसी मद को इस आधार पर सूची से नहीं हटाया जा सकता है कि उसे समूचे सदन का अनुमोदन प्राप्त नहीं है।"

महोदय, यह लोक सभा में वाद-विवाद के दौरान 1962 में दी गई व्यवस्था है।

अब यहां जो हो रहा है वह यह है कि विधि मंत्री ने कहा है कि संविधान (वयासीवां) संशोधन विधेयक से सम्बन्धित मद संख्या 14 को सूची में शामिल किया गया था परन्तु अब विधि मंत्री सदन में कुछ भी नहीं कह रहे हैं/वह सदन में यह अनुरोध करने के लिए नहीं आ रहे हैं कि "मैं इसे आस्थगित करना चाहता हूं"। उन्होंने अध्यक्ष महोदय से यह भी नहीं कहा कि "कृपया इस कारण से मुझे इस मद को आस्थगित करने की अनुमति दीजिए"। उन्होंने सदन के माननीय सदस्यों से भी इसे आस्थगित करने की अनुमति देने का अनुरोध नहीं किया है। वह केवल प्रैस, समाचार-पत्रों और मीडिया में बात करते हैं। वह ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने इसका विरोध किया है और भारतीय जनता पार्टी को इस पर कुछ आपत्तियां हैं इसलिए यह इसे आस्थगित कर रहे हैं। उन्होंने ये कारण केवल प्रैस में बताए हैं न कि सदन में।

अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अध्यक्ष के विनिर्णय के अनुसार इस बात की अनुमति नहीं है। विधिमंत्री का सदन में आने के बजाए प्रेस में जाना अत्याधिक अनौचित्यपूर्ण कार्य है ...*(व्यवधान)*। यह तो विशेषाधिकार का भी उल्लंघन है। उन्हें यहां आकर अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करना चाहिए कि "मद संख्या 14 के मामले को नहीं उठाया जा सकता, कृपया इसे सभा स्वीकृत करे"। अध्यक्ष महोदय इसकी अनुमति प्रदान करते; ऐसा कदापि नहीं हैं कि वे इसकी अनुमति न देते, अवश्य देते। परन्तु विधि मंत्री तो यहां आने के बजाए प्रेस के पास चले गए। मद संख्या 14 आज की कार्यसूची में नहीं है। मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब आप अपनी बात पूरी कीजिए।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपका क्या विनिर्णय है ? ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए और मुझे कुछ कहने दीजिए।

(व्यवधान)

जस्टिस गुमान मल लोढा : मैं आपका ध्यान विधि मंत्री द्वारा की गई अनौचित्यता और विशेषाधिकार के उल्लंघन की ओर दिलाना चाहता हूं और साथ ही कौल एवं शकधर द्वारा लिखित पुस्तक में दी गई अध्यक्ष की रूलिंग की ओर दिलाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप निष्पक्षता बरतें। बस, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। आप इस सभा के संचालक हैं और संरक्षक हैं तथा इस पर किसी को हावी नहीं होने देना चाहिए और न ही इस बात की अनुमति दी जानी चाहिए ...*(व्यवधान)* क्योंकि यह तो सभा की अवमानना है और सभा के विशेषाधिकार का उल्लंघन है। इसलिए विधि मंत्री को यहां आना चाहिए। ...*(व्यवधान)* और उन्हें ...*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैंने आपसे कहा है कि एक-एक कर बोलें। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : लोढा जी आपका व्यवस्था का प्रश्न नोट कर लिया गया है और इसकी सूचना अध्यक्ष महोदय को दे दी जाएगी।

(व्यवधान)

जस्टिस गुमान मल लोढा : मैंने लिखित नोटिस दिया है।

सभापति महोदय : जी हां।

जस्टिस गुमान मल लोढा : आप इसे ले सकते हैं। मैं यह कहता कि इसे अभी लिया जाए। आप इस पर बाद में विनिर्णय दे सकते हैं।

सभापति महोदय : ठीक है, इसे बाद में ले लिया जाएगा।

जस्टिस गुमान मल लोढा : इस मामले में अध्यक्ष महोदय से परामर्श लिया जा सकता है। परन्तु विधि मंत्री को सभा का अनादर करने की अनुमति मत दीजिए। ···*(व्यवधान)* बस ···*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मुझे संसदीय कार्य मंत्री से बात करने दीजिए।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : मैं माननीय सदस्य श्री लोढा जी, जो उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायधीश रह चुके हैं, का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि यह विधेयक सभा में प्रस्तुत किया जाना था परन्तु प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इसे विधि मंत्री द्वारा वापिस ले लिया गया और अभी तक यह सभा के अधिकार क्षेत्र में नहीं आया था क्योंकि यह सभा में प्रस्तुत ही नहीं किया गया। इसलिए मैं आशा करता हूं ···*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया (जूनागढ़) : ये सदन को गुमराह कर रहे हैं। ···*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : सदस्यों को एक बार कार्यसूची के परिचालित कर दिए जाते ही, उस पर सभा का अधिकार हो जाता है। हम कार्यसूची में दर्ज मुद्दे को ही उठा रहे है ···*(व्यवधान)* इस बात को बताए जाने के बाद उन्होंने अपने प्राधिकार की भी चर्चा की। अब मंत्री महोदय मात्र यह कहने से नहीं बच सकते कि इस विधेयक पर सभा का अधिकार नहीं है। ठीक है आप इस विनिर्णय को मान रहे हैं *(व्यवधान)*। पर्याप्त विचार विमर्श के पश्चात ही निर्णय दिया जाना चाहिए यही कानून भी है। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा कही गई बात तर्क हीन है और बिल्कुल भी विचारणीय नहीं है ···*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं पहले ही अपना विनिर्णय दे चुका हूं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया एक-एक करके बोलिए।

(व्यवधान)

श्री एन०एस०वी० चित्यन (डिंडीगुल) : महोदय, मैं तमिलनाडु के संसदविदों की ओर से ···*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं पहले ही निर्णय दे चुका हूं। यह क्या हो रहा है ?

(व्यवधान)

श्री एन०एस०वी० चित्यन : महोदय, मैं तमिलनाडु के संसदविदों की ओर से सभा का ध्यान एक बहुत ही गंभीर मामले की ओर दिलाना चाहता हूं जिसका संबंध संसद सदस्यों और विधायकों की नैतिकता से है। ऐसे समय में जबकि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की साख जनता की नजरों में नाम मात्र की रह गई है, ऐसे में हम यह कहते हुए आश्चर्यचकित और दुखित हैं कि* ···*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नहीं, मैं इस बात की अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : इस बात की यहां उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : जी नहीं, इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री ऐ०सी० जोस (इडुक्की) : महोदय, यह तो नियमों के खिलाफ है। ···*(व्यवधान)*

श्री एन०एस०वी० चित्यन : *···(व्यवधान)*

सभापति महोदय : विधान सभा का कोई आचारण यहां की चर्चा का विषय वस्तु नहीं हो सकता।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप यहां किसी विधान सभा की निंदा नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अपनी सीट पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अपनी सीट पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

**(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मुझे कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा है। कृपया एक-एक करके बोलिए।

(व्यवधान)

श्री एन०एस०वी० चित्यन : महोदय, मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि इस मामले को सी०बी०आई० को सौंप दिया जाए

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान) और राज्यपाल को तत्काल वापिस बुलाया जाए

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गंगा चरण राजपूत : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने उत्पीड़न, अपने परियार और रिश्तेदारों के उत्पीड़न की ओर दिलाना चाहता हूं। एक मामला मैंने महुआ के एस०पी० के विरुद्ध उठाया था और एक मामला झांसी के एस०पी० के विरुद्ध उठाया था। महुआ के एस०पी० ने अपने दफ्तर में राकेश कौशल नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। जब उसका मामला सदन में उठाया तो उसके बाद मेरे रिश्तेदारों का उत्पीड़न यह कहकर किया गया कि तुम्हारे रिश्तेदार सांसद ने हमारे खिलाफ मामला संसद में उठाया है, तुम यहां चैन से नहीं रह पाओगे। मेरे साढू डा० भानु प्रताप सिंह, जो महुवा के बिलवई ग्राम के निवासी हैं, उनके घर में पुलिस जाती है और उनकी अनुपस्थिति में उनकी महिलाओं का अपमान करती है, गाली-गलौज करती है। कल रात झांसी की पुलिस ने मेरे ससुराल पक्ष के घर जाकर उनका सारा सामान बाहर फेंक दिया, महिलाओं को बेइज्जत किया और कहा कि जो तुम्हारा दामाद है, वह एस०पी० के खिलाफ मामला सदन में उठाता है, हम तुम्हें चैन से नहीं रहने देंगे। तुम्हें जेल की सीखचों के पीछे सड़ा देंगे, किसी केस में बंद कर देंगे। यदि कोई सांसद क्षेत्र के एस०पी० या अन्य अधिकारी के खिलाफ कोई मामला यहां उठाता है तो उसके परिवार वालों का, रिश्तेदारों का उत्पीड़न किया जाता है तो फिर कोई भी सांसद पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सदन में इस तरह के मामले नहीं उठा सकेगा। मैं इस मामले में आपका संरक्षण चाहता हूं। मैं इस पर विशेषाधिकार लाना चाहता हूं। इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाए।

सभापति महोदय : आपने नोटिस दिया है ?

श्री गंगा चरण राजपूत : मैंने नोटिस दिया है। यह सारा काम एक केन्द्रीय मंत्री के संरक्षण में हो रहा है। मैंने जब डी०आई०जी० और डी०जी०पी० से कहा तो उन्होंने कहा शासन से बात करिए। डी०जी०पी० ने कहा कि यह मेरे बस की बात नहीं है।

सभापति महोदय : ठीक है, आपने जो प्रोसीजर एडाप्ट करना है, यह कर लें।

श्री गंगा चरण राजपूत : मैं चाहता हूं सरकार इस सम्बन्ध में वक्तव्य दे। मेरे रिश्तेदारों को थाने के सामने से गुंडे पकड़ कर ले जाते हैं। उनके हाथ-पैर तोड़ देते हैं, गोली मारी जाती है। नेम्ड एफ० आई०आर० है। दो महीने हो गए, लेकिन पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में गुंडागर्दी और अराजकता का आलम है। मेरे पांच कार्यकर्ताओं के हाथ-पैर तोड़ दिए गए हैं। यह सब केन्द्रीय मंत्री के इशारे पर हो रहा है। जब मैंने गवर्नर से बात की तो उन्होंने स्वीकार किया और कहा कि तुमने इतने बड़े मंत्री से विरोध मोल लिया है, हम तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर पाएंगे। जब गवर्नर कहता है कि हम रक्षा नहीं कर पाएंगे, डी०आई०जी० और डी०जी०पी० कहते हैं कि हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे, सभापति जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि आप मेरे परिवार वालों की और रिश्तेदारों की रक्षा करें। इस सम्बन्ध में सरकार को वक्तव्य देना चाहिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय मंत्री यहां उपस्थित हैं, वे इसे नोट करेंगे।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : पूरे बुंदेलखंड में अराजकता का माहौल है। मध्य प्रदेश में भी यही हालत है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : उत्तर प्रदेश के सारे सांसदों के साथ यही हो रहा है। पिछले दिनों भी एक ऐसा मामला आया था

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बैठिए। यह ठीक नहीं है, मैंने उनको बुलाया है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : पिछले दिनों हमारे सांसद प्रभु दयाल कठेरिया जी के रिश्तेदारों का अपहरण कर लिया गया।

सभापति महोदय : आप बैठिए। मैंने गीता जी को बुलाया है। एक-एक करके बोलिएं सब खड़े हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : लेकिन हमें भी अपनी बात कहने दें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। माननीय सदस्यों हम सबको माननीय सभापति महोदय के कहने के अनुसार चलना चाहिए। इसलिए मैं अपने सहयोगियों से प्रार्थना करती हूं कि मुझे बोलने दें और डिस्टर्ब ना करें। आप मेरे बोलने के पश्चात बोल सकते हैं क्योंकि मेरा नाम सभापति महोदय द्वारा पहले ही पुकारा जा चुका है

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : यह क्या तरीका है ? आपको चांस मिलेगा तो कहें; दो तीन आदमी खड़े होंगे तो आप क्या बात सकते हैं, मैंने उनको बुलाया है।

[अनुवाद]

कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं हो रहा है।

**(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

सभापति महोदय : यह तो कोई तरीका नहीं है। मैं पहले ही उनका नाम पुकार चुका हूं। क्या आप इस बात पर ध्यान नहीं दे सकते ? जब मैं आपको अवसर दूंगा तो अपनी बात कह लेना। आप तो ऐसा व्यवहार नहीं करते। आप तो बहुत ही पुराने सदस्य हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय कोरकस आदिवासी भारत की सबसे पुरानी आयों से पूर्व की आदिवासी जनजातियों में से एक है और आज देश में उनका समुदाय जनजातियों में सबसे छोटा है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या लगभग 1,13,800 है। वे मुख्यतः मेलघाट में निवास करते है जो महाराष्ट्र के बढ़िया वन क्षेत्रों में से एक है। सरकारी तौर पर बताया गया है कि वर्ष 1993 से 1996 तक चार वर्षों में इस जनजाति के 20,000 से 21,000 परिवारों के 4,000 शिशुओं और बच्चों की मृत्यु हो गई। प्रतिवर्ष औसतन 1000 बच्चों की मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु का कारण कुपोषण और स्वास्थ्य संबंधी देखभाल का अभाव है। यदि ऐसा ही होता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब इस जनजाति का नामो निशान ही मिट जाएगा। अब यह पता चला है कि एक विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता शीला बरसे ने वर्ष 1993 में बम्बई उच्च न्यायालय की नागपुर खण्ड पीठ के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की थीं हांलाकि भारतीय जनता पार्टी के दो विधायकों ने भी उसी समय इसी प्रकार की जनहित याचिकाएं दायर की थीं परन्तु बी०जे०पी० शिव सेना के सरकार के सत्ता में आने पर उन्होंने अपनी याचिकाएं वापिस ले ली किन्तु शीला बरसे ने नहीं ली थी। वह इस जनहित याचिका पर पहले ही एक लाख रुपया व्यय कर चुकी हैं।

मेरा अनुरोध यह है कि केन्द्र सरकार इस मामले पर सक्रिय रुख अपनाए। सरकार को इस जनहित याचिका में पार्टी बनना चाहिए और इस मामले के त्वरित निपटान के लिए कोशिश करनी चाहिए।

साथ ही इन बच्चों को कुपोषण और मौत से बचाने के लिए इन बच्चों के लिए कुछ विशेष पोषण और स्वास्थ्य योजनाएं शुरू की जानी चाहिए ताकि सबसे पुरानी जनजातियों में से एक कोरकूज जनजाति को समाप्त होने से बचाया जा सके। मैं समझता हूं कि पूरा सदन इस बात का समर्थन करेगा।

प्रो० जितेन्द्र नाथ दास (जलपाईगुड़ी) : सभापति महोदय, मै सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि ए०आई० एफ०यू०सी०टी०ओ० के झंडे तले कॉलेजों और विश्वविद्यालय के लगभग 10,000 अध्यापकों ने लम्बे समय से चली आ रही अपनी समुचित मांगों के समर्थन में 18.3.1997 को नई दिल्ली में जन्तर-मन्तर पर धरना दिया। लगभग चार साल पहले प्रो०आर०पी० रस्तोगी की अध्यक्षता में पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट से संबंधित वेतनमानों में संशोधन की मांग सहित इन मांगों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक समिति गठित की गई थी लेकिन इस संबंध में कुछ नहीं किया गया है। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस मामले पर गौर करे ताकि पूरे देश के कालेजों और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों की निम्नलिखित मांगों को अविलंब पूरा किया जा सके।

1. शिक्षा के लिए, विशेष रूप से उच्च शिक्षा के लिए, आवंटन में वृद्धि करना।
2. प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य बनाकर अपने संविधान की मर्यादा बनाए रखना।
3. उच्च शिक्षा का निजीकरण रोकना और इस संबंध में कानून बनाना।
4. पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के बाद कालेजों और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के लिए नए वेतनमान शुरू करना; और
5. पार्टटाइम, कंट्रेक्च्वल और पीस-रेट अध्यापकों को उचित महत्व और न्याय देना।

श्री संतोषमोहन देव (सिल्चर) : श्री जेना जी, कृपया मेरी बात सुनिए। महोदय, 150 आतंकवादी ए०के० 47 राइफलों और अन्य गोली बारूद के साथ बंगला देश से दिन दहाड़े मेरे निर्वाचन क्षेत्र में घुस आए हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क से वे एन०सी० पहाड़ियों पर चले गए हैं। वे उसी मार्ग से गए जिससे फिजो बंगलादेश गए थे। असम के मुख्य मंत्री ने यह बात विधान सभा में स्वीकार की है लेकिन उन्होंने कहा है कि इसके लिए केन्द्र सरकार, सीमा सुरक्षा बल और सेना को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए क्योंकि सीमा की रखवाली करना उनकी जिम्मेदारी है। मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा हूं।

मैं सरकार से केवल यह अनुरोध कर रहा हूं कि सेना और सीमा सुरक्षा बल को यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित रूप से सावधान किया जाए कि 150 लोगों का गोली बारूद लेकर ऐसे स्थानों पर आने की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं चाहिए जहां पर कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं है। बराक घाटी में उल्फा कार्यकर्ताओं के न होने से वहां सीमा सुरक्षा बल के कर्मी भी तैनात नहीं हैं। यहां पर 'इंदिरा गांधी आईलैंड ऑफ पीस' की भांति शांति है। आज भी इस द्वीप में शान्ति है। अतः मैं माननीय गृह मंत्री से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं कि असम यूनीफाइड कमांड हो। असम सरकार इस बात के लिए सहमत है कि सेना सीमा सुरक्षा बल का नेतृत्व करेगी और मिलकर काम करेंगें।

इस संदर्भ में केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो ने मुझ से सीमावर्ती क्षेत्रों में न जाने के लिए कहा है क्योंकि वहां कुछ भी हो सकता है। मैं सीमावर्ती क्षेत्रों में नहीं जा रहा हूं लेकिन क्या हो रहा है ? वह क्या कार्रवाई कर रही हैं ? मैं असम सरकार के विरुद्ध कुछ भी नहीं कह रहा हूं, मैं केन्द्र सरकार के विरुद्ध कुछ भी नहीं कह रहा हूं। मेरा कहना है कि सरकार को गृह मंत्री या गृह सचिव को सेना बुलाने के लिए कहना चाहिए और सेना को सतर्क करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित करने के लिए सीमा पर चौकसी कड़ी कर दें कि ऐसी घटना फिर से न हों त्रिपुरा में ऐसा हो रहा है, लोग वहां आकर समस्याएं उत्पन्न करके वापस चले जाते हैं। असम के अन्य भागों में भी ऐसा हो रहा है। अतः मैं आपका ध्यान इस ओर गौर करने के लिए आकर्षित करता हूं।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : सभापति महोदय, उत्तराखण्ड पृथक राज्य के विषय में सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है। इस चर्चा से उम्मीदें की जा रही थी कि 31 मार्च से पहले-पहले केन्द्रीय सरकार उत्तराखण्ड का गठन करने जा रही है। इस संबंध में माननीय प्रधान मंत्री जी ने लाल किले से पुनः 16.3.97 को एक बयान दिया है और उसके माध्यम से आश्वासन देकर मामले को लम्बा लटकाना चाहा है कि उत्तराखण्ड राज्य का निर्माण उत्तर प्रदेश की विधान सभा गठित होने के बाद उसके पास विधेयक भेजा जाएगा और उसके अगले ही दिन उत्तराखण्ड का निर्माण किया जाएगा। इस संबंध में माननीय वित्त मंत्री जी 15.3.97 को सदन में एक बयान दे चुके हैं। मैं आपके माध्यम से यह आग्रह करना चाहूंगा कि सदन को और पूरे देश को केन्द्रीय सरकार द्वारा, माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा और वित्त मंत्री द्वारा गुमराह करने की कोशिश की गई है। वास्तविकता यह है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में प्रावधान है कि स्टेट लैजिस्लेटिव एसेम्बली के पास प्रस्ताव भेजा जाएगा, लेकिन इसका एक्सैप्शन मौजूद है। लोकसभा की प्रोसीडिंग्स में मेन्युअल ऑफ कास्टीचूशन में एक्सैप्शन दिया है। उसमें लिखा है :–

[अनुवाद]

"हिमाचल प्रदेश और विलासपुर के मामले के अलावा नया राज्य विधेयक तथा पंजाब पुनर्गठन विधेयक, 1966, चूंकि पंजाब में राष्ट्रपति शासन था, और पंजाब विधान सभा से संबंधित नियम 3 के परन्तुक के प्रावधान राष्ट्रपति द्वारा नए राज्य के संबंध में अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत जाति उद्घोषणा के अन्तर्गत निरस्त थे।"

मैं कहना चाहता हूं कि आज जब वहां असेंबली ससपेंडेड है और सारे लेजिसलेटिव अधिकार पार्लियामेंट के पास अधिकार विद्यमान हैं, पंजाब और हिमाचल प्रदेश का एक्सैप्शन मौजूद है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसको वहां भेजा जाएगा। मेरी पुरजोर मांग है कि विधेयक संसद में लाया जाए। उत्तराखण्ड में जगह-जगह आन्दोलन हो रहे हैं और इस मामले को बहुत दिनों तक लटकाए नहीं रखा जा सकता है। मामला बहुत गम्भीर है, लेकिन देश के रक्षा मंत्री झांसी में जाकर कहते हैं कि अगर उत्तराखण्ड बन गया, तो रूस की तरह देश के टुकड़े हो जायेंगे और कलकत्ता में कहा गया है कि देश की एकता और अखण्डता के लिए उत्तराखण्ड बनना घातक है। हमारे मार्कसिस्ट मित्र सीधे-सीधे कहते हैं कि इससे देश की अखण्डता खतरे में पड़ेगी। मामला बहुत गम्भीर है और संवेदनशील विषय है। वहां बहुत अत्यचार हुए हैं। इसलिए तत्काल 31 मार्च से पहले पहले उत्तराखण्ड की स्थापना की जाए और इस संबंध में माननीय प्रधान मंत्री जी वक्तव्य दें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपको बोलने का अवसर मिलेगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : वह असम के रहने वाले हैं। वह कुछ कहना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (फिरोज़पुर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से फिरोजपुर, गुरुदासपुर और अमृतसर जिलों की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। ये जिले पाकिस्तान की सीमा के साथ लगे हुए हैं। पंजाब के अन्दर लगभग दस साल पहले बार्डर फैंसिंग लगाई गई थी। केन्द्रीय सरकार की पालिसी थी कि जहां पर बार्डर टेड़ा-मेड़ा है, वहां बार्डर से पचास गज पीछे और जहां बार्डर सीधा है, वहां 150 गज पीछे हट कर तार लगाया जाएगा। लेकिन जो तार लगानें वाली एजेंसियां थी उन्होंने 50 और 150 गज की दूरी की छोड़ कर दो-दो, तीन-तीन किलोमीटर तार बार्डर से पीछे लगाई। जिसकी वजह से किसानों की हजारों एकड़ जमीन तार के आगे चली गई है। वहां तार में से दो-दो किलोमीटर दूरी पर गेट रख हुए हैं। उनको अपने काम पर जाने के लिए आइडेंटिटी कार्ड दिखा कर सुबह-शाम गुजरना पड़ता है। वहां वे आइडेंटिटी कार्ड चैक कराते हैं। बार्डर फैंसिंग में सरकंडा उगता है, उसके लिए बी०एस०एफ० वाले बेगार लेते हैं। तार में से जो सरकंडा नहीं निकालता उनको गेट पर दो-दो घंटे इंतजार करना पड़ता है। इस तरह के लोगों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। फैंसिंग में से जो घास निकलता है उसको आगे जाने दिया जाता है। गर्यनमेंट ने यह भी पालिसी बनाई थी कि जिनकी जमीन कांटेदार तार के आगे हैं उन किसानों को दो सौ रुपए पर एकड़ के हिसाब से गवर्नमेंट कम्पनसेट करेगी, लेकिन जिन किसानों की जमीन हजारों एकड़ कांटेदार तार के आगे हैं उनको अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई कम्पनसेशन नहीं दिया गया है।

सभापति महोदय, हमारी सरकार से मांग है कि यह तार गलत तरीके से लगाई गई है, यह तार बार्डर पर लगानी चाहिए और जो पालिसी बनाई थी उसी पालिसी अनुसार लगनी चाहिए थी। लेकिन इस पालिसी को एक तरफ रख कर तार अपनी मर्जी से लगाई गई, जिसके कारण किसानों को सुबह-शाम परेशान होना पड़ता है। ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय, यह बार्डर की समस्या है। हमारे जो एम्पलाइज़ बार्डर पर काम करते हैं, 1992 में हमारे श्री एस०बी० चव्हाण, गृह मंत्री थे जो अब राज्यसभा के माननीय सदस्य हैं, उन्होंने बार्डर के एम्पलाइज़ को कम्पनसेशन एलाउंस देने का वायदा किया था। *(व्यवधान)*

सभापित महोदय : जीरो ऑवर में आप संक्षिप्त रूप से अपनी बात कह सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह : महोदय, यह बार्डर के एम्पलाइज़ की समस्या है इसलिए मेरा कहना है कि तुरंत इनकी समस्या का समाधान किया जाए। ... *(व्यवधान)*

श्री रामसागर (बाराबंकी) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोक महत्व के प्रश्न को उठाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में खास तौर से महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा का प्रबन्ध नहीं है। 1993-94 में सरकार ने यह फैसला लिया था कि

[श्री रामसागर]

उत्तर प्रदेश के जनपदों में जिन भी इलाकों में बालिकाओं के लिए उच्च शिक्षा का इंतजाम नहीं है, वहां पर सरकार दस लाख रुपया देकर इंटर मीडिएट बालिका इंटर कालेज की स्थापना करेगी। उसमें यह कहा गया था कि दो किश्तों में पैसा दिया जाएगा। जहां पर ये खोले गए हैं वहां पर एक किश्त सरकार ने रिलीज़ कर दी है लेकिन जो दूसरी किश्त है वह अब तक रिलीज नहीं हुई है। इस कारण से बालिकाओं के इंटर कालेज के निर्माण का काम बाधित हो गया है और जो बन चुके हैं उनको भी क्लास चलाने की अनुमति नहीं मिल पा रही है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि यह जो कार्य बाधित हुआ है इसको पूरा कराने के लिए दूसरी किश्त भी दी जाए, क्योंकि यह बालिकाओं की शिक्षा का सवाल है और पूरे प्रदेश का सवाल है। जहां पर कालेज बन गए हैं उनमें क्लास चलाने की अनुमति सरकार दे। मैं भारत सरकार से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन है और इनकी भी जिम्मेदारी है कि बालिकाओं की शिक्षा की जो समस्या है उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित करें। यह जो बालिका इंटर कालेजों की स्थापना हुई थी उनका पूरी तरह से निर्माण किया जाए और वे इंटर कालेज फिर से चलाये जाएं तथा जल्दी चलाये जाएं। ···*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती कृष्णा बोस (जादवपुर) : महोदय, मैं सभा का ध्यान मेटल बॉक्स (इंडिया) लिमिटेड के मजदूरों की लम्बे समय से चली आ रही तकलीफों की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। यह काफी समय से बंद है और इसके मजदूर कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। कलकत्ता एकक लगभग 10 वर्ष से बंद है। अनेक मजदूरों की मृत्यु हो गई है मरने वाले लोगों की सही संख्या 127 है। अब औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने जून 1996 में पुनर्वास के लिए पैकेज की घोषणा की है। तब से नौ महीने बीत गए हैं और वह पैकेज कार्यान्वित नहीं किया गया है। इस वर्ष फरवरी में यह मामला औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में उठा था लेकिन उस पर चर्चा पूरी नहीं हो सकी। अब औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड और ए०आई०एफ०आर० जैसे संस्थान इन बीमार इकाइयों और कठिनाइयों का सामना कर रहे कामगारों की सहायता के लिए हैं। यह खेद और चिन्ता का विषय है कि निर्णय लेने में इतना अधिक समय लगता है और निर्णय लेने पर वे कार्यान्वित नहीं होते हैं और मजदूरों की कठिनाइयां बनी रहती हैं।

***श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा** (दावणगेरे) : सभापति महोदय, मैं कर्नाटक का रहने वाला हूं। अतः मैं कन्नड़ में बोलना चाहता हूं। भारत सरकार की ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, आई०आर०डी०पी०, गंगा कल्याण योजना जैसी योजनाएं और अन्य कार्यक्रम हैं। ग्रामीण लोगों के लिए पेय जल उपलब्ध कराने के लिए एक पृथक कार्यक्रम है। उक्त कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए पंचवर्षीय योजना से धन उपलब्ध कराया जाता है। केन्द्र इन कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त धनराशि भेज रहा है। दुर्भाग्य से जिला पंचायत कर्मचारी, विधायक और कुछ स्थानीय व्यक्ति इस निधि के उपयोग के तरीकों के बारे में निर्णय लेते हैं। वह लोक सभा और राज्य सभा के सदस्यों से परामर्श नहीं करते हैं। मेरे क्षेत्र के चार संसद सदस्य हैं और स्थानीय प्राधिकारियों ने उनमें से किसी को भी विश्वास में नहीं लिया है। निधि के उपयोग का यह गलत तरीका बंद होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों के अनेक विकास कार्यक्रमों में लोक सभा में जन प्रतिनिधियों और राज्य सभा के सदस्यों की भूमिका होनी चाहिए।

हरीहर जिले में बेलुल्ली गांव में हाल ही में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की लगभग 60 झोंपड़ियां जला दी गई थी। हमने केन्द्र सरकार से उन लोगों के लिए इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत मकानों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया था। सरकार ने अभी तक उस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। हमने इस मामले के संबंध में माननीय योजना मंत्री श्री योगेन्द्र कुमार अलघ को अभ्यावेदन भेजे हैं। हमने माननीय प्रधान मंत्री जी से भी अनुरोध किया है कि जिन लोगों की झांपाड़ियां जल गई हैं उनके लिए घरों के निर्माण के लिए धन उपलब्ध कराया जाए।

मुझे उम्मीद है कि केन्द्र सरकार इस मामले की तात्कालिकता महसूस करेगी। और उपरोक्त सभी कार्यक्रमों के लिए धन जारी करेगी। महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और इन्ही शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : आपको जो करना है करिये ···*(व्यवधान)* मंत्री जी को बता दीजिए कि उन्हें क्या करना है। ···*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : शून्यकाल में जो कुछ कहा गया है, मंत्री जी ने उस पर ध्यान दिया है।

(व्यवधान)

श्री उधव बर्मन (बारपेटा) : महोदय, मेरे सहयोगी श्री संतोष मोहन देव पहले ही इस मुद्दे को उठा चुके हैं। यह एक बहुत ही गंभीर मामला है कि उल्फा, एन०एस०सी०एन० और पी०एल०ए० के 150 लोग पहले ही बंगलादेश सीमा से असम में प्रवेश कर चुके हैं। बाहरी लोग पूर्वोत्तर क्षेत्र में अनेक समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं। असम के मुख्य मंत्री जी प्रफुल्ल कुमार महन्त ने भी स्वीकार किया है कि ये लोग असम में प्रवेश कर गए हैं। अतः मैं गृह मंत्रालय से पूछता हूं कि उग्रवादियों से वार्ता के प्रयास जारी रखते हुए सरकार को अन्य प्रभावी उपाय भी करने चाहिए ताकि एस क्षेत्र में जानमाल की रक्षा की जा सके और साथ ही देश की एकता और अखण्डता बनाए रखी जा सके।

श्री संतोष मोहन देव : मंत्री जी को इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए।

श्री श्रीकान्त जेना : माननीय सदस्य और श्री संतोष मोहन देव

*मूलतः कन्नड़ में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

द्वारा उठाए गए मुद्दे से मैं माननीय गृह मंत्री जी को आज अवगत करा दूंगा। मैं उनसे इस संबंध में तत्काल और उचित कार्रवाई करने का अनुरोध करूंगा।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से अराजकता बढ़ रही है, उसको लेकर सब लोगों ने मामला उठाया। इसके बारे में सरकार की तरफ से जवाब आना था लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया।

सभापति महोदय : मैंने उनसे यह कहा था कि इस बात को नोट करना है।

कुमारी उमा भारती : नोट करने से क्या होगा ?

सभापति महोदय : वह मिनिस्टर को कनवे कर देंगे।

कुमारी उमा भारती : वहां मर्डर होते रहेंगे, लूट होती रहेगी, सांसदों को सताया जाता रहेगा और सरकार नोट करती रहेगी।

सभापति महोदय : संबंधित गृह मंत्रालय को इस बारे में बता दिया है।

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : मैंने इसे पहले ही नोट कर लिया है। पीठासीन अधिकारी ने जो टिप्पणी की है उससे मैं सम्बद्ध मंत्री को अवगत करा दूंगा।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप निश्चित रहिए, वह तो हो जाएगा।

[अनुवाद]

कुमारी उमा भारती : मैं माननीय पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी का आदर करती हूं।

[हिन्दी]

श्री लालमुनी चौबे (बक्सर) : यहां जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उससे सदन की अवमानना होती है ···*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : हो या न हो, लेकिन इसको संबंधित मंत्रालय में पहुंचना जरूरी है, वह पहुंचा देंगे।

[अनुवाद]

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : महोदय, मैं सभा का ध्यान उन मुद्दों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिन्हें मैं गत दो सत्रों में भी उठाता रहा हूं। यहां यह उक्ति चरितार्थ होती है कि न्याय मिलने में विलम्ब होना न्याय से वंचित करना है। अभी भी यहां हजारों लोग हैं जो जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं और जिन्हें 1987 के टाडा अधिनियम के अंतर्गत नजरबंद किया गया है। वस्तुतः 1987 का यह अधिनियम 23 मई, 1995 को ही व्यपगत हो गया था। ···*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री अहमद जी, यह मसला पहले ही उठाया जा चुका है।

(व्यवधान)

श्री ई० अहमद : मैं सिर्फ दो मिनट का समय लूंगा। *(व्यवधान)*। महोदय, मुझे यह मामला उठाने का अधिकार है। हजारों लोग जेलों में पड़े हुए हैं। उनके मामलों की समुचित रूप से जांच नहीं की गयी है, उनके खिलाफ समुचित ढंग से मुकदमा नहीं चलाया गया है और उनकी उचित देखभाल नहीं की गयी है। ···*(व्यवधान)* महोदय, यह सब क्या है ?

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान उत्पन्न न करें।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह (विदिशा) : सभापति महोदय, यह मामला बार-बार उठाया जाता रहा है। यह इसे कब तक उठाते रहेंगे ···*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप इसी तरह से कहेंगे तो न उनको बोलने का चांस मिलेगा और न ही आपको मिलेगा। ऐसे ही सभी करते रहेंगे।

[अनुवाद]

श्री ई० अहमद : महोदय मैं एक मुद्दा उन निर्दोष लोगों के विषय में उठा रहा हूं जो अभी भी टाडा, जो कि व्ययगत हो चुका है के अधीन जेलों में पड़े हुए हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि उनपर मुकदमा चलाया जाये और दोषी पाये जाने पर दण्डित किया जाये अथवा यदि वे दोषी नहीं पाये जायें तो उन्हें रिहा कर दिया जाये। उनका मुकदमा उचित न्यायालय में नहीं चलाया जा रहा है। उनके मामलों की सही ढंग से जांच नहीं हो रही है। पुनरीक्षा समिति, जो इसके लिये गठित की गयी थी ने भी अच्छी तरह कार्य नहीं किया है। अतः मैं माननीय मंत्री से एक वक्तव्य, जिसके लिये उन्होंने पहले ही आश्वासन दिया था, देने की मांग करता हूं।

श्री जी०एम० बनातवाला (पूर्नानी) : महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने इस विषय पर वक्तव्य देने का वचन दिया था, परन्तु वक्तव्य अभी तक नहीं आया है। वह वक्तव्य कब आयेगा। हमें माननीय संसदीय कार्य मंत्री से पूछना चाहिये कि वह वक्तव्य कब आयेगा। टाडा के अन्तर्गत हिरासत में लिये गये व्यक्तियों के विषय में यह आश्वासन सभा के समक्ष गत सप्ताह दिया गया था ···*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैंने श्री यादव को बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री बनातवाला, इस मामले को अहमद ने पहले ही उठाया है।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : मैं सपोर्ट करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

[अनुवाद]

श्री जी०एम० बनातवाला : यदि आप मेरा समर्थन कर रहे हैं तो, मैं इसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं। पर यह वक्तव्य कब आ रहा है ?

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : सभापति जी, मैं काफी चाहता हूं। आपने पप्पू यादव को बुला लिया था, लेकिन यह इतना अर्जेंट मामला है कि मुझे महसूस हुआ कि मैं इस पर कुछ कहूं। मैं इस पर दो-चार वाक्य कहना चाहता हूं। टाडा वला मामला पहले भी कई बार सदन में उठाया जा चुका है। टाडा में कई इनोसैंट लोग बंदी हुए थे। उत्तर प्रदेश में जब मुलायम सिंह जी की सरकार थी तो टाडा केसिज में जो लोग बंदी थे, वे छोड़ दिए गए थे। इससे वहां कोई इतनी ज्यादा एंटी-नैशनल एक्टिविटीज नहीं बढ़ी थी। जो लोग टाडा में बंदी हैं, मैं उनके लिये नहीं कह रहा लेकिन खासकर महाराष्ट्र में जो लोग पीड़ित हैं, वहां के पीड़ित लोगों को राहत देने के लिये वहां की सरकार से बात करनी चाहिये। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर पश्चिम) : महोदय, उन्होंने महाराष्ट्र का उल्लेख किया है। कृपया मुझे बोलने की अनुमति दीजिये।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : सभापति महोदय, यह ठीक नहीं है। मैं बोल रहा हूं और ये लोग खड़े हो गये हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह उचित तरीका नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : सभापति जी, इसमें इतना ही सवाल है कि यहां बताया गया था कि होम मिनिस्टर स्टेटमेंट दें और इस निकम्मी सरकार के होम मिनिस्टर स्टेटमेंट नहीं कर रहे हैं। यह पूछिये कि स्टेटमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं ? इनको स्टेटमेंट देने के लिये कहिये।

[अनुवाद]

श्री द्वारका नाथ दास (करीमगंज) : कृपया मुझे बोलने का अवसर दिया जाये।

सभापति महोदय : श्री पप्पू यादव के बाद मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : जीरो ऑवर है, उनको भी चांस दिया है।

श्री शरद यादव : सभापति जी, भारत के गृह मंत्री और सरकार को

सभापति महोदय : आप कहना क्या चाहते हैं ?

श्री शरद यादव : इस सवाल को इस सदन में बार-बार उठाते हैं। इसका किसी न किसी रूप में एक बार समाधान करना चाहिये और जहां भी अकारण थाने में उठाकर बंद कर दिया गया है, ऐसे निर्दोष टाडा बंदियों को छोड़ने के बारे में सरकार को तत्काल कदम उठाना चाहिये और इस सरकार को सख्ती के साथ कदम उठाना चाहिये। *(व्यवधान)*

श्री विनय कटियार (फैजाबाद) : सभापति जी, ये बार-बार समय बर्बाद करते हैं। संयुक्त मोर्चा की रोज़ मीटिंग होती है। इनको ही निर्णय करना है। ये बार-बार महाराष्ट्र की ओर संकेत करते हैं। जब केन्द्र में इनकी सरकार है तो क्यों नहीं निर्णय लेते और हर रोज़ सदन में इस बात को उठाकर समय बर्बाद कर रहे हैं। ये इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या यह अपराधियों को बचाने का प्लेटफार्म है *(व्यवधान)* सभापति महोदय, जब सरकार इनकी है तो क्यों नहीं इस सदन में चर्चा के लिये ले आते ? सत्ता पक्ष द्वारा बार-बार इस बात को यहां उठाना अच्छी बात नहीं है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैने उन्हें बोलने की अनुमति दी है।

[हिन्दी]

श्री राजेश रजंन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : सभापति महोदय, मैंने बिहार के नौगछिया के मामले में नोटिस दिया है।

[अनुवाद]

श्री जी०एम० बनातवाला : वक्तव्य कब दिया जायेगा ? *(व्यवधान)* इस मामले को कमजोर न बनाया जाये। माननीय मंत्री महोदय ने इस विषय पर वक्तव्य देने का वचन दिया था। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया मंत्री जी की बात सुनिये।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, उस रोज़ भी सरकार ने साफ तौर पर कहा था कि केन्द्र सरकार टाडा के अन्तर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों के मामलों की समीक्षा करेगी। माननीय प्रधान मंत्री और गृह मंत्री ने साफ कहा था कि इसकी समीक्षा की जायेगी, और चाहे यह मामला महाराष्ट्र का हो अथवा गुजरात का, केन्द्र सरकार टाडा के अन्तर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों के मामले की समीक्षा करेगी।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : सभापति जी, बिहार के नौगछिया

में समस्ठी नाम के लड़के को क्रिमिनलों ने गोली मार दी और उसकी हत्या हो गई। उसके बाद जब वर्कर्स धरने पर बैठे थे, तो नौगछिया की पुलिस ने फायरिंग करके वर्करों पर गोली चलाई और हालत यह है कि नौगछिया से लेकर बरौनी, औरंगाबाद में जहां पर भी वर्कर्स धरने पर बैठे थे, सब पर लाठी चली, गोली चली और वहां की हालत यह है कि बाजार बंद हैं, सड़कें बंद हैं, पेट्रोल पंप बंद हैं। *(व्यवधान)* यह मामला बिहार सरकार का नहीं है। वहां के एस०पी० और डी०एम० का मामला है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह मामला स्टेट के लो एंड ओर्डर का है। इसको पार्लियामेंट में नहीं रखना चाहिए।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : बिहार में लो एंड ओर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। बरौनी में हमारे जिलाध्यक्ष गयासुद्दीन अंसारी और युवजन सभा के राज्याध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया। पटना में रेवोल्वर से लोगों को मारा। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह तो स्टेट सबजेक्ट है। यह नहीं चल सकता।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : स्टेट में कोई सुनने वाला नहीं है। यह लो एंड ओर्डर का सवाल है और उस पर आप कह रहे हैं कि यह स्टेट सबजेक्ट है। आप कुछ नहीं कहेंगे तो हम लोग अपनी बात कहां कहेगे ? वहां लाठी और गोली चल रही है। छः दिन से बिहार बंद है, पेट्रोल पंप और दुकानें बंद हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : यह स्टेट सब्जेक्ट है। यह राज्य सरकार का मामला है। इसको यहां नहीं उठा सकते।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

**(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप बैठिये। मैं उनसे बात कर रहा हूं। आप क्यों बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : महोदय, कृपया मुझे सुरक्षा प्रदान की जाये। *(व्यवधान)* कृपया मेरी मदद कीजिये।

[हिन्दी]

गुण्डे मुझे धमकी दे रहे हैं और एस०पी० तथा कलेक्टर मेरी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। गृह मंत्री तथा प्रधान मंत्री को मैंने कई बार पत्र लिखा है। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। सरकारी मेरी सुरक्षा की व्यवस्था करे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय मंत्री यह नोट करें कि माननीय सदस्य को सुरक्षा प्रदान की जाये।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : पप्पू यादव जी ठीक कह रहे हैं। बिहार में लो एंड ओर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप इस विषय में पहले ही बता चुके हैं। क्या आप इसपर कुछ और कहना चाहेंगे ?

श्री मधुकर सरपोतदार : मैं सिर्फ सुन रहा था। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अब आप बोल रहे हैं। इतने सीनियर मेम्बर होते हुए आप ऐसे बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : ज़ीरो अवर पर एक ओरियेण्टेशन कोर्स करवाएं ताकि मेम्बर्स को पता चले कि ज़ीरो अवर क्या है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : उससे भी हालत नहीं सुधरेगी।

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार : अध्यक्ष महोदय, मैं इसे सुन रहा हूं अनेक अवसरों पर कुछ वर्ग के लोगों ने टाडा कैदियों की रिहाई की मांग की है *(व्यवधान)*

अपराह्न 1.00 बजे

टाडा के अधीन कैदियों की रिहाई की मांग की गई है। इस

[श्री मधुकर सरपोतदार]

मामले पर अनेक अवसरों पर सदन में भी चर्चा की गई थी। हर बार महाराष्ट्र की ओर इशारा किया जाता रहा है। मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि सैकडो व्यक्ति बम विस्फोट में मारे गए हैं और सैकडो व्यक्ति अपंग हो गए हैं। वे मुम्बई शहर और महाराष्ट्र में पूर्णतः बेसहारा हो गए हैं। किसी ने भी मुम्बई शहर से बम विस्फोट से प्रभावित लोगों के प्रति सहानुभूमि नहीं दिखाई है। लेकिन जो गिरफ्तार किए गए है उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में भारी मांग होती रही है कि उन्हें रिहा किया जाए। यदि वे निर्दोष हैं तो मैं इस बात पर जोर नहीं देता कि उन्हें बंदी बनाए रखा जाए। लेकिन उनके मामले विचाराधीन हैं। जब टाडा में नियमित सुनवाई होगी और सुनवाई हो रही है, मुझे लगता है कि उनकी रिहाई के लिए इस सम्मानीय सभा के माध्यम से मामले पर दवाब डाला गया है। इस देश में आई०एस०आई० की अनेक गतिविधियां चल रही हैं। विगत में भी मैंने इस अत्यंत महत्वपूर्ण मामले को यह कहते हुए उठाया था कि श्री ठाकरे के जीवन को सीधा खतरा था और दाऊद ने इस कार्य के लिए 9 करोड़ रुपए लिए हैं। कल, मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश में तथा सम्पूर्ण देश में आई०एस०आई० एजेंट सक्रिय हैं और सब जगह समस्याएं पैदा कर रहे हैं। एक भी व्यक्ति ने इसे नहीं उठाया है।

सभापति महोदय : आप सरकार को क्या बताना चाहते हैं ?

श्री मधुकर सरपोतदार : मैं यह कहना चाहता हूं कि उनके मामले टाडा न्यायालय में विचराधीन हैं ···*(व्यवधान)*। मेरी अपील यह है कि जब जांच चल रही है तो इन कैदियों को टाडा न्यायालय द्वारा रिहा नहीं किया जाना चाहिए ·*(व्यवधान)*

श्री जी०एम० बनातवाला : टाडा के कारण ही अनेक निर्दोष व्यक्ति बंदी बने हुए हैं ··*(व्यवधान)*

श्री कमरुल इस्लाम (गुलबर्गा) : यहां अनेक ऐसे निर्दोष व्यक्ति भी हैं जिनके विरुद्ध आरोप पत्र दायर नहीं किए गए हैं और वे अभी भी जेल में बंद हैं ··*(व्यवधान)*।

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : सभापति महोदय, बनातवाला जी, आई०एस० आई० का समर्थन कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वे उनके समर्थक है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

[अनुवाद]

श्री जी०एम० बनातवाला : 'टाडा' एक अलोकतांत्रिक कानून है। आप देश के साधारण आपराधिक कानून की सहारा ले सकते हैं ···*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : सभापति जी, आई०एस०आई० को संरक्षण देने का काम उधर से हो रहा है और सदन के समय को बरबाद किया जा रहा है। इस पर एक बार चर्चा हो जानी चाहिए लेकिन रोज-रोज सदन का समय नष्ट नहीं होना चाहिए और जो टाडा के दोषी लोग हैं उनको दंड जरूर मिलना चाहिए।

सभापति महोदय : इसीलिए मिनिस्टर ने रिव्यू करने के लिए कहा है।

[अनुवाद]

श्री द्वारका नाथ दास बोलें।

श्री द्वारका नाथ दास (करीमगंज) : 17 तारीख को 25 विद्रोहियो ने बराक घाटी मे प्रवेश किया और नागालैंड, मणिपुर और उत्तरी कचार पहाड़ियों में चले गए। बराक घाटी की शांति और सुरक्षा को खतरा है। भारत सरकार को इस मामले पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए ···*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : बनातवाला जी, मंत्री जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वे इसकी समीक्षा करेंगे, आप इसे पुनः क्यों उठा रहे हैं ?

श्री जी०एस० बनातवाला : मुद्दा यह है कि टाडा कानून अलोकतांत्रिक है। इसका अत्यधिक दुरुपयोग हुआ है ···*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैंने श्री द्वारका नाथ दास को बोलने के लिए कहा है।

श्री द्वारका नाथ दास : असम में सैकडों गावों में विद्युतीकरण किया जाना है ···*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : इसीलिए मिनिस्टर ने रिव्यू करने के लिए कहा है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री द्वारका नाथ दास : मेरे चुनाव क्षेत्र करीमगंज में अनेकों ऐसे गांव है जहां विद्युतीकरण की सुविधा का अभी तक बिस्तार नहीं हो पाया गया है। इसके अलावा, दक्षिणी असम में हैवी लोड शैडिंग है और लोड शैडिंग अभी भी जारी है। मैं भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि असम में, विशेषरूप से दक्षिणी असम में अनु०जा०/अनु०ज०जा० वाले गांवों में विद्युतीकरण का विस्तार करें। साथ ही मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि अदमतला और बासकंडे गैस पर आधारित परियोजनाओं को चालू किया जाए ताकि भारी लोड शैडिंग की स्थिति को शीघ्र समाप्त किया जा सके।

[हिन्दी]

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा) : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक महत्पूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता

हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश मे मीणा जाति के कई लाख लोग रहते हैं और मेरे जनपद बुलन्दशहर में उनकी संख्या लगभग 6 लाख है जो 161 गांवों में बसे हैं। ये मीणा जाति के लोग राजस्थान से आकर उत्तर प्रदेश में बसे हैं। राजस्थान में इस जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया है लेकिन उत्तर प्रदेश में इन्हें वैसी कोई सुविधा नहीं मिल रही है जिससे उनमें भारी रोष है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1993-94 में इस जाति को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को रैफर किया था, उसमें सर्वे रिपोर्ट भी लगी हुई है लेकिन आज तक केन्द्र सरकार ने इस मामले पर कोई ध्यान नहीं दिया, कोई निर्णय नहीं लिया जिसके कारण आज तक इस जाति के कई लाख लोग उन सारी सुविधाओं से वंचित हैं, जिसके वे अधिकारी हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार इस मामले में तुरन्त कार्यवाही करे और मीणा जाति को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करके इन लोगों को तुरन्त वे सारी सुविधाएं उपलब्ध कराए जो राजस्थान में इन्हें मिल रही हैं। इस संबंध में पहले कई बार प्रश्नों के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता रहा है और हर बार सरकार की ओर से यही कहा जाता है कि हम उचित कार्यवाही कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस मामले पर सरकार को विशेष निर्देश दें कि मीणा जाति को अविलम्ब अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया जाए और वे तमाम सुविधाएं दी जाएं जो अनुसूचित जातियों के दूसरे लोगों को मिलती हैं। ···*(व्यवधान)*

श्री छत्रपाल सिंह (बुलन्दशहर) : मुझे भी इसी सब्जैक्ट पर कुछ निवेदन करना है।

सभापति महोदय : नहीं। आप बैठिए। उन्होंने जो कुछ कहना था, कह दिया।

(व्यवधान)

श्री छत्रपाल सिंह : पूरे उत्तर प्रदेश में मीणा जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल न किए जाने के कारण, उनके साथ ज्यादती हो रही है ···*(व्यवधान)* इस जाति को तुरन्त अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाना चाहिए।

श्री विजय गोयल (सदर दिल्ली) : सभापति जी, समय देने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आज लोगों के बीच हम संसद-सदस्यों की जो छवि बन रही है, छवि गिरी है, संसद्-सदस्यों की प्रतिष्ठा गिरी है, विश्वसनीयता खत्म हुई है, उसे देखते हुए, मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि लोक सभा में शीघ्र एक आचरण समिति या एथिक्स कमेटी की घोषणा की जाए।

आज अखबारों में, न्यायालयों में, चौक-चौराहों पर, सभी जगह संसद्-सदस्यों की चर्चा हो सकती है, उन पर उंगली उठ सकती है, उन पर डाउट किया जा सकता है, किसी भी संसद्-सदस्य के बारे में कहा जा सकता है कि वह सर्वकला-पारंगत हो सकता है लेकिन अपने सदन में अभी तक कोई ऐसी समिति न बनी हो, यह ठीक नहीं है। सभापति जी आप विशेष रूप से अखबारों में देखिए, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा का मामला हो, उसमें संसद्-सदस्य इनवौल्व हैं, फर्जी हस्ताक्षरों से संबंधित सैंट किट्स का मामला हो, उसमें संसद्-सदस्य इन्वौल्व हैं, चाहे रिश्वत और भ्रष्टाचार के मामले हों, उनमें संसद्-सदस्य इन्वौलव हैं, चाहे धोखाधड़ी से संबंधित लखूभाई पाठक का मामला हो, उसमें संसद्-सदस्य इन्वौल्व हैं ···*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप कोई कान्ट्रोवर्सी क्रिएट किए बिना, अपने सब्जैक्ट पर बोलिए।

श्री विजय गोयल : जब सारी दुनिया संसद्-सदस्यों की चर्चा कर सकती है, लेकिन लोक सभा में उनके आचरण के संबंध में कोई समिति न बने, यह ठीक नहीं लगता। हर संस्था का अपना एक आंतरिक सिस्टम होता है, जिसके अंतर्गत उसे ठीक रखा जाता है, कंट्रोल किया जाता है। उसी तरह, मैं कहना चाहता हूं कि संसद्-सदस्यों के लिए, उनकी क्रैडिबिलिटी बनाए रखने के लिए, जिस तरह कम्प्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं, ओरियेन्टेशन प्रोग्राम चलाए जाते हैं, उसी तरह से संसद-सदस्यों के व्यवहार को देखने के लिए, उनके कंडक्ट को देखने के लिए, एक आचरण समिति का बनना बहुत आवश्यक है।

आज दुनिया के बड़े-बड़े देशों में, जैसे ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि में, आचरण समिति बनी है। राज्य सभा में इसी 5 मार्च को आचरण समिति की घोषणा हो चुकी है, जिसके सभापति चव्हाण साहब बनाए गए हैं। इसलिए मेरी आपके माध्यम से पुरजोर मांग है कि लोक सभा में भी आचरण समिति का गठन शीघ्र किया जाए। कहीं ऐसा न हो कि पूरी दुनिया के लोग हम संसद्-सदस्यों के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर दें और हम उनके आचरण की समीक्षा करने के लिए तैयार न हो ···*(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी : सभापति जी, हमारे सारण जिले में, बस में सवार 70 लोगों को दिन में 11.00 बजे लूट लिया गया ···*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री श्रीकांत जेना : महोदय, हम सभी आचरण समिति के गठन के मामले को वास्तव में बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। राज्य सभा में आचरण समिति का गठन राज्य सभा के सभापति द्वारा पहले ही किया जा चुका है।

इस मामले पर विगत में भी चर्चा की गई थी। दसवीं लोक सभा में सभी दलों के नेताओं के साथ हुई बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा की गई थी। मुझे आशा है, कि माननीय अध्यक्ष महोदय सभी नेताओं की एक बैठक बुला सकते हैं ताकि इस मामले पर सर्वसम्मति हो सके और हम इस मुद्दे पर किसी नतीजे पर पहुंच सकें।

इस विषय पर बोलते समय मैं सभी माननीय सदस्यों से केवल यह अनुरोध ही कर सकता हूं। मगर हम अपने आप को अनुशासनबद्ध नहीं रख सकते हैं, यदि एक माननीय सदस्य कुछ कहने के लिए खड़ा होता है और दस और माननीय सदस्य अपनी-अपनी बात कहने के लिए खड़े होते हैं तो इससे उनके व्यवहार का पता चलता है। लोगों का

[श्री श्रीकांत जेना]

दूरदर्शन के माध्यम से हमारे बारे में यह पता चलेगा कि हम किस प्रकार से सदन में व्यवहार करते हैं। यह एक अशोभनीय बात होगी जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं लेकिन हमें अपने आपको संयम में रखना होगा और अनुशासित ढंग से काम करना होगा ताकि हम सदन में भी उपयुक्त ढंग से काम कर सकें। इसके लिए, सभी दलों के नेता और सरकार बराबर-बराबर जिम्मेदार है। हम इस विषय पर सभी नेताओं की एक बैठक बुलाएगें।

अपराह्न 1.11 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.10 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.18 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा अपराह्न 2.18 बजे पुनः समवेत हुई।

[प्रो० रीता वर्मा *पीठासीन हुई*]

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : महोदया, मैं एक पाइंट ऑफ आर्डर उठाना चाहता हूं।

सभापति महोदय : अभी कुछ नहीं। बैठिए, बैठिए। ···*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : आपके बैठने से पहले ही इन्होंने पाइंट ऑफ आर्डर उठा दिया है।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, मैं आपका ध्यान रूल 224 की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं :

[अनुवाद]

विशेषाधिकार के प्रश्न को उठाने का अधिकार निम्नलिखित शर्तों पर विनियमित होगा, अर्थात

(एक) एक बैठक में एक से अधिक प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।

(दो) प्रश्न हाल ही में उत्पन्न घटना से संबंधित होगा; और

(तीन) मामले में सदन का हस्ताक्षेप अपेक्षित है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : रूडी जी, इस पर आपको परसों रूलिंग मिलेगी। आप बैठिए।

(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : मैं तो रूल पढ़ रहा हूं। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपका मामला क्या है, वह मुझे पता है। कृपया शांति से बैठिए।

[अनुवाद]

श्री राजीव प्रताप रूडी : मैं इस दस्तावेज के साथ संलग्न पत्र की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप बैठिए, मुझे आपका मामला पता है। उसकी रूलिंग बाद में मिलेगी ···*(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी : मेरा नोटिस आर्डर में है या नहीं।

सभापति महोदय : नहीं, अभी नहीं, आप बैठ जाइए। आपको रूलिंग बाद में मिलेगी।

[अनुवाद]

श्री राजीव प्रताप रूडी : कोई भी सदस्य इसे किसी भी समय उठा सकता है।

[हिन्दी]

(व्यवधान) मैं तीन दिन से प्रयास कर रहा हूं। कम से कम मेरा विषय तो सुन लिया जाए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : जी नहीं आप बैठिए। अभी ज़ीरो आवर नहीं है।

श्री राजीव प्रताप रूडी : यह ज़ीरो आवर का विषय नहीं है।

सभापति महोदय : मैंने कह दिया है कि रूलिंग बाद में मिलेगी।

(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : अंडर रूल 223, अगर मेरा आर्डर में नहीं हो तो मैं हां तैयार होकर क्यों बैठूं। अंडर रूल 223 देखा जाये ···*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैंने कहा न, आपका विशेषाधिकार का मामला है, उसकी रूलिंग बाद में मिलेगी। ···*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। यदि मुझे यह पता चल जाए कि मेरा नोटिस आर्डर में है अथवा नहीं और क्या यह स्वीकार किया गया है अथवा नहीं। पिछले चार दिनों से, मैं इस बारे में जानने का प्रयास कर रहा हूं ···*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप कृपया शान्ति से बैठिये। मैंने कह दिया, आपको रूलिंग बाद में मिलेगी।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदया, चार दिन से स्पीकर साहब ने कहा, सोमवार को देंगे, मंगलवार को देंगे, बुधवार को देंगे *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप जाकर स्पीकर साहब से मिलिए और उनको रूलिंग जल्दी देने के लिए कहिये। अब बैठिये, रूडी जी।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदया, विषय इतना महत्वपूर्ण है कि इसको यहां नहीं छोड़ा जा सकता।।

**(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री रूडी कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : बहुत हो गया, कृपया बैठ जाए, कोई कुछ सुन नहीं रहा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अब मैं जिनका नाम पुकार रही हूं, इन्हीं का रिकार्ड में जायेगा।

अपराह्न 2.21 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) राजस्थान में भीलवाड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरभाष सुविधाएं शीघ्र उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सुभाष चन्द्र (भीलवाड़ा) : सभापति जी, मैं संसदीय क्षेत्र भीलवाड़ा राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन की सुविधाओं के बारे में दूरसंचार मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ग्रामीण क्षेत्र के 96 गांवों में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने की मांग है। प्रत्येक गांव में टेलीफोन सुविधा लगवाने के लिए 25 से 50 आवेदन पत्र दूरसंचार विभाग के पास मय शुल्क के जमा हो गये हैं, परन्तु टेलीफोन एक्सचेंज की मशीनें उपलब्ध नही होने की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना नहीं हो पा रही है।

अत : मेरा दूरसंचार मंत्री से आग्रह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधाएं शीघ्रतम उपलब्ध कराई जायें एवम् इसके लिए आवश्यक टेलीफोन एक्सचेंज की मशीनों की शीघ्र पूर्ति की जाये। हम ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार से ही देश के आर्थिक एवम् सामाजिक विकास की गति बढ़ा सकते हैं।

(दो) मध्य प्रदेश के सूखा प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए राज्य सरकार को धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री पवन दीवान (महासमुंद्र) : सभापति जी, मध्य प्रदेश के रायपुर जिले में एवम् आसपास के जिलों में भयंकर सूखा पड़ा था। यहां पर अत्यन्त गरीब लोग और किसान रहते हैं जो इस भयंकर सूखे से अत्यन्त पीड़ित है। पास में उड़ीसा में सूखा पड़ा है, जिसमें केन्द्र सरकार ने आर्थिक सहायता दी है। मध्य प्रदेश के जो जिले सूखे से प्रभावित हैं, वे उड़ीसा के साथ लगे हुए हैं।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि सूखा पीड़ित लोगों को सहायता पहुंचाने हेतु मध्य प्रदेश ने जो 100 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता की मांग की है, उसे तुरन्त रिलीज किया जाये।

(तीन) यमुना कार्य योजना का कार्य आरम्भ किए जाने की आवश्यकता

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक – दिल्ली) : सभापति जी, सरकार ने यमुना नदी के सफाई कार्यक्रम के अंतर्गत यमुना एक्शन प्लान बनाने की योजना बनाई थी, किन्तु अभी तक इस ओर कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये गये हैं और यमुना नदी दिन प्रतिदिन प्रदूषित हो रही है। जबकि सरकार ने यमुना नदी की सफाई कराये जाने के लिए और इसे प्रदूषण से बचाने के लिए कई बार घोषणा की है।

यमुना नदी की सफाई में हो रहे विलम्ब के कारण देश के ऐसे करोड़ों नागरिक, जो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, बहुत दुखी हैं और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि केन्द्र सरकार यमुना नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए अविलम्ब ठोस कदम उठाये तथा इसकी सफाई के लिए जो योजना बनाई गई है, उसको तुरन्त अमल में लाये।

मेरी सरकार से मांग है कि वह इस ओर तुरन्त ध्यान देकर यमुना नदी को प्रदूषण से बचाये जाने के लिए तथा इसकी सफाई कराये जाने के लिए अविलम्ब कारगर कदम उठाये।

(चार) आन्ध्र प्रदेश के काकीनाडा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में "वाटरशेड स्कीम" के अंतर्गत शेष राशि जारी किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री टी० गोपालकृष्ण (काकीनाडा) : महोदय, पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है और उसी के साथ-साथ बीमारियां भी बढ़ रही हैं। जनसंख्या में भी बढ़ोत्तरी हो रही है। सरकार को

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री टी० गोपालकृष्ण]

प्रभावित लोगों को कुछ न कुछ जीविकापार्जन प्रदान करना होगा। इन दोनों समस्याओं का समाधान करने के लिए, सरकार ने वाटरशेड योजना शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पर्वतीय स्थानों पर आम, काजू के पेड़ और दूसरे पेड़ों को लगाना है। कई लोग जिन्हें भूपट्टे दिए गए थे, पर्वतीय क्षेत्रों पर वृक्ष लगाने के लिए तैयार हुए। उन्होंने 36 लाख रुपए मूल्य का श्रम बल के और अन्य कृषि संबंधी औजार के बराबर वृक्ष पहले ही लगा दिए हैं लेकिन सरकार ने केवल 6 लाख रुपए की धनराशि जारी की है। अतः गरीब लोगों की मदद करने के लिए शेष धनराशि जारी की जाए।

मैं केन्द्र सरकार से यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि और स्थलों पर भी वाटरशेड स्कीम का विस्तार करें और सुविधाएं बढ़ाए और गरीब लोगों को सहायता प्रदान करे।

(पांच) विकास परियोजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण संबंधी कानूनों में उपयुक्त संशोधन किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री ललित उरांव (लोहरदगा) : वन संरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय के फसल से बिहार के वनांचल क्षेत्र की सभी परियोजनाओं का अस्तित्व संकट में पड़ गया है। लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। जंगल के बीच से जाने वाली प्रस्तावित सड़कों, नहरों, टेलीफोन लाइनों, जलापूर्ति पाइप लाइन एवम् बिजली लाइनों को मंजूरी प्रदान नहीं की जा रही है। जंगल मानव जाति को प्रकृति की अमूल्य देन है तथा इसका संरक्षण हमारा परम् कर्त्तव्य है, किंन्तु वनांचल के लिए तो यह संरक्षण कानून अभिशाप सिद्ध हो रही है। तमाम विकास योजनाएं ठप हैं।

अतः सरकार से मेरा आग्रह है कि विकास योजनाओं की शर्त पर पर्यावरणीय अधिनियमों को संशोधित कर इसे लचीला बनाया जाए ताकि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके।

(छः) उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले में मरेला अकबरपुर में कताई मिल को पुनः चालू किए जाने की आवश्यकता

श्री घनश्यामचन्द्र खरवार (अकबरपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत दिनांक 11 जून, 1990 से तालाबंदी की शिकार कताई मिल मरेला अकबरपुर की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। वैसे भी हमारा जिला अम्बेडकर नगर बहुत ही पिछड़ा जिला है। लेकिन उद्योग के नाम पर एक ही मिल के बावजूद भी मिल में तालाबंदी करके जिले को और भी पिछाड़ा जा रहा है। जब से पुलिस प्रशासन एवम् मिल प्रबंधकों द्वारा मिल में कार्य कर रहे मदूरों को जबरदस्ती बाहर निकाल कर मिल में ताला डाला गया, तब से आज तक इस मिल में सेवारत चार हजार कर्मचारी तथा उनसे जुड़े लगभग बीस हजार लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं।

अस्तु माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि तत्काल कताई मिल मरैला अकबरपुर को चालू किया जाए तथा कताई मिल को जिला कारागार हेतु लिए गए निर्णय को निरस्त किया जाए एवम् दिनांक 4 मई, 1990 के बाद की गई अनियमितताओं की जांच न्यायिक आयोग द्वारा करवाई जाए।

अपराह्न 2.29 बजे

सामान्य बजट – 1997-98 – सामान्य चर्चा

लेखानुदानों की मांगें (सामान्य) – 1997-98

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1996-97

और

अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (सामान्य) – 1994-95 – *जारी*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री एल० बालारामन।

***श्री एल० बालारमन** (वंडावासी) : सभापति महोदया, मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने वर्ष 1997-98 के केन्द्रीय बजट के संबंध में मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। संयुक्त मोर्चा सरकार की ओर से हमारे वित्त मंत्री माननीय श्री पी० चिदम्बरम ने इस वर्ष का बजट पेश किया। मैं इस बजट का स्वागत करता हूं और मेरा दल इसका समर्थन करता है।

जहां तक इस सम्माननीय सदन का संबंध है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू जिन्हें "एशिया का दीपक" के रूप में जाना जाता था, के समय से लेकर अब तक कई बार तमिलनाडु ने लोक सभा में विभिन्न वित्त मंत्रियों के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। स्वर्गीय श्री आर०के० शनमुगम चेत्तिआर नेहरू जी के मंत्रिमण्डल में वित्त मंत्री थे। बाद में स्वर्गीय श्री टी०टी० कृष्णमाचारी हमारे वित्त मंत्री रहे। उसके बाद श्री सी० सुब्रह्मणियम और श्री आर० वेंकटरमन हमारे वित्त मंत्री रहे। अब श्री पी० चिदम्बरम हमारे वित्त मंत्री का कार्यभार देख रहे हैं।

माननीय श्री पी० चिदम्बरम द्वारा प्रस्तुत बजट इस लिहाज से स्वागत योग्य है कि समाज के विभिन्न वर्गों के सभी लोगों ने इसका स्वागत किया है। बजट में जो बाते कही गई हैं वे स्वागत योग्य हैं और इस बजट की बहुत कम आलोचना हुई है। माननीय श्री पी० चिदम्बरम ने ग्यारहवीं लोक सभा में अपना दूसरा बजट बहुत ही प्रशंसनीय ढंग से पेश किया है।

एक ओर तो यह आलोचना की गई है कि इस बजट के माध्यम

---

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का (हिन्दी रूपान्तर)

से आर्थिक विकास की दर प्राप्त नहीं की जा सकती। लेकिन दूसरी ओर उद्योगपतियों और आम लोगों ने इस बजट की प्रशंसा की है। इससे पहले की सरकारों ने भी जिन्हें इस सदन में पूर्ण बहुमत प्राप्त था, इस तरह का बजट पेश नहीं किया था। यह समय की स्थिति थी।

तमिल मनीला कांग्रेस (मूपनार) दल उन 13 दलों में से एक है जिन्होंने केन्द्र में सरकार बनाई है। श्री पी० चिदम्बरम तमिल मनीला कांग्रेस दल के सदस्य हैं जो सतारूढ़ संयुक्त मोर्चे का एक घटक दल है। हमने अपने माननीय श्री पी० चिदम्बरम के माध्यम से अपना कार्य किया है। हमारे प्रिय श्री पी० चिदम्बरम ने जो बजट पेश किया है वह इस सरकार के स्थायित्व को सुनिश्चित करता है। यह हमारी अर्थ-व्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करता है। हमें इस बात पर बहुत खुशी हो रही है। हमें इस बात पर गर्व है और हमें उन पर भी गर्व है।

इस बहुपक्षीय बजट में जिसके कई पहलू हैं, उन्होंने कई क्षेत्रों में आवंटित धनराशि में वृद्धि की है और उन क्षेत्रों को आर्थिक सहायता प्रदान की हैं जहां तक वह अपेक्षित है। उनकी यह संतुलित नीति एक बहुत बड़ी सफलता है और लोग इस बात से हैरान है और उनकी प्रशंसा करते हैं। शुल्कों में कटौती और करों में कभी भी घोषणा की गई है। किसी भी सरकार द्वारा आम तौर पर ये कटौतियां नहीं की गई हैं। लेकिन श्री पी० चिदम्बरम कर दरों को कम करने में सफल हुए हैं। उन्होंने यह भी दर्शाया है कि इससे प्रभावी वित्तीय प्रबन्धन और कुशल प्रशासन होगा।

अब हम अपने आपको इस स्थिति में पाते हैं कि हम इस स्वागत बजट की प्रशंसा करें जिससे आर्थिक विकास सुनिश्चित होगा। उन्होंने अपने बजट में बताया है कि सफल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में 7.2 प्रतिशत से घटकर 6.8 प्रतिशत रह गया है। अब उन्होंने अपना बजट इस तरह से तैयार किया है कि हमारी आर्थिक विकास दर में वृद्धि हो और सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि परिकल्पित की जा सके। औद्योगिक विकास दर जो 11.7 प्रतिशत से घटकर 9.8 प्रतिशत रह गई है, मैं पुनः वृद्धि की प्रवृत्ति देखने में आई है। इसी प्रकार कृषि में वृद्धि दर जो 4.9 प्रतिशत से घटकर 3.3 प्रतिशत रह गई थी, के अनुदान, आर्थिक सहायता और ऋण सुविधा के माध्यम से युक्तिसंगत आवंटित धनराशि द्वारा बढ़ने की आशा है। अब हमारी वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत है और उस समय जबकि कुछेक दूसरे क्षेत्रों में गिरावट की प्रवृत्ति देखने में आई है, उन्होंने एक ऐसा बजट पेश किया है जो हमारे लिए आशा की एक किरण को प्रज्वलित करता है।

अपर्याप्त बिजली की पूर्ति करने से औद्योगिक विकास की दर प्रभावित होगी। उन्होंने देशवासियों को सही याद दिलाया है कि बिजली की कमी की वजह से औद्योगिक विकास दर में कमी हो सकती है। उन्होंने बिजली का उत्पादन बढ़ाने का भी प्रयास किया है।

उन्होंने यह बताया है कि हमारा विदेशी ऋण 9900 करोड़ डालर से घटकर 9220 करोड़ डालर रह गया है। उन्होंने देश को ऋण के शिकंजे से बचाया है।

उन्होंने बालिकाओं के लिए नई साक्षरता और विशेष शिक्षा योजना भी लागू की है। जब हम महिलाओं की शिक्षा के बारे में सोचते हैं तो हम बाल श्रमिकों के बारे में भी सोचते हैं। बाल श्रमिकों को रोकने की दृष्टि से, हमारे माानीय श्रम मंत्री कई कानूनों को बनाने के बारे में विचार कर रहे हैं।

वह इस बाल श्रम को समाप्त करने के लिए कई कानून बना रहे हैं। इस शोषणयुक्त बाल श्रम का सबसे अधिक असर लड़कियों पर पड़ता है। वित्त मंत्री द्वारा तैयार की गई यह नई योजना एक सामाजिक परिवर्तन का रास्ता बनाता है जिससे कि सामाजिक न्याय प्राप्त होगा। शिक्षा के माध्यम से महिलाओं का उत्थान एक सुविचारित कार्यक्रम है। एक निश्चित स्तर तक अनिवार्य शिक्षा लागू करके इसे और सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए। जब तक यह नहीं किया जाएगा, लडकियों की शिक्षा और बाल श्रम उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रमों का कोई परिणाम नहीं निकलेगा। मैं अपने सरकार को इस वास्तविकता को याद दिलाना चाहता हूं।

ग्रामीण गरीबों के लाभार्थ बुनियादी न्यूनतम कार्यक्रम को करीब 3300 करोड़ का आवंटन प्राप्त होता है। कुल जनसंख्या का करीब 70 प्रतिशत गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करता है। हम इस स्थिति को बदलने के लिए कई उपाय कर रहे हैं। ग्रामीण गरीबों हेतु रोजगार के अवसरों का सृजन, युवाओं के लिए स्व-रोजगार और प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा जवाहर रोजगार योजना ऐसे कई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में से है जिनका कार्यान्वयन अभी जारी है। हम परिवर्तन के साथ निरंतरता भी सुनिश्चित करते हैं। परंतु साथ ही गरीबों की निरंतर रहने वाली समस्याओं को भी स्थायी रूप से समाप्त करना होगा। सामाजिक क्षेत्र में इस दिशा में लिए गए कारगर कदमों का लाभ गरीबों तक पहुंचना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह गरीबों की समस्याओं को एक बार के लिए पूरी तरह से समाप्त करने को प्राथमिकता दें।

जब हम गरीब और गरीबी की बात करते हैं, तो हमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच विकास के बढ़ते हुए अंतर पर भी ध्यान देना होगा। ग्रामीण गरीबों को अपने लिए रोटी का जुगाड़ करने के लिए अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है। इसकी खोज में वह शहरी क्षेत्रों में आ जाते है जहां कि अधिकतर औद्योगिक इकाईयां स्थापित की जाती हैं। चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, शहरी क्षेत्रों और शहरों में उद्योगों के संवर्द्धन की नीति समान ही रहती है। अगर हमें ग्रामीण विकास और ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सुनिश्चित करना है, तो हमें गांवों में औद्योगिक इकाई स्थापित करने की गांधीवादी विचारधारा को अपनाना होगा। यह केवल कागजों पर ही नहीं रहना चाहिए, इसे कार्यान्वित भी किया जाना चाहिए। कुछ चीजें जैसे अपर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक इकाईयों की स्थापना में बाधक बनती हैं। सरकार को औद्योगिक वृद्धि संबंधी नीति में परिवर्तन लाने के लिए आगे आना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह एक अनुकूल वातावरण तैयार करे और सिर्फ तभी गरीबों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों की स्थिति को सुधारा जा सकेगा।

[श्री एल० वालारमन]

गरीबी उन्मूलन के लिए 3300 करोड़ रुपये का आवंटन निश्चित रूप से जरूरतमंदों और ग्रामीण गरीबों अभीष्ट लाभार्थियों तक पहुंचना चाहिए। उन्हें पूरा लाभ मिलना चाहिए। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इसके लिए एक उचित तंत्र है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गरीबों के लिए निर्धारित इस पूरे आवंटन का कहीं और दुरूपयोग न हो। सरकार के पास एक समुचित नियंत्रण और निगरानी तंत्र होना चाहिए। अन्यथा हमारे प्रयास व्यर्थ चले जाएंगे। इस प्रकार हमें इसमें जहां-तहां कुछ कमियां नजर आती हैं। सरकार को इन खामियों को दूर करने के लिए कदम उठाने चाहिएं एक सही प्रकार का वातावरण तैयार करना होगा। समुचित चेक और बैलेंस तथा गिगरानी तंत्र होना चाहिए।

जब हम गरीब और जरूरतमंदों की सहायता करना चाहते हैं, हम गई अनुदान और छूट देते हैं। ये धनराशियां हमारे राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से प्राप्त होती हैं। एक समय था जब बैंकों के प्रबंधक और प्रशासक ईमानदार व्यक्ति हुआ करते थे। अब उनमें से कई भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। बहुतों में ईमानदारी का अभाव है। अब हम ऐसा देखते हैं कि वे लाभार्थियों से अनुचित रूप से अंश लेने के पश्चात ही अनुदानो और ऋणों को बांटते हैं। मैं वित्त मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि वे इस 3300 करोड़ रुपये की धनराशि का पूरी तरह से ग्रामीण गरीबों तक पहुंचना सुनिश्चित करें और यह कोई बड़ी समस्या का रूप नहीं ले।

उर्वरकों और खाद्यान्नों के लिए राजसहायता में वृद्धि की गई है। देश की अधिकतर उर्वरक उत्पादन इकाईयां सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अंतर्गत आती हैं। उनकी उत्पादन लागत में निरंतर वृद्धि होती रहती है। इन राजसहायताओं का लाभ मुख्य रूप से उर्वरक इकाईयों को जाता है। निश्चित रूप से, ये राजसहायताएं किसानों को सीधे देने में कई कठिनाईयां हैं। कभी-कभी छोटे और सीमांत किसानों के सामने काफी समस्याएं होती हैं और उनके पास पर्याप्त संसाधन और आदान भी उपलब्ध नहीं होते हैं। सरकार को इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से उतपादन लागतों को कम करने के लिए कहना चाहिए। हमें किसानों को सीधे ही राजसहायता के वितरण हेतु मार्ग भी ढूंढना चाहिए।

आपको इस परिवर्तन हेतु उचित वातावरण तैयार करना चाहिएं बुनियादी क्षेत्र के राजमार्गो के विकास हेतु धनराशि के आवंटन विगत वर्ष में 200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपया कर दिया गया है। यह एक स्वागतयोग्य परिवर्तन है। जहां तक सड़क दुर्घटनाओं का संबंध है, इस बात मे हमें वास्तव में चिन्ता होती है कि अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का स्थान सूची में सबसे ऊपर है। आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में अन्य किसी भी राज्य की अपेक्षा तमिलनाडु में सड़क दुर्घटनायें सबसे अधिक होती है। इस प्रवृत्ति को रोकने के उद्देश्य से सरकार को सड़क चौड़ा करने तथा *टिकाऊ और मजबूत* सड़कों का निर्माण करने जैसे प्रभावकारी कदम उठाना चाहिए। मैं मद्रास-बंगलौर राष्ट्रीय राजमार्गों में सड़क दुर्घटनाओं के संबंध में आंकड़ों का उल्लेख करना चाहूंगा। लगभग हर दिन सड़क दुर्घटनायें होती हैं और यह कहा जाता है कि सड़क की कुल लम्बाई के प्रत्येक किलोमीटर पर एक व्यक्ति की मृत्यु होती है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और कम करने हेतु क्या किया जा सकता है ? रखरखाव पर 500 करोड़ रुपया खर्च किया जा सकता है। सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु वैकल्पिक योजनाओं को पूरा किया जाना चाहिए। जबकि इस बुनियादी सुविधा में सुधार लाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को हर संभव सहायता भी जाती है अतः राज्य सरकारों को भी केन्द्र सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए।

सामाजिक क्षेत्र तथा सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए लगभग 15,770 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। इन्हें विभिन्न योजनाओं के माध्यम से दिया जाता है। इनका पुर्नगठन, किया जाना चाहिए, इन्हें सरल और कारगर बनाना चाहिए तथा इनमें सुधार किया जाना चाहिए। यदि हम सामाजिक क्षेत्र के लाभार्थियों के बारे में सोंचते है तो इनमें से अधिकांश गांवों में रहते हैं। उनके साथ न्याय किया जाना चाहिए और उन्हें उनका उचित हिस्सा मिलना चाहिए। पुनः मैं लाभार्थियों, निर्धन ग्रामीणों को उनका लाभ सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर देना चाहूंगा मैं माननीय वित्त मंत्री से सामाजिक व्यय के संबंध में सतर्क रहने का अनुरोध करूंगा ताकि इस क्षेत्र में अपव्यय न हो। मैं यहां वित्त मंत्री को उनकी बढ़ी हुई जिम्मेदारी की याद दिलाना चाहूंगा।

ग्रामीण आवास योजनाओं में घोषित नई रियायतें वे मानदण्ड हैं जिनका स्वागत किया जाना चाहिये। ये गांवों के निर्धनतम लोगों के लिए हैं। गांव के गरीबों के पास एक छत – एक आश्रय होता है और इस प्रकार के सामाजिक मानदण्डों से सामाजिक परिवर्तन आयेगा।

'नाबार्ड' को 500 करोड़ रुपये का बढ़ा हुआ आवंटन प्राप्त होता है। इससे कृषि क्षेत्र को बड़ा लाभ होगा। यह एक प्रगतिकामी कदम है। इससे ग्रामीण विकास प्रक्रिया को गति पाने में मदद मिलेगी।

हम देखते हैं कि विदेशी और पश्चिमी अर्थशास्त्री इस वर्ष के केन्द्रीय बजट की प्रशंसा कर रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था सही दिशा में चल रही है। केन्द्रीय राजस्व समाहरण लगभग 18% बढ़ गया है। निगमित कर व्यक्तिगत आय सीमा और उत्पाद शुल्क जैसे प्रत्यक्ष करों से पिछले वर्ष की अपेक्षा 16% राजस्व अधिक प्राप्त होगा। यह एक स्वागतपूर्ण कदम है।

प्रशासन को भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिये तथा यह केवल पुन प्रशांसनिक शक्तियों को चुस्त-दूरूस्त बनाकर ही हो सकता है जो अधिकारी तंत्र में निहित हैं। यह प्रत्येक ग्रामीण इकाई में लघु-स्तर योजना को कार्यान्वित करने के लिए विकेन्द्रीकरण के माध्यम से तथा पंचायतों को सीधे आवंटित धनराशि देने से प्रभावी हो सकता है। शहरी जनसंख्या केवल 30% हैं जबकि ग्रामीण जनसंख्या 70% है। सरकार ग्रामीण लोगों में सुधार लेने के लिए उन्हें धनराशि देती है तथा उनके जीवनस्तर में सुधार लाने के लिए उनकी मदद करती है। धनराशि भी शहरी और ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात में दी जानी चाहिए। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री इस पर विचार करेंगें और अगले वर्ष के बजट को तैयार करते समय इस पर अमल करने का प्रयत्न करेंगें।

आर्थिक उदारीकरण समय की आवश्यकता है। केवल इसी द्वारा हम अपने आर्थिक आधार को व्यापक बना सकते हैं। पंचायतों और गांव के लोगों के लिए धनराशि बढ़ाई जानी चाहिएं जब स्वर्गीय श्री राजीव गांधी हमारे प्रधान मंत्री थे, उनकी योजनाओं में निम्न स्तर पर पंचायतों को निधियों के सीधे आवंटन की परिकल्पना की गई थी। उसके आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर हम पंचायत से लेकर संसद तक लोकतांत्रिक सरकार बना सके। पंचायती राज प्रणाली का यही अभिप्राय है। इसी से ग्रामीण विकास हो पाएगा।

हमारी कृषि – आर्थिकी को नई शक्ति और दिशा देने के लिए हमारे वित्त मंत्री जी को सामाजिक क्षेत्रों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों को अधिक धनराशि आवंटित करने के बढ़ावा देना चाहिए। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। विस्तार और आधुनिकीकरण के जरिए देश का विकास निर्भर है।

मुझे आशा है कि हमारे वित्त मंत्री कृषि और ग्रामीण समुदाय की हमारी आवश्यकताओं पर विचार करेंगें और गरीबों और विशेष रूप से ग्रामों के गरीब जो कि गरीबी के बावजूद अधिक वंचित रहते हैं, के उद्धार के लिए कई नई योजनाएं और परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने कई तरीकों और उपायों के जरिए हमारी अर्थव्यवस्था में प्रवेश किया है। उदाहरण के लिए टीगू कल्चर प्रौद्योगिकी इसमें एक है। उद्योगपतियों ने इस आधुनिक कृषि उत्पादन को अपना उद्यम बनाया है। उन्हें आधुनिक कृषि से संबंध कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित सरकारी राजसहायता प्राप्त है। मूल रूप से इन राजसहायताओं का लक्ष्य प्रत्यक्ष रूप से कृषक समाज विशेष कर उन समर्थ तथा जानकार कृषकों को जो प्रगतिकारी है, लाभ पहुंचाने का है। लेकिन अब ये राजसहायता उद्योगपतियों को दी जा रही हैं। वे सीधे विदेशी निदेशकों तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के पास जा सकते हैं उनके पास करोड़ रुपया पहुंच जायेगा। सरकार को इस पर अवश्य गौर करना चाहिए तथा इसे प्रारंभ में ही समाप्त करना चाहिये।

मेरी यह प्रबल आशा है कि हमारे माननीय वित्त मंत्री हमारे किसानों को खुश रखने के लिए और कदम उठायेंगे। मेरी कामना है कि वे किसानों को समृद्ध बनाने हेतु बेहतर वातावरण बनाने के लिए कदम उठायें। मैं अपनी तथा अपनी पार्टी तमिल मनीला कांग्रेस की ओर से बजट का स्वागत तथा समर्थन करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालन्दा) सभापति जी, 1985 की बात है। तत्कालीन प्रधान मंत्री के कुछ मित्रों से हमारी बात हो रही थी और उनमें से एक ने मुझे कहा कि हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हिंदुस्तान में 50 प्रतिशत लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है, इसलिए हमें उनके बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए। जो 50 प्रतिशत बचते हैं उनमें से 10 प्रतिशत की बहुत अच्छे ढंग से खातिर की तो शेष 40 प्रतिशत तक पहुंचना आसान होगा। कुल मिलाकर चुनाव के गणित पर मामला पहुंच गया और उनके अनुसार राज्य हमेशा के लिए 10 प्रतिशत लोगों की भलाई करके चला पाएंगे। कुछ ऐसी बातें हम लोगों में हुईं और हमने अपना गुस्सा इस पर प्रदर्शित किया और इस बात को हम कहते भी रहे कि देश में राजकर्ताओं की सोच क्या होती है। लेकिन हमने नहीं सोचा था अध्यक्ष जी, कि उस मित्र ने जो बातें 1985 के अक्टूबर-नवम्बर में हमसे कही थीं वह 1997 के शुरू-शुरू में यह संयुक्त मोर्चा की सरकार के द्वारा अपनाई जाएंगी और अफसोस इस बात का है कि सी०पी०आई०, सी०पी०एम० और अन्य वामपंथियों के सहयोग से ऐसी एक नीति इस बजट के द्वारा देश के सामने आएगी जो देश के केवल 50 प्रतिशत लोगों को ही नहीं बल्कि लगभग 70.80 प्रतिशत लोगों को अपने दायरे से बाहर रखेगी। सभापति जी, हम तो यह मानते हैं कि यह बजट जिस उद्देश्य और लक्ष्य को लेकर सरकार ने अपनी आंखों के सामने रखकर बनाया है, मैं केवल वित्त मंत्री को ही यहां पर उल्लेख नहीं करूंगा क्योंकि वित्त मंत्री, प्रधानी मंत्री और कुल मिलाकर सरकार यह बजट हम लोगों के सामने लाई है।

अपराह्न 2.49 बजे

[श्री नीतिश कुमार *पीठासीन हुए*]

इस बजट में इन्होंने जो भी अपनी घोषणाएं की हैं उन घोषणाओं का मुख्य उद्देश्य जो है वह देश के 10 प्रतिशत लोगों की खातिर करना है और यह स्वभाविक है कि उसके साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी जुड़ जाएं। उनके साथ जुड़े हुए देशी-विदेशी लोगों को भी फायदा हो। लेकिन यह मानना कि यह बजट हिंदुस्तान में किसी भी प्रकार से सामान्य आदमी की सोच को मद्देनजर रखकर सामने आया है, यह बहुत बड़ी गलत बात होगी। आपने जो कस्टम में कमी करनी थी वह कर दी, लेकिन उसके साथ विदेशी कम्पनियों को हिन्दुस्तान में अपने व्यापार को और मजबूत करने के लिए मदद भी पहुंचायीं एक्साइज़ में जो कमी की तो शायद इसी सोच से की कि विदेशियों का सामना करने के लिए हमारे लोग कुछ टैक्स कम करने से मजबूत हो जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने देखा कि एक्साइज़ का कोई असर नहीं पड़ा है, जहां तक विदेशी लोगों का हमारे ऊपर आधिपत्य जमाने की बात आती है। एक बहुत बड़ा शीतल पेय बनाने वाला व्यक्ति या उसकी कम्पनी थी। 60-65 प्रतिशत इस देश का शीतल पेय उसके हाथ में था। एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी ने 60-70 मिलियन डालर, यानी 180 करोड़ के आसपास एक झटके में खरीद लिया और समाप्त कर दिया। हम इसमें एक्साइज़ वगैरह से विदेशियों द्वारा यहां लाने वाली चीजों का सामना कर पाएंगे, हम इस बात को नहीं मानते हैं लेकिन आपने जो सबसे बड़ा जुल्म किया है वह यह है कि बीमा के क्षेत्र को विदेशियों के लिए खोल दिया। इसमें आपने बहुत चालाकी के शब्दों का इस्तेमाल किया है। लेकिन यह चालाकी जहां चल सकती है वहां चलाइए। हम उसमें नहीं फंसेगे। मैं विशेषकर वामपंथी दलों के साथियों से कहना चाहता हूं क्योंकि ये लोग शुरू-शुरू में अति उत्साही होकर कह रहे थे कि यह गरीबों के लिए बहुत अनुकूल बजट है। लेकिन मैं उन्हें बहुत स्पष्ट शब्दों में ऊंट की कहानी कहना चाहता हूं यह ऊंट वाला मामला है। वित्त मंत्री ने, यानी सरकार ने हिन्दुस्तान का केवल बीमा इलाका ही नहीं बल्कि इस देश के समूचे सेवी सैक्टर को विदेशियों को अंदर लाने का पहला

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

और मजबूत कदम उठाया है। वह इन्कार करें तो हम उनकी बात नहीं मानेंगे। उनकी समूची सरकार यहां खड़ी होकर हाथ जोड़ कर कहे कि ऐसा नहीं होगा तब भी उनकी बातों को नहीं मानेंगे क्योंकि इस प्रकार के वायदे इन लोगों ने डाबोस में किए हैं। इन्हें जहां-जहां और जिन-जिन विदेशियों से बात करने का मौका मिला, वहां वायदे किए। इसलिए सदन में भीतर या सदन के बाहर सरकार की किसी बात को हम आज मानने के लिए तैयार नहीं है। आपने बड़े लोगों के लिए राहत देने की बात की। इन बड़े लोगों ओर विदेशियों को दी जाने वाली राहत से अंदाज यह लगाया जाता है कि लगभग 30-32 हजार करोड़ रुपए का घाटा होगा। टैक्स में इस प्रकार की व्यवस्था अगर सरकार ने नहीं की होती तो सरकार के खजाने में रुपए आ जाते।

महोदय, हम आज मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि बजट में केवल चालाकी नहीं होनी चाहिए, उनका अपना दिल और दिमाग कैसे ठीक है, इतनी बातें नहीं कहनी चाहिए। वह अगर बजट में नीति का निर्धारण करके हम लोगों के सामने और देश के सामने रखते तो अच्छा होता। उसका क्या परिणाम होगा वह भी बताना चाहिए। इनकम टैक्स, एक्साइज़ और कस्टम, इन तीन चीजों में आपने कुछ निर्णय लिए। इसके चलने इस साल हमारे खजाने को कितना घाटा हो रहा है, इसका आंकड़ा आपने अपने बजट में नहीं बताया। वह बताना जरूरी है। आपने यह न बता कर लोगों को मायाजाल में फंसाने का काम किया है। जैसे आयल पुल का मामला है, आप इस बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। हम आपसे यह नहीं कह रहे हैं कि आप 16000 करोड़ का और टैक्स लगाइए या महीना पूरा होने के बाद 20 करोड़ का टैक्स लगाइए। हम आपसे उल्टा कहेंगे कि कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। मैं इस बारे में और प्रदेशों की बात नहीं कहना चाहता। पश्चिम हिन्दुस्तान के दो प्रदेशों महाराष्ट्र और गुजरात में सरकार की जानकारी में गलत तरीके से पैसा कमाया जाता है। वह ऐसा पैसा है जिस में मंत्रियों को जान से मारने की धमकी दी जाती है। गुजरात के एक मंत्री को तेल के लुटेरों ने पांच करोड़ रुपए उनके माथे पर दाम बांध कर जान से मरवाने की कोशिश की थी। हमें इसकी जानकारी है। मैं इस मामले में स्वयं मजबूती के साथ खड़ा हुआ हूं। हमारे मजदूरों के साथ रिश्ते हैं। हम लोगों ने मजदूर संगठनों की ओर से सरकार के सामने इसकी पूरी जानकारी रखी। वह जानकारी हमारे साथी को इसी संसद भवन के कमरे में देकर जाने के बाद छः महीने के लिए पुलिस सरंक्षण में रखने की स्थिति निर्माण हो गई। आज वह अपने साथ एक पिस्तौल रख कर सोते हैं। पैसे कहां हैं, हम जानते हैं।

ऑयल का जहां तक सवाल है, केवल तेल की कम्पनियों द्वारा रुपया कमाने की बात देखिए जिसे रोकना जरूरी है। बीस हजार करोड़ रुपए कल आपके दरवाजे पर आ जाएंगे। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए आप एक और कार्यक्रम लाए हैं और वह है धोबीघाट। आपका ही शब्द है 'लौड्रिंग'। पैसे की लौड्रिंग को रोकने के लिए आप कानून लाने वाले हैं ऐसा आपने बजट में कहा है, लेकिन कानून कहां है। आप लौड्रिंग शुरू कर ही रहे हैं। 30 परसैंट दाम हैं। एक रुपए की धुलाई होनी है तो तीस पैसे छोड़े, 60-70 पैसे लेकर और उसे धोकर साफ बंडल ले जाएं, यह आपने किया है। मैं यह नहीं कहने जा रहा हूं कि टैक्स को बढ़ाना चाहिए। मैं जानता हूं कि आप बढ़ाएंगे। आप शायद सभी लोगों के मुंह से यह सुनना चाहते हैं। आप एक दिन यहां खड़े होकर बड़ी चालाकी से कहना चाहते हैं कि सभी अर्थशास्त्रियों ने, सभी विपक्ष के लोगों ने, सभी नेताओं ने बार-बार हम से पूछा कि ऑयल पूल का क्या होगा! इसलिए हम सब की बातों को मान कर ये पैसे बढ़ाने के लिए आया हूं। आप यह कहने वाले हैं और इस बात को दुनिया जानती है। हम यहीं उस समय भी कहेंगे कि पश्चिमी हिन्दुस्तान की उस लूट को बंद करिए। आपको एक पाई किसी से लेने की जरूरत नहीं है। विशेष कर इनकम टैक्स के मामले में मध्यम वर्ग के लोगों को आपने जो गुमराह करके कहा है कि हम आप लोगों के लिए सब कुछ ठीक करने जा रहे हैं, 10 परसैंट पर लाए हैं। मैं एक बात इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। जो फाइनैन्स बिल है जिस पर अलग बहस होनी है लेकिन उस पर जब बहस होगी तब बहस होगी मगर उसकी धारा 80 पढ़ने लायक है। अभी तक जो एक्साइज का पैसा कारखाने के दरवाजे पर, शराब, सिगरेट बनाने के कारखाने के उस दरवाजे पर लिया जाता था, जिन-जिन वस्तुओं पर एक्साइज होता है, वे पैसे वहां लिए जाते थे, अब इन्होंने कानून में संशोधन किया है। वह संशोधन यह है कि अब भारत सरकार आफिशियल डैजर्ट में नोटिफिकेशन के साथ रिटेल सेल पर एक्साइज सीधा जमा करने का अधिकार प्राप्त करेगी। सैंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 की धारा चार के बाद इन्होंने कहा है कि एक 4(ए) लिखा जाए। वह 4(ए) सैक्शन 80 इस फाइनैन्स बिल का है। हिन्दुस्तान के मध्यवर्गीय इसको सुन लें। उन्होंने इसमें कहा है कि

[अनुवाद]

"इस धारा के प्रयोजनार्थ, फुटकर बिक्री मूल्य" का मतलब है वह अधिकतम मूल्य जिस पर उत्पाद शुल्क योग्य समान पैक किये गये रूप में अन्तिम उपभोक्ता को बेचा जाये और उसमें जैसा भी मामला हो सभी कर स्थानीय अथवा अन्यथा, माल परिवहन प्रभार, व्यापारियों को देय कमीशन तथा विज्ञान, डिलीवरी, पैकिंग तथा आगे भेजने जैसे सभी कर शामिल हों।"

स्पष्टीकरण (2) जब किसी उत्पाद शुल्क योग्य सामान को एक से अधिक फुटकर मूल्य घोषित किया जाता है तो ऐसे अधिकतम फुटकर मूल्य को इस धारा के प्रयोजनार्थ फुटकर मूल्य माना जायेगा।"

[हिन्दी]

सभापति जी, आज तक दवाई का एक्साइज दवाई के कारखाने पर तय होता था। उसका जो मैन्यूफैक्चर दाम है, उस पर तय होता था। अब कोई दवाई खरीदने के लिए जाएगा, अगर इनका यह कानून पास होता है और ये नौटिफाई करते हैं कि यह दवाई इसके अन्दर आती है। और वह आएगी, ऐसी मेरी मान्यता है,

अपराह्न 3.00 बजे

तो फिर यहां सारी चीज़ो को जोड़कर, यहां तक कि लड़की-लड़का

को नचाने वाले विज्ञापन आते हों, कहीं होर्डिंग आती होगी या कहीं अखबारों के दो पन्नों पर विज्ञापन आते होंगे तो विज्ञापनों का यह सारा पैसा आपको देना होगा। टैक्स में रियायत दी है। उससे अधिक पैसा इन मार्गों से लेने का इन्तज़ाम कर रखा है। यदि आप नहीं करेंगे तो आप बता देंगे लेकिन आपने हथियार अपने हाथों में लिया है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते क्योंकि हमने आपका कानून पढ़कर सुनाया है। इस बजट को लोगों के सामने मायाजाल फैलाने का प्रयास है। मैं इसके रखे जाने के प्रयास के बारे में मंत्री जी से जानना चाहता हूं। आज या कल मैंने एक अखबार में पढ़ा कि किसी अम्बैसेडर ने एक व्यक्ति से चाय पर पूछा कि बड़े लोगों पर जो टैक्स 40 प्रतिशत था और कारपोरेट टैक्स 45 प्रतिशत था, उसको 30 प्रतिशत क्यों कर दिया। उस मित्र के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन अम्बैसेडर ने कहा कि भविष्य में सस्ती रियायती ब्याज दर पर दुनिया के किसी देश से कर्ज लेने की क्या आवश्यकता है ? उन्होंने यह भी कहा कि विश्व में शायद ही कोई देश ऐसा हो जहां पर सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले को 30 प्रतिशत पर बैठा दिया हो ? अमरीका जैसी जमात से आदेश देने वाली जमात इस सदन और इस सरकार में है जो दुनिया के ऊपर अपनी नीतियां लादने का प्रयास कर रही है ओर यहां पर दावोस से नई दिल्ली तक सब लोग वाह-वाह करने लगे हैं। आप बताईये कि अमरीका में ऊपर के लैवल वालों पर इनकम टैक्स कितना है ? इसकी जानकारी मंत्री महोदय को होनी चाहिये। अमरीका में ऊपने वाले लेवल का मैक्सिमम 39.6 प्रतिशत है और मैक्सिमम कारपोरेट टैक्स 38.9 प्रतिशत है। इतना ही नहीं, अमरीका में प्रदेश का अपना इनकम टैक्स होता है जैसे अमरीका का अमीर राज्य कैलेफोर्निया हो सकता है लेकिन सबसे नामी राज्य न्यूयार्क है जहां हमारे लोग जाकर मुकद्दमे में फंस जाते हैं। मैंने इस सदन में बात उठायी है लेकिन कोई सुनता नहीं है। उस न्यूयार्क में पर्सनल इनकम टैक्स कारपोरेशन के लिये और इंडिविजुअल के लिये 8 से 8.5 प्रतिशत और फिर कारपोरेट टैक्स 39.6 प्रतिशत और 38 प्रतिशत है। अगर जोड़ देते हैं तो 47 प्रतिशत हो जाता है और यहां पर लिमिट 30 प्रतिशत है।

अपराह्न 3.02 बजे

[श्री पी०एम० सईद *पीठासीन हुए*]

सभापति महोदय, हमारा भारत गरीब देश है। जिन हाथो में कुछ सम्पन्नता है या कोई साधन हैं तो उनसे कुछ पैसा खज़ाने में आना चाहिये और यही इस टैक्स का मतलब है कि उनका कुछ योगदान होना चाहिये। इस देश से वे दौलत बनाते हैं तो उसका योगदान भी मिले लेकिन मंत्री जी यह नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे मंत्री महोदय ने दुनिया के किस देश का माडल अपनी आंखों को सामने रखकर या कौन से देश का ध्यान रखकर यहां टैक्स घटाने की बात कही है। मगर मामला वहीं नहीं रूका है। हमने कहा-धोबीघाट खोल दिया। मुझे इस बात से मतलब नहीं कि कपड़ा धोने जायेगें या धोने में पैसा जायेगा और कहेंगे इसके पहले भी ऐसा हुआ है, ऐसा जवाब दिया जाता है। यह कोई जवाब नहीं है। आप बार-बार हिन्दुस्तान को बता रहे हैं कि ईमानदार मत बनों यदि ईमानदार रहोगे तो सजा मिलेगी और यदि बेईमान बनो तो इनाम मिलेगा। आज आपने एक बार फिर कहा कि बेईमान बनो, ईमानदारी छोड़ो तो हम हर प्रकार से आपके लिये इन्तजाम कर देंगे। जब यहां मंत्री जी जवाब देंगे तो बहुत चतुराई से बात करते हुये नज़र आयेंगे।

[अनुवाद]

वित्त विधेयक की धारा 63 में कहा गया है :

"इस धारा के उपबंधों के अध्यधीन किसी आकलन वर्ष हेतु सम्पत्ति कर पर प्रभारित कुल सम्पत्ति जिसके लिए उसने सम्पत्ति कर की धारा 14 के अंतर्गत रिटर्न नहीं दी है।"

[हिन्दी]

यानी आपने कहा है कि जिस साल पैसे बनाए गए लेकिन दिखाए नहीं गए, उस साल के हिसाब से आप पैसे की धुलाई कर सकते हैं। यहां केवल पैसे की धुलाई तक ही सवाल सीमित नहीं है, बल्कि सोने की धुलाई भी की जा सकती है या जो भी दूसरी चीजें आपके पास हैं उन सबकी धुलाई की जा सकती है। इसमें सबसे बड़ा चमत्कार मंत्री जी का हमें सोने के मामले में दिखाई दे रहा है। आज हिन्दुस्तान में सोने का भाव 5127 रुपए प्रति 10 ग्राम है जब कि 1979 में सोने के दाम 1220 रुपए प्रति 10 ग्राम थें आज जिस व्यक्ति के पास छिपा हुआ सोना है, भले ही उसने पिछले साल खरीदा हो या 10 साल पहले खरीदा हो या उससे भी पहले कभी खरीदा हो, चूंकि उसके बारे में आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, आप कह सकते हो कि मैंने कोई एकाउंट बुक नहीं रखीं, कोई नहीं पूछेगा कि आप इसे कहां से लाए, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही कहना है कि यह सोना मैंने अमुक साल में खरीदा था और वह अमुक साल 1979 भी हो सकता है तो आपको उस सोने की धुलाई के लिए मात्र 366 रुपए धुलाई देनी पड़ेगी, भले ही आज सोने का दाम 5127 रुपए प्रति 10 ग्राम है। इसलिए 366 रुपए देकर आप 5000 रुपए से भी ज्यादा के सोने की धुलाई कर सकते हो, अगले दिन उसे नकद बना सकते हो, उससे अगले दिन कोई दूसरी चीज खरीद सकते हो। उससे आगे का हिसाब भी लगाया जा सकता है।

जब आप इस तरह का इंतजाम कर रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आता कि इससे देश का कौन सा भला आप करने जा रहे हैं। विकास की बातें तो अपनी जगह पर हैं लेकिन इस देश के चरित्रवान व्यक्तियों से आप कहते हो कि तुम अपना चरित्र छोड़ो, सड़क पर उतरो और कमाई करो। हर 5 साल में हम उन्हें एक रास्ता ईमानदार बनने का दिखा रहे हैं। इसलिए मैं सरकार के इस प्रस्ताव का सख्त विरोध करना चाहता हूं।

मुझे अफसोस है कि देश के विकास के नाम पर जिस तरह सारी चीजें हो रही हैं, उसके लिए मंत्री जी यही कहेंगे कि येन-केन प्रकारेण जहां से भी हमें पैसा मिलेगा, हम उसे यहां लाने का काम करेंगे या कहेंगे कि ज्योति बसु ने ऐसा प्रस्ताव किया था, वामपंथियों का यह प्रस्ताव था। अब मैं नहीं जानता कि ज्योति बसु ने क्या प्रस्ताव किया, कोई प्रस्ताव किया भी था या नहीं, शायद कोई कमेटी उन लोगों की है, उसके बारे में उन्हें ही मालूम होगा, हम नहीं जानते लेकिन अखबारों

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

में हमने जरूर पढ़ा है। उस प्रस्ताव के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव वामपंथियों के मुंह से नहीं आना चाहिए था लेकिन वह प्रस्ताव अगर उन्हें ठीक लगा, या इनके मन में वैसी बात थी तो इन्हें यहां बताना चाहिए। अगर ये सारी चीजें आप विकास के नाम से करना चाहते हैं तो मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने बजट में रोजगार पैदा करने के बारे में जो जिक्र किया, आपने किस क्षेत्र में रोजगार पैदा करने की बात कही है। जब आप कॉमर्स मिनिस्टर थे, क्या उसी नीति को आज आपने वित्त मंत्री के नाते स्वीकार करने की घोषणा की है यानी अपने अतीत को आप छोड़ते नहीं है, उस अतीत के साथ अपने आपको आज भी जोड़े हुए हैं।

1991 में जब नई आर्थिक नीति इस देश में चलाई गई, उसके आप प्रमुख वक्ता थे, प्रवक्ता थे। इस साल जो इकोनौमिक सर्वे का दस्तावेज यहां रखा गया है, वह सर्वे हमें यह बताता है कि पिछले 4 सालों में, क्योंकि आपकी नीति 1991 में आई, तब से लेकर 1996 तक, सार्वजनिक उद्यमों में कुल मिलाकर 2,56,000 रोजगार पैदा हुए जिसमें केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, क्वासी-गवर्नमेंट और लोकल बीडीज के अंतर्गत आने वाले पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स सभी के रोजगार शामिल हैं। इसमें इंडस्ट्रियल एम्पलायमेंट शामिल नहीं है, क्योंकि वह दूसरे क्षेत्र में आ जाता है और वहां तो नौकरियां घटी हैं, आपको मालूम है कि वे सब पब्लिक सैक्टर बंद हो रहे हैं। लेकिन जहां डिपार्टमैंटल अंडरटेकिंग्स हैं, उन सबको मिलाकर कुल 2,56,000 रोजगार देश में निर्मित हुए हैं जबकि निजी क्षेत्र में 2,13,000 रोजगार निर्मित हुए हैं। अगर कोई मुझसे कहे कि पब्लिक सैक्टर को खत्म करके, प्राइवेट या विदेशियों को बुलाकर हम देश में रोजगार पैदा कर रहे हैं, लेकिन निजी क्षेत्र में आपने केवल 2,13,000 रोजगार निर्मित किए हैं। इस संख्या को यदि 4 सालों में बांटकर देखा जाए तो पब्लिक एंड प्राइवेट सैक्टर दोनों में कुल मिलाकर 1,17,000 रोजगार देश में प्रतिवर्ष पैदा हुए। यदि इसमें से पब्लिक सैक्टर को हटा दें और 2,13,000 रोजगार [illegible] नीतियों के चलते, 5 सालों में निजी उद्यमों में औसतन 10-50 हजार रोजगार हर साल पैदा हुए हैं।

सभापति महोदय, और इससे बढ़कर आप क्या करने जा रहे हैं, असल में इसको देखिए और यह देखिए कि इनकी नीतियां हम लोगों को कहां ले जा रही हैं। हम तो रेल मंत्री रह चुके हैं और रेल मजदूरों से मेरा घनिष्ठ संबंध है। वहां रोजगार की क्या स्थिति बनती जा रही है, यह आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। रेल में इन लोगों ने पिछले दो साल में 38 हजार रोजगारों को खत्म किया है। यह बात इनके जो बजट के दस्तावेज है, उनसे दिखाई देती है। वैसे पिछले पांच सालों में तो बहुत ज्यादा रोजगार रेलवे में खत्म किए हैं, लेकिन यह जो सिलसिला चला है कि रोगार को खत्म किया जा रहा है और लाचारी को बढ़या जा रहा है, गरीबी को बढ़ाया जा रहा है, इसका नतीजा यह हो रहा है कि इन्होंने जो बजट पेश किया है उसके अनुसार पुलिस सेवाओं और नई भर्तियां पिछले दो सालों में 70,537 हैं। सेंट्रल पुलिस सर्विसेस में 70,537 लोगों की संख्या बढ़ी है। नई भर्ती तो और ज्यादा होगी, क्योंकि कुछ लोग रिटायर भी हुए होंगे। इस प्रकार से क्या हो रहा है एक तरफ तो आप लोगों में बेरोजगारी बढा रहे हैं, निराशा और मायूसी पैदा कर रहे हैं और दूसरी ओर पुलिस का संख्या बल बढ़ा रहे हैं। और यह अभी नहीं, पिदले पांच सालों से चल रहा है और उसी नीति पर मजबूती से काम कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं यहां पर आंकड़े रख रहा हूं और मंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि जिस दिन यह बजट आया उसी दिन मैंने यह टिप्पणी की थी कि इसमें जितना कहा जा रहा है, उससे ज्यादा छिपाया जा रहा है। 70 हजार पुलिस के आदमी आपने इस बारे रखे हैं और पिछली बार मूल बजट 4968 करोड़ का था जो रिवाइज्ड 4511 करोड़ रुपए का हो गया था। यानी पुलिस संख्या बल 70 हजार से ज्यादा बढ़ गया और इस साल बजट हो गया केवल 4468 करोड़ रुपए का। यानी पिछले साल से और कम बजट हो गया जबकि 70 हजार आदमी संख्या में बढ़ गए। यानी कि क्या आपने तनख्वाह घटाने का काम कर दिया है ? जब आदमी बढ़ते हैं, उनकी तनख्वाह बढ़ती है, तो रकम भी तो बढ़नी चाहिए, लेकिन आपने यहां बजट में जो रकम रखी है, वह पहले से भी कम रखी है ? आप जानते हैं कि इतनी बारीकी में कौन जाएगा, कौन पढ़ेगा। बोलते जाओ, कुछ आंकड़े दिखाओ, फिर उसके बाद चाहे जो कुछ करो, कौन देखने वाला है ? जैसा पिछले साल हो चुका है। पिछले साल बजट में प्लान इन्वेस्टमेंट में जो आंकड़ा दिया था, उसमें 10 अजार करोड़ तो कम हो गया हैं हर क्षेत्र में कम किया है, लेकिन किसी ने पूछा नहीं और आज जब पूछने का वक्त आया है, तो आप पूछकर करेंगे भी क्या ? इसलिए मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह जो पुलिस विभाग में हमने पकड़ा है ऐसा और किस-किस विभाग में है कि इस प्रकार से जितना पैसा हिसाब से आना चाहिए वह नहीं दिया है ?

सभापति महोदय, इनकी आर्थिक नीतियां आज हमको एक और दिशा में ले जा रही हैं। इस सरकार के प्रधान मंत्री के हाथों में एक दस्तावेज है जिसको पिछले दो-तीन दिनों में यहां कई लोगों ने लाकर दिया है। यहां के समुद्र के किनारों की जो जमीनें हैं उनको हाथ में लेकर, खरीद कर, किसी प्रकार से कब्जा लेकिर प्रोन कल्टीवेशन का एक सिलसिला चला। उस पर सुप्रीमकोर्ट ने एक फैसला दिया। हमें पता चला है कि आप अब यह कोशिश कर रहे हैं कि उस फैसले को कैसे तोड़ा जाए। कैसे उसको न किया जाए। इसके बारे में आप काफी कुछ सोच रहे हैं। आपकी इन समूची नीतियों का, आपकी एक समूची सोच का नतीजा यह हो रहा है कि वह एक जो दस्तकार है, वह जो एक छोटा मछुआरा है, वह जो बुनकर है, जो साधारण आदमी है जो अपने हाथ से किसी न किसी प्रकार काम कर के, अपना पेट भरने वाला व्यक्ति है, उसका नामोनिशान आपके इस बजट में नहीं है। उसके लिए किसी प्रकार का प्रावधान आपके इस बजट में नहीं है। हमको यह मत बताइए कि हमने इतने करोड़ रुपए अमुक चीज के लिए आवंटित किए हैं, लेकिन व्यवहार में इस सारे उद्योग को खत्म करने का एक सिलसिला आपने शुरू किया है। हम चाहते हैं कि इस समूचे क्षेत्र में और इसी प्रकार के अन्य क्षेत्रों में पूंजी जानी चाहिए थी जिसको आपने

चाहे किस कारण से, न देने का इंतजाम किया, इस बारे में कुछ सफाई इस सदन में दी जाए।

सभापति महोदय, एक और बात है, जिस पर हमें मंत्री जी से आज जवाब जरूर चाहिए और वह यह है कि हम लोगों को 1991 में एक बात बताई गई है कि यह जो सारी नीति है, वह इसलिए है कि हमें निर्यात बढ़ाना है। एक्सपोर्ट और पेरिश, यह नारा हिन्दुस्तान में भी चला। खूब निर्यात बढ़ाना है। आप मुझे बताये कि कौन से क्षेत्रों में निर्यात बढ़ा है। अपने बजट भाषण में आपने कहा कि भारत एक सुपर पावर हो सकता है। किस क्षेत्र में हो सकता है ? कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इस क्षेत्र में हम सुपर पावर हो सकते हैं या मेजर पावर हो सकते हैं। शायद आपने सुपर पावर लिखा है।

सभापति जी, हमने इनके सरकारी दस्तावेज में देखा कि इलैक्ट्रानिक गुड्स हिन्दुस्तान में इस साल के जनवरी महीने तक या पिछले साल दिसम्बर महीने में जो निर्यात हुआ। अप्रैल से दिसम्बर तक मात्र 2,137 करोड़ रुपये निर्यात हुआ यानी 481 मिलियन डालर निर्यात हुआ। कम्प्यूटर साफ्ट वेयर का जहां तक सवाल है वह 167 करोड़ रुपये मात्र है यानी 47 मिलियन डालर है लेकिन रोब से कहा जा रहा है। एक बिल गेट्स यहां पर आये। उसका ऐसा स्वागत किया, ऐसा उसके पीछे नाचे कि हमको शर्म से सिर झुकाना पड़ा। कोई एक आदमी कुछ पैसा बना दिया। दुनिया में अनेक तरह से पैसे बनाते हैं तो पैसा ही एक चीज है जिसको लेकर आप लोगों के पीछे दौड़ेंगे। मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी तक उसके पीछे मुम्बई तक चले गये। यहां उसका स्वागत हो गया जैसे किसी और विश्व से एक व्यक्ति यहां पर आया हो और उसे देखे बगैर और उसके हाथों के सामने हाथ जोड़े बगैर, यह कहे बगैर कि हमारे देश में कुछ करो। *(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : कई दिन तक हाथ नहीं धूले।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सभापति जी, 47 मिलियन डालर हमारा निर्यात है। इस निर्यात का आप इतना हल्ला करते हो। हमारे प्राइमरी प्रोडेक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडेक्ट्स, एग्रीकल्चर एंड एलाईड प्रोडेक्ट्स का निर्यात हमारे कुल निर्यात का 29 प्रतिशत है। लेकिन 29 प्रतिशत निर्यात की बात नहीं है। इस 29 प्रतिशत में मछली, बासमती राईस, नॉन बासमती राईस, गेहूं, कार्फी, काजू और आयल में केवल 50 प्रतिशत है। सब छुटपुट चीजें जैसे चाय आदि बाकी हैं, यह हम लोगों का निर्यात है।

जहां तक मैनुफैक्चर गुड्स का सवाल है ? मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम इलैक्ट्रोनिक गुड्स, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह में सारी दुनिया को बेवकूफ बनाते जा रहे हैं कि हम सुपर पायर बनने जा रहे हैं।

सभापति जी, कुल मिलाकर हमारे चार क्षेत्र हैं। चार भी नहीं, मैं कहता हूं कि दो क्षेत्र हैं। जेम्स एंड ज्वैलरी यानी अनकट डायमंड को यहां लाकर उसको पालिश करके विदेश भेजना और कुछ जेवर बनाकर उसे विदेश भेजना और साथ-साथ कॉटन, वूलन, मैनमेड फैब्रिक्स का जो रेडीमेड गारमैंट या फैब्रिक्स है, उसे विदेश भेजना। ये दो मिलाकर हम लोगों का मैनुफैक्चर का निर्यात 50 प्रतिशत से अधिक है। 9 बिलियन आउट ऑफ 17 बिलियन है। यह स्थिति है। हम यहां पर कहते हैं कि यह सारा निर्यात हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस देश में हम लोगों को विकास करना है। कहां है आपका विकास ? कौन सा विकास है। फिर गुमराह करने या बेवकूफ बनाने का इनका सिलसिला चलता है। इनके बजट की ग्रांट्स है। आप कहीं पर भी सरसरी नजर डालिये और इसमें इनका एक गणित देखिये। इन्होंने लिखा है कि नैशनल सोशल असिस्टैंस प्रोग्राम के लिए आप 767 करोड़ रुपये दे रहे हैं। 82 लाख लोगों के लिए 700 करोड़ रुपये है। इसका अर्थ यह होता है कि एक परिवार को एक दिन में दो रुपये पड़ते हैं। यह हम लोगों का कार्यक्रम हैं लेकिन मेरे क्षेत्र में नहीं पहुंचा, तुम्हारे में अगली बार पहुंच जायेगा। अभी इनके यहां आया है। दो रुपये प्रतिदिन, यह मैं एक उदाहरण के तौर पर रख रहा हूं। इन्होंने बहुत रोआब से कहा कि हम स्कॉलरशिप देने जा रहे हैं। 65 करोड़ रुपये पोस्ट मैट्रिक के 22,456 विद्यार्थियों को दे रहे हैं यानी कितना दे रहे हैं ? महीने का 23 रुपये होता है। बाहर दुकान में जाएं तो 23 रुपये में एक प्याला चाय नहीं मिल रही है, एक बार का भोजन होने की बात ही नहीं है। हम उनको एक महीने की इतनी स्कॉलरशिप दे रहे हैं। मैं यह उदाहरण के तौर पर रख रहा हूं क्योंकि यदि ये सब चीजें यहां पर बोलने जाएं तो हमको परसों सुबह तक बोलने पड़ेगा और वह संभव नहीं है।

मैं सदन के सामने दो मुद्दे रखकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। पहली बार यह है कि ये इन्फ्लेशन के मामले को लेकर हमें बेवकूफ बनाते हैं। पिछले पांच सालों में जो दाम बढ़ा दिए हैं, उसके बारे में कहने लायक कुछ नहीं बचा है। लेकिन मुझे सबसे बड़ी परेशानी यहीं हुई जब हमने देखा कि इन्होंने पिछले दो सालों में नमक का दाम 120 प्रतिशत बढ़ाया है। जिस नमक को लेकर देश की आजादी की लड़ाई ने एक अलग दिशा पकड़ी थी, उस पर 120 प्रतिशत। और कोई चीज नहीं मिली। गेहूं और चावल, सब्जी, फल और दालें, बाकी सब चीजें छोड़ दीजिए, केवल इतना ही हम पकड़ लें। कौन गरीब जी सकता है, जरा बता दीजिए। इसके बारे में आपने अपने बजट में कुछ भी नहीं कहा। आप कहेंगे भी क्या।

मेरे पास इस सदन में पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर है। यह मेरे नाम से 11 मार्च का प्रश्न था। मैंने पूछा था :

[अनुवाद]

"तिहाड़ जेल में कैदियों के खानपान तथा अन्य आवश्यकताओं पर खर्च किया जाने वाला प्रति व्यक्ति व्यय क्या है ?

उत्तर था :

कैदियों के खान-पान और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 42.60 प्रतिदिन का आदेश है 42.60 प्रतिदिन खान-पान और सम्बंधित व्यय है।"

[हिन्दी]

वह एक्सपैंडीचर नहीं है जहां मुफ्त का मकान है, पानी है, बिजली है, टेलीविजन है। वह नहीं, ओवरहैड्स नहीं, सीधे उसके पेट में जाने

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

वाला। 42 रुपये 60 पैसे एक कैदी पर, जिसको सज़ा हो गई है और वह जेल में बंद है, यदि यह सरकार खर्च करती है तो मैं जानना चाहता हूं कि देशभर में जो भी लोग हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, इस पैसे का हिसाब लगाइए, बाकी सब छोड़िए। 45x30x12 एक महीने में एक परिवार का पोषण करने के लिए 60,000 रुपये चाहिए, उस खुराक मात्र के लिए जो जेल में मिलती है। हम जानना चाहते हैं कि क्या मंत्री जी इन चीजों के बारे में कभी सोचते हैं ? यह सोच कभी जाती है या दाओस ही नजर में है। वही लोग नजर में है। जो बहुराष्ट्रीय कम्पनियां लेकर आते हैं, जिनके जरिए आप इस देश को बनाना चाहते हैं यानि 2.5 प्रतिशत से लेकर 10 प्रतिशत का जो पूरा खेमा बना है, वहीं तक आपकी सोच है या कभी आप इन सब चीजों के बारे में सोचेंगे। सदन में हर दिन धांधती होती है कि बिहार में गाड़ी लूटी गई, उत्तर प्रदेश में गाड़ी लूटी गई। क्यों नहीं लूटेंगे लोग ? और क्या करेंगे लोग ? आप रोजगार नहीं पैदा कर रहे हैं। जो रोजागर हैं, उन्हें खत्म कर रहे हैं। आप दाम नहीं घटा रहे हैं, दाम को प्रतिदिन वढ़ा रहे हैं। आप गरीब आदमी के बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं हैं। यदि हम गरीब आदमी के बारे में कुछ भी कहते हैं तो कहा जाता है कि इनका पेशा है, गरीब आदमी के बारे में बोलने से इनका पेट भरता है। अपमानित करते हैं। आप किसके बारे में सोच रहे हैं। यह सारा काम किसके लिए आप कर रहे हैं। इसलिए हम वहुत परेशान होकर, बेचैन होकर यह बात मंत्री जी के सामने रख रहे हैं और मंत्री जी को याद रखकर रख रहे हैं। नैशनल काउंसिल फार ऐप्लाइड इकोनौमिक रिसर्च की एक रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट आज दुनियाभर में चली है। पहले तो हिन्दुस्तान में ही थी, बाकी लोगों ने शायद शुरू में उसे देखा नहीं था। *(व्यवधान)* अभी मैंने देखा कि सारे विश्व के अखबारों में इसके बारे में लिखा जाता है और बोलने लगे हैं। यह रिपोर्ट यह बताती है कि हिन्दुस्तान में 80 प्रतिशत आबादी, मैं फिर कहता हूं कि 80 प्रतिशत परिवार, यानि 80 प्रतिशत आबादी है, मगर वे हाउसहोल्ड का हिसाब लगाते हैं। 80 प्रतिशत आबादी औसतन साल में 40,000 रुपये प्रति परिवार या उससे कम में जीता है। मंत्री जी का और इस सरकार का, इन वामपंथी मित्रों का, इनको केवल एक ही नारे पर कि हम सैकुलर हैं, तो यह सैकुलर गरीवी है, यह सैकुलर लूट है, यह सैकुलर लांडरिंग ऑफ ब्लैक मनी है, ये सारे सैकुलर काम आप जो उनके हाथों से करा रहे हो तो मेरी आप लोगों से विशेषकर हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सैकुलर, नॉन सैकुलर, यह लड़ाई फिर कभी कहीं हो जाये, लेकिन इस देश के लोगों को, इस देश के गरीब को इस तरह से मिटाने का जो इन लोगों का प्रयास है, उसमें आप लोग अपना हाथ बढ़ाना छोड़ दीजिए। *(व्यवधान)*

आखिरी जुमला रक्षा विभाग से जुड़ा है, मैं खत्म कर रहा हूं। आम तौर से मैं रक्षा विभाग से लड़ता रहता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय (श्री. पी०एम० सईद) : मैं यह बहस नहीं कर रहा हूं कि वे एक वरिष्ठ हैं। लेकिन उन्होंने 42 मिनट लिये हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सभापति जी, मैं समाप्त कर रहा हूं। इस विवाद में ही मेरी बात समाप्त हो जायेगी। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप डिस्टर्ब क्यों करते हैं, अभी तो वे समाप्त करने वाले हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सभापति जी, मैं आम तौर पर रक्षा विभाग के बारे में बोलता नहीं हूं। पिछले साल मैंने रक्षा विभाग पर यहां पर उसकी ग्राण्ट्स के ऊपर भाषण किया था, लेकिन ग्राण्ट्स पर नहीं किया था, बल्कि मिलिट्री में जो भ्रष्टाचार है, मिलिट्री में जो जुल्म है, उस जुल्म का पर्दाफाश हमने इस सदन में किया था। उससे कुछ नहीं हुआ। वहां कोई सुधार नहीं हुआ, लेकिन वह बात अपनी जगह पर अलग है। मैं उसको अभी यहां पर नहीं बोल रहा हूं। आज मैं इस बात को छेड़ रहा हूं, इस बजट में मिलिट्री के साथ, केवल मिलिट्री ही नहीं, हमारे समूचे रक्षा विभाग के सभी जो भी लोग हैं, उनके साथ अन्याय हुआ हैं उनके साथ दो प्रकार का अन्याय हुआ है। एक अन्याय पे कमीशन ने किया, मुझे मालूम नहीं था कि इन लोगों ने एक आई० ए०एस० अधिकारी को पहले ही वहां पर बिठा दिया था, जो नहीं होना चाहिए था। इस देश में अब लोग केवल अपना खेमा छोड़कर, देश के बारे में सोचना या समाज के बारे में सोचना, यह तो लगभग समाप्त है। जब बजट ढाई प्रतिशत के लिए बनता है, हर आदमी अपने ही वर्ग का जब सोचने लग जाता है और जहां तक कि पे कमीशन को बनाते हुए, पहले रिपोर्ट बनाते हुए, उसके बाद उसको प्रोसेस करते हुए सुना है कि 5-6 सैक्रेटरीज की कमेटी बन गई हैं, तो अपने ही बारे में सोचने लगे हैं। आप इस देश की सुरक्षा के बारे में नहीं सोचेंगे, इसलिए कि वे वर्दी में हैं और आप उनको कुछ भी कह सकते हो, आप उनको बोलने से रोक सकते हो, लेकिन ज्यादा दिन नहीं रोक पाओगे, आज वे बोलने लगे हैं। समय रहते हुए इस स्थिति को दुरूस्त करना चाहिए। एक तो उनका पे कमीशन का मामला दुरूस्त होना चाहिए। जब वह बात आयेगी, तब अलग से कहा जायेगा, लेकिन आज मैं बहुत आग्रह से कहना चाहता हूं कि कोई भी आपकी रिपोर्ट आने से पहले उनको उचित इन्साफ देने का और मिलिट्री के लिए ही नहीं, बल्कि पुलिस विभाग के लिए भी और अन्य लोगों के लिए भी इन्साफ देने का काम होना चाहिए।

दूसरे जो डिफेंस के लिए आपने पैसा दिया है, इस मामले में कहा गया, मंत्री जी ने तो उसके बारे में विशेष, बड़े स्टाइल से, वह पहले अपनी बात को बोले और उसके बाद आगे जाकर बोले कि वचन देता हूं, अलग से एक वचन दिया, बजट के बाहर जाकर वचन भी दे दिया, जब पैसे की जरूरत पड़ेगी, तब पैसे मिलेंगे और ऐसा दिखाया गया कि खूब पैसे मिले हैं। कुल बजट में 35,620 करोड़ रुपये दिये हैं। पिछले साल का रिवाइज्ड एंस्टीमेट 29,498 करोड़ रुपये है, यानि बढ़कर 6,122 करोड़ रुपये हो गया, यानि 20 प्रतिशत। अब इस 6,122 करोड़ रुपये में फिफ्थ पे कमीशन का 3,620 करोड़, मिलिट्री की अन्य सेवाओं के लिए महंगाई भत्ता और एनुअल इन्क्रीमेंट मिलाकर 837 करोड़ रुपये है। पैंशन में मिलाकर 32 करोड़ रुपये अधिक जाने वाला है,

यानि कुल 4,489 करोड़ रुपये इस 6122 करोड़ रुपये में से इसी में चले गये, तो मिलिट्री के लिए बचा क्या ? 1633 करोड़ रुपये। पिछले साल के बजट के मुकाबले 1633 करोड़ रुपये की मात्र बढ़ोत्तरी की है, वह भी किस चीज में की है, यह भी देखने योग्य है। मैं अभी रक्षा नीति पर या विदेश नीति पर नहीं बोल रहा हूं। लेकिन मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि इस रक्षा विभाग के मामले को इतने हल्के ढंग से न देखें। इसको तत्काल दुरूस्त करने के लिए कदम उठाएं।

अंत में मेरी एक और प्रर्थना इस सदन से, इस सरकार से और सरकारों से है। यह जो हम लोग कुछ मरे और जिंदे व्यक्तियों के नाम पर योजनाओं को चलाते हैं, यह प्रथा खत्म होनी चाहिए। नेहरू रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना और सबके ऊपर प्रधान मंत्री की अलग से योजना। मेरी समक्ष में नहीं आता कि प्रधान मंत्री के नाम से भी क्यों योजना बनाई जाती है। जब प्रधान मंत्री के नाम से ही योजना बनानी है तो फिर सरकार काहे की है। अगर प्रधान मंत्री की योजना है तो मंत्रिमंडल क्या है, फिर राष्ट्रपति के नाम से योजना क्यों न हो, रक्षा मंत्री के नाम से योजना क्यों न हो, वित्त मंत्री के नाम से योजना क्यों न हो, हर सूबेदार के नाम पर योजना क्यों न हो, मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं। मैं जानता हूं इसमें राजनीति है। वह यह है कि मेरे हुए लोगों के नाम पर वोटों की राजनीति करना। उनके नाम पर कार्यक्रम बनाओ, इससे कुछ बात बनेगी, यह उनकी सोच है। लेकिन प्रजातंत्र के लिए यह ठीक नहीं है। प्रजातांत्रिक देश में इस प्रकार की व्यक्ति पूजा न जिंदे लोगों के लिए और न ही मरे हुए लोगों के लिए होनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि योजनाओं को अलग-अलग व्यक्तियों के नाम से चलाने की परम्परा खत्म करें। इस देश की जम्हूरियत को बचाने के लिए कदम उठाएं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस बजट का पूरा विरोध करता हूं।

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : सभापति जी, किसी भी सरकार का बजट उसकी नीति और नीयत का परिचायक होता है। सरकार में जो बैठे हैं, उनकी 13 दलों की सरकार है। अलग-अलग नीतियां हैं और हरेक की अलग-अलग नीयत है। जब नीति और नीयत अलग-अलग हो तो नतीजा ठीक नहीं निकलता, उसका परिचायक हमारा यह बजट है। इस बजट को जिस प्रकार से छल और प्रपंचपूर्वक माननीय वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया, ऊपर से बड़ा लुभावना दिखता है, लेकिन इस बजट से मुद्रास्फीति बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी और हमारा अर्थतंत्र जो डांवाडोल हो रहा है बेकारी और बेरोजगारी बढ़ रही है। अतः वह किसी प्रकार से नियंत्रित नहीं हो सकेगा। वर्तमान मे जो देश की स्थिति है, जिस प्रकार से आर्थिक तंगी से देश गुजर रहा है, बार-बार सरकार के कहने के बाद भी न तो विदेशी निवेश आ रहा है, न स्वदेशी निवेश लग रहा है और न ही एन०आई०आर० आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में किस प्रकार से आप अर्थतंत्र में सुधार करना चाहते हैं, कैसे सुधार लाएंगे, यह इस बजट के प्रस्तावों से परिलक्षित नहीं होता। यह बजट एक मकड़जाल कहा जा सकता है, एक भ्रमपूर्ण स्थिति बनाने वाला कहा जा सकता है।

वित्त मंत्री का कहना है कि हम इससे मुद्रास्फीति को रोक पाएंगे या नियंत्रित कर पाएंगे, यह भी सम्भव नहीं है। जिस प्रकार से उन्होंने सारा योजना व्यय और गैर परियोजना व्यय का प्रदर्शन किया है, उसको इस बजट से संतुलित कर पाएंगे या उसको ठीक से रख पाएंगे या बाजार को नियंत्रित कर पाएंगे, यह सम्भव नहीं होगा।

मैं इस बजट के केवल दो बिंदुओं की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है कि खाद्यान्न उत्पादन में 191 करोड़ टन की तीव्र वृद्धि का लक्ष्य, दूसरा उन्होंने कहा है कि सात बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के लिए राज्यों को 2486 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि, जीवन सुरक्षा, जन आयोग्य बीमा योजना तथा त्वरित सिंचाई लाभ। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि जो विवरण इन्होंने प्रस्तुत किया है और जिस प्रकार से बजट प्रस्तावों में उल्लेख किया है उससे साफ जाहिर होता है कि केवल भ्रम की रचना की गई है। कृषि के ऊपर 1996-97 का बजट एस्टीमेट 2831 करोड़ रुपये था, आज 2971 करोड़ रुपये है। इसमें कोई बड़ा अंतर नजर नहीं आया। जिस प्रकार से बाजार भाव बढ़े हैं, चीजों की कीमतें बढ़ी हैं, जैसी बाजार की स्थिति है उसमें इस प्रकार की वृद्धि कदापि उचित नहीं कहीं जा सकती, बहुत थोड़ी वृद्धि हुई है। ठीक इसी प्रकार से रूरल डवलपमेंट के अंदर 7520 करोड़ रुपये का प्रावधान 1996-97 में था, इस बार 7691 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इरीगेशन एंड फ्लड कंट्रोल के अंदर 1248 करोड़ से घटाकर 323 करोड़ हो गया है। इंडस्ट्री के अंदर ट्रांसपोर्ट के अंदर इसमें भी पहले जो बजट प्रावधान थे, उसका तुलनात्मक अंतर आप देखें तो आप देखेंगे कि उसमें भी कमी आई है।

मैं वित्त मंत्री का ध्यान इस बात की तरह आकर्षित करना चाहूंगा कि उन्होंने कहा था कि हमारा निर्यात बढ़ेगा। हमारा आयात कम होगा। लेकिन जो आंकड़े बताते हैं, उनके अनुसार हमारा निर्यात जिस प्रकार से घटा है और आयात बढ़ा है, यह ठीक नहीं है। निर्यात के घटने के कारण बाजार में हमारी स्थिति ठीक नहीं है। आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कृषि क्षेत्र में व सर्विसेज में भी बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया है।

[अनुवाद]

"तथापि, कृषि क्षेत्र के लिए समग्र योजना परिव्यय अगले वर्ष के बजट में सीमान्तीय तौर पर बढ़ गया है।"

कृषि परिव्यय में सीमान्त वृद्धि पर अपनी असंतुष्टि व्यक्त करते हुए केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री चतुरानन मिश्र ने कहा :

"लगभग 4.5 प्रतिशत की लक्षित वृद्धि को पाने के लिए प्रस्तावित आवंटन बहुत कम था। उन्होंने अफसोस जाहिर किया कि कृषि निर्यात के संवर्द्धन हेतु बजट में नये प्रोत्साहन नहीं दिये गये हैं।"

[हिन्दी]

कृषि मंत्री जी का कथन है कि जिस प्रकार से बजट के अंदर

[श्री लक्ष्मी नारायण पांडेय]

आपने प्रावधान किए हैं, उससे कृषि के क्षेत्र में किसी भी प्रकार से उन्नति नहीं होगी तथा हमारे वृद्धि आधारित एक्सपोर्ट या अन्य एक्सपोर्ट में भी कोई लाभ नहीं होगा। इस बजट के संबंध में अर्थशास्त्रियों ने अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं। मैं एक-दो के उदाहरण आपको देना चाहूंगा।

[अनुवाद]

"1997 का वजट देश के इतिहास में उन बजटों में से होगा जिसने करदाताओं को अधिकतम लाभ पहुंचाना है। प्रथम दृष्टया बजट का स्वागत किया जायेगा लेकिन बारीकी से देखने पर बजट केवल कर प्रशासन को उद्दिगन करने वाली समस्याओं का सामना करने का प्रयास करने की बजाय लोगों को खुश करने वाला केवल एक दस्तावेज है।"

[हिन्दी]

उनका यह कथन और जैसे कि माननीय जार्ज फर्नांडीज साहब कह रहे थे कि इस बजट से लाभ केवल कुछ विशेष लोगों को, कुछ पूंजीपति लोगों को ही होगा। सामान्य लोगों को इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसी संबंध में माननीय चतुरानन मिश्र ने कहा था इसे मैं उद्धृत कर रहा हूं तथा पूर्व वित्त मंत्री ने अपनी धारणा व्यक्त की है : वह इस प्रकार है।

[अनुवाद]

"डा० मनमोहन सिंह, पूर्व वित्त मंत्री अर्थव्यवस्था द्वारा सामना की जा रही दो घोर समस्याओं अर्थात्, खाद्य पदार्थों के मूल्यों तथा वढ़ते हुए तेल खाता घाटे में वृद्धि के रचनात्मक उत्तर बनाने मे विफल हो गये। डा० सिंह को निर्गम मूल्य से आधी कीमत पर उन लोगों को अनाज बांटने का प्रस्ताव अव्यावहारिक लगा है जो गरीबी रेखा से नीचे हैं।"

[हिन्दी]

जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करने वाले हैं या जो गरीब हैं, उनको आधी कीमत पर खाद्यान्न देने की व्यवस्था की गई है, यह किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। यह जो बजट एलोकेशन किया गया है, इसमें जो वर्तमान कृषि मंत्री हैं, उनका और जो पूर्व में वित्त मंत्री थे, वे दोनों ही इस बात से असंतुष्ट थे कि आपकी नीति निर्धारण के अंदर एक प्रकार से सहायक माने जा सकते हैं। एक तो सरकार में हैं और जो सरकार से बाहर होते हुए भी सरकार को समर्थन कर रहे हैं और दोनों ही इस बात के साक्षी हैं कि और दोनों ही इस बात को कह रहे हैं। मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए एक और निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि आपने सामाजिक सेवाओं के लिए कुछ बातें कहीं हैं। आप सामाजिक सेवाओं का विकास करना चाहते हैं और सामाजिक सेवाओं के लिए जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, उनके अंदर आपको शिक्षा, आवास, चिकित्सा, पेय जल तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो समस्याएं हैं, इस सब के बारे में बजट एलोकेशन इतना कम है जो न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति भी नहीं करेगा।

आज जो उद्योगपतियों की स्थिति है, मैं उसके ऊपर भी कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा। आखिर कौन सी इंडस्ट्री है जो आज आगे बढ़ रही है। केवल उन उद्योगों को छोड़कर जो राष्ट्रीय कम्पनियों के साथ हैं या जिनमें बाहर से पैसा निवेश किया गया हैं कपड़ा, चीनी उद्योग सीमेंट उद्योग तथा देश के दूसरे उद्योग जो धीरे-धीरे समाप्त हो गए हैं या समाप्त होने जा रहे हैं, वे काफी खराब हालत में हैं। इतना होने पर आपने जो बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से आग्रह किया है कि आप यहां आइए और पैसा लगाइए तथा यहां आकर अपने पैर पसारिए और बाद में पूंजी का संभरण करके विदेशों में पूंजी ले जाइए। अतः बहुराष्ट्रीय कम्पनीज के साथ जो उद्योग कार्यरत हैं, केवल वे ही लाभान्वित हुए हैं अन्यथा यहां के उद्योग धीरे-धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। उनको पुनर्जीवन की आवश्यकता है। उसको आप महसूस नहीं कर रहे हैं, जैसे कि माननीय संसदों ने चीनी के बारे में अपनी धारणा व्यक्त की कि किस प्रकार से चीनी तथा कपड़ा उद्योग संकट में है। इसके बारे में भी थोड़ा विचार करने की आवश्यकता हैं आखिर इन सब प्रावधानों के बाद, आर्थिक सुधारों की घोषणा किए जाने के बाद भी वे कौन से कारण हैं कि धीरे-धीरे उद्योग समाप्त होते जा रहे हैं। अभी मेरे मित्र सांसद नंद कुमार सिंह जी कह रहे थे कि नेपा नगर की अखबारी कागज की मिल बंद होने जा रही है। वहां के हजारों मजदूर बेकार होने जा रहे हैं। उसके क्या कारण हैं ? उसका कारण यह है कि जो अखबार आयात किया जाता है, वह सस्ता पड़ता है हमारे यहां बनने वाला कागज महंगा पड़ता है। ऐसा कस्टम शुल्क में छूट देने के कारण है। देशी वस्तुओं की खपत घटकर विदेशी वस्तुओं की खपत बढ़ रही है। पूंजी बाहर जा रही है और पूंजी का संकट यहां पर खड़ा हो गया है। हमारा निर्यात निरन्तर घट रहा है। निर्यात संवर्धन के लिए बजट में राशि कम है।

रिजर्व बैंक के एक्ट में और संशोधन करने की दृष्टि से अध्यादेश प्रस्तुत किया गया है और उसके बाद विधेयक लाकर उसको पारित करवाने की जो चेष्टा की गई है, इसके कारण और संकट बढ़ने वाला है सामान्य लोगों को जो पूजी सरलता से मिलती है वह नहीं मिलेगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने खाद्यान्न के बारे में बात की है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि खाद्यान्न की स्थिति क्या है, उसका कितना उत्पादन है ? उसका उत्पादन क्यों घट रहा है ? गेहूं का उत्पादन घटा है। हमें गेहूं का आयात करना पड़ा है। यह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई ? इकॉनोमिक सर्वे के पृष्ठ 150 में बातया गया है कि मुख्यतः गेहूं, खरीफ, चावल और बाजरा के उत्पादन में कमी होने के कारण आयात करना पड़ा है। यह पता चला है कि गेहूं की फसल 62.6 मिलियन टन हुई है जो गत वर्ष के मुकाबले मे लगभग 3 मिलियन टन कम हुई है। गेहूं का उत्पादन कम हुआ है। उत्पादन में कमी होने के कारण कृषि के क्षेत्र में जिस प्रकार का पूंजी निवेश होना चाहिए था, जैसी सहायता दी जानी चाहिए थी, फिर चाहे वह उर्वरक का मामला हो या दूसरा मामला हो, जिस प्रकार से किसानों के साथ हुआ है कि उन्हें रासायनिक उर्वरक समय से नहीं मिल पाया है, यह सब आयात या निर्यात नीति के फलस्वरूप हुआ

है। उसके कारण गेहूं का अन्य खाद्यान्नों उत्पादन कम हुआ। आज गेहूं बाहर से मंगाया जा रहा है। सात रुपया प्रति किलों होगा। हम अपने किसान को साढ़े चार रुपया देते हैं। इस प्रकार से यह ढ़ाई रुपए का अंतर हम बाहर देने के लिए तैयार हैं। लेकिन किसान को देने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसी स्थिति आखिर क्यों उत्पन्न हुई ? अतः गेहूं का उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से भी हमें काम करने की आवश्यकता है।

यही स्थिति बिजली के क्षेत्र में भी है। भले ही विद्युत क्षेत्र के अंदर नए-नए कानून लाकर उत्पादन बढ़ाने की और नई सुविधाएं प्रदान करने की बात की जाती हो। लेकिन आज विद्युत की जो सामान्य स्थिति बनी हुई है, *(व्यवधान)* वह ठीक नहीं है, हालत बहुत खराब है।

सभापति महोदय : आपके दूसरे साथियों को बोलने का चांस नहीं मिल पाएगा।

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : मं थोड़ा सा ही समय लूंगा। विद्युत उत्पादन में जो कमी हुई है और उस कमी के कारण विद्युत संकट खड़ा हो गया है, उसके कारण उत्पादन में असर आया हैं यह जो क्रूड ऑयल के उत्पादन में कमी हुई है, बाजार के अंदर पैसा नहीं है। गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों की प्रतिशतता निरंतर बढ़ती चली जा रही है। जो माननीय मंत्री जी कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा बजट पेश किया है। हमने पूर्वानुमान लगाए थे कि बहुत अच्छी स्थिति हो गई हैं लेकिन आम आदमी, गरीब आदमी दुखी है। जिन लोगों के पास पहले से काफी पैसा है, इस बजट से केवल उन्हीं लोगों को इस बजट से लाभ मिलने वाला है। लेकिन आम आदमी को इससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। कृपया आत्मनिर्भर बनाने के उपाय करें मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस संबंध में वे किस प्रकार से योजनाएं बनाने का विचार कर रहे हैं और वह योजनाओं को कहां तक ले जाएंगे स्पष्ट करें। अधिक आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। इस कारण प्रशासनिक व्यय के ऊपर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, चाहे यह सामाजिक सेवा हो या दूसरे स्वरूप हों, चाहे चिकित्सा क्षेत्र हो, स्वास्थ्य क्षेत्र हो या दूसरे क्षेत्र हों। मैंने ये कुछ बातें बहुत ही संक्षेप में रखने की चेष्टा की हैं भले ही राष्ट्रीय राज मार्ग के बारे में आपने प्राधिकरण बना करके किया लेकिन दो सौ करोड़ की पूंजी से क्या होगा ? यहां भी कहा जाता है और बाहर भी कहा जाता है कि अगर कहीं सर्वाधिक असुरक्षित सड़कें हैं तो वे भारत की सड़के हैं। राष्ट्रीय राज मार्ग के लिए मात्र थोड़ा सा पैसा देना ठीक नहीं होगा। चाहे विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में हो, राष्ट्रीय राज मार्ग के क्षेत्र में हो, किसानों के संरक्षण क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से हो, उर्वरक की दृष्टि से हो या शिक्षा की दृष्टि से हो, क्योंकि शिक्षा की दृष्टि से भी हम बहुत पीछे हैं, जो बजट काफी कम है इसलिए इन सब में भी बजट बढ़ाने की आवश्यकता है, अन्यथा यह एक प्रकार से वड़ा लुभावना बजट होकर भी किसी का हित संपादन करने वाला बजट नहीं होगा, ऐसी मेरी मान्यता है।

मंत्री जी, आपने जिस रूप में इस बजट को प्रस्तुत किया उस रूप में हम हमें स्वीकार करने में असमर्थ हैं। मैं चाहूंगा कि जिन बातों की तरफ मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया है उनकी तरह मंत्री जी निश्चित रूप से ध्यान देंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री पी०आर० दासमुंशी (हावड़ा) : सभापित महोदय, मैं शुरू में ही यह कहना चाहता हूं कि हमने कांग्रेस पार्टी से इस विधेयक का समर्थन करने के लिए राजनैतिक तथा संवैधानिक आभार व्यक्ति किया है तथा यही कारण है कि हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। लेकिन इस बजट की हमारे पास विवेचनात्मक टिप्पणी है।

मेरे प्रिय मित्र, माननीय वित्त मंत्री ने बजट भाषण संदर्भ से हटकर टैगोर तथा डेंगजियाओ पिंग को उद्धृत करते हुए समापन किया। निस्संदेह वे संयुक्त मोर्चा के वाम घटकों को खुश करना चाहते थे। मैं अपने प्रिय मित्र श्री चिदम्बरम में परिवर्तन देख रहा हूं वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलकर तमिल मनीला कांग्रेस तक पहुंच गये और अपने सम्पूर्ण भाषण में पण्डित जवाहर लाल नेहरू को याद करना भूल गये है। मैं नहीं समझता कि यह इनका दोष है। बल्कि वह व्यवस्था तथा उससे जुड़ी मजबूरी के कारण है। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में वे डेंगजियाओं पेंग के दृष्टिकोण के बजाय नेहरूवादी दृष्टिकोण से अधिक प्रभावित होगें। यदि वह डेंगजियाओपेंग के दृष्टिकोण का समावेश करते हुए बजट में कुछ सकारात्मक प्रावधान करते तो ममैं उनकी सराहना करता।

चीन में जो उदारीकरण हो रहा है उसका बड़ा ठोस आधार है। ग्रामीण क्षेत्र में पूरे मूल ढांचे की आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात मुख्य क्षेत्र में अपनी राष्ट्रीय व्यवस्था पर पूर्ण अधिकार करके ही उन्होंने उदारीकरण शुरू करने का प्रयास किया था और वह भी अपने तानाशाहों के अनुसार। निस्संदेह वे हमारे साथ उन दस प्रमुख राष्ट्रों की संख्या में आ गये हैं जो ऋण में नहीं फंसे है लेकिन विदेशी ऋण की मुख्य धारा में हैं। यह एक ऐसा बजट है जिसमें सीमा शुल्क पुनर्व्यवस्था जो भारत की आत्मनिर्भरता की कीमत पर यहां डम्पिंग करने का स्थान मानने का पश्चिमी एवं एशियान देशों को मौका देता है यह अनुसंधान और विकास उपकरण एवं जीवन रक्षक औषधियों को छोड़कर देश की बुनियादी और स्वदेशी विकसित प्रौद्योगिकी को लघु और मंझौले स्तर के उद्योगों तक सीमित करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं पश्चिमी व्यवस्था के निर्देश के समक्ष घुटने टेकने के समान है जो हम पर उस हद तक हावी होने का प्रयास करेगा।

बजट वाम पंथियों के अलावा संयुक्त मोर्चा तथा उनके घटकों के विभिन्न विचारों को वास्तव में परिलक्षित करता है। बजट का मसविदा तैयार करते समय वामदलों को इस प्रकार का विचार दिया गया कि वित्त उनकी सुगंध मात्र ले रहे हैं लेकिन जब इसे बजट का रूप दिया गया तो देश के सबसे धनी लोगों को यह संकेत मिला कि यह उन्हीं का बजट है जब इसे संसद में रखा गया तो सबसे गरीब लोगों ने यह पाया कि उन्हें इस बजट से कोई आशा नहीं है। केवल बहुराष्ट्रीय कम्पनियां ही समझ पाई कि यह उनका बजट है। यही वह प्रक्रिया है जिससे बजट संसद में आया।

[श्री पी०आर० दासमुंशी]

वित्त मंत्री का समर्थन करना उसकी चापलूसी करना नहीं है अपितु उसको खतरों से अवगत कराना है मैं उसका समर्थक हूं। संयुक्त मोर्चा का समर्थक होने के नाते नहीं; अपितु एक सच्चा समर्थक होने के नाते। जब श्री चिदम्बरम ने अपना अन्तिम वित्त विधेयक पेश किया तो मैंने भी कहा था कि मेरी यह इच्छा है कि मैं उन्हें अगला बजट पेश करते देखूं। मैं उन्हें अगला बजट भी पेश करने की कामना करता हूं। इसका एक ही कारण है कि उन्होंने राजकोषीय घाटे के चार प्रतिशत की सीमा के भीतर रखने का वायदा तो अवश्य किया था लेकिन निस्संदेह वे ऐसा कर नहीं सके। कोई बात नहीं। अब यह 4.5 प्रतिशत है मुझे आशा है है कि अगले वर्ष वे इस घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के चार प्रतिशत के स्तर पर लाने का प्रयास करेंगे।

मुझे पक्की उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे।

बजट को तैयार करना एक जटिल कार्य है। मुझे यह मालूम नहीं है कि क्या श्री चिदम्बरम अपने स्कूल के दिनों में सैकेंडरी स्तर पर गणित के विद्यार्थी थे। गणित में लॉगरिथम नाम से जाने, जाने वाले कई प्रकार के गणित संबंधी अभ्यास हैं। कुछ समीकरणों को जब वे ऋणात्मक हो तब उनको अधिमूल्यांकित रखने हेतु कैसे प्रस्तुत करें। बजट की यह एक दिलचस्प प्रथा है। यह इस प्रकार है कि मैं आपको 30 रुपये दूंगा जब आप इस वायदे के साथ 20 रुपये खर्च करेंगे कि अगले वर्ष में 40 रुपये दे दूंगा। 30 रुपये खर्च करना और दस रुपये भूतकाल से लाना। इसका मतलब यह हुआ कि मेरा राष्ट्र के प्रति यह वायदा है कि समस्त नियोजित विकास वृद्धि हेतु कुछ राशि खर्च की जाये। नियोजित विकास के लिए संसद को दिया गया वचन देश को दिया गया एक वचन है।

यदि आप योजना व्यय को राशि के लिये समझौता करते हैं और उसमें से पैसा बचाते हैं तथा अपने बजट में इस उम्मीद के साथ समायोजन करते हैं कि अगले वर्ष इसकी कोई व्यवस्था कर दी जाएगी, तो मुझे यह दुःख के साथ कहना पड़ता है कि यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। वे राष्ट्र के प्रति अपनी आस्था व्यक्त नहीं कर रहे हैं। आपके गैर-योजना बजट की राशि घट-बढ़ सकती है। परन्तु यदि आप अपनी योजना बजट में से बचत करते हैं तो, यह अच्छी व्यवस्था का लक्षण नहीं है। आपने इस देश में यही छवि प्रस्तुत की है। माननीय वित्त मंत्री महोदय यह चेतावनी का संकेत दे रहा है। और हम कांग्रेस जन बहुत दुखी हैं क्योंकि सातवीं योजना और आठवीं योजना के योजनाबद्ध विकास का कुल कार्य-निष्पादन इस स्थिति में पहुंच गया है कि लक्षित विकास प्राप्त करना मुश्किल हो गया है। मैं यह नहीं कहता कि समग्र रूप से यही हुआ। मैं उदारवादी नीति के थोड़े आलोचक के रूप में ही जाना जाता रहा हूं। ऐसी बात नहीं है कि मैं उदारवाद का विरोधी हूं। मैं इसे समझ सकता हूं। मैं समझता हूं कि अन्तरराष्ट्रीय बाध्यता, पूर्व सोवियत संघ का विघटन, तीसरी दुनिया के प्रमुख विकासशील देशों के बढ़ते हुए संसाधन आदि कुछ ऐसे कारण हैं जिन्होंने हममें से अनेक लोगों को इस प्रकार के अनपेक्षित सुधार स्वीकार करने के लिये बाध्य किया। मैं सचमुच इसके लिए बहुत दुःखी हूं।

जब मैं राजीनति में आया तो मेरा यह सपना था कि गरीबों को अन्ततः अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हमने 'समाजवाद' शब्द का जादू चलाया। विगत में अपने अनेक बजटों में हम इसकी चर्चा करते रहे हैं। मैं श्री चिदम्बरम पर कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। भारत में मुख्यतः 'समाजववाद' शब्द नहीं बल्कि समाजवाद की अवधारणा अथवा समाजवाद पर आस्था इसका शिकार बनी है। अब 'समाजवाद' की जगह नया नारा 'सुधारवाद' आ गया है यह 'सुधारवाद' 'स्वावलम्बन' को क्षति पहुंचा कर आया है। मुझे सचमुच यह चिंता सता रही है कि इस देश का भविष्य क्या होगा। मैं यह विश्वास करने के लिये तैयार नहीं हूं कि हमारे पास क्षमता नहीं है। मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि हम उस अवस्था में पहुंच गये हैं जहां हमने सब कुछ खो दिया है। पंडित जवाहर लाल नेहरू का एक सपना था। उन्होंने राष्ट्र के लिये सब कुछ इसलिये नहीं किया कि हमारे देश की आजादी के पचास वर्षों के बाद हमारा देश दूसरे देशों की दया पर जीएगा, और इस बात की बाट जोहेगा कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और अन्य विदेशी कम्पनियों के कहने से हमारे देश में कितना निवेश होगा। मैं नहीं समझता कि इस स्थिति में देश समृद्ध होगा। जी हां, हमें इस बात पर सोचने की आवश्यकता है परन्तु दूसरों के इशारे पर नहीं बल्कि दूसरों के साथ कोई तालमेल बैठा कर ही ऐसा करेंगे। उदारवाद का क्या प्रभाव पड़ा है ? मैंने इसके तीन उत्तर दिए हैं। माननीय वित्त मंत्री, आप तमिल नाडु अथवा गुजरात के किसी गांव या किसी भी गांव में जाइये। आप किसी भी ग्रामीण से एक गिलास पानी मांगिये। वह आपको यही कहेगा कि वह आपको एक गिलास पानी नहीं दे सकता। वह कहेगा कि वह आपको नजदीक के किसी दुकान से पेप्सी, कोका कोला अथवा थम्सअप पिला सकता है उस गांव में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। यह उदारीकरण का प्रभाव है।

पूरे भारत में देवू सहित दस से बारह मोटरगाड़ियां दौड़ रही हैं। देश में एस०के०डी० अथवा सी०के०डी० कंडीशन में बारह मोटर मोटरकार कम्पनियां आ रही हैं। परन्तु ऐसी कोई भी कम्पनी वित्त मंत्री जी अथवा विदेशी निवेश बोर्ड को यह आश्वासन नहीं दें रही है कि वह भारत में न सिर्फ काटों के उत्पादन पर निवेश करेगी, बल्कि सड़क निर्माण प्रक्रिया में भी दस से पंद्रह प्रतिशत तक का निवेश करेगी। क्या आप इस विषय पर सभा को आश्वासन दे सकते हैं ? जी नहीं, क्या यह कोई जंग करने की जगह है ? क्या यह वही देश है जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी थी क्या वह लड़ाई कुछ मुट्ठी भर लोगों को खुश करने अथवा उनके लिये सुख सुविधा प्रदान करने के लिए लड़ी गई थी ? यह सब क्या हो रहा है ? जब मैं आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ता हूं तो, राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में आंसू बहाता हूं। जब हम अपने चुनाव-क्षेत्र जाते हैं तो क्या पाते हैं ? हम पाते हैं कि धन आवंटित किया गया है और योजना स्वीकृत की गई है। परन्तु जब मैं एक ही चुनाव-क्षेत्र हर वर्ष जाता हूं, तो

[हिन्दी]

लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता और उनके सिर पर टूटी हुई छत है।

हमें हर वर्ष एक ही सारणी देखने को मिलती है। हमारी व्यवस्था में क्या गलती है ? क्या योजना को लागू करने में गलती है। इसमें क्या गलती है ? कौन इसका जवाब ढूंढेगा ? कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं कर रहा है ? हम केवल कुछ आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं।

आपने कहा कि आपने मूलभूत सेवाओं के लिये 2,000 करोड़ रुपये प्रदान कर बहुत महान कार्य किया है। यह आपका न्यूनतम साझा कार्यक्रम है। परन्तु मैं आपके सी०एम०पी० को न्यूनतम साझा कार्यक्रम नहीं बल्कि बहुराष्ट्रीय साझा कार्यक्रम कहूंगा। क्या यह न्यूनतम साझा कार्यक्रम है? आपका वित्तीय घाटा 60,000 करोड़ रुपये से अधिक का है, फिर भी आप संसद और देश को व्यक्तिगत रूप से आश्वासन देते हैं कि आपका न्यूनतम साझा कार्यक्रम देश भर में 2,000 करोड़ रुपये के आवंटन को सुनिश्चित करता है। यह कितना है ? ऊंट के मुंह में जीरा ? यदि थानों के रिकार्ड में दर्ज सभी भिखारियों को श्री राम विलास पासवान द्वारा दिल्ली में रेलगाड़ी से जमुनापार से लाल किला मैदान में इकट्ठा किये जाए और इस 2,000 करोड़ रुपये की राशि उनमें वितरित की जाय, तो वे भी कुछ थोड़ी बहुत धनराशि प्राप्त करेंगे। मूलभूत न्यूनतम सेवाओं को कैसी प्राथमिकता दी गयी है। आप गरीबों की आवश्यकताओं की बात कर रहे हैं।

इस समय श्री मधु दंडवते जी योजना आयोग में है। मैं विनियमन पर योजना दृष्टिकोण पत्र से उद्धरण देता हूं। मैं श्री चिदम्बरम पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। वह जिम्मेदार नहीं हैं। हम सभी को सामूहिक रूप से यह स्वीकार करना चाहिये। हमें इसके बारे में अत्यंत सक्रियता से पुनर्विचार करना चाहिए।

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : आप भी जिम्मेदार हैं।

श्री पी०आर० दासमुंशी : जी हां, मैं भी यही कहता हूं। यह सामूहिक जिम्मेदारी है। इस पत्र के अनुसार, मैं आठवीं पंचवर्षीय योजना के परीक्षण विशेषकर विकास का जो पैटर्न है उससे गरीब और दलित लोगों को लाभ नहीं हुआ है'। यह टिप्पणी मेरी नहीं है। यह बात नौवीं पंचवर्षीय योजना दृष्टिकोण पत्र में लिखी गई है। यदि यह बात ऐसी है, तो नौवीं पचंवर्षीय योजना में इससे क्या शिक्षा ली जानी चाहिये? आप मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिये केवल 2000 करोड़ रुपये प्रदान करते हैं। गरीबी दूर करने और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिये पिछले बजट की तुलना में केवल 150 अथवा 160 करोड़ रुपये की वृद्धि की गयी है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हेतु आपकी यही प्राथमिकता है। तो आप इस तरह देश के लिए कुछ हासिल करना चाहते हैं। तरजीह देने का आपका यही तरीका है।

क्या आप यह समझते हैं ? कि सीमा शुल्क टैरिफ विधान में आपने जिस प्रकार छूट दी है, उससे स्थिति मजबूत होगी। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि उन्होंने सीमा शुल्क में जो कमी की है, उसका शांत मन से अध्ययन करें कि वे कौन-कौन सी स्थापित इकाइयां हैं जिनकी प्रौद्योगिकी पहले ही विकसित है, उनमें से कितनी इकाइयों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और कितनी इकाइयों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि उनमें से अनेक इकाइयां बाजार में अपने उत्पाद की बिक्री पर समुचित लाभ नहीं अर्जित नहीं कर पाएंगी तो, कृपया अपने निर्णय पर पुनर्विचार कीजिए।

अपराह्न 3.59 बजे

[कर्नल राव राम सिंह *पीठासीन हुए*]

यह देश आसिमान और पश्चिम के आर्थिक रूप से सम्पन्न अन्य राष्ट्रों के डम्पिंग ग्राउंड नहीं बन सकता। कृपया इसका अध्ययन कीजिए। हमने जो कार्य किया है उसका रिकार्ड है। ···*(व्यवधान)* यदि आप ऐसा महसूस करते हैं, तो आप इसमें आमूल-चूल परिवर्तन कर सकते हैं। हम आपको समर्थन देते हैं। आपको कौन मना करता है ? आपको इसके लिए किसी ने मना नहीं किया है। आप इसके लिए संयुक्त मोर्चे को राजी करिए।

श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : किसी समय सीमा शुल्क 135 प्रतिशत होता था, अब यह घटकर 40 प्रतिशत हो गया है।

श्री पी०आर० दासमुंशी : कांग्रेस ने कभी कुछ सही और कभी कुछ गलत किया होगा। परन्तु कांग्रेस ने ही वह काम किया है जिसके कारण यह संसद अभी भी चल रही है। इस देश में प्रजातंत्र अभी भी जीवित है। यह कार्य हमने ही किया है। आपको इससे अवश्व सहमत होना चाहिए। कांग्रेस की वजह से ही आज संसद चल रही है। इसी की वजह से आज भारत भारत है। यह कांग्रेस ही है जिसकी बदौलत विचारों में अन्तर होने के बावजूद आप यहां बैठे हुए हैं। यह सब कांग्रेस की ही बजट से ही हुआ है। उस प्रकार की राजनीति में हस्ताक्षेप नहीं कीजिए। आप जो करते हैं, उसे समझने का प्रयास कीजिए।

वित्त मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : प्रिय मित्र श्री प्रिय रंजन दासमुंशी को अपनी पार्टी की राजनीति की आलोचना करने का अधिकार हैं। मैं उसमें बाधा कैसे डाल सकता हूं। परन्तु यह कहना कि यह संसद किसी एक पार्टी के कारण चल रही है, मेरे विचार से यह अतिशयोक्ति है और मेरे विचार से इस तर्क से कोई सहमत नहीं होगा।

अपराह्न 4.00 बजे

यह लोक सभा आज यहां इसलिए है क्योंकि हम सबों ने एक साथ काम करना और सरकार बनाना चाहा। यहां एक सरकार थी। वह नहीं रही और फिर दूसरी सरकार बनी। अब, सिद्धान्त रूप में यह बिलकुल संभव है कि एक सरकार जायेगी तो दूसरी आएगी। परन्तु, यदि किसी कारणवश संसद भंग हो जाती है, तो ऐसा किसी एक पार्टी की इच्छा पर नहीं हो सकता। यदि हम सभी यह निर्णय ले लें कि हम नये चुनाव के लिए तैयार हैं, तो हम चुनाव लड़ेंगे। परन्तु कृपया याद रखिए कि दूसरी संसद आयेगी। लोग दूसरी संसद का चुनाव करेंगे। मैं यह विश्वास नहीं करता कि संसद का होना किसी एक पार्टी की इच्छा या सनक पर निर्भर करता है। हम सबों के एक साथ मिलकर काम करने के कारण ही संसद है। ···*(व्यवधान)*

श्री पी०आर० दासमुंशी : मेरा ख्याल है कि मेरे प्रिय मित्र, माननीय वित्त मंत्री मेरी बात नहीं समझ पाए।

श्री पी० चिदम्बरम : मैंने समझ लिया है।

श्री पी०आर० दासमुंशी : उन्हें मुझसे इस तरह नहीं कहना चाहिए था। मैं यह नहीं कहता कि वह एक अच्छे अधिवक्ता नहीं हैं। मैं जानता हूं कि वह किस पक्ष की वकालत करते हैं, वह मामले में उचित बहस कर सकते हैं। यह उनका दोष नहीं है।

मैं जो कुछ कहना चाहता था वह यह है। मैं यह कहना चाहता था कि कांग्रेस ने कुछ गलतियां की होंगी परन्तु उसने एक अच्छा कार्य किया है। उसने यह सुनिश्चित किया कि देश में लोकतांत्रिक प्रणाली कार्य करे। यही कारण है कि आज संसदीय प्रणाली चल रही है। क्या मैं गलत कह रहा हूं ? मैंने यह कभी नहीं कहा कि केवल कांग्रेस की वजह से ही यहां संसद चल रही है।

श्री पी० चिदम्बरम : जो आपने कहा, मैं उसके बारे में जानता हूं।

श्री पी०आर० दासमुंशी : चिदम्बरम ज़ी, मैं मूर्ख नहीं हूं। मैं भी थोड़ी-बहुत राजनीति जानता हूं। मैंने कहा कि 'कांग्रेस ने कुछ गलतियां की होंगी परन्तु उसने कुछ अच्छे कार्य भी किए हैं।'

श्री पी० चिदम्बरम : जो आपने कहा था, वह मैंने सुन लिया है।

श्री पी०आर० दासमुंशी : बहुत अधिक बातें मत कीजिए। यह मैं भी जानता हूं कि यदि संसद भंग कर दी जाएगी तो जनता की इच्छानुसार ही निर्णय लिया जाएगा न कि आपकी या मेरी इच्छानुसार *(व्यवधान)* मैं आपके सामने नहीं झुक रहा हूं। मैं केवल वित्त मंत्री के सामने झुका हूं। कृपया समझने की कोशिश कीजिए *(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु (आराम बाग) : आपकी पार्टी ने राष्ट्र को नुकसान पहुंचाया है और संसद का कार्यकाल एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया था *(व्यवधान)*

श्री पी०आर० दासमुंशी : दुर्भाग्य से उस संसद में जब लोग जेल गए थे, परन्तु आपने त्यागपत्र नहीं दिया था। आप अपने स्थान पर जमे रहे और एक वर्ष तक सत्ता में रहे। वे सभी श्री जय प्रकाश नारायण के साथ जेल चले गए थे। क्या आप रिकॉर्ड देखना चाहते हैं ?

सभापति महोदय : क्या मैं माननीय सदस्य से विषय पर ही बोलने के लिए अनुरोध कर सकता हूं ?

श्री पी०आर० दासमुंशी : यदि वे रिकार्ड से उदाहरण देना चाहते हैं तो हमारे पास भी उदाहरण देने के लिए बहुत सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं। आप उद्धरण दीजिए, मैं सुनने के लिए तैयार हूं . . .(व्यवधान) आपने एक उदाहरण का उल्लेख किया और मैंने भी एक उदाहरण दिया।

श्री अनिल बसु : आप बहुत अच्छा भाषण दे रहे हैं। कृपया स्वयं को उस तक ही सीमित रखिए।

श्री पी०आर० दासमुंशी : आप भूल रहे हैं कि माननीय गृह मंत्रीजी हमारे पक्ष में थे।

श्री अनिल बसु : उसमें गलत क्या है ? आपको अपने भाषण तक ही सीमित रहना चाहिए और अपना पक्ष रखना चाहिये।

श्री पी०आर० दासमुंशी : सभापति महोदय, कर देने वाले लोगों को प्रति व्यक्ति लगभग 4500 रु० का लाभ होगा और गरीबी उन्मूलन के लिए बढ़ाए गए आवंटन से प्रत्येक व्यक्ति को लगभग 40 रुपए का लाभ होगा। इसी कारण यह बजट इस दशक का सबसे अच्छा बजट है। क्या मैं इसे सबसे अच्छा बजट समझूं। इस बजट में एक अच्छी बात जिस पर मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं वह है – कर की परिधि का विस्तार। मैं उन्हें इसलिए बधाई दे रहा हूं क्योंकि इस विशेषता के लिए उन्हें बधाई देना आवश्यक है। उन्होंने यह अच्छा कार्य किया है जिसके लिए राष्ट्र उन्हें याद रखेगा।

उन्होंने एक और अच्छा कार्य किया है और उसके लिए भी मैं उन्हें बधाई देता हूं और वह कार्य है – कर ढांचे के विभिन्न स्लैब बनाने का कार्यक्रम। परन्तु चालीस प्रतिशत के स्लैब को छोड़कर यह स्लैब कार्यक्रम अच्छा है। इससे केवल उन लोगों को राहत मिलेगी जो सम्पन्न वर्ग के हैं।

मेरे विचार में, माननीय प्रधानमंत्री, नैतिक रूप से बहुत ही जिम्मेदार पद पर आसीन हैं। परन्तु जब वह अपनी कुर्सी पर बैठकर यह कहते हैं कि 'मेरी सरकार से किसी भी अनियमितता के बारे में पूछताछ नहीं की जानी चाहिए' तो मेरे विचार में वह बहुत उच्च नैतिकता की बात करते हैं। यदि यह नैतिकता सही है तो माननीय वित्त मंत्री ने बेईमान लोगों की तुलना ईमानदार लोगों से करने का साहस कैसे किया ? जब ईमानदार कर दाता 30 प्रतिशत कर देता है और बेईमान लोग भी अपने हवाला के धन और छिपी हुई सम्पत्ति को उजागर करके केवल 30 प्रतिशत कर ही देते हैं तो हम इन दोनों की आपस में तुलना कैसे कर सकते हैं ? ऐसा नहीं हो सकता। यदि आप ऐसा करेंगे तो उस समय आप माननीय प्रधानमंत्री की नैतिकता की बात का अनुसरण नहीं करेंगे। इसलिए, मैं यह महसूस करता हूं कि वित्त मंत्री जी को अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। इसमें नया कुछ भी नहीं है। ऐसा श्री महावीर त्यागी के समय में शुरू हुआ था और अब तक इसी तरह से होता रहा हैं मैं इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। यदि इस प्रकार की बेईमानी को प्रकटीकरण के नाम पर माफ किया जाता रहेगा तो इसका निश्चित रूप से दुष्प्रभाव सामने आएगा।

मैं माननीय वित्त मंत्री और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों को बधाई देता हूं। वे सभी समर्पित कर्मचारी हैं। उन्होंने बडी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और भारत के उन बड़े एकाधिकारी घरानों की छिपी हुई संपत्ति का पर्दाफाश करने का साहस किया है जो इस देश को गत कई वर्षों से लूट रहे हैं।

कई लोगों ने कहा कि निगमित क्षेत्र समाप्त हो जाएगा। मैं वित्त मंत्री और उनके मंत्रालय के उन कार्मिकों को बधाई देता हूं जिन्होंने आई०टी०सी० का राष्ट्र के सामने पर्दाफाश करने के लिए उस पर छापे मारने का साहस दिखाया है और यह बताया है कि कितने समय से वे इस देश को लूट रहे हैं। पार्टी सम्बन्धों को ध्यान में रखे बिना वे सम्पूर्ण संसद का समर्थन पाने के हकदार हैं।

साथ ही, मुझे एक बात से बड़ा सदमा पहुंचा है। जब शॉ वालेस कम्पनी पर छापा मारा गया था तो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम विभाग के कार्मिकों का दल जिन्होंने 'छाबड़िया ग्रुप' के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी, को अचानक कलकत्ता से स्थानान्तरित कर दिया गया। कृपया इसकी जांच की जाए। उनका स्थानान्तरण क्यों किया गया ? वह अच्छा कार्य कर रहे थे। यदि वास्तव में उनका स्थानान्तरण नहीं किया गया है तो इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मेसकॉस पर छापा मारकर आपने एक अच्छा कार्य किया है। कार्मिकों का यह दल संसद का समर्थन प्राप्त करने का हकदार हैं जब वे सेवानिवृत्त होते हैं तो उन्हें गम्भीर चुनौती का सामना करना पड़ता है। मैं समाज के इस प्राकर के तत्वों के बारे में जानता हूं जो उन्हें धमकी देते हैं। मुझे मालूम है कि वे असामाजिक तत्व हैं। इसलिए इन कार्मिकों को हमारा समर्थन चाहिए। यदि वित्त मंत्री जी ऐसा ही करते रहे तो जहां तक उनकी सरकार द्वारा जनता को दी गई वचनबद्धता का सम्बन्ध है, वह बहुत अच्छा कार्य करेंगे।

मैं कुछ और बातें आपके ध्यान में लाना चाहता हूं मुझे आशा है कि आप उन्हें गम्भीरतापूर्वक लेंगे और आवश्यक कार्यवाही करेंगे। यदि सरकार सकल घरेलू उत्पाद की वर्तमान दस प्रतिशत की दर से ऋण लेती रही तो मुद्रास्फीति के दवाब को नियंत्रित नहीं किया जा सकेगा। सामान्यतः वित्त मंत्री प्रत्येक मद से संबंधित राजस्व संबंधी उलझनों को इंगित करते थे। पूर्व वित्त मंत्रियों के सभी भाषणों में इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। वे संसद और देश को विश्वास में लेकर प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रस्ताव की राजस्व संबंधी उलझनों को इंगित किया करते थे चाहे वह हानि अथवा लाभ के प्रस्ताव हों। परन्तु इस वर्ष माननीय वित्त मंत्री ने एक भी मद की राजस्व सम्बन्धी उलझन का उल्लेख नहीं किया है। यह वांछनीय होता यदि वित्त मंत्री जी ने महत्वपूर्ण मदों की राजस्व संबंधी उलझनों का उल्लेख किया होता। इस पर और अधिक गम्भीरता से विचार किये जाने की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री जी सदन को विश्वास में लेंगे और अपने उत्तर में इस पर अमल करेंगे क्योंकि इसमें कुछ अन्तर है।

अगला महत्वपूर्ण मुद्दा किसानों से सम्बन्धित है। मुझे विश्वास है कि इस सम्बन्ध में मुझे सदन में किसी से भी समर्थन नहीं मिलेगा। मुझे किसान का अर्थ समझ में नहीं आता। मेरे विचार में किसान वह व्यक्ति होता है जो सुबह खेत में जाता है, कठिन परिश्रम करता है, कुछ पैदा करता है और उसके पश्चात् घर वापस आता है। मेरे विचार में यह व्यक्ति किसान नहीं होता जो खेत में नहीं जाता है परन्तु फसल का लाभ प्राप्त करता है। परन्तु समूचे उत्तर भारत में कुलक नाम की एक लॉबी है। वे खेतों में नहीं जाते हैं परन्तु फसल प्राप्त करते हैं और उत्पादन का सारा लाभ ले लेते हैं। यह बहुत ही गम्भीर मुद्दा हैं यह एक ऐसा पहलू है जिसे सरकार ने उठाने का साहस नहीं किया हैं मैं केवल यह आशा करता हूं कि वर्तमान वित्त मंत्री इस सम्बन्ध में प्रधानमंत्री से परामर्श करेंगे और इस पर कार्यवाही करेंगे। क्या आप चेल्लैया समिति की सिफारिशें और श्री चेल्लैया के स्वयं के विचार जान लेने के पश्चात् उन पर कार्यवाही करेंगे ? वे *किसान* नहीं हैं। वह एक लॉबी है। वे हजारों एकड़ भूमि के मालिक हैं। मेरी इच्छा है श्री प्रेमचन्द पुनः जन्म लें। मैं चाहता हूं कि एक बार पुनः क्रान्ति आए। वे केवल लोगों का शोषण करते हैं और उत्पादन का सारा लाभ स्वयं ही ले लेते हैं। एक ओर वे राजसहायता का लाभ प्राप्त करते हैं और दूसरी ओर कर विभाग को धोखा देते हैं। छूट के नाम पर वे उन लोगों का शोषण करते हैं जो कई वर्षों से निरन्तर खेतों में काम कर रहे हैं। मेरी बड़ी इच्छा थी कि नक्सलवादी आन्दोलन बंगाल से हटकर भारत के इस भाग की ओर आ जाये ताकि वे इन लोगों को अपने नियंत्रण में कर सकें। ऐसा धीरे-धीरे हो रहा है।

ऐसा दिन-रात हो रहा है। जब कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो वे एकजुट हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि उनकी मांग क्या है। अब तथाकथित क्रपास लॉबी, गेहूं लॉबी और चीनी लॉबी निर्धन लोगों में से निर्धनतम लोगों का अहित करके भारत की आधी राजनीति का निर्धारण करते हैं। 18,000 करोड़ रुपए की दी गई राज सहायता में से 9,000 करोड़ रुपए निर्धन लोगों के पास पहुंचने के बजाए सीधे इन लाबियों को ही जाती है।

अतः मैं माननीय वित्त मंत्री से इसकी जांच कराने का अनुरोध करता हूं तथा माननीय प्रधान मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि वे भूमि संबंधी सुधार हेतु शीघ्र प्रयास करें तथा यदि संभव हो सके तो शुरूआती रूप में बंगाल के माडल के अनुरूप कार्य शुरू करें। हमारे बीच राजनैतिक मतभेद हो सकते हैं। लेकिन वास्तव में मैं महसूस करता हूं कि इससे बंगाल के ग्रामीण जीवन में बदलाव आया है तथा लोग यह महसूस करते हैं कि उन्हें इसका अधिकार है। वे यह महसूस करते हैं कि वे साथ रहकर जी सकते हैं। हम एक ही देश में रहते हैं तथा हम सब भारतीय हैं।

कोई भी पूर्वी अथवा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाकर यह देख सकता है कि वहां लोग किस प्रकार परेशान हैं। वे सुबह से अर्द्धरात्रि तक काम करते हैं। मैंने उनसे पूछा कि वे क्या रहे हैं।

[हिन्दी]

खेत में काम करता हैं। हां। कितने घंटे ? 14 घंटे। क्या मिलता है ? 20 रुपए। ज्यादा बोलेंगे, तो हमको निकाल देंगे।

[अनुवाद]

यह एक वर्ग के लोग हैं। एक अन्य वर्ग ठेका श्रमिकों का है जो सात अथवा दस दिनों तक काम करते हैं।

[हिन्दी]

तुम्हारा कौन देखता है ?

[अनुवाद]

टैक्टर चालक भी मजदूर है। ट्रैक्टर का मालिक कोई अन्य व्यक्ति है। यह अर्थव्यवस्था है। इस अर्थव्यवस्था में हमारे धन का बड़ा हिस्सा कुछ लोगों के पास जा रहा है। लेकिन गरीब लोग यहां आयेंगे और प्रधानमंत्री के निवास पर, चाहे इसका नेतृत्व श्री नरसिम्हा राव अथवा श्री राजीव गांधी अथवा श्री देव गौड़ा करें धरना देंगे और नारे लगायेगें।

[श्री पी०आर० दासमुंशी]

[हिन्दी]

हमें कुछ मिलना चाहिए।

[अनुवाद]

लेकिन जब वे वापिस जायेंगे उन्हें महसूस होगा कि यह लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। यह हमारी छुपी हुई अर्थव्यवस्था की त्रुटियां है। माननीय मंत्री इसे दूर किए जाने पर विचार करें।

मैं जानता हूं कि इसे शुरू करना कठिन है। लेकिन यही वास्तविकता है। यही कारण है कि उत्तरी भारत तथा बिहार में अभी भी गरीबी विद्यमान है। मैं किसी नक्सलवादी आंदोलन अथवा हथियार के आधार पर लड़ी जाने वाली आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहा हूं। लेकिन यदि बिहार में भूमि प्राप्त करके इसे गरीबी के बीच वितरित किए जाने के नाम पर कोई आंदोलन होगा तब यह सिर्फ हथियार के आधार पर होगा। कानूनी दृष्टि से मैं भले ही इसका समर्थन नहीं करूं लेकिन मेरा उन्हें नैतिक समर्थन होगा। मैं महसूस करूंगा कि वे सही कर रहे हैं। यह शोषण कई वर्षों से चल रहा है।

अतः माननीय सभापति महोदय मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि मैं अपनी नीति की आलोचना नहीं कर रहा हूं। शुरू में मैंने यह कहा था कि सोवियत संघ के विघटन तथा विकासशील देशों में संकट के कारण भारत सहित कई देश तथाकथित उदारीकरण को मानने तथा अपनाने के लिए मजबूर हुए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि समाजवाद तथा सामाजिक न्याय का राजनीतिक विश्वास नेहरू द्वारा सोचे गए सरकारी क्षेत्र तथा आत्मनिर्भरता की नींव टूट रही हैं। मैं इसे मानने को तैयार नहीं हूं। इसका अर्थ यह भी नहीं है हम सभी विदेशी तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अंधाधुंध रूप से बुलाएं तथा वे अपनी स्वेच्छा से हमारे देश को लूटें।

यदि आप ऐसा महसूस करते हैं कि हमारी पार्टी अथवा हमारी सरकार इसके लिए काफी हद तक जिम्मेवार है आप ऐसा कहते हैं और मैं इसे बुरा नहीं मानता हूं। प्रत्येक राजनीतिक दल को लोगों से सीखना पड़ता है तथा अपनी कार्यसूची उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करनी पड़ती है।

मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे आलोचना के प्रति अधिक संवेदनशील न हों लेकिन वे यह समझें कि हम कलकत्ता, चेन्नई, मुम्बई अथवा नई दिल्ली जैसे शहरों तक ही सीमित नहीं हैं। हमें यह समझना है कि गांवों में वास्तव में कितना धन जा रहा है, कितनी खर्च की जा रही है तथा इसकी कितनी आवश्यकता है। प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। मेरे पास समय नहीं है अन्यथा मैंने उनका उल्लेख किया होता।

"पोर्टफोलिग्रो" के रूप में आये हुए अधिकांश विदेशी निवेश क्या हैं, वास्तविक निवेश कितना है तथा मुख्य क्षेत्रों में यह वास्तविक रूप से कितना लगाया गया है ? यह नगण्य है। लेकिन हमारी इनके प्रति कोई जिम्मेवारी नहीं है। क्या हम ऐसा नहीं करें ? मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वह आलोचना नहीं है, कृपया समझने की कोशिश करें। मैं यही कहना चाहता था।

मैं आपको उनके द्वारा किए गए शुल्क रियायतों के बारे में बताना चाहता हूं। हिंदुस्तान कॉपर के श्रमिक शोर-गुल कर रहे हैं। तांबा तथा इस्पात पर अलौह वस्तुओं के नाम पर सीमा शुल्क से हिंदुस्तान कॉपर को नुकसान हो रहा है। आज देख सकते हैं कि अब एल्युमिनियम क्षेत्र में क्या हो रहा है। यदि उन्होंने इस अंधाधुंध प्रवेश को नहीं रोका तो भारत की अपनी स्वदेशी तकनीक भी समाप्त हो जायेगी।

प्रख्यात आचार्य राजीव सिंह ने ठीक ही कहा है कि भारत में उदारीकरण बुरा नहीं हो सकता है। लेकिन यदि अभी प्रतिबंधित व्यवस्था नहीं की गयी तब हम शीघ्र ही मोन्सिको की तरह होकर समाप्त हो जायेंगे। अतः मैं सिर्फ वित्त मंत्री से एक मुद्दे पर अनुरोध करता हूं। ये न सिर्फ युवा हैं बल्कि उन्हें अच्छी सोच भी प्रापत है। राजनीतिक व्यवस्थाएं समय-समय पर बदल सकती है। लेकिन उन्हें जरूरत के अनुरूप कार्य करने की अत्यंत इच्छा है।

अब दिवस की समाप्ति पर हम किसी अन्य की बजाए गांधी जी को उद्धृत करें। यह पर्याप्त नहीं है तथा इससे आज का दिन समाप्त हो। हमें अपने आपसे यह प्रश्न पूछना है। क्या हम उस आदमी की समस्या सुलझाने में सफल हुए हैं जिसकी आंखों में आंसू है तथा जिसके तन पर पर्याप्त कपड़े नहीं हैं। यदि इसका उत्तर समय बद्ध कार्यक्रम में एक के बाद एक कर लिया जाए तब मैं समझता हूं कि बजट से काम व्यक्तियों को लाभ प्राप्त होगा। अन्यथा मुझे खेद है कि मध्याह्न भोजन योजना तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभ न ही होगा। मैं प्रधान मंत्री की सच्ची मंशा पर प्रश्न नहीं कर रहा हूं। श्री देवेंयू यादव यहां उपस्थित हैं। वे प्रधान मंत्री की मदद कर सकते हैं। संसद में घोषणा की गई कि 35 करोड़ व्यक्तियों को राज सहायता प्राप्त खाद्यान्न दिया जायेगा। विवरण में ऐसा कहा गया है।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्य से अपनी बात समाप्त करने का अनुरोध करता हूं आपने आधा घंटा ले लिया है।

श्री पी०आर० दासमुंशी : मैं अपने संसदीय क्षेत्र में गया था। मैं गरीबों को कैसे बांट सकता हूं ? उनका कहना है कि आपके परिपत्र में केवल स्थानीय राशन क्षेत्र के सिर्फ 30 से 33 प्रतिशत यूनिट को सूचीबद्ध किया जायेगा। मैं श्री यादव से सिर्फ एक बात जानना चाहूंगा। यदि किसी विशेष राशन क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे 600 गरीब व्यक्ति हैं जो अत्यंत गरीब हैं तब लोक प्रतिनिधि अथवा पंचायत अथवा कोई अन्य इनमें से 100 अथवा 500 को अलग कर सकता है। मुझे खेद है कि मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं। यह धालमेल तथा एक मजाक है। हम ऐसा नहीं कर सकते। 35 करोड़ नहीं कहें। हम यह कहें कि यह एक कदम है। *[हिन्दी]* धीर-धीरे होगा। आंकड़े मत बताइये क्योंकि आंकड़े बताकर आप परेशान कर देते हैं। *[अनुवाद]* इससे अत्यंत भ्रम उत्पन्न होता है।

इन शब्दों के साथ मैं कहूंगा। कि बजट को समर्थन देने की हमारी

सवैधानिक तथा राजनैतिक जिम्मेवावरी है लेकिन हमारा यह ठोस तथा आलोचनात्मक मत है कि इससे गरीयी के खिलाफ लड़ने में कोई दिशा नहीं मिलती है। यह बजट सरकारी क्षेत्र की कोई दिशा नहीं देता हैं यह बजट आत्म निर्भरता के अवधारणा की रक्षा हेतु कोई दिशा प्रदान नहीं करता है। यह बजट अपने आप बहुराष्ट्रीय तथा विदेशी कंपनियों के जाल में और अधिक फंस रही है।

श्री पी० षण्मुगम (बेल्लोर) : सभापति महोदय मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा 28 फरवरी, 1997 को प्रस्तुत किए गए बजट का समर्थन करता हूं इस प्रकार का बजट पहली बार प्रस्तुत किया गया है तथा हमारे देश की 80 प्रतिशत जनता इस बजट के समर्थन में है।

महोदय, मैं बजट में आयकर की दरों में की गई कटौती का स्वागत करता हूं। वित्त मंत्री जी ने इन दरों की 40 प्रतिशत से 30 प्रतिशत, 30 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत से 15 प्रतिशत कर दिया है। मेरा सुझाव है कि 15 प्रतिशत को 10 प्रतिशत की बजाए 5 प्रतिशत तक कम कर दिया जाए। मानक कटौती 20,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए की जानी चाहिए। कर्मचारियों को दी जाने वाली आवास किराया भत्ता तथा अन्य भत्तों को कत्युक्त रखा जाना चाहिए।

वरिष्ठ नागरिकों को दी गई रियायतें प्रशंसनीय हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वरिष्ठ नागरिकों हेतु उम्र निर्धारण सीमा को 65 वर्ष से कम करके 60 वर्ष किया जाए। इससे काफी लोगों को लाभ पहुंचेगा।

कई प्रख्यात व्यक्तियों ने इस बजट की गरीबी विरोधी बजट के रूप में आलोचना की हैं मैं पूछना चाहता हूं कि क्या पिछले किसी वजट में गरीवी रेखा के नीचे जी रहे 320 मिलियन व्यक्तियों की सहायता हेतु गेहूं तथा चावल पर 8,200 करोड़ रुपए के राज सहायता की व्यवस्था की गयी थी।

अतः इन प्रख्यात व्यक्तियों को बजट पर कोई टिप्पणी करने से पूर्व इन गरीब लोगों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को समझना चाहिए। इस संवंध में मैं कहना चाहूंगा कि संयुक्त मोर्चा सरकार सिर्फ अत्यंत गरीव लोगों की सहायता करना चाहती है तथा इससे यह ठोस संकेत मिलता है कि सरकार का न्यूनतम साझा कार्यक्रन का उपयोग सिर्फ गरीवों को सहायता देने हेतु किया जाना चाहिए।

हमारे काबिल वित्त मंत्री जी ने राज्यों को और अधिक वित्तीय शक्तियां दिए जाने के रूप में एक नए युग की शुरूआत होने की उम्मीदें जगाई हैं। दूविड़ पुनित्र कड़गम के नेता तथा तामिलनाडु में चौथी बार मुख्य मंत्री बने श्री कालांगीर ने केंद्रीय पुल में करों की भागीदारी का स्वागत किया है। इससे केन्द्र-राज्य संबंधों में सुधार का शुभ संकेत मिलता है।

इस मुकाम पर मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि संबंधित राज्य सरकार के राजस्व तंत्र को केन्द्र सरकार से संबंधित राजस्व का संग्रह करने का दायित्व भी सौंपा जा सकता है। मैं आशा करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री इसपर विचार करेंगे। वे प्राद्योगिक आधर पर इसे किसी भी राज्य में विशेषतः तमिलनाडु में जहां डा० कलैग्नार के नेतृत्व में कुशल प्रशासन एवं साफ सुथरी छवि वाली सरकार है लाग कर सकते हैं।

मैं बंग्लादेश के साथ गंगा जल का बंटवारा आर नपाल के गंडक जल के बंटवारे के संबंध में संयुक्त मोर्चा सरकार की उपलब्धियों की सराहना करता हूं। मैं संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा चीन के साथ विशेषतः सामुद्रिक मामले में की गई वार्ता की थी सराहना करता हूं। इससे संयुक्त मोर्चा सरकार की विदेश नीति का स्पष्ट रूप से पता चलता है।

किसानों को दी गई राजसहायता की सराहना की गई है। निस्संदेह, माननीय वित्त मंत्री ने उर्वरक राजसहायता में 18 प्रतिशत वृद्धि करने की अनुमति देते हुए चालू वित्तीय वर्ष में 7,747 करोड़ रुपये के संशोधित अनुभाग में से इस प्रयोजनार्थ 9,190 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। फिर भी इनती सहायता किसानों के लिए पर्याप्त नहीं है। उदाहरणार्थ संयुक्त राज्य अमरीका में किसानों को 27 प्रतिशत राजसहाय ता उपलब्ध करायी जाती है और जापान में धान की खेती करने वाले किसानों को 70 प्रतिशत राजसहायता उपलब्ध करायी जाती है। अन्य यूरोपीय देशों में किसानों को 30 से 40 प्रतिशत की राजसहायता उपलब्ध करायी जाती है। दूसरी ओर हमारे देश में केवल 10 प्रतिशत राजसहायता उपलब्ध करायी जाती है। इसमें वृद्धि की जानी चाहिए। कृषि के लिए राजसहायत उपलब्ध कराने से देश के साथ-साथ यहां के किसान भी लाभान्वित होंगे।

जब तक हम अपने देश के शिक्षित युवाओं को रोजगार उपलब्ध नहीं करायेंगे तब तक चाहे हम कितने ही उद्योग क्यों न स्थापित कर लें, इससे देश आगे नहीं बढ़ पाएगा।

माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि केन्द्रीय योजना के लिए बजटीय सहायता में विशेष रूप से ग्रामीण विकास, रोजगार और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों और मानव संसाधन विकास पर ध्यान केन्द्रित किया जायेगा। इस वर्ष 9,096 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करायीं गयी है। इस प्रकार से 1,271 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

जवाहर रोजगार योजना से अनुमानतः 520 मिलियन मानव दिवस के रोजगार का सृजन होगा। 90,000 आवास उपलब्ध कराने का भी उल्लेख किया गया था। 1997-98 में त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति योजना के अंतर्गत स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराया जाएगा।

समाज सेया क्षेत्र के लिए 3,922 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है। वित्त मंत्री ने शहरी विकास के लिए 775 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की माननीय मंत्री ने शिक्षा के लिए 1,189 करोड़ रुपये और परिवार कल्याण के लिए 282 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। जलापूर्ति और स्वच्छता के लिए 312 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

विगत वर्ष के बजट में 9 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की

[श्री पी० षण्मुगम]

गई थी और इस वर्ष में माननीय मंत्री ने इसमें 4 करोड़ रुपये की वृद्धि की है। इस तरह से सिंचाई के लिए 13 करोड़ रुपये की धनराशि का कुल आवंटन किया गया हैं माननीय वित्त मंत्री ने लघु सिंचाई के लिए आवंटन में 71 करोड़ से बढ़ाकर 141 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। बाढ़ नियंत्रण के लिए आवंटन में भी वृद्धि की गई हैं उन्होंने विभिन्न लक्ष्य समूहों के लिए उद्दिष्ट चालू रोजगार योजनाओं में संशोधन का भी प्रस्ताव किया है। पी०एम०आर०वाई०, आई०आर० डी०पी०, एन०आर०वाई०, डी०पी०ए०पी०, डी०डी०पी० और ट्राईसेम योजनाओं को भी पुनर्गठित किए जाने का प्रस्ताव है। यह हमारे राष्ट्रीय हित में है और हमारे लिए अत्यंत उपयोग होगी।

महोदय, वक्तव्य के अनुसार देश में केवल 12 लाख लोग ही आयकर का भुगतान कर रहे हैं और मात्र 10,000 लोग 10 लाख रुपये के आयकर का भुगतान कर रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री ने काले धन को उत्पादक कार्यों में लगाने के लिए स्वैच्छिक कालाधन की घोषणा संबंधी योजना आरम्भ की है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि काले धन की स्वैच्छिक घोषणा के लिए और अधिक रियायत दी जानी चाहिए ताकि अधिकाधिक लोग अपने पास संचित काले धन की स्वैच्छिक घोषणा कर सकें। यह बात हमारे राष्ट्रीय हित में है और इससे प्राप्त धनराशि हमारे कतिपय लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी लगायी जा सकेगी।

महोदय, इन्दिरा आवास योजना ग्रामीण क्षेत्रा में लोगों के लिए मकान बनाने की दृष्टि से आरम्भ की गई थी। परन्तु इस प्रयोजनार्थ केवल 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती थी। अब राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक की सहायता से निर्धन किसानों के लिए उचित ब्याज दर पर ऋण की राशि को 2 लाख रुपये तक बढ़ा दिए जाने का प्रस्ताव है। माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 15 अगस्त 1996 से 50,000 रुपये की ऋण राशि वितरित करने संबंधी योजना आरम्भ की जा रही है। इसकी सभी लोगों द्वारा सराहना की जानी चाहिए कि पहले ग्रामीण क्षेत्र में निर्धन व्यक्ति 10,000 रुपये से मकान का निर्माण कराने की कल्पना भी नहीं कर सकता था परन्तु अब 2 लाख रुपये की ऋण राशि उपलब्ध कराये जाने पर वह मकान बनाने में सक्षम हो जाएगा।

बीमा क्षेत्र में भी संशोधन सुझाए गए हैं। इस वर्ष के बजट में कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना – एक ऐसा कार्यक्रम जिसके अंतर्गत देश के प्रत्येक जिले में एक विद्यालय स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, के लिए 250 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है। बजट में इस प्रकार के प्रावधान पहले कभी नहीं किए गए। अतएव सरकार एक जिले में एक विद्यालय आरम्भ करने के लिए अत्यधिक इच्छुक है। इसकी सभी लोगों द्वारा सराहना की जानी चाहिए।

महोदय, एक अन्य प्रश्न जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं वह सेतु नहर के बारे में है जिसका तमिलनाडु में निर्माण किया जा रहा है। यह पत्तन न्यास के लिए बहुत ही उपयोगी और सहायक होगा क्योंकि जलपोत कलकत्ता से श्रीलंका होते हुए टूटीकोरिन जाता है। इसलिए यदि इस नहर का निर्माण कर दिया जाएगा तो इससे तमिलनाडु का दक्षिणी क्षेत्र तत्काल लाभान्वित होगा।

महोदय, खेलकूद हमारे राष्ट्रीय जीवन का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए खेलकूद में सुधार हेतु बजट में पर्याप्त आवंटन किया जाना चाहिए।

महोदय, अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री ने एक बहुत ही अच्छा बजट प्रस्तुत करके एक उत्कृष्ट कार्य किया है। परन्तु, मैं यह एक बात कहना चाहता हूं कि हमारी आबादी की 70 प्रतिशत जनता गांवों में रह रही है इसलिए गांवों की स्थिति को सुधारने के पहलू पर ध्यान दिया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार की ओर से किसी तरह की सहायता के अभाव में गावों में रहने वाले किसानों और शिल्पकारों द्वारा शहरों की ओर पलायन की ओर झुकाव बढ़ रहा है। परन्तु, उन्हें शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्हें ऐसे अवसर उपलब्ध कराये जाने चाहिए ताकि वे ग्रामीण क्षेत्रों की सीमा में ही उद्योग और ऐसे ही कुछ अन्य कार्य आरम्भ करके वहीं रह सकें। ऐसा करने से ही हमारी जनता को रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त हो सकेंगे और हमारे विचार को तर्क संगत आधार मिलेगा तथा हमारा राष्ट्र समृद्धि की ओर आगे बढ़ेगा। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश (हिसार) : सभापति महोदय, 1997-98 का बजट राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने रखा है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। लगभग 90 फीसदी लोक कृषि पर निर्भर करते हैं। मेरे हिसाब से कृषि के बढ़ावे के लिए बजट में बहुत कम पैसा दिया गया है, यानि किसान को लॉलीपप देकर चुप करा दिया गया है। इसलिए मैं इस बजट का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। पिछली बार प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि कृषि की पैदावार को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता पानी की है। लेकिन पानी में केवल 400 करोड़ रुपये का बढ़ावा पिछले साल के मुकाबले किया है, यह बहुत कम पैसा है। आज हिंदुस्तान का पानी दूसरे देशों में जा रहा है। दूसरे देश इसका विरोध कर रहे हैं। हमारी केन्द्र सरकार ने केवल 400 करोड़ रुपये अधिक दिए हैं और कहा है कि हम पानी की अच्छी व्यवस्था करना चाहते हैं। पानी के मामले में देश के अलग-अलग प्रांत लड़ रहे हैं। पानी के लिए राष्ट्रीय जल आयोग बनाकर उसमें पैसा इकट्ठा करके उसका निपटारा किया जाता तो मैं समझता कि वाकई में केन्द्र सरकार किसानों की सरकार है। आज एस०वाई०एल० नहर का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन उस मामले को इन्होंने कभी हल नहीं किया। ये लोग चाहते हैं कि पंजाब और हरियाणा के लोगों को इससे पानी मुहैया न हो और ये इसे मुद्दा बनाकर अपनी राजनीति करते रहें। इसलिए केवल अपनी राजनीति को बढ़ाने का काम इसके द्वारा किया गया है।

जहां तक बिजली की बात है, ये कहते हैं कि बिजली का निजीकरण किया जाएगा। मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन है कि बिजली के जो सोर्स हैं, जो बिजली पानी से पैदा होती है, उसमें बहुत कम पैसा खर्च होता है, लेकिन गैस और कोयले की बिजली बहुत महंगी

पड़ती है। यदि यह पैसा हिंदुस्तान के प्राकृतिक सोर्सों पर बिजली बनाने के लिए खर्च किया जाए तो आज जो बिजली का अभाव है, वह दूर हो जाएगा और किसानों को इतनी महंगी बिजली नहीं देनी पड़ेगी। अभी किसानों को महंगी बिजली दी जा रही है और ऊपर से कहते हैं कि सब्सिडी देते हैं। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के लोग कहते हैं कि बिजली पर सब्सिडी देते हो इसलिए हम लोन नहीं देंगें यदि केन्द्र सरकार किसानों के प्रति जागरूक होती तो बिजली के सोर्स पर ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देती, तो हम मानते कि किसान के हक में यह बजट है।

इसी तरह से खाद की हालत है। सेल्युलर फोन, ए०सी० के दाम तो घटा दिए, लेकिन किसान के ट्रैक्टर के दाम नहीं घटाए। यूरिया के दाम, ट्रैक्टर के दाम नहीं घटाए। केन्द्र की सरकार कहती है कि हम सरलीकरण करने जा रहे हैं। आज सरलीकरण के नाम पर बहुराष्ट्रीय कम्पनीज के लोग हिंदुस्तान में मंडियां बनाने जा रहे हैं। इससे देश की कृषि की पैदावार पर तो प्रभाव पड़ेगा ही, देश के व्यापारियों के माल पर भी प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि सेंट्रल एक्साइज नहीं घटाई गई, कस्टम ड्यूटी कम की जा रही है। इस देश के कारखानेदार जो माल तैयार करते हैं, पेस्टीसाइड्स का मामला है, केमिकल का मामला है, आयातित केमिकल देश के केमिकल से ज्यादा सस्ता पड़ता है, जिससे हमारे यहां के कारखानेदारों पर बुरा असर पड़ा है।

जब राजीव जी का जमाना था, सभापति महोदय, आप उस समय मंत्री थे, उन्होंने पंचायती राज की घोषणा की थी। लेकिन आज केन्द्र सरकार ने क्या दिया है, हरियाणा प्रदेश का मामला लें, वहां पर जिला परिषदें हैं, पंचायत समितियां हैं, लेकिन आज तक जिला परिषदों के चेयरमैन को जो अधिकार मिलने चाहिए, वह नहीं दिए गए। बिहार में सारी की सारी तोड़ दी गई हैं। यदि पंचायती राज योजना को लागू करना चाहते हैं तो जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, उनको ज्यादा अधिकार दिए जाएं। आज जिला परिषद के चेयरमैन को कोई भी अधिकार नहीं दिए गए हैं सिवाए एक कार के और ढ़ाई हजार रुपए की तनख्वाह के, उनको कोई भी अधिकार नहीं दिए गए हैं। इसलिए उनको अधिकार देने चाहिए। लेकिन आज हमें खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारे माननीय सांसद कहते हैं कि बजट पर बहस है। बजट तो हम भी जानते हैं। क्या बजट उस समय दिखाई नहीं दिया था जब सैल्युलर फोन और एयर कंडीशनर के दाम घटाए गए थे।

कृषि की अनदेखी की गई और कहते हैं कि कृषि की अनदेखी नहीं की गई। कृषि की अनदेखी न की जाती तो आज इस देश की पैदावार क्यों घटती ? 625 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं मंगाना पड़ता है। नवम्बर में केन्द्र की सरकार किसान के लिए एक पैकेज तैयार करके लाती तो जो अन्तर्राष्ट्रीय मार्केट में गेहूं के दाम हैं, वे किसान को मिलते। इससे हमारे देश के किसान गेहूं की पैदावार ज्यादा करते और हमको विदेशों से गेहूं नहीं मंगाना पड़ता।

गांव के विकास के मामले में हमारे साथी कह रहे थे कि पिछले बजट के मुकाबले में 161 करोड़ रुपया ज्यादा दिया गया है। आज हिन्दुस्तान के गांवों में न पीने का पानी है, न सीवर हैं और न सड़कें हैं। यदि सड़कें हैं तो टूटी हुई हैं। यानि कि केवल 161 करोड़ रुपया गांवों के विकास के लिए देकर केन्द्र की सरकार वाहवाही लूटने की कोशिश कर रही है। जे०आर०वाई० और एस०आर०वाई० का पैसा मेरे जिले में केवल 8 लाख रुपया दिया गया है और मेरे जिला क्षेत्र के अंदर 500 गांव हैं। अब 8 लाख रुपए में क्या होगा ? इससे गांव का विकास क्या होगा ? यदि गांव के विकास के लिए वित्त महोदय ज्यादा पैसा देते तो हम आपको धन्यवाद भी देते और इस बात का स्वागत भी करते। लेकिन गांवों के विकास के लिए कुछ नहीं किया गया। भाषण तो कृषि और गांव के ऊपर दिए जाते हैं लेकिन बजट कृषि और गांव विरोधी होता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इंकम टैक्स की बात आई थी। इसमें जिसके पास टेलीफोन तथा कार होगी, जिसका कलकत्ता, मुम्बई तथा दिल्ली में घर है, उसको इंकम टैक्स की रिटर्न देने की बात कही गई है, ठीक बात है। लेकिन बहुत से पूंजीपति लोग हैं, वे इंकम टैक्स नहीं देते हैं। छोटे-छोटे लोगों के ऊपर इंकम टैक्स रिटर्न का बोझ जो डाल दिया गया है, यह ठीक नहीं है। यह मेरी निजी राय है। इससे आम आदमी के ऊपर बहुत बोझ पड़ेगा।

टेलीफोन आज लग्जरी आईटम नहीं है। यह आज आवश्यकता बन चुकी है। आम आदमी के लिए यह स्थिति बहुत ही खराब है। जहां तक रूरल एम्पलॉयामेंट की बात है, जार्ज फर्नांडीज साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि रूरल एम्पलॉयमेंट के लिए पिछले साल के मुकाबले 370 करोड़ रुपया ज्यादा दिया गया है। लेकिन इस देश में 15 करोड़ शिक्षित बेरोजगार लोग हैं और केवल 370 करोड़ रुपया दिया गया है, यह उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। यह बजट चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पेश किया गया है। देश, गांव तथा नौजवान की भलाई के लिए यह बजट पेश नहीं किया गया क्योंकि बजट से सरकार की नीयत का पता चलता है कि सरकार की नीयत कैसी है ? यह सरकार जो 13-14 पार्टीज से मिलकर बनी है, इसकी नीयत किसान, मजदूर, नौजवान विरोधी है। इसलिए मैं इस बजट का विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्य मंत्रणा समिति में यह निर्णय हुआ था कि दो बड़े और दो छोटे दल उस क्रम में भाषण देंगे।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, यह तो कोई शिकायत नहीं है।

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा (सूरत) : सभापति महोदय, हमारे वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया उस बजट को किसी ने कहा कि यह "प्रो-पूअर" बजट है, किसी ने कहा कि यह ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। जब यहां वित्त मंत्री जो बजट पेश कर रहे थे तो सब लोगों को लग रहा था कि यह बजट एक नयी आशा लेकर आया है। आज जब हम आजादी की स्वर्ण जयन्ती मनाने जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा था कि अब इस देश को नयी दिशा इस बजट से मिलेगी। लेकिन जैसे-जैसे बजट का इम्पलीमेंटेशन सामने आ रहा है तब पता चल रहा है कि किस प्रकार से वित्त मंत्री जी ने गरीबों को लूटा है। उन्होंने

[श्री काशीराम राणा]

इस देश के स्माल स्केल सैक्टर को जिस प्रकार से दबाने की कोशिश की और जो ब्लैक मनी पैदा होती है उसका इवेज़न दूर करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने यहां पर जिस योजना की घोषणा की, उसमें कितना दम है, इसको आज लोग समझ रहे हैं कि इसमें कई खास दम नहीं हैं।

महोदय, मैं पहला मुद्दा यह रखना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी ने टैक्स इन्वेजन दूर करने के लिए मेक्सीमम 30 प्रतिशत का स्लेब अपने बजट में घोषित किया, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं, यह अच्छा है। लेकिन मेरा कहना यह है कि ब्लैक मनी कंट्रोल करने का इनका तरीका ठीक नहीं है। जो ब्लैक मनी पैदा होती है इसे दूर करने के लिए अगर वित्त मंत्री जी ने और ध्यान दिया होता तो इस समय जो देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है उसको सुधारने में बहुत ही सहूलियत होती। जैसे कि वित्त मंत्री ने अपने बजट के द्वारा करीब 2500-2600 करोड़ की कस्टम ड्यूटी में रिलीफ दी है, लेकिन जहां से ब्लैक मनी पैदा होती है, जैसे एक्साइज़ से होती है और जो एक्साइज़ ड्यूटी है, एक तरफ तो कस्टम ड्यूटी कम होती जा रही है और दूसरी तरफ एकसाइज़ ड्यूटी में बढ़ोत्तरी होती है, जिसका लाभ न उद्योगों को मिलता है और न ही देश को मिलता है।

महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, कि यह जो एक्साइज़ ड्यूटी की वजह से इस देश में कर चोरी होती है, इसकी जो मात्रा बढ़ती जाती है इसे रोकने के लिए कम से कम जो एक्साइज ड्यूटी है, अनबेयरेबल ड्यूटी, जो उद्योग के लिए है उसको कम करना चाहिए। जैसे टैक्सटाइल इंडस्ट्री है, मैन मेड फैब्रिक्स है, मैन मेड फाइबर इंडस्ट्री है उसमें इतनी एक्साइज़ है, कहीं एडीशनल एक्साइज़ है, क्या बेसिक एक्साइज़ ड्यूटी है, इस प्रकार से अलग-अलग प्रकार की ड्यूटी लगा कर आज पूरे मैन मेड फैब्रिक्स को खत्म करने की सरकार की इच्छा है, ऐसा लग रहा है उसे कम करने की कोशिश नहीं की। जिस प्रकार से बित्त मंत्री जी ने अपना इंकम टैक्स का स्लैब कम किया, अगर इस प्रकार से एक्साइज ड्यूटी में वह कम करते और उद्योगों को देखते हुए इस प्रकार का स्लेब बनाते तो मुझे लगता है कि हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, जिसको हम ऊंचा लाने के लिए कोशिश कर रहे है उसमें हम शायद कामयाब होते, लेकिन यह होने वाला नहीं है। इसलिए एक ओर तो हमने यह किया कि जिसके पास ब्लैक मनी है, 30 प्रतिशत होकर उसको व्हाइट कर दिया है, लेकिन दूसरी और जहां से ब्लैक मनी जेनरेट हो रही है वह जेनरेशन प्वाइंट है, उसे दूर करने के लिए वित्त मंत्री जी ने कोई ऐसा प्रोग्राम या ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया कि जिससे ब्लैक मनी जेनरेट न हो।

मुझे तो पूरा-पूरा संदेह है, जो वित्त मंत्री ने वी०डी०एस० की स्कीम बनाई है इससे जितनी ब्लैक मनी व्हाइट होगी, इससे अधिक जो एक्साइज ड्यूटी से ब्लैक मनी होने जा रही है वह और भी अधिक होगी। इसलिए वित्त मंत्री से मेरा तो यह आग्रह है कि कस्टम ड्यूटी में जितनी भी रिलीफ दी गयी है यह रिलफ कन्जयूमर को पास-ऑन होनी चाहिए। जब-जब बजट में हम रिलीफ देते हैं जो एक्चुअल कन्जयूमर है उसके पास रिलीफ जाती नहीं है, इंडस्ट्री वाले करोड़ों-अरबों की रिलीफ खा जाते हैं। इसको कोई डिपार्टमेंट नहीं देखता हैं, न ही वित्त विभाग देखता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो रिलीफ है वह कन्जयूमर को पहुंचनी चाहिएं जहां से ब्लैक-मनी जैनरेट होती है ऐसे जो अनबेयरेबल एक्साइज ड्यूटी का बर्डन है, उसको कम करने की दिशा में वित्त मंत्री को प्रयास करना चाहिए।

सभापति जी, वित्त मंत्री ने दूसरी गलती यह की है कि उन्होंने एस०एस०आई० यूनिट को एक्साइज में जो रिलीफ देते थे उनको बिल्कुल खत्म कर दिया। आज सारे देश के स्मॉल सैक्टर के लाखों यूनिट इतने परेशान हैं क्योंकि एक तो बाहर से माल इस देश में डम्प हो रहा है दूसरे सरकार कहती है कि उदारीकण के आधार पर माल की क्वॉलिटी चाहिए, तथा माल भी सस्ता चाहिए। वह कोई इस देश में बना सकता नहीं है, इसलिए विदेश से लाओ। इसलिए हमारा स्मॉल स्कैल सैक्टर टिक नहीं पाता। उसको टिकाने के लिए, उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए, माल-प्रोडक्शन के लिए, उसकी क्वॉलिटी सुधारने के लिए आपको स्टैप लेने चाहिए। लेकिन वित्त मंत्री ऐसा करने के बजाए जो सहूलियतें एक्साइज में दी जाती थी, जो एग्जम्शन था वह फिर से लागू किया जाए।

मुझे लगता है कि संयुक्त मोर्चा सरकार जो कह रही है कि हम गरीबों, कामगारों और छोटे-छोटे इंडस्ट्री वालों के साथ है तो यह इन स्मॉल स्केल में काम करने वालों के साथ मजाक है।

एस०एस०आई० में जो एलम्युनियम कंडक्टर यूनिट हैं वजट से पहले उनका टर्न-ओवर तीन करोड़ का था और उसको सिर्फ 2.75 लाख देना पड़ता था। अब बजट आने के बाद उसमें जो एग्जम्शन था यह निकाल दिया और तीन करोड़ की टर्न-ओवर पर अब उसको 9.10 लाख देना पड़ेगा। इस तरह से उनके ऊपर चार गुना ड्यूटी लग जाएगी। आप देख सकते हैं कि कहां 2.75 लाख और कहां 9.10 लाख। तो इस तरह से छोटे-छोटे इंडस्ट्री वाले कहां जाएंगे।

दूसरी ओर जो बड़े-बडे यूनिट हैं उनको कम देना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है उसमें इस देश के छोटे-छोटे उद्योगों को खत्म करने के लिए पूरा-पूरा प्रावधान है छोटे उद्योगों को आगे ले जाने के लिए, उनके उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में इसमें कुछ नहीं है। जैसा मैंने मैनमेड फैब्रिक्स के बारे में बताया कि उसके ऊपर ड्यूटी बहुत ज्यादा है। आज मार्च का महीना चल रहा है और जितना टार्गेट इन्होंने रखा था वह पूरा नहीं हो रहा है। इसलिए आज देश में चारों और एक्साइज इंस्पेक्टर और ऑफिसर्स जा रहे हैं और इतना हंगामा मचा हुआ है और मैं नहीं समझता हूं कि जो टार्गेट रखा गया था वह पूरा होगा।

मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान इस देश की टैक्सटाइल इंडस्ट्री की ओर दिलाना चाहता हूं। यहां की टैक्सटाइल मशीनरी इतनी अच्छी है कि वह फॉरेन को कम्पीट कर सकती है। मैंने सूरत और मुम्बई की टैक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। माननीय वित्त मंत्री जी ने टैक्सटाइल इंडस्ट्री के कम्पोनैंट और पार्ट्स पर कनसैशनल ड्यूटी दस प्रतिशत कर दी है। उसमें लिखा है :

[अनुवाद]

"मैंने इस मशीनरी के कलपुर्जों और संघटकों का 10 प्रतिशत के रियायती शुल्क पर आयात करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है।"

[हिन्दी]

हमारी टैक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कपड़ा बनता है। बाहर से इम्पोर्ट करने से टैक्सटाइल मशीनरी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस देश के छोटे-छोटे उद्योगों को खत्म करने के लिए बजट में ऐसा प्रावधान किया गया है। संयुक्त मोर्चा सरकार कहती है कि वह गरीबों और कामगारों की है। इस सरकार ने सोशल सर्विस, ट्रांसपोटेशन और रूरल डैवलपमैंट के लिए जो प्रावीजन किया है, उससे पता लगता है कि सरकार की प्रॉयरिटीज विलासिता की चीजों को बाहर से लाने की हैं। वह नहीं चाहती कि गांवों का विकास हो, छोटे-छोटे उद्योगों का विकास हो और ट्रांसपोटेशन का विकास हो। रूरल डैवलपमैंट पर 1996-97 में 7520 करोड़ रुपए का प्रावीजन किया गया था। 1997-98 में सिर्फ 7691 करोड़ का प्रावजीन किया गया है। आज जबकि इनफ्लेशन रेट बढ़ रहा है और रुपए की कीमत कम होती जा रही है, उसको देखते हुए इसमें वृद्धि नहीं की गई है। वित्त मंत्री जी ने ऐसा एलोकेशन नहीं किया जिससे ग्रामीण विकास हो सके। दो साल पहले इससे कम प्रावीजन बजट में किया गया था। 1996-97 में सोशल सर्विस का रिवाइज्ड एस्टिमेट 10041 करोड़ था। 1997-98 में वह 13817 करोड़ है। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट पर 1996-97 में रिवाइज्ड एस्टिमेट 14384 करोड़ था। इस वर्ष 15-16 हजार करोड़ का है। सोशल सर्विस में एलोकेशन इतना कम है कि हम प्राइमरी सर्विसेज तक पहुंच नहीं पाएंगे।

अभी जयप्रकाश जी ने कहा कि हम और पीछे चले जा रहे हैं, इसलिए हमें अपनी प्रॉयरिटीज को बदलना चाहिए। इस सरकार ने कहा है कि 75 हजार रुपए इनकम टैक्स की लिमिट में जो आता है, उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आपने इनकम टैक्स लिमिट बढ़ाने के लिए और टैक्स इवेजन कम करने के लिए 30 परसैंट मैक्सिमम रखा है।

उसी प्रकार से हमने मांग की थी कि सर्विस वाले लोगों के लिये आयकर सीमा एक लाख तक कर दें जिसे माननीय वित्त मंत्री ने स्वीकार नहीं किया। मेरा अनुरोध है कि अपने उत्तर में यह सीमा बढ़ाने की घोषणा करें। सरकार इसे 'प्रो-पूअर' बजट कहती है लेकिन यदि यह 'प्रो-पूअर' बजट होता तो पोस्टकार्डों और लिफाफों की कीमतें बढ़ाकर भी 367 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त न करते। लेकिन गरीब मजदूर पोस्टकार्ड, लिफाफे और ए०ओ० का इस्तेमाल करता है। मैं तो नहीं समझता कि 367 करोड़ रुपये का बजट में और बोझा लादकर गरीबों, कामगारों को राहत देने का काम किया है। इय अन्यायपूर्ण बात है। इसको वापस लेना चाहिये।

सभापति महोदय, मैं अंतिम बात कह कर अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। यह कहा गया है कि यह 'ग्रोथ ओरिऐंटेड बजट' है। मैं मानता हूं कि इस देश में बाहर से माल आ रहा है और वहां जाता भी रहा है। सरकार कोशिश करती है कि बड़ी मात्रा में बाहर से आये। हमारा माल विदेशों से भी अच्छा माल होता है लेकिन जिस देश में जाता है वहां की सरकार उस पर 'एंटी-डंपिंग ड्यूटी' लगाती है। यहां से जो प्लास्टिक गुड्स का सामान जाता है उस पर 7.5 प्रतिशत की दर से 'एंटी-डंपिंग ड्यूटी' लगाती है। हमारे यहां जो भी माल बाहर से आता है, उस पर ड्यूटी कम कर रहे हैं। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे देश में ऐसे उद्योग है जिनको ऐनकरेज किया जाना चाहिये लेकिन इसका प्रावधान करने के बजाये इन्हों ने बाहर से माल आने के लिये 'ओपन डोर' कर दिया हो, ऐसी स्थिति कर दी है। हमारे वित्त मंत्री जी ने विदेश में जाकर यह कहा था कि आप हमारे देश में आओ, मैं बुलाने के लिये आया हूं। तो कहीं वहीं स्थिति न हो जाये जो आजादी से पहले थी अर्थात् वही मानस और वही दिमाग बताता है कि इस देश के उद्योग और इस देश के गरीब आदमी को ऊंचा उठाने की कोई परवाह नहीं की। मुझे तो यही लगता है कि बाहर से माल लाकर इस देश की इकोनोमी को खत्म करने का प्रावधान किया गया है। मुझे आशा है कि हमारे वित्त मंत्री प्रैक्टिकली इस देश की हालत को देखकर कोई ऐसा रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे या ऐसी कोई घोषण करेंगे जिससे इस देश का स्माल सैक्टर बचे और इस देश के गरीब को लाभ हो।

सभाति महोदय, मैं इस बजट को न तो 'प्रो-पूअर' और न 'ग्रोथ ओरिऐंटेड' बजट कहूंगा बल्कि यह 'प्रो कैपिटलिस्ट' बजट है, इसलिये इसका विरोध करता हूं।

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : सभापति जी, आज 5.00 बजे माननीय वित्त मंत्री जी जनरल बजट पर चर्चा का उत्तर देने वाले हैं, ऐसा निश्चित हुआ था, हम जानना चाहते हैं कि उनकी रिप्लाई कब होगी।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : आज नहीं, वित्त मंत्री जी की रिप्लाई कल होगी।

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : फिर आज कोई बिल भी पास नहीं होगा, क्योंकि दो बिल सदन में आने वाले हैं – एक भरतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक तथा दूसरा विद्युत विधि (संशोधन) विधेयक।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : मुझे निश्चित जानकारी नहीं है। परन्तु इसे प्रवर समिति को सौंपा जाएगा। अब सभापति श्री श्रीकांत जेना को भाषण देने के लिए आमंत्रित करें।

सभापति महोदय : मैंने श्रीमती मीरा कुमार को अपनी बात कहने के लिए आमंत्रित किया है।

अपराह्न 5.00 बजे

श्रीमती मीरा कुमार (करोलबाग – दिल्ली) : श्री पी० चिदम्रम यहां उपस्थित नहीं हैं। वे यहां उपस्थित होते तो अच्छा होता क्योंकि

[श्रीमती मीरा कुमार]

मैं उन्हें वधाई देना चाहती हूं। सांझा सरकार के वित्त मंत्री के रूप में उनकी स्थिति अवांछनीय है। इसे इन्द्रधनुपी सांझापन कहा जा सकता है। परन्तु इसमें सात की बजाय 14 रंग हैं। और निश्चित रूप से अलग-अलग विचारधारा वाले विभिन्न दलों के साथ सामंजस्व स्थापित करते हुए वजट प्रस्तुत करना आसान कार्य नहीं है। उन्होंने अच्छा कार्य किया है और इसलिए मैं उसको वधाई देना चाहती हूं।

लगभग सात प्रतिशत की वृद्धि दर, वित्तीय घाटा कम करना, कर आधार को विस्तृत करना, संभावित राजस्व संग्रह, विदेशी घूंजी निवेश इस बजट के कतिपय सर्वाधिक सकारात्मक पहलू हैं। व्यक्तिगत आयकर, निगमित कर, एम०ए०टी० का कम किये जाने निगमित शुल्क हटाना; व्यक्तिगत आय के लाभांश पर कर हटाए जाने से निगमित क्षेत्र, वेतनभोगी वर्ग और विदेशी निवेशक अत्यंक प्रसन्न हैं। इस वजट से सम्पन्न, धनाठ्य वर्ग, उच्च मध्यमवर्ग और यहां तक मध्यम वर्ग भी लाभान्वित हुआ है। इसलिए मैं वित्त मंत्री को बधाई देना चाहती हूं।

इस बजट से लाभान्वित होने वाले लोग समाज के विभिन्न वर्गों के हैं जिनका राय बनाने में योगदान रहता है। अतएव इस बजट को इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया में व्यापक मान्यता प्रदान की गई है।

परन्तु, ये बातें यहीं समाप्त नहीं होती हैं। मैं यह जानना चाहती हूं इस वजट के बारे में आम राय क्या है अथवा इस पर उन लोगों की क्या राय है जिन्होंने चुपचाप पीडा सही है ? इस बजट के बारे में उन लोगों की क्या राय है जो गरीवी रेखा से नीचे हैं ? इस बजट पर इन लोगों की क्या राय है जिनके पास कोई विरासत नहीं है, विपन्न निर्धन है और अथावग्रस्त हैं ? बजट पर ऐसे लोगों की क्या राय है ?

मैं सिर्फ बजट की आलोचना करने के लिए आलोचना नहीं कर रही हूं। मैं इस सम्मनित सभा का ध्यान बजट की उन गम्भीर कमियों की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं जो गम्भीर चिंता एवं आक्रोश के कारण हैं परन्तु मैं यह मानती हूं कि किसी भी बजट की सार्थकता तब तक मानी नहीं जायेगी जव तक बजट के मुद्रित दस्तावेज में निर्धन और शोषित वर्गों के समर्थन में कुछ बातें नहीं कही गई हों।

[अनुवाद]

हमारे देश में जो निर्धन हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करते हैं, वे निर्धन ही बने रहते हैं। एक ओर तो उच्च विकास का प्रभाव नीचे तक पहुंचने की बात की जाती है, दूसरी ओर सामाजिक क्षेत्र में और अधिक व्यय की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। हम सब इससे अवगत हैं। हमें यह बात अच्छी तरह पता है। हम अपनी आंखों से ये सब देखते हैं और यह पता लगाने के लिए हमें अर्थशास्त्री होने की आवश्यकता नहीं कि विकास का लाभ नीचे तक पहुंचने की बात वास्तविकता न होकर छलावा मात्र है। तथापि, निम्न वर्ग तक विकास लाभ पहुंचने का कोई प्रभाव जब तक दिखाई नहीं देता तव तक, अंतरिम अवधि में, शोषित वर्ग के लोगों को रोजगार कार्यक्रमों तथा सामाजिक क्षेत्र में और अधिक व्यय के माध्यम से समर्थन दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री यहां पर उपस्थित नहीं हैं। यदि वे यहां पर होते तो मैं इस ओर उनका ध्यान आकृष्ट करती है। क्योंकि मैं जो बात कहने जा रही हूं वह एक बहुत ही गंभीर मामला है। यह एक विडंबना ही कही जायेगी कि सामाजिक क्षेत्र में किये जा रहे व्यय में लगातार कमी की संयुक्त मोर्चा सरकार अनदेखी कर रही है। केन्द्रीय बजट के योजनागत व्यय में हुई महत्वपूर्ण बचतों पर वित्त मंत्री ने संतोष व्यक्त किया है। लेकिन यह इस बात का उल्लेख करना भूल गये कि उन बचतों का लगभग आधा हिस्सा लोक कल्याण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए निश्चित धनराशि से कटौती कर प्राप्त किया गया है।

मध्याह्न भोजन योजना, जिससे निर्धन बच्चों को न केवल पौष्टिक आहार मिलता है अपितु विद्यालय में उपस्थित होने के लिए उन्हें प्रोत्साहन भी मिलता है, के लिए निश्चित धनराशि में से 40 प्रतिशत की कटौती की गयी है और उस पर वास्तविक व्यय 600 करोड़ रुपये कम है। यह एक विडंबना ही है। ग्रामीण विकास और रोजगार कार्यक्रम पर वास्तविक व्यय 460 करोड़ रुपये कम है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम पर वास्तविक व्यय 380 करोड़ रुपये कम है। मौजूदा बजट में सामाजिक क्षेत्र में 1200 करोड़ रुपये की वृद्धि का वचन दिया गया है।

लेकिन जैसा कि मैंने अभी कहा, गत वर्ष लोक कल्याण के तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए निश्चित की गयी धनराशि में से 14,40 करोड़ रुपये की कटौती की गयी थी। मंत्री महोदय ने गत वर्ष सामाजिक क्षेत्र में 1,440 करोड़ रुपये की कटौती की लेकिन इस वर्ष उन्होंने इसके लिए लगभग 1,200 करोड़ रुपये ही वृद्धि की हैं। मैं सम्मानित सभा का ध्यान इस गंभीर विरोधाभास की ओर आकृष्ट करना चाहूंगी। यह एक अमानवीय दृष्टिकोण है। जहां तक इस देश के निर्धन व्यक्तियों का संबंध है यह उनके प्रति उपेक्षा और लापरवाही ही कही जायेगी। उक्त तथ्य इसका एक उदाहरण मात्र है।

गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे अधिकतर निर्धन व्यक्ति अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अन्य सभी देशों, समाजों और अर्थव्यवस्थाओं में केवल दो भाग हैं। धनवान या साधन संपन्न व्यक्ति तथा निर्धन या साधनहीन व्यक्ति। लेकिन हमारे समाज में धनवान तथा निर्धन व्यक्तियों के अलावा जाति प्रथा भी है और इस समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग न केवल आर्थिक शोषण का शिकार है अपितु सामाजिक शोषण का भी शिकार हो रहा है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अधिकतर व्यक्ति अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति के हैं। वैसे तो वित्त मंत्री ने निर्धनों को कुछ भी नहीं दिया है तथा अनूसूचित जाति/अनूसूचित जनजातियों के लिए उनके पास जो कुछ था उसका अल्पभाग ही दिया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनूसूचित जनजाति वित्त विकास निगम को 96 करोड़ रुपये दिये गये हैं। विशेष संघटक योजना में अनूसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 326.26 करोड़ रुपये प्रदान किये गये है। यह बहुत कम है।

आम धारणा यह है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों के लिए उनके पास आरक्षण नीति है जिससे उनकी सारी समस्याओं का

समाधान हो जायेगा और उनके सभी विकास कार्यक्रमों को पूरा किया जा सकेगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि आज भी अनूसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 2 प्रतिशत से अधिक व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाने की स्थिति में नहीं हैं। वे आज भी ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी मलिन बस्तियों में घोर निर्धनता तथा अपमान जनक और अमानवीय भेदभाव को झेलते हुए जीवन यापन कर रहे हैं। अब, क्या इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि उन्हें आरक्षण का लाभ उठाना चाहिए और हम उनके लिए 400 करोड़ रुपये की अल्पराशि के प्रावधान के अलावा और कुछ नहीं करेंगे। हम एक नई शताब्दी में प्रवेश करने को हैं। हम स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर चुके हैं। लेकिन आज भी मैं सुबह-सुबह अखबार के पन्ने पलटने से डरती हूं कि उसमें कहीं देश के किसी भाग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों पर अत्याचार की कोई खबर न हो। यही सचाई है। ये ऐसे लोग हैं जो आज की अस्वच्छ व्यवसायों में सलंग्न हैं तथा छोटे मोटे कारीगर हैं। ये लोग दैनिक मजदूर हैं, बंधुआ हैं। और मुझे यह कहते हुए अचंभा होता है कि हमारी सरकार जो सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों के लिए वचनबद्ध है, ने इस वर्ग को लक्षित करके कोई योजना आरंभ नहीं की है। इनमें से अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोग खेतिहर मजदूर हैं। वे भूमिहीन काश्तकार हैं। हम कृषि क्षेत्र में सुधार की बात करते नहीं थकते। हम बीजों में सुधार की बात करते हैं। हम सुनिश्चित सिंचाई सुविधा देने की बात करते हैं और भूमि की किस्म में सुधार की बात करते हैं।

अपराह्न 5.15 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

हम अधिक और बेहतर उर्वरकों को उपलब्ध कराने तथा उर्वरकों पर सब्सिडी देने की बात भी करते हैं। हम प्रौद्योगिकी में सुधार की बात करते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के लिए यह सब किया जा रहा है हम उसकी ओर कभी भी ध्यान नहीं देते। उसकी बड़ी उपेक्षा होती है। वह हमारे कृषि क्षेत्र की रीढ़ है। हम एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में रहते हैं। इसलिए, खेतिहर मजदूर अथवा भूमिहीन काश्तकार हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। यदि हमें अपने कृषि उत्पादों में सुधार लाना है, यदि हमें हरित क्रांति की पुनरावृत्ति करनी है, तो हमें उसकी जो वास्तविक व्यक्ति अर्थात् भूमि जोतने वाले किसान है उसकी ओर ध्यान देना पड़ेगा, हमें उसकी दशा में सुधार लाना होगा। मैं उन्हें खेतिहर मजदूर भी नहीं कहना चाहूंगी। मैं उन्हें भूमिहीन काश्तकार कहना चाहूंगी। हमें उनको ऐसी भूमि उपलब्ध करानी चाहिए जो अनुपजाऊ जा बंजर भूमि न हो जैसा कि भूमिहीन खेतिहर मज़दूरों को अतिरिक्त भूमि बांटते समय किया जाता रहा है। हमें वास्तविक काश्तकारों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध करानी चाहिए तथा उन्हें यथोचित न्यूनतम मज़दूरी प्रदान करनी चाहिए। यह ऐसा सपना है जो हमारे गांवों में खेतिहर मज़दूरो तथा बंधुआ मज़दूरों के लिए साकार नहीं हो सका। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करना चाहती हूं कि वो इस सपने को सचाई में बदलें।

अक्सर यह तर्क दिया जाता है, और मैं सब कहीं यह सुनती हूं, कि भूमिहीन व्यक्तियों को छोटी जोतें देना व्यहार्य नहीं होगा। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा कहने वाले अर्थशास्त्री कौन हैं। हो सकता है वे आक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज में पढ़े हों हो सकता है वे विदेश में कहीं और पढ़े हों। लेकिन वे जातिवाद से ग्रस्त ग्रामीण भारत की वास्तविकताओं से परिचित नहीं हैं। यदि वे इससे परिचित होते, तो उन्हें पता होता कि इसका मतलब क्या है तथा गांव में रहने वाले ऐसे व्यक्ति का स्तर कितना ऊंचा उठ जाता है जिसके पास अपनी भूमि होती है। इसलिए मैं वित्तमंत्री से पुनः निवेदन करना चाहूंगी कि इन व्यक्तियों को आर्थिक दृष्टि से समर्थ बनाने के लिए वे भूमि आवंटन की कोई योजना लायें।

इस संबंध में अक्सर एक और तर्क भी दिया जाता है कि निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम, अनूसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति के लिए चलायी जा रही योजनाएं आदि भली भांति लागू नहीं होतीं क्योंकि उसके लिए निर्धारित साधनों की लूट-खओट की जाती है और जहां कहीं लागू भी किया जाता है उसे बड़ी अपक्षता से लागू किया जाता है। इसीलिए इनमें और अधिक धन बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन इन योजनाओं को कार्यान्वित करने वाला तंत्र यदि दोषपूर्ण है तो समय की आवश्यकता यह है कि इसे पूरी तरह दुरूस्त किया जाये। निर्धनों, अनूसूचित जाति तथा अनूसूचित जनजाति के कल्याण हेतु निर्धारित धनराशि में कटौती करना एक अपराध है।

मैं बहुत ही रोष और पीड़ा के साथ इस सम्मानित सभा का ध्यान इस गंभीर पहलू की ओर आकृष्ट करना चाहूंगी जो बजट में नहीं है। भारत की पहचान विश्व में सर्वाधिक बाल श्रम शक्ति का प्रयोग करने वाले देश के रूप में है।

मुझे अत्यंत ग्लानि के साथ कहना पड़ता है कि हम अपनी अर्थ व्यवस्था छोटे-छोटे बच्चों के कंधों पर टिकाये हैं जो एक कलंक की बात है। आपने अंग्रेजी लेखक चार्ल्स डिकेन्स तथा ब्लेक की पुस्तकों को पढ़ा होगा जिनमें बताया गया है कि किस तरह चिमनी साफ करने वाले छोटे-छोटे बच्चे अपने जीवन को जोखिम में डाला करते थे। 18वीं शताब्दी के इग्लैंड में ही वह प्रथा समाप्त कर दी गयी थी। लेकिन हम अब भी अपने बच्चों का शोषण कर रहे हैं। हम उन्हें कृषि क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र, संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र तथा जोखिम भरे क्षेत्रों में कार्य पर लगा रहे हैं। हम उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। यहां, हम सब रोजगार को और अधिक अवसरों के सृजन पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन वयस्क लोगों को कार्य पर लगाने के बजाय हम अपने बच्चों को कार्य पर लगा रहे है और युवक-युवतियां बेकार बैठे हैं। यह एक अजीब विडंबना और विरोधाभास हैं एक राष्ट्र के रूप में भारत ने बालश्रम को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र को वचन दिया है और संयुक्त मोर्चा सरकार ने भी इसे समाप्त करने के लिए राष्ट्र को वचन दिया है। लेकिन इस वचन को पूरा करने के लिए बजट में किसी योजना का उल्लेख नहीं किया गया है।

इस बारे में मेरी एक चिंता और है। मैंने यूनीसेफ की 1996-97 की रिपोर्ट में पढ़ा है कि ब्रिटेन तथा अमेरिका में बसे आप्रवासियों के बच्चे वहां बाल श्रमिक के रूप में कार्य पर लगाये जा रहे हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसे क्षेत्रों की तलाश में हैं जहां उन्हें सस्ता श्रम मिल सके

[श्रीमती मीरा कुमार]

और श्रमिक संगठन कमज़ोर हों। बाल श्रम से सस्ता और क्या हो सकता है। और; उनका कोई यूनियन नहीं है। अतः मैं इस संबंध के सावधानी बरतने के लिए कहती हूं। मैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आमंत्रित करने के विरुद्ध नहीं हूं। यदि इससे हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो, यदि इससे हमारी अर्थव्यवस्था में प्रगति हो, और एक समृद्ध राष्ट्र के रूप में भारत का उदय हो तो हर संभव प्रयास कर उन्हें यहां लाएं। कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि वे हमारे बच्चों को श्रमिकों के रूप में उपयोग न करें। अतः बड़े पैमाने पर उन्हें यहां आने देने से पूर्व कृपया बाल श्रम की प्रथा का उन्मूलन कर दें।

अन्त में, एक महत्वपूर्ण बात मैं दिल्ली के बारे में कहना चाहूंगी क्योंकि मैं दिल्ली का प्रतिनिधित्व करती हूं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने सभी संघ राज्य क्षेत्रों तथा राज्यों के लिए केन्द्रीय सहायता में वृद्धि की है। तथापि मैं यह कहना चाहूंगी कि दिल्ली को दी गई केन्द्रीय सहायता राशि लगभग समान ही है। मैं नहीं जानती हूं कि इसके पीछे क्या तर्क है। दिल्ली के लिए केवल 265 करोड़ रुपया ही दिया गया है। यह बहुत ही कम है। आप जानते हैं कि दिल्ली की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। इसके अतिरिक्त बुनियादी तथा नागरिक सुविधाओं में भी कमी आ रही है। जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हो गई है। निर्धन व्यक्तियों के लिए आवास तथा उन्हें रोजगार देने हेतु कोई प्रभावकारी योजना नहीं है। खाद्य सामाग्रियों की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हो रही है जिससे दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली वस्तुतः निष्प्रभावी हो गयी है। दिल्ली निवासियों की इन परेशानियों को बढ़ाते हुए हाल ही में 'डेसू' ने विद्युत शुल्क में बढ़ोतरी कर दी हैं इतनी कम धनराशि से हम किस प्रकार दिल्ली की समस्याओं को सुलझा पायेगें ? अतः मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे गंभीरतापूर्वक दिल्ली के संबंध में ध्यान दें। आखिर यह हमारी राजधानी है। यह हमारे इतिहास, पुराण तथा राष्ट्रीय आन्दोलन का भाग है। दिल्ली ने सत्ता परिवर्तन होते देखे है। यह हमारे देश का प्रमुख केन्द्र है। यहां हम राष्ट्र के भाग्य का निर्माण करते हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है। अतः मैं दिल्ली के विकास के लिए अधिक और पर्याप्त धनराशि की अपेक्षा करती हूं।

महोदय, अन्त में, मैं यह कहूंगी कि यह बजट संयुक्त मोर्चे की सरकार के सामाजिक न्याय के साथ विकास की वचनवद्धता से हट कर है। इसमें कोई शक नहीं है कि विकास दर, वित्तीय घाटे पर नियंत्रण करने, अधिक से अधिक लोगों को कर ढांचे के अन्तर्गत लाने, राजस्व को सुदृढ़ बनाने की आशा, विदेशी निवेश, उदारीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने तथा आर्थिक सुधारों के संबंध में अत्यधिक खुशी हुई है। परन्तु यह विकास रातोरात नहीं हुआ है। छः वर्ष पूर्व जब हमारी अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही थी तो कांग्रेस सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट से ही इसे सही दिशा में लाया गया तथा तत्पश्चात् वर्ष दर वर्ष कांग्रेस सरकार के सुधार अभिमुख बजट ने ही – नियंत्रणों को समाप्त कर, विकास के नए मार्ग खोल कर, विसंगतियों को दूर कर – इस वर्तमान बजट का मार्ग प्रशस्त किया है। मैं इस बात से व्यथित हूं कि गत पांच वर्षों के कांग्रेस जितनी सुदृढ़ थी उससे भी कहीं अधिक सुदृढ़ होने के बावजूद माननीय वित्त मंत्री जी ने केवल ऊपरी तबके पर तथा केवल विकास पर ध्यान दिया और सामाजिक न्याय की उपेक्षा कर दी।

महोदय, मुझे समय देने के लिए मैं आपकी आभारी हूं।

[हिन्दी]

श्री रमेन्द्र कुमार (बेगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, बजट संतुलित और यथार्थवादी है। बुनियादी सेवाओं जैसे पेयजल, शिक्षा, सिंचाई आदि में अधिक आवंटन स्वागतयोग्य है। इसी तरीके से ग्रेचुअटी की सीलिंग एक लाख रुपये से बढ़ाकर अढ़ाई लाख रुपये कर दी गई है, यह भी स्वागतयोग्य है। इसके लिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि पेमेंट आफ ग्रेचुअटी एक्ट में संशोधन लाया जाए। उसी तरह से पी०एफ० कंट्रीब्यूशन में दो प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है। यह भी ठीक है। इनकम टैक्स में वेज अर्नर्स के लिए 75,000 रुपये की सीलिंग की गई है, इसकी बहुत दिनों से मांग थी।

आधी कीमत पर गरीबों को दस किलोग्राम राशन देने जा रहे है, इसका भी स्वागत किया जा रहा है। इस तरह से वित्त मंत्री ने ऐसा बजट पेश किया है कि समाज के सभी हिस्से उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। मजदूर से लेकर हर्षद मेहता तक वित्त मंत्री की बड़ाई कर रहे हैं। *(व्यवधान)* कर तो आप भी रहे हैं। असल में बजट में करों में छूट दी गई है, बड़े-बड़े लोगों को छूट दी गई है। लेकिन मैं वित्त मंत्री से कहना चाहूंगा कि छाते पर टैक्स क्यों लगा दिया। गरीब लोग छाता लगाते हैं। धूप में और बरसात में छाता लगाते हैं। इसलिए इस पर मेहरबानी करें। पोस्टकार्ड और लिफाफे की कीमतें बढ़ दीं। हम लोग पोस्टकार्डों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इस पर भी विचार किया जाए। असल में वित्त मंत्री जी को उम्मीद है कि करों में रियायत देने से निवेशकों का आत्म-विश्वास लौट आएगा, शेयर बाजार में नई रौनक आएगी। देशी-विदेशी निवेश बढ़ेगा तथा व्यापारिक और औद्योगिक गतिविधियां तेज होंगी और समग्र वृद्धि सात प्रतिशत की सीमा को पार कर जाएगी। इसलिए वित्त मंत्री द्वारा जो करों में जबरदस्त छूट दी गई है, वित्त मंत्री को विश्वास है कि करों में छूट देने से प्रेरित होकर लोग कर चुकाने लगेंगे। लेकिन कर चोरी का रियायत से कोई संबंध है या नहीं है, यह प्रश्न उठता है। वित्त मंत्री जी ने ईमानदार और बेईमान को एक ही तराजू में रख दिया है। उनको थोड़ा-बहुत अंतर रखना चाहिए। *(व्यवधान)* आप चाहते हैं कि बेईमान ज्यादा बने रहें और हम चाहते हैं कि ईमानदार ज्यादा बने रहें। इसलिए वित्त मंत्री ने दोनों की बात बराबर रख दी। इसलिए ब्लैक मनी के वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम द्वारा जो लोग टैक्स देंगे और जो लोग ईमानदारी के साथ पर्सनल टैक्स देंगे, उनको भी तीस प्रतिशत देना पड़ेगा। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि ईमानदार और बेईमान में अंतर होना चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रमेन्द्र कुमार जी, कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

[हिन्दी]

श्री रमेन्द्र कुमार : अब प्रश्न उठता है कि हमारे देश में जो घरेलू उद्योग हैं, जो लघु कटीर उद्योग है, उनको विदेशों के लिए खुला छोड़ दिया गया है कि जो करना है करों, जो बेचना है, बेचो। जो लाना है, लाओ, लेकिन हमारा कहना है कि हम अपने देश में जो पैदा करते हैं, क्या हमारी पैदावार उसके मुकाबले में टिक सकेगी या नहीं ? मैं ऐसा कहना चाहता हूं क्योंकि हम उनको टैक्स से छूट दे रहे हैं। इसी प्रकार से मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी जो आत्म-निर्भरता की नीति है, उस पर भी हमें कायम रहने की आवश्यकता है। हमें यह देखना चाहिए कि हमारा देश आत्म-निर्भर कैसे बना रहे? हम अपने देश को दूसरे देश के हाथों में डाल देते हैं, यह अच्छी बात नहीं है। क्योंकि 80 आईटम्स में इम्पोर्ट ड्यूटी में छूट दी गई है, यह विचारणीय विषय है कि किस आईटम पर इम्पोर्ट ड्यूटी में छूट दी जाए और किस पर न दी जाए, यह विचार करने की आवश्यकता है।

नौवीं पंचवर्षीय योजना में लिखा गया है कि कृषि और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी जाए जिससे कि रोजगार अधिक मिले और गरीबी दूर हो। कृषि क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने की आवश्यकता है। जब तक उत्पादकता नहीं बढ़ेगी तब तक कीमतों में कमी नहीं आएगी। नौवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि का लक्ष्य 4.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया हैं बजट में 4.5 प्रतिश कृषि के मामले में वार्षिक दर जो निर्धारित की गई है, वह लक्ष्य दर हम प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते ? मेरी समझ से कृषि के क्षेत्र मे हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए कहना चाहता हूं कि कृषि के क्षेत्र में कुछ और आवंटन बढ़ाने की आवश्यकता है।

फसल बीमा योजना से हम आम किसानों को लाभ नहीं दे सकतें उनमें बहुत सी त्रुटियां हैं। इसलिए सरकार से कहना चाहूंगा कि आप व्यापक फसल बीमा की योजना बनाएं जिससे कि खासकर मध्यम और छोटे किसानों को फायदा हो सके। यह चर्चा देश में थी कि किसानों के लिए एक व्यापक योजना बनाई जाएगी। लेकिन इस बजट में इस संबंध में कुद नहीं कहा गया है। उसी तरीके से साइंटिफिक तरीके से खेती हो, कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना की जाए, परंतु उसके लिए कोई पैसा नहीं दिया गया है। इसलिए मैं सरकार से कहूंगा कि कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना के लिए बजट में प्रावधान करें।

किसानों को सुलभ तरीके से कैश की व्यवस्था भी नहीं है। जब तक छोटे और सीमांत किसानों के विकास के लिए विशेष योजनाओं को लागू नहीं किया जाएगा, तब तक कृषि का व्यापक विकास नहीं हो सकता तथा छोटे और सीमांत किसानों की हालत में कोई खास सुधार नही हो सकता।

मैं सरकार का ध्यान फर्टिलाइजर्स की ओर दिलाना चाहूंगा। हमको फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता है। हम हर साल विदेशों से फर्टिलाइजर्स मंगाते हैं। पिछले साल 34-35 लाख टन फर्टिलाइजर्स मंगाया था। इसमें करीब 2-3 हजार करोड़ रुपया फर्टिलाइजर्सपर खर्च करते हैं, विदेशी पूंजी खर्च करते हैं। हम फर्टिलाइजर्स में सब्सिडी भी दे रहे हैं। इस साल 8359 करोड़ की सब्सिडी देने जा रहे हैं और हमारे देश में जो खाद के कारखाने हैं चाहे वह हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स हो, चाहे फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो, वे कारखाने बंद होने की स्थिति में हैं। हमारे बिहार में दो कारखाने बरौनी औ सिन्दरी में बीमार हालत में हैं। जब हमारे देश में फर्टिलाइजर्स के कारखाने हैं और देश को खाद की आवश्यकता है तो हम बाहर से खाद क्यों मंगाएं ? इसलिए हमें अपने देश के बीमार पड़े फर्टिलाइजर्स के कारखानों को रिवाइव करके अपने देश में ही खाद का उत्पादन करना चाहिए। एच०एफ०सी० का 800 करोड़ का रिवाइन पैकेज है। यदि 800 करोड़ रुपया देने से हमारे खाद के कारखाने रिवाइव हो जाएंगे तो हम चाहेंगे कि सरकार 800 करोड़ रुपए का प्रावधान करें। जापान का एक बैंक बरौनी के लिए कर्जा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत सरकार जापान की इस बैंक को गारंटी देने के लिए तैयार नहीं हैं और बिना गारंटी के वह बैंक कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है।

हमारे देश में बिजली की चोरी होती है। यदि हम पचास प्रतिशत बिजली की चोरी रोकें और एक प्रतिशत प्लांट लो फैक्टर को इंक्रीज करें तो 2000 करोड़ रुपए की साल में बचत करेंगे। ... *(व्यवधान)*

श्री ब्रह्मानन्द मंडल (मुंगेर) : आप लोग ही चोरी करते हैं। ... *(व्यवधान)*

श्री रमेन्द्र कुमार : कौन चोरी करता है, हम इस झगड़े में नहीं जाना चाहते। आपसे तो मैं वैसे ही झगड़ना नहीं चाहता क्योंकि जो जात गांवा देता है, वह खत्म हो जाता है। आपकी हालत भी यही है। मेरा कहना यह है कि बिजली की चोरी 50 प्रतिशत रोक दी जाए। बिहार में तो हमारा प्लांट लोड फैक्टर 20 से भी कम है, नेशनल एवरेज 50 से अधिक है और हम बिजली के लिए बिहार में हल्ला कर रहे हैं इसलिए मेरा कहना है कि सरकार इस दिशा में कोई कदम उठाए। इसमें पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है तो हम 2000 करोड़ की बजत कर सकेंगे और इसको हम बिजली उद्योग में लगा सकते हैं। ... *(व्यवधान)*

महोदय, हमारे बिहार में तो विजली हैं नहीं। हमारे मंत्री जी बिहार में भाषण देकर आए हैं कि हम किसान को बिजली फ्री दे देंगे। जब रहोगे तब तो बिजली फ्री दोगे। *(व्यवधान)* सरकारी उपक्रम के बारे में मेरा यह कहना है कि सरकार ने जो डिसइनवेस्टमेंट कमीशन बनाया है उससे हम लोगों को रिजर्वेशन है, उसका हम समर्थन नहीं करते। हम यह कहना चाहते हैं कि इससे जो राशि सरकार को प्राप्त होगी, उस राशि का सरकार क्या करना चाहती है ? हमारे पब्लिक सैक्टर के कारखानें बीमार हैं या जो क्लोजर फेस करने जा रहे हैं, क्या उस राशि को पब्लिक सैक्टर के कारखानों को जिन्दा करने के लिए सरकार खर्च करना चाहती है। आप कम से कम कुछ तो उस पर खर्च कीजिए ? मैं यह नहीं कहता हूं कि जितने पब्लिक सैक्टर में कारखाने हैं उन सबको जिन्दा कर दीजिए, मगर जिन पब्लिक सैक्टर के कारखानों की उपयोगिता है, जो रोजगारोन्मुखी हैं, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से जिन्हें चलाना जरूरी है, राष्ट्रहित में ऐसे सरकारी उपक्रमों को चलाने के लिए आप सोचिए इसको कैसे चलायेंगे कैसे चलेंगे इस पर विचार करने की आवश्यकता है ?

[श्री रमेन्द्र कुमार]

महोदय, इसी के साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं, यहां पर कोयले के मंत्री जी बैठे हैं इसलिए मैं जानबुझ कर बोल रहा हूं। हमारे देश में कोयला एक बेसिक एनर्जी है। ···*(व्यवधान)* बिहार में बहुत ज्यादा नहीं है। *(व्यवधान)* बिहार से उड़ीसा, मध्य प्रदेश आगे जा रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हम विदेश से कोयला मंगाने की बात कर रहे हैं, मगर कोयले में पहले रायल्टी थी, यानी इम्पोर्ट ड्यूटी 110 प्रतिशत थी वह अब घट कर दस प्रतिशत हो गई है। चाहे जो भी सरकार आई लेकिन कोयले की इम्पोर्ट ड्यूटी घटती चली गई। हम 20 मिलियन टन कोयला बाहर से मंगाने जा रहे हैं। हमारे देश का प्रोडक्टिवीटी पाइंट पांच प्रतिशत है, यानी अब हम 40 लाख मिलियन कोयला बाहर से मंगा कर अपना कोयला खोने जा रहे हैं। हमारे कोयले का क्या होगा ? हमारे देश का जो कोयला है वह दूसरे देश के कोयले के साथ बाजार में नहीं टिकेगा, यानी हम अपनी कोल इंडस्ट्री को धीरे-धीरे बंद करते जा रहे हैं। इसलिए मेरा सरकार से कहना है कि अभी सरकार के पास चारी कमेटी की रिपोर्ट भी आई, मुझे पता नहीं सरकार ने इसको माना है या नहीं माना है। मगर उन्होंने अनुशंसा की है और वह यह है कि कोल इंडिया को धीरे-धीरे समाप्त कर दिया जाए, यह अनुशंसा चारी कमेटी ने की है। मंत्री जी हंस रहे हैं, शायद लगता है कि कुछ न कुछ कर दिया है। हमको लगता है कि कोल इंडिया को समाप्त कर देने से उसकी जो सहायक कम्पनी है, खास कर बिहार की, बी०सी० सी०एल०, सी०सी०एल० और ई०सी०एल०, जो बंगाल की कम्पनी है यह घाटे में चल रही है और सरकार इसमें पैसा नहीं देगी, बजटरी सपोर्ट नहीं करेगी तो ये कम्पनियां धीरे-धीरे बंद हो जाएंगी। कोल इंडिया विकसित हो, मजबूत हो, इसके लिए हम सरकार से यह कहना चाहेंगे कि आप बाकी सहायक कम्पनियों को मिला कर कोल इंडिया को एक कम्पनी बना दीजिए।

कोल इंडिया जब एक कंपनी बन जाएगी। आप जानते ही हैं कि स्टील इंडस्ट्री में एक समय में यह स्थिति आ गयी थी कि उनको सबको मिलाकर एक स्टील कंपनी बना दिया गया और बाकी जो उसकी कंपनियां थी उनको डिवीजन बना दिया गया। चाहे बी०सी०सी०एल० हो, सी० सी०एल० या ई०सी०एल० हो, सबको आप डिवीजन बना दें। सबको आप एक-एक मैनेजिंग डायरेक्टर दे दीजिए और बोर्ड को आप समाप्त कर दीजिए। अगर आप ऐसा काम करेंगे तो कोल-इंडिया रिवाईव कर जाएगी।

मैं कहना चाहता हूं कि सरकार एक तरफ तो कह रही है कि हम पब्लिक सैक्टर को एटोनोमी दे रहे हैं और दूसरी तरफ हिंदूजा एक वाशरी इस देश में खोल रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है। उसको कोल की जरूरत है तो कोयला जिस कोलरी से हिंदूजा की वाशरी में जाएगा वह रेलवे वेगन से जाएगा। कोल-इंडिया पर दवाब डाला जा रहा है कि तुम सहमति दे दो। कोल-मंत्री सुन रही हैं। हिंदूजा को रेलवे वैगन से कोयला उसकी वाशरी में जाएगा। उसका जितना वजन वहां होगा, उसके अनुसार कोल-इंडिया को पैसा हिंदूजा देगी। यह सुविधा आज तक चाहे जो भी बिजली बोर्ड हो तथा किसी भी स्टेट का हो, उसको यह अधिकार नहीं दिया गया है। किसी भी पब्लिक सैक्टर को यह सुविधा नहीं दी गयी है। मैं कोल-मंत्री से पूछना चाहता हूं कि *(व्यवधान)* आपको हिंदूजा के साथ इतनी मौहब्बत क्यों हो रही है *(व्यवधान)* मैं कहना चाहूंगा कि कोयले के संबंध में एक विस्तृत चर्चा हो और हिंदूजा के साथ जो आप नया समझौता करने जा रहे हैं उसे आप समाप्त करें। ···*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपके 10 मिनट बाकी थे आपने 25 मिनट ले लिये हैं। आप समाप्त कीजिए।

श्री रमेन्द्र कुमार : खेत मजदूरों के लिए एक सेंट्रल कानून बनाने की आवश्यकता है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे गांव के बहुत से लोग किडनी और हार्ट की बीमारी से ग्रस्त हैं। आज हालत यह है कि चाहे वे खुशहाल हालत के भी क्यों न हों वे पटना या दिल्ली में हार्ट या किडनी का ऑपरेशन नहीं करा सकते हैं, क्योंकि आज इलाज बहुत महंगा हो गया है। हम लोग स्वास्थ्य मंत्री या प्रधान मंत्री को चिट्ठी लिखते हैं तो 25 या 30 हजार रुपये की सहायता मिल जाती है लेकिन वह बहुत ही थोड़ी होती है। इसलिए मैं इस सरकार को सुझाव देना चाहूंगा कि आप कोई ऐसी योजना बनाएं जिसके द्वारा आप सभी गरीब और आम लोगों को चिकित्सा की सुविधा प्रदान कर सकें और जिससे सभी लोक राहत पा सकें। आज हालत यह है कि पैसे के अभाव में और दवाइयों के अभाव में गरीब लोग मर जाते हैं, वे इलाज नहीं करा पाते हैं।

बिहार के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि बिहार की प्रति-व्यक्ति आय घटती जा रही है और उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय स्थिर है। मैं कहना चाहता हूं कि ···*(व्यवधान)* हम विकास की बात कर रहे हैं तो रैली भी उसका एक हिस्सा है। मैं चाहता हूं कि बिहार और ऐसे जो राज्य हैं उनके लिए आप एक योजना बनाएं। मैं यह भी चाहता हूं कि हमारे बिहार के लिए कोई विशेष योजना बनाई जाए और हमारे राज्य का विकास किया जाए। मैं वित्त मंत्री से कहना चाहता हूं कि अमीर और गरीब के बीच की खाई को आप बढ़ने न दें, उसे और चौड़ी न होने दें, यही मैं कहना चाहता हूं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नील एलॉयसियस ओब्रायन अगले वक्ता हैं। कृपया धैर्यपूर्वक उनकी बात सुनिए। यह उनका प्रथम भाषण है।

श्री नील एलायसियस ओब्रायन (नामनिर्दिष्ट) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पहली बार इस सम्मानीय सभा को सम्बोधित करने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मुझे आगे आने की अनुमति देने के लिए मैं आपका तथा माननीय सहयोगियों का अत्यन्त आभारी हूं। बाईबिल में एक कहावत है कि "जो सबसे अन्त में रहते हैं वही सबसे आगे पहुंचेगें।"

इस मध्याह्न पश्चात् को मैं आर्थिक दृष्टिकोण से बजट के एक अति व्यापक सर्वेक्षण के संबंध में बोलना चाहूंगा। बजट प्रस्तुत किए जाने से कुछ दिन पूर्व होने वाली चर्चाओं में यह आशंकायें व्यक्त की गयी थी कि इसमें हमारे लिए क्या है। अनेक निराशावादी व्यक्तियों ने इस संबंध में निराशाजनक भविष्यवाणियां की थी। बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् हमने देखा कि सभी आशांकायें गलत साबित हुई।

सर्वप्रथम मैं इस प्रकार का बजट पेश करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी को वधाई देना चाहूंगा जिसमें लडखडाते हुए पूंजी बाजार को शक्ति प्रदान करते हुए अनेक उपाए किए गए हैं जैसे कम्पनियों के अतिरिक्त कर का उन्मूलन, निगमित कर में कटौति, लाभांश कर को समाप्त करना तथा इक्विटी पर पुनः खरीद की अनुमति देना। इन उपायों के प्रति शेयर बाजार की उत्साहजनक प्रतिक्रिया रही है जिसका संकेत शेयर मूल्यों के सूचकांक में शीघ्र ही चढ़ाव आने से मिलता है, जो अन्ततः एक उचित स्तर पर पहुंच गया हैं चीन के कैलेंडर में यह वर्ष 'ऑक्स' का है। हम आशा करते हैं कि शेयर और व्यापार बाजार में यह वर्ष 'तेजडियों' का हो। हमें आशा है कि इस वर्ष नए इश्यू खुलेगें तथा कम्पनियों के विस्तार, आधुनिकीकरण और निर्माण योजनाओं को बढ़ावा मिलेगा।

अनेक समाग्रियों पर सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क में कटौति किए जाने से लागत मूल्य कम करने में सहायता मिलेगी। तथा मांग में वृद्धि होगी। मैं साफ्टवेयर 'सिस्टम तथा एपलिकेश्न' दोनों पर शुल्क में कमी किए जाने का एक महत्वपूर्ण उदाहरण दे रहा हूं। इससे साफ्टवेयर, ई-मेल अथवा इंटरनेट के गैरकानूनी आयात को रोका जा सकेगा। यह करके माननीय वित्त मंत्री जी ने केवल घरेलू उत्पादकों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया है बल्कि उन्होंने बहुत ही विशिष्ट कार्य किया है। उन्होंने बौद्धिक सम्पदा के रूप में साफ्टवेयर की पहचान की है।

बजट में अन्य प्रस्तावित उपाए भी प्रशंसनीय हैं। इनमें से प्रमुख पेंशन तथा स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में आंशिक बीमा सुधार है। यद्यपि बीमा के क्षेत्र में विदेशी कम्पनियों के प्रवेश को संसद द्वारा रोक दिया गया था तथापि वित्त मंत्री जी ने जीवन बीमा निगम तथा साधारण बीमा निगम से संयुक्त उद्यम लगाने का अनुरोध किया है। अनिवासी भारतीय स्वास्थ्य बीमा कम्पनियों में निवेश कर सकते हैं तथा उनकी तकनीकी जानकारी का उपयोग कर सकते हैं। अन्य प्रगतिशील प्रस्ताव हैं 5 लाख रुपए से अधिक लागत के वाहनों पर कर लगाया जाना, किए गए उत्पादन के बदले उत्पादन क्षमता के आधार पर उत्पाद शुल्क लगाना तथा पूंजी खाता के आधार पर रुपए की परिवर्त्तनीयता के अध्ययन हेतु समिति का गठन किया जाना।

इस तथ्य के बावजूद कि माननीय वित्त मंत्री जी आर्थिक उदारवाद के समर्थक हैं, सामाजिक कल्याण के प्रति उनकी वचनवद्धता की मैं विशेष प्रशंसा करता हूं। इसकी झलक उर्वरकों – स्वदेशी तथा आयतित दोनों पर – तथा साथ ही साथ खाद्य पर दी जाने वाली राजसहायता में बढ़ोतरी जैसा कि विगत बजट में भी किया गया है, से मिलती है। साथ ही, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कृषि क्षेत्र में राजसहायता, जो कि अनिवार्य है, की राशि कुल कृषि उत्पादन मूल्य के दस प्रतिशत से कम है और यह सीमा 1994 के गैर समझौते के अन्तर्गत निर्धारित की गयी है।

बजट में कर की दरों में कमी किए जाने के संबंध में सबसे अधिक चर्चा आयकर 'स्लैब' के कमी किए जाने तथा मानक कटौति में वृद्धि किए जाने की है, जोकि वेतनभोगियों, जो वर्ष दर वर्ष इसमें कुछ राहत चाहते हैं परन्तु उन्हें केवल निराशा ही मिलती है, के लिए एक वरदान साबित हुआ है। मैं भी 17 वर्षों के अपने कार्यकाल में वेतनभोगी ही रहा हूं तथा मैं हमेशा अपने कुल वेतन तथा कटौती के पश्चात् प्राप्त होने वाली वेतनराशि के बीच हमारी अन्तर से परेशान रहा हूं। मैं जानता हूं कि हम में से अनेक व्यक्तियों को ऐसा अनुभव रहा होगा तथा इसके साथ एक ओर कठिनाई इन सारी बातों को अपनी पत्नी को समझाने की है। साथ ही हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह हमारे लिए एक वरदान साबित हुआ है।

इन कटौतियों की कुछ आलोचनाएं हुई हैं और मैं केवल उन आलोचनाओं के बारे में ही कुछ कहना चाहता हूं। इन कटौतियों की आलोचना करने वाले व्यक्तियों का यह कहना हैं कि नियमों का अनुसरण करने से भी कर कटौतियों से अधिक राजस्व प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने एक दशक पूर्व की गई उन कर कटौतियों की नीति को उद्धृत किया है जिसने आयकर राजस्व में उत्प्लावकता सुनिश्चित नहीं की और इसमें परिवर्तन करना पड़ा। फिर भी, मैं यह महसूस करता हूं कि आज पेश किये गये ऐसे बहुत से बजटों को परम्परागत पद्धति से अलग करने की या साहस भरे कदम उठाने की आवश्यकता है। माननीय वित्त मंत्री ने यह दिखा दिया है कि उच्च कर दरों तथा गरीबों की सेवा करने के बीच कोई सम्बन्ध नहीं है।

गत एक दशक पूर्व, अथवा बारह-पन्द्रह वर्ष पूर्व अधिकतम आयकर दर 97.75 प्रतिशत बढ़ गई थी। फिर भी, गरीबी कम नहीं हुई है। तथापि, हमें सावधान रहना चाहिये। हांलाकि माननीय वित्त मंत्री ने राजकोषीय नीति के कतिपय क्षेत्रों में साहस और दूरदर्शिता दिखाई है उन्होंने देश के ग्रामीण धनी लोगों को कर के अंतर्गत लाने का साहस नहीं किया है काफी समय से लम्बित है। मेरा विश्वास है कि कृषि कामगार बीमा निधि में भुगतान करने के लिए बड़े किसानों पर लगाए गए उपशुल्क को अस्थायी रूप से ही समाप्त किया गया है।

भारत को न केवल कराधान के दक्षिण पूर्व एशियाई स्तरों पर पहुंचने की इच्छा करनी चाहिये। अपितु हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, देखरेख, तथा भूमि सुधार के स्तरों को उठाने की भी आवश्यकता है जैसाकि उन देशों ने किया है, भारत में संसाधनों की कमी नहीं है। सकल घरेलू उत्पाद अनुपात के लिए कर 10.5 प्रतिशत है जो बहुत से विकसित और विकासशील देशों में औसतन बीस से चालीस प्रतिशत से भी कम है। अब हम बजट में परिकल्पित बड़े घाटे की मुद्रास्फीति संबंधी संभावना के बारे में व्यक्त चिंता के बारे में सरेआम चर्चा करेंगे। यह आपूर्ति संबंधी आर्थिक दर्शन है कि यदि आर्थिक वृद्धि होती है तो इससे सीधे तौर पर मुद्रास्फीति संबंधी दवाब कम हो जायेंगे। यह पूर्णतः उतनी युक्तियुक्त नहीं है जितनी कि अल्पावधि में मुद्रास्फीति जो स्वयं वृद्धि प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। बजट में बेवजह के सरकारी खर्चों को कम करने के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है। बजट घाटों के वित्त पोषण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के तदर्थ खजाना विधेयकों को समाप्त करने का वायदा आवयक रूप से मुद्रास्फीति रोकने का संकेत नहीं करता है विशेष रूप से जब बजट में इनको पूरा करने का संकेत हो; और मैं गुप्त आधार पर सरकार के व्यय और राजस्व में इस अस्थायी असामंजस्यता को उद्धृत करता हूं। मैं यह भी समझता हूं – और यह मेरा व्यैक्तिक विश्वास है – कि सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में घाटा व्यक्त करने का परम्परागत तरीका अस्पष्ट है तथा सकल घरेलू उत्पाद एक बड़ा अचिन्तनीय विषय है।

[श्री नील एलायसियस ओब्रायन]

अपराह्न 6.00 बजे

काले धन वाले व्यक्तियों को माफ करने की योजना नैतिक तथा व्यावहारिक दोनों ही तौर पर संदेहास्पद है। क्या जिन व्यक्तियों के पास अत्यधिक काला धन है वे इस बारे में बताएंगे क्योंकि ऐसा नहीं करने पर उनके विरुद्ध कोई सख्त दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की जाती है। यह चेतावनी दी गई है कि यह अन्तिम आकर्षक प्रस्ताव होगा अनेक 'अन्तिम प्रस्ताव' रखे गए हैं। लेकिन अनेक समितियों ने बताया है कि ये व्यर्थ के प्रयास है तथा पहले किए गए प्रयासों का पालन नहीं किया गया बल्कि उनका हनन किया गया। भारत में कर लगाने में सख्ती करने की महती आवश्यकता से इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या ऐसी छोटी-छोटी कटौतियां जिन पर अंततः कोई कार्यवाही नहीं की जाती है क्या वही सर्वोत्तम समाधान हैं ?

महोदय, मैंने अपने भाषण में कुछ खरी-खरी बातें कहीं हैं। मैं पुनः वित्त मंत्री को उनके इस चुनौती पूर्ण कार्य के लिए बधाई देता हूं तथा इस बजट का, जो अनेक प्रकार से क्रांतिकारी है, समर्थन करते हुए अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता (मुम्बई दक्षिण) : उपाध्यक्ष जी, मेरा नाम बुलाया जाना था।

उपाध्यक्ष महोदय : बीजेपी के नाम तो लिखे हुए हैं लेकिन आपकी पार्टी निर्धारित समय से ज्यादा ले चुकी है।

श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता : उनके बाद मेरा नंबर था।

उपाध्यक्ष महोदय : जितना टाइम अलोट किया गया था, बीजेपी और कांग्रेस ने उससे ज्यादा समय ले लिया है। कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिनका एक मिनट भी नहीं बचा है लेकिन उन पार्टीज़ को बुलवाना ज़रूरी है।

श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता : हमने नाम दिया है। ऐसे नहीं चलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। मैं बाद में देख लूंगा।

श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता : अभी मेरा नंबर है। आप उनको कैसे बुलाएंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : नंबर तो तब आएगा जब समय होगा। बीजेपी और कांग्रेस अपने समय से ज्यादा ले चुके हैं।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : आप उसको कैसे बंद कर सकते हैं ? यह बताया गया था कि कुछेक दलों को केवल एक मिनट का समय आवंटित किया गया है। आम बजट पर कोई व्यक्ति एक मिनट के समय में अपना भाषण कैसे पूरा कर सकता है ? कल मुझे भी समय सीमा में बांधा गया क्योंकि मैंने नियत समय से ज्यादा समय ले लिया था। चूंकि इस पर अर्ध रात्रि तक चर्चा की जाएगी इसलिए हमें पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की समय सीमा नहीं होनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता : आप समय बढ़ाइए, लेकिन अभी मेरा नंबर है तो मुझे बोलने दीजिए। ... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जो आप कह रहे हैं, वही माननीय सदस्या कह रही हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आज रात के 10 बजे तक बैठना है। आपको मैं बुलवाऊंगा।

श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता : उपाध्यक्ष जी, दस बजे तक सब लोग बैठेंगे। लेकिन मेरा नंबर छोड़कर आप आगे कैसे जा रहे हैं? मुझे पहले बताया गया था कि मेरा नंबर इसके बाद आने वाला है।

उपाध्यक्ष महोदय : बताया था, लेकिन जो टाइम शेड्यूल देखा है, उस हिसाब से आपकी पार्टी का समय पूरा हो गया है।

(व्यवधान)

श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता : उपाध्यक्ष जी, मेरा नंबर है तो आप मुझे बोलने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : नंबर तो पहले ही खत्म हो चुके हैं। जिस पार्टी को बिल्कुल समय नहीं मिला है, मैं पहले उनको बुलवाऊंगा।

श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता : उपाध्यक्ष जी, आपने इनका नाम पुकारा हैं इनके पश्चात् मुझे बोलने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं देख लूंगा।

श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता : मेरा क्रमांक छोड़कर आप उनको कैसे बुला रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : अभी आप उनको बोलने दीजिए।

श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता : उनके पश्चात् मुझे मौका दीजिए। उनके बोलने के पश्चात् मैं बोलूंगी।

उपाध्यक्ष महोदय : वह मुझे तय करना है। आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब उन्हें बोलने दीजिये।

श्री एस०के० प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किये गये वर्ष 1997-98 के बजट पर कुछ आपत्तियों के

साथ इसका समर्थन करता हूं। इस सम्माननीय सभा में माननीय वित्त मंत्री द्वारा संयुक्त मोर्चा सरकार की तरफ से पेश किया गया यह दूसरा बजट है। जब हम किसी बजट का विश्लेषण करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण पहलू हमें सर्वप्रथम यह देखना चाहिये कि यह धनी व्यक्तियों के लिए हैं अथवा निर्धनों के लिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम को संयुक्त मोर्चा सरकार का मैगवा कारटा (महाधिकार पत्र) अथवा बाइबल अथवा कुरान माना जाता है जोकि कार्यक्रम आधारित एक मुद्दा है। साझा न्यूनतम कार्यक्रम का प्रारूप तैयार कर लिया गया है तथा इसे गरीब लोगों, समाज के आम अथवा साधारण लोगों के उत्थान के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

सर्वप्रथम मैं बजट का विश्लेषण करता हूं कि क्या इसने साझा न्यूनतम कार्यक्रम के सम्बंध में न्याय किया है, इस वर्ष के केन्द्रीय बजट के संबंध अनेक शंकाएं व्यक्त की गई हैं, कि यह बजट समाज के धनी वर्ग का समर्थन करता है, यह समाज के अमीरों का समर्थन कर रहा है तथा इसने कई तरह से गरीबों, इस देश के आम अथवा साधारण लोगों की उपेक्षा की है। इस संबंध में मैं उदाहरण देना चाहता हूं।

पहले तो मैं निगमित क्षेत्र के बारे में बताता हूं, निगमित क्षेत्र को कौन-कौन से लाभ मिले हुए हैं ? निगमित क्षेत्र, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों तथा धनी वर्ग को कतिपय करों में छूट, रियायतें तथा लाभ दिये जाते हैं। निगमित क्षेत्र में शुल्क दर गत वर्ष 15 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत कर दी गई थी, और बाद में अचानक इसे समाप्त कर दिया गया। दूसरे, घरेलू तथा विदेशी कम्पनियों पर लागू कर दर क्रमशः 35 प्रतिशत तथा 48 प्रतिशत कम हो गई है। तीसरे, विदेशी कम्पनियों द्वारा रॉयल्टी तथा तकनीकी सेवाओं पर दी जाने वाली कर दर 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत कर दी गई है। 'मैट' के मामले में भी उन्हें कुछ लाभ दिये गये हैं। लाभांश पर कर से जुड़े विषय के बारे में मेरा यह कहना है कि शेयर बाजार के लोगों को कर भुगतान में छूट दी गई है। आम लोग आयकर देने के लिए बाध्य हैं लेकिन वे व्यक्ति जो शेयर बाजार कार्य कर रहे हैं उन्हें आयकर से छूट दे दी गई है। लाभांश पर कर अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह धनी तथा निगमित वर्गों का समर्थन करता है।

निगमित कर की दर 40 प्रतिशत से घटकर 35 प्रतिशत रह गई है इसके परिणामस्वरूप निगमित क्षेत्र का कर दायित्व आठ प्रतिशत कम किया गया है अर्थात् निगमित क्षेत्र को आठ प्रतिशत कर की छूट प्रदान की गई है। मैं इस बात से सहमत हूं कि अधिक निदेश प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है। यह नीति हो सकती है कि उदारीकरण अथवा विश्वव्यापीकरण के लिए हमें अपने देश में अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करना है। लेकिन इसका क्या परिणाम होगा · अनेक प्रसिद्ध हस्तियों द्वारा किये गये विश्लेषण से पता चलता है कि भारत में महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा, रेमण्डस् और टाटा केमिकल्स जैसी अधिकांश निजी कम्पनियां क्रमशः 21.67 करोड़ रुपये, 2.23 करोड़ रुपये तथा 4.09 करोड़ रुपये का कर लाभ प्राप्त करेगी। यही लाभ निगमित क्षेत्र को दिया जा रहा है। इसी प्रकार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का और मुनाफा बढ़ेगा।

हमारे विद्वान माननीय सदस्य श्री दासमुंशी ने जो कुछ कहा है उसे सुनकर हम सभी को बड़ा हर्ष हुआ है। उन्होंने बजट का समीक्षात्मक विश्लेषण करते हुए बजट में उत्पादशुल्क में कमी के बारे में बोला है। हम इस का स्वागत करते हैं। लेकिन मेरा यह कहना है कि सीमा शुल्क की ऊंची दरों को 50 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है। इसका क्या परिणाम रहा ? इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्वदेशी उद्योग इससे प्रभावित होंगे; और स्वदेशी उद्योगबंद होने के कगार पर आ गए हैं क्योंकि इससे उनके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। केरल में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में केरल धातु और खनिज लिमिटेड नाम की एक कम्पनी है। त्रावणकोर टिटेनियम प्रोडक्टस नाम की एक अन्य कम्पनी है। वे विदेशों से टिटेनियम डाइऑक्साइड ग्रेड-ए का आयात करती हैं। मेरा यह कहना है कि वर्ष 1993-94 में ग्रेड-ए टिटेनियम डाइऑक्साइड का निर्यात शुल्क 85 प्रतिशत था।

महोदय, वर्ष 1994-95 में इसे घटाकर 65 प्रतिशत और 1995-96 में 60 प्रतिशत कर दिया गया था। गत वर्ष के बजट में, सीमा शुल्क को 50 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया। इसका अंतिम परिणाम क्या निकला ? अंतिम परिणाम तो यही है कि ड्यू पॉण्ड जैसी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने टिटेनियम और अन्य अनुषंगी उत्पादों का हमारे देश में क्षेपण करना शुरू कर दिया है। इन उत्पादों के क्षेपण और निर्यात के परिणामस्वरूप सीमा-शुल्क में कमी की गयी है और भारत में टिटेनियम जैसे घरेलू उद्योगों को भी खतरा हो गया है। इस अवसर पर, मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि यह सीमा शुल्क की अधिकतम सीमा को कम से कम 50 प्रतिशत बनाये रखे। यदि इसे बहुत अधिक घटाकर 40 प्रतिशत, फिर घटाकर 30 प्रतिशत और 20 प्रतिशत कर दिया जाता है, तो इसमें कोई शक नहीं कि हमारे घरेलू उद्योगों का सफाया हो जाएगा और उनके स्थान पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियां आ आएंगी। अपने उत्पादों को यहां क्षेपण हेतु बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिये सभी दरवाजे खुले हैं। भारत बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के बाजार में पहुंच रहा है। अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि सीमा शुल्क की दर को नियत बनाये रखना चाहिए। इस समय टिटेनियम डायॉक्साइड का आयात शुल्क 40 प्रतिशत है। इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया जाए।

मैं उपलब्धियों के विषय में भी कहना चाहूंगा। मैं बजट की उपलब्धियों को नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं। देश के कल्याण हेतु बजट में कुछ उपाय किये गये हैं। मैं उन उपायों की भी सराहना कर रहा हूं। परन्तु इसके साथ ही बजट का दूसरा पक्ष भी देखिए। यह तो बजट का एक पहलू है।

बजट का दूसरा पहलू क्या है ? हमारे देश की गरीब और आम जनता के बारे में इसमें क्या है ? जहां तक कराधन का संबंध है, मैं इस सम्बन्ध में सरकार का और छोटे उद्योगों के विषय में वित्त मंत्री का दृष्टिकोण जानना चाहता हूं। मैं अनेक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। केरल में ईंट उद्योग और टाइल उद्योग पर भारी कर लगाया गया हैं छतरियों पर कर बढ़ा दिया गया है। यह सभी को मालूम है और इनकी आलोचना की गयी है। जहां तक डाक प्रशुल्क का सवाल है, एक रुपये वाले डाक के लिफाफे की कीमत बढ़ाकर दो रुपये कर दी गयी है। आम जनता द्वारा प्रयोग किये जाने वाले उत्पादों पर कर बढ़ा दिया गया है। दूसरी तरफ, निगमित क्षेत्र को अनेक रियायतें दी

[श्री एन०के० प्रेमचंद्रन]

गई हैं। ये दो पहलू हैं। अतः बजट के इन पहलुओं का विश्लेषण करने के बाद हम यह कैसे कह सकते हैं कि यह संतुलित बजट है? अतः यह संतुलित बजट नहीं हो सकता। यह धनी लोगों, और निगमित क्षेत्र को फायदे पहुंचाने वाला बजट है।

मैं मूलभूत न्यूनतम सेवाओं की प्रशंसा करता हूं। गत वर्ष, आवंटन 2466 करोड़ रुपये का था और इस बार इसे बढ़ाकर 3300 करोड़ रुपये कर दिया गया है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के लिये आवंटन 900 करोड़ रुपये का था और अब इसे बढ़ाकर 1300 करोड़ रुपये कर दिया गया है। गंगा कल्याण परियोजना के लिये 200 करोड़ रुपये और कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना के लिये 250 करोड़ रुपये आवंटित किया गया हैं खाद्य और उर्वरकों पर राज सहायता 20 प्रतिशत तक बढ़ायी गयी है। मैं इन सभी की प्रशंसा करता हूं। साथ ही, मैं माननीय वित्त मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या हम अपने देश की जनता की सामाजिक आवश्यकताओं और कल्याण कार्यक्रमों को पूरा करने के लिये संसाधन जुटाने में समर्थ हैं। इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दिया जाए क्योंकि माननीय वित्त मंत्री भी अपने इस बजट में यह स्वीकार करते हैं कि वर्ष 1997-98 के लिये राजस्व घाटा 30,266 करोड़ रुपये अर्थात् सकल धरेलू उत्पाद का दो प्रतिशत होने की आशा है। वर्ष 1997-98 के लिये आर्थिक घाटा 65,454 करोड़ रुपये का, अर्थात् सकल घरेलू उत्पाद का 4.5 प्रतिशत है। मैं माननीय वित्त मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या उनको यकीन हैं कि वे अपने सीमित संसाधनों वित्तीय घाटे द्वारा पर काबू पा लेंगे और इसे घटाकर 4 प्रतिशत कर देंगे।

महोदय, उर्वरक राज सहायता और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दोहरी मूल्य निर्धारण नीति के सम्बन्ध में यह निश्चित है कि इससे घाटे में वृद्धि होगी। तेल राशि का घाटा 19,000 करोड़ रु० अथवा 20,000 करोड़ रु० होने जा रहा है। वित्तीय घाटे को कम करके 4 प्रतिशत तक करने से भी अनेक शंकायें पैदा होंगी।

केरल में हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड गत कई वर्षों से मुनाफा कमा रहा है। परन्तु विनिवेश आयोग ने सिफारिश की है कि 74 प्रतिशत शेयर निजी पार्टियों को बेचे जाएं। ऐसे प्रस्ताव का क्या लाभ है ? देश के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम इस विनिवेश आयोग से घबरा गए हैं। मुनाफा कमाने वाले उपक्रमों को भी इसका खतरा हो गया है। इस प्रकार के प्रस्ताव का क्या अर्थ-शास्त्र है ? इससे हमारे देश को क्या लाभ मिलेगा ? यह मैं नहीं समझ सकता। अतः मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह इस पर पुनर्विचार करें।

जहां तक, बीमा क्षेत्र को खोलने का प्रश्न है, मैं बजट में इस सम्बन्ध में दिये गये प्रस्ताव का कड़ा विरोध करता हूं। यह सभी जानते हैं कि नौवीं पंचवर्षीय योजना में भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण जीवन बीमा निगम भारी मुनाफा कमा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि दोनों निगम नौवीं पंचवर्षीय योजना में 90,000 करोड़ रु० का लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। हम उनका निजीकरण करने जा रहे हैं। मल्होत्रा समिति का प्रस्ताव क्या है ? यह प्रतिस्पर्द्धा का परिणाम है। मैं माननीय मंत्री सेयह जानना चाहता हूं कि साधारण जीवन बीमा निगम और भारतीय जीवन बीमा निगम के राष्ट्रीयकरण के पूर्व बीमा क्षेत्र की क्या स्थिति थी ? इसकी कार्य-कुशलता में वृद्धि हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रेमचंद्रन, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। आपकी पार्टी का समय पहले ही समापत हो चुका है।

श्री एन०के० प्रेमचंद्रन : मैं दो महत्वपूर्ण मुद्दों का उल्लेख करते हुये अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं। जहां तक स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र का सवाल है, इसके निजीकरण का अर्थ यह है कि पूरे निवेश क्षेत्र का निजीकरण होने जा रहा हैं अतः मैं प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

कृषि क्षेत्र का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। सकल घरेलू उत्पाद के कृषि क्षेत्र में 30 प्रतिशत का योगदान दे रहा है। वृद्धि कितनी है ? हम सकल घेरलू उत्पाद की विकास दर में सात प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं। *(व्यवधान)* परन्तु इसमें केवल 20 करोड़ रुपये मात्र की वृद्धि हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण भी यह दर्शाता है कि कृषि उत्पादन सिर्फ इसलिए घटा है क्योंकि इस क्षेत्र में कोई नया कार्य नहीं हुआ है। अतः कृषि क्षेत्र में और अधिक उत्पादन के लिये और अधिक धन आवंटित किया जाय।

मैं, एक बार फिर, इन सीमित आपत्तियों के साथ इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री वृज भूषण तिवारी (डुमरियागंज) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं वित्त मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि अन्दरूनी और शहरी दबावों के बीच उन्होंने देश के सभी लोगों की आकांशाओं को इस बजट मे समाहित करने की कोशिश की है और उसके साथ-साथ एक उत्साह का वातावरण भरा, परन्तु इस बजट में जहां वित्त मंत्री जी ने कई जोखिम भरे कदम उठाए, साहसपूर्ण कदम उठाए और कुछ नए कानून लाए, करों में सुधार किया, उसी के साथ-साथ जो हमारी अर्थव्यवस्था की कमजोरियां हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था के रोग हैं, उनकी तरफ भी अपने भाषण के दरम्यान, और उसके पहले जो इकनामिक सर्वेक्षण रखा गया, उसमें भी इस बात का उल्लेख किया है कि हमारे विदेशी व्यापार में जो गिरावट हुई, उसके कारण वित्तीय अनुशासनहीनता, मुद्रास्फीति, बुनयादी ढांचा क्षेत्र का खराब होना, बिजली, पेट्रोलियम इत्यादि हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं इस बजट पर तीन दृष्टियों से विचार करूंगा। सबसे पहली दृष्टि समग्र राष्ट्रीय विकास और चरित्र, दूसरी, चूंकि मैं समाजवादी पार्टी का हूं इसलिए मेरी समाजवाद के प्रति प्रतिबद्धता रही है, उसकी दृष्टि और तीसरी दृष्टि मैं एक ऐसे प्रदेश, उत्तर प्रदेश से आता हूं जो सबसे बड़ी आबादी का सूबा है और पिछले कई सालों से उपेक्षा के कारण भयानक गरीबी और पिछड़ेपन की दलदल में फेसा हुआ है। जो समग्र राष्ट्रीय विकास है, उसकी कसौटी क्या होगी ? उसकी कसौटी गरीबी ही हो सकती है गरीबी के बारे में इस सदन में बड़ी चर्चा हुई है। आज मुझे इस बात की शिकात है कि पहले गरीबी पर सीधा प्रहार होता था लेकिन अब गरीबी पर जितना सीधा प्रहार होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। क्योंकि एक ऐसी सोच हमारे अर्थशास्त्रियों के अंदर हमारे जो अर्थनीति के नियामक हैं, उनके अंदर चल रहा है कि अमीरों की टेबल को जितना चौड़ा किया जायेगा, उस टेबल को जितना बड़ा किया जायेगा उसी के अनुपात में उससे ज्यादा झूठन गरीबों के मुंह में पड़ेगी। इस दृष्टि के कारण आज

जितना हमला गरीबी पर होना चाहिए उतना हमला गरीबी पर नहीं हो पा रहा है।

मान्यवर, इस संबंध में हमारे प्रधानमंत्री जी ने रोम में यह कहा था कि हम सन् दो हजार तक गरीबी खत्म कर देंगे। उनकी संवेदनशीलता की हम कद्र करते हैं। लकड़वाला के मुताबिक हमारे देश में 37 फीसदी ऐसे लोग हैं जो गरीबी की सीमा रेखा के नीचे हैं। श्री मनमोहन सिंह जो पहले वित्त मंत्री थे, उन्होंने यह कहा था कि 37 प्रतिशत को हम 19 प्रतिशत तक लायेंगे जो प्रावधान इस बजट में किया गया है उससे यह आशा झलकती नहीं है कि गरीबी को हम खत्म कर पायेंगे। इस संबंध में यह सबसे उल्लेखनीय बात है कि गरीबों के घर के लिए 50 करोड़ रुपये रखे हैं। 100 करोड़ की आबादी है और उसके लिए 50 करोड़ रुपये हैं।

दूसरी बात विषमता की है। यदि इस देश में विषमता को खत्म नही किया गया तो यह हमारे सर्वनाश का कारण होगा। आज मैं समाजवाद का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि सन् 1984-85 में जब बजट लाया गया तभी समाजवाद से इतिश्री हो गयी क्योंकि अर्थशास्त्रियों ने कहा कि हमने यू टर्न ले लिया है। हमारे संविधान में समाजवाद प्रस्तावना में है। आज इस समाजवाद की चर्चा नहीं है। मगर विषमता को हम कैसे खत्म कर सकते हैं ? विषमता पर प्रहार करना सबसे आवश्यक है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको अपनी बात कहने के लिए चांस मिलेगा।

श्री वृज भूषण तिवारी : इस विषमता को खत्म करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि खर्च पर सीमा लगानी पड़ेगी और उसी के साथ-साथ जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा। वहां जो खेती में काम करने वाले लोग हैं उनको लाभकारी मूल्य देना पड़ेगा। उनकी फिसलों का डाईवर्सीफिकेशन करना पड़ेगा और उसी के साथ-साथ उद्योग के उत्पादन के लिए जिन आधार-भूत ढांचे को आवश्यक कहा जाता है। उसी प्रकार से खेती के संबंध में इसे आवश्यक मानना पड़ेगा।

अपराह्न 6.23 बजे

[श्रीमती गीता मुखर्जी *पीठासीन हुए*]

मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि कृषि का जो हिस्सा है वह राष्ट्रीय आय में 55 फीसदी से अधिक था, वह घटकर 28 और 29 फीसदी के करीब आ गया है। मैं सदन में यह भी कहना चाहूंगा कि हम तो यह भी मांग करेंगे कि कृषि के लिए अलग से बजट लाया जाये। इस देश को, सदन को बताया जाये कि कृषि क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्रों से हम कितना पैसा बैंकों के माध्यम से, बचत की योजनाओं के माध्यम से लेते हैं और कितना पैसा हम गांव के विकास पर खर्च करते हैं। हम बेरोजगारी की बात करते है। गांव में ऐसे क्षेत्र हैं, पशुपालन का क्षेत्र है, डेयरी का क्षेत्र है, खेती का क्षेत्र है, इन सबसे लोगों को काम के अवसर मिल सकते हैं। जब तक हम इन पर ध्यान नहीं देंगे तब तक हम लोगों को रोजगार नहीं दे सकते।

वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि आवश्यकता पड़ेगी तो हम गेहूं का आयात करेंगे। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उनको सदन में स्पष्ट इस बात का आश्वासन देना होगा कि हम किसी भी कीमत पर गेहूं का आयात नहीं करेंगे। हम गेहूं का इतना उत्पादन करेंगे कि वह खाने के लिए काफी रहे और आयात के बजाए उसको निर्यात करने की योजना बनायेंगे क्योंकि जो गेहूं बाजार से मंगाते हैं अगर उसी अनुपात में हम लाभकारी दाम अपने किसानों को दें तो हम उससे फायदा उठा सकते हैं। हमारी खेती का उत्पादन है वह सन् 1994-95 के स्तर पर 191 मीलियन मीट्रिक टन है। उसी के साथ-साथ मैंने पहले कहा कि खर्च की सीमा बांधनी होगी। निकोलस कार्टर ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि खर्च पर टैक्स लगाने की बात करनी चाहिए। मान्यवर, इस बजट में जो रैवैन्यू फिगर्स दी गई हैं, वह 15 प्रतिशत राजस्व में वृद्धि के आधार पर दी हैं। 15 प्रतिशत का जो हमारा ग्रोथ होगा, उसी को आधार मानकर, हमने सारे रैवैन्यू फिगर्स दिए गए हैं।

एक धारणा और वित्त मंत्री जी के मन में है कि अगर हम टैक्स में छूट देंगे, टैक्स घटाएंगे तो उसके विकास की गति तेज हो जाएगी और राजस्व बढ़ेगा। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह उसी स्थिति में संभव होगा जब मांग की कमी हो, उद्योग धंधों का विकास, उसकी रफ्तार इस कारण तेज न हो रही हो कि लोगों में मांग की कमी हो। परन्तु वित्त मंत्री जी ने स्वयं अपने भाषण में कहा कि हमारे औद्योगिक उत्पादन में गिरावट है। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट का मतलब यह है कि जो आपूर्ति क्षेत्र है, उसमें कमी है, मांग में कमी नहीं है। आपूर्ति क्षेत्र में कमी का कारण जो हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर है, जो आधारभूत ढांचा है, जब तक हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तब तक यह मुश्किल है।

हमने अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जो सड़क विकास फंड की घोषणा की थी, उसके लिए पिछले बजट में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। लेकिन इस बजट में उसका उल्लेख नहीं है हम चाहते हैं कि हमारे देश में विदेशी निवेश हो। विदेशी निवेश के लिए इस बात की आवश्यकता है कि उसके अनुरूप सड़के और जिस प्रकार का रेल की व्यवस्था हो। तभी हम अपने देश में विदेशी निवेश को आकर्षित कर सकते हैं। परन्तु उसके लिए इतना कम पैसा रखा गया है। जिस प्रकार की अच्छी और कीमती गाड़ियां आ रही हैं, यदि वे बिहार की सड़कों पर चलें, हमारे क्षेत्र की सड़कों पर चले तो उनके अस्थि पंजर निकल जाएंगे, वे चल नहीं पाएंगी। बिजली की आपूर्ति की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जब यह पूरी होगी तभी अर्थव्यवस्था का विस्तार तेजी से होगा।

दूसरी बात यह कहना चाहूंगा कि विकास के दो पाए हैं – एक निजी क्षेत्र और दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र। निजी क्षेत्र में अधिक पूंजी विनियोग हो। हम देख रहे हैं कि हमने जितनी छूट दी, जितनी रियायतें दी, मोटे हिसाब से पिछले चार वर्षों में 20 हजार करोड़ रुपये की निजी क्षेत्र के बड़े उद्योगपतियों को विभिन्न प्रकार की छूट दी गई है। मैं अपने जिले की बात बताना चाहता हूं। बरली जनपद में खलीलाबाद क्षेत्र में ओसवाल के मालिक ने डालडा का कारखाना लगाया। जितनी सबसिडी थी, छूट थी. रियायत थी, जब उनका पूरा पैसा आ गया तो वह कारखाना तो मुनाफे में चल रहा था, उसे बंद करके किसी दूसरे इलाके की तलाश हो रही है। जो हमने वौलेंट्री डिस्क्लोजर स्कीम की

[श्री बृज भूषण तिवारी]

घोषणा की है, मैंने इसी सदन में एक सवाल पूछा था कि हमारा जो पैसा बाहर जा रहा है, आखिर उसे रोकने का क्या उपाय है। तीन अंतर्राष्ट्रीय अमरीकी अर्थशास्त्रियों ने भी हिसाब लगाया था। हमारे यहां से दो वर्षों में 11 बिलियन डालर अमरीका गए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मोटा हिसाब लगाया है कि भारत के लोगों का विभिन्न तरह का 180 बिलियन डालर विदेशों में जमा है। 180 बिलियन डालर का मतलब 5 लाख करोड़ रुपये होता है यदि यह पैसा आ जाए तो हमको विदेशी मल्टी नैशनल्स के पीछे जो दौड़-धूप करनी पड़ रही है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परन्तु प्रश्न यह है कि आखिर यह पैसा आए कैसे। यह सही सवाल है, इसपर विचार करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि हमने उनको जो रियायत दी, उस रियायत से काम नहीं चलेगा। उसके साथ ही साथ आप समझिये कि वह पैसा यदि पूंजी में रहता है, कैपीटल में रहता है तो फिर उसमें, चोरी करने की गुंजाइश रहेगी, इसलिए उस पैसे को आधारभूत ढांचे में लगाना चाहिए, उस पैसे को रियल एस्टेट में, हाउसिंग में लगाना चाहिए, ताकि वह दिखाई पड़े। दूसरे जो सार्वजनिक क्षेत्र है, उसमें जो वातावरण बना है, उसका मतलब है कि सार्वजनिक क्षेत्र निरन्तर, लगातार हतोत्साहित होता जा रहा है, जो हमारे पहले के लोगों ने कल्पना की थी, जो निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र का समन्वय था उसके पीछे भावना यही थी कि देश का विकास होगा, विकास के साथ पूंजी के संचय, और एकाधिकरण पर रोक लगेगा, और उसके साथ ही साथ विषमता भी खत्म होगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। परन्तु अब एक माहौल, एक वातावरण बनया जा रहा है, हमारे जितने सरकारी उपक्रम हैं, वे लगातार खत्म होते चले जा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे यह अर्ज करना चाहूंगा कि इसपर भी सरकार विचार करे।

अपग्रेडिड टैक्नोलोजी, जो नई तकनीक है, उस तकनीक को लाना होगा और सार्वजनिक क्षेत्र का सुधार करना होगा। इसके लिए मैं सदन में मांग करूंगा, वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि एक ऐसी कमेटी बननी चाहिए, जिसमे विभिन्न दलों के लोग हों, उसपर गम्भीरता से विचार करना चाहिए कि आखिर सार्वजनिक क्षेत्र के सुधार के लिए क्या उपाय किये जा सकते हैं।

उसके साथ ही साथ जो रक्षा बजट है, में भी जितनी बढ़ोतरी करनी चाहिए थी, जितनी हमारी आवश्यकता है, उसके हिसाब से रक्षा बजट में कम पैसा दिया गया है। आज हमारा पड़ौसी चीन है, चीन ने 16 फीसदी अपने रक्षा बजट में बढ़ोतरी की है, बजट बढ़ाया है, जबकि हम करीब दो प्रतिशत के करीब बढ़े हैं। आज हम दुनिया के संदर्भ में जब देखते हैं कि चीन जिस तरह से ताकत बढ़ा रहा है, अगर चीन की ताकत बढ़ती है और उसके मुकाबले में हमारी ताकत, हमारी शक्ति, हमारी सामरिक शक्ति नहीं बढ़ती है तो उसका एक मनोवैज्ञानिक असर तो होगा ही, उसके साथ ही साथ हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न भी उससे जुड़ा हुआ है। आवश्यकता इस बात की है कि जो यह दृष्टि लोगों के दिमाग में, यह बात काम कर रही है कि जो संगठित है, शक्तिशाली है, सम्पन्न है, और जो चालाक है, वही सबसे ज्यादा हिस्सा मार ले जाता है और जो असंगठित है, गरीब है, उसे कुछ नहीं मिलता। अगर यह व्यवस्था चलती है, अगर यह सोच चलता है तो जारी हमारी अर्थव्यवस्था है, वह सिकुड़ती है, विस्तामुखी नही होगी। जब तक यह विस्तारमुखी नही होंगी, तब तक हमारे देश के अन्दर जो गरीब हैं, जो बेरोजगार हैं, और किसान लोग हैं, मेहनतकश हैं, जिनको अधिकार चाहिए, जिनको रोजगार चाहिए, जिनको सम्मान चाहिए, जिनको विकास में हिस्सेदारी चाहिए, वे उससे अलग हो जायेंगे, अलग-अलग पड़ जायेंगे और केवल हमने गरीबी के बड़े समुद्र में विलासिता के, अगर हमने सम्पन्नता के, कुछ आईलैंड, बना दिये हैं उससे देश तरक्की करे तो देश तरक्की नहीं करेगा। देश की तरक्की के लिए आवश्यकता है, सम्पूर्ण शिक्षा की, सिंचाई की, और सम्पूर्ण रोजगार की, इन चीजों की व्यवस्था हमको करनी होगी।

मैं एक आखिरी बात कहना चाहूंगा कि इस बजट में हमारा तेल के घाटे के बारे में अनुमान है, जिस तरफ तमाम वक्ताओं ने इशारा किया है। इसलिए तेल के घाटे के बारे में भी हमको सजग रहना चाहिए, जब हम यह मानते है कि जितना तेल हम अपने देश में पैदा करते हैं वह हमारी जरूरत के आधे से कम है, 40 प्रतिशत तेल हम अपने देश में पैदा करते हैं, और हमारा जो इम्पोर्ट बिल है, वह सबसे ज्यादा तेल के नाते है। लेकिन एक तरफ यह हमारी मजबूरी है और दूसरी तरफ जिस प्रकार से मोटरकार का इस्तेमाल करते हैं और उस पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है, वह चिन्ता का विषय है। मैं यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि डीजल जिसका इस्तेमाल गरीब किसान करता है, नाम तो किसान का होता है, सब्सिडी भी गरीब किसान के नाम पर दी जाती है और सबसे ज्यादा उसका उलाहना और ताना भी किसान को दिया जाता है, जबकि वास्तव में सबसे ज्यादा डीजल का इस्तेमाल हमारे समाज का सम्पन्न वर्ग राल्स रायस और अन्य विदेशी गाड़ियों में करता है। इसलिए डीजल और पेट्रोल की राशनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। जो छोटी आमदनी के लोग हैं, किसान हैं, वे अगर डीजल का इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए दूसरे प्रकार के कार्ड की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसा हम पी०डी०एस० में कर रहे हैं। जो कम्पनी के लोग हैं, सरकार के लोग है, उनके लिए अलग से दूसरे कार्ड की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम अपने तेल के घाटे को पूरा कर पाएंगे। हम जो स्वावलम्बन की बात देश की आजादी और, राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं, वह इससे कर पाएंगे और अपनी आत्मनिर्भरता को मजबूत कर सकेंगे। इसके साथ ही गरीबी खत्म करने की दिशा में भी अग्रसर हो सकेंगे।

कृषि के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और बाढ़ के क्षेत्र मे सबसे ज्यादा प्रावधान बजट में किया जाना चाहिए। बजट में रिवाइज्ड एस्टीमेट दिखाया गया है। अगर उसकी तुलना करें तो लगेगा कि बहुत ही नाममात्र की बढ़ोत्तरी हुई है। यही कारण है कि हमारा प्लान एक्सपेंडिचर निरंतर घटता जा रहा है और छः फीसदी से घटकर चार फीसदी के करीब हो गया है अगर हमारा प्लान एक्सपेंडिचर घटेगा, अगर सरकार के योजना व्यय में कमी आयेगी तो देश कैसे विकास के रास्ते पर चलेगा। यह बहुत बड़ी चिंता है। वित्त मंत्री और सरकार इस पर पुनः विचार करे और जो हमारी प्रतिबद्धता है गरीबों के प्रति, उसको मजबूत करते हुए उनके कल्याण के लिए इस बजट में और प्रावधान किया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट प्रस्तावों का समर्थन करता हूं।

श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता (मुम्बई दक्षिण) : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री चिदम्बरम जी ने बड़ी चतुराई के साथ आम जनता को लुभाने का प्रयास करते हुए इस बजट को रखा है । इस चतुराई का उपयोग करने के लिए और लुभावना बजट बनाने के लिए वे अभिनंदन के पात्र जरूर हैं, लेकिन मराठी में एक कहावत है, उसमें ऐसा कहा गया है :

दिसता तसा नसता हिमतं तसं नसतं मृणूनं जग फसतं
म्हणून जग फसता।

यानि जो दिखाई देता है, वैसे होता नहीं है। इसीलिए जग यानि पूरा विश्व उसमें फंस जाता है उनका पूरा बजट दिसता तसा नसता है। मुझे प्रसन्नता होगी, अगर माननीय वित्त मंत्री जी इसको सुनेंगे तो जरूर कुछ राहत मिलेगी। अच्छा बजट रखने से अच्छा विकास हो जाएगा और कर्ज में डूबा भारत ऋण मुक्त हो जाएगा, ऐसा मुझे आज नहीं लगता। क्योंकि आजादी की स्वर्ण जयंती के ऊपर आम जीवन अस्त-व्यस्त और त्रस्त हो चुका है, इसमें संदेह की बात नहीं है। गरीब और अमीरों के बीच में एक आर्थिक विषमता निर्माण हो चुकी है। उनके बीच खाई बढ़ती जा रही है। मैं कहना चाहूंगी–

धरती बांटी, अम्बर बांटा, बांट दिया भगवान को
इस संसार में रहना हो तो मत बांटो इनसान को।

यह कहते हुए मैं वित्त मंत्री जी से आर्थिक विषमता दूर करने के लिए प्रयास करने का आग्रह करूंगी।

वित्त मंत्री जी ने देश का 60000 करोड़ रु० काला धन बाहर निकालने की योजना बनाई है। इस योजना से कितना धन वापस आएगा ? कितना धन देश में है और कितना काला धन विदेशों में छिपा है, इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। यह संदेह पूर्ण स्थिति है।

पूर्व वित्त मंत्री जी ने 1975 के अक्तूबर महीने में इसी प्रकार की एक योजना चलाई थी और उस योजना में 250 करोड़ रुपया बाहर लाने का काम किया था। 1981 में एक स्पेशल बेरर बौंड के माध्यम से सिर्फ 88 करोड़ रुपया बाहर आया था। समूचे विश्व में ऐसी योजनाएं कभी नहीं बनती। मेरा यह आग्रह है और एक प्रकार का आरोप है कि पिछले दिनों में जितने भी राजनैतिक नेताओं के नाम स्कैम्स में आए, उससे जानकारी होती है कि काला धन किस प्रकार से उपयोग में लाया जा रहा है। राजनीतिज्ञो, उद्योगपतियों तथा फिल्म अभिनेताओं के नाम इस प्रकार से जाहिर किए जा रहे हैं कि इस कटु सत्य को हम ठुकरा नहीं सकते। यह योजना जो वित्त मंत्री जी ने बताई है, इस योजना से बेईमानों को बढ़ावा मिलता है और अर्थ तंत्र की बलि वेदी के ऊपर नीतिमतता की आहुति दी जा रही है। मैं कहना चाहूंगी कि इंकम टैक्स विभाग भ्रष्टाचार की परिधि में पूरी तरह से लिप्त हो चुका है। इसलिए माननीय वित्त मंत्री जी को आर्थिक जिम्मेदारी के साथ नैतिक जिम्मेदारी भी निभानी पड़ेगी। आर्थिक उद्देश्यों के लिए नैतिक मूल्यों की बलि चढ़ाकर देश के वे गद्दार जो विदेशों में धन जमा करते हैं, उनको माफी देना तथा छोटे नागरिकों को भ्रष्टाचार के नाम पर दंडित करना, यह प्रणाली कांग्रेस से लेकर आज तक चली आ रही है। यह बात गंभीर है।

यह नई योजना जो वित्त मंत्री जी लाने वाले हैं, इसमें कुछ लोग इंकम टैक्स नहीं भरेंगे। इसका कारण यह है कि अभी भरेंगे तो चालीस प्रतिशत देना पड़ेगा और योजना के अन्तर्गत अपना काला धन जाहिर करेंगे तो केवल तीस प्रतिशत इंकम टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए इस समय कई लोग इंकम टैक्स नहीं भरेंगे और इस योजना का लाभ उठाने के लिए अभी इंकम टैक्स भरने में ढिलाई करेंगे तथा कर चोरी करेंगे। सरकार लोगों को स्वयं कर चोरी करना सिखाती है।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी को कहना चाहूंगी कि घरेलू उद्योगों के साथ बहुत अन्याय किया गया है। छोटे उद्योगों को, आरक्षित उद्योगों को भी विदेशी कम्पनियों के सामने छोड़ दिया गया है जिसके कारण अनुचित प्रतिस्पर्धा का परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। इससे चिंताजनक वातावरण का निर्माण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं रहा है। उदाहरण के तौर पर मैं वित्त मंत्री जी को बताना चाहूंगी कि छाता उद्योग भारत का छोटा उद्योग है। छाता उद्योग के ऊपर 1994-95 में श्री मनमोहन सिंह जी ने एक्साइज ड्यूटी लगाई थी। लेकिन हाउस में जीरो ऑवर में जब इस प्रश्न को उठाया गया तब उन्होंने एक्साइज ड्यूटी हटा दी थी। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से अभी भी इसको हटा लेने की प्रार्थना करती हूं क्योंकि उन्होंने भी असंगठित कुटीर उद्योग के ऊपर आठ प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी लगाई है। यह बात उचित नहीं है क्योंकि छाता उद्योग में अनपढ़ लोग रोजगार में लगे हुए हैं। वे लोग किसी तरह से भी संगठित नहीं हैं। छाता कारखाने में एक साथ नहीं बनता है। अलग-अलग जगहों पर छाता बनता है। कहीं पर हैंडल बनता है, कहीं पर वॉयर बनती है और कहीं पर कपड़ा बनता है। सय पर पहले से ही ड्यूटी लग जाती है। फिर सारा समान एकत्रित करके छाता उद्योग शुरू हुआ है। उसके ऊपर 8 प्रतिशत ड्यूटी लगाना उचित नहीं है। क्योंकि इस प्रकार से डबल एक्साइज ड्यूटी उन लोगों को देनी पड़ेगी। छाता गरीबों के काम में आने वाली चीज है। कार मोटर वाले लोग इसका उपयोग नहीं करते हैं। छाता बनाने के लिए विद्युत पॉवर का उपयोग नहीं होता है। लेकिन पी.वी.सी. से रेन कोट बनाने के लिए बिजली उपयोग करके जो छाते बनते हैं, उस पर एक्साइज ड्यूटी लगाई है। लेकिन छाता उद्योग के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाई है। यह बात कारीगरों के ऊपर भार पड़ने वाली बात होगी। यह उद्योग बारह महीने नहीं चलता है। चार महीने सीजन में ही चलता है। ये कर्मचारी दूसरे काम करने के लिए, खेती करने के लिए अन्य जगहों पर चले जाया करते हैं।

मेरा कहना है कि कारीगर घर में बैठ कर चार-पांच स्थानों से माल जुटा कर छाते का निर्माण करता है और उसको पहचाने जाने के लिए ब्रांड-नेम देना आवश्यक बनता है कि यह किस कम्पनी का माल है। जब नाम लग जाता है, तो उसके ऊपर 8 परसेंट टैक्स लगाने का सरकार निर्णय करती है। मैं यह कहना चाहती हूं कि यह अनुचित है और इस प्रकार से एक कारीगरों के साथ, एवं कुटीर उद्योग के साथ अन्याय होगा, इसलिए हम एक्साइज को नहीं लगाया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये अनपढ़ होने के कारण मुश्किल होती है और वे रिकार्ड नहीं रख सकते हैं। बड़ी-बड़ी कंपनियों की तो अलग

[श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता]

बात है, लेकिन छोटी कंपनियां, छोटे लोग और जो छोटे कारीगर हैं, उनको खाते की माफी देना बहुत ही आवश्यक है। जहां तक मेरी जानकारी है, इन छोटे उद्योगों से सरकार को दो-तीन करोड़ रुपया ही प्राप्त होता होगा, लेकिन इससे ज्यादा खर्चा सरकार को इस रेवेन्यू को कलैक्ट करने में हो जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सौ रुपए के अन्दर जिस छाते की कीमत हैं, कम से कम इस कीमत के लिए वित्त मंत्री जी को छाते पर एक्साइज में छूट दे देनी चाहिए। वैसे भी यह चीज गर्गव लोगों के काम में आने वाली चीज है। मुझे आशा है, मंत्री जी इस पर विचार करेंगे।

दूसरी बात केक और पेस्ट्रीज के बारे में है। इस पर भी आपने आठ परसेंट की एक्साइज लगाई है। बड़ी-बड़ी कंपनियों, जैसे ब्रिटानिया, मॉडर्न, मोनजीनीस, निलगिरीज, इटालियन, जे एंड बी आदि, पर आप एक्साइज लगाए, तो उस पर मेरा विरोध नहीं है, लेकिन आपको पैक्ड और अनपैक्ड चीजों में भी विभाजन करना होगा। इसका कारण यह है कि घर में बैठ कर कुटीर उद्योग के रूप में महिलायें केक और पेस्ट्रीज बनाने का काम करती हैं, रोजगार प्राप्त करती हैं। इसलिए ये जो अनआर्गेनाइज्ड लोग है, ऐसी जो छोटी-छोटी कंपनियां हैं, उन लोगों के ऊपर से भी एक्साइज को हटा देना चाहिए। यह मैं पहले ही कह चुकी हूं कि इन छोटे तथा अनपढ़ लोगों के लिए रिकार्ड रखना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए मैं सुझाव देना चाहती हूं कि इनके ऊपर हर साल के लिए एक निश्चित धनराशि तय कर दीजिए, वे इसको देने के लिए इन्कार नहीं कर रहे हैं। वे कहते हैं कि आप हम से एक निश्चित धनराशि हर साल ले लें, लेकिन हिसाब-किताब वगैरह रखने में उनको मुश्किल होती है। इससे सरकार को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। वे लोग रेवेन्यू देने के लिए तैयार हैं, मना नहीं कर रहे हैं। इतना रेवेन्यू वसूल करने के लिए अधिक पैसा खर्च किया जाए, तो रेवेन्यू आने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी इस के बारे में सोचेंगे।

आज पूरे देश में आर्थिक मंदी का मूल कारण एग्रीकल्चर में कमी और खाद्यान्न में गिरावट है। तन टूटा है, मन भूखा है, धन लुट चुका है, यह पूरे देश की कहानी है। सरकार को सस्ते दाम के गेहूं, चावल बांटने की योजना वोट बैंक बढ़ाने के योग्य है, लेकिन गेहूं की देश में पर्याप्त मात्रा न हो, माल पूरा उपलब्ध न हो, तो कहां से बांटा जा सकता है। इस खर्च के लिए धन कहां से आएगा ? मुफ्तखोरी में इसको बढ़ावा देना उचित नहीं है। वैसे ही विदेशी उपभोक्ता वस्तुओं को सस्ता बताकर विलासिता प्रधान चीजों को सस्ता करने का कोई औचित्य नहीं है। इससे भोगवादी, तड़क-भड़क वाली मानसिकता को बढ़ावा मिलेगा। जो उचित नहीं है।

इसलिए में माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि अपनी राष्ट्रीयता को, अपनी देश-भक्ति को ध्यान में रखते हुए देश के भविष्य को समृद्धि के शिखर पर पहुंचाना है और आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करना है, तो अपने देश के उद्योगों को विकसित करने के लिए पहले प्रयास करें और फिर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को खोलने के बारे में विचार करें। इस से देश की अर्थ व्यवस्था संभल जाएगी, किसान भी ऊपर उठेगा, मजदूर भी ऊपर उठेगा और लघु उद्योग के विकास के माध्यम से लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

इतनी प्रार्थना करते हुए वित्त मंत्री जी का और सारी बातों की तरफ ध्यान न दिला कर लघु उद्योगों के बारे में आग्रह करके मैं अपने इस वक्तव्य को समाप्त करती हूं और इस विश्वास के साथ करती हूं कि छाते के ऊपर की एक्साइज आप हटा लेंगे। पेस्ट्रीज और केक के बारे में आप निश्चित रूप से राशी निर्धारित करके उन लोगों को भी राहत पहुंचाने का काम करेंगे। इससे हर प्रकार के छोटे लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूं।

श्री इलियास आजमी (शाहबाद) : सभापति महोदया, मैं इस बजट का बड़े हद तक विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। वैसे तो यह बजट एक सराब की तरह है। जिस तरह रेगिस्तान में दूर से चमकता हुआ पानी नजर आता है और लोग दौड़ते हैं लेकिन जितना आगे बढ़ते जाते हैं उतना पानी दूर होता जाता है, ठीक उसी तरह बहुत से लोग धोखा कर इस बजट को बहुत अच्छा कह रहे हैं। लेकिन इतना हसीन मेकअप किया गया है, उसके लिए मैं चिदम्बरम साहब को मुबारकवाद देता हूं कि उन्होंने अंदर की बदसूरती को मेकअप से छिपाने की कोशिश की है। यह बजट उसी तरह है जिस तरह जो पार्टी डाक्टर लोहिया के नाम पर काम कर रही है लेकिन उसका कहना है कि. . .* जैसे बड़े पूंजीपती समाजवाद ला सकते हैं। उन्हीं के नेतृत्व में समाजवाद आ सकता है, यह बड़ी गलत बात है। ठीक उसी तरह इस बजट के जरिए गरीबी को दूर करने की बात मजाक से ज्यादा नहीं है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : उन्होंने दूसरी सभा के दो माननीय सदस्यों के नामों का उल्लेख किया है। इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाय। वे इसकी आम चर्चा कर सकते हैं परन्तु वे दूसरी सभा के माननीय सदस्यों के नामों का उल्लेख कैसे कर सकते हैं ? *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी : मैंने एक मिसाल दी है, एक उदाहरण दिया है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : सही हो अथवा गलत, उन्होंने दूसरी सभा के सदस्यों के नामों का उल्लेख किया है। आप बजट के विषय में कुछ भी कहें, परन्तु आपको दूसरी सभा के माननीय सदस्यों के नाम नहीं लेने चाहिए।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, आपको दूसरी सभा के माननीय सदस्यों के नाम नहीं लेने चाहियें।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदया, ये नाम कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिये जाएं।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : हाँ, इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी : मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। अब मैं बजट पर आ रहा हूं इस बजट में जो मिडल क्लास है या उसके ऊपर का खुशहाल तबका है उसको बहुत छूट दी गई है। मैं यह मानता हूं कि इंकम टैक्स की छूट को भी इन्होने बढ़ाया है लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जब 100 रुपए तोला सोना मिलता था तब इंकम टैक्स की छूट 6000 हुई थी और आज अगर इंकम टैक्स की सारी छूट को कलकुलेट किया जाए तो वह 50,000 से ज्यादा हो सकती है लेकिन आज 50,000 में कितना सोना मिलेगा ? जब 6000 इंकम टैक्स की छूट थी उस वक्त सोना 100 रुपए तोला था। अगर उस हिसाब से जोड़ा जाए तो आज साढ़े तीन लाख की छूट के बराबर 6000 छूट होगी। इसलिए यह कहना कि इंकम टैक्स में बड़ी छूट दी गई है, यह एकदम गलत बात है।

महोदया, एक सवाल बहुत से सदस्यों ने किया है कि बजट ठीक भी है लेकिन यह सवाल पैदा होता है कि पैसा कहां से आएगा और यह सवाल ठीक भी है कि उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। मैं कहता हूं कि वित्त मंत्री जी ने और इस युनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट ने फिजूलखर्ची में जो अरबों-खरबो जाता है, उसके लिए कही से कोई इरादा भी नहीं झलकता कि फिजूलखर्ची कम करके बजट घाटे को कम करने की कोशिश की जाएगी, कोशिश तो दरकिनार है उसमें कहीं कोई इरादा भी नजर नहीं आता कि फिजूलखर्ची कम करने का इरादा है। बहुत पहले बजट आया था, जिसमें कुछ मदें रखी गई थीं, कुछ ऐसी योजनाएं रखी गई थी, शायद जानबूझ कर रखी गई थी, जो भ्रष्ट अधिकारियों को अरबों रुपए लूटने के लिए रखी गई थी। जैसे प्रौढ़ शिक्षा, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, इस टाइप की कई योजनाएं रखी गई थी, जिसका एक पैसे का फायदा नहीं पहुंच रहा है। पार्लियामेंट में भी बार-बार वह बात उठ रही है, सर्वे करा दें, जैसे सोशल ऑडिट की स्कीम जिस तरह माननीय कृषि मंत्री जी ने बनाई है उसी तरह का सोशल ऑडिट करा दें तो यह अंदाज होगा कि अरबो-खरबों की दौलत जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के नाम पर और दूसरी इस टाइप की योजनाओं के नाम पर पूरे देश के कर्मचारी और भ्रष्ट अधिकारी लूट कर खा रहे हैं, अगर उसी को रोक दें तो शायद बजट का घाटा कम होगा।

और गरीबों पर बोझ लादने की नौबत नहीं आती, लेकिन कोई इरादा ही नजर नहीं आता। हम जानते हैं कि इनके पहले के लोग गलत योजनाएं बनाकर चले गये लेकिन इनके लिए ये गीता और कुरान के बराबर हैं। यह जानते हुए भी कि यह सारा पैसा पानी में जा रहा है, बेकार जा रहा है, उनको ऊपर उठाने की हिम्मत इनके अंदर नहीं है।

दूसरी बात मैं मनमोहन सिंह कि इस बारे में तारीफ करूंगा कि उन्होंने कोई लम्बे-चौड़े दावे नहीं किए थे लेकिन इन्सपेक्टर राज का डंडा जो हर आदमी के ऊपर पड़ रहा था उनके राज में उसमें कमी आई थी। लेकिन उसी इंस्पेक्टर राज को चिदम्बरम जी दुबारा वापस ला रहे हैं। इन्होंने जो सुझाव गरीबों के लिए रखे हैं उनको देखा जाए तो एक कहावत मुझे याद आती है जो हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में कही जाती है कि एक आदमी के पास कपड़े की मिल थी जिसमें घाटा हो गया तो उसने उस घाटे को पूरा करने के लिए एक करघा लगा दिया और कहा कि अब मैं मिल का घाटा करघे के द्वारा पूरा करूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि जो बड़ी-बड़ी रकमें फिजूलखर्ची में जा रही हैं उनको आप रोक नहीं रहे हैं और करघे से घाटा पूरा करना चाहते हैं। अपनी इसी प्रवृत्ति के कारण आपने रोड ट्रांसपोर्ट पर पांच परसेंट एक्साइज ड्यूटी लगा दी। मैं पूछना चाहता हूं कि 5 परसेंट एक्साइज ड्यूटी वसूलने में कितना जबर्दस्त इंस्पेक्टर राज इस देश में फैलेगा। आजकल तो छोटे-छोटे कस्बों में भी ट्रांसपोर्ट खुले हुए हैं, तो क्या आप उन पर इंस्पेक्टर बैठाएंगे। हम जानते हैं कि उन ट्रांसपोर्टरों को इन इंस्पेक्टरों द्वारा लूटा जाएगा!

जो गरीबी लोग नौकरी करने के लिए गल्फ में या दूसरे देशों में जाते है उनकी टिकटों पर 5 परसेंट टैक्स लगाते हुए आपको जरा भी दया नहीं आई। टैक्स तो लोग दे देंगे लेकिन जो इंस्पेक्टर राज होगा, उसका क्या होगा ?

मैं अभी चंद दिन पहले मुम्बई गया था। उस समय मुझे इंस्पेक्टर राज नजर आया। पांच परसेंट आप ट्रैवलिंग पर टैक्स लेंगे ओर एक्साइज ड्यूटी के नाम पर एक्साइज और कस्टम इंस्पेक्टरों को लूट का खुला मौका देंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं कि पैसा शायद कम आए और टैक्स वसूली में शायद पैसा ज्यादा खर्च हो।

मैं पूछना चाहता हूं कि छतरी पर एक्साइज ड्यूटी लगाना यह कहां का सामाजिक न्याय है ? छतरी तो गरीब आदमी इस्तेमाल करता है, कोई बड़ा अमीर आदमी छतरी इस्तेमाल नहीं करता है। उस पर 8 परसेंट टैक्स आपने लगाया है। यह तो ऐसे ही हुआ कि चिदम्बरम साहब मिल का घाटा करघा लगाकर पूरा कर रहे हैं।

बेकरी तो एक आदमी गांव में भी खोल लेता है और थोड़ा सा पैसा लगाकर अपने साथ वह 10 आदमियों को भी पालता है। उसमें, केक, पेस्ट्री आदि बनते हैं तो उस पर एक्साइज ड्यूटी का क्या लुक है ? बड़े-बड़े बिस्कुट के कारखानों पर आप एक्साइज ड्यटी लगाते तो बात समझ में आती।

सभी जानते हैं कि देश में सामाजिक स्तर पर बराबरी नहीं है। दिल्ली को चमचमाने के लिए तो आप करोड़ो रुपया खर्च कर रहे हैं लेकिन उसकी तुलना में गांव की ओर आपका ध्यान नहीं है। मैं मानता हू कि देहातों के लिए भी आपने खर्च बढ़ाया है लेकिन उस अनुपात में नहीं जिस अनुपात में आपने शहरों के लिए बढ़ाया है। यह असमानता इस हद तक है जैसे आज से 100 साल पहले असमानता थी। वह फर्क आज भी नजर आता है।

उत्तर प्रदेश में भी शहरों की हालत तो दुरुस्त है लेकिन मेरी कांस्टीट्युंसी जहां है वहां के बारे में मैं बताना चाहता हूं वहां गांव सड़क से 20-20 किलोमीटर दूर है और पांच परसेंट गांव में भी बिजली नहीं है।

अपराह्न 7.00 बजे

25-25 किलोमीटर के रेडियस पर एक इंटर कालेज है। हर सतह

[श्री इलियास आजमी]

पर जमीन और आसमान का फर्क है। पिछड़े हुए उत्तर प्रदेश में मेरा निर्वाचन क्षेत्र सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। मैं आम बजट में अपने निर्वाजन क्षेत्र की बात करना मुनासिब नहीं समझता हूं। मैंने उदाहरण के तौर पर ये नाम लिए। इस बजट में राज्यों और क्षेत्रों के बीच जो ना बराबरी है, उसको खत्म करने का संकल्प और इरादा भी नजर नहीं आता। आप उस ना बराबरी को दूर करने की कोशिश करेंगे। आपने जब भी मुझे बोलने का मौका दिया मैंने सदन का ज्यादा समय नहीं लिया। मैंने प्वाइंटवार ही बात की। मैं आज भी आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। अलबत्ता वित्त मंत्री जी बैठे हुए हैं। अगर वह इस पर अपने विचार रख दें तो अच्छा होगा। आपने गरीबों पर छोटे-छोटे टैक्स लगा दिए हैं। इसके जरिए इंसपैक्टर राज कहर ढहाएगा। बड़ी मुश्किल से इसका सामना करने के बाद हमें राहत मिली थी। आप खुदा के लिए इंस्पेक्टर राज को दुबारा लाने की कोशिश मत कीजिए।

जो लेबर गल्फ और दूसरी कंट्रीज में जाती है, उनकी टिकट पर एक्साइज ड्यूटी को खत्म कीजिए। जो तफरी के लिए यूरोप और अमेरिका जाते हैं उनसे यह वसूल कीजिए। मुझे इससे कोई एतराज नहीं होगा। जो बिजनसमैन वहां जाते हैं, आप उनसे वसूली कीजिए। जो मजदूर अपना खेत बेच कर मेहनत मजदूरी करने गल्फ कंट्रीज में जाते हैं, उनसे एक्साइज ड्यूटी वसूल मत कीजिए। यह खुला जुल्म है। छोटी-छोटी बेकरियों से एक्साइज ड्यूटी वसूल मत कीजिए। छतरी पर लगा टैक्स समाप्त कीजिए। रोड ट्रांसपोर्ट पर टैक्स कतई मत लगाइए। ये सब चीजें इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा देने के लिए हैं।

इन शब्दों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि चिदम्बरम साहब गरीबों के हमदर्द हैं, मैं यह भी मानता हूं कि यह सरकार गरीबों की हमदर्द है, मैं अपोजिशन जैसी तकरीर करते हुए सारे इल्जाम इस सरकार पर नहीं लगाना चाहता। अगर यह सरकार वाकई गरीबों की हमदर्द है तो गरीबों पर टैक्स नहीं लगाए। इससे कोई लम्बी-चौड़ी रकम आपको प्राप्त नहीं होगी। अगर आपको ज्यादा घाटा हो रहा है तो जिन लोगों को आपने बड़ी-बड़ी छूट दी हैं, उनको बढ़ा दीजिए। मुझे कोई एतराज नहीं होगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं चाहता हूं कि चिदम्बरम साहब थोड़ा सा इस पर दो लाइनें बोल दे कि गरीबों पर जो टैक्स लगा है, वह उसे खत्म करेंगे या नहीं ?

श्री के०डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने कम से कम मुझे बोलने का समय दिया क्योंकि रात मैं बैठा रहा। मेरे राज्य से किसी ने बजट पर पार्टिसिपेट नहीं किया। मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक अच्छा बजट पेश किया। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। हमारे प्रधान मंत्री जी ने ईस्टन स्टेट्स में जाकर काफी ज्यादा घोषणाएं की है। उन्होंने कश्मीर में काफी अच्छा और सराहनीय काम किया। हिमाचल प्रदेश जो कि प्रथम कैटेगिरी में आता है, उसके लिए कोई घोषणा नहीं की। मैं यहां ज्यादा बोलने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं क्योंकि यहां बहुत से बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं। उन्होंने बड़ी-बड़ी बातें कह कर उन्हें आंकड़ों से साबित करने की कोशिश की कि इसमें ये-ये कमियां हैं। किसी ने यह नहीं बताया कि कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है। यहां इसकी आलोचना ही हुई।

आप सब यह भली-भांति जानते हैं कि यहां 14 पार्टियों की सरकार है। हम सभी की इसमें भागीदारी है। कोई नहीं चाहता कि यहां फिरकापरस्त ताकतों के साथ कोई मिलाप हो। हम एकमत होकर इस सरकार को चला रहे हैं और इस सरकार को मजबूत करने की कोशिश करते हैं।

सभापति महोदया, मैं एक बात तो यह कहना चाहता हूं कि हमारी पिछली सरकार ने किसानों के लिये और सिंचाई के लिये 900 करोड़ रुपये रखा था, उसे इस बार बढ़ाकर 1300 करोड़ रुपया कर दिया गया है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस मामले में अपने निर्वाचन क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं कि जो इसके मैदानी क्षेत्र है, वहां पर ट्यूबवैल्स खोले जा सकते हैं। कई जगह ट्यूबवैल्स बनाने की बात भी है लेकिन उसके लिये पैसे का प्रावधान नहीं किया गया है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरे क्षेत्र के इन मैदानी इलाकों के लिये पैसे का प्रावधान करे ताकि हमारे किसान भाई अच्छी तरह से उत्पादन कर सकें।

सभापति महोदया, गंगा कार्य योजना के लिये 200 करोड़ रुपया रखा गया है। हमारे हिमाचल प्रदेश में सारी नदियां मैदानी क्षेत्र में जाती हैं और इस कारण अच्छी भूमि का कटाव हो रहा है। यह देश के लिये हानिकारक है। मैं चाहता हूं कि इस कटाव को रोकने के लिये और नदियों को चैनलाईज करने के लिये फारेस्ट फार्मिंग की जाये और इसके लिये धन का प्रावधान किया जाये।

मैंने 26 फरवरी, 1996 को एक प्रश्न किया था जिसकी संख्या 660 है। इस प्रश्न में मैंने पैकेज कार्यक्रम के लिये जानकारी हासिल करनी चाही थी और उत्तर में मुझे बताया गया कि अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और जम्मू-कश्मीर के आर्थिक विकास के लिये कई कार्यक्रमों की घोषणा की गई है लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसमें हिमाचल प्रदेश को छोड़ दिया गया है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इसमें हिमाचल प्रदेश को भी शामिल करें।

सभापति महोदया, मैं आपको यह जानकारी देना चाहूंगा कि आठवें फाईनेंस कमीशन ने उन सारे राज्यों के लिये, जो स्पेशल केटेगरी में आते हैं, मैं धन की कमी की और उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश के लिये भी धन में कमी आई। उसके बाद नौवां फाईनेंस कमिशन आया तब जाकर कुछ पैसा मिला। अभी कल यहां पर पंजाब में अकाली-बी.जे.पी. सरकार आने पर 5-6 हजार करोड़ रुपया माफ करने की बात की गई। जहां तक हिमाचल प्रदेश का ताल्लुक है, यहां पर हाईडल सिस्टम द्वारा 20 हजार मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है और नार्दर्न जोन की जरूरत को पूरा किया जा सकता है लेकिन हमारे पास धन का प्रावधान नहीं है। मैं चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में बिजली उत्पादन के लिये धन का प्रावधान करें। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि जहां तक बिजली का प्रश्न है, हमारे देश में जितने बिजली के प्रोजैक्ट्स हैं और वे बिजली पैदा कर रहें हैं, आप उनको उत्साहित करना चाहते हैं या हर प्रान्त में बिजली मुफ्त देकर देश को खत्म करना चाहते हैं ? यदि यह बात है तो इस देश में यह महकमा किसलिये बना रखा है ? आप उन लोगों को कहां से सैलेरीज देंगे ? इस देश पर जो कर्जा बढ़ रहा है, उसे कैसे अदा करेंगे ? यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। कि हम क्यों

अपना आर्थिक ढांचा बर्बाद करना चाहते हैं ? यदि यह बात है तो इस देश का शासन कैसे चला पायेंगे ? इस बारे में अध्ययन करने की जरूरत है और गरीबी आदमी की मदद करने की जरूरत होगी। पिछली सरकार ने दस हजार रुपये तक के कर्जे माफ कर दिये थे। किसके माफ हुये ? जो न सरकार का कर्जा वापस करता है और न ही गांव के लोगों का वापस करता है। अमीर का पैसा जमा रहता है लेकिन सरकारी कर्मचारी हो या किसान हो, उसको कोई फायदा नहीं हुआ।

जिन लोगों ने बैंको से कर्जा लिया, उनके कर्जे माफ हो गए। करोड़ो रुपया इस तरह से हमने बरबाद किया। इस देश को हम बरबादी की तरफ ले जा रहे हैं। खास तौर से इस तरफ हम तवज्जह नहीं देते कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी बने और हमारा राष्ट्र ठीक से चले। आपने बजट में कहा है कि हमारे यहां बाहर की कंपनियां आएंगी और पैसा लगाएंगी। मैं मानता हूं कि इससे हमारे देश का कल्याण नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूं कि जो बाहर से आएंगे, उनको हमारे लोगों का शोषण नहीं करने देना चाहिए। शोषण करने वाले जो लोग हैं, उनसे हमें खबरदार रहना पड़ेगा। यह ठीक है कि हमें पैसे की जरूरत है और जितना पैसा बाहर से आएगा, अगर हम उसको खैरात में बांटने लगेंगे तो हमारा देश तबाह हो जाएगा।

हमारे हिमाचल प्रदेश में आर्थिक स्थिति सिर्फ सेब, आलू और मौसमी सब्जियों के उत्पादन पर निर्भर करती है। हमारे यहां के किसानों का बहुत शोषण होता है। जब वे दिल्ली में आजादपुर मण्डी में आते हैं, तो हमारे किसानों को लदी में जो भाव निकलता है, वह बता देते हैं। सरकार हमारे यहां के किसानों की तरह तवज्जह नहीं देती। हिमाचल के लोग चाहते हैं कि सेब का समर्थन मूल्य दिया जाए लेकिन वहां जब बीजेपी की सरकार थी तो तीन लोग गोली से मारे गए। मैं भारत सरकार से यह मांग करना चाहूंगा कि जिस प्रकार आप अन्य वस्तुओं के समर्थन मूल्य घोषित करते हैं, उसी प्रकार हमारे पहाड़ी क्षेत्रों के उत्पादों का समर्थन मूल्य भी घोषित करना चाहिए।

हमारे पड़ोस में गढ़वाल है जो हमारी ही तरह पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी लोग कभी ऐजिटेशन नहीं करते। जब उन पर अति हो जाती है तब वह कुछ ऐजिटेंशन करते हैं। वे लोग एक अलग प्रदेश की मांग कर रहे हैं। उनको अलग प्रदेश दे देना चाहिए। हमारे रीति-रिवाज एक जैसे हैं और हम समझ सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र के लोगों की दिक्कत को हर कोई नहीं समझ सकता। हमारे इलाकों में सड़कें नहीं हैं। रेल के बजट में हमारे इलाके को इग्नोर किया जाता है, बिजली के लिए पैसा नहीं है, नौकरियों के अवसर वहां नहीं हैं। हम कहां जाएं ? हम किस तरह से अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। यही एक प्लेटफार्म है जिसके जरिये हम अपनी बात बता सकते हैं। अगर शासन को ठीक चलाना है और शासन के अंदर ईमानदारी लानी है तो जो बेईमान लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं उनको पकड़िए। आज टैक्स कौन देता है ? सरकारी कर्मचारी टैक्स देते हैं। जिनके पास काफी पैसा हो, वह टैक्स नहीं देते। वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं या किसी और ट्रिब्यूनल में जाते हैं और इस तरह से करोड़ों रुपया इनकम टैक्स का बकाया है। इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है। उन लोगों को घरों पर छापे पड़ने चाहिए और उनको पकड़कर उनसे सारा पैसा खींस लेना चाहिए ताकि राष्ट्र आगे बढ़ सके। अगर हम यही कहते रहेंगे कि यह हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा। जब तक हम अपने अंदर की शक्ति मजबूत नहीं करेंगे, तब तक यह नही होगा।

सभापति महोदया, मुझे बहुत सी बातें कहनी थीं मगर समय कम है। हमारे एरिया में टूरिज्म डेवलप करने और कारखाने लगाने के लिए अगर आप तैयार नहीं होंगे तो हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं ? इस सदन के द्वारा हम अपनी बात रख सकते हैं। यह एक मन्दिर है और अगर मन्दिर में भी हम आपस में लड़ते रहेंगे और एक दूसरे पर आक्षेप करते रहेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। हमें पूरा राष्ट्र देखता है और लोग सोचते हैं कि हमें आपस में न झगड़कर राष्ट्र की बात सोचनी चाहिए। पार्टियों के लीडर तो बोलकर निकल जाते हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री सुल्तानपुरी आप अपनी बात कह चुके हैं, अब अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री एस०पी० जायसवाल (वाराणसी) : मैं प्रार्थना करूंगा कि इनकी बात पूरी सुन ली जाए।

श्री के०डी० सुल्तानपुरी : सभापति महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि आप हमारी पुरानी साथी हैं। आप भी चाहती हैं कि महिलाओं के कल्याण के लिए काम हों। आप भी महिलाओं के हक के लिए लड़ती हैं।

लेकिन महिलाओं के लिए बजट में कुछ नहीं रखा गया है। आज शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए कोई नौकरी नहीं है, उनका बैकलॉग पूरा नहीं होता है। शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोग जगह-जगह नौकरी के लिए घूमते हैं और उनके ऊपर ज्यादती होती है, उनकी महिलाओं पर ज्यादती होती है। लेकिन इस समस्या को हल करने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। आप यू. पी. को देख लें, हिमाचल को देख लें, सारे राष्ट्र को देख लें, सब जगह ज्यादतियां हो रही हैं, आपको उनके लिए खबरदार होना पड़ेगा। राष्ट्र को मजबूत करने के लिए हमारी सबकी एक कोशिश होनी चाहिए कि हम सब लोग मिलकर चलें। जो बजट आया है, उस बजट में और क्या किया जा सकता था। बजट तो वहीं है, जिस तरह से बजट बन सकता था उसी तरह से वित्त मंत्री जी ने एक अच्छा बजट बनाकर राष्ट्र को अर्पण किया है। उसमें कई लोगों को नुकसान हो सकता है और कई लोगों को फायदा भी हो सकता है। लेकिन मैं यह चाहूंगा कि इसमें गरीब लोगों को ज्यादा फायदा मिले इसके लिए इसमें जो कमी है उसको दूर किया जाए।

सभापति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदया : अब माननीय मंत्री घोषणा करेंगे।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० वेणुगोपालाचारी) : महोदया, चूंकि आज सभा देर तक बैठेगी, अतः संसदीय कार्य मंत्री की ओर से, मैं सभा को सूचित करता हूं कि माननीय सदस्यों, पत्रकारों और सचिवालय के कर्मचारियों के लिए रात्रिभोज का प्रबंध किया गया है। रात्रिभोज रात्रि 8.00 बजे से माननीय सदस्यों और पत्रकारों को कमरा सं० 70 में और कर्मचारियों को कमरा सं० 73, प्रथम तल पर उपलब्ध कराया जाएगा।

श्री ए०सी० जोस (इंदुक्की) : बैठक कितने बजे तक चलेगी ?

सभापति महोदय : बैठक 10 बजे तक चलेगी।

***श्री एल० रमना** (करीम नगर) : सभापति महोदया, श्री चिदम्बरम हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने वर्ष 1997-98 के लिए आम बजट प्रस्तुत किया है। यद्यपि यह आय बजट है, फिर भी इसमें अनेक विशेषताएं हैं। इस बजट की सारे देश में समाज के सभी वर्गों ने प्रशंसा की है।

वर्तमान वित्त मंत्री ने नौ महीने की अवधि में दो बजट प्रस्तुत करने का रिकार्ड बनाया है। महोदया, मेरी पार्टी तेलगु देशम इस बात से बहुत खुश है कि संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा तैयार किये गये न्यूनतम सांझा कार्यक्रम ने इस बजट के माध्यम से ठोस और पुख्ता रूप लिया है।

सामाजिक क्षेत्र के लिए इस वर्ष 3922 करोड़ रुपए से भी अधिक का आबंटन किया गया है। इस प्रकार हमारे समाज के सर्वांगीण विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

किसान हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। वे राष्ट्र की खाद्यान्न सम्बंधी आवश्यकता को पूरा करने हेतु खाद्यान्न पैदा करने के लिए वर्ष-भर दिन-रात परिश्रम करते हैं।

हमारे वित्त मंत्री ने खाद्यान्नों पर अभूतपूर्व राजसहायता प्रदान करके बुद्धिमता का परिचय दिया है। स्वदेशी उर्वरकों पर राजसहायता में वर्ष 1997-98 के लिए 5240 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। गत वर्ष यह केवल 4743 करोड़ रुपए थी।

देश में 32 करोड़ लोगों से भी अधिक गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। वित्त मंत्री ने खाद्यान्नों और चीनी पर 7500 करोड़ रुपए की अभूतपूर्ण राजसहायता देकर इन वर्गों को अत्याधिक राहत प्रदान की है। यह अपने आप में एक रिकार्ड है।

केन्द्र राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को इस वर्ष की बजट सहायता योजना भी रिकार्ड स्तर पर है। इससे राष्ट्र की योजनाबद्ध प्रगति के लिए सरकार की वचनबद्धता का पता चलता है।

वित्तीय वर्ष 1997-98 में रक्षा के लिए परिव्यय 85,620 करोड़ रुपए हैं। इस वर्ष सशस्त्र बलों के लिए आबंटन में अत्यधिक वृद्धि की गई है और इससे पता चलता है कि संयुक्त मोर्चा सरकार अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए कितनी वचनबद्ध है।

इस वर्ष के बजट में मुख्य विशेषता स्वैच्छिक प्रगतीकरण योजना शुरू करना है। यह योजना देश में काले धन का पता लगाने के लिए स्वर्णिम अवसर प्रदान करेगी। मुझे आशा तथा विश्वास है कि स्वैच्छिक प्रगतीकरण योजना से प्राप्त काले धन को उत्पादकता सम्बंधी उद्देश्यों में लगाया जाएगा यही इसकी सफलता होगी।

जैसाकि माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में कहा कि देश में बढ़ते प्रदूषण के खतरे के बारे में हम सभी अत्याधिक चिंतित है। कैटेलिटिक कन्वरटरों और उनके कलपुर्जे पर सीमा शुल्क मौजूदा 25% ये घटाकर 5% तक कम करने के प्रस्ताव का उन सभी के द्वारा स्वागत किया जाएगा जो लोगों के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हैं।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए माननीय वित्त मंत्री ने होटलों के लिए अपेक्षित विशिष्ट उपकरणों पर आयात शुल्क में 35% से 28% और विदेशी पर्यटकों द्वारा विशिष्ट खाद्य वस्तुओं पर 50% से 25% तक कमी करने का प्रस्ताव है। मुझे यह कहने में कोई संदेह नहीं है कि इस कदम से देश में पर्यटन उद्योग को वास्तव में बढ़ावा मिलेगा।

देश में आधी जनसंख्या स्त्रियों की हैं। स्त्रियों में साक्षरता दर बहुत कम है। इस बात को ध्यान में रखते हुए माननीय वित्त मंत्री ने बालिकाओं में साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए 'कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना' नामक विशेष कार्यक्रम की घोषणा की है। जिलों में विशेष रूप से स्त्रियों में कम साक्षरता दर वाले जिलों में बालिकाओं के लिए विशेष स्कूल खोले गए हैं। 15 अगस्त, 1997 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। वह दिन राष्ट्र के लिए ऐतिहासिक दिन होगा।

मुझे खुशी है कि सरकार ने राजसहायता, अनुरक्षण और ऋण प्रबंध के मिले जुले प्रबंधों से भूमि जल और सतही जल हेतु योजनाएं शुरू करने के लिए किसानों की मदद करने हेतु गंगा कल्याण योजना शुरू की है। महोदया, स्वतंत्रता के 50 वर्ष के पश्चात् भी देश में अनेक गांवों में पीने के लिए स्वच्छ जल नहीं है। मुझे खुशी है कि इस वर्ष, यह सुविधा 90,000 निवास स्थानों में उपलब्ध कराई जा रही हैं।

महोदया, यहां केन्द्र सरकार के सीधे पर्यवेक्षण में अनेक योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ये कार्यक्रम सफल हो सकते हैं और इच्छित परिणाम केवल तभी प्राप्त हो सकते हैं जब इन्हें राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाए क्योंकि राज्यों के पास अपेक्षित निगरानी तंत्र है।

केन्द्र सरकार इस बार के बजट में इस प्रकार की योजनाओं को राज्यों को हस्तान्तरित करने और उन योजनाओं के सफलतापूर्वक के लिए उन राज्यों को आवश्यक धनराशि उपलब्ध करा सकती है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस प्रस्ताव पर गंभीरतापूर्वक विचार करें और उस स्तर तक उचित कदम उठायें।

महोदया, मैं मुख्यमंत्री राहत कोष या उपराज्यपाल राहत कोष में दान दिये गये धन पर 100% प्रतिशत की छूट देने के संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 80 जी में संशोधन पर वित्तमंत्री के प्रस्ताव का पूर्णरूपेण स्वागत करता हूं। इस कदम के द्वारा राज्य सरकारें चक्रवात बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए राहत कार्यों के लिए और अच्छी स्थिति में होगी।

आन्ध्र प्रदेश इस समय भारी विद्युत संकट का सामना कर रहा है।

*मूलतः तेलगू में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

किसान अधिक विद्युत आपूर्ति के लिए आन्दोलन कर रहे हैं। यद्यपि राज्य सरकार सभी आवश्यक कदम उठा रही है लेकिन इस समस्या से अकेले निपटना राज्य सरकार के लिए असंभव है। विद्युत का भारी संकट है। इससे खड़ी फसलों पर भारी प्रभाव पड़ सकता है इसलिए मैं वित्त मंत्री महोदय से हिंदुजा विद्युत संयंत्र (1000 मेगावाट) और सिंहादरी विद्युत परियोजना (800 मेगावाट) को तुरन्त स्वीकृत और उनका शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित किये जाने की अपील करता हूं। अल्पकालिक उपाय के क्षय में मैं केन्द्र सरकार से एन.टी.पी.सी. से अपेक्षित विद्युत हस्तान्तरण के लिए कदम उठाने हेतु अनुरोध करता हूं जैसाकि इस समय कर्नाटक के मामले में किया जा रहा है। मैं माननीय वित्त मंत्री से आशा करता हूं कि वे इस समस्या का तत्काल समाधान करेंगे।

महोदया, हमारे प्रधान मंत्री की रोजगार योजना इस समय पूरे देश में कार्यान्वित की जा रही है। लेकिन दुर्भाग्यवश बैंक कर्मचारी सफलतापूर्वक कार्यान्वयन में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये बैंक कर्मचारी अभीष्ट लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत करने से मना कर रहे हैं। ऋण अनेक गांवों में चुने गये लाभार्थियों के लिए डी०आर०डी०ए० के अन्तर्गत योजनाओ हेतु स्वीकृत नहीं किये जा रहे हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस सच्चाई को ध्यान में लायें और तत्काल उपचारात्मक उपाय कों यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस योजना का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब और दलितों की सहायता करना केन्द्र सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

लघु उद्योग क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण अंशदान कर रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि लघु उद्योग क्षेत्र को लम्बी और जटिल प्रक्रिया की समस्या से मुक्त कराने के लिए इस सरकार द्वारा घोषित नीति को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है। एक वित्त वर्ष में 30 लाख रुपए मूल्य तक की वस्तुओं की निकासी को पूर्णतया शुल्क मुक्त करने से लघु औद्योगिक इकाइयों का मनोबल बढ़ेगा। मुझे पूरी आशा है कि इस कदम से देश में और अधिक लघु उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा।

महोदया, आंध्र प्रदेश का करीमनगर जिला हथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। श्रीसिल्ला नगर बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। आज श्रीसिल्ला में बहुत सी रंगाई और प्रसंस्करण इकाइयों में कार्यरत बुनकरों और हजारों कामगारों को संकट का सामना करना पड़ रहा है। वे भुखमरी के कगार पर हैं। गत वर्ष, इन इकाइयों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लगाया गया था। यह शुल्क 5 करोड़ रुपए की लागत वाले 300 अश्व शक्ति की मोटरों का प्रयोग करने वाली इकाइयों पर लागू है साथ ही यह उन इकाइयों पर भी लागू है जो केवल 25000 रुपए की लागत वाले ½ अश्व शक्ति की मोटरों का इस्तेमाल कर रही हैं। ये छोटी-छोटी इकाइयां कुटीर उद्योग हैं। लगभग 10000 परिवार अपनी आजीविका के लिए इन्हीं इकाइयों पर निर्भर हैं। उनकी आय से मुश्किल से उनके खर्चे पूरे हो पाते हैं। इस उत्पाद शुल्क के लगने से इन सभी कुटीर उद्योगों को अपना कार्य बन्द करना पड़ा है। इन कुटीर उद्योगों में कार्यरत सभी कामगार बेरोजगार हो गए हैं। इन इकाइयों में रंगे गए वस्त्र खुले में सुखाए जाते हैं। ये उद्योग सभी प्रकार से कुटीर उद्योग की श्रेणी में आते हैं और इसलिए इन्हें कुटीर उद्योग ही समझा जाना चाहिए। इन कुटीर उद्योगों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट मिलनी चाहिए। मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि इन कुटीर उद्योगों को भी उत्पाद शुल्क से छूट मिलनी चाहिए।

माननीय वित्त मंत्री ने एक वर्ष में 30 लाख रुपए तक की लागत वाली वस्तुओं की निकासी वाले लघु उद्योगों को शुल्क से पूरी छूट दी है। श्रीसिल्ला में स्थित रंगाई तथा प्रसंस्करण इकाइयां कुटीर उद्योग हैं इसलिए वे शुल्क से छूट प्राप्त करने के हकदार हैं। अतः मैं एक बार फिर माननीय वित्त मंत्री जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि रंगाई और प्रसंस्करण कार्य में लगी उन इकाइयों को भी शुल्क से छूट दी जानी चाहिए जो कुटीर उद्योगों की श्रेणी में आती हैं। मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री इस सम्बन्ध में तुरन्त आवश्यक निर्देश जारी करेंगे और हजारों परिवारों को भुखमरी से बचा लेंगे।

महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : मैडम चेयरमैन, हिन्दुस्तान के ताल्लुक से बजट के हालात बदल गए। पहले तो हमने नारा लगाया सोश्यलिज्म का और सोश्यलिज्म खत्म हुआ राजीव गांधी के जमाने से फिर हमारे देश में राज आया नरसिंह राव जी का, उनके जमाने में मल्टी सिस्टम शुरू हुआ और अब जो बजट आया है इस बजट में भी चिदम्बरम साहब बिलकुल आजाद नहीं हैं और वे कुछ चाहते थे, लेकिन इतनी पार्टियां हैं, जाहिर है कि उनकी कुछ अपनी भी मजबूरियां हैं। इस बजट में यह नहीं बताया गया है कि हमारा जो कर्जा है, मुल्की कर्जा है और बैरूनी कर्जा है, उसको हम किस तरह अदा करेंगे। उसको हम कहां से जुटाएंगे। इसके साथ-साथ जो दूसरी चीज हमारे सामने आती है वह यह है कि इस बजट में बहुत सी चीजें रखी गई हैं, लेकिन यहां आप यह गौर कीजिए कि आपको वोट देने वाली अकसरियत गरीबों की ओर मायनारिटी की रही, लेकिन आपने उनको आज तक क्या दिया है। कभी 500 करोड़ की बात कही गई थी, लेकिन उस 500 करोड़ में से 35 करोड़ भी बराबर नहीं मिले। ये ऐसी चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से एक दूरी पैदा हो रही है और आप यह भी देखें कि जब आपको इन लोगों ने टूट कर, हर तरीके से मदद की, तो आपने उनके लिए क्या दिया। इस बजट में गरीबों और मायनारिटी के लिए कुछ भी हमें नजर नहीं आता है। सरकारी मुलाजमत में भी हम शिफर होकर रह गए। अगर कोई छोटामोटा कारोबार भी करता है, तो उसको भी इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा सताया जाता है। अगर हम अपना कोई मदरसा कायम करते हैं, स्कूल या कालेज कायम करते हैं, तो वहां भी हमें सताया जाता है। आप अंदाजा लगाइए कि हमारी क्या हालत है। मैं एक मैडीकल कालेज भी चलाता हूं और इंजीनियरिंग कालेज तथा आई०टी०आई० भी चलाता हूं। वहां पर हमसे गवर्नमेंट की तरफ से यह कहा जाता है कि 50 परसेंट सीटें आप नान-मुस्लिम्स को दीजिए। मैं कहना चाहता हूं कि मैं 50 नहीं 75 परसेंट सीटें नान मुस्लिम्स को देने के लिए तैयार हूं और सिर्फ 25 परसेंट सीटें मुस्लिम्स को दूंगा, लेकिन गवर्नमेंट के जितने भी कालेज हैं, उनमें 25 परसेंट सीटें मुस्लिम्स को दी जाएं।

एक अजीबोगरीब साम्राजी पालिसी है। आप जो कुछ बनायेंगे ह-

[श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी]

लें लेंगे, यह अजीब है। फिर उसके बाद ऐसा महसूस होता है कि क्या हम हिन्दुस्तान के शहरी नहीं हैं। क्या हमारा हक नहीं है ? अगर आप नहीं करते और हम अपने पैसे से बनाते हैं और आपसे एक पैसे की भी इमदाद नहीं लेते तो उसके बाद भी आप हमारे ऊपर यह जुल्म करते हैं। आप बताइये कि हमारे लिए क्या जरिया होगा और हम किसके पास जाकर इसकी फरियाद करें। आप चाहते हैं कि गरीबों के खानदान को 10 किलो चावल दें। खानदान के अंदर क्योंकि गरीबों के पास बच्चे भी ज्यादा होते हैं तो 10 किलों चावल एक महीने कैसे चल सकेंगे ? जाहिर है कि वह बाहर से खरीदेगा तो फिर उसको क्या फायदा पहुंचेगा। कोई फायदा उसको होने वाला नहीं है। हम पलटकर दूसरी तरफ देखते हैं तो जो इलाके हैं, आप पसमांदा इलाकों को, आपने यह कहा कि यहां इमदाद दी जायेगी लेकिन मैं यह कहता हूं कि आप दिल्ली और हैदराबाद जाकर देखिये। जहां-जहां मुसलमान रहते हैं वहां देखिये। अगर आप दिल्ली की गलियों को देखे तो ऐसा मालूम होता है कि लैला की पसलियां और मजनूं की अंगुलियां हैं। यह आलम है और उनका भी कोई पुरसांने हाल नहीं है।

दूसरी तरफ दिल्ली की चौड़ी खूबसूरत सड़कें हैं। आप बतायें कि यह तजाद करके वह कब तक बाकी रहेगा और कब तक जुल्म सहते जायेंगे। जहां हम कुछ काम करते हैं, चिदम्बरम साहब वाकिफ हैं कि इंकम टैक्स वाले कहां धावा करते हैं। कहीं कोई बारीक से बारीक चीज निकालकर सताने की कोशिश की जाती है तो इन चीजों में घिरकर हम फिर आगे बढ़े। इसके बाद आपके नये-नये कवानीन हैं। कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर क्या करें और इसी का नतीजा है। आप गौर करें कि आंध्र के इलाके में नेक्सेलाइट का बड़ा जोर है। कल तक नेक्सेलाइट के करीब नहीं जाते थे लेकिन आज 250 मुसलमान नेक्सेलाइट में शरीक हो चुके हैं क्योंकि मैं एम.पी. होकर उनको मुलाजिमत नहीं दिला सकता। नेक्सेलाइट घर को दो हजार रुपये दे देता है और खाने-पीने की जिम्मेदारी खुद लेता है और अगर वह मरते हैं तो उनके घर में 10 लाख रुपये पहुंचा दिये जाते हैं। आप बताइये कि क्या मैं उनको यह चीज दे सकता हूं ? उन पर जो जुल्म हो रहे हैं उसकी सिर्फ फरियाद ही यहां पर कर सकता हूं और वह भी ऐसी है जैसे सालाना उर्स और यात्रा होती है। माफ करिये सालाना उर्स और यात्रा तो साल को आये और फूल चढ़ाकर चले गये। आपको जो करना है, आप करते हैं, आप करते हैं और हमको बोलना है, हम बोलते हैं लेकिन कुछ होता-हवाता नहीं है। इससे जम्हूरियत के अंदर एक मायूसी पैदा होती जा रही है और लोग यह सोच रहे हैं कि आखिर यह सब कुछ क्या हो रहा है ?

खुद आप देख रहे हैं कि आंध्र के अंदर इलैक्ट्रिसिटी की इतनी कमी हो चुकी है और अगर आप फौरन सैंटर से मदद नहीं देंगे तो 27 हजार एकड़ पर इस वक्त जो काश्त है वह पूरी की पूरी खत्म होकर रह जायेगी। हत्ता के किसानों ने तेलंगाना के अंदर खुदकुशी कर ली। तेलंगाना एक पसमांदा इलाका है। तेलंगाना वालों पर बहुत मुसीबतें आ रही हैं। पहले उनका अलग बजट था, रीजनल कमेटी थी लेकिन खत्म कर दी गई। फिर छह पांइट फार्मूला लाया गया लेकिन दुनिया जानती है कि हर फार्मूले का क्या होता है। जिसके पास ताकत है, वहीं दुनिया में सही मुहायदा लिख जाता है क्योंकि जो मुहायदा तलवार की नोक पर लिखा जाता है, उसे दुनिया मानती है। स्याही सूख जाती है और मिट जाती है। यही हाल हो रहा है जिसका अंजाम यह है कि आज अलहदा तेलंगाना तहरीक शुरू हो रही है। बगैर सोचे एक ऐलान कर देते हैं। आपने कह दिया उत्तराखंड, उसके बाद तमाम लोगों ने शुरू कर दिया। अगर आपको बनाना है तो छोटे स्टेट्स बना दीजिए और यदि नहीं बनाना है तो उस दफे को हमेशा के लिए दस्तूर से निकाल दीजिए कि अब कोई चीज नहीं होगी। लेकिन यह क्या है कि लोग ख्वाहमख्वाह ऐजीटेशन के लिए मरें, गिरफ्तार हों। यह कोई अच्छी बात नहीं है। इसके लिए वाजेह पॉलिसी सामने आनी चाहिए।

इसके बाद मैं आपसे कहूंगा कि जो गरीब लोग हैं, उनके लिए आप कुछ समान फराहम कीजिए क्योंकि कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। इस समय चावल 17 रुपये किलो मिल रहा है, मालूम नहीं सन् 2000 तक उसकी कीमत क्या होगी। फाका करते-करते आबादी शायद कम होनी है तो गुरबत से, फाकों से मरने के बाद हिन्दुस्तान की आबादी कम हो जाए। अगर यह भी कोई मनसूबा है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन इस ताल्लुक से नहीं।

इस बजट में जहां बहुत सी चीजें रखी गई है, वहां मैं यह कहूंगा कि बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए भी कुछ रकम रखी जाए क्योंकि आपने इंतजाम रखते हुए कुछ नहीं किया तो उसे बनाने के लिए रकम रखी जाए और जैसी हालत में पहले थी, वैसी कर दी जाए, अदालत का जो फैसला होगा, होगा।

आंध्र प्रदेश के ताल्लुक से मैं यह कहूंगा कि वहां आई०डी०पी०एल० फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। 9000 वर्कर्स हैं, वे बेचारे तीन महीने से बिना तनख्वाह के हैं। वे फाका कर रहे हैं। आखिर आपके पास उनके लिए क्या मुताबादिल रोजगार है या आप उनके लिए क्या करना चाहते हैं, कोई वाजेह और साफ पॉलिसी नहीं है। हम चाहते हैं कि वहां जितने भी मजदूर हैं, उनके लिए रोजगार का कोई मवाके फराहम कीजिए।

इसी के साथ-साथ आंध्र में उर्दू यूनीवर्सिटी की भी बात की गई है। ऐलान ही ऐलान हो रहा है लेकिन उसके ताल्लुक से क्या हुकूमत कर रही है, क्या इकदाम करने वाली है, बल्कि मैं यह कहूंगा कि मौलाना आजाद की यौमे पैदाइश के वक्त उर्स यूनिवर्सिटी के इब्तदा की तारीख मुकर्रर की जाए वर्ना यही समझा जाएगा कि ये ऐलानात जो हम मुसलमानों को किए जाते हैं कि यह किया जाएगा, यह किया जाएगा, यदि उसके ताल्लुक से किताब लिखी जाए तो मैं समझता हूं कि हमारे पार्लियामैंट की लाईब्रेरी में एक बहुत बड़े सैट का इजाफा हो जाएगा कि अब तक जितने वादे किए गए, वे कभी पूरे नहीं किए गए। आखिर वादा क्या इसीलिए करते हैं कि उसे पूरा न किया जाए।

मोहतरमा, इन तमाम चीजों पर आप भी हमदर्दी रखती हैं। औरत का दिल जरा नर्म होता है, शायद इसी वजह से आपने बहुत देर से सही, मुझे टाइम दिया, अच्छा किया।

बहरहाल, मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात खत्म करता हूं।

شری سلطان صلاح الدین اویسی (حیدرآباد) : میڈم چیرمین ہندوستان کے تعلق سے بجٹ کے حالات بدل گئے - پہلے تو ہم نے نارا لگایا سوشلزم کا اور سوشلزم ختم ہوا راجیو گاندھی کے زمانے مین پھر ہمارے دیش مین راج آیا نرسمہا راؤ جی کا ان کے زمانے مین ملٹی سسٹم شروع ہوا اور اب جو بجٹ آیا ہے اس بجٹ مین بھی چدمبرم صاحب بالکل آزاد نہین ہین اور وہ کچھ چاہتے تھے لیکن اتنی پارٹیان ہین ظاہر ہے کہ ان کی کچھ اپنی بھی مجبوریان ہین - اس بجٹ مین یہ نہین بتایا گیا کہ ہمارا جو قرضہ ہے ملکی قرضہ ہے اور بیرونی قرضہ ہے اس کو ہم کس طرح ادا کرین گے - اس کو ہم کہان سے چکائین گے - اس کے سادھ ساتھ جو دوسری چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس بجٹ مین بہت سی چیزین رکھی گئی ہین لیکن یہان آپ یہ غور کرین کہ آپ کو ووٹ دینے والی اکثریت غریبون کی اور مائنورٹی کی رہی لیکن آپ نے ان کو آج تک کیا دیا ہے - کبھی ۵۰۰ کروڑ کی بات کہی گئی تھی لیکن ان ۵۰۰ کروڑ مین سے ۳۵ کروڑ بھی برابر نہین ملے - یہ ایسی چیزین ہو رہی ہین جن کی وجہ سے ایک دوری پیدا ہو رہی ہے اور آپ یہ بھی دیکھین کہ جب آپ کو ان لوگون نے ٹوٹ کر ہر طریقے سے مدد کی تو آپ نے ان کے لئے کیا دیا - اس بجٹ مین غریبون اور مائنورٹی کے لئے کچھ بھی ہمین نظر نہین آتا - سرکاری ملازمت مین بھی ہم صفر ہوکر رہ گئے ہین - اگر کوئی چھوٹا موٹا کاروبار بھی کرتا ہے تو اسکو بھی انکم ٹیکس ڈیپارٹمنٹ والے ستایا جاتا ہے - اگر ہم اپنا کوئی مدرسہ قائم کرتے ہین تو اسکول یا کالج قائم کرتے ہین تو وہان بھی ہمین ستایا جاتا ہے - آپ اندازہ لگائیے کہ ہماری کیا حالت ہے - مین ایک میڈیکل کالج بھی چلاتا ہون اور انجینئرنگ کالج تلنگانہ سٹی - آئی بھی چلاتا ہون - وہان پر ہم سے گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ۵۰ پرسینٹ سیٹین آپ نان - مسلم کو دیجئے - مین کہنا چاہتا ہون کہ مین ۵۰ نہین ۷۵ پرسینٹ نان - مسلم کو دینے کے لئے تیار ہون اور صرف ۲۵ پرسینٹ سیٹین مسلم کو دونگا

لیکن گورنمنٹ کے جتنے بھی کالج ہین ان مین ۲۵ پرسینٹ سیٹین مسلمانون کو دی جائین - ایکہ عجیب و غریب سامراجکہ پالیسی ہے- آپ جو کچھہ بنائین گے ہم لے لین گے یہ عجیب ہے - پھر اسکے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم ہندوستان کے شہری نہین ہین - کیا ہمارا حق نہین ہے اگر آپ نہین کرتے اور ہم اپنے پیسے سے بناتے ہین اور آپ سے ایکہ پیسے کی بھی امداد نہین لیتے تو اسکے بعد بھی ہمارے اوپر یہ ظلم کرتے ہین - آپ بتائیے کہ ہمارے لئے کیا ذریعہ ہوگا اور ہم کس کے پاس جاکر اس کی فریاد کرین - آپ چاہتے ہین کہ غریبون کے خاندان کو دس کلو چاول دین - خاندان کے اندر کیونکہ غریبون کے پاس بچّے بھی زیادہ ہوتے ہین تو دس کلو چاول ایکہ مہینے کیسے چل سکین گے ظاہر ہے کہ وہ باہر سے خریدین گے تو پھر اسکا اسکو کیا فائدہ پہنچے گا - کوئی فائدہ اسکو ہونے والا نہین ہے - ہم پلٹکر دوسری طرف دیکھتے ہین تو جو علاقے ہین آپ پسماندہ علاقون کو آپ نے یہ کہا کہ یہان امداد دی جائیگی لیکن مین یہ کہتا ہون کہ آپ دہلی اور حیدرآباد جاکر دیکھئے- جہان جہان مسلمان رہتے ہین وہان دیکھئے - اگر آپ دہلی کی گلیون کو دیکھین تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لیلہ کی پسلیان اور مجنون کی انگلیان ہین - یہ عالم ہے اور ان کا بھی کوئی پرسانِ حال نہین ہے -

دوسری طرف دہلی کی چوڑی خوبصورت سڑکین ہین - آپ بتائین کہ یہ تضاد قائم کرکے وہ کب تک قائم رہیگا - اور کب تک یہ ظلم سہتے جا ئینگے - جہان ہم کچھہ کام کرتے ہین جدید بوم صاحب واقف ہین کہ انکم ٹیکس والے کہان دھاوا کرتے ہین - کہین کوئی بلیک سے بلیکہ جمز دکال کو ستانے کی کوشش کی جاتی ہے تو ان جھنڑن مین گھو کو ہم پھر آگے بڑھین - اسکے بعد آپ کے نئے نئے قوانین ہین - کچھہ سمجھہ مین

نہیں آتا ہے کہ آخر کیا کریں اور اسی کا نتیجہ ہے - آپ غور کریں کہ آندھرا کے علاقہ میں
تیکسیلائٹ کا بڑا زور ہے - کل تک تیکسیلائٹ کے قریب نہیں جاتے تھے - لیکن آج ۲۵۰ مسلمان تیکسیلائٹ
میں شریک ہو چکے ہیں کیونکہ میں ایم -پی - ہوکر ان کو ملازمت نہیں دلا سکتا - تیکسیلائٹ گھر
کو دو ہزار روپئے دے دیتا ہے اور کھانے پینے کی ذمہ داری خود لیتا ہے اور اگر وہ مرتے ہیں تو
ان کے گھر میں ۱۰ لاکھ روپئے پہنچا دئے جاتے ہیں - آپ بتائیے کہ کیا میں ان کو یہ چیز دے
سکتا ہوں - ان پر جو ظلم ہو رہے ہیں ان کی صرف فریاد ہی یہاں پر کر سکتا ہوں - اور وہ بھی
ایسی ہے جیسے سالانہ عرس اور یاترا ہوتی ہے - معاف کرئیے سالانہ عرس کی اور یاترا کی سال کو
آئیے اور پھول چڑھا کر چلے گئے - آپ کو جو کرنا ہے آپ کردے ہیں اور ہم کو بولنا ہے ہم بولتے ہیں
لیکن کچھ ہونا ہوتا نہیں ہے - اس سے جمہوریت کے اندر ایک مایوسی پیدا ہوتی جارہی ہے -
اور لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے -

خود آپ دیکھ رہے ہیں کہ آندھرا کے اندر الیکٹریسٹی کی اتنی کمی پیدا ہو چکی ہے
اور اگر آپ فوراً سینٹر سے مدد نہیں دینگے تو ۲۷ ہزار ایکڑ پر اس وقت جو کاشت ہے وہ پوری
کی پوری ختم ہوکر رہ جائیگی - حتیٰ کہ کسانوں نے تیلنگانہ کے اندر خود کشی کرلی تیلنگانہ
ایک پسماندہ علاقہ ہے - تیلنگانہ والوں پر بہت مصیبتیں آرہی ہیں - پہلے ان کا الگ بجٹ تھا
ریجنل کمیٹی تھی لیکن ختم کردی گئی - پھر جھے پوائنٹ فارمولہ لایا گیا لیکن دنیا جانتی
ہے کہ ہر فارمولے کا کیا ہوتا ہے - جس کے پاس طاقت ہے وہی دنیا میں سبھی معاہدہ لکھے جاتا
ہے کیونکہ جو معاہدہ تلوار کی نوک پر لکھا جاتا ہے اسے دنیا مانتی ہے - سیاہی سوکھ جاتی
ہے اور مٹ جاتی ہے - یہی حال ہو رہا ہے جس کا انجام یہ ہو رہا ہے کہ آج علیحدہ تیلنگانہ
تحریک شروع ہو رہی ہے - پھر سوچیے ایک اعلان کردیتے ہیں - آپ نے کہہ دیا اڑاکھنڈ اس کے

بنادا ھے تو اس ذمہ کو ھمیشہ کے لیے دستور سے نکال دیجئیے کہ اب کوئی چیز نہین
ھوگی - لیکن یہ کیا ھے کہ لوگ خوامخواہ ایجیٹیشن کے لئے ورغلا ھون - یہ کوئی اچھی
بات نہین ھے - اسکے لئے واضح پالیسی سامنے آنی چاھئیے - اسکے بعد مین آپ سے کہون گا
کہ جو غریب لوگ ھین ان کے لئے آپ کچھہ سامان فراھم کیجئے کیونکہ قیمتین بڑھتی چلی جارھی
ھین - اسوقت چاول ۱۷ روپئے کلو مل رھا ھے معلوم نہین سن ۲۰۰۰ تک اسکی قیمت کیا ھوگی -
فاقہ کرنے کرنے آبادی شاید کم ھوتی ھے تو غربت سے فاقون سے مرنے کے بعد ھندوستان کی آبادی
کم ھوجائے - اگر یہ بھی کوئی مقصد ھے تو مجھے کچھہ نہین کہنا ھے لیکن اس تعلق سے
نہین -

اس بجٹ میں جہان بہت سی چیزین رکھی گئی ھین وھان مین یہ کہون گا کہ باہری مسجد ء
کو بنانے کے لئے کچھہ رقم رکھی جائے - اور کیونکہ آپ نے انتظام رکھتے ھوئے کچھہ بھی نہین
کیا تو اسے بنانے کے لئے رقم رکھی جائے اور جیسی حالت مین پہلے تھی ویسی کردی جائے عدالت
کا جو فیصلہ ھوگا وہ ھوگا -

آندھرا پردیش کے تعلق سے مین یہ کہونگا کہ وھان آئی - ڈی - پی - ایل - فیکٹری
ھے - اس فیکٹری کو بند کردیا گیا ۳۰۰۰ ھزار ورکرس ھین وہ پچھلے تین مہینے سے بنا تنخواہ
کے ھین - وہ فاقہ کر رھے ھین - آخر آپ کے پاس ان کے لئے کیا متبادل روزگار ھین یا آپ ان
کے لئے کیا کرنا چاھتے ھین کوئی واضح اور صاف پالیسی نہین ھے - ھم چاھتے ھین کہ وھان
جتنے بھی مزدور ھین ان کے لئے روزگار کا کوئی متبادل فراھم کیجئیے -

اسی کے ساتھہ ساتھہ آندھرا مین اردو یونیورسٹی کی بھی بات کی گئی ھے - اعلان
ھی اعلان ھورھا ھے لیکن اسکے تعلق سے کیا حکومت کر رھی ھے کیا اقدام کرنے والی ھے بلکہ مین

یہ کہون گا کہ مولانا آزاد کی بجائے بیدائش کے وقت اس یونیورسٹی کے افتتاح کی تاریخ مقرر کی
جائے ورنہ یہی سمجھا جائیگا کہ یہ اعلانات جو ہم مسلمانون کے لئے کئے جاتے ہین کہ یہ کیا
جائیگا یہ کیا جائیگا اگر اسکے تعلق سے کتاب لکھی جائے تو مین سمجھتا ہون کہ ہمارے
پارلیمنٹ کی لائبریری مین ایک بہت بڑے سیٹ کا اضافہ ہوجائیگا کہ اب تک جتنے وعدے کئے گئے
وہ کبھی پورے نہین کئے گئے - آخر وعدہ کیا اس لئے کرتے ہین کہ اسے پورا نہ کیا جائے -

محترمہ ان تمام چیزون پر آپ بھی ہمدردی رکھتی ہین - عورت کا دل نرا نرم
ہوتا ہے شاید اسی وجہ سے آپ نے بہت دیر سے سہی مجھے قائم دیا اچھا کیا -

بہرحال مین آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہون -

[अनुवाद]

श्री सी० नारायण स्वामी (बंगलौर उत्तर) : माननीय सभापति महोदया, संयुक्त मोर्चा सरकार का दूसरा बजट कई दृष्टिकोणों से एक अपूर्व बजट है। इसमें न्यूनतम साझा कार्यक्रम में निर्दिष्ट नीतियों और कार्यक्रमों को वास्तविक रूप से लागू करने की इच्छा दर्शाई गई हैं बुनियादी न्यूनतम सेवाओं को दिया जा रहा बढ़ावा भी महत्वपूर्ण है।

कृषि तथा ग्रामीण विकास संबंधी क्रियाकलापों के लिए आठवीं योजना में किए गए 30000 करोड़ रुपए के आबंटन को नौंवीं योजना में दोगुना अर्थात 60000 करोड़ रुपए करने के लिए कहा गया है और उसके अनुसार बजट में आबंटन को शामिल करने के लिए भी कहा गया है। कृषि और सिंचाई क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय योजना शुरू की जा रही हैं। त्वरित सिंचाई लाभ योजना' जैसी योजनाओं के लिए चालू वर्ष के 900 करोड़ रुपए के आबंटन को बढ़ाकर 1300 करोड़ रुपए करने की मांग की गई है। ग्रामीण ढांचागत विकास निधि, चरण तीन के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए 2500 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की जा रही है।

दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि 500 करोड़ रुपए की अग्रिम अतिरिक्त शेयर पूंजी, जिसमें से 100 करोड़ रुपए सरकारी सहायता तथा 400 करोड़ रुपए भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से देने की मांग की गई है, से नाबार्ड को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसी आशा है कि नाबार्ड में राज्य स्तर की कृषि विकास संबंधी वित्तीय संस्थाओं को भी शामिल किया जाएगा।

270 करोड़ रुपए की सहायता से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनः पूंजीकरण करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा लिया जा रहा निर्णय एक और महत्वपूर्ण निर्णय है। इससे आवश्यक ग्रामीण ऋण प्रदान करने में काफी सहायता मिलेगी। अगले पांच वर्षों में कृषि तथा कृषि आधारित उद्योगों को दिए जाने वाले ऋण की राशि को दोगुना करने का भी प्रस्ताव है और इस शीर्ष में वर्तमान वृद्धि को 22000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 28600 करोड़ रुपए किया जा रहा है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित ऋण राशि में एक महत्वपूर्ण वृद्धि है।

बजट की एक विशेषता आवास है। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों तथा समाज के अधिक निर्धन वर्गों के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आवास उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा बहुत ही कम ब्याज दर पर ऋण सुविधा प्रदान कराकर उन्हें पहली बार ऋण सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। इस वर्ष 15 अगस्त को शुरू किए जाने के लिए प्रस्तावित इस कार्यक्रम का उद्देश्य आगामी वित्त वर्ष में 50,000 परिवारों को ऋण सुविधा प्रदान करना है।

ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन के लिए चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का उद्देश्य इन योजनाओं को कार्यान्वित करना है। उनमें से कुछ योजनाएं एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना आदि हैं। इस प्रकार के अत्यधिक कार्यक्रमों को एकीकृत करने और समन्वय संबंधी अपनी अलग-अलग समस्याएं हैं। अब आगामी वर्ष में एक मिलियन से अधिक युवाओं को राजसहायता से सम्बद्ध बैंक सहायता ऋण से कुशलता अभिमुख प्रशिक्षण देने का एक महत्वाकांक्षी निर्णय लिया गया है। इन विभिन्न

[श्री सी० नारायण स्वामी]

कार्यक्रमों को युक्तिसंगत बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है। एक ही उद्देश्य वाले अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और इन कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की गई है ताकि कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वयन को प्रभावी रूप से शासित किया जा सके। योजना आयोग को इसे 1 अप्रैल 1997 से करने का दायित्व सौंपा गया है।

उद्योग और ढांचागत क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए बजटीय सहायता को 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस वर्ष के बजट की एक महत्वपूर्ण विशेषता राज्यों के लिए निधियों को बढ़ाना है। विदेशी सहायता से चलाई जा रही परियोजनाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का भी उल्लेख किया गया है। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू सूचना-प्रौद्योगिकी क्रांति है जिस पर सरकार ने अत्यधिक जोर दिया है और इसमें राष्ट्रीय सीमाएं भी सम्मिलित हैं। हमारे आस-पास प्रौद्योगिक क्रांति आ गई है ऐसे में यह अत्यावश्यक है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इस प्रवृत्ति का अनुसरण करने में पीछे न रहे।

विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर निवेश और विकास के क्षेत्र में शुल्क ढांचे के पुनर्गठन के माध्यम से सरकार ने औद्योगिक क्रियाकलाप को और विद्युत तथा संचार आदि जैसे क्षेत्रों का ढांचागत विकास करने के लिए प्रोत्साहन देने की इच्छा जाहिर की है।

यहाँ पर मैं एक अन्य पहलू का उल्लेख करना चाहता हूं और वह है, सामान्य छूट योजना, जो विभिन्न लघु उद्योगों में कार्यान्वित की गई है। वस्त्र उद्योग को, विशेषकर जूट उद्योग, जिसे विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, को राहत प्रदान की गयी है। चालू वर्ष अर्थात् 1996-97 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पुनरूद्धार पैकेज सहित उनका वित्तपोषण करने का भी प्रयास किया गया था। इस प्रयोजन हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के विशेष उपक्रमों जैसे भारत यंत्र निगम, भारत भारी उद्योग निगम, हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, एच०सी०एल० और भारत रिफ्रेक्ट्रीज का चयन किया गया था।

आगामी वर्ष अर्थात् 1997-98 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पुनर्गठन के लिए गैर-योजनागत शीर्ष के अंतर्गत 1107 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

यहाँ पर मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि वर्तमान बजट आवंटनों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विशेषकर नवरत्न अर्थात् नौ उपक्रमों अर्थात् आई०ओ०सी०, ओ०एन०जी०सी०, एच०पी०सी०एल०, बी०पी०सी०एल०, आई०पी०सी०एल०, बी०एस०एच०एल०, भेल सेल और एन०टी०पी०सी०, के कार्यकरण में सुधार लाने का भी उल्लेख किया गया है।

परन्तु मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूं कि संचार और बुनियादी संरचना क्षेत्र में हमारे पास आई०टी०आई०, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज और एच०एम०टी० जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं जिन्हें किसी समय भारत के औद्योगिक मानचित्र में शीर्ष पर समझा जाता था। अब जबकि हमारे पास स्वदेशी प्रौद्योगिकी, स्वेदशी प्रयास और उन्नत तकनीकें हैं, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि अब समय है कि सरकार द्वारा इन दो उपक्रमों अर्थात् आई०टी०आई० और एच०एम०टी० को 'नवरत्नों' के पुनर्वास और प्रोत्साहन कार्यक्रम में शामिल कर लिया जाना चाहिए। ये दो रत्न उसमें शामिल किए जा सकते हैं। इसकी आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि हमारे यहाँ उपलब्ध अनुसंधान एवं विकास सुविधा एशिया में सबसे अच्छी सुविधाओं में से एक है। इस प्रकार हम देश में उपभोग के लिए स्थानीय प्रौद्योगिकी लाने में समर्थ हो सकेंगे। हमारे पास स्वदेशी सी-डॉट प्रौद्योगिकी भी है जिसमें विभिन्न इकाइयों में प्रौद्योगिकी सुधार भी किया जाता है और यह प्रौद्योगिकी विकसित देशों की प्रौद्योगिकी के स्तर की है। और विशेषतया, आई०टी०आई० में उपलब्ध प्रौद्योगिकी से हम संचार उपकरणों का विनिर्माण करने में समर्थ हो सकेंगे जिनकी समुद्र पार के देशों में भी भारी मांग है।

सी-डोट प्रौद्योगिकी आसानी से उपलब्ध है और कर्नाटक टेलीकॉम लिमिटेड जैसे सरकारी क्षेत्र के उद्यम द्वारा प्रयुक्त की जा रही है। सी-डोट के सुदृढ़ीकरण के लिए दूरसंचार विभाग की सहायता की आवश्यकता है ओर यही उचित समय है जब सरकार को उपरोक्त पर विचार करना चाहिए।

मैं संयुक्त मोर्चा सरकार के एक महत्वपूर्ण पहलू की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसका संबंध सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पुनर्संरचना और उर्वरक संबंधी राज सहायता में वृद्धि करने से है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने और उर्वरक क्षेत्र के लिए राज सहायता में वृद्धि करने के लिए लगभग 16,690 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। अब मैं यह बताना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ही वे राज्य है जिन्होंने सर्व प्रथम दो रुपए प्रति किलो की दर से चावल देने की योजना आरंभ की है। यह योजना बहुत लोकप्रिय हुई और इससे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को जीवनयापन करने में सहायता मिली।

श्री आर० ज्ञान गुरूस्वामी (पेरियाकुलम) : इससे पूर्व यह योजना तमिलनाडु में डी०एम०के० सरकार द्वारा शुरू की गई थी।

श्री सी० नारायण स्वामी : मेरा कहना ही सही था।

ये राज्य उन राज्यों में से कुछेक हैं जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के कुछ कार्य करने में अगुवा रहे हैं। अब यह उचित समय है कि माननीय प्रधानमंत्री ने, जिन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में अपने शासन में इस राज सहायता प्राप्त खाद्यान्न योजना में संशोधन किया था, इस योजना को पूरे देश में लागू करने का निर्णय लिया है। इसलिए इस दिशा में पहल करने वाले राज्य जिन्हें भारी वित्तीय बोझ उठाना पड़ रहा है उन्हें अब इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए सहायता दी जानी चाहिए।

यहां पर मैं यह बात कहना चाहूंगा कि गेहूं और चावल जैसे खाद्यान्नों को राजसहायता लाभ के अन्तर्गत लाया गया है। सामान्यतः हमारे देश में अलग-अलग भागों में लोगों का भोजन अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि इस बात के लिए देश के सभी क्षेत्रों में गेंहू या चावल उगाया जाए। इस समय हमारे देश में विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र के लोग सामान्यतया रागी जैसे स्थानीय अनाजों का उपयोग करते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछेक भागों में ज्वार भी खाई जाती है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस बात पर ध्यान दे कि इन स्थानीय खाद्यान्नों पर भी राजसहायता दी जाए और इन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल किया जाए।

इसलिए इस बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि इन फसलों को

उगाने वाले किसानों को इन फसलों के लिए समर्थन मूल्य का लाभ देकर उन्हें भी प्रोत्साहित किया जाए।

महिलाओं में साक्षरता को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। लड़कियों को कस्तूरबा आवासीय शिक्षा योजना के अन्तर्गत शिक्षा दी जाती हैं चालू वर्ष के बजट में इस योजना के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया हैं। गंगा कल्याण योजना से गरीब किसानों को लघु सिंचाई की सुविधा का लाभ मिलेगा। इस कार्यक्रम के लिए 200 करोड़ रुपए का आवंटन किया जा चुका है। परन्तु यह पर्याप्त नहीं है और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में इस आवंटन में वृद्धि की जाएगी।

बजट दस्तावेज और नौवीं योजना संबंधी पद्धति पत्र (अप्रोच पेपर) में जिस विकेन्द्रीकृत क्षेत्र को सुदृढ़ करने का उल्लेख किया गया है वह है पंचायती राज संस्था। इस अवसर पर मैं सरकार से यह कहना चाहूंगा कि सहकारिताओं के संबंध में 73वें और 74वें संशोधनों की तरह ही संवैधानिक परिवर्तन किए जाएं ताकि अफसरशाही पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सके। इससे उन्हे लोकतांत्रिक ढंग से कार्य करने की क्षमता प्राप्त होगी। अब मैं बजट में लगभग 8000 करोड़ रुपए कि की गई महत्वपूर्ण वृद्धि का स्वागत करता हूं। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने पिछली बार व्यापारिक रबड़ का उत्पादन, करने में लगी लघु औद्योगिक इकाइयों को अनेक रियायतें प्रदान की थी। नए टायरों को न खरीद पाने वाला आम आदमी ही टायरों की रीट्रेडिंग का सहारा लेता है। इससे पूर्व यह दस वर्षों से साधारण छूट प्राप्त श्रेणी के अन्तर्गत आता था। अब अनेक कारणों की वजह से लघु औद्योगिक इकाइयों को सात प्रतिशत नियमित शुल्क दर की अनुमति दी गई है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस निर्णय पर पुनः विचार किया जाए। मैं सरकार से इस उद्योग का पक्ष लेने का अनुरोध करता हूं सामान्य छूट प्राप्त श्रेणी के अन्तर्गत लघु औद्योगिक इकाइयों को दी जा रही छूट इस उद्योग को भी दी जाए। समाज के आम आदमी और निर्धनतम वर्गों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली ईंटों और टाइलों पर लिया जाने वाला कर एक बाधा बन गया है। इससे गरीब लोगों द्वारा मकान बनाए जाने की लागत में वृद्धि हो गई है।

मैं यह भी महसूस करता हूं कि बायो गैस, सौर तथा पवन ऊर्जा जैसे अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। वित्तीय संस्थानों का लक्ष्य यह होना चाहिए कि वे इन योजनाओं के लिए वित्त प्रदान करें ताकि जिस विद्युत की कमी का सामना हम कर रहे हैं उसे काफी हद तक कम किया जा सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय की प्रशंसा करता हूं कि जो पहल उन्होंने की है उनसे देश के समग्र आर्थिक विकास में दूरगामी सहायता प्राप्त होगी।

श्री देवेन्द्र बहादुर राय (सुल्तानपुर) : सभापति जी, आम बजट के ऊपर काफी लोग बोल चुके हैं और आंकड़ो का भी यहां पर उल्लेख हुआ है। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं। पचास वर्ष पहले भी बजट फरवरी के अंतिम सप्ताह में रखा जाता था और आज भी वही स्थिति है। पहले के बजट में गांधीवादी अर्थ व्यवस्था और नेहरू समाजवादी व्यवस्था के बारे में चर्चा हुआ करती थी और यह देखा जाता था कि कुटीर उद्योगों पर ज्यादा पैसा दिया जा रहा है या आधारभूत उद्योगों पर ज्यादा पैसा दिया जा रहा है। इन पांच वर्षों में यह क्रम टूट गया है और इस बात की चर्चा हो रही है कि विदेशी उद्योगों के लिए या देशी उद्योगों के लिए या देशी उद्योगों के लिए क्या पैसा दिया जा रहा है।

अपराह्न 8.00 बजे

विदेश से कितने पूंजीपति या व्यापारी देश में बुलाए जा रहे हैं। इस बजट में कहा जा रहा है कि यह गरीबों की भलाई के लिए रखा जा रहा है लेकिन वास्तव में यह देश के लिए सबसे बड़ा घातक बजट कहा जाएगा। यह किसान विरोधी भी है और गरीबों के लिए यह खतरनाक है। इसमें न स्वावलम्बन की, न स्वाभिमान की कहीं पर कोई गुंजाइश छोड़ी गई है। पांच वर्ष पूर्व जब विदेशी आर्थिक शक्तियों को यहां बुलाया जाने लगा, श्री नरसिंव राव के कार्यकाल में यह गति दी गई और पता नहीं क्यों मौजूदा सरकार ने उससे भी आगे बढ़ कर विदेशी पूंजीपतियों को यहां बुलाया है और बुलाने का क्रम जारी रखा है। ये बड़े स्वाभिमान से कहते हैं कि हमने अपने दरवाजे, अपनी सीमाएं खोल दीं और जो जैसे चाहे इस देश में आ सकता है, जितना चाहे पैसा ले सकता है। हम उनके लिए और सुविधाएं दे रहे हैं, उन पर हम टैक्स कम करते जा रहे हैं।

महोदय, इसका नतीजा क्या होगा और क्या हो रहा है ? यहां बड़े-बड़े पूंजीपति विदेश से आ रहे हैं और जो हमारे यहां के लोग हैं, पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं या जिन्होंने कारखाने लगाए हैं वे उनके सामने एक छोटे से भागीदार के रूप में काम कर रहे हैं और कुछ वर्षों के बाद ये लोग उनके एजेंट के रूप में करेंगे। वे न कारखानों के मालिक रह पा रहे हैं और न ही समाज में या समुदाय में उनकी कोई भागीदारी रह गई है।

महोदय, हमारे यहां के कुटीर उद्योग मिटाए जा रहे हैं। कुटीर उद्योग नाम की चीज शायद अब हमारे देश में निकट भविष्य में नहीं रहेगी। जब कुटीर उद्योग नहीं होंगे, बड़े उद्योग हमारे देश में अपने नहीं होंगे, विदेशी पूंजीपति यहां आएंगे तो यहां का सारा पैसा विदेश चला जाएगा। फिर यहां पर लाखों, करोड़ों बेरोजगार होंगे। उस समय इस देश का क्या होगा, जब लाखों-करोड़ों लोगों के पास आमदनी का कोई जरिया नहीं होगा, उनके पास नौकरी नहीं होगी। हमारा अपना कारखाना, अपना व्यापार नहीं होगा, बल्कि हम विदेशी पूंजीपतियों के एजेंट होंगे। उस समय ये लाखों बेरोजगार इस देश के साथ क्या करेंगे ? क्या उस समय लोकतंत्र बचेगा, इसको न आज के वित्त मंत्री जी सोच रहे हैं और न इस समय की सरकार सोच रही है। हमें केवल एक खुशखबरी सुनाई जा रही है कि विदेश से बहुत पैसा आ रहा है लेकिन क्या वह पैसा हमको मिलेगा ? वे पैसे लगाएंगे, ब्याज लेंगे और लाभ कमाएंगे। अपने देश में लेकर चले जाएंगे और हम लाखों-करोड़ों लोग बेरोजगार होकर सड़कों पर घूमेंगे। फिर या तो वे दंगे करेंगे या भ्रष्टाचार और अनाचार में लिप्त हो जाएगे और हम भी पूर्वी एशिया के देशों की तरह से गुलाम हो जाएंगे।

महोदय, यह कहा जा रहा है कि हमने बहुत विकास के लिए रास्ते खोले हैं। आपने जब बिजली के कारखानों के लिए पैसा नहीं लगाया, कुछ नहीं रखा तो तब बिजली नहीं होगी तो देश का विकास किस तरह से होगा ? आज के जमाने में बिना बिजली के कोई विकास नहीं हो सकता। हमसे कहा जा रहा है कि हम पैसा देंगे लेकिन आप किस को देंगे ?

[श्री देवेन्द्र बहादुर राय]

बीमार उद्योग, कुटीर उद्योग को आपने पैसा नहीं दिया और जो बीमार उद्योग हैं उनके लिए अलग से आपने कोई व्यवस्था नहीं की।

महोदय, मैं केवल एक उदाहरण अपने प्रदेश का दूंगा। कानपुर नगर, जो कभी मानचेस्टर ऑफ इंडिया कहलाता था, आज वहां के सारे कल-कारखाने बंद हो चुके हैं। लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। उनके परिवार के करोड़ों लोग भुखमरी के कगार पर खड़े हैं। आज डाइंग सिटी के नाम से जनरल नॉलेज की किताबों में कानपुर का नाम दर्ज होता है, जो कभी मानचेस्टर ऑफ इंडिया कहलाता था वह आज डाइंग सिटी के नाम से जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण से फिरोजाबाद के लाखों कारीगर और श्रमिक बेकार हैं। वहां हजारों कल-कारखाने बंद हो चुके हैं।

लेकिन इस बजट में ऐसे कारखानों के लिए सरकार क्या करने जा रही है, इस बारे में सोचा तक नहीं गया है। आजादी के बाद से अधिकतर प्रधान मंत्री उत्तर प्रदेश से ही हुए हैं लेकिन उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य रहा है कि 16 प्रतिशत जनसंख्या होते हुए भी केवल उसके लिए बजट में 7 प्रतिशत ही पैसा रखा गया है। अब वह घटते-घटते 6 प्रतिशत पर जा रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां भी इंसान रहते हैं, उनका हिस्सा उनको मिलना चाहिए। असंतुलन की बीमारी को दूर करने के लिए बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। सुलतानपुर जनपद में जहां 50 साल के बाद भी वहां के हजारों गांव ऐसे हैं जहां 5-10 साल से बिजली के खम्बे खड़े हैं लेकिन तार नहीं खींचा गया है। मैं सांसद हूं और मोटर-साइकिल पर जाने में भी मुझे वहां डर लगता है। फरवरी में जो बजट दिया गया है वही उसका विकास है।

आज बड़ी खुशी से कहा जा रहा है कि गरीबों की भलाई के लिए बजट आ रहा है। लेकिन आप गांव में जाकर पूछें कि इस बजट के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है तब आपको पता असलियत का पता चलेगा। जब हम पढ़ते थे उस समय फरवरी के महीने में जब बजट आता था तो चाय या पान की दुकान पर लोग रेडियो सुनते थे कि बजट में क्या आ रहा है। क्या कुटीर उद्योगों को पैसा दिया जा रहा है, गरीबों के लिए पैसा दिया जा रहा है या केवल भिलाई या दुर्गापुर के कलकारखानों के लिए पैसा दिया जा रहा है। उस समय जनता चर्चा यह नहीं करती थी कि विदेशियों को कितनी छुट दी जा रही है। उस समय चर्चा होती थी कि नेहरूवादी व्यवस्था पर या गांधीवादी व्यवस्था पर, किस पर खर्चा ज्यादा हो रहा है।

आज हालत यह हो गयी है कि बजट के दिन भी लोग चर्चा नहीं करते हैं। जनता केवल यह पूछती है कि क्या हुआ ? लोग कहते हैं कि AC पर, TV पर छूट है, फ्रिज पर छूट है, अय्याशी के साधनों पर छूट है। लेकिन बढ़ोत्तरी हो गयी पोस्टकार्ड पर। उस पोस्टकार्ड पर जिसको गरीब औरत दूरदराज 200 रुपये पर काम करने वाले अपने आदमी को भेजती है जिसमें लिखा होता है कि बच्चा बीमार है या पीने का पानी नहीं है लेकिन फैक्स पर आपने टैक्स नहीं बढ़ाया है।

यह गरीबोन्मुख बजट है लेकिन गरीबों के लिए यह बजट नहीं है। गरीबों पर तो आप भार बढ़ाते जा रहे हैं। छाते पर बढ़े टैक्स के बारे में लोग काफी बात कर चुके हैं। आपने इस बजट में शहरों के लिए सब कुछ किया है। शहर में पीने के पानी की व्यवस्था की है। शहरों में पार्टी या विवाह आदि में पानी की बोतलें रखी जा रही हैं। कोई अधिकारी या मंत्री ऐसा नहीं होगा जो नल का पानी पीता हो, वह तो नाना प्रकार की बोतलों का पानी पीता है, मिनरल पानी के लिए कोई रोक नहीं है। लेकिन गांव में जहां पशु पानी पीते हैं वही से लोग भी पानी पीते हैं। गर्मी का महीना आ रहा है और जब तालाब में जानवरों को ही पीने का पानी नहीं मिलता है तो इंसान कहां जाएगा। मैं पहली बार चुनाव लड़ा हूं। मैं एक गांव में जब गया तो एक बुजुर्ग महिला ने कहा। सांसद जी मैं वोट तो दूंगी लेकिन पानी पीने के लिए नहीं दूंगी। मैंने उससे कहा कि माता जी, ऐसी क्या बात हो गई। वह कहने लगी कि तीन किलोमीटर से घड़े में पानी भर कर लाती हूं। मैं विधवा हूं, मेरे तीन बच्चे हैं। मैं पानी सुबह भर कर लाती हूं और हम दिन भर पानी पीते हैं। शाम को फिर पानी भर कर लाती हूं। आप 20 आदमी मेरे घड़े का पानी कैसे पीएंगे। यह मेरे क्षेत्र की नहीं, पूरे देश के गांवों में यह हालत है और आप मिनरल वाटर पी रहे हैं। यही गरीबों के लिए बजट दिया है। आपने कहा कि हमने गरीबों के लिए बजट बनाया हैं आप अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों को आधा बीघा-दो बीघा, आधा एकड़-एक एकड़ जमीन एलाट कर रहे हैं। दूसरे किसानों के पास भी आधा एकड़-एक एकड़ और दो एकड़ जमीन है। वे क्या पैदा करते हैं ? वे गेहूं के सीजन में दो बोरा गेहूं पैदा करते हैं और धान के सीजन में केवल तीन बोरा धान पैदा करते हैं। वे इससे पूरा जीवन यापन करते हैं 10-20 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी करते हैं लेकिन मजदूरी भी आजकल नहीं मिल रही है।

मैडम, मैं यह कहना चाहता हूं कि उनकी खेती के लिए आपने क्या दिया ? आपने यूरिया पर टैक्स बढ़ा दिया। ए०सी० पर टैक्स गिराया। आपने कहा कि हम ट्रैक्टर सस्ता कर रहे हैं। आपने कहां ट्रैक्टर सस्ता किया ? विगत बजट में आपने ट्रैक्टरों को सस्ता किया। हुआ क्या ? हर जिले में पांच ट्रैक्टर एलाट किए गए। जो बजट में प्रावीजन किया गया था उसका एक परसैंट। बड़े-बड़े लोगों ने पांच ट्रैक्टर ले लिए। बाकी ट्रैक्टर बढ़े हुए दामों में दिए गए। यह पूरे देश के लोगों के साथ पिछले बजट में धोखा किया गया। इस साल भी ट्रैक्टरों पर कुछ छूट दी जा रही है। बजट में जो छूट दी गई है, वह दिखावा है और अभी से पैसा बनना शुरू हो गया है। गांवों में आप यूरिया के दाम बढ़ा रहे हैं। पेड़ की कटाई पर रोक है। किसान के पास गैस नहीं है। उसको गोबर चाहिए। वह कहां से लाएगा ? उससे वह कंडे बनाता है और फिर खाना बनाता है। गोवंश की हत्या को आपने बढ़ावा दिया है। रात-दिन गाय और बैल काटे जा रहे हैं। भैंसों का भी कटाव करके उन्हें विदेशों में बंद डिब्बों में भेज रहे हैं। उनके पास जानवर नहीं है तो वे कंडे कैसे बनाएंगे ? बड़े आश्चर्य की बात है कि गांवों में गोबर का खाद नहीं मिल रहा है। यूरिया का दाम बढ़ा दिया, गोबर गायब हो गया, और कोई साधन है नहीं, फिर कैसे किसान खेती करे, किसान कहां से पैदा करें और कहां से खाए ? क्या उसके बच्चे को साल भर में किसी दिन सिनेमा जाने का अधिकार नहीं है ? उसके बच्चों को पढ़ाने का कोई जरिया नही है। आप कहते हैं कि हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। आप किसी भी गांव में जाइए। 5-5 और 10-10 किलोमीटर में देखिए लड़कियों के लिए जूनियर हाई स्कूल नहीं है। यहां गली-गली में नर्सरी स्कूल खोल रखे हैं। इसी को कहेंगे कि यह गरीबों का बजट है। किसानों को गोबर का खाद नहीं मिल रहा है। वे उपले बना कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यह गरीबों

के लिए हैं। *(व्यवधान)* महोदया, मैं पहली बार बोल रहा हूं और गरीबों की बात कह रहा हूं। आज गांव के लोग बजट सुनना नहीं चाहते। वे जानते हैं कि दाम बढ़ेंगे। शहर के लोग इससे चिंतित नहीं क्यों कि वे जानते हैं कि जितने आयातित सामान है, उन पर छूट मिलने वाली है। वे बजट के बारे में बात नहीं करना चाहते। पहले जब बजट आता था तो कर्फ्यू जैसा वातावरण हो जाता था और लोग जानना चाहते थे कि किन चीजों के दाम बढ़ेंगे और किन के घटेंगे ? लोगों को अंतिम समय तक मालूम नहीं होता था कि किन चीजों पर टैक्स बढ़ेगा और किन पर घटेगा ? आज सब को मालूम है कि इस पर छूट मिलेगी और इस पर नहीं मिलेगी।

अब जब बजट आता है तो शिक्षा से लेकर कफन तक की बात की जाती है। देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की बात की जाती है। आपने कभी सोचा कि फरवरी महीने में जो पैसा देते हैं यह कब खर्च होता है ? देश में 1996 को जब बजट पेश हुआ था तो उसका 30 परसेंट 1996 में खर्च हुआ और 70 परसैंट 1997 के मार्च महीने में खर्च होगा। यही खर्चा 25 से 31 तारीख के बीच में होगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मुझे अपने जिले में 22 तारीख को बुलाया गया है। इसमें पिछली सरकार के बजट का खर्चा बताना है लेकिन 31 मार्च को अधिकारी और इंजीनियर्स बैठकर अपना हिस्सा बांटकर दस्तखत कर देंगे और यह कार्यक्रम 7 अप्रैल तक चलेगा। किस को मूर्ख बना रहे हैं ? यह पैसा देश से टैक्स के रूप में मिला है तो देश के विकास कार्यों पर लगाना चाहिये। क्या वित्त मंत्री ने क्या कृपा की है जो इस बजट को दिया है ? क्या उन्होंने सोचा है कि यह कैसे खर्च हो रहा है ? वित्त मंत्री जी को अखबारों, टी.वी. या रेडियो द्वारा और हम पढ़े लिखे लोगों को मालूम है कि उन्होंने चतुराई भरा बजट पेश किया है लेकिन वित्त मंत्री को बाजीगर, जादूगर और कलाकार नहीं होना चाहिये। वित्त मंत्री को विकास का प्रेरक होना चाहिये और देखना चाहिए कि देश को विकसित करके कैसे ले जाएं और कैसे साधन मुहैय्या किये जाये। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि एक कमेटी सांसदों की बनाई जाये। मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि यह मेरा पहला टर्न है और मैंने देखा है कि कमेटी के मैम्बर होने के कारण हम सब मैम्बर्स लोग एकमत रहते हैं और सच्ची बात जानने के लिये एकता होती है। कही पर विवाद नहीं होता है।

सभापति महोदय, बजट में जो प्रावधान किया गया है, उसको हर महीने रेडियो के हिसाब से विकास पर खर्च किया जाये और जिस जगह के लिये दिया गया है, वहीं पर खर्च किया जाये। इस बात का किसी पार्टी में मतभेद नहीं होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। कोई भी सांसद हो कमेटी सदस्य के रूप में चाहे केरल जाये या उत्तर प्रदेश में जाये, सब एकमत होकर जाते हैं। इसलिये इसमें संशय की बात नहीं है। वित्त मंत्री को यह सोचना चाहिये कि जो धन दिया गया है, वह सही जगह पर, सही ढंग से और सही रास्ते पर खर्च किया जा रहा है। मैं कल रेल से आ रहा था तो वहां पर एक ऐसे अधिकारी से मुलाकात हो गई जो एक प्रदेश के एक विभाग के बड़े मालिक हैं। मैंने उनसे पूछा की कि आप पानी के लिये क्या कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि 5-7 दिन बाकी हैं, देखिये रिपोर्ट आती है तो बतायेंगे। जब पूरे साल में पैसे का उपयोग नहीं हुआ तो 5-7 दिन में कैसे होगा ? वे मुम्बई गये हैं। 25 तारीख के बाद काम होगा। फिर देखिये कैसे विकास होगा ? जब मैं सड़क विहीन अपने क्षेत्र की पगडंडियों से मोटर साईकल पर बैठकर चलता हूं तो लगता है कि सर्कस के मौत के कुंयें में से गुजर रहा हूं तो मैं वित्त मंत्री को अपनी चिन्ता बता दूं कि यह गरीबों के लिये बजट नहीं बना है। आप किसानों को खेती के लिये यूरिया नहीं दे सकते, जानवरों के विकास और उनके संवर्द्धन के लिये कोई पैसा नहीं दे रहे हैं और लड़कियों की शिक्षा के लिये कोई स्पेशल बजट नहीं बनाया है। सत्ता पक्ष के एक मेरे दोस्त कह रहे थे कि कृषि के लिये अलग बजट आना चाहिये। मैं भी उस बात का समर्थन करता हूं। जब रेल बजट बन सकता है तो भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिये, जो देश की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ है, के लिये कृषि बजट क्यों नहीं बन सकता ? हम इस बात का विरोध करते हैं कि यह बजट हमे न स्वावलम्बन सिखा रहा है और न बरोजगार नौजवानों को नौकरी देने के लिये वायदा कर रहा है और न यह अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा और न आत्म-सम्मान बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यह बजट न शिक्षा देने की कोशिश कर रहा है और न ही पीने के पानी के साधन उपलब्ध कर रहा है, न किसानों को खाद दे रहा है और न बीज ही उपलब्ध कर रहा है।

सभापति महोदय, पिछले दिनो गेहूं की कमी के बारे में सदन में चर्चा हुई थी। हम किसान के लड़के हैं, आप एहसास कीजिये कि हम लोगों को गेहूं का बीज नहीं मिला और हजारों एकड़ जमीन खाली रही जिसपर गेहूं की पैदावार नहीं हुई। आज के जमाने में गेहूं की जरूरत है और हम बीज नहीं दे पाये। आप क्या बात करेंगे ?

सभापति महोदय, इसलिये मैं इस बजट का घोर विरोध करता हूं। यह गरीबों पर अत्याचार करने वाला बजट है जिसमें कोई अच्छाई नहीं। यदि अच्छाई है तो बड़े लोगों के लिये और खराबी है तो गरीबों के लिये और पूरे देश के लिये है क्योंकि यह दोनों पर अत्याचार करने वाला बजट है और चूंकि यह इस सदन में आया है, इसलिये इसका घोर विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

डा० देवी प्रसाद पाल (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : सभापति महोदया, मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और केवल इसलिए नहीं कि मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूं बल्कि इसलिए कि मेरी राजनीतिक पार्टी संयुक्त मोर्चा के साथ सत्ता में है। मैं इस बजट का समर्थन तो करता हूं परन्तु मेरी कुछ आपत्तियाँ भी हैं।

आर्थिक सुधार नीति पर बल जारी रखने के लिए मैं वित्त मंत्री को बधाई दिए बिना नहीं रह सकता। वर्तमान बजट आर्थिक सुधार नीति को स्वीकार करता है जो कि सत्ता संभालते वक्त वर्ष 1991 में पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू किए गए थे। वह एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट का दौर था जिस पर पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा काबू पा लिया गया था। इन पांच वर्षों के दौरान व्यापक आर्थिक समायोजनों और हमारी अर्थव्यवस्था में घुस आई विभिन्न राजकोषीय विकृतियों में सुधारों के द्वारा ये नए आर्थिक सुधार शुरू किए गए थे। जिसका परिणाम यह हुआ कि औद्योगिक विकास को गति प्राप्त हुई कृषि संबंधी विकास का पुर्नजीवन हुआ और इसके साथ ही हमारी चहुंमुखी आर्थिक प्रगति हुई।

[डा० देवी प्रसाद पाल]

वित्त मंत्री महोदय ने बिना किसी लागलपेट के यह स्वीकार किया कि पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा आरंभ की गई उदारीकरण की नीति को जारी रखा जाएगा। यहां तक कि उनके कुछ सहयोगी उनके मत से सहमत नहीं हैं। जब मैंने इस बजट पर नजर डाली तो यह मुझे लोकप्रिय लगा। यह बजट समाज के अनेक वर्गों को संतुष्ट करने वाला है। परन्तु यदि आप इसकी थोड़ी सी गहन समीक्षा करें तो पाएंगे कि यह अनेक दुष्परिणामों से युक्त है जिनकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ा जाएगी। स्वयं वित्त मंत्री महोदय ने यह माना है कि हालांकि विकास भी हुआ है और सफलताएं भी मिली हैं। परन्तु इसके कुछ कुपरिणाम भी हुए हैं।

वित्त मंत्री महोदय पेट्रोलियम के मंद उत्पादन, विद्युत परियोजनाओं और निर्यात संबंधी घोषणाओं से भी अत्यधिक क्षुब्ध हैं। पूंजी बाजार की मंदी और सबसे अधिक मुद्रा स्फिति की दर उन समस्याओं में से कुछेक हैं जो उन्होंने स्वयं स्वीकार की हैं। परन्तु वह इन समस्याओं पर योजना परिव्यय नीति और कर सुधारों के माध्यम से काबू पाना चाहते हैं।

जब मैंने वर्ष 1996-97 के योजना परिव्यय को देखा तो उसमें बजट अनुमान 87000 करोड़ रुपए और संशोधित अनुमान 77000 करोड़ रुपए किया गया था जो कि 10,000 करोड़ रुपए कम का है। इस वर्ष लगभग 91,000 करोड़ रुपए का बजट अनुमान है। अभी हमें यह देखना है कि संशोधित अनुमान के स्तर पर यह कितना हो जाएगा। वर्तमान योजना परिव्यय के अनुसार 18.5 प्रतिशत व्यय किया जाना है परन्तु वित्त मंत्री का दावा है कि कृषि के मुख्य क्षेत्रों, बुनियादी सुविधाओं और सामाजिक सेवा क्षेत्र के लिए पर्याप्त संसाधनों का निर्धारण किया गया है। परन्तु यदि हम कृषि पर दृष्टिपात करें तो पाएंगे कि इस वर्ष उत्पादन में अभूतपूर्व चार प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यहां तक कि इससे पहले कांगेस सरकार के समय में गत तीन वर्षों के दौरान कृषि उत्पादन में औसतन पांच प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

वित्त मंत्री ने कृषि विकास के लिए केवल 13.35 प्रतिशत का प्रावधान किया है जो बिल्कुल ही मामूली राशि है। स्वयं उनके सहयोगी कृषि मंत्री ने यह टिप्पणी की है कि इस मामूली धनराशि से 4.5 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करना संभव नहीं है। कहा तो यह गया था कि उन्होंने कृषि पर विशेष बल दिया है परन्तु स्वयं उनके सहयोगी द्वारा की गई टिप्पणी को ही देख लीजिए जिससे सिद्ध होता है कि कृषि निर्यात संवर्धन को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया है।

ग्रामीण विकास के मामले में वित्त मंत्री महोदय का यह कहना है कि उन्होंने गत वर्ष के बजट में 40 आश्वासन दिए थे और उन्होंने उन सबको पूरा कर दिया है। उनके स्वयं के अनुसार यह सम्पूर्ण बजट न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर आधारित है और इस कार्यक्रम का अनुसरण करते हुए सामाजिक क्षेत्र की सात सेवाओं के लिए 2666 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुझे आश्चर्य है कि 2666 करोड़ रुपए की इस मामूली सी धनराशि से सामाजिक क्षेत्र की सात सेवाओं का रखरखाव कैसे किया जा सकता है। उन्होंने "सात न्यूनतम सेवाएं" कहा है। यह केवल बात को दूसरे ढंग से कहना है। पूर्व कांग्रेस सरकार के समय में हम ग्रामीण लोगों के लिए कई न्यूनतम सेवाएं दी जाती थी। उदाहरण के लिए पूर्व वित्त मंत्री डॉ० मनमोहन सिंह ने गरीबी रेखा से नीचे के 9175 परिवारों के प्रत्येक दो सदस्यों को न्यूनतम 100 दिनों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार देने का प्रावधान किया था। 1995-96 के लिए प्रस्तुत किए गए बजट में यह प्रावधान था कि कम से कम प्रत्येक परिवार के लिए तीन प्रकार की सामाजिक सहायता प्रदान की जायेगी। गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले ग्रामीण क्षेत्र के वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन दिया जायेगा। यदि उनके परिवार में कोई दुर्घटना होती है तब उन्हें बिना बीमा के 10,000 रुपए दिए जायेंगे तथा यदि मृत्यु स्वभाविक रूप से होती है तो उन्हें 5000 रुपए दिया जाएगा।

पूर्व में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा कई अन्य सामाजिक कल्याण योजनाओं का प्रावधान किया गया था लेकिन अब इसका कोइ उल्लेख नहीं है हालांकि ग्रामीण विकास योजना की सात सेवाओं की 2666 करोड़ रुपए व्यय करके पूरा किया जायेगा।

अपराह्न 8.29 बजे

[श्री पी०एम० सईद *पीठासीन हुए*]

यह निराशाजनक बात है कि इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत केवल सात लाख आवास प्रदान किया जायेगा। वर्ष 1995-96 में भी पूर्व की कांग्रेसी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए गरीब व्यक्तियों हेतु 10 लाख आवास का प्रावधान किया था। लेकिन हम वर्तमान बजट में पाते हैं कि इसे बढ़ाने के बजाय केवल 7 लाख आवास प्रदान किए जायेंगे।

सामाजिक क्षेत्र में हालांकि आपने कुछ धनराशि निर्धारित की है लेकिन मुख्य कठिनाई यह है कि इस योजना पर निगरानी की कोई व्यवस्था नहीं है। वित्त मंत्री के अपने भाषण के अनुसार सामाजिक क्षेत्र की सेवाओं में सामान्य शिक्षा, चिकित्सा सहायता, स्वच्छता कार्य तथा बेरोजगारी की समस्या शामिल हैं इन योजनाओं को कैसे क्रियान्वित किया जायेगा इसका कोई उल्लेख नहीं है।

इस पर निगरानी कैसे की जायेगी ? अनुभव आधार पर यह पाया गया है कि इन सेवाओं हेतु निर्धारित धन का व्यय अक्सर उचित रूप से नहीं किया जाता है। जबतक इसकी निगरानी तथा योजना क्रियान्वयन उचित रूप से नहीं होगा तबतक सामाजिक सेवाओं हेतु निर्धारित धन अन्यत्र लगाये जाते रहेंगे। लेकिन अंततः इन योजनाओं को राज्यों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है तथा केंद्र सरकार को इस बात पर नजर रखनी होगी कि धन का व्यय किस प्रकार किया जा रहा है।

सभापति महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

डा० देवी प्रसाद पाल : मैं जल्द ही अपनी बात समाप्त करूंगा।

सभापति महोदय : हमारे पास कई वक्ता हैं तथा मुझे माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा यह निदेश प्राप्त है कि हमें आज ही पूरी बहस करनी है।

डा० देवी प्रसाद पाल : माननीय वित्त मंत्री ने करों में कटौती की है। मैं उन्हें इस कदम हेतु निश्चित रूप से बधाई देता हूं। 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत तथा 1,50,000 रुपए अथवा इससे अधिक पर 30 प्रतिशत की अधिकतम दर है। लेकिन किसी विकासशील देश में उच्चतम स्लैब पर

कर दर सामान्यतया कम से कम 40 प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए।

मंत्री महोदय ने आय की घोषणा किए जाने हेतु एक योजना शुरू की हैं घोषणा योजना समय-समय पर शुरू किया गया है। लेकिन इससे सरकार की जो प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है वह असंतोषजनक है। डा० मनमोहन सिंह ने भी वित्त मंत्री के रूप में एक विशेष घोषणा योजना शुरू की थी जिसमें किसी व्यक्ति के घर की तलाशी के दौरान यदि बिना-हिसाब किताब का कोई धन बरामद होता है तो उसे सिर्फ 60 प्रतिशत का भुगतान करके शेष 40 प्रतिशत अपने पास रखने की छूट थी।

सभापति महोदय : अब आपको अपनी बात समाप्त करनी चाहिए। कृपया मेरे साथ सहयोग करें।

डा० देवी प्रसाद पाल : उन्होंने इस प्रकार के मामलों हेतु 300 प्रतिशत दंड लगाए जाने का प्रावधान शुरू किया। यदि यह ऐसा है तब पूर्व कांग्रेसी सरकार द्वारा शुरू की गई घोषणा योजना कैसे सफल होगी ? लेकिन अब वित्त मंत्री ने यह व्यवस्था की है कि सिर्फ 30 प्रतिशत का भुगतान करना पड़ेगा।

अब इसकी अत्यंत आलोचना की गई है। अधिकतम दर पर 30 प्रतिशत कर का भुगतान करनेवाला ईमानदार कर दाता तथा कराधान करने वालो द्वारा इसी दर पर भुगतान किए जाने के कारण दोनों को समान स्तर पर नहीं रखा जा सकता है। कम से कम कुछ अंतर होना चाहिये, यदि उन्हें घोषणा योजना का लाभ लेना है तब उनके द्वारा कम से कम 40 प्रतिशत अथवा 50 प्रतिशत का भुगतान किया जाना चाहिए।

अन्यथा उच्चतम न्यायालय के समक्ष जिस तरह 'बेयरर बांड' योजना को संविधान की धारा 14 का उल्लंघन किए जाने के संबंध में चुनौती दी गई थी और उच्चतम न्यायालय ने यह स्वीकार्य किया कि भेद-भाव किया गया है लेकिन धन वृहत हित में प्राप्त किया जाना था। अंततः उच्चतम न्यायालय ने उस योजना को वैध ठहराया।

सभापति महोदय : अब मैं दूसरे वक्ता को बुलाता हूं। कृपया समाप्ति करें।

डा० देवी प्रसाद पाल : पूंजी बाजार में मंदी के कारण वित्त मंत्री ने लाभांशों पर कर समाप्त कर दिया है। यह स्वागत योग्य उपाए है मुझे आशा है कि इससे पूंजी बाजार में तेजी आने में कुछ प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन अब उन्होंने एक नया कर शुरू किया है अर्थात लाभांश का भुगतान करनेवाली कंपनियों को अब 10 प्रतिशत कर का भुगतान करना पड़ेगा। इससे समस्या होगी। माना कि वो कंपनी अर्जित लाभ द्वारा 10 प्रतिशत लाभांश का भुगतान करती है एवं कंपनी यदि यह लाभ का वितरण पुनः लाभांश से करती है तब इसे पुनः 10 प्रतिशत का भुगतान करना पड़ेगा। अतः यह वृत्ताकार रूप में चलती रहेगी। मैं वित्त मंत्री से इस समस्या पर विचार करने का अनुरोध करूंगा।

लाभांश को कर मुक्त कैसे किया गया है। लेकिन उन व्यक्तियों की क्या स्थिति होगी जो लिए गए ऋण से शेयरों की खरीद कर रहे हैं।

उनसे कोई कटौती नहीं की जायेगी अधिकाशंतः शेयर पूंजी में लिए गए ऋण को लगाया जाता है। फिर मैंने पिछली बार एक महत्वपूर्ण बात न्यूनतम वैकल्पिक कर के संबंध में कही थी। मैंने पिछली बार यह कहा था कि न्यूनत वैकल्पिक कर निरूत्साहित करने वाली है। औद्योगिक विकास सफल रहा है क्योंकि निर्यात उद्योग में कांग्रेसी सरकार के काल में 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इसके परिणामस्वरूप ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब मैं दूसरे सदस्य को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं। आप सिर्फ एक वाक्य बोलकर अपना भाषण समाप्त करें।

डा० देवी प्रसाद पाल : एम०ए०टी० के कारण निर्यात में कमी आयी है तथा अब यह सिर्फ नौ अथवा दस प्रतिशत रह गई है। वित्त मंत्री ने अब निर्यात उद्योग के संबंध में छूट दिया है। न्यूनतम वैकल्पिक कर को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इसकी आगामी पांच वर्षों के लिए शुरूआत की है यह एक अंकगणितीय खेल है जिससे कतिपय ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए। अन्यथा मुझे रिपोर्टरों को आपके भाषण का रिकार्ड नहीं करने का निर्देश देना पड़ेगा। कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

डा० देवी प्रसाद पाल : मैं यह कह रहा हूं कि इस बजट से गंभीर मुद्रास्फीति होने की संभावना है। इसके साथ-साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्यान्न व्यवस्था तथा खाद्य नीति का उचित प्रबंधन नहीं है। निर्धारित मूल्य बढ़ रहे हैं। तेल के मूल्य में भी वृद्धि हो रही है। रेल माल भाड़े में भी वृद्धि हुई है। इन सभी से गंभीर मुद्रास्फीति की संभावना है। आज मुद्रास्फीति आठ प्रतिशत है तथा इसमें और अधिक वृद्धि होने की संभावना है।

मैं इतना ही कहूंगा कि वर्तमान सरकार को नई आर्थिक नीति के शुरू किए जाने से एक गतिशील अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी। नौ महीने तक कोई गति नहीं थी लेकिन अब आर्थिक सुधारों को स्वीकार किया गया है। लेकिन विभिन्न राजनीतिक दलों के विचारों में मध्य मतभेद के परिणाम-स्वरूप एक अनिश्चितता की स्थिति है क्योंकि वित्त मंत्री ने स्वयं ही कहा है कि उदारीकरण की नीति को समाप्त नहीं किया जायेगा। प्रो० मधु दंडवते कहते हैं ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मुझे आपके भाषण की रिकार्ड नहीं करने हेतु कहना पड़ेगा। कृपया अंतिम वाक्य कहकर समाप्त करें।

डा० देवी प्रसाद पाल : महोदय, कई अन्य वक्ता हैं, जिन्होंने काफी अधिक समय लिया है। मैं आपसे सिर्फ यह अनुरोध कर रहा हूं कि मैं अपना भाषण एक अथवा दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

विभिन्न राजनीतिक दलों के भिन्न-भिन्न विचारों के परिणामस्वरूप अनिश्चितता की स्थिति है। राजनीतिक अनिश्चितता से उपजी यह भ्रांति पूंजी बाजार में मंदी हेतु जिम्मेवार है।

इन शब्दों के साथ मैं इस आय बजट का अनेक आपत्तियों के साथ समर्थन करता हूं।

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : सभापति महोदय, मैं कुछ टिप्पणियों के साथ इस सामान्य बजट को अपना समर्थन देता हूं ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री अमर राय प्रधान, कई वक्ता बोलने वाले हैं और प्रत्येक वक्ता को बोलने के लिए केवल पांच मिनट मिलेंगे।

श्री अमर राय प्रधान : महोदय, मैं अपने दल की ओर से अकेला वक्ता हूं। कृपया कुछ समय और दें *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया आप बोलना शुरू करें। कृपया अब लड़ाई-झगड़ा न करें।

श्री अमर राय प्रधान : सभापति महोदय, 28 फरवरी को जब माननीय वित्त मंत्री ने सामान्य बजट पेश किया था और जब मैं सदन से बाहर जा रहा था, उस समय वामपंथी दलों के कई मित्रों ने मुझे यह कहा था कि यह बजट डा० मनमोहन सिंह के नक्शे कदम पर आधारित है। कुछ ने यह कहा था कि यह डा० मनमोहन सिंह के बजट का प्रतिबिम्ब है। मैंने कहा कि दोनों में इस दृष्टि से भिन्नता है कि डा० मनमोहन सिंह का बजट स्पष्टतः वित्तीय और नौकरशाही पर आधारित छोटा था और जबकि श्री चिदम्बरम का बजट वित्तीय और राजनीतिक से अभिप्रेरित है।

महोदय, जैसाकि आपको मालूम है कि श्री चिदम्बरम एक जाने माने वकील हैं। इसके अलावा वे हारवर्ड विश्वविद्यालय के छात्र भी रहे हैं। और अर्थशास्त्र के विद्वान होते हुए, उन्होंने बजट बनाने के संबंध में काफी अच्छी-खासी कसरत की है।

इसी कारणवश, उन्होंने एक ऐसा बजट तैयार किया है जो अपने आप में संतुलित है। यह न केवल गरीब और अमीर के बीच संतुलित है अपितु अर्थशास्त्रियों और राजनीतिक उपयुत्यता की दृष्टि से भी संतुलित है। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह एक प्रबन्धकीय बजट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि श्री चिदम्बरम एक बड़े विशेषज्ञ है और उनके पास प्रबन्धकीय डिग्री है।

महोदय, श्री चिदम्बरम ने अपने बजटीय भाषण में यह कहा है कि सी०एम०पी० उनके दिमाग में है। सी०एम०पी० उनका ईश्वर है; सी०एम०पी० उनका अल्लाह है; और सी०एम०पी० सब कुछ है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने कभी ईश्वर अल्लाह और भगवान के बारे में अध्ययन किया है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है :

"जीवेर दाया जैकौरे शेजोन ईश्वर"

इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति लोगों की सेवा करता है वही भगवान की सेवा करता है। मेरे विचार में श्री चिदम्बरम को इस बात की जानकारी नहीं है।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : जानकारी से क्या तात्पर्य है ?

श्री अमर राय प्रधान : हाँ, निश्चित तौर पर।

श्री संतोष मोहन देव : क्यों ?

श्री अमर राय प्रधान : अगर हम इसकी गहराई में देखें *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया तर्क-वितर्क न करें।

श्री ए०सी० जोस : यह उचित नहीं है।

सभापति महोदय : आप अपना समय गंवा रहे हैं।

श्री अमर राय प्रधान : सभापति महोदय, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि यह टेबू है अथवा लॉग बुक है। यह उच्च मध्य वर्ग और अमीर लोगों के लिए टेबू हो सकता है लेकिन इस देश के गरीब लोगों के लिए यह लॉग बुक है। उनकी स्थिति क्या है ? मुझे यह पता नहीं है कि किसने इसका जिकर किया है लेकिन किसी ने कहा है कि इससे मुद्रास्फीति नहीं बढ़ेगी। मैं यह कहना चाहूंगा कि मुद्रास्फीति इसलिये बढ़ेगी कि उन्होंने इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि उस समय क्या स्थिति होगी जब उन्हें पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट स्वीकार करनी पड़ेगी। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि जब तेल के घाटे की बात उठेगी उस समय क्या स्थिति होगी। यह लगभग 17,500,000 करोड़ रुपए है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या होगा ? आजकल हर रोज समाचार पत्रों में इसका उल्लेख होता है कि इस्पात की कीमतों में वृद्धि होगी। अगर हम समाचार पत्रों की रिपोर्टें देखें तो पता लगता है कि यह गरीब आदमी का बजट नहीं है। रिपोर्ट कहां है ? राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग के जनसंख्या संबंधी आंकड़ों के अनुसार, कृषि श्रमिकों का प्रतिशत जो 1964-65 में 15.3 मिलियन था, वर्ष 1987-88 में बढ़कर 33.5 मिलियन हो गया। इसका अर्थ यह है कि ग्रामीण जनसंख्या का लगभग 35 प्रतिशत भाग कृषिहर श्रमिक है। 1981 के आंकड़ों के अनुसार 68.38 मिलियन लोगों में से 33 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 13 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति से संबंधित थे। इसका अर्थ यह है कि कुल कृषिहर श्रमिकों में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 46 बैठता है। उनकी स्थिति क्या है ? हमारे देश में क्या हो रहा है ? उन्हें प्रतिदिन काम नहीं मिलता है ? सुबह से शाम तक बहुत अधिक काम करने के बाद उन्हें 4 अथवा 5 रुपए ही मिलते है। यह दास गुप्ता समिति की रिपोर्ट है। आपको इसकी जानकारी है। उक्त समिति की रिपोर्ट सभा पटल पर उस समय रखी गई थी जब हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय श्रम मंत्री थे। उन्होंने समिति गठित की थी। उस समिति की रिपोर्ट मौजूद है।

हमारे देश के विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं की क्या स्थिति है। वे अपनी जीविकापार्जन के लिए अपना खून बेच रहे हैं। हमें उनके माता-पिता के प्रति कुछ स्नेह होना चाहिए। वे बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं। लेकिन हमने उनके लिए कुछ नहीं किया है। आप अन्य मदों पर बहुत अधिक धन खर्च कर रहे हैं।

तीस्ता बांध परियोजना नामक एक परियोजना है। इस परियोजना को सन् 1976 में शुरू किया गया था और अब 1997 है। पिछले 20 वर्षों के लिए, लोगों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है। इस परियोजना का पांच-प्रतिशत कार्य भी पूरा नहीं किया गया है। यह हमारे देश की सबसे बड़ी परियोजना हैं। यदि इस परियोजना को पूरा कर लिया गया होता, तो 14.65 लाख हेक्टेयर भूमि को सींचा जा सकता था।

लगभग 10,006 मेगावाट पन विद्युत का उत्पादन किया जाएगा और अर्थशास्त्र के एक विशेषज्ञ के अनुसार, इस परियोजना से 65 लाख और श्रमदिवसों का सृजन किया जा सकता था। लेकिन हो क्या रहा है। केन्द्र सरकार धन नहीं दे रही है। हम यह मांग कर रहे हैं कि इसे राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित किया जाए। हम इसे राष्ट्रीय परियोजना नहीं

कह सकते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने सीमित स्रोतों में से 500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं जबकि केन्द्र सरकार ने अब तक केवल 100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अब, भारत और बांग्लादेश की इस संधि के बाद हमें आशा है कि बंग्लादेश के साथ हमारी मित्रता और अधिक बढ़ेगी।

इसके साथ-साथ, उसी क्षेत्र में एक और परियोजना है जिसका नाम संकोच नदी और वन परियोजना है जो भूटान सरकार के सहयोग से स्थापित की जा रही है। और माननीय वित्त मंत्री इस प्रयोजन के लिए जिसके बारे में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और समाचारों में प्रकाशित किया गया है, 7500 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए तैयार है। लेकिन तीस्ता परियोजना की स्थिति क्या है ? यह परियोजना भी उसी क्षेत्र में है। केन्द्र सरकार पर्यावरण के मामले में बहुत बड़ा अन्याय कर रही है। संकोच परियोजना के लिए 200 किलोमीटर लम्बी एक सुरंग खोदी जाएगी और अन्ततः इसमें बहुत अधिक समय लगेगा।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें। इसीलिए मैंने सुझाव दिया था कि सभी माननीय सदस्य अपने-अपने निर्वाजन क्षेत्रों और राज्यों में जाएं।

श्री अमर राय प्रधान : 3 मार्च के प्रश्न के उत्तर में माननीय सिंचाई मंत्री ने इस सदन को यह बताया था :

> "हमें गंगा नदी के प्रवाह का विस्तार करने के लिए तीस्ता अथवा संकोच नदी के पानी की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए कलकत्ता पत्तन पर्याप्त होगा। फरक्का-भाखड़ा नहर को कम व्यस्ता वाले महीनों में भी कम से कम 75,000 क्यूसेक पानी मिलेगा। अतः 35,000 क्यूसेक बांग्लादेश को जाएगा और शेष पानी इस प्रवाह में शामिल हो जाएगा।"

लेकिन माननीय मंत्री महोदय ने तीस्ता के बारे में कल दिए अपने उत्तर में बताया :

> "केंद्रीय जल आयोग द्वारा एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें 4000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करने के लिए संकोच नदी के आर-पार बांध का निर्माण करने की बात कही गई है। तीस्ता बांध तक इस नहर की खुदाई करके बिहार और पश्चिम बंगाल क्षेत्रों में सिंचाई और अन्य प्रयोजनों के लिए भी पानी को नियमित करने का प्रस्ताव है।"

सभापति महोदय : कृपया आप अपनी बात अब समाप्त कर दें।

श्री अमर राय प्रधान : मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मुझे यह तो पता नहीं है लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय से स्पष्टतः यह जानना चाहूंगा कि तीस्ता बांध परियोजना जिसे बहुत पहले 1976 में शुरू किया गया था, क्यों नहीं पूरा किया जा सका। इसे शुरू किए 21 वर्ष बीत चुके हैं। यह एक पिछड़ा क्षेत्र है। इन तीनों जिलों के आसपास कि आबादी मुख्यतः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। माननीय वित्त मंत्री को उसे क्षेत्र की जानकारी है। जब वे गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री के उस समय वे उस जगह गए थे। और क्या उन्होंने वहां पर रह रहे लोगों की स्थिति की जानकारी है ? जैसाकि मैंने बताया है, वहां की आबादी मुख्यतः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित है और सभी जिले पिछड़े जिले हैं। एक ही क्षेत्र में एक परियोजना पूरी नहीं की जा सकी और दूसरी परियोजना को अधिक धन के साथ शुरू किया जा रहा है। यदि तीस्ता वन बिजली परियोजना को पूरा कर लिया जाता है तो कई अवसर उत्पन्न होंगे। इससे 10000 मेगावाट से अधिक बिजली का उत्पादन होगा। लेकिन संकोच परियोजना जिसमें 4000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, सरकार 75,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। लेकिन तीस्ता परियोजना को पूरा करने के लिए आप और धन खर्च करने के लिए तैयार नहीं हैं।

सभापति महोदय : श्री अमर राय प्रधान कृपया अपनी बात खत्म कीजिए।

श्री अमर राय प्रधान : हमारा देश अभी भी गरीब देश है। माननीय मंत्री महोदय इसके लिए अकेले उत्तरदायी नहीं हैं। कुछ और लोग जो सत्ता में है, इसके लिए जिम्मेदार हैं। माननीय मंत्री महोदय कृपया इन सभी पहलुओं पर विचार करें और इस देश के गरीब लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कुछ कार्य करें।

[हिन्दी]

श्री आर०एल०पी० वर्मा (कोडरमा) : सभामति महोदय, मैं इस सरकार के द्वारा पेश किया बजट जो सदन में आया है, इसकी समालोचना के लिए खड़ा हुआ हूं।

इस बजट के सम्बन्ध में सभी मित्रों ने, किसी ने बहुत अच्छा कहा, किसी ने बुरा कहा, जो भी हो, मैं समझता हूं कि यह गरीबों का बजट नहीं है, बल्कि अमीरों का बजट है। यह मलाईदार तबके के लिए मसालेदार बजट है। यह कहा जाय कि *[अनुवाद]* सम्पन्न तबके के व्यक्तियों के लिए फायदे का बजट है। *[हिन्दी]* और यह बजट गरीब लोगों के लिए नहीं है, इसलिए कि चावल का दाम बढ़ गया, गेहूं का दाम बढ़ गया, चीनी का दाम बढ़ गया, बीड़ी का दाम बढ़ गया, इसमें गरीब की उपयोगी आवश्यक वस्तुओं का दाम बढ़ा है और बड़े लोगों के लिए सारी चीजों का दाम नीचे उतरा है। यह बात सही है कि प्रभाव तो हुआ है, लेकिन यह केवल बड़े लोगों के लिए हुआ है। इसलिए मंत्री महोदय जहां तक हम लोगों के दृष्टिकोण से इसकी समालोचना करते हैं, इसकी अच्छाई और बुराई की यह हम लोग इस तरह से जो समीक्षा करते हैं, इस पर विचार करना चाहिए।

जहां तक हमने देखा है कि गांवों के विकास के लिए आजादी के इन पचास वर्षों के दौरान इसी तरह से बजट आते रहते हैं और उनमें एक तरह से आंकड़ों की जादूगरी दिखाई जाती है, लेकिन जमीन पर इसका वस्तुतः ट्रांसलेशन नहीं होता है। धरती पर सही ढंग से योजनाओं का कार्यान्वयन के दृष्टिकोण से भी सबको चिन्ता करनी चाहिए कि सरकारी खजाने के जो पैसे हैं, विदेशों से जो ऋण लिया गया है, उसका धरती पर सही उपयोग हो रहा है या नहीं, क्योंकि पचास वर्ष के बावजूद आज कई समस्याएं हैं। मैं योजनाओं की लम्बी-चौड़ी बातें न करके अपने क्षेत्र की दिशा में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

[श्री आर०एल०पी० वर्मा]

एक दो बातें ऐसी हैं कि इन योजनाओं से विदेशी लोगों के लिए लगता है दरवाजा खुल गया है। एक गेट का समझौता हुआ है, डुंकेल का जो प्रस्ताव है, आई०एम०एफ० है, विश्व बैंक है, इन सबसे लगता है कि यह बजट बनाने में मंत्री महोदय ने उन लोगों की ग्रिप में या प्रेशर में यह काम किया है, इसीलिए यह जो उदारीकरण, लिब्रलाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन, इससे दुनिया का, जी-7 कंट्रीज का भारत में पूरा मार्केट बन गया है। इस प्रकार से विदेशी चीजें यहां पर सस्ती हो गई हैं और देशी चीजों का, स्वदेशी उत्पादन का कोई मूल्य नहीं रह गया है। वे मूल्यवान या महंगी हो गई हैं, इसलिए यह बजट संतुलित न होकर केवल विदेशियों के लिए यहां पर घुसने के लिए यहां की कम्पनियों को मल्टीनेशनल कम्पनियों के द्वारा खरीद किये जाने का एक रास्ता है। इस दृष्टिकोण से अगर ऐसा बजट रहा तो देश के सारे गृह उद्योग, देश के सारे कुटीर उद्योग समाप्त हो जाएंगे। इसलिए इस दिशा में पुनर्विचार करने की जरूरत है।

आज कागज जो देश में *(व्यवधान)* हो गया ? अभी तो दो मिनट भी नहीं हुए।

सभापति महोदय : हां हो गया। पांच मिनट हो गये। अभी मैं आपको एक मिनट और दे रहा हूं, जल्दी खत्म करिये।

श्री आर०एल०पी० वर्मा : इसी तरह से सैटेलाइट इन्वेजन इंडिरान कल्चर पर हो गया है। आज विदेशी चैनलों को इतनी छूट दे दी गई है कि 50 हजार करोड़ रुपया देश का विदेशों में जा रहा है और इन चैनलों से अश्लील घोड़े प्रदर्शित किये जाते हैं। देश की संस्कृति और सभ्यता पर कुठाराघात हो रहा है, इसपर भी ध्यान देने की जरूरत है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि सीमा शुल्क को इतना घटा दिया गया है कि विदेशी चीजें यहां पर बहुत सस्ती हो गई हैं। आयात करने के लिए सारे दरवाजे खुले हैं, लेकिन यहां से एक्सपोर्ट करने के लिए सारी चीजें महंगी हो गई हैं कि विदेश की चीजें सस्ती हैं, देश की चीजें महंगी है और हमारा सारा एक्सपोर्ट इससे समाप्त हो जायेगा।

दूसरी बात कि हमारे झारखंड राज्य निर्माण करने का सरकार ने कोई प्लानिंग या विचार नहीं किया, न झारखंड के विकास के लिए कोई योजना बनाई। यह भी बी०पी०बी०पी० योजना में 444 करोड़ रुपया जो वर्ल्ड बैंक ने दिया, यह 1998 के छः महीने में समाप्त हो जाएगा, अभी तक यह रुपया खर्च नहीं हुआ है, घपलेबाजी हुई है। बिहार में खासकर चारा घोटाला हुआ, भूमि घोटाला हुआ, तारकोल घोटाला हुआ। झारखंड भूमि के लिए आंदोलन करने वाले नेता बिक गए और वहां के विकास को गिरवी रख दिया।

मैं सिंचाई के लिए भी कुछ कहना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में सिंचाई की योजनाएं चल रही हैं। 1993-94 में हमारे यहां सात महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गई, लेकिन आज बीस बरस हो गए हैं, 664 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की थी, बढ़ते-बढ़ते 1100 करोड़ रुपये खर्च हो गए, लेकिन योजनाएं पूरी नहीं हुई। इसका कारण यह है कि अभी भी 9200 करोड़ रुपये और चाहिए। मैं समझता हूं कि ये योजनाएं नौंवी योजना तो क्या 15वीं योजना में भी पूरी नहीं होंगी। इसलिए कि बजट में अनुमान जितना लगाया जाता है, उतना पैसा इन योजनाओं के लिए नहीं रखा जाता। अगर इस काम के लिए 75 प्रतिशत रुपया बैंको में अनुमानित एस्टीमेट के रूप में जमा कर दिया जाए तो ये योजनाएं पूरी हो जाएंगी, वरना पचास बरस में भी पूरी नहीं होगी। इससे सारे क्षेत्र के किसानों की आशाओं पर पानी फिर गया है।

हमारे यहां कोनार नहर परियोजना जो कि 11 करोड़ रुपये की योजना थी, अब तक इस पर 88 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं, लेकिन काम पचास फीसदी भी पूरा नहीं हुआ। सरकार को इसके लिए एकमुश्त राशि देनी चाहिए। वहां लोग धरना दे रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं। इसी तरह सोन नहर परियोजना 122 बरस पुरानी योजना है, यह अंग्रेजों के समय में बनी थी। आज तक इसका जीर्णोद्धार नहीं हुआ। यही कारण है कि इससे रोहतास, औरंगाबाद, पलामू आदि दस जिले सिंचाई के अभाव में बर्बाद हो रहे हैं। अगर इसका जीर्णोद्धार नहीं किया गया तो समूचा क्षेत्र नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही कदवन जलाशय योजना, दुर्गावती योजना और कनहर योजना को शीघ्र पूरा नहीं किया गया तो दस जिले बाढ़ग्रस्त हो जाएंगे। इसलिए इन पर शीघ्र ध्यान देना चाहिए।

[अनुवाद]

डा० के०पी० रामालिंगम (तिरुमेनगोडे) : सभापति महोदय मैं, बजट के बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगा।

इस समय बजट 1997 पर चर्चा हो रही है। परन्तु इस वर्ष यह औपचारिकता मात्र नहीं है। यह राजस्व और व्यय के विवरणपत्र से कहीं अधिक है। यह केवल लेखे और कर तक ही सीमित नहीं है। इसमें मनुष्य के लिए एक संकलन और वादा है। हमारे नेता माननीय वित्त मंत्री जो प्रस्तुत किया है वह बजट से कहीं अधिक है। बल्कि उन्होंने कमाल का काम किया है। समृद्धि की दिशा में व्यापक परिवर्तन किए गए हैं और इससे लोगों में काफी बदलाव आया है। आर्थिक सुधारों के लोगों में काफी बदलाव आया है। आर्थिक सुधारों के कटु आलोचकों ने भी इसका स्वागत किया है। सबसे अधिक आश्चर्य की बात यह है कि इसे "दशक का सर्वोत्तम बजट" माना गया है।

आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया 1986-87 में आरम्भ हुई और 1997-98 में लगभग पूरी हुई। इसलिए हमारे वित्त मंत्री की सभी लोगों द्वारा प्रशंसा की जा रही है। अब निर्धन, किसान सरकारी कर्मचारी, निगमित व्यक्ति, धनी निर्यातक, आयातक सभी खुश हैं। इस बेहतरीन बजट को देखने के बाद विपक्ष की बोलती भी बंद हो गई। विपक्ष के माननीय नेता अटलजी को भी इसकी आलोचना करने के लिए सही शब्द नहीं मिला। उनका कहना है कि इस वर्ष का बजट गुलाब के फूल जैसा है और इसमें कांटे भी हो सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि सफलता कठिनाई से ही मिलती हैं। गुलाब के पौधे में कांटों का होना सर्वविदित है परन्तु लोग इन कांटों से बचना भी जानते हैं। लोग गुलाब के फूल को हमेशा ही पसंद करते हैं। इसलिए अटलजी इस बजट की किसी अन्य वस्तु से तुलना नहीं कर सकते।

गुलाब के फूल को कोई अन्य संज्ञा दिए जाने पर भी यह गुलाब का फूल ही कहलायेगा।

अपराह्न 9.00 बजे

महोदय, यह हमारी बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए पुष्पांजलि है। जिसे माननीय वित्त मंत्री ने अर्पित किया है। मेरे अग्रज ने संयुक्त मोर्चा सरकार को यह पहला पूर्ण बजट प्रस्तुत किया है।

श्री संतोष मोहन देव : अग्रज ?

डा० के०पी० रामालिंगम : जी हां वे मेरे अग्रज हैं।

देश की जनता और पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है कि 13 अथवा 14 दलों की सरकार किस तरह से शासन चलायेगी और ऐसी सरकार भला अच्छा बजट कैसे प्रस्तुत कर पाएगी। हमारे माननीय वित्त मंत्री के सहयोग से हमने असम्भव कार्य को भी सम्भव बनाया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि केवल जनता ही नहीं अपितु सरकार में शामिल सभी पार्टियां भी खुश हैं डी०एम०के० ने अपना आदर्श लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। इनका लक्ष्य था "राज्य को स्वायत्तता और राज्यों को अधिक शक्तियां उपलब्ध कराना" और अब यह वास्तविकता हो गई है। केंन्द्र में सरकार बनाने में डी०एम०के० ने जब कभी भी बीड़ा उठाया उसने अपने कर्तव्यों को पूरा किया। सत्तर के दशक में जब इन्दिरा गांधी ने डी०एम०के० के समर्थन से सरकार बनायी थी ··· *(व्यवधान)* उस समय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और लोगों तक बैंक की सेवा पहुंची। अस्सी के दशक में जब श्री वी०पी० सिंह ने डी०एम०के० के समर्थन से सरकार बनाया तो उस समय मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई और लोगों को राजनीतिक शक्ति मिली है। अब नब्बे के दशक में जब हमने सरकार बनाया है तो हमारे प्रिय श्री पी० चिदम्बरम वित्त मंत्री बने और हमारे नेता श्री मुरासोली मास उद्योग मंत्री बने तथा लोगों को आर्थिक शक्ति प्राप्त हुई ··· *(व्यवधान)*

महोदय, आधुनिक भारतीय विकास के इतिहास में 28 फरवरी, 1997 स्वर्णाक्षरों से अंकित होगा। यह चमत्कार जैसा है। आज दुनिया के लोग चकित है वे यह कैसे कर पाए ? भारत की जनता अब माननीय प्रधानमंत्री और माननीय वित्त मंत्री की प्रशंसा कर रही हैं जनता के लिए अब अनुकूल समय आ गया है।

सभापति महोदय : डा० रामालिंगम कृपया अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

डा० के०पी० रामालिंगम : एक समय जो आशा की जा रही थी वह इस वर्ष के बजट से पूरी हो गई। मुद्रास्फीति के दो गुना हो जाने की आशंका थी और सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट बताया जा रहा था। तथा घाटा में अधिक वृद्धि का भी संकेत दिया गया था। केवल एक ही पटल से ये सभी अटकलबाजियां दूर हो गई और हमारी आर्थिक स्थिति भी सुधर गई। निर्धन लोग प्रसन्न है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि नहीं हो रही है। मध्यम वर्ग के लोग बहुत खुश हैं। उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें कम हुई हैं। यह एक असामान्य स्थिति है। कि प्रत्यक्ष कर ढांचे का विस्तार किया गया है और कर की दरें कम की गई हैं इसके परिणामस्वरूप निगमित क्षेत्र और आयकर दाताओं को राहत मिली है। प्रसन्नता की लहर भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में देखी जा सकती है। अकस्मात् भारत की अर्थव्यवस्था, जो विश्व की दस विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में एक है, अत्यंत आकर्षक बन गई है। निवेशक अत्यंत प्रसन्न है कि अब भारत एक प्रगस्पर्धी देश बन गया है। अर्थव्यवस्था में प्रगति हुई है और आशा जागी है।

राज्यों को और अधिक वित्तीय शक्तियां प्रदान करना ही डी०एम०के० लंबे समय से मांग कर रही है। जो डी०एम०के० चाह रही थी वह अब पूरी होगी। हमारे वित्त मंत्री ने डी०एम०के० के सपनो को एक नया रूप दिया है। उन्होंने यह संकेत दिया है कि सभी केन्द्रीय राजस्व और वित्तीय राजस्व का केन्द्र और राज्यों के बीच उचित बंटवारा किया जायेगा।

सभापति महोदय : अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

डा० के०पी० रामालिंगम : वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट की केन्द्र सरकार की सभी पार्टियों द्वारा सराहना की गई है। वे बाजार के रूख को भी समझते हैं। इसलिए स्टाक सूची भी बढ़ रही हैं। इससे निगमित क्षेत्र संतुष्ट है कि इससे बेहिसाब कर राजस्व के संग्रह की सम्भावना है।

उत्पाद और सीमा शुल्क में कटौती से व्यापारी वर्ग अधिक आशान्वित हैं। लोगों तक उपभोक्ता वस्तुएं कम कीमतों पर पहुंच रही है। सामाजिक क्षेत्र पर उचित ध्यान दिया जा रहा है। सुधारोपाय जो धीरे-धीरे लागू हो रहे थे अब नीचे तक पहुंच रहे हैं और इससे जनता संतुष्ट है।

पश्चिमी देश पूर्व के 'उगते सूरज' को देख रहे हैं। इस वर्ष के बजट से सभी को कुछ न कुछ लाभ पहुंचा है। यह बजट हमारी अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र के लिए सब कुछ उपलब्ध कराता है। उदारीकृत अर्थव्यवस्था निर्यात को बढ़ावा देता है और आयात पर प्रतिबंध हटाता है।

अब कृषि क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। भारतीय उद्योग जो प्रतियोगिता का लाभ मिला है उससे निर्यात में वृद्धि होगी। निर्यात संवर्द्धन पर ध्यान देते समय हमारे वित्त मंत्री कृषि उत्पाद क्षेत्र की आवश्यकताओं पर भी ध्यान देंगे।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बताया है कि भारत ने अपनी कृषि-अर्थव्यवस्था का बाजार खोल दिया है ··· *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : डा० रामालिंगम ध्यान रखिए कि यह आपका अंतिम प्रश्न है। अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

डा० के०पी० रामालिंगम : महोदय अब मैं जनता की समस्याओं के बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। अब तक तो मैं सरकार की प्रशंसा कर रहा था।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात एक मिनट में कहकर समाप्त कीजिए।

डा० के०पी० रामालिंगम : जी हां।

कपास और पटसन में वृद्धि हो रही है। खाद्यान्नों पर पहले से ही प्रोत्साहन दिया जा रहा है। परन्तु यह प्रोत्साहन अब तक प्रतिबंधित वस्तुओं पर भी दिया जाना चाहिए।

मसाले, पादप और हमारे जंगलों से प्राप्त वन्य फलों से विदेशी मुद्रा

[श्री के०पी० रामालिंगम]

अर्जित की जानी चाहिए। चंदन की लकड़ी जैसे अन्य वन्य सम्पदा की नियति पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता नहीं हैं मैं यह ध्यान दिलाना चाहूंगा कि चंदन की लकड़ी पर प्रतिबंध से हमारे देश को भारी हानि हो रही है। मैं अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कुछ सुझाव देना चाहूंगा। यदि वित्त मंत्री मिनरल वाटर पर अतिरिक्त कर लगा सकते हैं। वे हमारे देश का दोहन कर रहे हैं और यह उद्योग फल फूल रहा है। इसलिए वे मिनरल वाटर पर अतिरिक्त कर लगा सकते हैं।

नकारात्मक भविष्यवाणी करने वाले भी यह स्वीकार करते हैं इन बजट प्रस्तावों से बेहतर परिणाम होंगे। वे सिर्फ 'यदि' और 'परन्तु' का सहारा ले रहे हैं। हमारे वित्त मंत्री उनकी सभी शंकाओं को निर्मूल साबित कर देंगे। वे कहते हैं कि मंत्री महोदय जोखिम उठा रहे हैं। परन्तु यह जोखिम सोचा समझा है। हम इसे एक साहसपूर्ण निर्णय कहते हैं। यह बजट साहसपूर्ण और सटीक है। हम इस बजट का स्वागत करते हैं और इसका समर्थन करते हैं। यह उसकी एक और उपलब्धि है। यह हमारे देश के लिए गर्व की बात है। सुविख्यात तमिल सन्त श्री तिरुवेल्लार ने कहा है कि :

"उदनै इदनाल इवेनमुडीखेन एंडरैदू
अदनै आवकन विडाल"

अर्थात् उस व्यक्ति को ढूंढो जो बेहतर ढंग से कार्य कर सकता है और उस व्यक्ति को यह कार्य करने की शक्ति सौंप दो।"

जनता ने यह अधिकार हमारे वित्त मंत्री को दिया है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हम इसका सम्मान करते हैं और हम सभी इसका स्वागत करते हैं।

श्री विजय हाण्डिक (जोरहाट) : सभापति महोदय, मैं कुछ आपत्तियों के साथ बजट का समर्थन करता हूं। तथापि, मैं बजट की सराहना के साथ अपनी बात आरंभ करता हूं।

आरंभ में, वित्त मंत्री ने एक ऐसी स्थिति का उल्लेख किया है जिसमें क्षेत्रीय दल, राष्ट्रीय अस्तित्व वाले कुछ दलों के साथ मिल गए हैं। क्षेत्रीय दलों के गुणों तथा अवगुणों पर विचार किये बिना, मैं जिस बात पर जोर देना चाहूंगा और जिसकी सराहना करना चाहूंगा वह यह है कि राष्ट्रीय विकास में क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को मान्यता मिली है। संघीय नीति का मूल तत्व यही है। अंतर-राज्यीय परिषद तथा राष्ट्रीय विकास परिषद के माध्यम से बजट की मुख्य बातों पर मुख्यमंत्रियों की सहमति प्राप्त करना शासन की विशिष्टता होनी चाहिए।

जब मैं कृषि संबंधी विकास के प्रश्न पर बात करता हूं, तो मेरी सराहना मिली-जुली रहती है। वित्त मंत्री ने किसानों के लिए अपनी चिंता उचित ही व्यक्त की है। लेकिन व्यक्त की गई अपनी इस चिंता को दूर करने के लिए उन्होंने पर्याप्त धन की व्यवस्था नहीं की है। उदाहरण के लिए सिंचाई परियोजना को पूरा करने के लिए उन्होंने केन्द्रीय सहायता राशि में नाममात्र की वृद्धि भी है। सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण के लिए दी जाने वाली धनराशि में अत्यधिक कमी की गयी है और यह 1248 करोड़ रुपये से घटाकर 323 करोड़ रुपये कर दी गयी है। इस तरह किसान अपना उत्पादन कैसे बढ़ा पायेंगे ?

वित्त मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : इसका तात्पर्य है आप ने बजट का अध्ययन अच्छी तरह नहीं किया है। मैं स्वयं तथा श्री जनेश्वर मिश्र पहले ही इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि गत वर्ष ए०आई०बी०पी० धनराशि को केन्द्रीय योजना में सम्मिलित कर दिया गया था। इस वर्ष उसी धनराशि को राज्य योजना में रखा जा रहा है। इसलिए, इसे केन्द्रीय योजना में नहीं दर्शाया जायेगा। इससे लगता है कि इसमें कमी की गयी है, लेकिन यदि आप राज्य योजना पर दृष्टि डालें, तो पायेंगे कि उसमें 1,300 करोड़ रुपये की वृद्धि की गयी है।

सभापति महोदय : मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह इन मामलों का उत्तर, उत्तर देने के समय ही दें।

श्री पी० चिदम्बरम : सामान्यतया, मैं इसमें व्यवधान नहीं पहुंचाऊंगा लेकिन कल को यह प्रेस में नहीं आये कि इसमें भारी कमी की गयी है ... *(व्यवधान)* मैं व्यवधान नहीं पहुंचा रहा हूं।

सभापति महोदय : मैंने यह नहीं कहा कि आप व्यवधान पहुंचा रहे है।

श्री विजय हाण्डिक : ब्रह्मपुत्र नदी में सैकड़ों दरारें हैं तथा इसकी सहायक नदियां जीवन और संपत्ति को खतरे में डाल रही हैं और यहां के हरे-भरे विशाल खेतों को मरूस्थल में परिवर्तित कर रही हैं क्योंकि बाढ़ के साथ बड़ी मात्रा में रेत बहकर आ जाती है और हमें इससे बचने की कोई आशा नही दिखती। मैं नहीं जानता कि वित्त मंत्री ने क्या बताया है लेकिन अभी-अभी उन्होंने इसमें व्यवधान खड़ा किया हैं.यदि उन्होंने वास्तव में राज्य योजना में इसके लिए धन की व्यवस्था की है, तो मेरी समझ से इन समस्याओं का समाधान हो जाना चाहिए।

यदि ऐसा है, तो मैं इसकी सराहना करता हूं। यदि ऐसा नहीं है, तो मैं अपनी मांग पर दृढ़ हूं। सत तो यह है कि केन्द्रीय योजना में की गयी वृद्धि बहुत कम है और इसी से इसकी कमी स्पष्ट होती है। वर्ष 1996-97 के 87,088 करोड़ रुपये के मुकाबले वर्ष 1997-98 के लिए केन्द्रीय योजना व्यय 91.839 है। जो सर्वाधिक आश्चर्यचकित करने वाली बात है वह यह है कि ग्रामीण विकास के लिए इसमें केवल 171 करोड़ रुपये की वृद्धि की गयी है।

महोदय, अब मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि बजट पर मेरी कुछ आपत्तियां क्यों है। इस बजट को कुछ समालोचकों द्वारा निर्धन-विरोधी या धनवान समर्थक बताया गया है। ठीक है, हम इसे निर्धन-विरोधी नहीं कहते, लेकिन यह धनवानों का समर्थन अवश्य करता है। यदि हम जितना कुछ अमीरों को दिया गया है इस पर विचार करें तो यह और कुछ नहीं अपितु समाज के मात्र सम्पन्न वर्ग को खुश रखने का प्रयास है। सम्पन्न वर्ग का ऐसा कोई तबका नहीं है जो इस बजट से लाभान्वित नहीं हुआ हैं और यह लाभ गैर-वेतनभोगी धनाढ्य वर्ग को सर्वाधिक प्राप्त हुआ है। उनको लगभग 5000 करोड़ रुपये की रियायतें दी गयी हैं। यदि इस बजट से कोई वर्ग वास्तव में खुश है तो वह है निगम क्षेत्र। निगम कर में 5 प्रतिशत की कमी करके तथा 7.5 प्रतिशत अधिभार को समाप्त कर, अर्थात् कुल 12.5 प्रतिशत की राहत देकर वित्त मंत्री ने चरणबद्ध ढंग से निगम कर घटाने का प्रयास किया है सर्वाधिक कम है। लेकिन वह चाहते हैं कि निगम

क्षेत्र को एक ही बार में सारा लाभ हो जाये।

यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इसमें 10,000 करोड़ रुपये की भारी कमी की गयी है विशेषकर ग्रामीण विकास, सामाजिक सेवा, शिक्षा, कृषि, सिंचाई, बाढ नियंत्रण, ऊर्जा तथा यातायात के क्षेत्र में। ये सभी क्षेत्र हमारे देश के अधिकतर लोगों की रोजी-रोटी पर प्रभाव डालते हैं।

और जैसे कि धनाढ्यों को दिया गया लाभ पर्याप्त नहीं है, कर अवश्यको क्षमादान दिया गया है। क्षमादान योजनाएं विगत में पूरी तरह असफल रही हैं। ऐसी योजनाओं से अल्प धन ही एकत्र किया जा सका है। इसके अतिरिक्त इन योजनाओं ने ईमानदार तथा कानून का पालन करने वाले व्यक्तियों को निराश किया है तथा कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को गलत संदेश दिया है। इन योजनाओं ने बेईमानी को बढ़ावा दिया हैं। हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि काला धन एक ऐसी मनःस्थिति है जो राज्य के अधिकार को चुनौती देती है। कुछ भी हो, कराधान पूरी तरह से एक नैतिक कार्य है। राज्य की वैधता के लिए करारोपण तथा कर एकत्र करने का अधिकार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तथा जो उसके इस वैध अधिकार को मानने से इनकार करता है राज्य उसे दंडित करने में समर्थ है।

महोदय, अपनी बात समाप्त करने से पहले यह कहना चाहूंगा कि हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान देना होगा। वित्त मंत्री राहत कार्यों के लिए आवश्यक धन कहां से जुटायेंगे। जब तक पूरा निगमित क्षेत्र उच्च लाभ नहीं दर्शाता, निगम क्षेत्र में 20 प्रतिशत की कमी करना एक तरह से जुआ ही साबित होता। विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है कि वितरित लाभों पर 10 प्रतिशत कर का समायोजन करने के पश्चात कर प्रस्तावों में लगभग 10,000 करोड़ रुपयों की हानि हो सकती है।

पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का तात्पर्य होगा 11,320 करोड़ रुपये का व्यय 1997-98 में ब्याज अदायगी की राशि 68 हजार करोड़ रुपये होगी। क्या 1997-98 में 4.5 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद के साथ इतनी बड़ी मात्रा में गैर-योजनागत व्यय वित्त मंत्री को वित्तीय घाटे को संतुलित रखने में सहायता देगा। इसी तरह, संभावित वृद्धिदर को भी सच नहीं माना जा सकता। इस प्रकार ऐसे बहुत से कारण हैं जो वृद्धि दर को कम कर सकते हैं तथा वित्त मंत्री की राजस्व एकत्रित करने की महत्वाकांक्षा को प्रभावित कर सकता है।

इनमें से सर्वाधिक स्पष्ट है तेल पूलखाता में कमी जो इस बजट से बाहर हो सकती है लेकिन अर्थव्यवस्था से बाहर नहीं। तेलपूल खाते से बढ़ती जा रही वकाया धनराशि ने तेल कंपनियों को बड़ी मात्रा में धन उधार लेने के लिए बाध्य किया है और इस स्थिति का बहुत अधिक समय तक जारी नहीं रखा जा सकता। यदि इसके कारण पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें बढ़ती हैं, तो इससे वे संसाधन ही समाप्त हो जायेंगे जो कर में दी गई रियायतों से कंपनियों को प्राप्त होते हैं।

पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि का प्रभाव पूंजी बाजार पर भी पड़ेगा। इसलिए, अनुमानों पर बारीकी से गौर करने पर पता चलता है। कि इस विषय पर बहुत ही ध्यान से सोचने की जरूरत है। यह बहुत सारी संभावनाओं और उन संभावनाओं के पूरे होने तथा उनके सामंजस्यपूर्ण कार्य करने पर निर्भर करता है। मैं नहीं समझ पा रहा कि मंत्री महोदय के पास क्या जादू-मंतर है। मैं वित्त मंत्री महोदय को शुभकामनाएं देता हूं। ऐसा लगता है कि वह धुआं उड़ाते हुए कल्पना लोक में विचारण कर रहे हैं। अच्छा हुआ दिल्ली सरकार ने धूम्रपान निषेध कर दिया है।

सभापति महोदय : श्री पी० तीर्थरामन।

श्री पी० तीर्थरामन (धरमपुरी) : महोदय, ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : क्या आपने सचिवालय को इस आशय की सूचना दी थी कि आप तमिल में बोलेंगे।

श्री पी० तीर्थरामन : जी, हां। ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मेरी समझ से भाषांतरकार नहीं है। हम उसकी व्यवस्था कर लेंगे। आप कृपया बाद में बोलें। श्री अलागिरि सामी।

श्री सामी वी० अलागिरी (शिवकाशी) : महोदय, मैं भी तमिल में बोलूंगा।

सभापति महोदय : लेकिन अभी भाषांतरकार नहीं है। उसे बुलाया जा रहा है। भाषांतरकार कहां है ? यदि उसे सूचित कर दिया गया था तो उसे यहां होना चाहिए था। ले० जनरल प्रकाशमणि त्रिपाठी।

[हिन्दी]

लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया) : मैं कल से इंतजार कर रहा हूं कि आप हमें भी सुनेंगे। मैं केवल तीन बिंदुओं पर बात करूंगा। आपका पैरा 92 है जिसमें आपने वालंटरी डिस्कलोजर स्कीम का जिक्र किया है। वामपंथियों की आपको दो देन हैं एक तो यही और दूसरा PDS, लेकिन उनका योगदान इस मामले में बहुत गलत रहा है।

[अनुवाद]

यह नैतिक प्रश्न ही नहीं है, बल्कि खराब अर्थव्यवस्था है।

[हिन्दी]

मेरे ख्याल में इससे काला-धन बंद नहीं होगा बल्कि उसको बढ़ावा ही मिलेगा और किसी भी तरह से आर्थिक व्यवस्था को सुधारने में यह योगदान नहीं देगा। हम इसका घोर विरोध करते हैं।

दूसरी बात यह है कि अलग-अलग क्षेत्रों में और हमारे आर्थिक विकास में जो असमानता की खाई बढ़ रही है इस पर आपको गौर करना होगा। मंत्री जी मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि किसानों के लिए इस बजट में उतना नहीं किया गया है जितना किया जाना चाहिए था। किसान ही पूरे देश में व्यापक मात्रा में हैं। अगर उनकी बढ़ोत्तरी होगी तो हर हालत में जो इलाके पीछे हैं और जो प्रधान क्षेत्र है, वे आगे आएंगे। इससे समृद्धता बढ़ेगी। मैं आपको याद दिला दूं कि हम अब भी मानसून पर टिके हुए हैं। पिछले सात साल से अच्छा मानसून हो रहा है। एक साल अगर खराब मानसून हो गया तो पैसा और बाकी सब कुछ होते हुए भी आपकी आर्थिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। आप इस पर गौर करें क्योंकि मैं देख रहा हूं कि सिंचाई के लिए बहुत कम धन दिया गया है और किसानों की बढ़ोत्तरी के लिए बहुत कम धन दिया गया है।

[लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी]

मैं आपका ध्यान खास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाकों की तरफ दिलाना चाहता हूं। आप राज सुनते हैं कि वहां दंगे-फसाद हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है आपने ऐसा कोई आर्थिक व्यवस्था में तरीका नहीं निकाला जिससे इन इलाकों का ऐसा विकास कर सके जिससे यहां कि व्यवस्था सुधर सके। यह दूसरी जगहो से ज्यादा खराब नहीं है! आपको इसमें एक खतरे की घंटी सुननी चाहिए। वह देश जो कि काफी खाद्यान्न पैदा कर रहा था, जो निर्यात करने की सोच रहा था, आज आयात कर रहा है। कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी बिल्कुल नहीं हुई है। यह एक बहुत चिन्ता का विषय है। आप इस पर खास तौर से ध्यान दें। मैं खास तौर से इस बात को बताना चाहता हूं कि 1980-81 में कृषि के लिए 1796 करोड़ रुपए रखे गए। 1994-95 में 1095 करोड़ रुपए रखे गए। 60 लाख टन की गिरावट आ गई। यह बड़ी खतरे की घंटी है। हम वापस उस समय में जा रहे हैं जब हम बाहर से पीएल 480 लेकर आए थे। अगर यह हालत हो गई तो आप चाहे कितना कुछ कर लें, चाहे कितनी इंडस्ट्रीज या व्यापार को बढ़ा लें, चाहे कितना पूंजी निवेश कर लें, कोई फायदा नहीं होगा। खास तौर से कोस्टल एरिया और बीच के एरियाज में जो विषमता आ रही है, उसको दूर करने का आपके पास कोई तरीका नहीं है।

सभापति महोदय, मैं पांच मिनल एक और सबजैक्ट पर बोलूंगा जिस पर कोई नहीं बोला है और वह है सुरक्षा के लिए बजट।

सभापति महोदय : आपको पांच मिनट एलाट हुए हैं। आपने अपने लिए पांच मिनट कैसे एलाट कर लिए।

लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी : इसलिए कि जिन को 26 मिनट दिए जाते हैं, वे 47 मिनट तक बोले हैं।

सभापति महोदय : आप संक्षेप में अपनी बात कहें।

लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी : मैं बहुत संक्षिप्त बता रहा हूं।

वित्त मंत्री जी को सुरक्षा के मामले में ठीक से ब्रीफ नहीं किया जाता है। आपको मिनिस्ट्री आफ डिफेंस ब्रीफ करती है। आपको सेनाएं ब्रीफ नहीं करती हैं। 1988 से लेकर आज तक बजट में 21 परसैंट की गिरावट आई है। आपने पैसा जरूर दिया, हम उसके आभारी हैं लेकिन यह जो गिरावट है, मैं उसको समझाना चाहता हूं और वह यह है कि इस गिरावट को ऊपर ले जाने के लिए एक बजट से नहीं होगा, दो बजट से नहीं होगा क्योंकि आप यह ध्यान रखें कि 1962 में जिस स्तर पर थे, वहां से उसे बनाना शुरू किया तो 1965 में एक स्तर पर आए और 1971 में उस स्तर पर आए कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था ठीक हुई। इस समय 2.4 परसैंट जी०डी०पी० सुरक्षा के लिए दे रहे हैं जबकि वह पाकिस्तान में सात परसैंट है, चीन में आठ परसैंट है। मैं यह नहीं कहता कि आप 6-7 परसैंट चले जाएं लेकिन हमारी जी०डी०पी० का तीन परसैंट तक बजट में डालने की कोशिश करें और लगातार एक-दो-तीन बजटों में करें क्योंकि इतना ज्यादा सेनाओं में बकाया हो गया है कि उसको ऊपर लाने के लिए आपको खास चिन्ता करनी पड़ेगी। खासतौर पर कोशिश करनी पड़ेगी। मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं कि अभी पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने वाली है। यह बात पहले कही जा चुकी है। इस रिपोर्ट ने सुरक्षा सेनाओं के मनोबल को गिरा दिया है। मैं यह आपकी सूचना के लिये कह रहा हूं इस पर आप विशेष ध्यान दें क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स इस कमीशन के मैम्बर थे, आज दुबारा इस रिपोर्ट को क्रियान्वयन करने के लिये एक कमेटी बनाई गयी है, उसके मैम्बर्स हैं। मेरा विश्वास है कि भारतीय सेनाओं के साथ न्याय नहीं किया जायेगा। इसलिये खासकर इस बात पर ध्यान देने के लिये कह रहा हूं।

सभापति महोदय, यह बजट किसान विरोधी और गरीबों का विरोधी होने के कारण मैं इसका घोर विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

श्री वी० प्रदीप देव (पार्वतीपुरम) : सभापति महोदय, बजट 1997-98 पर गौर करने के बाद मैंने यह देखा है कि माननीय मंत्री ने इस बात का ध्यान रखा है कि विश्व भारती के बजट की प्रतीक्षा कर रहा है; परन्तु वह यह भूल गये कि हजारों, लाखों भूखे लोगों को भी, जो कि भारतीय हैं, इस बजट का इन्तजार है।

इस बजट पर मेरी टिप्पणियां निम्नलिखित पांच विस्तृत श्रेणियों पर आधारित होंगी :-

पहले मैं कर कटौतियों से होने वाले लाभ की चर्चा करता हूं। यह क्षेत्र सभी व्यावहारिक कारणों से, इस बजट की मुख्य विशेषताएं प्रतीत होती हैं। सभी आय वर्ग के लोगों के लिये कर में कमी होती रही है। फिर भी इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि इस प्रावधान से उच्च आय स्लैब वालों को सर्वाधिक लाभ उन लोगों को होगा जिनकी मासिक आय 5,010 रुपए होगी और जो विगत में 12.50 रुपए की तुलना में 8.30 रुपए प्रतिमाह आयकर के रूप में देंगे और यह बचत में 4 रु० प्रति माह की वृद्धि होगी। दूसरी ओर कर में कटौती के नये प्रावधानों के अनुसार 25,000 रु० की मासिक आय वाले व्यक्ति को लगभग 2,300 रु० प्रति माह की बचत होगी। यह राशि कम आय स्लैब वाले की तुलना में 575 गुणा अधिक है। निम्न आय स्लैब वाले व्यक्ति और उच्च आय स्लैब वाले व्यक्ति के बीच बढ़ता हुआ अन्तर निसंदेह बहुत अधिक हो जाएगा। क्या यही प्रगतिशील कराधान है ? लगता है कि माननीय वित्त मंत्री का ऐसा ही विश्वास है। सभापति महोदय, कृपया यह बात नोट कीजिए कि मैंने 25,000 रु० से अधिक मासिक आय वाले व्यक्ति के मामले में आंकड़ों पर विचार नहीं किया है।

अब मैं स्वैच्छिक घोषणा योजना का उल्लेख करता हूं। इस योजना में काले धन को सफेद धन में बदलाने की दर वही है चाहे वह राशि कितनी भी हो। इसका अर्थ यह है कि हजारों रुपये का गबन करने वाला व्यक्ति उसी दर पर भुगतान कर रहा है जिस दर पर लाखों रुपये का गबन करने वाला व्यक्ति कर रहा है। ऐसा लगता है कि कर में कटौती के कारण उत्पन्न असमानता पर्याप्त नहीं थी इसलिए लोगों को इन विषमताओं को भी स्वीकार करना होगा। इस योजना द्वारा उन ईमानदार करदाताओं को ठगा जाता है। जो यह महसूस करते हैं कि यदि उन्होंने पहले 60, 50 अथवा 40 प्रतिशत का भुगतान नहीं किया तो उसे जमा धन पर केवल 30 प्रतिशत ही कर भुगतान करना पड़ेगा। इसके लिए एक मजबूत

प्रणाली होनी चाहिए।

तीसरी बात सामाजिक खर्च के बारे में है। जैसा कि पहले चर्चा की जा चुकी है, इन कर उपायों से 5 प्रतिशत आबादी प्रभावित नहीं होगी। 95 प्रतिशत के लिये हमारे पास तथ्य यह है कि संयुक्त मोर्चा सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये खर्च किया है जो कि वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 1996-97 के बजट में विकास के लिए उपलब्ध कराई गयी धनराशि से कम है। वस्तुतः सामाजिक व्यय में कोई ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है, मेरा अभिप्राय यह है कि बजट में दर्शाये गये तथ्य के अनुसार, सामाजिक व्यय के अन्तर्गत लक्षित क्षेत्र ग्रामीण मामले और रोजगार है। तथापि, इसमें आबंटित धनराशि पिछले बजट के संशोधित अनुमानों की तुलना में 1,200 करोड़ रु० की वृद्धि दर्शाती है। वस्तुतः वर्ष 1996-97 के बजट अनुमानों की तुलना में यह वृद्धि केवल 700 करोड़ रुपये है।

यह कर रियायत के संदर्भ में धनी व्यक्तियों द्वारा बचायी गयी राशि का पांचवां और सातवां भाग ही है। मुद्रास्फीति और अन्य सम्बद्ध पहलुओं के संबंध में, जब संयुक्त मोर्चा सरकार सत्ता में आई तो तेल पूल के खाते में लगभग 5000 करोड़ रुपये का घाटा था, और अब यह बढ़कर 15,000 करोड़ रुपये हो गया है। सरकारी संसाधनों द्वारा इस अन्तर को समाप्त करने की संभावना बहुत कम है। अतः तेल के मूल्यों में वृद्धि की संभावना है और इससे मुद्रास्फीति की दर भी बढ़ेगी। इससे औद्योगिक उत्पादन की लागत बढ़ेगी और इससे अनेक अन्य क्षेत्र भी प्रभावित होंगे। यदि ऐसा होता है तो वर्तमान बजट की उपलब्धियां गंभीर रूप से प्रभावित होंगी।

निर्यात और आयात के सम्बन्ध में, मेरा कहना है कि निर्यात विकास दर लगभग 20 प्रतिशत से घटकर लगभग 6 प्रतिशत हो गयी है। यदि तेल आयात जो कि आयात का 41 प्रतिशत बनता है को शामिल नहीं किया जाये तो आयात दर 25 प्रतिशत से घटकर लगभग 4 प्रतिशत हो गयी है, इस बजट में ऐसा कुछ नहीं है जिससे निर्यात और आयात विकास दर में अधिक वृद्धि हो।

इन बातों के अलावा बजट में पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी अनेक ऐसी बातें हैं जिन्हें कार्यान्वित करने में कठिनाइयां होंगी जिसमें वस्तुओं की खरीद अत्यन्त कठिन हो जाएगी और तदनुसार मूल्यों में वृद्धि उजागर किए जाने योग्य दूसरा पहलू यह है कि हमारी कर दर को आसियान देशों के समतुल्य कैसे किया जाए। हम अपने देश की साक्षरता दर स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं की समानता उनसे कैसे करें। ऐसा प्रतीत होता है कि संयुक्त मोर्चा की सरकार उल्टी बात कर रही है। हमारी नीतियां हमारी वास्तविकताओं के अनुरूप होनी चाहिए तथा हमारा विकास सचमुच भारतीय हो। मृगतृष्णा से कोई लाभ नहीं होगा। अब यह समय आ गया है कि हम आन्तरिक रूप से विकसित होकर बाहर का विकास करें न कि बाहर का विकास कर अन्दर के विकास का प्रयास करें। अपनी खामियों को छिपाने के लिये भूमण्डलीकरण का जामा पहनने का कोई औचित्य नहीं हैं। हमें अपना काम खुद करना होगा।

अन्त में, मैं यह महसूस करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री ने कीमत पर ध्यान दिये बगैर आगे बढ़ने की ठान ली है अथवा हो सकता है, वह किसी भी कीमत पर यह काम करना चाहते हों।

*श्री पी० तीर्थरामन (धर्मपुरी) : माननीय सभापति जी, इस सभा में केन्द्रीय बजट 1997-98 में आरम्भ हो चुकी चर्चा में भाग लेने के लिये मुझे अवसर प्रदान करने के लिये आपको धन्यवाद देता हूं। आज हम अपनी आजादी की स्वर्ण जयन्ती मना रहे हैं। इस सभा में अनेक वित्त मंत्रियों ने बजट प्रस्तुत किया है। हमारे वित्त मंत्री उनसे अलग हैं और इसलिये उन्होंने एक अन्यन्त प्रशंसनीय बजट प्रस्तुत किया है। वे सभी वित्त मंत्री यां तो पूर्ण बहुमत वाली पार्टियों में से थे अथवा सबसे बड़ी पार्टी से संबद्ध थे। वे अपनी-अपनी पार्टियों के अर्थशास्त्रियों के साथ विचार-विमर्श कर बजट प्रस्तुत करने में समर्थ थे। परन्तु वर्तमान सरकार अपनी ही तरह की सरकार है। तेरह विभिन्न पार्टियों जिनकी अपनी-अपनी नीतियां और अपनी-अपनी विचारधाराएं हैं, उन्होंने मिलकर केन्द्र में सरकार का गठन किया है। चूंकि यह समय की मांग है, राष्ट्र हित में उन्होंने एक साथ मिलकर और बाहर से कांग्रेस का समर्थन लेकर सरकार बनायी है। प्रत्येक दल ने अपना उचित क्षेत्र निर्धारित किया है। उसी सीमा के अन्दर यह बजट तैयार किया गया है।

हमारे माननीय वित्त मंत्री जो एक योग्य प्रशासक हैं उन्होंने अपनी क्षमता और मानसिक कौशल से अपनी ढंग से स्वयं यह बजट तैयार किया है। वह एक ईमानदार व्यक्ति हैं और उन्होंने एक अद्वितीय बजट तैयार किया है जो कई तरह से महत्वपूर्ण है।

उन्होंने एक इतिहास बनाया है और अपने लिए एक स्थान बनाया है।

"इत्पनै इत्पनै इवान मुडिक्कुम येन्दरएिन्यु
अत्सेनै अवन कज विडल"

यह बात महान तमिल संत कवि तिरूवल्लुवार ने कही थी। उन्होंने यह कहा था कि जो कुछ भी कार्य किया जाए पहले उसे आंकना चाहिए और जो व्यक्ति इस कार्य को कर सकता है उसकी क्षमता को आंकना चाहिए और तभी इस कार्य को अपेक्षित तरीके से पूरा करने के लिए उस व्यक्ति को सौंपनी चाहिए। अब हमें हमारे वित्त मंत्री जैसा एक सक्रिय व्यक्ति मिला है जिसे ऐसा बजट तैयार करने और प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है जो हमारे भारतवर्ष में रहने वाले लगभग 90 करोड़ लोगों के भाग्य का फैसला करेगा।

ऐसे वित्त मंत्री को चुनने का श्रेय हमारे योग्य नेता श्री मूपनार को जाता है जो हमारे महान नेता स्वर्गीय कामराज के शिष्य हैं जिन्हें सादगी और ईमानदारी के लिए जाना जाता है। अब मैं श्री मूपनार को धन्यवाद देना चाहता हूं जिनमें हम अपने महान नेता कामराज के दर्शन करते हैं। मेरा यह कर्त्तव्य बन जाता है कि मैं इस समय उनके प्रति अपना आभार प्रकट करूं।

मैं न तो कोई अर्थशास्त्री हूं और न ही कोई वित्तीय विशेषज्ञ हूं जो इस बजट के सकारात्मक और अन्य पहलुओं के बारे में कोई विश्लेषण और टिप्पणी कर सके। सभी भारतीय अर्थशास्त्री हमारे केन्द्रीय वित्त मंत्री प्रशंसा कर रहे हैं और बधाई दे रहे हैं। पश्चिमी देशों के विद्वान और अर्थशास्त्री भी इस बजट की प्रशंसा कर रहे हैं। विश्वभर के वित्तीय विशेषज्ञ भी बजट की प्रशंसा कर रहे है।

*मूलतः तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री पी० तीर्थरामन]

यही कारण है कि यह बजट हमारी अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा प्रदान करेगा। इसको सोच समझकर तैयार किए गए बजट के रूप में प्रशंसा की गई है। यह प्रशंसा के शब्द मेरे दिल से निकले हैं। मैं इस बजट का खुले दिल से स्वागत और समर्थन करता हूं।

विपक्षी दलों के लोग भी इस बजट में कोई दोष नहीं ढूंढ पाए हैं और उन्होंने यह कहा है कि इस बजट को चुनावों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। एक प्रकार से उन्होनें यह स्वीकार किया है कि यह लोगों का बजट है मुझे इस बात पर गर्व और खुशी है। 2,32,171 करोड़ रुपए के बजट के साथ, आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने की अपेक्षा की गई है इसका उद्देश्य गांवों में सुरक्षित पेय जल मुहैया कराना है। गंगा कल्याण योजना का उद्देश्य भूजल और भूतल जल की संभावनाओं का पता लगाना है। कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना से लड़कियों को शिक्षा देने के संबंध में सरकार की प्राथमिकताओं का पता चलता है। सामाजिक क्षेत्र के लिए लगभग 4000 करोड़ रुपए की आंवटित राशि में वृद्धि की गई है। वाहरी विकास योजनाओं को पिछले वर्ष की तुलना में 775 करोड़ रुपए अधिक मिलेंगे। शिक्षा के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 1189 करोड़ रुपए का अधिक आवंटन किया गया। व्यावसायिक प्रशिक्षण और शिक्षा के लिए 132 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि आवंटित की गई है। पेय जल और स्वच्छता के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 312 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि आवंटित की गई है। पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए 4705 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकारी कर्मचारी इस लिए इस बजट का स्वागत कर रहे हैं। उद्योग और व्यापारिक समुदाय के लोग भी बजट के उत्साह-वर्धक पहलुओं का स्वागत करते हैं। श्रमिक वर्ग भी इस बजट का स्वागत करता है जिसमें उनके जीवन स्तर में सुधार लाने की परिकल्पना की गई है। मासिक वेतन पाने वाले लोग भी आयकर की दरों में की गई कटौती पर खुशी जाहिर करते हैं। उन्होंने राहत की सांस ली है।

भुगतान संतुलन की स्थिति संतोषजनक है। हमारे पास विदेशी मुद्रा का पर्याप्त भंडार है। आधुनिक प्रौद्योगिकी का आयात करने की दृष्टि से सीमा-शुल्क में कटौती की गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था का एशियाई क्षेत्र में सम्मानजनक स्थान है। विश्व हमें आश्चर्य की दृष्टि से देख रहा है। माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में केन्द्रीय राजस्व में राज्य सरकारों का हिस्से से संबंधी योजनाओं का उल्लेख किया है। राज्यों के लिए आवंटन में प्रस्तावित वृद्धि से हमें प्रसन्नता हुई है।

शिक्षित लोग, आम आदमी, पत्रकार, उद्यमी, श्रमिक और ट्रेड यूनियन सभी इस वर्ष के बजट की प्रशंसा कर रहे हैं। विदेशी निवेशक भी खुश हैं। समाजवादी और मार्क्सवादी भी इस बजट की मुख्य विशेषताओं की प्रशंसा कर रहे हैं।

यदि हम इस बजट जो प्रशंसा करने योग्य है, की प्रशंसा नहीं करते हैं तो हम अपने कर्त्तव्य निर्वाह नहीं करते हैं। मुझे अपने गृह राज्य के लोगों की और से कुछ अनुरोध करना है। हमारे वित्त मंत्री महोदय जिन्होंने राष्ट्रीय हित में उत्कृष्ट कार्य किया है कृपया इस ओर ध्यान दें कि तमिलनाडु में केन्द्रीय निवेश की राशि में भारी कटौती की गई है। तमिलनाडु में अधिकांश सरकारी क्षेत्र के उपक्रम उस समय से कार्यरत हैं जिस समय हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। विभिन्न मंत्रालयों ने तमिलनाडु में उन उपक्रमों के कार्यकरण के लिए बजटीय सहायता में भी भारी कटौती की है। यह सहायता नाम मात्र की है। तमिलनाडु पिछड़ रहा है और पतन की ओर अग्रसर है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वे इस असमानता पर दृष्टि डालें और तमिलनाडु में और धनराशि निवेश करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें।

सेतू समुद्रम परियोजना काफी लम्बे समय से लंबित पड़ी है। आजादी से पहले भी, हमारे राष्ट्रीय कवि महाकवि सुब्रह्मयण भारती ने इसे भावी परियोजना कहा था जिसे साकार करना चाहिए।

जहां तक रेलवे का संबंध है, जब हम तमिलनाडु की तुलना दूसरे राज्यों से करते हैं तो हम यह देखते हैं कि वहां पर कई परिवर्तन नहीं किए गए हैं। तमिलनाडु में रेल परियोजनाओं के लिए बहुत कम धनराशि आवंटित की गई है। जहां तक तमिलनाडु का संबंध है, सड़क विकास की ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। राजमार्गों की उपेक्षा की गई है। और वे खस्ता हालत में हैं राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति भी अच्छी नहीं है और एक ही समय में 30 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक यात्रा करना कठिन है। विभिन्न प्रकार के भार उठाने वाले वाहनों की वजह से राजमार्गों पर यातायात बढ़ता जा रहा है।

मद्रास–बंगलौर, मद्रास–कन्याकुमारी, मदुरै–कृष्णागिरी, सेलम–कोयम्बटूर राजमार्ग को पलेन वाली सड़कों में तब्दील किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री पी० तीर्थरामन : महोदय, यह मेरा पहला भाषण है।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, उन्हें कुछ और समय दिया जाए।

सभापति महोदय : यह उनका पहला भाषण है।

श्री पी० तीर्थरामन : एक ओर मैं माननीय वित्त मंत्री को उनके द्वारा एक अच्छा बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई देना चाहता हूं दूसरी ओर मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की शिकायतों को प्रस्तुत करना चाहता हूं। जिन लोगों ने मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र से चुना है, वे मुझसे अपने मुद्दे यहां प्रस्तुत करने की आशा करते हैं। मैं जानता हूं कि आप मेरे द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दों को उठाने के मेरे कर्तव्य परायणता को समझेंगे।

यद्यपि, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमने काफी प्रगति की है। हमें अपने अतीत पर भी विचार करना चाहिए। आर्थिक विषमता तथा असमानता व्याप्त है। गरीब और भी गरीब होते गए तथा धनी और भी धनी होते गए, यद्यपि उनकी संख्या कम है। लाखों लोग कठिनाइयां सहते हुए गरीबी में जी रहे हैं। वह जीवनयापन के किसी साधनों के बगैर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वे इसकी निरंतर तलाश में हैं। उनके पास रहने के लिए घर नहीं है। उन्हें आवास, कपड़ा तथा भोजन नहीं मिलने के कारण समस्या है। उन्हें स्वास्थ्य तथा स्वच्छता संबंधी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। उन्हें शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है।

ग्रामीण लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उन्हें प्रति

माह दिए जाने वाले 20 किलोग्राम चावल का इंतजार करते हैं। उनके महीने भर के खाद्यान्न की लागत 100 रुपए है। साथ ही साथ धनी वर्ग एक कप कॉफी पर ही 100 रुपए व्यय करता है। समाज में यह भी है। धनी वर्ग द्वारा अच्छे होटल में ठहरने पर किया गया खर्च एक गरीब परिवार द्वारा पीढ़ियों के लिए ग्रह निर्माण हेतु पर्याप्त होगा। अतः हमारी अर्थव्यवस्था समाज के एक वर्ग द्वारा धन जमा करने में मदद करती है यह असमानता निश्चित रूप से समाप्त होनी चाहिए तथा आर्थिक समानता आनी चाहिए।

हमारे महान नेता श्री कामराज ने कहा था कि गांधीजी का सपना तब भी साकार हो सकता है जब कि गरीबों के पास रहने हेतु आवास हो, उसके कपड़े फटे न हों तथा उसके पास खाने के लिए हों यदि ये वस्तुएं भी उपलब्ध करायी जा सके तो यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन होगा। मैं यह कहना चाहूंगा कि समाज में कुछ वर्ग ऐसे भी हैं जो इन न्यूनतम जरूरतों के बगैर भी जी रहे हैं।

मेरा जिला धर्मपुरी महान विद्वान श्री राजाजी का गृह नगर है। महान स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमणियम शिवा जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति की भावना का प्रसार किया की मृत्यु यहीं हुई थी। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के होने के बावजूद हमारा जिला अभी भी पिछड़ा हुआ है। मैं वित्त मंत्री जी से वहां सरकारी अथवा गैर सरकारी क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने का अनुरोध करता हूं।

हमारे जिले से "ब्लैक स्टोन" जिससे काफी विदेशी मुद्रा की आय प्राप्त होती है का निर्यात किया जाता है। इन्हें देश तथा विदेश में कई स्थानों पर भेजा जाता है। देश के राजस्व में जिस जिले से ग्रेनाइट के निर्यात से लाभ प्राप्त होता है, वह अभी भी अपेक्षित है। आप इस जिले में निश्चित रूप से सुधार लाएं ताकि यह अन्य जिलों की तरह संपन्न हो सके। अतः मैं आपसे हमारे जिले से अर्जित रायल्टी का कुछ प्रतिशत दिए जाने का अनुरोध करता हूं। हमारे जिले में चंदन के पेड़ हैं जिससे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है। इसकी तस्करी तथा अवैध कटाई रोकी जानी चाहिए। इस दिशा में प्रभावी कदम उठाएं जाएं।

निराशाजनक स्थिति में लोग रियायतें, अनुदान निःशुल्क भोजन, धोती और साड़ी जैसे खैरात दिए जाने की अपेक्षा करते हैं। इस तरह की स्थिति केवल तभी समाप्त हो सकती है जब हम इस प्रकार का वातावरण तैयार करें जिसमें वे अपने जीविकोपार्जन हेतु सक्षम हो सकें तथा अपने पैरों पर खड़े हो सकें। आपकी स्पष्ट तथा प्रगतिशील विचारधारा से एक बेहतर युग की शुरूआत हो सकती है जिसमें लोगों द्वारा अपने जीविकोर्पाजन तथा आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु आत्मविश्वास जाग्रत होगा।

राष्ट्रीय कवि सुब्रमण्यम भारती ने कहा है :
"अलागम समनिलइ पेरा वेन्दुम
युभखु तालविला निलइ वन्दुम"

इसका अर्थ है :

"विश्व में सबके लिए समानता सुनिश्चित की जानी चाहिए,
तथा उसमें भेदभाव की कोई गुंजाइश न हो।"

मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री जी की आर्थिक नीति जीवन के उतार चढ़ाव में कमी सुनिश्चित करेगी। मुझे आशा है कि वे समानता कर सकते हैं। मुझे उनकी कुशलता तथा विवेक में विश्वास है इसके साथ ही बजट के प्रति अपने समर्थन को पुनः दुहराते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका (तेजपुर) : सभापति महोदय, रात्रि के 9.45 बजे लोग सबसे अधिक टेलीविजन देखते हैं। अतः मैं अपने भाषण का आरंभ टेलीविजन द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा के साथ करना चाहता हूं *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अभी रात्रि के 9.53 बजे हैं।

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका : महोदय टेलीविजन में प्रयुक्त 'सोप ओपेरा' के अर्थ में यह बजट सुस्पष्ट तथा अच्छा है। लेकिन यह सिर्फ धनी वर्ग के अग्रणी व्यक्तियों के लिए अच्छा है। यह बजट उस व्यक्ति के द्वारा धनी वर्ग के लिए बनाया गया है जो बजट प्रस्तुत करने के पश्चात 'लोकप्रिय' बन गये हैं। इसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की गई है विशेषकर डी०एम०के० के हमारे माननीय मित्र ने माननीय वित्त मंत्री का गुणगान कर मेरे लिए उनकी प्रशंसा करने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है।

अपराह्न 9.44 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

इस बजट में कई उत्साहवर्द्धक बातें हैं लेकिन समय की सीमा के कारण मैं इन सभी का उल्लेख नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बजट के एक-पहलू यह है जैसाकि कई आलोचकों ने कहा हैं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने करों तथा शुल्कों में भारी कटौती करके जोखिमपूर्ण कार्य किया है। लेकिन यह आशा करना कि राजस्व संग्रहण 17% से अधिक हो जाएगा बेकार है क्योंकि जटिल भारतीय परिस्थितियों में इस तथाकथित 'लैफर वर्क' का लाभ नहीं होगा क्योंकि एक बिंदु के बाद अधिक राजस्व की प्राप्ति नहीं हो सकेगी।

अतः यह जोखिम लिया गया है। डा० राजा चेलैया का कहना है कि कभी-कभी जोखिम उठाना चाहिए। लेकिन उनका मानना है कि इस बजट में मंत्री महोदय द्वारा लिया गया यह जोखिम औचित्यपूर्ण नहीं है क्योंकि इसका संबंध देश के भविष्य से है। वित्त मंत्री ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम की दुहाई दी है जिससे उन्हें इस बजट की प्रेरणा मिली है। अतः मैं न्यूनतम साझा कार्यक्रम के कतिपय उन मदों की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा जिनपर इस बजट में ध्यान नहीं दिया गया है।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम में 100 पिछड़े जिलों में बुनियादी सुविधाओं के लिए विशेष योजना विकसित किए जाने का उल्लेख है। इस संबंध में कुछ नहीं किया गया है। फिर यह कहा गया कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से प्राप्त धन को स्वास्थ्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में लगाया जायेगा।

इस पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। अब इसमें ढांचागत क्षेत्र में निवेश को सकल घरेलू उत्पाद के चार प्रतिशत से छः प्रतिशत तक बढ़ाने की बात की गई। इस वर्ष उपलबध करायी गई धनराशि को देखते हुए

[श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका]

हमें यह यकीन नहीं हो पाता है कि वे कभी भी यह लक्ष्य प्राप्त कर पायेंगे क्योंकि वे ढांचागत क्षेत्र को पूरी तरह से निजी क्षेत्र के हाथ में सौंप रहे हैं और इस प्रकार से सरकार ने लगभग पूरी तरह से इससे अपना पीछा छुड़ा लिया है।

शिक्षा के संबंध में न्यूनतम साझा कार्यक्रम में यह बताया गया है कि वर्ष 2000 ईस्वी तक शिक्षा क्षेत्र के लिए सकल घरेलू उत्पाद की छः प्रतिशत राशि लगायी जायेगी। परन्तु इस वर्ष उपलब्ध करायी गई मात्र 1182 करोड़ रुपये की राशि से यह उम्मीद नहीं बन पा रही है कि वर्ष 2000 ईस्वी तक इसके लिए अपेक्षित 70,000 की धनराशि कभी उपलब्ध भी करायी जा सकेगी।

इसके बाद इसमें यह कहा गया है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को कम प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से निरूत्साहित करने के लिए वित्तीय और अन्य उपाय किए जाएंगे। परन्तु इस बजट में यह देखा जा सकता है कि आईसक्रीम और बिस्केट उद्योग में भी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों सहित वृहत् क्षेत्र के लिए प्रवेश का रास्ता खोल दिया गया है।

महोदय, प्रत्येक बजट का परम उद्देश्य व्यय पर नियंत्रण रखना होना चाहिए। समयाभाव के कारण मैं कई पहलुओं की बात करना नहीं चाहूंगा। पिछले बजट में वित्त मंत्री की बात करना नहीं चाहूंगा। पिछले बजट में वित्त मंत्री ने व्यय प्रबंधन और सुधार आयोग गठित करने का वादा किए थे। इस बजट के भाषण में उन्होंने बजट में कही गई बातों को पूरा करने की अपनी वचनबद्धता निभायेंगे। परन्तु उन्होंने आगे कहा : "मैं व्यय प्रबंधन और सुधार आयोग गठित करने की वचनबद्धता पूरी नहीं कर पाया हूं। मैं इसमें असफल रहा क्योंकि मैं 'क' दल को चाहता था और 'ख' दल से संतुष्ट नहीं था। 'ए' दल के प्रमुख सदस्य इस सभा में और राज्य सभा में है और वे अभी भी टाल-मटोल कर रहे हैं।" महोदय अब मुझे यह नहीं मालूम है कि माननीय वित्त मंत्री ने लोक सभा और राज्य सभा के कितने सदस्यों को तैयार किया है। मैंने दोनों सभाओं के कई संसद सदस्यों से यह पूछा है कि क्या उनसे इस आयोग में शामिल होने का आग्रह किया गया है ? इनमें से कई व्यक्ति अत्यधिक प्रतिभावान् और काबिल हैं। परन्तु, वक्तव्य से यह प्रतीत होता है कि माननीय वित्त मंत्री ने उन्हें 'ख' श्रेणी अथवा इससे भी निम्न स्तरीय समझा है। यह संसद की दोनों सभाओं के संसद सदस्यों की प्रतिभा और काबीलियत का अपमान है। 'क' दल के लिए इतनी भारी संख्या में लोगों को अयोग्य ठहराये जाने का यह आशय है कि वे केवल 'ख' अथवा 'ग' अथवा 'घ' दलों के लिए योग्य हैं। इससे दोनों सभाओं की अवमानना होगी।

श्री पी० चिदम्बरम : इसके लिए मुझे दो कारणों से खेद है। पहला कारण अधिक महत्वपूर्ण है। बड़े खेद की बात है कि मेरे समझदार मित्र विनोद प्रिय नहीं हैं। दूसरा कारण यह है कि व्यय प्रबंधन आयोग में प्रतिष्ठित राजनेताओं, प्रशासकों और अर्थशास्त्रियों को शामिल करने का वचन दिया गंया था। मेरे यह कहने कि मुझे 'क' दल के लिए सदस्य नहीं मिले का यह मतलब नहीं था कि कोई सदस्य उपलब्ध नहीं थे। परन्तु, मेरा यह कहना था कि ऐसे प्रतिष्ठित राजनेता जिन्हें आयोग में रहना चाहिए अभी भी टालमटोल कर रहे हैं और मैं इसके लिए कोशिश कर रहा हूं। इनमें अर्थशास्त्री, प्रशासक और योग्य सदस्य हैं। मुझे बहुत दुःख हुआ कि काबिल सदस्य विनोदप्रिय नहीं हैं और मेरी बात नहीं समझ सके।

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका : यह ठीक है अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा कि दल 'क' के प्रमुख सदस्य इस सभा और राज्य सभा के हैं और वे टालमटोल कर रहे हैं यानि कि इसका मतलब यह हुआ कि उन्होंने जिन व्यक्तियों 'क' दल के लिए चुना है वे टालू प्रवृत्ति के लोग हैं। इसका केवल एक ही अर्थ हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया इस विवाद को छोड़ दें।

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका : वे व्यय पर नियंत्रण रखने अथवा व्यय को कम करने में असफल रहे हैं। आज ब्याज भुगतान की राशि 68,000 करोड़ रुपये हो गई है जबकि वित्तीय घाटा 64,000 करोड़ रुपये या इसके लगभग ही है अर्थात् हम ब्याज के भुगतान के लिए कर्ज लेंगे। यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है। अतएव व्यय पर नियंत्रण एक अनिवार्य आवश्यकता है। आज सरकार द्वारा भारी फालतू और गैर उत्पादक व्यय किए जाते हैं और इस आयोग के गठन अथवा बनाने का विचार अत्युत्तम और महत्वपूर्ण भी है। इन दोनों सभाओं में और देश के बाहर भी प्रतिभा की कोई कमी नहीं है अतः यह इस आयोग का गठन न किए जाने के लिए कोई जायज तर्क नहीं हो सकता।

अब मैं तेलपूल खाते के बारे में कुछ बातें रखना चाहूंगा। यह बजट अपने आप में पूरा नहीं है क्योंकि इसमें तेलपूल खाते के घाटे का, कोई उल्लेख नहीं किया गया है। जबकि यह घाटा 16,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक यह 17,000 करोड़ अथवा 18,000 करोड़ अथवा 19,000 हजार करोड़ भी हो सकता है। अतः भविष्य में पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि हो सकती है परन्तु क्या यह इतना व्यापक होगा कि इससे बकाया राशि के साथ-साथ प्रत्याशित भावी अंतर की स्थिति की भरपाई हो पायेगी ? यदि ऐसा है तो क्या यह देश के लिए विशेषतः निर्धन लोगों के लिए घातक नहीं होगा, और यदि अधिक वृद्धि नहीं की जा रही है तो हम इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कर रहे हैं ? इसके लिए बजट में थोड़ा उल्लेख किए जाने की आवश्यकता है अन्यथा यदि पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से बजटीय समर्थन से पूरा किया जायेगा तो इससे घाटा बढ़ जायेगा और हमें असहनीय मुद्रा स्फीति की स्थिति का सामना करना पड़ेगा।

मुद्रास्फीति के संबंध में मैं पुनः बता दूं कि माननीय वित्त मंत्री मुद्रा स्फीति का उल्लेख कर चुके हैं। परन्तु इस बजट भाषण में इस स्थिति से उचित रूप से निपटने के लिए किन्हीं उपायों की कोई चर्चा नहीं की गई है। अब भाड़ा दरों में 12 प्रतिशत वृद्धि हुई है और उन्होंने पांच प्रतिशत दुलाई कर भी लगा दिया है। तेल पूल खाते को संतुलित करने के लिए कीमतों का समायोजन किया जा रहा है। इन सबसे कीमतें बढ़ जायेंगी और हम कीमतों को रोक नहीं पाएंगे। पुनः 16,000 करोड़ रुपये का मौद्रिक घाटा हुआ है और हम 16,000 करोड़ मूल्य के करेंसी नोट की छपाई करने जा रहे है इसके परिणामस्वरूप मुद्रा स्फीति बढेगी। इसके पहले हमारे पास ऐसे ट्रेजरी बिल हैं जो बाजार में नहीं बिकेंगे और ऐसी स्थिति में हमें अधिक नोट छपाने होंगे।

अतएव, आज हमारे समक्ष मुद्रा स्फीति की स्थिति निश्चित रूप से है। इस संदर्भ में मैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख श्री माइकेल केमडेसस की टिप्पणीयों का उल्लेख करना चाहूंगा। उन्होंन यह कहा है कि कम कर के कारण राजस्व में गिरावट आई है और उन्होंने मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि पर भी चिंता प्रकट की हैं। उन्होंने यह भी बताया और मैं उद्धरण दे रहा हूं :

> "ऐसे देश में जहां गरीबी का प्रकोप हो वहां मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण रखना पहला कदम होना चाहिए। मुद्रा स्फीति को रोकने और पूंजी की परिवर्तनीयता के लिए आधार बनाने हेतु तेलपूल खाते के साथ-साथ केन्द्रीय और राज्य सरकारों के घाटे में कमी की जानी चाहिए।"

यह एक अच्छी सलाह है। परन्तु क्या हम लोग जो अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष और इसके प्रमुख जिनकी हम गोवा में उनके अवकाश के दौरान भी खुशामद करते रहे की सलाह मानेंगे ? और मैं महसूस करता हूं कि हम उनकी सलाह माने तथा इस अंतिम चरण में भी आवश्यक कार्यवाही करे।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वह स्वैच्छिक घोषणा योजना के संबंध में है। मैं इस योजना के गुण और दोष पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं। लेकिन प्रेस ऐसी खबरें छपी हैं जिसमें यह कहा गया है कि वित्त मंत्री ने कतिपय व्यवसायियों को विश्वास में लिया है जिन्होंने यह संकेत दिया था कि यह छिपाए गए सभी 'मूल' (मोल्लाह) को वापस ले आयेंगे तथा स्वैच्छिक घोषणा योजना के अंतर्गत बता देंगे। यदि ऐसा हुआ होगा—मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं हुआ होगा—तब इसे निश्चित रूप से अनैतिक कहा जाये। और नैतिकता को लोग नीति के सिद्धान्त अथवा आधार तैयार किए जाने में नैतिकता को उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। यदि यह सच नहीं है तो यह आशा है कि वित्त मंत्री इन रिपोर्टो का यथाशीघ्र खंडन करेंगे। महोदय, फुटबाल के मैचों में भी "इन्ज्यूरी टाइप" दिया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे यह बताया गया कि प्रत्येक सदस्य को पांच मिनट तक बोलने दिया जाएगा। परन्तु आप दस मिनट तक बोल चुके हैं।

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका : हमारी स्थिति घायल खिलाडियों जैसी है और बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे है। इसलिए हमें थोड़ा और समय दिया जाना चाहिए जैसा कि फुटबाल मैच में किया जाता है।

अपनी आखिरी बात पर आते हुए मैं उत्तर पूर्व क्षेत्र के बारे में कहना चाहूंगा क्योंकि मैं इस क्षेत्र का रहने वाला हूं। माननीय वित्त मंत्री ने क्षेत्रीय दलों तथा संयुक्त मोर्चा के घटकों का उल्लेख किया है अतः यह उन पर निर्भर करता है कि वे आर्थिक संघवाद के युग में प्रवेश कराएं तथा इस उद्देश्य के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने प्रधान मंत्री के पैकेज का उल्लेख किया तथा वे नुमालीगढ़ तेल शोधक कारखाने के लिए 100 करोड़ रुपये उपलब्ध करा रहे हैं मैं इस भावना की प्रशंसा करता हूं। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि अक्तूबर में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पैकेज पूर्वोत्तर की योजना के आकार के अलावा नवीं योजना का हिस्सा होगा। यदि यह सामान्य योजना के आकार का हुआ तब इस पैकेज से पूर्वोत्तर को कुछ भी अतिरिक्त नहीं मिलनेवाला है। अतः, जहाँ तक पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों का संबंध है मैं यह आश्वासन चाहूंगा कि अक्तूबर 1996 में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पैकेज पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अनुमोदित सामान्य योजना के अतिरिक्त होना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर में आधारभूत सुविधाओं बुनियादी सेवाओं के विकास पर रिपोर्ट देने हेतु शुक्ला समिति का गठन किया गया था। मैं समझता हूं कि यह रिपोर्ट प्रधानमंत्री को पहले ही प्रस्तुत कर दी गई है। मेरा अनुराध है कि उक्त रिपोर्ट को सभा पटल पर रखा जाय ताकि सदस्य इसका अध्ययन कर सकें तथा उस पर विचार विमर्श कर सकें।

मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि वित्त मंत्री ने यह बजट प्रस्तुत करके काफी जोखिम उठाया है यह "डबल और क्विट" बजट है। काफी जोखिम उठाया गया है तथा समृद्ध लोगों और पूंजी बाजार को काफी सुविधाएं दी गई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वित्त मंत्री काफी जल्दबाजी में थे तथा यह जल्दबाजी अधिकांश लोग उनकी इस जल्दबाजी को नहीं समझ सके हैं। अतः मुझे यह लगता है कि उन्होंने यह जोखिम इसलिए लिया है तथा निगमित तथा अन्य करों में यह कटौती यह सोचकर की है कि शायद अगला बजट वह प्रस्तुत न करें।

इन आपत्तियों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

अपराह्न 10.00 बजे

***श्री सामी वी० अलागिरी** (शिवकाशी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बजट पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं नम्रतापूर्वक तथा दिल से अपनी पार्टी, कम्यूनिस्ट पार्टी आफ इंडिया को तथा अपने निर्वाचन क्षेत्र शिवकाशी के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मेरे लिए इस वर्ष के बजट पर चर्चा में भाग लेने तथा इस सदन में उपस्थित होना संभव बनाया।

इस बजट की भूरि-भूरि प्रशंसा हो रही है तथा इसे समर्थन मिल रहा है। पिछले एक या दो सप्ताह से हर कोई इस बजट के बारे में बातें कर रहा है। इस बजट में कई स्वागत योग्य बातें हैं तथा प्रस्तावित उपाय हैं।

बुनियादी न्यूनतम सेवाओं पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। पेयजल, शिक्षा तथा सिंचाई के लिए पर्याप्त आवंटन किया गया है। ये पहलू निश्चित रूप से स्वागत योग्य हैं।

यद्यपि यह स्वागत योग्य बजट है, मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं जो मुझे खटकी हैं। उदाहरण के लिए सीमा-शुल्क में कटौती पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। मेरे विचार से सीमा शुल्क में कटौती से आयात में वृद्धि होगी जिससे स्थानीय रूप से विनिर्मित वस्तुओं की बिक्री प्रतिकूल ढंग से प्रभावित होगी। हमारे वस्तुओं हेतु कम बाजार तथा उत्पादन में कमी से अंततः हमारी उत्पादन लागत बढ़ेगी। इससे हमारी वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने बाधक होगा। सीमा शुल्क की दर में कमी करके आयात को प्रोत्साहन देने से हमें प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं मिल पायगा।

विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा में हमें हमेशा अपनी वस्तुओं को प्रतिस्पर्धात्मक बनाना चाहिए। अतः मैं अपने वित्त मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि

*मूलतः तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री सामी वी० अलागिरी]

वे सीमा शुल्क में दी गई कटौती पर पुनर्विचार करें क्योंकि इस पर ध्यान देना आवश्यक है। हमें अपनी वस्तुओं के लिए बाजार बढ़ाने पर करना चाहिए। अतः इस पर अच्छी तरह से पुनर्विचार किया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि हमारे वित्त मंत्री इस पर गौर करेंगे।

इसी प्रकार डाक-दरें तथा डाक लेखन सामग्री जैसे पोस्टकार्ड के मूल्य में वृद्धि केवल समाज के अति गरीब तबकों को प्रभावित करेगी। अतः मैं आपसे इस मूल्य वृद्धि पर भी पुनर्विचार करने का आग्रह करता हूं।

मुझे कुछ बातें कहनी हैं। क्योंकि मैं यह महसूस करता हूं कि मुझे वित्त मंत्री से कुछ मांगे करने और उनकी प्राप्ति के कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। इसका कारण है कि हम दोनों भूतपूर्व अविभाज्य रामनाथपुरम जिले के रहने वाले हैं। अतः मैं बजट पर उन्मुक्त रूप से आपत्तियां प्रकट कर सकता हूं।

मैं अशोध्य ऋण के संबंध में की गई घोषणा के संबंध में आपका ध्यान करता हूं 61,000 करोड़ रुपये अशोध्य ऋण के रूप में फंसा हुआ है। इस धन का एक तिहाई से ज्यादा भाग बड़े औद्योगिक घरानों तथा बड़े उद्योगपतियों के पास फंसा हुआ है। मैं यह आशा करता हूं कि हमारे वित्त मंत्री जनता के फंसे हुए पैसे को निकालने हेतु उपचारात्मक कार्यवाही करेंगे। मुझे आशा है कि वह इस तरह फंसे काले धन को निकाल पाएंगे। मेरा अपने वित्त मंत्री पर अटूट विश्वास है।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र माचिस उद्योगों तथा पटाखा उद्योगों के लिए विख्यात है। उनमें से अधिकांश लघु क्षेत्र में हैं तथा छोटे दियासलाई कारखानों द्वारा कुटीर उद्योग के रूप में चलाए जाते हैं। जब मैं उनके पास इस उद्योगों को बंद होने से बचाने का आग्रह लेकर पहुंचा तो उन्होंने इन लघु एककों को बचाने हेतु उचित उपाय किए।

इसके बावजूद अब उस के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के विरूद्धुनगर में विमको के आधार पर एक यांत्रिकृत आधुनिक दियासलाई का कारखाना स्थापित किया गया। मैं इसे वहाँ स्थापित किए जाने के सख्त खिलाफ हूं। मैं इस तरह की बड़ी इकाई स्थापित करने के विरूद्ध हूं चूंकि इससे मेरे क्षेत्र में ग्रामीण गरीबों के रोजगार के अवसर समाप्त हो जाएंगे। मुझे उनके भविष्य की गंभीर चिंता है। मैं यहां स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मुझे विवश होकर विरूद्धुनगर में स्थापित किए जा रहे आधुनिक यांत्रिकृत दियासलाई कारखाने के कार्यकरण के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व करना पड़ेगा। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहूँगा कि इस क्षेत्र के लोग उत्तेजित हैं तथा मैं यह चाहता हूं कि आप उस क्षेत्र में लोगों को बेरोजगार करने वाले इस आधुनिक दियासलाई का कारखाना लगाने हेतु दी गई अनुमति को निरस्त करने का उपाय करें। शिवकाशी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कई दियासलाई तथा पटाखों के कारखाने हैं। जिनका उत्पाद विश्व भर में जाता है। इनमें से अधिकांश मानव निर्मित होते हैं तथा इसलिए श्रम-बहुत हैं जिनसे वहाँ हजारों लोगों को रोजगार के अवसर तथा रोजी-रोटी न साधन मिला हुआ है। केवल इस औद्योगिक गतिविधि के कारण मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोग अपने गांवों में रह रहे हैं। यदि उन्हें बेरोजगार कर दिया गया तथा उनके लघु एककों तथा छोटे व्यापार हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया गया तो हमारे जिले से लोगों का पलायन अवश्य संभावी हो जायगा।

अतः इस क्षेत्र में पूर्णतः यंत्रीकृत स्वचालित माचिस कारखाना चलाने नहीं दिया जाना चाहिए। मुझे उस अंधकारमय भविष्य की घोर आशंका है जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का होगा। अतः मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में इस आधुनिक माचिस कारखाने को शुरू करने की अनुमति नहीं देने की सरकार से पुरजोर अपील करता हूं।

मैं कृषि क्षेत्र की मुख्य बातों पर प्रकाश डालना चाहूंगा। भारतवर्ष उष्णकटिबंधीय देश होने के कारण बदल-बदल कर फसलों की खेती के लिए सर्वथा अनुकूल है। हमारे यहां अनेक ऋतुएं होती हैं। शीत ऋतु तीन महीने की होती है। उसके बाद ग्रीष्म तथा मानसून ऋतुएं आती हैं। इस प्रकार से खेती के लिए सर्वथा अनुकूल इस तरह की कृषि-जलवायु सम्बंधी स्थितियां विश्व में कहीं भी नहीं हैं। यहां सर्वोत्तम जलवायु है। लेकिन किसानों के लिए उचित वातावरण अपने बजटीय प्रयासों के माध्यम से वित्त मंत्री द्वारा अभी बनाया जाना है। वित्त मंत्री ने देश में किसानों की स्थिति सुधारने के लिये कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।

नौवीं योजना के मसौदा दस्तावेज में उस महत्व पर प्रकाश डालते हैं जो कृषि तथा ग्रामीण विकास को दिया जाना है। लेकिन इस वर्ष के बजट में किसानों को फायदा पहुंचाने संबंधी कोई प्रावधान नहीं है छोटे तथा सीमान्त किसानों को इस बजट से कुछ नहीं मिल रहा है। मैं यह कहूंगा कि यह बजट दुर्भाग्यपूर्ण है।

सिंचाई योजनाओं का जिक्र करते हुए जिनसे किसानों को लाभ मिलेगा, मैं अजगर बांध परियोजना का जिक्र अवश्य करूंगा। हमारे वित्त मंत्री का निर्वाचन क्षेत्र को भी इस परियोजना का लाभ मिलेगा। यह परियोजना लम्बे अर्से से लम्बित है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस परियोजना को पुनः शुरू किया जाये। इसे शीघ्र पूरा किया जाना चाहिये क्योंकि इससे छः अथवा सात जिलों को कृषि हेतु सिंचाई का लाभ मिलेगा।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना परियोजना का आशय ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवकों को ऋण देना हैं लेकिन आशावान् और भावी-उद्यमियों को वह धन पाने के लिए दर-दर भटकना पड़ता हैं उनसे यह उपेक्षा की जाती है कि वे संस्था सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्राप्त करें तथा किसी को भी आसानी से ये प्रमाण पत्र देने में बैंक कठिनाई पैदा करते हैं। यह एक अलिखित शर्त है। इस प्रकार की ये आवश्यकता से औपचारिकताएं भावी उद्यमियों की हतोत्साहित करती हैं। वे उद्यम छोड़ भी सकते हैं। मेरा वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि वे इस बारे में जांच करें तथा इस सम्बंध में प्रक्रिया को चुस्त-दुरूस्त बनायें। उन बेरोजगार स्नातकों को परेशान किये बिना उन्हें ऋण वितरित करने के लिए आपको उपयुक्त अनुदेश अवश्य देने चाहिये।

आई०डी०पी०एल० तथा एन०टी०सी० जैसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कतिपय इकाइयां अब बंद होने वाली हैं। उनमें से अधिकांश बंद होने के कगार पर हैं। उन औद्योगिक इकाइयों को पुनजीर्वित करने के लिए धन का आवंटन नहीं किया गया हैं इसका बजट में प्रावधान नहीं है। मेरा वित्त मंत्री से अनुरोध है कि वे इस ओर भी ध्यान दें। इन इकाइयों को पूर्णतः अलाभकारी होने से पूर्व इन्हें धन आवंटित कराया जाये।

हम विनिवेश तथा कतिपय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण करने की स्थिति का भी सामना कर रहे हैं। इससे लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ये परिवर्तन वांछित परिणाम नहीं दे सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप निजीकरण के प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं।

ढांचागत विकास में राजमार्गों तथा सड़क विकास पर ध्यान दिया जाता है। बहरहाल इस तरह से ट्रकों द्वारा सामान के आवागमन पर लगभग 5 प्रतिशत बढ़ा हुआ सर्विस कर लगाया जाता है। रेल ने मालभाड़ों को पहले ही 15 प्रतिशत बढ़ा दिया है। मैं यह कहना है कि जब यह उपभोक्तओ तथा आम व्यक्तियों पर लगेगा तो इन वस्तुओं की ढुलाई पर लगे इस कर प्रस्ताव से केवल आम आदमी प्रभावित होगा। इस पर माननीय वित्त मंत्री द्वारा पुनर्विचार किया जाये।

आपने काले धन का पता लगाने के लिए स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना की भी घोषणा की हैं आपने काला धन रखने वालों को रियायतें दी हैं। मुझे इसमें भी शक है कि योजना से वांछित परिणाम मिलेगें इस मामले में आप देश के कानून के माध्यम से प्रभावी कदम भी उठा सकते हैं। हमारे यहां नियम और विनियम हैं। आप अपने प्राधिकरण का इस्तेमाल करके इन्हें दण्डित कर सकते हैं। चाहे वे कितने भी बड़े पद पर क्यों न हों, फिर भी किसी को नहीं बख्शा जायेगा। और वे कानून से बच नहीं पायेंगे। इस बात को गुप्त नहीं रखना चाहिये। ऐसे लोगों की गैर-कानूनी सम्पत्ति का पर्दाफाश किया जाना चाहिये। ऐसे लोगों को उचित दण्ड दिया जाना चाहिये। केवल तभी उन्हें यह अहसास होगा कि समाज उन्हें हेय दृष्टि से देखेगा। वे केवल इसी डर से स्वयं को सुधार सकते हैं। ऐसी कड़ी कार्यवाही से ऐसा वातावरण बनेगा जिसमें लोग गलत तरीके से सम्पत्ति अर्जित करने से बाज आयेंगे।

मेरा आपसे अनुरोध है कि आप तमिलनाडु में औद्योगिक और बहुमुखी विकास सुनिश्चित करने के लिये राज्य के लिये आवंटन में वृद्धि हो जाये।

तमिलनाडु के उत्तरी जिलों में बाढ़ के कारण विनाश हुआ तमिलनाडु के एक भाग में बाढ़ राहत कार्यक्रम चल रहा है और दूसरी ओर इसके छह जिलों जिसमें आपका निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल है। भयंकर सूखे की चपेट में है। तमिलनाडु सरकार ने दोनों जगहों पर पूरे जोर-शोर से राहत कार्य चलाने के लिए कदम उठाये हैं। केन्द्रीय वित्त मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वे इन राहत कार्यों के लिए अधिक धन आवंटित करें।

सूखे की चपेट में आये छः जिले अब पेय जलापूर्ति की घोर समस्या का सामना कर रहे हैं। इन जिलों के लोग काफी परेशान हैं। विशेषकर तीन जिले पसुमपन मुथु, रामलिंग थबेर, कामार्जर तथा रामनाथपुरम बुरी तरह से सूखे की चपेट में है। आप इस पर विचार करें। आप इन जिलों को धन आवंटित करने तथा धनराशि सीधे इन्हें भिजवाने के लिए कदम भी उठायें। पेयजल तथा अन्य मौलिक व्यवस्थाएं शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध करायी जायें चूंकि समस्या गम्भीर होती जा रही है।

मैं अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व एक बार पुनः अपनी पार्टी, भारतीय कम्यूनिष्ट पार्टी तथा अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल जैन (चण्डीगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। बहुत सारी बातें सत्तारूढ़ पक्ष के लोगों ने इस बजट के संबंध में कहीं हैं। इसे गरीबों का, आम आदमी का बजट कहा गया है। लेकिन यदि हम इस बजट का गहराई से अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि इससे आम आदमी को किसी किस्म की कोई राहत नहीं मिलती।

पोस्टल रेट्स बढ़ा दिए गए हैं। पोस्ट काड्र्स, इनलैंड लैटर तथा एक रुपए वाले पत्र के रेट भी बढ़ा दिए गए हैं। बड़ा आदमी तो पोस्ट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करता है। एक साधारण आदमी ही उसका इस्तेमाल करता है। सैल्युलर फोन के रेट्स यदि आप बढ़ा दें तो उससे उन लोगों को कोई अंतर नहीं पड़ता क्योंकि वे बड़े आदमी हैं। लेकिन छोटे आदमी को तो पोस्टल रेट्स के बढ़ने से भारी परेशानी और दिक्कत आती है।

बीड़ी के रेट भी बढ़ा दिए गए हैं। बड़ा आदमी तो बीड़ी पीता नहीं है। बीड़ी तो छोटा मजदूर, रिक्शा चालक या काम करने वाले लोग ही पीते हैं तथा जैसा कि अटल जी ने कहा कि सरकार अभी पैट्रोलियम पदार्थों के रेट भी बढ़ाएगी। पैट्रोलियम पदार्थों के रेट भी बढ़ने वाले हैं और उसके रेट बढ़ने के बाद आम आदमी की दिक्कत और परेशानी और ज्यादा बढ़ेंगी। जो थोड़ी-बहुत एक्साइज में छूट दी गई है, उसका लाभ आम आदमी को मिलने वाला नहीं है। उसका लाभ अमीर आदमी को जाएगा इसलिए यह बजट गरीबो को राहत देने का बजट नहीं है। यह अमीरों को सुविधाएं और लाभ पहुंचाने वाला बजट है।

हमारे वित्त मंत्री जी ने चार शर्तों में से कोई भी शर्त पूरी करने वाले लोगों को टैक्स की परिधि में लाने की कोशिश की है। उससे आम आदमी की परेशानी बढ़ेगी और इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। छोटे लैवल पर काम करने वाले लोग किसी भी आदमी को नोटिस दे दिया करेंगे। इधर-उधर से पैसा लेने के बाद जैसा कि उस स्तर पर नजर आ रहा है, इससे भ्रष्टाचार और ज्यादा बढ़ेगा। इससे उन्हें आम आदमी को और ज्यादा परेशान करने के बहाने मिल जाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ से आता हूं और प्रदेश का बजट गृह मंत्रालय के बजट का एक अंग होता है। मैं चण्डीगढ़ के संबंध में आपके ध्यान में दो-तीन बातें लाना चाहता हूं। चंडीगढ़ को इससे पहले पिछले साल के बजट में 102 करोड़ रुपए तथा इससे पिछले वाले बजट में भी 104 करोड़ रुपए के आसपास मिला था। लेकिन इस बार के बजट में सात करोड़ रुपया कम कर दिया गया है। बाकी सारे केन्द्र शासित प्रदेशों के बजट में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन चंडीगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जिस को सात करोड़ रुपए कम दिया गया है। वहां पर अभी नया नगर निगम बना है जिसके पास अपने रिसोर्सेज तक नहीं है। उसकी फायनेंसिंग, उसका सारा धन केन्द्र से जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि केन्द्र सरकार ने नगर निगम को प्रशासनिक काम तो दे दिए लेकिन काम के बदले धन जो मिलना चाहिए था, वह धन नगर-निगम को नहीं दिया गया जिसके कारण नगर निगम को अपने काम में काफी परेशानी और दिक्कतें हो रही है। मैं वित्त मंत्री जी से मांग करना चाहूंगा कि जो

[श्री सत्यपाल जैन]

हमारा कट लगाया गया है, वह वापस लिया जाना चाहिए। बहुत सारी बातें प्रधान मंत्री जी ने कही हैं, जैसे गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को सस्ता राशन देने वाली बात कही हैं। मुझे बाकी प्रदेशों की स्थिति का तो पता नहीं है, लेकिन चंडीगढ़ जो केन्द्र सरकार के नीचे आता है, अभी तक वहां गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों की सूचियां तक नहीं बनाई गई हैं। वहां पर किसी किस्म का अभी तक सर्वे तक नहीं किया गया हैं। मैंने बार-बार खत लिखा है कि इसके संबंध में आप कार्यवाही करें तथा सूचियां बनाएं। लेकिन अभी तक कोई सर्वे नहीं हुआ है तथा कोई कदम नहीं उठाया गया। इस प्रकार से उन लोगों को इसका लाभ कैसे मिलेगा ? इतना ही नहीं चंडीगढ़ राशन कार्ड बनने पर ही वहां प्रतिबंध लगाया हुआ है। आप गरीबी की रेखा की बात तो छोड़ दीजिए। यदि कोई व्यक्ति अपना राशन-कार्ड बनाना चाहे, उस पर भी सरकार ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। फिर भी हमारे वित्त मंत्री जी कहते हैं कि यह गरीबों का बजट है।

हमारे यहां एक लाख के करीब लोग स्लम्स में रहते हैं। हमारे केन्द्रीय और चंडीगढ़ प्रशासन ने उन लोगों को बसाने के लिए कई स्कीमें बनाकर दी हैं, लेकिन केन्द्रीय सरकार की ओर से धन नहीं मिल रहा है, जिसके कारण लोगों को बसाने का काम भी रुक गया है, वह काम आगे नहीं चल पा रहा है।

बिजली और पानी से संबंध में बहुत सारी बातें कहीं गई हैं। दुनिया में सबसे खुबसूरत शहर चंडीगढ़ है, परन्तु वहां भी सात लाख में से डेढ़ लाख लोग ऐसे हैं, जिन्हें पानी और बिजली का कनैक्शन उपलब्ध नहीं है। उन लोगों को बिजली-पानी नहीं मिलता है। पांच-पांच सौ लोगों के बीच पानी का एक नल मिल रहा है। और इस बजट के अंदर चंडीगढ़ के लिए कोई किसी किस्म का प्रावधान नहीं है। कम से कम हर व्यक्ति को बिजली उपलब्ध हो और पानी के पानी मिले, इसकी व्यवस्था आपको करनी चाहिए, जो आपने इस बजट में नहीं की है।

प्रशासन ने दो-तीन वर्ष पहले हमारे यहां के रेहड़ी वाले लोगों से तीन-तीन हजार रुपए लिए थे कि उनको बूथ बनाकर देंगे, लेकिन धन के अभाव में, चूंकि केन्द्रीय सरकार धन नहीं देती है, हजारों लोग ऐसे हैं, जिनको बूथ नहीं दिए गए हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस संबंध में कार्रवाई करें।

महोदय, मकानों की समस्या आज सारे शहरों की है, जिसमें हमारा क्षेत्र चंडीगढ़ भी शामिल है और यह सबसे बड़ी समस्या उभरकर बन रही है। जब तक केन्द्रीय सरकार इस ओर ध्यान नहीं देगी, मकान बनाने के लिए अधिक पैसा नहीं देगी, चाहे वे मल्टी-स्टोरीड फ्लैट्स ही क्यों न हों, तब तक इस समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। इस बजट के अन्दर इस समस्या के समाधान की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इसके साथ-साथ गावों के विकास की बात सरकार कहती है। एक तरफ मकानों की समस्या है और दूसरी तरफ यह प्रशासन, जो केन्द्र के अधीन है, लोगों के पक्के मकान हैं, जिन्होंने अपनी जमीन पर बनाए हैं, उनको गिराना चाहता है। चंडीगढ़ प्रशासन ने लालडोरा एरिया नहीं बढ़ावा है, लेकिन हमारी केन्द्रीय सरकार ने भी लालडोरा क्षेत्र को बढ़ाने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है। इस बारे में कोई विचार नहीं हो रहा है, जबकि दिल्ली में इस क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। चण्डीगढ़ में इस क्षेत्र को नहीं बढ़ाया गया है, इस के कारण वहां 20 हजार मकान ऐसे हैं, जो गिराने के खतरे से घिरे हुए हैं। बार-बार उनको नोटिस जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार इस संबंध में स्पष्ट नीति बनाएं और लाल डोरा को शीघ्र बढ़ाएं।

हमारे यहां के प्राइवेट स्कूल के टीचर्स बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं कि उन्हें वैसे ही पेंशन मिलनी चाहिए, जिस तरीके से पंजाब में प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को पेंशन मिल रही है। चंडीगढ़ के अन्दर भी उसी पैट्रन पर 1979 एक्ट के अनुसार पेंशन लागू की जाए। 1969 का एक्ट पंजाब में रिपील हो चुका है, लेकिन यह एक्ट हमारे यहां आज भी लागू है। मैं मांग करता हूं कि सरकार इस संबंध में शीघ्र निर्णय ले एक्ट पंजाब में समाप्त हो चुका है, उसको चंडीगढ़ में जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस एक्ट को वापिस लिया जाए और 1979 का एक्ट लागू किया जाए और कर्मचारियों को पेंशन दी जाए।

सेन्ट्रल गवर्नमेंट के भी हमारे यहां बहुत से कर्मचारी हैं। उन कर्मचारियों को सी०एच०जी०एस० की फैसीलिटी उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में कचहरी ने भी सरकार को आदेश दे दिया है और होम मिनिस्टर तथा हैल्थ मिनिस्टर के बहुत सारे ब्यान आ चुके हैं, लेकिन अभी तक इस संबंध में वहां केन्द्र नहीं खोला है और जब इस बजट में इसकी व्यवस्था नहीं होगी, वहां के कर्मचारियों को लाभ मिलने वाला नहीं है।

मैं दो-तीन बातें कह कर अपनी बात समाप्त करूंगां केन्द्र शासित प्रदेश जहां-जहां भी है, वहां पर एक समस्या उभर कर आ रही है। वहां पर जितनी भी शक्तियां है, वे वहां को अधिकारियों के पास है, प्रबंधकों के पास है। उन में चुने हुए प्रतिनिधियों की कोई भागीदारी नहीं है। गृह मंत्री की जो सलाहकार समितियां हैं, उसका प्रावधान जरूर है, लेकिन किसी भी केन्द्र प्रशासित क्षेत्र में न तो ऐसी कोई समिति गठित की हुई है और न ही उसकी कोई बैठक होती है। इसका नतीजा यह होता है कि वहां कि नीतियों को बनाने में वहां के चुने हुए प्रतिनिधियों का भागीदारी नहीं होती है और जो परिणाम वहां निकलते, हैं, उसकी जिम्मेदारी तो चुने हुए प्रतिनिधियों पर आती है और लोगों को लगता है कि जो कुछ हो रहा है, वह चुने हुए प्रतिनिधि ही कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि उन नीतियों को बनाने में, उनके कार्यान्वयन में चुने हुए प्रतिनिधियों का हिस्सा नहीं होता है। इसलिए मैं आज अपने इस भाषण के माध्यम से केन्द्रीय सरकार से यह भी मांग करता हूं कि उन केन्द्र प्रशासित प्रदेशों में, जहां पर विधान सभा नहीं है, वहां पर चुने हुए लोगों को भागीदारी मिलनी चाहिए।

सीनियर सीटिजन्स को आपने काफी कन्सैशन्स दिए हैं, वे स्वागतयोग्य हैं। मैं चाहता हूं कि इनको और बढ़ाया जाना चाहिए।

हमारे प्रदेश की सारी स्कीमें केन्द्रीय सरकार के पास आई हैं और जब तक केन्द्रीय सरकार मन्जूरी नहीं देगी, अपने बजट में प्रावधान नहीं करेगी, तब उस संघीय क्षेत्र में विकास नहीं हो सकता हैं इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम 200 करोड़ रुपए का पैकेज, जैसे कि आप अन्य प्रदेशों के लिए एनाउन्स कर रहे हैं, इस प्रदेश के लिए भी दें, तभी तीन प्रदेशों केन्द्र एवं पंजाब एवं हरियाणा की और राजधानी और चंडीगढ़ का विकास हो सकता है और वहां की समस्याओं के समाधान करने में सहायता मिल सकती है।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को रेलवे बजट की तरह से कुछ ज्यादा देर बैठना है तो तय कर लीजिए। मेरे पास अभी 15 माननीय सदस्यों के और नाम हैं अगर वे पांच-पांच मिनट भी लेंगे तो सवा घंटा और लगेगा और पांच मिनट में कोई अपनी बात खत्म नहीं करता, दस मिनट तो हर आदमी जरूर लेना चाहेगा। तीन घंटे और लगेंगे। यह आप तय कर लीजिए, आप जो डिसाइड करें मैं उससे सहमत हूं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, यहां पर अधिक सदस्य उपस्थित नहीं है। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप तय कर लीजिए कि पांच मिनट से ज्यादा कोई नहीं बोलेगा। उनमें से कितने गैर हाजिर होंगे; यह मुझे अभी पता नहीं है। *(व्यवधान)*

श्री शरत पटनायक् : पांच मिनट ही बोलेंगे लेकिन दो-चार मिनट इधर-उधर हो सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, दो-चार मिनट भी इधर-उधर नहीं होंगे। पांच से तीन मिनट पर आने वाले नहीं हैं, पांच से दस मिनट पर जाने वाले हैं।

श्री शरत पटनायक : महोदय, हम सुबह से बैठे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप तय कर लीजिए। 12 बजे, एक बजे या दो बजे तक भी बैठना हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

[अनुवाद]

श्री पी० कोदंड रम्मैय्या (चित्रदुर्ग) : उपाध्यक्ष महोदय, हम आगे की कार्यवाही जारी रख सकते हैं। अन्यथा समय नष्ट होगा। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : पांच मिनट के बाद मैं एलाऊ नहीं करूंगा।

अब श्री ए०सी० जोस बोलेंगे।

[अनुवाद]

श्री ए०सी० जोस (इंदुक्की) : महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं लेकिन मैं खेद के साथ कहता हूं कि बोलने का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि आप मुझे बोलने के लिए केवल पांच ही मिनट का समय दे रहे हैं। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी को पांच मिनट का समय दे रहा हूं। आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और आप अपनी बात तीन मिनट में समाप्त कर सकते हैं।

श्री ए०सी० जोस : महोदय, यदि मैं माननीय वित्त मंत्री जी के शब्दों को दोहराऊं तो मैं कह सकता हूं कि हम कम भाग्यशाली हैं क्योंकि हमें केवल पांच मिनट का समय मिला है जबकि पूर्व वक्ताओं ने बहुत अधिक समय लिया था। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप आधा मिनट का समय ले चुके हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : कृपया मुद्दे पर आइए।

श्री ए०सी० जोस : महोदय, मैं इन बातों में नहीं जा रहा हूं। मुझे केवल एक या दो बात ही कहनी हैं।

मुझे यह कहते हुये खेद है कि माननीय वित्त मंत्री जी, जो हमेशा यह कहते हैं कि साझा न्यूनतम कार्यक्रम उनकी बाइबिल, कुरान और संयुक्त मोर्चा सरकार का नियंत्रक है, वह एक अच्छे अधिवक्ता के रूप में अपनी वचनबद्धता भूल गए हैं। मैं उनके बजट भाषण से एक वाक्य उद्धृत कर रहा हूं :

> "माननीय सदस्य यह देखेंगे कि मेरे पहले बजट और वर्तमान बजट में एक ठोस निरन्तरता कायम है। बजट का आधार न्यूनतम साझा कार्यक्रम है। पिछले आठ महीनों के अनुभव ने इस कार्यक्रम की प्रचुर क्षमताओं को प्रदर्शित किया है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर ध्यान आकर्षित करते हुए मेरे पहले बजट में सात मुख्य उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया था। इन उद्देश्यों में संवृद्धि, बुनियादी न्यूनतम सेवाएं, रोजगार, वृहत आर्थिक स्थिरता, निवेश (विशेषकर आधारभूत संरचना में), मानव विकास तथा व्यवहार्य भुगतान संतुलन जैसे महत्वपूर्ण तत्व शामिल थे।"

महोदय, बजट में इन मामलों और रोजगार के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया है। यदि मुझे समय दिया जाता तो मैं माननीय वित्त मंत्री जी को उन्होंने अपने बजट में बहुत सी बातें शामिल की हैं धन्यवाद देता, लेकिन मुझे खेद के साथ यह बात दोहरानी पड़ रही है कि इस बजट से अमीर आदमी और अमीर और गरीब आदमी और गरीब होगा। एक ओर तो 25000 रुपए माहवार पाने वाले व्यक्ति को आयकर में छूट मिलने से 900 रुपए की बचत होगी और दूसरी ओर आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, खेतिहर मजदूर को कम वेतन मिलता है। यदि उसका वेतन स्थिर भी रहता है, उसकी दिहाड़ी स्थिर भी रहती है, तो भी उसे अधिक नहीं मिल रहा है। आयकर में कमी करके उपभोक्ता बाजार में जो धन आ रहा है और लांभाश पर से कर समाप्त करने के परिणामस्वरूप गरीब लोगों को अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

महोदय, मैं रोजगार के बारे में चर्चा कर रहा था, इस बजट में रोजगार के सृजन के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया हैं नई आर्थिक नीति की घोषणा के बाद आपने 95,000 करोड़ रु० का निवेश किया है। इसके बावजूद रोजगार की स्थिति वैसी ही बनी हुई है। इस समय बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 995 लाख है।

इस बजट में इस बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। विशेषरूप से पूरे देश के शिक्षित बेरोजगार युवक किसी भी तरह के निवेश के लिए इस बजट की ओर निहार रहे हैं। सरकार की ओर से निवेश में कमी के कारण रोजगार के अवसरों में वृद्धि नहीं हो रही है। इसके परिणामस्वरूप बेरोजगारी बढ़ गई है। मुझे क्षीण होने का सिद्धान्त याद आ रहा हैं पिछले

[श्री ए०सी० जोस]

पांच वर्षों के दौरान, कुछ भी कम नहीं हुआ है। स्थिति लगभग वैसी ही है। अतः मेरा निवेदन यह है कि रोजगार के अवसर जुटाने के लिए तत्काल कुछ कदम उठाए जाएं जो गरीबी उन्मूलन की एक विधि है। मेरे विचार से यह एक जनसंपर्क बजट है। एक बहुत ही रोचक बात हुई है। बजट के तत्काल पूर्व देश के लोगों की मनःस्थिति अलग-अलग थी। निराशात्मक भविष्यवाणी करने वाले कह रहे थे कि संयुक्त मोर्चे की सरकार गिरने वाली है। ऐसी बातें हो रही थीं। अन्य लोगों ने भी बददुआ की थी लेकिन वित्त मंत्री जी के 90 मिनट के भाषण ने अचानक सब कुछ उलट कर रख दिया। क्या मैं नहीं समझता कि यह बजट की अच्छाई के कारण हुआ लेकिन एक बात निश्चित है कि समाचार-पत्र, समाचार पत्रों के मालिक, रिपोर्टर, अधिकांश समाचार-पत्र पढ़ने वाले और निगमित निकाय आयकर दाता हैं। जिस पल उन्हें रियायतों की भनक लगी उसी क्षण देश की मनःस्थिति बदल गई। हर किसी ने माननीय वित्त मंत्री जी की प्रशंसा करनी शुरू कर दी।

गरीब आदमी के बारे में क्या है ? मजदूर के बारे में क्या है ? निर्माण कार्य में लगे मजदूर की स्थिति क्या है ? क्या उन्हें कुछ मिला है ? मैंने यही कहा है और मुझे यही पूछना चाहिए था। श्री सी० इब्राहिम के बारे में यह कहा जाता है कि वह प्रधान मंत्री के बहुत अच्छे जनसंपर्क अधिकारी हैं मैं कहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी संयुक्त मोर्चे के बहुत अच्छे जनसंपर्क अधिकारी हैं। यह एक जनसंपर्क बजट है। मैं केवल इतना ही कह रहा हूं। मैं इस बारे में विस्तार से बोल सकता हूं। राष्ट्रीय नवीकरण कोश के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है जो कि डा० मनमोहन सिंह के बजट से सिद्ध हो गया है। एक तरह से वित्त मंत्री जी अपवाद स्वरूप किस्मत के धनी हैं। 1991 में डा० मनमोहन सिंह के विपरीत उन्हें एक स्थिर अर्थव्यवस्था विरासत में मिली है, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सात प्रतिशत वृद्धि दर्शाई गई है, 30.6 प्रतिशत औद्योगिक विकास और 20 प्रतिशत की दर से निर्यात बाजार वृद्धि दर्शाई गई है। डा० मनमोहन सिंह ने उस समय इस बात पर जोर दिया था कि नई आर्थिक नीति और औद्योगिक क्षेत्र में होने वाली प्रतिस्पर्धा के कारण कुछ छंटनी होगी। इसीलिए उन्होंने मजदूरों के लिए राष्ट्रीय नवीकरण निधि शुरू की हैं इस बजट मे राष्ट्रीय नवीकरण विधि के भविष्य के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया। तथा यह भी नहीं कहा गया है कि वह इस बारे में क्या रहे हैं।

महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि कारखानों से बहुत से मजदूरों की छंटनी की जा रही है क्योंकि कुछ रहस्यमय बातें फैल रही हैं। माननीय वित्त मंत्री जी से मेरा अनुरोध है और यह सुझाव है कि रोजगार बीमा योजना पर विचार करने का यह उचित समय है क्योंकि लघु क्षेत्र उद्योगों में बहुत से लोगों की छंटनी की जा रही है और वे बेरोजगार हो गए हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि रोजगार बीमा योजना तैयार की जाए यह इस काम के लिए उचित समय है। साथ ही उतनी ही महत्वपूर्ण बात यह है कि कारखानें लग रहे हैं। निवेश हो रहा है लेकिन जब हम भारत जैसे धनी आबादी, जिसकी जनसंख्या 960 मिलियन है वाले देश कर विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि प्रोत्साहन का रूझान आधुनिक है अर्थात् कम जनसंख्या और अधिक बुद्धिमता, मेरा सुझाव है कि बजट में सरकार को एक ऐसी नीति के बारे में सोचना चाहिए जिसमें लोगों को रोजगार की अधिक संभावनाओं के साथ प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। कारखानों में रोजगार की अधिक संभावनाएं होनी चाहिए।

बजट में केरल को अत्यधिक कम राशि दी गई है। हमारे पास सरकारी क्षेत्र के उद्योग बहुत कम हैं। उत्पाद शुल्क में वृद्धि तथा आयात शुल्क में कटौती के कारण वहां के दो अथवा तीन प्रमुख उद्योग बंद होने के कगार पर हैं। तिरूअन्तपुरम में सबसे पुरानी टिटेनियम डाइऑक्साइड फैक्ट्री बंद हो जायेगी। उत्पाद शुल्क और आयात शुल्क नीति के कारण क्विलोन के समीप द केरल पेट्रोल एण्ड मिनरल भी बंद होने के कगार पर है। "एम०ए०सी०टी०" से केरल में उद्योगों का पादुर्भाव हुआ। इसे भी चलाने में कठिनाई महसूस की जा रही है। यह "कैपरोलेक्टम" का उत्पादन कर रही है। दि हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन नामक एक अन्य फैक्ट्री ठीक चल रही थी और लाभ कमरा रही थी। अखबारी कागज की आयात नीति के कारण स्टॉक एकत्रित हो रहे हैं। अतः इस फैक्टरी को भी चलाने में कठिनाई आ रही है।

दि मोडर्न फूड इण्डस्ट्री की भारत देश में 14 अथवा 15 इकाइयां हैं तथा इसकी एक इकाई कोचीन में है जो लाभ कमाती है। विनिदेश आयोग की सलाह पर सरकार ने इसे बेचने का निर्णय ले लिया है। इसे बेचने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार अच्छी फैक्टरियों तथा अच्छी कम्पनियों को दूसरों को क्यों बेच रही है। सरकारी क्षेत्र ने बहुत सेवा की है। मैं उनके विस्तार में नहीं जा रहा हूं लेकिन मेरा सुझाव है कि कम से कम इन फैक्टरियों की जांच की जाये तथा इस संबंध में कुछ किया जाये।

तथापि, हमारे पास लेटेक्स की कुछ इकाइयां हैं। जो बंद हो रही हैं क्योंकि हमने पोलीयूरेथेन का आयात किया है जिससे फोम·रबड़ तथा फोम के गद्दे बनते हैं और इसी के कारण तीन सौ के लगभग छोटी-छोटी फैक्टरियां बंद हो रही हैं मेरा सुझाव है कि वित्त मंत्री को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए तथा इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री पी० कोदंड रम्मैय्या : मुझे आम बजट पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यहाँ पन्द्रह लोग उपस्थित हैं।

श्री पी० कोदंड रम्मैय्या : पेरिस में 'लोवरी' में *मोना लिसा* की पेंटिंग हैं यह चित्रकारी लियोनार्डो डा० विन्सी द्वारा की गई थी तथा यदि हम इसे किसी भी दृष्टिकोण से देखें तो हमें यह आभास होगा कि वह हम पर मुस्कुरा रही है। लेकिन आज मुझे विश्वास है कि इस बजट से सब की खुशी के कारण श्री पी० चिदम्बरम की लोकप्रियता पर *'मोनालिसा'* झेंप गयी होगी।

पहले रियायतों को ही लीजिये, उन्होंने आयकर स्तरों, निगमित करों को पांच प्रतिशत कम कर दिया है, लांभाश कर समाप्त कर दिया है, सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क युक्तियुक्त बना दिये हैं तथा 7.5 प्रतिशत का निगमित अधिकार भी समाप्त कर दिया है। इसी प्रकार उन्होंने निवेश की सीमा 24 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर कुछ हद तक विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया है।

वित्त मंत्री की उदारता की प्रशंसा करते हुए मैं ग्रामीण क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र तथा योजना परिव्यय संबंधी सरकार के कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए और राजस्व कमाने के बारे में उन्हें आगाह कर सकता हूं।

अब मैं राजसहायताओं को लेता हूं। बजट में उर्वरक क्षेत्र में 9,190 करोड़ तथा खाद्य और चीनी क्षेत्रों में 7,500 करोड़ रुपये वितरित करने का प्रावधान है। वस्तुतः हमने नौवीं योजना दृष्टिकोण पत्र में कहा है कि हम राजसहायताओं को कम करने का प्रयास करेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश, संभवतः परिस्थितियों की मजबूरी की वजह से वित्त मंत्री ने राजसहायताओं पर बड़े परिव्यय की परिकल्पना की है। शिक्षा तथा स्वास्थ्य के लिए तो राजसहायताएं ठीक हैं लेकिन उर्वरकों, खाद्य तथा चीनी पर इसे सोच समझकर दिया जाना चाहिये। उदाहरणार्थ, राजसहायता देते हुए भी सरकार ने यह पता लगाने की परवाह नहीं की कि क्या राजसहायता गरीब किसानों, छोटे किसानों तथा सीमान्त किसानों अथवा इन जैसे प्रत्येक को दी जाये। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े किसान आजकल इस राजसहायता का अत्यधिक लाभ उठा रहे हैं।

मेरा वित्त मंत्री से अनुरोध है कि वे राजसहायता की मात्रा पर नियंत्रण रखें तथा भिन्न-भिन्न दरों पर दें। यदि वह देनी ही हो तो वे छोटे किसानों को अधिक राजसहायता तथा बड़े किसानों को कम राजसहायता दे सकते हैं। अन्यथा मेरा सुझाव है कि किसी बड़े किसान को उर्वरकों, ट्रक्टरों तथा टिलरों पर राजसहायता की आवश्यकता नहीं है।

चीनी तथा खाद्य पर भी हालांकि भेदभाव पूर्ण की राजसहायताएं हैं। बेहतर है कि हम केवल एक राजसहायता रखें तथा केवल एक कार्डधारक की पहचान करें और उसे कुछ राजसहायक्ता दें। दूसरों के लिए राजसहायता की कोई आवश्यकता नहीं हैं तथा सरकार को एक निश्चित समय सीमा में कोई व्यवस्था करनी चाहिये जिससे सभी वस्तुओं पर वे सारी राजसहायताएं समाप्त कर सकें।

जहां तक अवसंरचनात्मक विकास का सवाल है, सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत अच्छा नहीं किया है जहां परिवहन में सिचांई पर तथा बाढ़ नियंत्रण पर और उद्योग तथा खनिज पदार्थों पर परिव्यय संशोधित प्राक्कलनों से कम है। 1996-97 के बजट में अवसंरचनात्मक परिव्यय का सदुपयोग नहीं किया गया है लेकिन इन क्षेत्रों को अधिक परिव्यय कम ही दिया गया हैं।

मेरा माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि जितना भी बजट आवंटन विशेषरूप से अवसंरचनात्मक क्षेत्र में किया गया है उसका सदुपयोग हो।

मैं ऊर्जा के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। हमारे सभी राज्यों में विद्युत बोर्ड सफेद हाथी बन गए हैं। आज भी सरकारें अत्यधिक राजसहायताएं देने के उपाय कर रही हैं। हाल ही में नई पंजाब सरकार ने घोषणा की है कि वह सिंचाई जल अथवा विद्युत पर कोई शुल्क नहीं लेगी। यदि इन चीजों की अनुमति दी जाती है तो अन्तोतगत्वा इन राजसहायताओं की लागत कौन वहन करेगा। हम धनी लोगों को धन नहीं दे सकते। उदाहरणार्थ, पंजाब का एक किसान देश के अन्य किसी किसान से अधिक धनवान माना जाता है। वस्तुतः मुझे कोई कारण समझ में नहीं आता कि पंजाब में सिचांई कर तथा बिजली पर कर क्यों समाप्त किये गये हैं।

इस बात का उज्जवल पक्ष संचार, सामाजिक सेवाएं, कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण तथा ग्रामीण विकास संबंधी परिव्यय है। ये परिव्यय कायम रखे जा सकते हैं लेकिन यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि इन्हें समुचित रूप पर खर्च किया गया है। उदाहरणार्थ, चालू बजट में ग्रामीण ऋण 22,000 करोड़ रुपये के वर्तमान स्तर से अगले बजट में 28,600 करोड़ रुपये बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस बढ़ोत्तरी का स्वागत है और यह सुनिश्चित करना चाहिये कि जो व्यक्ति ऋण चाहता है क्या उसको यह अंत में मिलता है।

सामाजिक सेवाओं पर बुनियादी न्यूनतम सेवाओं हेतु 2,466 करोड़ रुपये का परिव्यय या चालू वर्ष के बजट में यह 3,300 करोड़ रुपये बढ़ा दिया गया है। सामाजिक क्षेत्र का कुल परिव्यय 11,785 करोड़ रुपये से 15,707 करोड़ रुपये बढ़ा दिया गया है। यह गरीबों तथा बजट के विरूद्ध की गई उस आलोचना की चिन्ता का परिचायक है कि "यह बजट अमीर समर्थक है जो पूर्णत अनुचित है।"

यदि आप विकास और सुदृढ़ आर्थिक आधार चाहते हैं तो आपको उन लोगों को रियायतें देनी होंगी जो उत्पादन करते हैं। यदि कुछेक धनी उद्यमी किसी चीज का उत्पादन कर रहे हैं तो यह आवश्यक है कि उत्पादन बढ़े ताकि वितरणीय उत्पाद-स्तर आम जनता को उपलब्ध हो सके।

गंगा कल्याण तथा कस्तूरबा शिक्षा निकाय जैसी अन्य योजनाएं हैं जिनके लिए सरकार ने कुल मिलाकर 450 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। चालू स्वरोजगार योजना पुनः परिस्थिति के अनुकूल बनाए जायेंगे। इस क्षेत्र में, मैं माननीय वित्त मंत्री को आगाह करना चाहता हूं। यह अपेक्षित है कि इन कार्यक्रमों का उन्हीं लोगों द्वारा विवेचित रूप में मूल्यांकन किया जाता है जो इनके बारे जानते हैं। जवाहर रोजगार योजना के नाम से ज्ञात योजना के अंतर्गत ग्रामीण अर्थव्यवस्था में काफी धन लगाया गया है। निःसंदेह इन्दिरा आवास योजना में व्यक्तिगत परिसम्पत्ति दी गयी है। अन्यथा ऐसा नहीं लगता है कि अधिकांश धन उन लोगों तक नहीं पहुंच रहा है जिनके लिए यह भेजा गया है यदि सामाजिक क्षेत्र के लिए आवंटित धन आजादी के पचास वर्षों में समुचित रूप में खर्च किया जाता है तो मैं समझता हूं कि इस देश में प्रत्येक व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर जीवनयापन कर रहा होता। अतः यह आवश्यक है कि माननीय वित्त मंत्री जिला स्तर पर इन कार्यक्रमों की निगरानी करने का तरीका अपनायें। ग्रामीण संरचना विकास निधि चरण तीन को 2500 करोड़ रुपये दिये गये हैं मुझे आशा है कि राज्य सरकारें इन निधियों का समुचित सदपुयोग करेंगी।

तेल क्षेत्र के सम्बंध में, मेरा माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध है कि वे तेल उत्पादों की कीमतों में वृद्धि करें। अभी उचित समय है कि वे ऐसा करें। यदि सरकार का इस सत्र के पश्चात ऐसा करने का विचार है, तो मैं माननीय वित्त मंत्री को सलाह देता हूं कि इसे रद्द करना आवश्यक नहीं है बल्कि उन्हें तेल उत्पादों की कीमतों में वृद्धि करनी चाहिये चूंकि अर्थव्यवस्था उस वृद्धि को वहन कर सकती है। उदाहरणार्थ, मैं मिट्टी के तेल का मामला लेता हूं। मिट्टी के तेल की कीमत पांच प्रतिशत बढ़ाकर हमें क्या नुकसान हुआ है ? लेकिन इस वृद्धि से कितना राजस्व अर्जित होगा ? पांच प्रतिशत की वृद्धि कोई अधिक वृद्धि नहीं है तथा वे लोग जो गावों में रह रहे हैं पांच प्रतिशत वृद्धि को वहन कर सकते हैं। अन्तोतात्वा

[श्री पी० कोदंड रम्मैय्या]

जो मुझे कहना है वह यह है कि सरकार लोगों को अच्छा वेतन तथा अधिक वेतन दे और तब उन्हें बाजारू मूल्य पर चीजें खरीदने दे। सभी ने कहा है कि मुद्रास्फीति विकासशील अर्थव्यवस्था का एक अंग है।

हम जॉन मेनार्ड केनिज को नहीं भुला सकते जिन्होंने कहा था कि विकासशील देशों में धन का आना आवश्यक है विशेषकर जब आर्थिक मंदी हो। अतः यह परामर्श योग्य है कि हम इस प्रकार की नीति बनाये।

कर भार कम करके वित्त मंत्री ने इसका दायरा बढ़ाकर अच्छा ही किया है। लेकिन यह केवल तभी दिया जा सकता है जब प्रवर्तन तंत्र अथवा समाहरण तंत्र वस्तुतः सजग और सच्चा हो। उन्हें प्रशासनिक लागत का भी ध्यान रखना होगा। कर ढांचे को लागू करना भी नियंत्रण में रखा जाये।

चार मानदण्ड बनाकर एक अन्य अच्छी योजना जो उन्होंने पेश की है वह अनुमानित आयकर दाताओं के बारे में है। सच्चाई तो यह है कि मैं यह कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति एक चौपहिया गाड़ी खरीद सकता है तो आयकर कानून के अंतर्गत उस पर कर लगाने के लिए यह अकेला मानदण्ड ही पर्याप्त है।

किसी व्यक्ति पर कर लगाने के लिए इन चार मानदण्डों में से दो पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। बेहिसाब धन को दी गई छूट एक अच्छी योजना है। एक बार फिर हमारे उद्देश्य प्रशंसनीय हो सकते हैं लेकिन कार्यान्वयन बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता है।

मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं हांलाकि मैंने अधिक समय लिया।

श्री ए० सम्पत (चिरायिंकिल) : उपाध्यक्ष महोदय, निःसंदेह कुछ आपत्तियों के साथ मैं बजट प्रस्तावों का समर्थन करता हूं।

जैसा कि श्री ए०सी० जोस ने सभा में बताया है कि अधिकांश वे लोग जो जानते हैं कि बजट क्या होता है और जो बजट प्रस्तावो की प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब खुश हैं। परन्तु देश की वह अधिकांश आबादी जो यह नहीं जानती कि बजट क्या होता है और इस बजट से उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वह तो सिर्फ एक बात जानती है कि देश पर चाहे जो भी राज करे, महंगाई बढ़ेगी अमीर और अमीर होता जाएगा और गरीब और अधिक गरीब होता जाएगा। यही खेद का विषय है।

परन्तु साथ ही माननीय वित्त मंत्री द्वारा किये गये कार्य और इस बजट को तैयार और प्रस्तुत करने में किये गये प्रयास की भी मैं सराहना करता हूं। किसान, विशेषकर बड़े और मझोले किसान खुश हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये अधिक धन प्रदान किया गया है। यह स्वागत योग्य बात है कि राज्यों को अपना अधिक हिस्सा मिलेगा। हमारे वैज्ञानिक प्रोत्साहित होंगे और भविष्य में भी उन्हें और प्रोत्साहन मिलेगा। शेयर बाजार में तेजी आई है और देश के बड़े औद्योगिक घराने खुश हैं। उद्योग परिसंघ खुश हैं। परन्तु, साथ ही कुछ अन्य क्षेत्र हैं, जहां मैं यह कहने का साहस तो नहीं करता कि उनकी अपेक्षा की गयी है, परन्तु वित्त मंत्री ने उन क्षेत्रों में अमीरों और गरीबों को कठिनाई में डाल दिया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बजट गरीब विरोधी नहीं है, परन्तु यह बजट गरीबों का बजट भी नहीं है। यह कुछ-कुछ अमीरों का बजट है। परन्तु साथ ही, कुछ तथ्यों की मैं प्रशंसा भी करूंगा। चूंकि हमारे राष्ट्र ने संघवाद के नये युग में प्रवेश किया है, अतः यह बजट एक नयी प्रवृत्ति दर्शा रहा है, इसने आर्थिक संघवाद की प्रशंसा की है और उसके कुछेक मुद्दों को प्रोत्साहित कर रहा है।

साथ ही, मेरी कुछ आशंकाएं हैं क्योंकि हमारे देश के आर्थिक उदारीकरण के अनेक समर्थक हैं। परन्तु आर्थिक उदारीकरण का क्या परिणाम निकला है ? धनी और धनी हो गया तथा गरीब और भी गरीब हो गया। लगभग सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ गयी हैं। तेल के उत्पादन में गिरावट आयी है। यह तो दुर्लभ वस्तु हो गयी है। हम अरब देशों और खाड़ी के देशों से अधिक से अधिक तेल का आयात कर रहे हैं। हमारा निर्यात घटा है और निर्यात से होने वाली आय अभी भी घट रही है। बिजली क्षेत्र की उपेक्षा की गयी है। अनेक राज्यों में बिजली की कमी विकट बन गई है। भारत में लगभग सभी राज्य बिजली की गम्भीर कमी का सामना कर रहे हैं।

आर्थिक उदारवाद से हमें क्या लाभ हुआ है ? इससे केवल धनी लोगों को लाभ हुआ है। उपभोक्ता वस्तुओं का अधिक उत्पादन किया गया। साथ ही, आधारभूत संरचनाओं और प्रमुख उद्योगों की उपेक्षा की गई। गत 4-5 वर्षों के दौरान यही सब हुआ है।

अब मैं पांचवे वेतन आयोग के प्रतिवेदन सम्बन्धी कुछ मामले उठाऊंगा अनेक समाचार पत्रों में यह खबर छपी है कि रेगिस्तान और हिमालय के क्षेत्र में हमारे महान राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा करने वाले बेचारे जवानों को किसी कार्यालय में बेहतर स्थिति में किसी भवन में कार्यरत औसत लिपिक को मिलने वाले पैसे की तुलना में बहुत कम पैसा मिलेगा। अतः यदि समाचारपत्रों में छपी खबरें सही हैं, तो हमारे जवानों की उपेक्षा की गई है। हम समानता खोते जाएंगे, यदि इस प्रकार से यह सब लागू होता रहा तो असमानता और बढ़ जाएगी।

मैं आपका ध्यान कुछ अन्य कारकों की ओर भी दिलाना चाहूंगा। लगभग अस्सी के दशक से ही केन्द्रीय योजना वित्त में ढांचागत परिवर्तन हुआ है। इसका अर्थ यह हुआ कि केन्द्रीय योजना जो ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों और मानव संसाधन विकास क्षेत्रों पर संकेन्द्रित है की गत 5-6 वर्षों से उपेक्षा की गई है। यदि यह प्रवृति जारी रही, तो हमारी अर्थव्यवस्था का विकास क्षैतिज न होकर सिर्फ लम्बवत होगा। महोदय, मैं इस सभा में नवागन्तुक हूं। परन्तु मेरी मामलू जानकारी के अनुसार भी आर्थिक विकास का अर्थ होता है लम्बवत और क्षैतिज दोनों दिशाओं में आर्थिक विकास। अब संसाधन कुछ मुट्ठीभर लोगों के हाथों में संकेन्द्रित हैं।

मैं अत्यन्त गरीब राज्य केरल का रहनेवाला हूं। मेरे मित्र पहले भी इस सभा में बोल चुके हैं। मेरे राज्य का नाम उपभोक्ता राज्य दिया गया है। भारत में उद्योगों को जो कुछ भी सहायता दी गई हो, हमें नुकसान उठा रहे हैं। जब कोई कर लगाया जाता है तो उस समय भी हमारा नुकसान होता है। इस देश में जो कुछ भी होता है, जो भी अच्छी बातों की घोषणा की गई है, वे सब हमारे लिये वरदान नहीं बल्कि अभिशाप बन रही है।

मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया दक्षिण की

तरफ ध्यान दें। पहले इस देश में होता यही था कि हमारे वित्त मंत्री हमेशा उत्तर की ओर ध्यान देते रहें।

महोदय, मैंने कुछ समय पूर्व इस पवित्र सभा में एक मामला उठाया था। यह देश विदेशों में कार्य कर रहे लोगों से अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त कर रहा है। मेरे राज्य से 10 लाख से अधिक लोग केवल इस राज्य से ही नहीं, बल्कि इस महान राष्ट्र के बाहर भी कार्य कर रहे हैं। वे लोग अरब राष्ट्रों, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और अन्य सभी देशों में कार्य कर रहे हैं। वे अपनी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अपने घर भेज रहे हैं। परन्तु हमारे गृह राज्य केरल में राष्ट्रीयकृत बैंको से भी हमें कम आर्थिक सहायता और विधियां प्राप्त हो रही हैं। ये बैंक प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण मांगने वाले युवकों को भी स्वरोजगार ऋण प्रदान नहीं कर रहे हैं।

मेरे राज्य में ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। कुछ ऐसे भी लोग और आर्थिक विशेषज्ञ होंगे जो कहेंगे कि कुछ अन्य कारण भी होंगे क्योंकि हमारे पास आर्थिक आधारभूत संरचना और कुछ इसी प्रकार की चीजों का अभाव है। परन्तु मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या हमने इस देश में निवेश केवल आर्थिक आधारभूत संरचना के आधार पर किया है ? जी नहीं। इसके पीछे राजनीतिक कारण और राजनीतिक इच्छा हैं। परन्तु, क्योंकि हमने पहली बार, आर्थिक संघवाद के युग में प्रवेश किया है, पूर्वोत्तर राज्य, दक्षिणी राज्य, पश्चिमी राज्य और जम्मू कश्मीर राज्य और अधिक मांग कर रहे हैं। हमें जो मिलना चाहिए। वह हमें अवश्य दिया जाना चाहिए।

मुझे एक बात पर आपत्ति है जिसे मैं यहां व्यक्त करना चाहता हूं। मेरे विद्वान मित्र ने ठीक मुझसे पहले अपने भाषण में मुझसे अनुरोध किया कि पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में कुछ वृद्धि की जाय। मैं इस अनुरोध का प्रबल विरोध करता हूं। इससे मुद्रास्फीति होगी। इस मुद्रास्फीति के कारण इस देश में मुद्रास्फीति बढ़ी तेजी से बढ़ेगी। ऐसी स्थिति पर कोई भी नियंत्रण नहीं कर सकता। अतः मेरा विनम्र निवेदन है कि हमें प्रमुख क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, कोयला क्षेत्र, इस्पात क्षेत्र को और अधिक महत्व दिया जाना चाहिए तथा आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाना चाहिये। तेल की खोज को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। इन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिये और इसे मजबूत किया जाना चाहिये।

हमें अवश्य स्वावलम्बी होना चाहिये। केन्द्रीय बजट का मूल्यांकन करते समय यह बताया गया कि हमारा खाद्य उत्पादन घटा है। अब, हम अन्य देशों से खाद्यान्न का आयात कर रहे हैं। हमने दुनिया के समक्ष यह भी घोषणा की थी कि हम खाद्यान्न के मामले में आत्म निर्भर हो गये हैं। परन्तु हुआ क्या अब हमने बड़ी बेशर्मी से अन्य देशों से खाद्यान्न का आयात किया। अब हम अधिक से अधिक वस्तुओं का आयात करेंगे। यह अच्छी बात नहीं हैं यह हमारे उज्जवल भविष्य को नहीं दर्शाता है।

बात समाप्त करने के पूर्व, आपके माध्यम से मैं माननीय वित्त मंत्री से अपील करता हूं कि अधिक धन प्राप्त करने, देश में रुग्ण उद्योगों की सहायता करने और औद्योगिक विकास के लिये बी०आई०एफ०आर० और एन०आर०एफ० को मजबूत बनाना होगा।

हमें अपने कर आधार का विस्तार करना होगा। कुछ अन्य विकसित राष्ट्रों के पास भी व्यापक कर आधार हैं। वे लगभग 20 से 22 प्रतिशत लोगों से तक कर ले रहे हैं। जैसा कि श्री निर्मल कांति चटर्जी ने कल बताया, मैं विकासशील देशों का उल्लेख नहीं कर रहा हूं, विकासशील राष्ट्रों के पास भी अधिक व्यापक कर आधार है। हमारा कर आधार अत्यन्त सीमित है। यह 1 करोड़ 20 लाख लोगों तक ही सीमित है जबकि हमारे देश में 90 करोड़ लोग रह रहे हैं। अतः हमें कर आधार व्यापक बनाने के लिए कुछ अवसर का पता लगाने के प्रयास भी करने चाहिये।

मैं आपको अपना हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं माननीय वित्त मंत्री के प्रति सम्मान व्यक्त करना तथा उन्हें बधाई भी देना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि गांव और कम विकसित राज्यों, विशेषकर तमिलनाडु और केरल द्वारा उठाये गये मामलों की जांच करेंगे। मैंने इस सभा में बताया कि तमिलनाडु और केरल पड़ोसी राज्य हैं। हम केवल एक ही राजपथ का उपयोग कर रहे हैं जो दोनों राज्यों की राजधानियों चेन्नई और तिरुअन्नतपुरम को जोड़ता है जो कि तिरुअन्नतपुरम के दक्षिण में है और जो नागेरकायल, त्रिची और एम्बसमुद्रम होते हुए चेन्नई जाता है।

एक दूसरा प्रस्ताव जिसे कई वर्षों से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, वह नये राष्ट्रीय राजपथ का निर्माण हैं। यदि इसका निर्माण हो जाता है तो सड़क मार्ग से दूरी 200 कि०मी० से अधिक छोटी हो जाएगी। इससे प्रति वर्ष लाखों रुपये की बचत होगी। यह राजमार्ग तिरुअन्नतपुरम से अरियानद, कोट्टूर तथा 'सहयाद्रि' और एम्बसमुद्रम के रास्ते चेन्नई तक जायेगी। यह दोनों राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं के लिये मददगार होगा। मैं आशा करता हूं कि हमारे माननीय वित्त मंत्री इस प्रस्ताव पर भी विचार करेंगे और इस परियोजना के लिये धन प्रदान करने का भरसक प्रयास करेंगे।

श्री वी० गणेशन (चिदम्बरम) : उपाध्यक्ष महोदय, डा० कलियाईगनर, जो गरीबों, दलितों और उपेक्षितों के मसीहा हैं, और जिनके विदग्ध नेतृत्व में तमिलनाडु राज्य सामाजिक और आर्थिक समृद्धि की ओर अग्रसर हुआ है, के विलक्षण नेतृत्व वाले डी०एम०के० पार्टी की तरह से वर्ष 1997-98 के लिये केन्द्र सरकार के आम बजट पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस सभा के सदस्य के रूप में मैं श्री अन्नान मुरासोली मारान, जो कि संसद में मेरी पार्टी के नेता हैं और जो सभा में मेरे स्रष्टा भी हैं के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।

यह बजट एक युगान्तकारी बजट है। कांग्रेस सरकार भी गत पांच वर्षों के दौरान ऐसा बजट प्रस्तुत नहीं कर सकी है। अब तक का बजट श्वेत श्याम सिनेमा की तरह होता था आज हमारा बजट इस्टमैनकलर में हैं। अचानक, ऐसा बजट प्रस्तुत किया गया है जो कि सभी वर्गों के लोगों को संतुष्ट करता हैं उद्योग संतुष्ट है। किसान संतुष्ट हैं। शिल्पी संतुष्ट हैं। व्यापारी संतुष्ट हैं। विदेशी और देशी निवेशक संतुष्ट हैं। आर्थिक घाटे को नियंत्रित किया गया है विकास दर में वृद्धि है और यह स्थिर है। अर्थव्यवस्था में भारी उछाल होने वाला है। पूरी अर्थव्यवस्था विश्व आर्थिक मांगों के अनुकूल समायोजित करने के प्रमुख उद्देश्य को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।

महोदय, मुझे दो कारणों से वित्त मंत्री श्री पी० चिदम्बरम पर गर्व

[श्री वी० गणेशन]

है। पहला कारण यह है कि यह तमिलनाडु में डी०एम०के० का चुनाव क्षेत्र है जिसका में प्रतिनिधित्व करता हूं। दूसरा कारण यह है कि हमारे वित्त मंत्री का नाम है जिसने यह आश्चर्यजनक बजट प्रदान किया है।

महोदय, यह बजट गरीब और अमीर के बीच अन्तर समाप्त करने की दिशा में साहसपूर्ण कदम है। प्रत्येक व्यक्ति को विकास के लिये समान अवसर दिया गया है। रोजगार सृजन की आधारभूत संरचना और मानव विकास में निवेश की भारी संभावना है। आमूल कर सुधारों का प्रस्ताव किया गया है। जहां व्यक्ति और निगम स्वैच्छा से कर का भुगतान करते हैं, वहां वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय चरित्र निर्माण में आधुनिक कर प्रणाली लाई है। कराधान की दरें इतनी ऊर्ध्वमुखी नहीं होने जा रही है कि वह असहनीय हो जाएं बाल्कि यह समानान्तर और वहनीय होंगी। आधुनिक अर्थव्यवस्थाएं ऐसे कर ढांचों पर आधारित हैं।

सामाजिक क्षेत्रों के संबंध में बजट में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम लागू करने का लक्ष्य है। लड़कियों के लिए नए शिक्षा कार्यक्रमों को प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को और अधिक स्वायत्तता दिए जाने संबंधी प्रस्ताव भी स्वागत योग्य है।

महोदय, विभिन्न क्षेत्रों में किए गए आवंटन के आंकड़ों का उल्लेख किए बिना, इनका बजट दस्तावेज में उल्लेख है, मैं देश से संबंधित नीतियों के कुछ मुद्दों को उठाना चाहता हूं।

महोदय, मेरी कुछ मांगे है। मैं सरकार से विल्लुपुरम से कुड्डालोर तथा चिदम्बरम के रास्ते तेजावूर तक रेल लाइन के आमान परिवर्तन का कार्य तुरंत शुरू किए जाने का अनुरोध करता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र में अन्नामलाई विश्वविद्यालय के निकट एक रेल उपरिपुल होना चाहिए। इसके अभाव में उस क्षेत्र के लोगों को अत्यंत कठिनाई होती है। मैं सरकार से कुड्डालोर से नैवेली तथा विरूथासेलम के रास्ते अथ्यूर तक की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की मांग करता हूं। मैं सरकार से कट्टूमनार कोबिल से चिदम्बरम के रास्ते कुड्डालोर तक रेल लाइन बिछाने की व्यवहारिकता संबंधी अध्ययन कराये जाने की मांग करता हूं।

अब मैं इस सभा का ध्यान नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में कथित अनियित्रताओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा कई आवास अधिग्रहित किए गए हैं तथा एन०एल०सी० द्वारा भूमि का भी इस वायदे के साथ अधिग्रहण किया गया है कि इन भूस्वामियों के परिवार के एक सदस्य को रोजगार तथा आवास हेतु वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराया जायेगा। 15 से 20 वर्ष बीत चुके हैं लेकिन एन०एल०सी० प्रबंधन को गरीव लोगों के कल्याण के प्रति कोई चिंता नहीं है उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया है तथा कोई वैकल्पिक आवास भी नहीं दिया गया है। एन०एल०सी० द्वारा किए गए वायदे के बावजूद जिन परिवारों के घर तथा भूमि अधिग्रहित की गई है उनके सदस्यों को रोजगार नहीं प्रदान किया गया है। जिन लोगों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है उनके परिवार के सदस्यों को भी रोजगार दिया जाना है। एन०एल०सी० में कार्यरत तथा स्वास्थ्य आधार पर अयोग्य घोषित व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को एन०एल०सी० में रोजगार दिए जाने की कोई योजना नही है। इन पर विचार करने के लिए एक कार्यबल गठित किया जाना चाहिए ताकि इन्हें त्वरित न्याय मिल सके। इन सभी त्रुटियों के लिए एन०एल०सी० के प्राधिकारियों को जिम्मेवार ठहराया जाना चाहिए।

महोदय, देश जलापूर्ति के मामले में 2000 ईसवीं तक आत्म निर्भरता प्राप्त कर लेगा। मैं सरकार से इस दिशा में ध्यान देने का अनुरोध करता हूं। इस संबंध में मैं सरकार का ध्यान एन०एल०सी० के खनन क्षेत्र के 30 से 40 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले ग्रामीण लोगों हेतु पेयजल की स्थिति की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। खनन कार्य से खनन क्षेत्र के 30 से 40 किलोमीटर क्षेत्र का भू-जल अपने आप सोख लिया जाता है जिससे ये क्षेत्र सूख जाते हैं। इससे खनन क्षेत्र के आसपास कई गांव प्रभावित हुए हैं। मैं सरकार से नैवेली लिग्नाईट कारपोरेशन के खनन क्षेत्र के आसपास प्रभावित गांवों हेतु पूर्व से पश्चिम दिशा में पेय जल उपलब्ध कराने के लिए तुरंत एक योजना तैयार किए जाने की मांग करता हूं।

मैं सरकार को गैर सरकारी उद्योगों की कराधान के पुर्नगठन द्वारा प्रोत्साहित किए जाने हेतु उठाए गए प्रभावी कदम के लिए बधाई देता हूं सरकार द्वारा स्वरोजगार को प्रोत्साहन दिए जाने तथा इसे भारत में एक सफल उद्यम बनाने हेतु विशेष प्रयास किया जाना चाहिए। केवल स्वरौजगार तथा गैर सरकारी उद्योगों विशेषकर लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दिए जाने से ही बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सकता है।

महोदय, सरकारी सेवा में भर्ती सिर्फ वरीयता आधार पर होनी चाहिए तथा सरकार को रोजगार कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए। मैं इस सम्माननीय सभा को गर्व के साथ यह सूचित करना चाहता हूं कि डा० कलेशवर ने तमिलनाडु में सरकारी सेवाओं में सिर्फ वरीयता तथा प्रतिभा के आधार पर बेरोजगार व्यक्तियों को बहाल करके रोजगार कार्यालयों में व्याप्त कदाचार को समाप्त किया था।

अन्नान मुरासोली मारन के नेतृत्व में देश का औद्योगिक विकास नई ऊंचाईयों पर पहुंच गया है। राज्य में और अधिक रोजगार सृजित करने हेतु फोर्ड कार फैक्टरी स्थापति की गई हैं

अपराह्न 11.00 बजे

मैं सरकार से देश की वर्तमान न्यायिक प्रणाली की ओर ध्यान देने का आग्रह करता हूं। हालांकि विभिन्न न्यायालयों ने केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों में विलंब पर खेद प्रकट किया गया है परन्तु वे न्यायायिक निर्णय में होने वाले विलंब की अनदेखी कर रहे हैं। कोई भी ऐसा वादी अथवा प्रभावित पक्ष नहीं है जो खुशी से यह कह सके कि उन्हें न्यायालयों से समय पर न्याय प्राप्त हुआ है। प्रशासनिक अधिकरणों तथा उपभोक्ता अदालतों द्वारा निर्णय दिए जाने की गति अत्यंत धीमी है। मैं सरकार से अदालती प्रक्रियाओं को सरलीकृत किए जाने तथा जिला स्तर पर विषयों से संबंधित अदालतें गठित किए जाने की मांग करता हूं ताकि वादियों की त्वरित तथा दोषरहित न्याय मिल सके। यदि आर्थिक सुधारों के साथ-साथ न्यायिक तथा अदालती सुधार नहीं लाए गए तो जो भी आर्थिक सुधार होंगे अथवा इसके लाभ होंगे वह भारत की वर्तमान न्यायायिक व्यवस्था के कारण बेकार हो जाएंगे।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय वित्त मंत्री को इस अनूठे बजट के लिए बधाई देता हूं। मैं डा० कालांगीर, अन्नान मुरासोली मारन तथा अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों की इस सभा का सदस्य बनाये जाने तथा मुझे इसका सुनहरा अवसर प्रदान करने हेतु बधाई देता हूं।

[हिन्दी]

श्री एस०पी० जायसवाल (वाराणसी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वित्त मंत्री जी ने इस बजट को बड़ी चतुराई से तैयार किया है। इन्होंने यह साबित कर दिया है कि वे न केवल वित्त मंत्री है बल्कि वे एक चतुर राजनीतिज्ञ भी हैं। यह बजट भी राजनीतिक बजट है जिसका विरोध करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : चतुराई को तो आप एप्रीशिएट करेंगे।

श्री एस०पी० जायसवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में पहली बार आया हूं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हैं और हम सबसे बड़ी पंचायत में बैठे हैं। मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि इस बजट के समर्थन में जब सत्तारूढ़ दल के लोग भाषण देने के लिए खड़े होते हैं तो वे इस बजट की एक-एक धज्जियां उड़ा देते हैं और अंत में यही कहते हैं कि हम इस बजट का समर्थन करते हैं। इन दोमुखी चेहरों का देश और विश्व में क्या संदेश जाता होगा ? इनके जो समर्पित दल हैं, कांगेस पार्टी के प्रतिनिधियों ने इस बजट की एक-एक धज्जियां उड़ा दी और अंत में यही कहा कि मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। यह बहुत अच्छा बजट है। सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश के प्रतिनिधियों का क्या सही चरित्र है ? इस दोहरे चरित्र पर आश्चर्य होता है। मैं तो इस सदन में बड़ा निराश हूं। यदि इस प्रकार का दोहरा चरित्र यहां है तो कहां पर सही चरित्र दिखाई देगा।

खैर मैं अपनी बात कहने के लिए आगे बढ़ता हूं। यह बजट लघु उद्योगों के खिलाफ है। यह बेरोजगारी को बढ़ावा देने वाला और गरीब विरोधी ही नहीं बल्कि किसान विरोधी भी बजट है। इस बजट की 25 प्रतिशत रकम ब्याज में अदा करनी पड़ रही है। हमारे देश के निर्माताओं ने इतना ज्यादा कर्ज ले लिया है कि सम्पूर्ण बजट का 25 प्रतिशत हमको ब्याज में देना पड़ रहा है। भाजपा बजट में विदेशी निवेशक संस्थाओं एफ०आई०आई० को दी गयी अतिरिक्त रियायतों पर आपत्ति करती है। इस बजट के माध्यम से हम आपको यह बताना चाहेंगे कि जिस तरह का बजट प्रस्तुत किया गया है उससे छोटे उद्योगों के ऊपर आघात लगेगा। बजट में वित्त मंत्री जी ने सीमा शुल्क में कमी करके विदेशियों को आमंत्रित करने का काम किया है। वित्त मंत्री जी से मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि किसी एक परिवार के लिए जब हम बजट बनाते हैं, उसका नियोजन करते हैं तो यह विचार करते हैं कि 10-20 वर्षों में हमारा परिवार कैसा बनेगा, किसी राष्ट्र के निर्माण के लिए जब हम विचार करते हैं तो यह विचार करना पड़ता है कि 50-100 वर्षों में इस देश का कैसा स्वरूप लाना चाहिए। इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों ने इस देश की आर्थिक योजनाओं के बारे में विचार किया। यह कृषि प्रधान देश है। यहां 80 प्रतिशत किसान और कृषि से संबंधित लोग आजीविका उपार्जन करते हैं। हमको कुटीर उद्योग धंधों, लघु उद्योग धंधों पर ध्यान देना चाहिए, महात्मा गांधी से लेकर तमाम लोगों ने इस देश की रचना के बारे में ऐसे विचार व्यक्त किए। मैं बताना नहीं चाहता, आप जानते होंगे कि इस देश का केवल एक-तिहाई उपजाऊ भूमि चीन के पास है। भारतवर्ष की जितनी उपजाऊ भूमि है, उसकी एक-तिहाई भूमि चीन के पास है। लेकिन चीन हमसे दुगना उत्पादन करता है। वह कौन सी योजना है जिसके कारण एक-तिहाई भाग उपजाऊ भूमि पर भी चीन हमसे दुगना उत्पादन करता है। हमको सोचना पड़ेगा, अपने दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा। कृषि प्रधान बजट बनाना होगा। आज केवल उत्तर प्रदेश सम्पूर्ण देश को खिला सकता है। अभी हमारे एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के इतने प्रधानमंत्री हुए, वित्त मंत्री भी उत्तर के ही हुआ करते थे। मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के 7-8 प्रधानमंत्री हुए लेकिन उत्तर प्रदेश को जो धन ऐलॉट किया गया, उसकी आबादी 16 प्रतिशत है लेकिन किसी वर्ष भी बजट में 7 प्रतिशत से अधिक धन ऐलॉट नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश दिनोदिन पिछड़ता चला गया। आज वह गरीबी रेखा से और नीचे चला जा रहा है। आज वह इतना पिछड़ गया है कि यदि बजट में लगातार दस वर्षों तक 25-30 प्रतिशत धन ऐलॉट नहीं किया तो वह और प्रदेशों की तुलना में आगे नहीं आ सकता। उत्तर प्रदेश भूख के मारे तड़प रहा है, वहां बेकारी बढ़ी है। चाहे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कलकत्ता या मुम्बई हो, उत्तर प्रदेश के लोगों को मजदूरी करनी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश गंगा-जमुना की धरती है। वहां लोहा है, कोयला है, तांबा है, उपजाऊ जमीन है। लेकिन केन्द्र सरकार की उपेक्षा ने उत्तर प्रदेश को इतना पीछे कर दिया है कि वहां भूख कि अग्नि प्रजव्लित हो गई है। मैं बहुत साफ तौर पर कहना चाहता हूं, माफ कीजिए हमारे कांग्रेस के बंधु, आप सबने उत्तर प्रदेश की इतनी उपेक्षा की कि वहां की जनता ने आपको छोड़कर भाजपा के लोगों को सहयोग दिया। यदि आपका रवैया इसी तरह रहा तो एक दिन सारा उत्तर प्रदेश भाजपा की तरफ चला आएगा।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, बात सोची है कि हमारे यहां पशुधन को भी बढ़ावा मिलना चाहिए। पशुधन बहुत बड़ा धन होता है आप देखें 1993-94 में आपने 17.4 करोड़ का दुग्ध चूर्ण और मक्खन विदेशों से खरीदा, 1994-95 में लगभग दुगना यानि 32.7 करोड़ का खरीदा, 1995-96 में भी दुगना यादि 61.6 करोड़ का आयात करना पड़ा। पशुधन को बढ़ावा देकर हम अपनी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं।

मैं उत्तर प्रदेश के बुनकरों के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज वे परेशान हैं। चीन से आने वाले रेशम पर लगाए गए सीमा शुल्क से आज उनकी सारी आमदनी, आय कम हुई है। आमदनी बढ़ रही है। बुनकरों को राहत देने के लिए चीनी, रेशम उनका रॉ मैटीरियल है। चीनी, रेशम के निर्यात को मुक्त करना चाहिए और सीमा शुल्क से हटा लेना चाहिए।

मैं वाराणसी नगर से आता हूं। आप जानते हैं कि वाराणसी केवल भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का एक पर्यटक केन्द्र है। वाराणसी के घाट विश्व में अद्वितीय हैं लेकिन वित्त मंत्री जी, उन घाटों की सुरक्षा और सुन्दरीकरण के लिए इस बजट में कोई स्थान नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि गंगा प्रदूषित है। 49 करोड़ रुपये की गंगा एक्शन प्लान में जो योजना ली गई, वह असफल हो गई। उसके लिए गंगा एक्शन प्लान पर नये सिरे से विचार करना चाहिए, उसमें सदस्यों के साथ बैठकर

[श्री एस०पी० जायसवाल]

हमारी भी राय लेने की आपको आवश्यकता है। गंगा के प्रदूषण को दूर करना, गंगा के घाटो का सुधार और काशी के सौन्दर्यीकरण के लिए कम से कम 200 करोड़ रुपये का इस बजट में प्रावधान करने का मैं आपसे अनुरोध करता हूं।

मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, मैंने 20.11.1996 को एक पत्र आपको पूर्वांचल जर्दा पान मसाला निर्माता एसोसिएशन की ओर से भेंट किया था। उसमें मैं आपसे केवल एक बात ध्यान दिलाने के लिए कहना चाहता हूं कि अनब्रांडेड व्यूइंग टोबैको पर 1.4.1994 से 10 प्रतिशत अतिरिक्त उत्पाद शुल्क पूरे देश के अन्दर लगा दिया गया है। केवल दो तीन करोड़ रुपये का व्यापार होता है, यह छोटे कुटीर उद्योग धन्धा है, गरीब आदमी इसका काम करते हैं। इससे आपको मात्र 20 से 30 लाख रुपये प्राप्त होंगे। हाथी निकल गया, पूंछ अटक गई। अनब्रान्डेड पर बी०ई०डी० नहीं है, लेकिन ए०ई०ओ० 10 परसेंट करने के कारण छोटे-छोटे गरीब लोगों को उसमें फांस दिया है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उसे इससे मुक्त किया जाये।

मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय कर्मचारियों को जो सी०जी०एच०एस० की सुविधा दी गई है, यह सुविधा जिनको प्राप्त है, उनके वेतन से प्रतिमाह पैसा कटता रहता है और जिनको यह सुविधा प्राप्त नहीं है, उनको अलग से धनराशि दी जाती है। हर माह उनके वेतन से लाइसेंस शुल्क की कटौती होती है। आपसे निवेदन है कि इन दोनों मदों में पूरे साल में जितने रुपये की कटौती होती है, उसे पूर्णतया आयकर से मुक्त कर देना चाहिए।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप हमारे रक्षा बजट में कुछ और धन दीजिए। हमारी जानकारी में रक्षा मंत्री ने आपसे अनुरोध किया था और रक्षा मंत्री के अनुरोध को आपको स्वीकार करना चाहिए था, क्योंकि अगर हमारी रक्षा पंक्ति ठीक नहीं रही तो हमारे लिए दिक्कत हो जायेगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि विशेषज्ञों का कहना है कि भारत ने पिछले साल अपने सकल घरेलू उत्पाद का केवल 2.39 परसेंट ही रक्षा पर खर्च किया है। पाकिस्तान ने सकल घरेलू उत्पाद का 6.88 प्रतिशत और चीन ने 5.63 प्रतिशत रक्षा पर खर्च किया है, इसलिए रक्षा व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता है।

आपने शेयर बाजार को जो छूट दी है, उससे शेयर बाजार के लोग खुश होंगे। लेकिन सड़कों से माल ले जाने और लाने पर आपने सेवा शुल्क लगाया है, आपको उसको हटा लेना चाहिए। आपने पिछले साल जो छूट दी थी, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि क्या वजह थी कि आपने मुरब्बा, जैली, चटनी और शोरबा जैसी वस्तुओं पर पिछले बजट में दी गई छूट को फिर से लागू कर दिया, यह आप बताएंगे। बीड़ी जैसी मजदूर के पीने वाली चीज पर और पोस्ट कार्ड पर लगे हुए टैक्स को समाप्त करने के लिए भी मैं आपसे अनुरोध करता हूं।

विदेशी वित्तीय संस्थानों को पूंजीगत लाभ शुल्क घटाकर जो आपने कम किया है, इससे देश का नुकसान होगा। देश का बजट आगामी 50-100 वर्ष की कल्पना से आप बजट दें, यह अनुरोध करते हुए इस बजट का विरोध करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह खुशी की बात है कि जिनका नाम बोल रहे हैं, वे सभी यहां हाजिर है।

श्री शरत पटनायक (बोलंगीर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज आपने बजट के ऊपर बोलने के लिए जो मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

वित्त मंत्री ने जो गरीब लोगों के लिए बताया, बहुत सारे प्रोग्राम्स उन्होंने खुद रखे हैं। इस देश में ऐसे भी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, ड्राउट प्रॉन एरियाज है, जिसके लिए कोई भी प्रोग्राम इस बजट में नहीं रखा गया है। जैसे महाराष्ट्र का विदर्भ एरिया है, सौराष्ट्र-गुजरात का कच्छ एरिया है और उड़ीसा का बोलंगीर, कालाहांडी, कोरापुट एरिया है। हिन्दुस्तान के ऐसे 50 पिछड़े हुए जिले हैं जिनको रिकोग्नाइज्ड किया गया है इनके लिए एक स्पेशल पैकेज घोषित किया जाए।

[अनुवाद]

इस वर्ष हम अपनी आजादी के पचास वर्ष मनाने जा रहे हैं। मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री पचास पिछड़े जिलों तथा उड़ीसा के सूखा प्रकरण क्षेत्रों के लिए एक पैकेज की घोषणा करेंगे। नेशनल ड्राउट फंड सेटअप करने के लिए अनुरोध कर रहा हूं। यह होगा तो अकाल से प्रभावित होकर जो लोग घर छोड़कर चले जाते हैं, उनके लिए मदद हो सकती है।

वेतन आयोग की सिफारिशों के संबंध में यह कहा गया है कि विदेशों में वहां की सरकारें शीर्ष स्तर के पदों को कम कर रही है। ठीक इसी तरह से भारत में संयुक्त सचिवों तथा इससे ऊपर के पदों को कम किया जाये। देश में उपलब्ध बुद्धिजीवी वर्ग को सरकार के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा वेतन के आधार नियुक्त किया जाना चाहिये। वे जो विदेश जा रहे हैं और नाम कमा रहे हैं उन्हें भारत वापिस लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। चारों तरफ से आलोचना होती रही। उदारीकरण के तहत इतने सारे नौकरशाहों की जरूरत नहीं होती।

[हिन्दी]

क्रॉप इंशोरेंस की योजना पिछले बजट में कांग्रेस सरकार ने भी इंट्रोड्यूस की थी। लेकिन अभी तक यह अकाल प्रभावित एरिया में नहीं पहुंची है। आप जी०आई०सी० और एल०आई०सी० को परस्यू करके यहां पहुंचाएंगे तो अच्छा होगा।

नेचुरल कैलेमिटी फंड का जो प्रोग्राम रखा गया है, जहां बाढ़ आती है, चारों तरफ क्रॉप बर्बाद हो जाती है उसके लिए प्राकृतिक आपदा कोष से छोटे किसानों को पैसा दिया जाता है। इसी तरह जब पूरी क्रॉप नष्ट हो जाती है तो किसानों के लिए अगर कुछ वित्तीय सहायता दी जाए तो यह सबसे अच्छा होगा।

महिलाओं के लिए गर्ल्स एजुकेशन स्कीम चलाई है, यह स्वागतयोग्य है। लेकिन साइड बाई साइड महिलाएं सरकारी सेवाओं में काम कर रही हैं, पिछले बजट में उनको पांच हजार रुपये इनकम टैक्स में छूट देने के लिए योजना बनाई थी। इस बजट में उसको एबोलिश कर दिया गया है। अगर यह छूट जारी रहे तो महिलाओं के लिए अच्छा संदेश जाएगा।

वालेंटरी डिस्क्लोजर स्कीम पिछली सरकार ने भी इंट्रोड्यूस की थी। लेकिन उस पर पूरी तरह से अमल नहीं हो पाया इसलिए वह सफल नहीं रही। माननीय वित्त मंत्री ने इसको अब अच्छे ढंग से पेश किया है। अगर इस योजना के तहत ईयरमार्क्ड करेंगे कि रूरल एरिया में जहां पीने का पानी नहीं है, वहां इसके लिए पैसा खर्च होगा, तो देश के जिन लोगों ने पैसा नहीं देना, वे भी इसमें योगदान करेंगे। हमारे यहां कहावत भी है कि—पानी दान महादान होता है। इसलिए पीने के पानी के लिए इस राशि को रखा जाए। इससे यह योजना बहुत अच्छी योजना साबित होगी।

अगर मैं सही हूं तो इकोनोमिक सर्वे में रिपोर्ट आई है कि हिन्दुस्तान में 14 लाख करोड़ रुपये की ब्लैकमनी है। उसका 30 प्रतिशत भी इधर आ जाता है तो गरीब लोगों को पीने का पानी मिल जाएगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बदल जाएगा। रूरल डैवलपमेंट में लास्ट टाइम जितना एलोकेशन किया गया था, पहले भी किया हुआ था। लेकिन आज तक इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक से नहीं बन पाया। मैं उड़ीसा के बोलंगीर जिले से आता हूं जहां दो लाख लोग माइग्रेट होकर बाहर चले गए है। रोज अखबार में पढ़ते हैं कि वहां पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है और रहने के लिए मकान नहीं है। वर्षों से ये सारी स्कीमें चली आ रही है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक नहीं हो पाया है। सेम स्टोरी चल रही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इंफ्रास्ट्रचर ठीक से करें तो अच्छा रहेगा और देश की तरक्की होगी।

अपराह्न 11.20 बजे

[श्री पी०एम० सईद *पीठासीन हुए*]

एक रुपया टैक्स कलेक्ट करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर अस्सी पैसे खर्च किए जाते हैं और बीच पैसे बचाने के लिए यह सब हो रहा है तो यह जो अस्सी पैसे खर्च किए जाते हैं, वह ठीक नहीं है। यह सेंसिटिव प्वाइंट है, इसको भी देखना चाहिए।

[अनुवाद]

बहुत सारे मामले न्यायधिकरणों, निपटान आयोगों आदि में लम्बित हैं। ऐसे मामलों के निपटान की आवश्यक समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए ताकि राजस्व अर्जित किया जा सके। सरकार को कर दाताओं की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मंत्रियों तथा अधिकारी वर्ग को अपने सामाजिक कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए।

मैं छोटे तथा सीमान्त किसानों के सम्बंध में माननीय वित्त मंत्री से छोटे मोटे सीमांत किसानों के बारे में अनुरोध करना चाहता हूं। 'नाबार्ड' के पैटर्न पर उनके हितों की रक्षा के लिए एक विकास बैंक स्थापित किया जाना चाहिये।

मैं एक संवेदनशील मुद्दे पर बोलते हुए अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री ने बोलंगीर का दौरा किया था प्रैस के साथ हुई एक बैठक में उन्होंने जनता को आश्वासन दिया था कि इस बार दो सिंचाई परियोजनाएं, लोवर सुकटेक तथा इन्दिरा को नौंवी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जायेगा तथा उड़ीसा के सबसे ज्यादा पिछड़े जिलों जो देश के भी सबसे ज्यादा पिछड़े जिले हैं, जहां लोगों को पयेजल, भोजन तथा आश्रय नहीं मिलता है, को धन दिया जायेगा। लोग अपनी आजीविका के लिए इस स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। यह बड़े दुःख की बात है तथा इसीलिए मैं अपना निवेदन दोहरा रहा हूं। दसवीं लोकसभा में भी, मैनें बार-बार यह मुद्दा उठाया था। पहले भी जब श्रीमती इंदिरा गांधी तथा श्री राजीव गांधी ने वहां दौरा किया था तो कोरापुट तथा कालाहांडी इन दोनों को केन्द्रीय सहायता मिल रही थी। पूर्व प्रधानमंत्री, श्री पी०वी० नरसिंह राव ने भी बोलंगीर का दौरा किया था इस जिले को केन्द्रीय सहायता की सूची में शामिल किया था। मैं अपने प्रधान मंत्री को प्रधान मंत्री को बधाई देता हूं कि इस बार उड़ीसा के लिए 50 करोड़ रुपये घोषित किये हैं, जो उसे पन्द्रह दिन पहले दे दी गई है। उन्होंने उड़ीसा के लिए दो सिचांई परियोजनाओं का भी आश्वासन दिया है। मेरा माननीय वित्त मंत्री से निवेदन है कि वे इस मामले हस्तक्षेप करें तथा नौंवी पंचवर्षीय योजना अर्थात् लोअर सुकटेक और इन्दिरा सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करवायें।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : सभापति महोदय, बजट में आय और व्यय के अनुमान दिए जाते हैं। लेकिन केवल अनुमान ही नहीं दें तो बजट वह आईना है जिसमें सरकार का चेहरा दिखाई देता है केवल दिखाई ही नहीं देता है बल्कि पढ़ा भी जा सकता है। हम इस चेहरे में देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किसान कहां है, मजदूर कहां है और गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाला गरीब कहां है तथा पिछड़ा वर्ग कहा है ? लेकिन वह कहीं भी दिखाई नहीं देता।

बजट में रोजगार का जिक्र नहीं है। छोटे उद्योगों के लिए सहूलियते नहीं हैं और न ही कोई योजना, जिससे रोजगार उपलब्ध हो। आम आदमी हर बजट के बाद एक सपना देखता है और वह चाहता है कि इस बजट से उसे कोई राहत मिलेगी, मंहगाई कम होगी, रोजगार उपलब्ध होगा, लेकिन इस बजट में भी आम आदमी की छवि कहीं भी दिखाई नहीं देती है। इस बजट ने बड़े उद्योगपतियों को, पूंजीपतियो को, विदेशी उद्योगपतियों को खुश करने का काम किया गया है। आज हमारा देश ऋण के भारी बोझ के नीचे दबा हुआ है। यदि हम इस बोझ से बाहर निकलना चाहते हैं, तो हमारे देश के छोटे से छोटे किसानों से लेकर समाज के सभी वर्गों के गरीब लोगों को आत्म-निर्भर बनाना चाहिए। जब देश का सामान्य आदमी आत्म-निर्भर होगा, तभी हमारा देश आत्म-निर्भर बन सकेगा। इस बजट को बनाते हुए हमें देश के जो सामान्य किसान है, मजदूर हैं, उनको नजर में रखते हुए बजट बनाना चाहिए।

विभिन्न करों और शुल्कों के जरिए धन सरकार की तिजोरी में आता है। मैं महाराष्ट्र से आता हूं। वित्त मंत्री जी इस बात को कबूल करेंगे कि सरकार को जो आय होती है, उसका 28 प्रतिशत, यानि एक-तिहाई महाराष्ट्र से होती है, लेकिन इसमें से महाराष्ट्र को जो हिस्सा दिया जाता है, वह 2.8 प्रतिशत है। यानि महाराष्ट्र को एक-तिहाई हिस्सा भी नहीं दिया जाता है, जिस राज्य से करों और शुल्क के जरिए सरकार की तिजोरी में पैसा आता है, उस राज्य के लिए दस प्रतिशत भी हिस्सा नहीं दिया जाता है। मैं इस बजट भाषण के जरिए वित्त मंत्री जी से मांग कर रहा हूं कि उनको इस पर विचार करना होगा और जो महाराष्ट्र का हिस्सा है, उसे कुछ हद तक बढ़ाने की कोशिश करनी होगी।

[श्री अंनत गंगाराम गीते]

दिल्ली देश की राजनीतिक राजधानी है, लेकिन मुम्बई आर्थिक राजधानी मानी जाती है। देश की अर्थ व्यवस्था में मुम्बई का अहम महत्व है। लेकिन मुम्वई के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं दिखाई देता है। इतना ही नहीं, हमारे वित्त मंत्री जी के भाषण में मुम्बई का कोई जिक्र भी सुनाई नहीं देता है। इसका मुझे आश्चर्य है। आज मुम्बई की आबादी एक करोड़ से ज्यादा है। इस एक करोड़ में से 65 लाख लोग इस देश के कोने-कोने से आकर मुम्बई में बसे हैं। इसलिए यह जिम्मेदारी सिर्फ महाराष्ट्र सरकार की नहीं है, केन्द्रीय सरकार की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि केन्द्र की बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुम्बई शहर अपने सिर पर लिए खड़ा है। इस लिए उस शहर में जो सुविधायें है, जो सेवायें हैं, उनकी बढ़ोतरी के लिए, उनकी अच्छी सुविधाओं के लिए, मुम्बई शहर के आरोग्य के लिए केन्द्रीय सरकार को भी आर्थिक योगदान देना जरूरी है। मैं इस बजट के द्वारा मांग करता हूं कि जब तक इस बजट के अन्दर कोई प्रावधान नहीं होगा, तब तक वहां का विकास नहीं हा सकता है।

सभापति जी, वित्त मंत्री जी ने आयकर में छूट दी है और इससे 20 प्रतिशत लोगों को लाभ मिलेगा, लेकिन पोस्ट कार्ड, पाकेट पार्सल, छाता, बीड़ी आदि जो छोटी-छोटी चीजें हैं, उनके ऊपर भी आपने दाम बढ़ाएं, टैक्स बढ़ाए है। बॉलपैन जैसी चीजों पर टैक्स बढ़ाए हैं। इसका असर देश के 80 प्रतिशत लोगों पर होने वाला है।

सभापति जी, हमारा देश कृषि प्रधान देश माना जाता है। यहां 80 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर करते हैं और इस बजट में कृषि उत्पादनों को योग्य भाव देने का कोई प्रावधान नहीं दिखाई देता। आज सारे देश में पीने के पानी की समस्या है। आप किसी भी राज्य में जाएंगे तो देखेंगे कि वहां लोग पानी के लिए तरस रहे हैं लेकिन इसका वित्त मंत्री जी के भाषण में कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए इस किसान विरोधी और गरीब विरोधी बजट का मैं समर्थन नहीं कर सकता।

सभापति जी, आपने मुझे बोलने के लिए जो समय दिया उसके लिए आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री एम० सैंल्वारासु** (नागापट्टीनम) : माननीय सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री द्वारा संयुक्त मोर्चा सरकार की तरफ से इस सभा में पेश किये गये बजट पर बोलने के अवसर के लिए मैं शुरू में आपको धन्यवाद देता हूं। इस बजट चर्चा में भाग लेने को मैं गर्व महसूस कर रहा हूं।

संयुक्त मोर्चा सरकार एक मिली जुली सरकार है। यह राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय दलों का गठबंधन है। यह विचित्र बात है कि एक क्षेत्रीय दल का कोई सदस्य केन्द्र में वित्त मंत्री का पद पर सुशोभित है। हमारे वित्त मंत्री ने संयुक्त मोर्चा सरकार की तरफ से अपना दूसरा बजट प्रस्तुत किया है। मैं इस अवसर पर उन्हें बधाई देता हूं।

उन्होंने अपने बजट भाषण में बताया था कि घटक दलों द्वारा स्वीकृत साझा न्यूनतम कार्यक्रम के मद्देनजर उन्होंने यह बजट तैयार किया है। लेकिन अभी भी मैं यह महसूस करता हूं। कि हमारे वित्त मंत्री ने संयुक्त मोर्चा की संचालन, समिति द्वारा दिये गये निर्देशों से थोड़ा से हट गये हैं। मैं समझता हूं कि यह बताना मेरा कर्तव्य है।

हमारे वित्त मंत्री ने स्पष्ट पूर्वक और प्रसन्नता से यह बता दिया है कि वर्ष 1996-97 के बजट में किये गये 40 प्रस्तावों को कार्यान्वित किया गया था, इन प्रस्तावों के कार्यान्वयन तथा पूरा किए जाने से मुझे प्रसन्नता है। 6.8 प्रतिशत सकल घरेलू, उत्पाद की वृद्धि 3.7 प्रतिशत कृषि उत्पाद की वृद्धि तथा खाद्यान्नों का उत्पादन 191 मिलियन टन तक पहुंचना इस बजट की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं।

गेहूं और चावल जैसे खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने और इनकी मूल्य वृद्धि को रोकने, लेवी शुल्क बढ़ाने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अपने वितरण को कारगार बनाने के संबंध में हमारे वित्त मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए जाने कदमों का जिक्र किया हैं इससे बहुत उम्मीद बनती है और देश की जनता का मनोबल बढ़ता है।

जहां तक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का संबंध है उत्तरोत्तर सभी बजटों में नियमित रूप से इनका महत्व रहा है। परन्तु मौलिक न्यूनतम सेवाओं को जारी रखने प्रधानमंत्री की चिंता के कारण इसका आवंटन 2470 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3300 करोड़ रुपये कर दी गई। विशेष रूप से गंदी बस्तियों की पुनर्वास योजना के लिए 330 करोड़ रुपये मिलेंगे और यह योजना राज्य सरकारों द्वारा चलायी जा रही है। एक झोंपड़ी के निर्माण के लिए 17,000 रुपये उपलब्ध कराये गए। इसकी यह राशि बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दी गई । तत्पश्चात् इसकी राशि लगभग 28,000 रुपये के बराबर हो गई। मैं यह बताना चाहूंगा कि इनती राशि से बनी झोंपड़ी अधिक बड़ी नहीं होगी कि इसमें पति और पत्नी दो व्यक्तियों से अधिक लोग समा नहीं पाएंगे। इतने छोटे मकान में एक बच्चे से भी अधिक परेशानी होगी। इसलिए इस योजना के अंतर्गत रिहायशी एकक के लिए ऋण राशि 50,000 रुपये तक बढ़ा दी जानी चाहिए। प्लाट का आकार भी थोड़ा बढ़ा दिया जाये ताकि इसमें एक परिवार के साथ-साथ बच्चे भी रह सकें। सिंचाई योजनाओं के लिए 900 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1300 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। वित्त मंत्री द्वारा घोषित गंगा कल्याण योजना में भूजल क्षमता का उपयोग करते हुए पेयजल उपलब्ध कराने की योजना है। इसमें सतही जल स्रोतों के जल संसाधन भी शामिल किए जायेंगे। परन्तु मैं यह कहूंगा कि इन योजनाओं का लाभ छोटे और सीमांत किसानों तक भी पहुंचे। अब तक के हमारे अनुभव कुछ अलग ही कहानी कहते हैं। इनसे छोटे किसान लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। इनकी बजाय बड़े किसान और शहरी क्षेत्रों के समीपवर्ती किसान लाभ उठा रहे हैं। यह इसलिए हो रहा है कि क्योंकि छोटे किसानों को इन योजनाओं की जानकारी भी नहीं हैं अतएव मैं यह चाहुंगा कि सरकार इन योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे किसानों तक पहुंचाएं। इसमें अंतर्ग्रस्त खर्चे योजना व्यय में शामिल कर दिए जायें।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर के सृजन के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, नेहरू रोजगार योजना

*मूलतः तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

जैसी योजनाएं चलायी गई हैं। बजट प्रस्तावों में ये सभी बातें कहीं गई है। इसमें कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की भी परिकल्पना की गई है। इन योजनाओं की नीति और ध्येय अच्छे हैं। हमें यह पता लगाना होगा कि क्या ये लाभ वास्तव में लक्ष्य समूह के लाभार्थियों तक पहुंच रहे हैं। मेरा अनुभव यह कहता है कि ये योजनाएं और इनका लाभ वास्तव में जरूरतमंद लाभार्थियों तक नहीं पहुंच रहा है। इस तरह की विफलता के क्या कारण हैं। मेरे विचार से इसके लिए बैंक ही दोषी हैं। जब युवा इन वित्तीय संस्थानों के पास जाते हैं तो उन्हें इतना तंग कर दिया जाता है कि वे परेशान हो जाते हैं और भाग खडे होते हैं। इसके परिणामस्वरूप युवा इस पर पुनर्विचार करने पर मजबूर हो जाते हैं कि उन्हें सही में ऋण लेना चाहिए अथवा नहीं। यह वास्तविकता है। परन्तु दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको रोकने के लिए इन योजनाओं में बैंकों की भूमिका समाप्त की जा सकती है। इसकी बजाय इन योजनाओं को लागू करने के लिए अलग से कार्यान्वयन कार्यालय स्थापित किए जाएं। जब तक कार्यान्वयन तंत्र को सुचारू नहीं बनाया जायेगा तब तक हम इन योजनाओं के माध्यम से अधिक उपलब्धि हासिल नहीं कर पाएंगे। मैं हमारे वित्त मंत्री का ध्यान केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषण के साथ कार्यान्वयन तंत्र स्थापित करने की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा।

हमारे वित्त मंत्री ने बताया कि वे ढांचागत विकास कार्यक्रम में 4530 परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु 2000 करोड़ रुपये आवंटित कर रहे हैं। परन्तु यह पर्याप्त नहीं है। ऐसे हजारों गांव हैं जहां सड़कें नहीं पहुचीं हैं। लाखों गावों में स्वच्छ पेय जल उपलब्ध नहीं है। ऐसे कई गांव हैं जहां बिजली की रोशनी नहीं पहुंची है और ऐसे कई गांव हैं जहां पक्की सड़के नहीं हैं। यदि वास्तविक स्थिति ऐसी होगी तो हम यह कैसे स्वीकार कर सकेंगे कि 4530 परियोजनाओं को लागू करने के लिए 2000 करोड़ रुपये की राशि पर्याप्त होगी। अतएव मुझे वित्त मंत्री से ढांचागत विकास कार्यक्रम के लिए आवंटन बढ़ाने का अनुरोध करना है।

नाबार्ड को 500 करोड़ रुपये का आवंटन मिलता है जिसमें 400 करोड़ भारतीय रिवर्ज बैंक द्वारा और 100 करोड़ रुपये भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं। 'नाबार्ड' द्वारा खाद्य उत्पादन के लिए कृषि कार्यों हेतु किसानों ऋण उपलब्ध कराये जाते हैं। ये ऋण राज्य सरकारों के पर्यवेक्षण सहकारी बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराये जाते हैं। जब किसान और उनके फसल प्राकृतिक आपदा तथा विभीसिकाओं की चपेट में आ जाते हैं तो 'नाबार्ड' मानवीय आधार पर मामलों पर विचार नहीं करता है। जब वे ऋण लौटाने के लिए किसानों पर दबाव डालते हैं तो उस समय किसानों को कठिनाई और भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान किसानों को सहायता प्रदान करते हेतु योजनायें तैयार करने के लिए नाबार्ड को उचित परामर्श दें।

हाल में आयी बाढ़ से तमिलनाडु में 2 लाख झोपडियां उजड़ गयी थी तथा 1978 में लगभग 4 लाख झोपडियां तुफान के कारण प्रभावित हुई थीं। इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत उन प्रत्येक लोगों को जो बेघर हो गए थे पुनः आवास निर्माण हेतु 10,000 रुपया दिया गया था। अब इसमें वृद्धि कर दी गयी है। वित्त मंत्री जी ने प्रस्ताव किया है कि अब बैंकों के माध्यम से आवास ऋण के रूप में 2 लाख रुपया वितरित किया जाएगा। मैं अपने वित्त मंत्री जी के इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कार्यात्मक स्वायत्तता दिए जाने का एक प्रस्ताव है। मैं इस संबंध में सरकार से सहमत नहीं हूं। इनमें से सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक उपक्रमों में कई वर्षों से आरक्षित रिक्तियों को नहीं भरा गया है। जब उन्हें स्वायत्तता दी जाएगी तो वे अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह नहीं भी कर सकते हैं। आई०ओ०सी०, ओ०एन०जी०सी०, एच०पी०सी०एल०, बी०पी०सी०एल०, आई०पी०सी०एल०, मेल, सेल जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक उपक्रम है। ये सभी आरक्षित रिक्तियों को भरे जाने की आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं। उदाहरणार्थ, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भारत सरकार का उपक्रम ओ०एन०जी०सी० हैं इस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा आरक्षित रिक्तियों को भरे जाने संबंधी दायित्वों का निर्वाह नहीं किया गया है। अतः सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों को स्वायत्त निगम नहीं बनाया जाना चाहिए।

इस बजट में कृषकों, शिक्षकों, सरकारी कर्मचारियों, उद्योगपतियों, लघु क्षेत्र उद्यमियों तथा व्यापारियों की बातें कही गयी हैं। परन्तु कृषक मजदूरों का उल्लेख नहीं किया गया है। मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी कम से कम अनुदानों की अनुपूरक मांगों में इस त्रुटि को सुधारें। इसके साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

डा० अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर) : सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। यह बजट विकासोन्मुखी है जिसमें माननीय मंत्री जी ने धनी वर्ग को कर का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास किया है जिसका भुगतान विगत काल में वे करना नहीं चाहते थे और उन्होंने अधिक विकास हेतु व्यापारी वर्ग द्वारा काले धन के उचित उपयोग को भी बढ़ावा दिया है।

महोदय, विपक्ष द्वारा यह कह कर इसकी आलोचना की गयी है कि यह बजट धनी वर्ग के लिए है न कि निर्धनों के लिए और सत्ता पक्ष द्वारा वह तर्क किया जा रहा है कि यह बजट निर्धन व्यक्तियों के लिए है। इसका कारण चाहें जो भी हो यद्यपि इस बजट द्वारा कुछ सम्पन्न व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने की चेष्टा की गयी है तथापि इससे अप्रत्यक्ष रूप से भविष्य में निर्धन व्यक्तियों को मदद मिलेगी। धनी व्यक्तियों के संसाधनों से किए जाने वाले निवेश का उपयोग रोजगार सृजन तथा अन्य उत्पादक परिसम्पत्तियों के उत्पादन के लिए किया जाएगा जिससे अन्ततः इस देश के निर्धन व्यक्तियों को ही मदद मिलेगी।

महोदय, इस बात की भी अत्यधिक आलोचना की गयी है कि इस बजट में कुछ भी नया नहीं है परन्तु इसके द्वारा केवल डा० मनमोहन सिंह द्वारा आरम्भ किए गए आर्थिक परिवर्तनों को बरकरार रखा गया है। वित्त मंत्री चाहें जो भी हों, आज देश में व्याप्त आर्थिक स्थिति

[डा० अरुण कुमार शर्मा]

को ध्यान में रखते हुए तथा हमारी विदेशी ऋण को भी ध्यान में रखते हुए तथा इस तथ्य कि हम विश्व के विकासशील राष्ट्रों के साथ प्रति-स्पर्धा करने जा रहें है, को ध्यान में रखते हुए, मैं समझता हूं कि यह यथासंभव सर्वोत्तम बजट है जो अब तक हमारे माननीय वित्त मंत्री द्वारा अपने प्रतिभा का उचित उपयोग करते हुए प्रस्तुत किया गया है।

महोदय, समाज के सभी वर्गों ने इस बजट का स्वागत किया है और में माननीय वित्त मंत्री को इस बजट को प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं। जिसकी प्रशंसा देश के अनेक अर्थशास्त्रियों ने किया है जिसमें श्री नानी पालीकावाला सुविख्यात न्यायविद् जो अनेक दशकों तक केन्द्रीय बजट के कटु आलोचक रहे हैं, जैसी अनेक हस्तियां शामिल हैं। उन्होंने 1997-98 के केन्द्रीय बजट को संसद में अब तक प्रस्तुत किए गए बजटों में सर्वोत्तम बताया है। उन्होंने कहा कि इससे देश में विकास में वृद्धि होगीं उन्होंने आगे कहा कि यह अपनी तरह का पहला बजट है जो संसद में प्रस्तुत किया गया है और पहली बार ऐसा हुआ है। हमें इस देश के एक प्रसिद्ध व्यक्ति से इस तरह का बजट मिला है।

उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था सशक्त नहीं है लेकिन एक संभावनाओं से परिपूर्ण भारत के निर्माण के लिए साधन हैं और सशक्त अर्थव्यवस्था बन जाने से इसका विश्व अर्थव्यवस्था पर अच्छा प्रभाव होगा।

महोदय, हम इस समय उदारीकरण के माध्यम से विश्व की मुख्य अर्थव्यवस्थाओं का सामना करने जा रहे हैं। हमें स्वयं को विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार करना चाहिए। उसके लिए हमें अपने संसाधन जुटाने होंगे। हमारे पास विकसित देशों का सामना करने के लिए अपने साधन होने चाहिए। देश बाहरी देशों की सहायता से अपना काम कैसे चला सकते है ? इसकी कोई सीमा है। यह अपने संसाधन जुटाने की संभावना का पता लगाने का समय है। मैं सभा का ध्यान 17 मार्च के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित करता हूं। इसमें कहा गया है कि अमेरिका आई०डी०ए० और एशियाई विकास बैंक पर भारत को आसान ऋण बन्द कराने के लिए दबाव डाल रहा है। इसलिए हमें समुचित उपाय करने होंगें ताकि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इससे हमारे माननीय वित्त मंत्री जी को इस विषय पर गंभीरता से विचार करने पर मजबूर होना पड़ा है। मैं उन्हें कतिपय उपाय करने के लिए बधाई देता हूं जिनसे हमारी अर्थव्यवस्था को भविष्य में बढ़ावा मिलेगा।

सभापति महोदय : आप अपनी बात समाप्त कीजिए। आप सात मिनट का समय ले चुके हैं।

डा० अरुण कुमार शर्मा : मुझे कुछ बातें कहनी हैं। मैं यथाशीघ्र अपनी बात समाप्त करने की कोशिश करूंगा।

हम विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने जो रहे हैं। अपने ही देश में अल्पविकसित राज्यों के बारे में क्या बात है ? अल्पविकसित राज्य देश के विकसित राज्यों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं। आर्थिक विकास और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के संबंध में हमारे भविष्य की योजना क्या है ? मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अपनी प्रतिभा का इस दिशा में उपयोग करने का अनुरोध करता हूं। उन्होंने बहुत ही सफलतापूर्वक यह बजट प्रस्तुत किया है लेकिन साथ ही उन्हें यह भी देखना चाहिए कि देश के सभी अल्पविकिसत राज्यों को देश के विकसित राज्यों के बराबर आने का मौका मिले ताकि हम सब मिल कर विकसित राष्ट्रों से प्रति-स्पर्धा कर सकें।

विगत में अनेक त्रुटिपूर्ण योजनाएं बनाई गई जिसके कारण हमें आज अल्पविकसित क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान देना पड़ रहा है। यह बात केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र, जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, के ही संबंध में लागू नहीं होती है बल्कि देश के कुछ अन्य अल्पविकसित क्षेत्र जैसे केरल, जम्मू और कश्मीर, बिहार के कुछ भाग, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। देश सभी भागों में अल्पविकसित क्षेत्र हैं। पिछड़े क्षेत्रों को पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए। आपने लगभग दस मिनट का समय ले लिया है।

डा० अरुण कुमार शर्मा : महोदय, मैं एक और बात माननीय वित्त मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के भौगोलिक पृथकत्व के कारण उस क्षेत्र में औद्योगिक विकास नहीं हुआ है।

बुनियादी सुविधाओं का विकास नहीं किया गया है। केवल परिवहन के लिए राजसहायता उपलब्ध करा देने से हमेशा के लिए औद्योगिक विकास नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं यह कह रहा हूं कि बुनियादी सुविधाओं के विकास पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाना चाहिए। बम्बई, मद्रास और दिल्ली पूर्वोत्तर से बहुत दूर हैं। पूर्वोत्तर से एशियाई देशों के लिए कुछ परंपरागत मार्ग हैं, जहां अर्थक्षमता है वहां विकास हो सकता है, वहां से निर्यात हो सकता है। वहां लोगों की भागीदारी, विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में, हो सकती है।

सभापति महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए। आप अपनी महत्वपूर्ण बातें लिखकर माननीय वित्त मंत्री जी को दे सकते हैं और उन्हें संतुष्ट कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि आप आपकी बातों पर ध्यान देंगे। आपको अपनी बात समाप्त करनी चाहिए। मुझे कुछ और सदस्यों को बोलने का अवसर देना है। बारह बजने वाले हैं। मैंने आपको बोलने के लिए काफी समय दिया है।

डा० अरुण कुमार शर्मा : मेरी आखिरी बात यह है कि असम सरकार ने वित्त मंत्रालय को यह प्रस्ताव भेजा है कि गुवाहाटी को सीमाशुल्क हवाई अड्डा घोषित किया जाए ताकि गुवाहाटी से निर्यात किया जा सके। यह प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया था। इसीलिए मैं माननीय वित्त मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि इस पर ध्यान दें ताकि उस क्षेत्र के लोगों को कुछ लाभ मिल सकें। हमारे पास सभी तरह के संसाधन हैं जैसे चाय, तेल और कोयला। हमें सीमा शुल्क मंजूरी के लिए कलकत्ता आना पड़ता है। इस संबंध में अनुरोध उचित है।

पूर्वोत्तर में राज्य सरकारों मुख्य रूप से असम सरकार की अनेक वित्तीय कठिनाइयां हैं। उन्हें केन्द्र सरकार को ऋण पर ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। चालू वित्त वर्ष के लिए योजना बजट 1400 करोड़ रुपए था लेकिन राज्य सरकार के उपयोग के लिए इस राशि का केवल पच्चास प्रतिशत ही उपलब्ध होगा।

सभापति महोदय : यदि आप अपना भाषण समाप्त नहीं कर रहे हैं तो मैं अगले सदस्य को बोलने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं।

डा० अरुण कुमार शर्मा : हमारे पास केवल 700 करोड़ रुपए रह जाएंगे। व्याज और पूंजी अदायगी के कारण अन्य मदों की स्रोत पर कटौती हो जाएगी। अतः मेरा अनुरोध है कि पूर्वोत्तर के लिए एक विशेष उपाय किया जाए ताकि यह देश के अन्य विकसित राज्यों के वराबर आ सके।

श्री ए०जी०एस० रामबाबू (मदुरै) : सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री श्री पी० चिदम्वरम द्वारा प्रस्तुत किए दूसरे बजट का समर्थन करता हूं। इंदिराजी, राजीव जी और माननीय श्री जी०के० मूपनार के पदचिन्हों पर चलते हुए श्री चिदम्बरम ने वर्ष 1997-98 का केन्द्रीय बजट प्रस्तुत करके राष्ट्र के लिए वहुत अच्छा काम किया है। इस बजट केवल हमारी व्यवस्था ही स्थिर नहीं हुई है बल्कि संयुक्त मोर्चे की सरकार भी स्थिर हुई है। वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालने के वाद वह अपने पहले बजट को अधिक समय नहीं दे पाए लेकिन इस बार उन्होंने एक बहुत अच्छा बजट प्रस्तुत करने के लिए काफी समय निकाला है। हम तमिल मानिल कांग्रेस दल के लोगों को काफी गर्व है कि वित्त मंत्री के रूप में श्री चिदम्बरम ने राष्ट्र के लिए एक वहुत अच्छा काम किया है।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बजट से सभी क्षेत्रों में खुशी की लहर फैली है। कराधान के प्रयोजन हेतु स्लैबस में वृद्धि संवंधी प्रस्ताव से आम आदमी, विशेष रूप से वेतनभोगी कर्मचारियों को लाभ हुआ हैं निगमित कर को नियमित करने से औद्योगिक क्षेत्र जो हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार वन गया है। को निश्चित रूप से सहायता मिलेगी। माननीय वित्त मंत्री ने आम आदमी के लिए उत्पाद शुल्क के बोझ को कम करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। उन्होंने उत्पाद शुल्क ढांचे के वर्तमान 10 से 20 के स्लैब स्तर को बदलकर तीन चरणीय अर्थात 8-15-18 करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। यह राजस्व क्षेत्र में एक बहुत अच्छा कदम है। मैं व्यक्तिगत तौर पर यह महसूस करता हूं कि यह एक साहसिक उपाय है। अनेक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जैसे मलिन बस्ती विकास, त्वरित समन्वित सिंचाई कार्यक्रम, गंगा कल्याण योजना, कस्तूरवा गांधी शिक्षा योजना, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, और नेहरू रोजगार योजना इत्यादि से निश्चित रूप से भूमिहीनों, ग्रामीण गरीवों, किसानों और जिन क्षेत्रों महिला साक्षरता दर कम है उनमें स्कूली वच्चों को सहायता मिलेगी। यह योजनाएं रोजगारोन्मुखी हैं और इनसे निचले स्तर पर बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं का प्रस्ताव भी लोकप्रिय और सफल हुआ है।

संयंत्र और मशीनरी की सीमा में वृद्धि करने से लघु उद्योग और अति छोटे उद्योग क्षेत्र में बहुत हद तक सहायता मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रो में किसानों को मकान बनाने के लिए साधारण ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने की प्रस्तावित योजना एक अच्छा कदम है। इससे भूमिहीन किसान ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बना सकेंगे। उर्वरकों पर राजसहायता के लिए बढ़े हुए आवंटन से किसानों को अत्यधिक सहायता मिलेगी।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत दर में वृद्धि और उपदान अदायगी की सीमा में वृद्धि वित्तीय दृष्टि से अधिक आकर्पक हैं और इससे कर्मचारियों के मन में वचत की भावना को बढ़ावा मिलेगा।

तेल और गैस निकालने के संबंध में नई नीति से आयातित पेट्रोलियम उत्पादों पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए बढ़े हुए बजट प्रावधान से सड़कों और राजमार्गों के संबंध में नीति के कार्यान्वयन में सहायता मिलेगी। यह राष्ट्र निर्माण की दिशा में निश्चित रूप से एक बड़ा कदम है।

साथ ही सभी जूट उत्पादों पर उत्पाद शुल्क की छूट दिया जाना एक अच्छा कदम है। इससे वीमार जूट उद्योग को पुनर्जीवित करने में सहायता मिलेगी। कृपि क्षेत्र के बाद हथकरघा क्षेत्र उन मुख्य क्षेत्रों में से एक है जो गरीब लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध करता है। देश में सबसे अधिक हथकरघा वुनकर मदुरै में हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि राजसहायता और छूट जैसे उपायों का लाभ हथकरघा बुनकारों को भी दिया जाए, ताकि वे प्रतिस्पर्धा में टिक सकें। पोलिएस्टर फिलामेंट सिलाई धागे पर उत्पाद शुल्क लगाने से इस उद्योग को अत्यधिक कठिनाई हो रही है। ये असंगठित क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पा रहे हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि सिलाई धागे पर उत्पाद शुल्क में काफी कमी की जाए ताकि संगठित क्षेत्र के उत्पाद बाजार में ठहर सकें।

पोलिथिलीन लैफलाट्यूब जो काफी समय से उत्पाद शुल्क मुक्त था, इस बजट में उस पर उत्पाद शुल्क लगाया गया हैं मैं माननीय वित्त मंत्री जी से इस प्रस्ताव पर पुनः विचार करने का अनुरोध करता हूं। नॉन-कोकिंग कोल पर शुल्क 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने के प्रस्ताव से विद्युत क्षेत्र को बहुत सहायता मिलेगी। शेयरधारकों के हाथ में लाभांश पर करों की समाप्ति एक साहसपूर्ण कदम है। यह सामान्य व्यक्तियों को लाभ पहुंचाएगा। निर्यात लाभ को मैट से छुटकारा दिलाना एक अच्छा कदम है तथा यह निगमित क्षेत्र को काफी ज्यादा लाभ पहुंचाएगा। लघु क्षेत्र के उद्योग में निवेश सीमा को बढ़ाकर 3 करोड़ रुपया कर दिया गया है। यह एक अच्छा कदम है। मैं माननीय वित्त मंत्री से यह आग्रह करता हूं कि शुरूआत के चरण में, पहली बार में, इसे बढ़ाकर 1 करोड़ रुपया किया जा सकता हैं साथ ही, लघु क्षेत्र को अब तक मिली छूट के अनुसार 30 लाख की गई तथा मुद्रास्फीति के काल में चला आ रहा है, मैं माननीय वित्त मंत्री से इसे बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर देने का आग्रह करता हूं ताकी लघु क्षेत्र की औद्योगिक इकाईयों को पूरी छूट मिल सके।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की मांग पर प्रतिक्रियास्वरूप, आयकर की धारा 80जी में संशोधन एक अच्छा कदम हैं यह इस योजना में 100 प्रतिशत कमी लायेगा जो अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा सहायता प्रदान करेगा।

[श्री ए०जी०एस० रामबाबू]

मैं इस अवसर पर तमिलनाडु के बारे में कुछ कहना चाहता हूं यह काफी लंबे समय से उपेक्षित राज्य रहा है। जल परियोजनाएं, विशेषरूप से पश्चिम की ओर बहनेवाली नदियाँ राष्ट्र को काफी ज्यादा क्षति पहुंचा रही हैं। अतएव पश्चिम की ओर बहनेवाली नदियाँ जो केरल की नदियों में जा मिलती हैं, उन्हें तमिलनाडु की ओर मोड़ा जाना चाहिए। पम्बा– अचनम्वायल – बैगाई रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट एक अच्छी योजना है। यह तमिलनाडु के दक्षिणी भाग को बदावा देगा। अतएव मैं माननीय वित्त मंत्री से पम्बा – अचनम्वायल – वैगाई रिवर लिकिंग प्रोजेक्ट के लिए और ज्यादा धन आबंटित करने का आग्रह करूंगा।

साथ ही, सेतुसमुद्रम परियोजना एक ऐसी परियोजना है जिसपर लंबे समय से विचार नहीं किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री से यह आग्रह करूंगा कि सेतुसमुद्रम परियोजना के लिए धनराशि आवंटित की जायगी। साथ ही, मदुरै-मद्रास उच्च पथ जो काफी संकट है तथा जहां पर बहुत ज्यादा यातायात है, मैं माननीय मंत्री से यह आग्रह करूंगा कि ये इसे चासलोनों वाली सड़क बनाएं जो निश्चित रूप से औद्योगिक क्षेत्रों तथा इन क्षेत्रों को लाभ पहुंचाएगा। इसके आंलवा, मदुरै उच्च न्यायालय की खण्डपीठ काफी लंबे समय से कार्य नहीं कर पा रही है।

अर्द्धरात्रि 12.00 बजे

तमिलनाडु सरकार ने अपनी बजट में 4.5 करोड़ रुपये का आवंटन किया है परन्तु इसके बावजूद मदुरै में उच्च न्यायालय की खंडपीठ कार्य नहीं कर रही है। मैं माननीय वित्त मंत्री तथा भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि वे इस संबंध में आवश्यक कदम उठाएं तथा देखें कि मदुरै में उच्च न्यायालय की खंडपीठ जल्द-से-जल्द स्थपित की जा सके ताकि यह उस क्षेत्र के लोगों की सहायता कर सके।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः हमारे माननीय वित्त मंत्री को इस अद्‌भूत बजट के लिए धन्यवाद अर्जित करता हूं जो निश्चित रूप से हमारी अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाएगा।

12.01 बजे (20.3.97)

श्री रामबहादुर सिंह (महाराजगंज) : मान्यवर बजट भाषण को पढ़ने के बाद, इसकी भाषा और तरीके को देखने के बाद, कोई भी आदमी इस बात को कहेगा कि बड़ी चतुराई से यह भाषण तैयार किया गया है, लेकिन माननीय मंत्री जी यह भूल गए हैं कि परिमार्जित भाषा और तर्कों से गरीबों को रोटी नहीं मिलती है। ये यह भी भूल गए हैं कि इस देश में सर्वाधिक निरक्षर लोग हैं और वे नहीं जानते हैं कि बजट किस चिड़िया का नाम है। जी०एन०पी० और जी०डी०पी० क्या हैं, वे यह भी नहीं जानते हैं। वे तो परिणाम के बाद निर्णय लेते हैं। बजट अच्छा है या बुरा है, इसका निर्णय तो वे परिणाम देख कर लेते हैं। जिस बजट से गरीबों को रोटी मिले वह बजट गरीबों के लिए अच्छा है। यदि रोटी नहीं मिले, तो वह बजट गरीबों के लिए ठीक नहीं है। कोई भी कानून हो, कोई भी कायदा हो, कोई भी विधान हो, वह अच्छा है या बुरा है, यदि ऐसा निर्णय करने का कोई अवसर आए, और इसके निर्णय करने में यदि कोई शंका पैदा हो जाए, तो महात्मा गांधी ने भी कहा है कि अच्छे और बुरे की कसौटी पर कसने का एक ही रास्ता रह जाता है कि यदि उस कानून से गरीबों का लाभ नहीं होता है या गरीबों का हित नहीं होता है, तो वह कानून अच्छा नहीं है। यदि उस कानून से गरीबों का लाभ हो, तो समझो कि कानून अच्छा है।

मान्यवर, कहा गया है कि यह सब का भला करने वाला बजट हैं आश्चर्य है कि ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते हैं। मुंह भी फुलोया जाए और हंसा भी जाए, जैसे ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते हैं, वैसे ही इस बजट से सबका भला होने वाली बात भी सत्य नहीं है। इस बारे में तुलसी दास जी ने कहा है–

होही न एक संग दोउ भुआलू ।
हंसई ठठाई फुलाई रुदालू ।।

एक तरफ कहते हैं कि इस बजट से हर्षद मेहता का भी भला होगा और दूसरी तरफ कहते हैं कि जिन लोगों को रोटी के लाले पड़े रहे हैं, जो लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं उनका भी भला होगा, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकतीं। हर्षद मेहता जिस वर्ग के हैं, वे जिस समाज और समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, यह समाज अमीरी के कैलाश पर बैठा है और इस देश में करोड़ों गरीब लोग नर्क का जीवन बिता रहे हैं। वे नर्क के पाताल में बैठे हैं। हर्षद मेहता जैसे लोगों के सामने यह है कि एक गाड़ी को दो गाड़ी कैसे बनाया जाए, वे यह सोचते हैं कि एक महल के बाद दूसरा महल कैसे बनाया जाए और गरीबों के सामने समस्या है कि एक जून की सूखी रोटी की व्यवस्था कैसे होगी। बीमार होने पर दवा की व्यवस्था कैसे होगी और सिर छिपान के लिए छत की व्यवस्था कैसे होगी और लाज ढकने के लिए वस्त्र की व्यवस्था कैसे होगी। दोनों की स्थितियों में जमीन आसमान का अन्तर है। इसलिए इस बजट से दोनों का एक साथ भला नहीं हो सकता है। यदि कोई कहता है कि यह दोनों का भला करने वाला बजट है, तो मैं यह कभी मानने के लिए तैयार नहीं हूं। यदि कोई यह कहता है कि यह हर्षद मेहता जैसे लोगों का भला करने वाला बजट है, तो इसका मतलब यह है कि यह बजट गरीबों के हक में नहीं है।

मान्यवर, जैसे परिणमा आ रहे हैं, वे दिखाई भी पड़ रहे हैं। परिणाम आशाजनक नहीं हैं। पिछले सात-आठ महीनों में खाद्य पदार्थों की जितनी कीमतें बढ़ी हैं, उनके बारे में उम्मीद थी कि बजट के बाद उनकी कीमतों में कमी आएगी, लेकिन इसका कोई संकेत नजर नहीं आता है। बाजार में खाद्य पदार्थों की, गेहूं की, जीवनरक्षक दवाओं की कीमतें बजट के बाद भी कम नहीं हुई हैं। यदि इनकी कीमतों में कमी नहीं हुई है, तो यह बजट गरीबों के लाभ का बजट नहीं है। इससे गरीबों को कोई लाभ होने वाला नहीं है। अभी कुछ दिन पहले बड़ी चर्चा थी कि अन्न के मामले में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। अब हमको अन्न के लिए विदेशियों के सामने हाथ पसारने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यह नौबत नहीं आएगी, लेकिन अब सरकार

विदेश से गल्ला मंगा रही है। गेहूं आयात कर रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि जनसंख्या के अनुपात में अन्न के उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही है। अन्न की पैदावार नहीं बढ़ रही है। इसके क्या कारण हैं। इसका कारण यह है कि कृषि की उपेक्षा होती रही है। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि कृषि के क्षेत्र में सार्वजनिक पूंजीनिवेश में कमी आई है। इसका मतलब यह है कि कृषि क्षेत्र की उपेक्षा हुई है। कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोजगार मिल सकता है। कृषि के क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान सरकारी खजाने में रहता है। इससे किसी भी गांव की आर्थिक दशा सुदृढ़ होगी। देश की आर्थिक दशा सुदृढ़ होगी। ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र की इस तरह की अपेक्षा होगी तो निश्चित रूप से आज ही नहीं बल्कि हमको अन्न के लिए बराबर दूसरे देशों के सामने बेशर्मों की तरह, भिखमंगों की तरह हाथ पसारते रहना पड़ेगा।

कृषि के विकास के लिए सिंचाई की सर्वोच्च प्राथमिकता है लेकिन 50 वर्षों में आज तक ज्यादा से ज्यादा 30 प्रतिशत खेती की सिंचाई की व्यवस्था का सृजन हुआ है। अंग्रेजों के जमाने में जो व्यवस्था की गयी थी उसका भी योगदान इसी में है। जो कृषि प्रधान देश है, उस देश का किसान आसमान की ओर टकटकी लगाये हुए है कि कब इन्द्र भगवान की कृपा होगी और कब धरती पर पानी बरसेगा। कभी समयानुकूल और आवश्यकता के अनुकूल है तो ठीक है यदि नहीं है तो सूखा है और कहीं बाढ़ है यह कैसी बिडम्बना है। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा बिहार और खासकर उत्तर बिहार को भुगतना पड़ रहा है। हमारे यहां 35 वर्षों से गंडक परियोजना चल रही है लेकिन आज तक वह पूरी नहीं हुई। *(व्यवधान)* यह कहा जाता है कि पैसा नहीं है। और कामों के लिए पैसा है लेकिन गंडक परियोजना को पूरा करने के लिए पैसा नहीं है।

जनवितरण प्रणाली को ही देखा जाए। नई जनवितरण प्रणाली नीति के तहत कहा गया है कि जो लोग गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले हैं, उनको कम कीमत पर गल्ला मुहैया करवाया जाएगा। लेकिन अभी भी सरकार को जानकारी नहीं है कि कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। सरकार को इन सारी चीजों की जानकारी तो फिंगर टिप्स पर रखनी चाहिए कि इस देश के कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हैं, इस देश में कितनी बेरोजगारी है, इस देश में भूख से मरने वाले लोगों की संख्या कितनी है। लेकिन सरकार को इन तमाम चीजों में से किसी एक की भी जानकारी नहीं है।

मुझे एक घटना की याद आती है। एक बार मेरे यहां विनोवा जी गए थे। उन्होंने पूछा कि इस गांव का मुखिया कौन है। उस मुखिया को तो नहीं लेकिन उस वक्त के एम०एल०ए० को बुलाया गया। जब उनसे पूछा गया कि तुम्हारे गांव की संख्या कितनी है तो उन्होंने कहा कि 700-800 है। फिर विनोवा जी ने कहा कि भगवान इस गांव का भला नहीं कर सकता। जिस बाप से पूछा जाए कि तुम्हारी कितनी संतान है और वह कहे कि 7-8 हैं तो उस परिवार का कैसे भला हो सकता है। जिस सरकार को इन सारी चीजों की जानकारी नहीं है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप समाप्त कीजिए।

श्री रामबहादुर सिंह : मैं खत्म कर रहा हूं।

यदि सरकार कहती है कि हम गरीबों की भलाई के लिए बजट पेश कर रहे हैं तो मेरे जैसा आदमी उस पर विश्वास नहीं कर सकता। एक सवाल और है कि शिक्षा में राजनैतिक दखलअंजादी न हो। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब आप आखिरी जुमला बोलकर समाप्त कीजिए।

श्री रामबहादुर सिंह : शिक्षा में यदि राजनैतिक दखलअंदाजी हो तो शिक्षा का महत्व समाप्त हो जाता है मेरे यहां एक घटना घटी है जिसकी चर्चा मैं यहां करना चाहता हूं। जहां नवोदय विद्यालय खोलने की बात हैं, उसके लिए कुछ शर्तें लगाई गई है और जब उन शर्तों को पूरा किया जाता है तभी नवोदय विद्यालय खोला जाता है। मेरे क्षेत्र में पिछले चार वर्षों से जवाहर नवोदय विद्यालय चल रहा है। उस स्थल पर पहले शिक्षण, प्रशिक्षण विद्यालय चला करता था लेकिन वह बहुत दिन पहले बंद हो गया। बिहार सरकार ने उसकी तीस एकड़ जमीन को उस विद्यालय के नाम लिख दिया। वहां स्वीकृति मिल गई। तीन बार चयन समिति ने कहा कि यहीं मकान बनेगा और जब मकान बनने की बात आई तो एकाएक सुनाई देने लगा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी किसी दूसरी जगह उसका शिलान्यास करने जा रहे हैं। वहां करने जा रहे हैं जहां से तीन बार यह रिपोर्ट आई है कि वह जगह सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक है। मुख्य सड़क दूरी की दृष्टि से अधिक है। जिस जगह पर विद्यालय भवन का निर्माण होना है, वहां तालाब है। उस तलाब में मिट्टी भरने की कोशिश में 40 से 55 लाख रुपये लगेंगे। लेकिन सरकार कहती है कि भवन का निर्माण वहीं करेंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहूंगा कि जब सरकार ने शर्त लगाई हुई है तो उन शर्तों की उपेक्षा करके किसी दूसरी जगह स्कूल क्यों खोलना चाहती है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री वी०पी० षणमुगा सुन्दरम (गोबिचेट्टिपलायम) : माननीय अध्यक्ष, मैं 28 फरवरी, 1997 को इस सभा में वित्त मंत्री द्वारा 1997-98 के लिए बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं यह संयुक्त मोर्चा सरकार के लिए नौ महीने की अल्प अवधि के भीतर दूसरा बजट है।

संसद में बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् मैंने नई समाचार पत्रों की रिपोर्ट, लेख तथा महत्वपूर्ण व्यक्तियों की टिप्पणी पढ़ी तथा शायद ही बजट का कोई ऋणात्मक पहलू मेरे सामने आया होगा। यह मेरा मत है कि ये कुछ प्रतिकूल टिप्पणियों की राजनीतिक मजबूरी के कारण की गई तथा उनका बजट प्रस्ताव में कोई लेना-देना नहीं है। केन्द्रीय बजट सदा से शासक दल द्वारा प्रतिवर्ष निकाला गया एक राक्षस माना जाता रहा है जो सामान्य लोगों को निगलने के लिए तत्पर रहता है।

स्वतंत्र भारत के पचास सालों के बाद पहली बार हमें एक ऐसा

[श्री वी०पी० षणमुगा सुन्दरम]

वित्त मंत्री मिला है जिसने संपूर्ण अवधारणा तथा विश्वास को बदल कर रखा दिया है कि बजट एक घृणा योग्य वस्तु है। उन्होने इसे स्वागत योग्य बनाया है तथा हमारी नजर में उनकी प्रशंसा न केवल पूरे देश में वरन् अंतर्राष्ट्रीय हलकों में भी इसकी प्रशंसा की गई हैं यदि यह रूझान जारी रहा तो लोग प्रतिवर्ष उत्सुकतापूर्वक इस तरह की बजट की राह देखेंगे।

नौ माह पूर्व जब संयुक्त मोर्चा सरकार स्थापित किया गया था तब यह भविष्यवाणी की गई थी कि यह सरकार केवल कुछ दिनों या सप्ताहों की मेहमान है। लेकिन संयुक्त मोर्चा सरकार स्थिर रहने के लिए आई है तथा विशेषरूप से बजट के बाद लोगों को विश्वास है कि यह सरकार अपनी अवधि पूरी करने तक स्थिर बनी रहेगी। वित्त मंत्री को कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ा तो केवल आर्थिक नहीं थे वरन् राजनीतिक भी थे। उन्हें विपरीत दवाब, आर्थिक वास्तविकताओं तथा अफसरों द्वारा परंपरागत हल खोजने की सलाह का सामना करना पड़ा जो उन्हें एक दिशा में आगे बढ़ाया तथा कुछ अन्य घटकों द्वारा अपरंपरागत विचार के कारण दूसरी दिशा में जाने को बाध्य किया।

हमें गर्व है कि हमारे माननीय वित्त मंत्री ने विकासोन्मुखी बजट प्रस्तुत किया है। यह एक स्पष्ट और कल्पनाशील बजट है। कृषि जोकि प्रधान क्षेत्र है और हमारे देश के अधिकांश लोगों के लिए चिन्ता का विषय बना हुआ है, को प्राथमिकता दी गई हैं इसके साथ-साथ विश्वभर में विज्ञान और प्रौद्योगिर्की के क्षेत्र में आधुनिक प्रवृत्ति को मद्दे नजर रखते हुए इसे यथोचित महत्व दिया गया है।

निगमित क्षेत्र की स्थिति काफी अच्छी है क्योंकि इस क्षेत्र को आशा से अधिक धनराशि प्राप्त हुई है। उन्होंने करों में कटौती की है, योजनागत व्यय में वृद्धि की है, उन स्थायी खर्चों के लिए प्रावधान किया है जो पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकृति करने के बाद होंगे और उन्होंने वित्तीय घाटे का अनुमान लगाया है जो वर्ष 1997-98 में सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 4.5 प्रतिशत होगा। इस बजट का लोगों का समर्थन प्राप्त है। इसमें समाज के सभी वर्गों पर ध्यान दिया गया है। वास्तव में मानीय वित्त मंत्री जी ने इस वर्ष का बजट प्रस्तुत करके एक उल्लेखनीय कार्य किया है जो समाज के सभी वर्गों को स्वीकार्य है और व्यावहारिक है, शायद, यह केन्द्र सरकार का पहला बजट है जिसका वास्तव में कोई विरोध नहीं किया गया है।

माननीय मंत्री जी ने औद्योगिक क्षेत्र के जीर्णोधार के लिए कई कर संबंधी रियायते दीं हैं। इक्विटी में निवेश को आकर्षित करने के वास्ते लाभांश आय पर लगने वाला कर समाप्त कर दिया गया है। मुद्रा स्फीति रोकने के लिए करों में छूट दी गई है और उत्पादिकता को बढ़ावा देने के वास्ते कई उपाए किए गए हैं। स्वैच्छा से आयकर विवरणियां भरने के लिए वैयक्तिक करो की दरें कम की गई हैं। वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने और वित्तीय नीति का संचालन करने के लिए संतुलन सुनिश्चित करने के वास्ते भारतीय रिवर्ज बैंक को और अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। इस बजट में शोषित मध्यम वर्ग विशेष रूप से वेतनभोगी व्यक्तियों को प्रसन्नचित होने का अवसर भी दिया गया है।

जैसाकि मेरे नेता तमिलनाडु के मुख्य मंत्री डा० कलाइकानार एम० करूणानिधि ने कहा है कि इस बजट में राज्यों के संबंध में कई स्वागत योग्य विशिष्टताओं का उल्लेख किया गया है। दसवें वेतन आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए राज्यों के मुख्य मंत्रियों की मांगों के प्रत्युत्तर में विशेष रूप से, माननीय वित्त मंत्री महोदय इस संबंध में तैयार हो गए हैं कि कुल केन्द्रीय कर राजस्व में से राज्यों को भी हिस्सा दिया जाएगा। यह एक अच्छी शुरूआत है और मुझे आशा है कि आने वाले वर्षों में इससे और अधिक वृद्धि होगी। पूंजी लेखे को परिवर्तनीय करने के संबंध में प्रस्तावित कदम न केवल अपने आप में नए हैं अपितु उत्साहवर्धक भी हैं। मुख्य मंत्री सहायता कोष में दान देने पर कर में शत प्रतिशत छूट दिए जाने का सभी राज्यों द्वारा स्वागत किया जाएगा। इस प्रकार से कार्य करने और विशेषरूप से नया दृष्टिकोण अपनाने में कुछ खामियां हो सकती हैं।

इलैक्ट्रानिक कम्पोनेन्ट एसोसिएशन के अनुसार केन्द्रीय बजट में बिजली उद्योग को कोई राहत नहीं दी गई है। बिजली उद्योग हमारे देश का बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है और अगली शताब्दी में यह सबसे महत्वपूर्ण उद्योग् होगा। इस उद्योग को हर तरह से बढ़ावा दिया जाना चाहिए और ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जो उसके विकास में बाधा बने। बिजली उद्योग की शिकायत पर ध्यान दिया जाए। यह भी बताया गया है कि लाभांश पर दोहरा कर समाप्त करने संबंधी प्रस्ताव से छोटे निवेशको को ही लाभ पहुंचेगा और केवल वित्तीय संस्थान और बहुराष्ट्रीय कम्पनियां जिनकी भारतीय कम्पनियों में काफी अच्छी स्थिति है, को इस प्रस्ताव से सबसे अधिक लाभ पहुंचेगा।

मैं अपने राज्य से संबंधित एक और प्रस्ताव उठाना चाहता हूं तमिलनाडु पावरलूम टेरी टॉवल विर्निमाता और निर्यातक परिसंघ ने टेरी टॉवलों पर उत्पाद शुल्क की उगाही करने के खिलाफ 1 अप्रैल से उत्पादन बंद करने की धकमी दी है। केन्द्रीय बजट में टेरी टॉवलों पर/शुल्क की परिसीमा हटाने और उत्पादन शुल्क की उगाही करने की घोषणा करके छोटे विर्निमाताओं के घावों पर नमक छिड़का गया है। इस किस्म के टावल विर्निमाताओं को बरसों से शुल्क में छूट का लाभ मिल रहा था लेकिन 9 सितम्बर, 1996 के आदेश के द्वारा प्रतिवर्ष 30 लाख रुपए से अधिक उत्पादन करने पर उत्पाद शुल्क की उगाही की जाएगी। चालू बजट में परिसीमा हटा दी गई है और उत्पादित किए जाने वाले सभी टावलों पर शुल्क की उगाही की गई है। इन लोगों के हितों की रक्षा करना आवश्यक है क्योंकि उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है।

इस सदन में भी समय-समय पर यह सुझाव प्राप्त होते रहे हैं कि कल्याण और अन्य विकास संबंधी योजनाओं को चलाने के लिए राज्य हर लिहाज से सक्षम हैं क्योंकि वे लोगों के ज्यादा निकट हैं और इसलिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं राज्यों को चलाने के लिए दे दी जाएं। माननीय मंत्री महोदय ने कुछ माह पहले यह सुझाव दिया था और शायद ठीक ही दिया था कि केन्द्र में कुछेक मंत्रालयों

को बंद कर दिया जाए। जो मंत्रालय राज्य सूची में शामिल निकायों को देख रहे हैं। उन्हें बन्द किया जाए और उन मंत्रालयों को बंद करने से जो बचत होगी, उसे राज्यों को स्थानांतरित किया जा सकता है ?

अन्त में, मैं इस सम्मानीय सदन में हमारे प्रिय माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री आर० ज्ञानगुरूस्वामी (परियाकुलम) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे सामान्य बजट पर चर्चा करने के लिए भाग लेने का अवसर प्रदान किया। मैं सामान्य बजट का समर्थन करता हूं।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम संयुक्त मोर्चा सरकार का *मोगूनाकार्य* है यह भी हमारे माननीय वित्त मंत्री ने ही तैयार किया हैं इसलिए उन्होंने इस प्रगामी बजट को प्रस्तुत करके न्यूनतम साझा कार्यक्रम की अर्थपूर्ण विवेचना की है। यह बजट संपन्न और निर्धन दोनों प्रकार के लोगों के लिए है।

महोदय, मैं इस बजट की कुछेक स्वागतयोग्य बातों का उल्लेख करूंगा। आयकर दरों के सभी स्लैबों को 15, 30 और 40 प्रतिशत से घटाकर क्रमशः 10, 20 और 30 प्रतिशत कर दिया गया है। मानक कटौती को 20,000 रु० तक बढ़ा दिया गया है ताकि 75,000 रु० तक की आय कर मुक्त हो। वरिष्ठ नागरिकों को आयकर में एक लाख रुपए तक की छुट दी गई हैं निगमित कर पर लगाने वाला अधिभार समाप्त कर दिया गया है। मेट को अग्रेषण प्रणाली के साथ जारी रखा जाएगा और निर्यात से होने वाले मुनाफे को कर से मुक्त रखा गया है।

लाभांश पर लगने वाला कर समाप्त कर दिया गया है ? दूरसंचार उपस्करों पर लगने वाला शुल्क 40 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है। चिकित्सा संबंधी उपस्करों पर लगने वाला शुल्क कम करके 20 प्रतिशत कर दिया गया है। तेल अन्वेषण और औद्योगिक वर्क्स को आधारभूत क्षेत्र में भी शामिल किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को दी जाने वाली बजटीय सहायता को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। यह बजट की कुछेक मुख्य-मुख्य बातें हैं। वर्ष 1997-98 के लिए योजनागत परिव्यय 91,839 करोड़ रुपए है। पिछले वर्ष अर्थात् 1996-97 में यह 87,086 करोड़ रुपए था। इसमें 4,753 करोड़ रुपए की बढोत्तरी की गई हैं यह कार्य हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने गरीब व्यक्तियों पर कर लगाए बिना, मध्यम दर्जे के लोगों को परेशान किए बिना अथवा धनाढ्य वर्ग को अर्थदण्ड दिए बिना किया हैं दूसरी ओर आपने सभी कर राहतें दी हैं। उन लोगों को वित्तीय दृष्टि से भी विभिन्न राहतें दी गई हैं।

खाद्यान्नों पर दी जाने वाली राज सहायता को 7500 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया है। वर्ष 1996-97 के दौरान, यह 5,884 करोड़ रुपए थी। इसमें 1,434 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। माननीय वित्त मंत्री ने इस सदन में वायदा किया था कि यदि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में दोहरी कार्ड प्रणाली लागू कर दी जाए तो वे कुछ और धनराशि देने के लिए तैयार हैं।

महोदय, हमारा देश मुख्यतः कृषि प्रधान देश है। 90 प्रतिशत लोग कृषि कार्यों में जुटे हुए हैं। लेकिन इस क्षेत्र के लिए योजनागत परिव्यय बहुत ही कम है। 1996-97 के लिए 2831 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। वर्ष 1997-98 के लिए केवल 2,969 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें मामूली सी वृद्धि की गई है। हालांकि हमारा देश मुख्यतः कृषि प्रधान देश है और इस देश में रहने वाले अधिकांश लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन इस क्षेत्र के लिए योजनागत परिव्यय बहुत ही कम है। यद्यपि संबंधित मंत्रालय द्वारा वर्ष 1996-97 के लिए परिव्यय का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया है।

नाबार्ड को 500 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के लिए पिछले वर्ष में आवंटित 900 करोड़ रुपए की राशि की तुलना में 1300 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। पिछले वर्ष की तरह, रक्षा के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की गई है। माननीय वित्त मंत्री जी ने इस सदन में निष्ठापूर्वक यह वायदा किया है कि यह रक्षा संबंधी प्रयोजनों के लिए जब कभी भी आवश्यक होगा, और धनराशि मुहैया कराएंगें।

यद्यपि, अधिकांश संदस्यों ने यह दावा किया है कि वर्तमान बजट उद्योग के लिए एक तोहफा है। 7.5 प्रतिशत का अधिभार समाप्त कर दिया गया है। निगमित कर को कम करके 35 प्रतिशत कर दिया गया है। उत्पाद शुल्क में 30 लाख रुपए की छूट दी गई है। ये सभी रियायतें उद्योगों के लिए तोहफा है। कुछ सदस्यों ने इस सम्माननीय सदन में कहा है कि जो सभी रियायतें दी गई हैं और निगमित क्षेत्र के लिए कर समाप्त किए गए हैं और कम्पनियों को उत्पाद शुल्क में छूट दी गई है और दूसरी रियायते दी गई हैं उनसे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए भारत में अपने उद्योग धन्धे स्थपित करने का अच्छा अवसर मिलेगा। दूसरे देशों की बहुराष्ट्रीय कम्पनियां, भारत में अपना माल डम्प कर रही है।

विश्व की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया है विश्व की अर्थव्यवस्था उदारीकरण की ओर अग्रसर है। जब विश्व की अर्थव्यवस्था बदल रही है उस समय भारत इन बातों की अनदेखी नहीं कर सकता है। जब विश्व की अर्थव्यवस्था में बदलाव आया है भारत को स्वतः अपना रवैया भी बदलना पड़ेगा। हमारी अर्थव्यवस्था उदारीकरण की दिशा की ओर अग्रसर है। भारत उदारीकरण की ओर अग्रसर है। भारत को उदारीकरण अपनाने पर जोर दिया गया है आखिरकार हमें हवा के रूख के साथ चलना है। हमें विश्व के साथ चलना हैं भारत अकेले ही उदारीकरण को नहीं अपना सकता है। उसे दूसरे देशीं के साथ मिलकर चलना पड़ेगा।

यह प्रशंसनीय बात है भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम को अपने-अपने क्षेत्रों में अपना एकाधिकार स्थापित करने की अनुमति दी गई है।

इस बजट में लघु उद्योगों को सबसे अधिक क्षति पहुंचाई गई

[श्री आर० ज्ञानगुरूस्वामी]

है। निवेश सीमा को 60 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 ककरोड़ रुपए किया गया है।

इससे मध्यम और बड़े उद्योगों को यह प्रलोभन मिलेगा कि वे लघु उद्योगों को उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए लघु उद्योगों में परिवर्तित हो जाएं। इससे भी घातक बात यह है कि 14 मदों को अनारक्षित घोषित कर दिया गया है और लघु उद्योगों के दायरे से बाहर निकाल दिया गया है। यह लघु उद्योगों के लिए दोहरी मार होगी। दूसरी ओर, मैं महसूस करता हूं कि लघु उद्योगों के लिए और उपभोक्ता वस्तुओं को आरक्षित किया जाना चाहिए।

आयकर अधिनियम की धारा 139 में संशोधन करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित संशोधन के अंतर्गत, यदि किसी महानगर में रहने वाला कोई व्यक्ति चार क्षेणियों में से किन्हीं दो श्रेणियों अकृति यदि उसके पास टेलीफोन, कार, अचल सम्पति है अथवा उसने पिछले वर्ष कोई विदेश यात्रा की हो; तो उसके लिए आयकर विवरणी भरना आवश्यक है। जैसाकि माननीय वित्त मंत्री ने कहा है, उस व्यक्ति को गैर-देयता विवरणी भी भरनी होगी। लेकिन उसके लिए विवरणी भरना आवश्यक है। कार रखना और टेलीफोन रखना कोई पाप नहीं है। किसी भी व्यक्ति को टेलीफोन अथवा कार रखने के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है। आखिरकार माननीय वित्त मंत्री ने यह कहा है कि करों के दायरे का विस्तार करने के लिए उसमें संशोधन करने और अधिक निर्धारितियों को कर-सीमा में लाने का प्रस्ताव है। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह उक्त प्रस्ताव पर पुनः विचार करें।

स्वैच्छिक घोषणा योजना के संबंध में, मेरा यह कहना है कि यह स्वागत-योग्य बात है। इससे काला धन बाहर निकलेगा। स्वैच्छिक घोषणा योजना के अंतर्गत जो व्यक्ति अपनी आय की घोषण करेगा वह केवल पिछले वर्ष की आय बताएगा। यदि उस व्यक्ति ने पिछले वर्ष अपनी आय बताई होती तो उसे आयकर के रूप मं 40 प्रतिशत राशि का भुगतान करना पड़ता। चूंकि उसने कानून का उल्लंघन किया है और अपनी आय की घोषणा नहीं की है, उसे स्वैच्छिक घोषणा योजना के अंतर्गत अपनी आय की घोषणा करने के लिए 10 प्रतिशत का प्रोत्साहन मिलेगा। जबकि जिस व्यक्ति ने ईमानदारी के साथ अपनी आय की घोषणा की थी उसने 40 प्रतिशत कर का भुगतान किया। इसमें क्या विसंगति है ? इस योजना के अंतर्गत किसी व्यक्ति को कम से कम 40 प्रतिशत कर का भुगतान करने के लिए बाध्य किया जा सकता है जिसका भुगतान उसने पिछले वर्ष करना था।

भारत में बेरोजगारी की बहुत गम्भीर समस्या है। लेकिन इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। सरकार को बेहिसाब धन को बाहर निकालने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर बीयरेर बांड जारी करने चाहिए।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में स्थित है। लाखों लोग इलायची, की खेती कर रहे हैं। हाल ही में, गुवोरमाला से भारत में इलायची की तस्करी की गई है और उसे खुले बाजार में बेचा गया है। जिसके परिणामस्वरूप, भारत में उत्पादित की जाने वाली इजायची की कीमतें गिर गई हैं। इससे समग्र इलायची बागवानी प्रभावित हुई है। वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय ने मेरे द्वारा बार-बार अनुरोध करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यदि इस तस्करी को रोका नहीं गया, तो इलायची बागवानी बंद हो जाएगी। इसी तरह, मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह काफी उत्पादकों की दशा की ओर ध्यान दें। वे अपने पहले के कर्जों को माफ करवाना चाहते हैं क्योंकि कम उत्पादन होने और कम मूल्य मिलने के कारण वे पिछले 10 वर्षों से कर्जों के बोझ तले जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री ए० राजा (पेरम्बलूर) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 1997-98 के लिए प्रस्तुत किए गए बजट का समर्थन करता हूं। इस सम्मानीय सदन का युवा सदस्य होने के, नाते इस बजट पर मुझे अपना पहला भाषणा देने की अनुमति दी जाए।

इससे पहले, मेरा यह कर्त्तव्य बनता है कि मैं अपने नेता तमिलनाडु के मुख्य मंत्री डा० कलाइकानार जिनकी कृपा से मैं तनथाई पेरियार और अरिगनेर अन्ना जो मेरे स्कूल के दिनों में हमारे राजनीतिक आदर्श थे और जिनकी वजह से मैं आज आपके सामने खड़ा हूं, के प्रति आभार व्यक्त करूं।

महोदय, मौजूदा रानीतिक परिधि नामतः संयुक्त मोर्चा सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुसार, वित्त मंत्री ने यह बजट पेश किया है, जिससे इस महान देश के सभी वर्गों के लोग खुश हैं, केवल कुछ लोग ही इसके अपवाद स्वरूप हैं। इस सरकार के लिए यह गर्व का विषय है जिसने कर और व्यय के मामले में एक संतुलित बजट प्रस्तुत किया है।

मुझे इस बात की अच्छी जानकारी है कि सामाजिक पारस्परिक विरोध हर समय और सभी देशों में सार्वभौमिक हैं और इसमें कोई अपवाद नहीं है। लेकिन हमारे देश में, हमें ईमानदारी से यह स्वीकार करना होगा कि हम पिछले 50 वर्षों में विभिन्न सरकारों द्वारा उपाए करने के बावजूद भी परस्पर-विरोधों को कम करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाए हैं। अब संयुक्त मोर्चा सरकार, जो सामाजिक न्याय का अभिप्रेरक है, ने सरकार को चलाने का दायित्व अपने कन्धों पर लिया है और इस कारण पूरा देश हमसे कुछ और आशा भी करता है।

जब कभी भी बजट प्रस्तुत किया जाता है, लोगों के अपने विचारव्यक्त करने के लिए इसकी विषय-वस्तु को निर्धारित करने के लिए बुनियादी और आधारभूत मानदण्ड होते हैं; आम तौर पर साधारण लोग, व्यापारिक समुदाय और विदेशी संघटक बजट पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। कई बार सरकार के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि बजट संबंधी मसलों पर सभी तीनों वर्गों को संतुष्ट कर सके। लेकिन इस बार, वास्तव में इस बजट ने सभी तीनों वर्गों को संतुष्ट किया है।

महोदय, जैसाकि सदन को अच्छी तरह ज्ञात है, हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने मानव संसाधन के आधार का निर्माण करने के लिए

ढांचागत सुविधाओं का निर्माण और सामाजिक सेवा संबंधी व्यय की स्थिति में सुधार जैसे दो लक्ष्यों का शुभारंभ किया हैं ढांचागत क्षेत्र जिसमें सिंचाई, ऊर्जा, परिवहन, संचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पर्यावरण शामिल हैं, के संबंध में बजट अनुमान के लिए हमारे वित्त मंत्री जी की समाज के सभी वर्गों द्वारा प्रशंसा की जा रही है।

महोदय, इसका एक प्रशंसनीय पहलू यह भी है कि इस बजट में घाटे के स्तर को बहुत कम कर दिया गया हैं इसमें राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 2.1 प्रतिशत तथा राजकोषीय घाटा 4.5 प्रतिशत रखा गया है। वस्तुतः यह लक्ष्य पूर्व वित्त मंत्री डा० मनमोहन सिंह भी प्राप्त नहीं कर पाए थे। इसी प्रकार, प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों का समाज के लगभग सभी वर्गों द्वारा स्वागत किया जा रहा है। नई आयकर दरें, तदनुरूप कर स्लैब और नया निगमित कर बहुत अच्छे हैं। निर्यात लाभों से संबंधित 'मैट' को समाप्त करके उस पर आयकर अधिनियम के अधीन पूरी छूट देना और पूंजीगत वस्तुओं पर आयात-शुल्क कम करके 25 प्रतिशत करना, निर्यात-आयात नीति में अच्छे कदम हैं। दूसरी ओर, बजट प्रत्येक व्यक्ति के लिए अच्छा और उदार है। व्यक्तिगत आयकर को कम करने, कर की परिधि को और व्यापक बनाने तथा काले धन को सरकारी संसाधनों की मुख्यधारा में लाने के लिए प्रस्तावित योजना से निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा।

महोदय, कुछ वर्ष पूर्व हमने 21वीं सदी के बारे में चर्चा भी शुरू की थी। इस चर्चा को वास्तविक रूप देने के लिए बजट में घरेलू औद्योगिक विकास में सहायता हेतु सॉफ्टवेयर को सीमाशुल्क से पूरी छूट दे दी गई है। और कम्प्यूटर के पुर्जों पर शुल्क में कमी कर दी गई है।

महोदय, कर की सीमा बढ़ाए जाने और सुरक्षित मदों की सीमा 50 लाख रुपए तक बढ़ाने का सभी लोगों तथा लघु उद्योगों ने स्वागत किया है। परन्तु मैंने ऐसा सुना है कि लघु उद्योगों में इस बात की आशंका है कि लघु उद्योगों के लिए संयंत्र और मशीनरी हेतु निवेश सीमा को 60 लाख रुपए से बढ़ाकर तीन करोड़ रुपए करना उनके विकास के लिए हानिप्रद होगा क्योंकि बड़े और मध्यम दर्जे के उद्योग भी लघु उद्योगों को मिलने वाले इस लाभ का फायदा लेने के लिए इस क्षेत्र में प्रवेश करना चाहेंगे और इसके परिणामस्वरूप लघु औद्योगिक इकाइयां उनके साथ स्पर्धा करने में समर्थ नहीं हो पाएंगी।

मेरा माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध है कि यदि उचित हो तो वह इस आशंका पर विचार करें। इसी तहह, वित्त मंत्री जी ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम और कम्पनी अधिनियम के कतिपय कानूनों और प्रावधानों में परिवर्तन करने की घोषणा की है और मुझे आशा है कि इन प्रयासों से हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिरता बनाए रखने और आर्थिक अपराधों को समाप्त करने में काफी सहायता मिलेगी।

महोदय, मैंने करों और अन्य क्षेत्रों पर बजट के कुछ विशिष्ट प्रत्यायकों का उल्लेख किया है, इसके अतिरिक्त, मैं कुछ और मुद्दों का उल्लेख करना चाहता हूं। जैसाकि मैंने पहले कहा, एक समय-सीमा के अंदर किसी भी कीमत पर सामाजिक विरोधों की समस्या को हल करना होगा। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो हमारे संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर हमें सचेत किया था। उन्होंने कहा :

> "26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभास माहौल में प्रवेश कर रहे हैं। राजनीतिक जीवन में समानता होगी परन्तु सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक असमानता रहेगी ? हमें शीघ्रतिशीघ्र इन विरोधों को समाप्त करना होगा असमानता से पीड़ित लोग लोकतंत्र के ढांचे को उड़ा देंगे।"

महोदय, हम बाबा साहेब अम्बेडकर की इस चेतावनी को ताक पर रखना नहीं चाहते हैं तो हमें सामाजिक न्याय और सुधारों के क्षेत्र, गरीबी उम्मूलन तथा लोगों की बुनियादी आवश्कयताओं पर उचित ध्यान देना होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वैज्ञानिक आविष्कार, रक्षा क्षेत्र का आधुनिकीकरण और अंतरिक्ष अनुसंधान में हमारी उपलब्धि विश्व में हमारी हैसियत को मापने का मापदंड हैं परन्तु उसके लिए हम इस देश की अशिक्षित और भोली-भाली जनता के जीवन और उसके अधिकारों की उपेक्षा नहीं कर सकते जिन्हें कई वर्षों से शिक्षा, मानवाधिकारों और बुनियादी प्रसुविधाओं से वंचित रखा गया है।

इस सदन के सामने यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि ये लोग जिन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है, देश के लिए धन पैदा करने में व्यस्त रहते हैं और अभिजात वर्ग के लोग खाते, झगड़ते और सोते रहते हैं। अभिज्ञात वर्ग के असीम आनन्द और निरंतर एशो-आराम के कारण इन दलित लोगों की दयनीय स्थिति के बारे में कोई अभिव्यक्ति नहीं हो पाती हैं महोदय, मैं इस बात से प्रसन्न हूं कि इस बजट में गरीब लोगों का खून चूसने वाली पनपती हुई इस प्रकार की कुप्रवृत्तियों को न्यूनतम करने का विवेकपूर्ण प्रयास किया गया है क्योंकि केन्द्रीय योजना के लिए बजटीय सहायता को ग्रामीण विकास और कृषि पर केंदित किया जा रहा है। जैसाकि हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने उचित उल्लेख किया है कि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का जीवन और शक्ति है और तद्नुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और नाबार्ड के संबंध में की गई घोषणा अद्वितीय और सकारात्मक कदम है।

सामाजिक क्षेत्र के बारे में मेरे मन में कुंठा अथवा निराशा है जैसाकि श्री प्रिय रंजन दासमुंशी ने सुबह सदन में कहा था और मुझे भी विश्वास है कि उसमें कुछ प्रासंगिकता है। ऐसा इसलिए है कि गरीबी उन्मूलन के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना, आई०आर०डी०पी० नेहरू रोजगार योजना, ट्राइसेम, इन्दिरा आवास योजना, ई०ए०ए०एस० कार्यक्रमों के माध्यम से हजारों रुपए व्यय किए जा रहे हैं परन्तु ग्रामीण गरीब लोगों की स्थिरति में तालाब में ठहरे हुए जल के समान कोई परिवर्तन नहीं हुआ हैं इसलिए मैं ऐसा मजसूस करता हूं कि हमें अपने कार्यक्रमों और कार्यान्वयन के तरीके पर पुनः विचार करना पड़ेगा। गरीबों के लिए योजनाओं को कार्यान्वित करते समय अधिकारियों और बिचौलियों के शोषण को समाप्त करने के लिए नए नियम बनाए जाने चाहिए। यह आज की तात्कालिक आवश्यकता है क्योंकि हम सामाजिक क्षेत्र पर लगभग 16 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहे हैं।

[श्री ए० राजा]

इस बजट की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें महिलाओं के लिए 250 करोड़ रुपए लागत का "कस्तूरबा" के नाम पर एक साक्षरता कार्यक्रम बनाया गया है। महोदय, चूंकि हम यंथई पेरियार ई०वी०आर० के अनुयायी हैं जिन्होंने सभी प्रकार के दमन अर्थात् जाति, नस्ल, धर्म और लिंग के खिलाफ विद्रोह किया था, हम इस योजना का स्वागत करते हैं जोकि सामाजिक सुधारों के लिए एक उत्प्रेरक का काम करेगी। ई०वी०आर० पेटियार ने बताया कि भारत में महिलाओं को दो बार गुलाम बनाया जाता है; एक बार तो धर्म के द्वारा और दूसरी बार पुरुषों के द्वारा। उन्होंने आगे बताया कि भारत में महिलाओं को जवाहरात और आभूषणों के 'शोकेस' तथा बच्चे पैदा करने की मशीन के रूप में इस्तेमाल किया जाता हैं यदि हम महिलाओं को इस गुलामी से छुटकारा दिलाना चाहते हैं और पुरुषों का अधिपत्य समाप्त करना चाहते हैं तो महिलाओं को शिक्षित किया जाए तथा उन्हें नौकरी में लगाया जाए ताकि वे स्वयं कमा सकें। मैं आशा करता हूं कि हमारे माननीय वित्त मंत्री द्वारा वर्तमान मे जो योजना तैयार की गई है वह प्रत्याशित समाजवादी समाज का गठन करने में सफल हो पाएगी।

महोदय, हालांकि इस बजट में कई सकारात्मक विशेषताएं हैं लेकिन मैं प्रबंधन, प्रक्रिया और कार्यकरण के बारे में सन्त तिरूवल्लुवर के शब्दों को उद्धृत करते हुए अपनी बात समय-सीमा के भीतर समाप्त करना चाहता हूं।

उन्होंने कहा है :

"पौरुल कठवी कलम विनय इदनदू
एंथम ईरुल भीरा येन्नि सेमाल"

इसका अर्थ यह है कि व्यकित और सामग्री, धन, स्थान, कार्य समय और कार्य-उद्देश्यों का पूर्णता के लिए अध्ययन किया जाना चाहिए"

मैं महसूस करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया यह बजट निःसंदेह तिरूवल्लुवर द्वारा कथित 'पूर्ण अध्ययन' है।

सभापित महोदय : मैं आपके प्रथम भाषण के लिए बधाई देता हूं।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : सभापति जी, इतनी देर बैठने का आपने मुझे बोलने के रूप में जो पुरस्कार दिया है उसके लिए धन्यवाद। इस देश के गरीब किसान प्रधान मंत्री जी ने बहुत सुंदर बजट प्रस्तुत किया है और लग रहा है कि वे पूरे देश को स्वर्ग बना देंगे और देश में रहने वाले लोगों को स्वर्गवासी, ऐसा मैं समझता हूं। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने 1996-97 के बजट में करीब 10 हजार करोड़ रुपये की बचत की बात की थी। बचत जिन क्षेत्रों में हुई वह क्षेत्र वे हैं जिन क्षेत्रों की इस देश को जरूरत है।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह जरूर पूछना चाहूंगा कि सन् 2000 में इस देश के सारे लोग पढ़-लिख जाएंगे। लकड़वाला की रिपोर्ट के अनुसार अब गरीबी की रेखा के नीचे गुजर-बसर करने वाले लोगों की संख्या 30 प्रतिश से ज्यादा हो गयी हैं मेरा मानना यह है कि यह संख्या सन दो हजार तक और बढ़ जाएगी। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी इस बात की घोषणा करें कि सन् 2000 तक इस देश में कोई भी व्यक्ति गरीबी की रेखा के नीचे नहीं रहेगा।

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : यदि राज्यों के लोग तथा राज्यों की सरकारें इच्छाशक्ति और संकल्प का आह्वान करें जैसा केरल के लोगों तथा सरकार ने किया है तो वास्तव में सभी राजय साक्षर हो सकते हैं। भारत की भी यही नीति हैं केरल सौ प्रतिशत साक्षर कैसे है तथा राजस्थान केवल 17 प्रतिशत साक्षर क्यों है ? अतः भारत सरकार की नीतियों को दोष क्यों दें। अपने अन्दर झांकिये। अपने आप से पूछिये कि उत्तर प्रदेश, बिहार तथा राजस्थान पिछड़े हुये हैं तथा केरल सौ प्रतिशत साक्षर क्यों है। संक्षेप में मैं कहता हूं कि तमिलनाडु सौ प्रतिशत साक्षर हो जायेगा।

सभापति महोदय : लक्षद्वीप जैसा एक छोटा सा स्थान भी शत प्रतिशत साक्षर है।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार : बहुत बढ़िया साहब। फिर तो मेरा मानना यह है कि केन्द्र सरकार की जरूरत नहीं है। सब राज्यों से कह दीजिए कि अपने हिसाब से अपनै सोंर्स जैनरेट करें और अपने प्रदेश की तरक्की करें। केन्द्र सरकार जो बजट का आवंटन करती है वह क्यों राज्य के हिसाब से पैसा बांटती है। आपकी बात कहने में तो अच्छी लग रही है कि केरला क्यों सारा लिटरेट है, लेकिन सब जानते हैं कि उसके पीछे और भी बहुत सी बातें हैं। आप इस देश को पूरा मानकर चलिये, खाली एक सूबे को मानकर मत चलिये। उड़ीसा के कालाहांडी में जो होता है फिर तो उसको देश से निकाल कर बाहर कर दीजिए। फिर तो लद्दाख और लेह में कुछ होता नहीं है उनको छोड़ दीजिए। राजस्थान का बहुत सा हिस्सा दूसरे देश को दे दीजिए, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है।

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : मैंने यह नहीं कहा है। मैंने जो कहा था वह यह है कि इन राज्यों के लोग, इन राज्यों के राज नेता गण तथा इन राज्यों की सरकारों को और अधिक तथा अधिक बेहतर कार्य करने चाहियें। किसी पर दोष लगाने की क्या बात है ? आपको अपने आप से पूछना चाहिये कि इन राज्यों के शासन में क्या गड़बड़ है ?

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार : जो गलत काम कर रहे हैं उन सबको फांसी पर चढ़वा दीजिए, यह मेरा अपासे आग्रह है।

सभापति महोदय : अभी इस चक्कर में मत पड़िये।

श्री संतोष कुमार गंगवार : मेरा आपसे निवेदन है कि यह कह कर कोई अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता हैं परिवार के अंदर जो सदस्य बीमार होता है उसकी ज्यादा चिंता की जाती है लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हिंदुस्तान के अंदर इस बात की चिंता, इस बात का ध्यान नहीं किया जा रहा है। हमारे गांवों में एक बात चलती है, उसकी कुछ लाइनें सुनाना चाहता हूं।

"उत्तम खेती मध्यम वान, निखद चाकरी भख निदान"। देश तभी उत्तम होगा जब खेती अच्छे ढंग से की जाएगी। लेकिन आज हमने इसको बदल दिया है। हमने भीख यानी नौकरी को बड़ा माना लिया है। आज हिंदुस्तान में चाकरी सबसे बड़ी है क्योंकि एक लाख रुपया महीने की भी नौकरी यहां मिल जाती है। गांव में जो खेती करता है वह कुछ नहीं है। जब तक आप इसको नहीं बदलेंगे तब तक आप इस देश की तरक्की नहीं कर सकते हैं। दो-तिहाई लोग आज गांव में रहते हैं, अगर आप उनकी चिंता नहीं करेंगे, हिन्दुस्तान जहां मुख्य रूप से बसता है, आज हिन्दुस्तान के अन्दर पहचान क्या है ? जब विदेशियों ने श्रीमती इन्दिरा गांधी जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि कुम्भ का मेला लगा हुआ है, जिन के तन में कपड़ा नहीं, जिन के पैर में चप्पल नहीं, गंगा जी में स्नान करने जाते है, वह असली हिन्दुस्तान है। आपको लगता है कि असली हिन्दुस्तान यह नहीं है तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। आज इस समय जो कुछ हिन्दुसान में चल रहा है, उनका आकलन तो पचास साल के बाद होगा कि आजादी के बाद देश की जो सरकारें रहीं, उन्होंने देश के लिए क्या किया। मैं ज्यादा समय इस बारे में नहीं लेना चाहता हूं। हमारे बहुत योग्य वित्त मंत्री हैं और मैं तो वित्त के मामले में कुछ जानता नहीं हूं। मैं इतना कह सकता हूं कि मैं गांव से जुड़ा हुआ हूं, मैं गांव का रहने वाला हूं। आपके इस बजट में इस देश के ग्रामवासियों के लिए ऐसी कोई बात नहीं है जिससे गांव वालों को लगे कि हमारे लिए कुछ दिया है। हम लोग केवल खाली आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि क्या हमारे देश का बजट केवल चन्द आयकरदाताओं के लिए है ? क्या हमारे देश का बजट उनके लिए हे जो सैल्यूलर टेलीफोन और कम्प्यूटर अपने पास रखते हैं। अगर हमें इसमें प्रचार करने में प्रसन्नता मिलती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं हैं इस देश के हर परिवार के पास सैल्यूलर टेलीफोन और कम्प्यूटर मिल जाएं तो इससे बढ़िया बात क्या होगी ? हम दुनिया के दूसरे देशों में जाते हैं। आपने राजस्थान, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश का जिक्र किया। आप किसी गांव में जाकर देखिए कि गांव में वह परिवार कैसे रहता है, कैसे एक धोती से अपना परिवार चलाता है, वह अपने बच्चे को कैसे दोनों समय का खाना खिला नहीं पाता ? पश्चिम उत्तर प्रदेश और दूसरे प्रदेशों में हो सकता है, आपको अच्छा लगे, पर आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखे कि उसका इलाज क्या है ? उसका इलाज यह नहीं है कि केरल में क्या हो रहा है ? उसका इलाज यह है कि हम उसको ऊपर उठाने का अवसर दें। मेरा आपसे निवेदन है कि योजना उसी हिसाब से चलनी चाहिए। हिन्दुस्तान आज भी साइकिल एज में चल रहा है। अगर आप हिन्दुस्तान की पहचान देखना चाहते हैं तो हिन्दुस्तान साइकिल एज में चलता दिखायी देगा। यहां पर 10-15 लाख की कारें तो मिल सकती हैं लेकिन अगर रोटी की कीमत बढ़ जाएगी तो फिर उस आदमी के मन में चिन्ता हो जाएगी कि मैं अपने परिवार का भरण-पोषण कैसे करूंगा ? एक विशेष चिन्ता की बात यह है कि इस देश में जो बजट निर्माता हैं, उनको सोचना चाहिए कि चाणक्य ने किस बुद्धि से काम लिया ? मैं उनके बारे में कोई व्याख्या नहीं करना चाहता हूं। जापान और चीन ने क्यों तरक्की कर ली। हमारे पूर्व प्रधान मंत्री नरसिंह राव जी ने कहा था कि हम 2010 के बारे में तय करें कि हम को कितना खाद्यान्न चाहिए ? आज हम खाद्यान्न के मामले में 190 मिलियन टन पर रूक गए हैं और हमारी आबादी बढ़ती जा रही है। हमारा मानना है कि हम फैमिली प्लानिंग तो कर रहे हैं लेकिन क्या कभी कृषि की भी प्लानिंग की भी हमें दस साल के बाद कितने खाद्यान्न की जरूरत होगी और हम उसे कैसे पूरा करेंगे? अभी थोड़ा सा गेहूं आयात किया है और आपके आंकड़े बताते हैं कि 30 लाख टन गेहूं इस बार भी कम होगा। अगर ऐसे ही गेहूं कम होता रहा और आबादी बढ़ती रही तो हम किस दिशा में जाएंगे ? हमारे एक साथी कह रहे थे कि हम पी०एल० 480 की दिशा में जा रहे हैं। जब हम गेहूं आयात करने लगेंगे तो आपकी सारी योजनाएं धरी रह जाएंगी, सब कहने की बातें रह जाएंगी।

मुझे ऐसा लगता है कि श्री शरद यादव जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि हम 45 लोग आए हैं, हम जब चाहेंगे अपना कमंडल लेकर चले जाएंगे। आपको शायद इस देश की चिन्ता नहीं है। आपको इस बात की चिन्ता है कि अगर हमारी सरकार चली गई तो हम चले जाएंगे, हमें कुछ नहीं करना है। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आप लोग अप्रसन्नता व्यक्त करेंगे। मैं इतना कहना चाहूंगा कि उन विषयों के बारे मे चिन्ता व्यक्त की जानी चाहिए, जो विषय चिन्ता के हैं। आज हिन्दुस्तान के अन्दर बहुत से गांव और ब्लाक डार्क होते जा रहे हैं वाटर लैवल नीचे जा रहा है। हमारे देश की नदियां उठ रही हैं और पानी उसके अन्दर रूक नहीं रहा है। जो नदियों के किनारे शहर बसते थे, जिससे शहर की तरक्की होती थी, वह नहीं हो रही है। मैं मंत्री जी को दावत देता हूं कि वह उत्तर प्रदेश के किसी गांव में चलकर कुछ अपनी योजना बताएं। इससे निश्चित रूप से लोगों को लगेगा कि वास्तव में इस समय जो किसानों की प्रिय सरकार आई है, वह देश के हिसाब से कुछ कर रही है।

मैं ज्यादा समय न लेते हुए दो-तीन बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। पहले दिन यह लग रहा था कि बजट की कोई आलोचना नहीं करेगा।

सभापति महोदय : लिस्ट में आपका आखिरी नाम है। आप जल्दी समाप्त कर दें।

श्री संतोष कुमार गंगवार : मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और अपनी बात तीन मिनट में खत्म कर दूंगा।

ज्यों-ज्यों बात आगे बढ़ती जा रही है, आलोचनाएं बढ़ती जा रही हैं। मैं उत्तर प्रदेश के बरेली जिले का रहने वाला हूं। मेरे यहां विभव्ते

[श्री संतोष कुमार गंगवार]

फैक्ट्री है। वहां के कर्मचारी मेरे पास आए और कहने लगे कि हमारी फैक्ट्री वंद हो रही हे। मैंने कहा कि क्यों बंद हो रही है ? वित्त मंत्री जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आपने मैच फैक्ट्री के लिए मैकेनाइज्ड क्षेत्र दिए हैं और उनके लिए एक्साइज ड्यूटी वढ़ा दी है। विमको एक स्वदेशी कंपनी है और पूरे देश में 15 प्रतिशत माचिस का उत्पादन करती हैं रेटा का अंतर इतना हो गया कि कोटेज इंडस्टी पर 50 पैसे की ऐक्साइज ड्यूटी है और इसके ऊपर तीन रुपये की एक्साइज ड्यूटी है। छः गुना मुकाबले पर फैक्टरी बंद हो जाएगी और इस फैक्टरी के 10,000 इंप्लोइज़ ने हमे घेर लिया कि वित्त मंत्री जी से कहें कि इस पर कुछ विचार क़रें और चिन्ता करें। बहुत सारे सांसद इस बारे में ज्ञापन भी दे चुके हैं। अगर आप इस फैक्टरी को बंद करना चाहें तो बंद कर दें। हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन अगर चलानी है तो उसके 10,000 इंप्लोइज़ की डिमांड पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें।

आपने जैम और जेली पर वहुत टैक्स बढ़ा दिया पर छिपा हुआ टैक्स अचार पर लगा दिया। आपने कहा कि 30 लाख से कम का व्यापार करने वालों पर टैक्स नहीं लगेगा। उससे ज्यादा का व्यापार करने वालों पर टैक्स लगेगा। 12 करोड़ की आपको आय होगी और इस इंडस्ट्री से आपको सौ करोड़ रुपया मिला रहा है। इस देश में फूड प्रोसेसिंग इंडस्टी की संभावनाएं हैं। आप इस पर विचार करें। इसके लिए ज्ञापन आपको मिलेंगे कि आप एक ऐसे उद्योग को बंद करने जा रहे हैं जिसकी संभावनाएं हैं और जो इस देश में क्रांति कर सकता है। मेरा निवेदन है कि ज़रा इस पर विचार करें और इस इंडस्ट्री का सरवाइवल वना रहे, इस हिसाब से विचार करें।

कृपि के वारे में मैं अपने क्षेत्र की बात करना चाहूंगा। हमारे यहां इफको का खाद का कारखाना है। उसकी क्षमता बढ़ गई है पर दिक्कत यह है कि एक फैक्टरी को रोज़ाना एक करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। मैं चाहता हूं कि इस पर आप ध्यान दें। गैस अथोरिटी ओफ इंडिया लिमिटेड को जितनी गैस देनी है, वह नहीं दे रहे हैं और बड़ी क्षमता के हिसाब से इफको खाद का कारखाना काम नहीं कर रहा है। इस कारण एक करोड़ रुपये रोज का पिछले सौ दिनों से नुकसान हो रहा है, पर कोई सुनने वाला नहीं है। आपके देश की आय कैसे बढ़े इस देश में कैसे किसान को खाद सस्ते दर पर ठीक मिले, उसकी चिन्ता करने के लिए इस पर ध्यान देना आवश्यक है।

आखिर में साक्षरता की वात करना भी जरूरी है। बहुत सारे कामों का पैसा खत्म करके आप प्राइमरी स्कूल इस देश में हर गांव में खोल दें तो अच्छा होगा, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। नयी योजनाएं वन रही हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी वन गई। वहां के छात्र हमें मिलते हैं तो वे कहते हैं कि उनको रूहेलखड यूनिवर्सिटी में आगे पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। अगर इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी की मान्यता नहीं है तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय घोषण करे कि इसमें कोई न पढ़े।

मैं और अधिक न कहते हुए केवल यह कहना चाहता हूं कि इस बजट में ऐसी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है। जिससे आम आदमी इसको पसंद करे। 25 प्रतिशत लोगों की वाहवाही आपने वजट द्वारा लूटी है पर इस देश की आम जनता आपके बजट के भ्रम को समझ रही हैं सबको लग रहा है कि यह जादूगरी का नमूना है। जैसे जादूगर का जादू पहले तो दिखाई देता है पर बाद में कुछ नहीं बचता है।

अंत में मैं स्थापित जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। निश्चित रूप से इस देश की जनता ऐसे बजट के लिए इस सरकार को माफ नहीं करेगी, इतना ही मैं अंत में कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 12.54 बजे (20.3.97)

तत्पश्चात् लोकसभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 1997 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (आठवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।